(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] दसवीं विधान सभा के सातवें सत्र का बाइसवां दिवस [संख्या : 15

गुरुवार,
18 जुलाई, 1996

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री एमादुद्दीन अहमद खान।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : उन्होंने मुझे लिखकर दिया है।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये।

दर संविदा प्रणाली में परिवर्तन प्रकरण

626. **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) [**श्री एमादुद्दीन अहमद खान** तिजारा) के स्थान पर] : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वित्त विभाग (सी. एस. पी. ओ.) द्वारा दर संविदा प्रणाली बन्द करने के कारण सैकड़ों लघु इकाइयां रूग्ण होकर बन्द हो गयी है एवं उन पर वित्त निगम का करोड़ों रुपया कर्ज व ब्याज के रूप में बकाया है ? यदि हां, तो दर संविदा प्रणाली बन्द करने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि दर संविदा प्रणाली बन्द किये जाने से हजारों की तादाद में लोग बेरोजगार हो गये हैं ?

(3) क्या प्रदेश में लघु उद्योगों से खरीद के बजाय अधिक दर पर सरकारी खरीद ठेकेदारों के माध्यम से की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? लघु उद्योग इकाइयों से खरीद की राज्य सरकार ने क्या नीति बना रखी है और यह कितने प्रभावी ढंग से लागू की गयी है ?

(4) क्या सरकार प्रदेश की लघु इकाइयों के अस्तित्व को बचाने के लिए पुनः दर संविदा प्रणाली को और प्रभावी ढंग से लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या सरकार दर संविदा प्रणाली बन्द किये जाने से लघु इकाइयों को होने वाले नुकसान की पूर्ति वित्त निगम के ऋण पर ब्याज आदि में छूट देकर करने का का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिशंकर भाभड़ा) : (1) जी, नहीं। केन्द्रीयकृत सूची में शामिल आइटमों के लिए दर संविदा की जा रही है। राज्य सरकार के वित्त (सी.एस.पी.ओ.) विभाग द्वारा केन्द्रीय सूची के स्टील फर्नीचर के सभी आइटमों को विलोपित कर दिया गया है और स्टील फर्नीचर के निम्न आइटमों की खरीद सामान्य वित्तीय एवं लेखे नियम के अनुसार किये जाने के निर्देश हैं। लेकिन क्रम संख्या 1–12 तक के आइटमों की खरीद उद्योग विभाग में पंजीकृत राज्य की लघु उद्योग इकाइयों से ही किये जाने का प्रावधान है, क्योंकि ये आइटम लघु उद्योग इकाइयों से ही क्रय करने एवं राजकीय कार्यालयों को प्रदान करने हेतु आरक्षित है :–

क्रम संख्या	आइटमों के नाम
1.	आलमारी बड़ी
2.	आलमारी छोटी
3.	आलमारी पटवारी
4.	कार्यालय टेबल बड़ी एवं छोटी
5.	टेबल विद्यार्थी
6.	टेबल विद्यालयों के लिए
7.	आफिस ट्यूबलर चेयर (हत्थे, साधे हत्थे, बिना हत्थे वाली)
8.	नेस्टिंग चेयर
9.	लाइब्रेरी शैल्टज (6, 7, 8 व 9)
10.	साइड रैक
11.	स्टूल
12.	जी आई बाल्टी (छोटी व बड़ी)
13.	कैश बाक्स
14.	लोहे की तिजोरी (आयरन सैफ)
15.	लोहे का सन्दूक

यदि स्थानीय इकाइयां गुणवत्ता और कीमतों में दी शर्तें पूर्ण कर सके तो उन्हें सरकारी क्रय में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

(2) ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(3) जी नहीं। सरकारी खरीद में राजस्थान की कुटीर, लघु उद्योग इकाइयों को प्राथमिकता प्रदान करने हेतु मण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को वरीयता) नियम, 1995 बनाये गये हैं। राजस्थान की कुटीर व लघु उद्योग इकाइयों द्वारा निर्मित एवं राजकीय विभागों में काम आने वाली 125 वस्तुओं को "परिशिष्ट-प्रथम" में सम्मिलित कर उन्हें केवल राजस्थान के लघु/कुटीर उद्योगों से क्रय करना अनिवार्य किया गया है। इन वस्तुओं का क्रय राजस्थान की लघु/कुटीर इकाइयों से ही किया जा सकता है। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर प्रकरण की सुनवाई वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किये जाने का प्रावधान है।

(4) केन्द्रीय सूची में सम्मिलित आइटम्स के लिए दर संविदाएं की जा

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

रही हैं। साथ ही शासन के प्रत्येक विभाग की आवश्यकताओं हेतु विभागीय दर संविदाएं की जाती हैं।

(5) दर संविदा प्रणाली समाप्त नहीं की गयी। वित्त (सी.एस.पी.ओ.) विभाग की केन्द्रीयकृत सूची में से स्टील फर्नीचर को विलोपित किया गया है जब फेब्रिकेटिंग औद्योगिक इकाइयां स्टील फर्नीचर के अलावा भी अन्य उत्पाद बनाती है। औद्योगिक इकाइयां स्टील फर्नीचर आइटम्स में भी टेण्डर भर कर विभागों के क्रय आदेश प्राप्त कर सकती हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उप मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से कुछ जानकारी चाहूंगा। एक तो आप यह बतायें कि पिछले कितने आइटम्स पर रेट कांट्रेक्ट होता था और अब कितने आइटम्स पर होगा। मेरी जानकारी के अनुसार आपने जो 15 आइटमों की लिस्ट दी है यह तो ज्यादातर स्टील फर्नीचर का एक ही आइटम है, इसके रूप अलग हो सकते हैं, कुछ दूसरी चीजें उसमें हो सकती हैं। दूसरा, फोटोकापीयर्स और सीमेंट भी शायद आपकी लिस्ट में रखा है। जो आइटम हटाये गये व क्यों हटाये और क्या आपको यह भी जानकारी नहीं है कि इनके हटाने से राजस्थान की कितनी स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज पर इसका फर्क पड़ा है? आपने कहा जानकारी में नहीं है। मेरी जानकरी में ऐसा है कि बहुत सी स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को परेशानी आयी है और उसका सबूत, आप जानकारी कर लें, आर. एफ. सी. का लोन नहीं दे पा रहे है, मजदूर काम नहीं कर पा रहे हैं, मजदूरों को हटाना पड़ा है, बिजली के बिल देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि काम कम कर पा रहे हैं। इस तरह की परेशानी पैदा हुई है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिनका पहले रेट कांट्रेक्ट था उनको शिड्यूल वन में आपने पिछले साल में सरकार द्वारा कितना माल खरीदा है और राजस्थान की यूनिट से क्यों नहीं खरीदा ? मैं आपको जानकारी के बतौर, जिससे कि आप मेरे सवाल का जवाब अच्छी तरह दे पायें, उदाहरण के लिए, एक्साइज बैटरी को उसमें से हटा दिया, एक निविदा निकली है, अध्यक्ष महोदय, बड़े आश्चर्य की बात है कि एक्साइज बैटरी के लिए एक निविदा है कार्यालय उप महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर के यहां से कि एक्साइज बैटरी खरीदनी हैं, लघु इकाइयां भी इसमें टेण्डर दें। आज ताज्जुब करेंगे, एक्साइज बैटरी हिन्दुस्तान में एक कम्पनी बनाती है और लघु इकाइयां इसमें टेण्डर देंगी, बेचेंगी तो कहां से बेचेगी ? डुप्लीकेट को आप प्रोत्साहन देना चाहेंगे ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, टोटल आइटम्स स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज और कोटेज इण्डस्ट्रीज के रिजर्व्ड हैं कि जो किसी भी राज्य सरकार के विभाग को केवल राजस्थान की लघु और कुटीर उद्योग इकाइयों से खरीदना पड़ेगा उनकी सूची कुल 125 है और यह जो स्टील के आइटम्स हैं, यह उसमें शामिल

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

हैं। इन स्टील आइटम्स को इसलिए निकाल दिया गया है कि हमारे पास इस प्रकार की गम्भीर शिकायतें आयी हैं कि एक तो इसमें रेट कांट्रेक्ट पर केवल 3 या 4 फर्मे ही भाग लेती थीं जिससे उनकी मोनोपोली हो जाती है। मोनोपोली होने के कारण यह उसमें गड़बड़ करती हैं तो यह शिकायतें, खास तौर से मेडिकल विभाग से आयीं कि वहां आलमारी सप्लाई की उसका वजन कम था। नीचे पत्थर और ईंटें भरकर उसका वजन बढ़ा दिया। जब उनको यह लगता है कि माल हमारे से खरीदेंगे तो उनकी क्वालिटी यह मेन्टेन नहीं करती हैं। हमारी पॉलिसी यह है कि आज जब सारे विश्व में काम्पीटिशन हो रहा है, कम से कम राजस्थान में हम लघु उद्योग इकाइयों से अपेक्षा करते हैं कि वह अपने माल की गुणवत्ता को बढ़ायें, क्योंकि बिना गुणवत्ता के कोई भी लघु उद्योग चल नहीं सकता। फिर यह लघु उद्योग फैल होते हैं, बन्द होते हैं। तो उसके अनेक कारणों में से एक कारण यह भी है कि उनकी क्वालिटी मेन्टेन नहीं होती और इस वजह से उनका माल बिकता नहीं है और वह बन्द हो जाते हैं। इस वजह से हमने यह आइटम उनकी मोनोपोली समाप्त करने के लिए हटा दिया, बल्कि इसका फायदा यह हुआ है, यह फिर भी रिजर्व्ड है, यह आइटम लघु उद्योग इकाइयों से खरीदते पड़ेंगे लेकिन उनको काम्पीटिशन में आना पड़ेगा। अब पूरे राजस्थान की लघु इकाइयां, केवल पहले जयपुर की फर्में थीं कि जो यह रेट कांट्रेक्ट लेती थीं बाकी राजस्थान में किसी को नहीं मिलता था। अब सारी लघु उद्योग इकाइयों को यह अवसर मिल गया कि वह टेण्डर दें और उन्हीं में से ही जिसका लोअर टेण्डर होगा उसी को एक्सेप्ट किया जायेगा। इसलिए अब यह शिकायत नहीं रहेगी और काम्पीटिशन होगा तो निश्चित रूप से उसमें क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। इस दृष्टि से यह किया गया है।

इसके कारण लघु उद्योग इकाइयों के बन्द होने का है, उसमें वह जो 3–4 लेने वाली हैं उन पर इफेक्ट पड़ सकता हैं, उनका कारोबार कम हो सकता है, हो सकता है कि वह हण्ड्रेड पर्सेन्ट इसी पर डिपेंडेंट हों और उनका कोई मार्केट नहीं हो तो वह बन्द भी हो सकती हैं। यह सम्भव है। लेकिन यह बाकी लघु उद्योग इकाइयों को इसमें अवसर देने के लिहाज से और गुणवत्ता बढ़े, इस लिहाज से हमने इन आइटम्स को निकाला है। यह मेजर आइटम्स हैं, लगभग 100 लाख के करीब की खरीद होती है। यह सारे स्टील फर्नीचर के आइटम्स हैं जो हर विभाग में काम में आते हैं। इसमें अधिक लोगों को अवसर मिलना चाहिए, इस दृष्टि से किया गया है।

दूसरा, आपने एक्साइज का पूछा। चूंकि वह बैटरी इसमें है, मोटर स्टोरेज बैटरी, तो यह जो विज्ञापन निकला है यह सही नहीं निकला है। क्योंकि एक्साइज तो लघु उद्योग इकाई नहीं है, वह तो अपने आप में एक कम्पनी है। इसलिए ठीक नहीं है। बैटरीज का टेण्डर होना

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

चाहिये था। यह लघु उद्योग इकाइयां, जो बैटरीज बनाती हैं वह काम्पीटिशन में आती हैं इसलिए एक्साइज का नाम देकर जो टेण्डर काल किया गया है और फिर उसमें लगा दिया है कि इसमें लघु उद्योग इकाई टेण्डर दें तो यह कंट्राडिक्ट्री है। क्योंकि एक्साइज तो सिवाय एक्ससाइज के दूसरी कोई लघु उद्योग बना भी नहीं सकती। यह डिफेक्टिव है, मैं मानता हूं। और बाकी आपने क्या पूछा है ?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मैंने पूछा कि जिनका पहले रेट कांट्रेक्ट था, उसमें से शिड्यूल एक में आपने पिछले साल में कितना माल खरीदवाया और राजस्थान की यूनिट्स को इसका अवसर नहीं मिला ..

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं वही तो बता रहा हूं कि यह शिड्यूल....

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : मैं पूरी बात कर दूं। दूसरा, आपने काम्पीटिशन की बात कही, तो काम्पीटिशन में तो मोनोपोली इसलिए नहीं हो सकती कि आपने एडवरटाइजमेंट कराया है। अखबार में निविदा निकाली है कि हमको इतना माल खरीदना है। जब अखबार में कोई बात छप गयी तो उसमें काम्पीटीशन मार्केट में आयेगा इसलिए उसमें मोनोपोली तो रह ही नहीं सकती।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : एक बार रेट कांट्रेक्ट होने के बाद साल भर उसी से माल खरीदना पड़ता है और....

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : साल भर नहीं, उसको एक्सटेंशन कर देते हैं ...

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां, एक्सटेंशन भी कर देते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : अपने प्रभाव से डेढ़ साल करवा लेते हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बिलकुल सही बात है। तो अब जब भी माल खरीदेंगे तो हर बार कांट्रेक्ट करेंगे। कांट्रेक्ट में तो बार-बार कांट्रेक्ट करना पड़ेगा इसलिए बार-बार मौका मिलेगा लघु उद्योग इकाइयों को। हो सकता है कभी किसी का नम्बर नहीं आये तो दुबारा आ जाये तीसरी बार आ जाये। लेकिन एक बार जो रेट कांट्रेक्ट हो गया तो फिर जो फर्म्स आ गयीं उन्हीं को उसका फायदा मिलता है। इसलिए आपको मोनोपोली....

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : क्या राजस्थान की इकाइयों को आप प्रायोरिटी देंगे ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसमें प्रायोरिटी राजस्थान की ही है। दूसरी जगह से खरीद नहीं सकते। यह हमने केवल रेट कांट्रेक्ट से अलग किया, परचेज प्रिफरेंस तो आज भी वही है। केवल राजस्थान की लघु उद्योग इकाइयों से ही खरीदना पड़ेगा, बाहर से नहीं खरीद सकते। जैसा मैंने बताया कि इसमें करीब 100 लाख का माल टोटल खरीदा जाता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय लक्ष्मण सिंह जी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : इससे व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है, यह बात तो सही है और आपका यह सराहनीय कदम है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि आपने जो लिस्ट दी है, उसमें 15 आइटम्स बताये हैं और उसमें से कुछ आइटम्स को आपने लघु उद्योग के लिए रिजर्व कैसे किया है ? एक तो बचे हुए तीस आइटम्स को क्यों इसमें से निकाला गया है और दूसरा, आप इस चीज को कैसे मानीटरिंग करते हैं कि सारे डिपार्टमेंट स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स ही खरीद रहे हैं ? क्या इस प्रकार से आप उनसे फीड बैक लेते हैं या आप इस प्रकार की टाइम टू टाइम चैकिंग कराते हैं या जो कांट्रेक्ट है, उसका फार्म या प्रोफोर्मा है, उसके अन्दर इस प्रकार की अण्डरटेकिंग लेते हैं, कृपया स्पष्ट करें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जहां तक इन तीन....

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या आपने स्टील फर्नीचर्स को स्टैण्डडाइज किया है कि यह कुर्सी का वजन डेढ़ किलो होगा या एक टेबल का वजन इतना होगा। जब तक स्टैण्डडाइज नहीं करेंगे तो टेण्डर अलग-अलग आयेंगे, रेट अलग-अलग आयेगी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वह तो सारा स्पेसिफिकेशन देते हैं, उसी के अनुसार टैण्डर काल करते है।

आपने जिन तीन आइटम्स का पूछा है, ये तीन आइटम्स मेजर आइटम्स हैं जो सामान्यतया लघु उद्योग में बनते नहीं है। जैसे तिजोरी है, अब आपको भारी तिजोरी चाहिए तो केवल लघु उद्योग के पास ही नहीं है वह तो हम तिजोरी नहीं खरीद सकते। इसलिए उसको जनरल किया है कि तिजोरी में यह भी आ सकते हैं और दूसरे लोग भी आ सकते है इसलिए इन आइटम्स को हमने छोड़ा है, तीन आइटम्स को जानबूझकर छोड़ा है।

जहां तक इसकी मानीटरिंग का सवाल है, इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है। वित्त विभाग के वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है। यदि इस तरह की कोई भी शिकायत आती है कि हमारे यहां पर राजस्थान की लघु उद्योग इकाई माल नहीं खरीदकर बाहर से खरीदा गया है तो वह कमेटी उसकी जांच करती है और उस विभाग को डाइरेक्शन देती है और उसकी बरावर मॉनीटरिंग भी होती है कि जो परचेज प्रिफरेंस हमने राजस्थान के लघु और कुटीर इण्डस्ट्रीज को की है, तो यह परचेज प्रिफरेंस उनको ही मिलनी चाहिए। उसके काम्पीटिशन में बाहर से कोई इकाई नहीं आ सकती। मीडियम और लार्ज की आप बात छोड़िये, लघु उद्योग इकाई में भी राजस्थान के बाहर से नहीं आ सकती, राजस्थान की ही आयेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशनजी वर्मा।

प्रश्न संख्या 627

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

(श्री अध्यक्ष)

श्री भीमराज भाटी ।

प्रश्न संख्या 628

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री महावीर जी भगोरा ।

उदयपुर सम्भाग के आयुर्वेदिक औषधालय

629. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर सम्भाग में किस-किस तहसील/पंचायत समिति मुख्यालय पर विभाग के चिकित्सालय/औषधालय नहीं हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार शेष रहे पंचायत समिति मुख्यालयों पर औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, आयुर्वेद (श्री अचलाराम) : (1) उदयपुर सम्भाग के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमन्द और चित्तौड़गढ़ जिले में निम्न तहसील पंचायत समिति मुख्यालय पर विभागीय औषधालय/चिकित्सालय स्वीकृत नहीं हैं :—

क्र. सं.	नाम	तहसील पंचायत	जिला
1.	भैंसरोडगढ़	पंचायत समिति	चित्तौड़गढ़
2.	भदेसर	तहसील/पंचायत समिति	चित्तौड़गढ़
3.	छोटी सादड़ी	तहसील/पंचायत समिति	चित्तौड़गढ़
4.	भरनोद	तहसील/पंचायत समिति	चित्तौड़गढ़
5.	सीमलवाड़ा	तहसील/पंचायत समिति	डूंगरपुर
6.	भीम	तहसील/पंचायत समिति	राजसमंद
7.	कुम्भलगढ़	तहसील/पंचायत समिति	राजसमंद
8.	खमनोर	पंचायत समिति	राजसमंद
9.	गोगुन्दा	तहसील/पंचायत समिति	उदयपुर
10.	गिर्वा	तहसील/पंचायत समिति	उदयपुर
11.	बल्लभनगर	तहसील	उदयपुर

(श्री अचलाराम)

(2) जी, नहीं। वर्ष 1996–97 में राज्य में कोई नवीन औषधालय खोलना प्रस्तावित नहीं है।

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को देशी कहें या स्वदेशी चिकित्सा पद्धति कहें और इसके इलाज से किसी प्रकार का आफ्टर इफेक्ट नहीं है, रिएक्शन नहीं है। माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने बड़ा निराशाजनक उत्तर दिया है। निराशाजनक इसलिए कह रहा हूं कि पूरे वर्ष में एक भी औषधालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है। मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों में आपके कार्यकाल में राजस्थान में कितने आयुर्वेदिक औषधालय खुले हैं और उदयपुर जिले में कहां-कहां खुले ? नम्बर दो, क्या आपके पास गोगुन्दा तहसील के किसी संस्था या लोगों का कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है कि जो भी सुविधाएं औषधालय खोलने के लिए जरूरी हों, वे सारी सुविधा देने के लिए तैयार है ? तो मैं यह चाहूंगा कि आप मेहरबानी करके यह बतायें और आज मुख्य मंत्रीजी भी नहीं है, इस विभाग की उपेक्षा जा रही है। इसमें नया औषधालय या सब सेण्टर खोलने का कोई प्रावधान है कि नहीं है ?

श्री अचलाराम : अध्यक्ष महोदय, सब सेन्टर खोलने का आयुर्वेद विभाग में कोई प्रावधान नहीं है और आपने पूछा कि कितने औषधालय खोले हैं ? सन् 1994–95 में मात्र पांच और 1995–96 में मात्र बीस। उदयपुर जिले में कितने खोले, तो माननीय सदस्य को मैं पृथक से सूची बना दूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपकी यह मूल भावना है कि तहसील मुख्यालयों और पंचायत मुख्यालयों पर औषधालय क्यों नहीं खोले गये ? इसमें निवेदन है कि जिन स्थानों पर किसी भी अन्य प्रकार की कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो आगामी वर्षों में अगर वित्तीय सुविधा का संसाधन प्राप्त हो जायेगा तो हम उस पर विचार कर सकते हैं।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ऐसे कितने पंचायत मुख्यालय हैं जहां पर आयुर्वेदिक औषधालय नहीं हैं ?

श्री अचलाराम : यह उदयपुर सम्भाग से सम्बन्धित है। माननीय सदस्य, आप चाहेंगे तो मैं आपको अलग से बता दूंगा।

श्री महावीर भगोरा : उदयपुर सम्भाग में भी जो सख्या दी है, हम यह चाहते हैं कि तहसील मुख्यालय पर तो कम से कम इस पद्धति का एक अस्पताल हो। और नम्बर दो, मुझे ऐसा लगता है कि विभाग को खतम कर देने की कहीं मंशा तो नहीं है आपको ताकि यह पता पड़े कि क्या है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री अचलाराम : माननीय सदस्य, ऐसी मंशा कोई नहीं। आपकी यह भावना गलत है

(श्री अचलाराम)

लेकिन औषधालय खोलने की जहां बात है, वित्तीय संसाधन जो हमें देते हैं, उस वित्त से ठीक तरीके से क्रियान्वयन करना हमारा काम है। वित्त हमारे पास नहीं है, वित्त माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास है। (व्यवधान)

श्री महावीर भगोरा : हमारी भावना तो शुद्ध है।

श्री भीमसेन चौधरी : तहसील में अनेक औषधालय ऐसे हैं जहां वैद्य नहीं हैं। ऐसे अनेक औषधालय है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय कुबेर सिंहजी के स्थान पर श्री रघुवीरसिंहजी।

होटल देवदर्शन, उदयपुर में यात्री सुविधाएं

630. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) [श्री कुबेरसिंह (फलासिया) के स्थान पर] : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) होटल देवदर्शन, उदयपुर में यात्रियों के ठहरने के लिए क्या-क्या व्यवस्था है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण यात्री यहां नहीं ठहरते ? यदि हां, तो इस होटल में क्या-क्या कमियां है ? सफाई, पानी, कैटरिंग, भोजन आदि की क्या पूर्ण व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार यहां पूर्ण व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं क्या-क्या ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त होटल में पानी की कमी के कारण ट्यूब वैल खोदने हेतु राशि स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो कितनी तथा कब ? अभी तक वहां ट्यूब वैल नहीं खोदने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या सरकार यहां ट्यूब वैल खोदने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

देवस्थान मंत्री (श्री गुलाब चन्द कटारिया) : (1) होटल देवदर्शन, उदयपुर में यात्रियों के ठहरने के लिए उपलब्ध आवास व्यवस्था के विवरण की सूची संलग्न है।

(2) जी, नहीं। पर्याप्त व्यवस्था अनुरूप होटल देवदर्शन में यात्री नियमित रूप से ठहरते हैं। कुछ समय के लिए कैंटीन का ठेका स्वीकृत नहीं होने के कारण कैटरिंग व भोजन की पूर्ण व्यवस्था नहीं थी किन्तु दिनांक 28-5-96 से कैंटीन पुनः प्रारम्भ हो जाने से उक्त व्यवस्था हो चुकी है।

(3) वं (4) जी, हां। ट्यूब वैल खुदवाने हेतु दिनांक 12-3-96 को रुपये 37644/- की स्वीकृति प्राप्त होने पर स्वीकृत राशि दिनांक 22-3-96 को भू-जल विभाग में जमा करा दी गयी है। ट्यूब वैल खोदने का कार्य भू-जल विभाग द्वारा

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

दिनांक 15-7-96 को पूरा कर लिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री रघुवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछने का सीधा तात्पर्य यह था कि इस होटल में व्यवस्था की कमी से या वहां की संचालन की कमी की वजह से सरकार का कितना घाटा हो रहा है। अब आप इससे अन्दाज लगा लो कि प्रश्न के जवाब के खण्ड (3) में यह कहा गया है कि दिनांक 12-3-96 को 37,644/- रुपये स्वीकृत हुए हैं और 22-3-96 को भू-जल विभाग में जमा करा दिये। ठीक चार महीने बाद, अभी जब प्रश्न पहुंचा उस समय दिनांक 7-7-96 को प्रारम्भ किया गया है मतलब ट्यूब वैल खोदना प्रारम्भ कर दिया गया है। उस समय जब आपका जवाब रवाना हो रहा था, उस समय या तो ट्यूब वैल खुद रहा होगा या प्रारम्भ कर दिया गया होगा। मतलब वहां की व्यवस्था देखिये साहब। इतनी खराब व्यवस्था है कि पानी वहां पर एक टाइम भी सही नहीं मिलता है। यात्री आते हैं वहां, कोई मिलता ही नहीं है सीट पर। वहां के बेटर बगैरह जो हैं, कहते हैं हां–क्या बात है, हां, होगा, उधर होगा, इस तरह से बात करते हैं तो उसकी वजह से इतना नुकसान हो रहा है। मंत्री महोदय, आप एक बात बतायें, वहां पर अलग-अलग कैटेगरीज के 62 कमरे हैं। क्या आप यह बता सकते हैं कि 62 कमरों का एवरेज किराया कितना आता है और उनकी तनख्वाह का रोज का कितना खर्चा बैठता है। वहां पर फेमिली रूम है, सिंगल बैड है, डबल बैड है, डीलक्स रूम हैं, डोरमेट्रीज हैं, वहां पर बैड की भी व्यवस्था इतनी खराब होती है कि अगर वहां न जूते खोल कर पांव रखो तो ऐसा लगता है जैसे कि दलदल में फंस गये हो। मतलब महीने में, दो महीने में भी सफाई एक बार नहीं होती होगी, झाड़ू नहीं फिरा होगा। आज एक कमरे में आप कोई कागज पड़ा हुआ देख कर जाओ, बाइ दवे वह कमरा सात दिन तक अगर नहीं खुला और सपोज आप भी वापस पहुंच गये तो वह कागज वहीं का वहीं मिलेगा आपको। माननीय सदस्यों में से भी कोई देवदर्शन में ठहरा हो तो वह बता सकता है। रामस्वरूपजी जैसे बता रहे थे कि मैं भी एक बार गया था, क्या व्यवस्था थी वहां।

श्री अध्यक्ष : इसमें क्या पूछना है।

श्री रघुवीर सिंह : क्योंकि मंत्रीजी अमूमन उदयपुर आया जाया करते हैं, तो एक बार आकस्मिक वहां निरीक्षण करके सारे कमरों को देखियेगा। वहां बैडशीट एक के अलावा, मैं यह पूछूंगा कि हर बैड के लिए डबल बैडशीट की व्यवस्था है या एक ही बेडशीट की व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। बिराजें अब।

श्री रघुवीर सिंह : यदि बाइ दवे कभी चले गये साहब, तो कहेंगे–और बैडशीट तो सब धोबी को दे रखी है साहब और गन्दे गद्दे डाल रखते हैं और चार्ज साहब

(श्री रघुवीर सिंह)

120 रुपये है। 60 रुपये से ज्यादा, 200 रुपये डीलक्स रूम। तो इस प्रकार की व्यवस्था है, आप थोड़ी सी मेहरबानी करें। इसके लिए कौन दोषी है। खाली ट्यूब वैल के लिए मैं कह रहा हूं। चार महीने तक ट्यूब वैल नहीं खोदा, यात्रियों की व्यवस्था पूरी नहीं हुई, उसके लिए कौन दोषी है, आप क्या कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : रघुवीरजी, विराजिये। यह आपका क्या प्रश्न है। आपको क्या पूछना है इसमें ?

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार उदयपुर गया था तो वहां पर ठहरा। आपने इस होटल का नाम कितना अच्छा रखा है-देवदर्शन होटल। जहां देवों के दर्शन होते हों। वहां पर ठहरने की व्यवस्था को देख कर मैं ताज्जुब कर गया। मैंने जाते ही कोई परिचय नहीं दिया उनको किसी प्रकार का, तो उन्होंने सबसे पहले तो यह कहा कि ठीक है, आगे पधारो। सही कह रहे हैं आप। उसके बाद मैं जब उनको जानकारी दी तब उन्होंने बताया। तो मैंने उनको कहा कि आपके यहां ठहरने का शुल्क लगता है क्या ? उन्होंने कहा, ठहरने का शुल्क तो कोई रेट निश्चित नहीं है हमारी। हम जैसा आदमी होता है वैसे ही देख कर लेते हैं, साहब।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री रामस्वरूप मीणा : तो वहां पर जो आदमी ठहरे हुए थे उनसे मैंने पूछा, एक आदमी मुझे यहां तक कह रहा था कि साहब, यहां सौ-सौ रुपये तक ठहरने के लिये जाते हैं। दूसरा मेरा निवेदन है, मैं केन्टीन में गया। केन्टीन में ढाई रुपये की चाय मुझे दी गयी। उस ढाई रुपये की चाय को आप देखें तो उसके अन्दर बिलकुल पानी ही पानी था, कहीं दूध का तो नामोनिशान नहीं था। तीसरा मेरा निवेदन है, वहां ठहरने के लिए चारपाई वगैरह और जो बिस्तर दिये गये थे, आज तक कभी धोये नहीं, बदबू आती थी और चारपाइयों में खटमल पड़े हुए थे।

श्री अध्यक्ष : विराजिये अब। विराजिये। खटमल ठीक है।

श्री रामस्वरूप मीणा : खटमल उसके अन्दर थे। रात को 11 बजे आखिर में जब मुझे चैन नहीं पड़ा वहां तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, आप खुद जाकर एक बार वहां ठहरो तो आपको पता चलेगा यह देवदर्शन जो आपका होटल है, आप इसमें ठहर नहीं सकते। इसलिए यात्रियों के साथ यह अन्याय है। आप इसकी व्यवस्था को सुधारें। न वहां पर भोजन की व्यवस्था है। मैं गया उस समय भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। विराजें। हो गयी बात।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि आप व्यवस्था को सुधारें....

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महोदय, यह सुविधाओं की जो सूची दी गयी है, मेहरबानी करके....

श्री अध्यक्ष : वह बोल रहे हैं, अब क्या है इसमें, कौन सा ऐसा भारी पाइण्ट है जिस पर इतना समय ले रहे हैं आप। बिराजें। खाली एक होटल की छोटी सी बात है, कोई जनरल क्वेश्चन थोड़े ही है।

श्री महावीर भगोरा : बहुत जरूरी चीज है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है। माननीय सदस्य ने जो कुछ भी शिकायत की है उसमें काफी सच्चाई है। मैं इसको स्वीकार करता हूं लेकिन वहां जो व्यवस्था और जिस प्रकार का स्टाफ लगा हुआ है, वह इतना ट्रेण्ड स्टाफ नहीं है। हम पिछले कई सालों से प्रयास कर रहे हैं कि इसको आर. टी. डी. सी. को दे दें। उसे देने की प्रक्रिया में ही पिछले दो साल निकल गये। उनकी और हमारी रेट, पी.डब्ल्यू डी. से असेसमेंट कराया उन्होंने पांच लाख रुपये पर मन्थ के हिसाब से दिया, लेकिन उन्होंने फिर अपने हिसाब से निकाल कर एक लाख 27 हजार के हिसाब से उन्होंने लेने की अपनी स्वीकृति दी। यह बात सच है, जैसा आपने कहा है, उस व्यवस्था में कमी निश्चित रूप से है, मैं उसको स्वीकार करता हूं और यह भी सच है कि यह लगातार घाटे में ही चल रही है। एक तरह से जितना हमारा खर्चा होता है उसकी तुलना में हमें आय नहीं होती है। आप चाहें तो मैं उसके भी आंकड़े आपको दे सकता हूं। इसमें सच्चाई है, इसमें कोई दोराय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब क्या है, आप बता देना रघुवीर सिंहजी। सुधरवा देंगे। बिराजिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : आप अगर उदयपुर बिराजें तो रात वहां रूकना शुरू हो जायं ना तो काफी व्यवस्था सुधर सकती है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं तो खैर रुका हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष : इनका घर नहीं होगा तो ठहरते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : और मैं तो आज भी रुक सकता हूं। मेरे रुकने में तो कोई एतराज नहीं होगा, मैं तो पहले ही रुका हुआ हूं, आज भी रुक सकता हूं और आगे भी जब कभी होगा तो रुक सकता हूं क्योंकि मेरे को इतना....

श्री रामस्वरूप मीणा : मंत्रीजी, कर्मचारियों का जो व्यवहार है ना यात्रियों के साथ, इसमें जरूर सुधार करवा देना।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। ऐसा भारी पाइट नहीं है, बिराजें आप।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मेरे को तो इससे भी कोई खराब धर्मशाला होगी, आप किसी भी गांव में चलें तो भी मैं ठहर सकता हूं। मुझे कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। लेकिन इसको मैं स्वीकार कर रहा हूं कि वास्तव में इसमें कमी है।

श्री अध्यक्ष : श्री कालूलाल गूजर।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : और चूंकि यह विभाग के द्वारा इतना बड़ा देवदर्शन, जिसको कि पहले देवस्थान विश्राति गृह के नाम से जानते थे, उसका हमने नाम परिवर्तन किया इस कारण से कि हमारे टूरिस्ट यहां आये, नहीं तो लोग सोचते हैं हैं कि शायद यह कोई धर्मशाला होगी और उसके कारण बाद में इन पिछले कुछ महीनों में हमारी आमदनी जरूर बढ़ी है। बाकी सामान्यत: 20 प्रतिशत और 18 प्रतिशत से ज्यादा आकुपेंसी नहीं रहती है, बाकी वह खाली रहती है। तो असुविधा के कारण से रहती हैं। हम बराबर इसके लिए प्रयासरत हैं कि अगर आर.टी.डी.सी. लेगी तो ठीक, नहीं तो बहुत जल्दी ही ही हम ओपन टेण्डर करके बाकी लोगों को इन्वाइट करके इसको देंगे ताकि विभाग में हमको पूरी आमदनी हो।

श्री अध्यक्ष : श्री कालूलालजी गूजर।

श्री कालूलाल गूजर : प्रश्न संख्या 631।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि हम किसी को दे देंगे इसको, बजाय इसके कि अगर यह इतना अच्छा होटल है और आम आदमी के रहने के लिए है और देवस्थान विभाग का है तो आम आदमी के रहने का वहां प्रबन्ध अच्छा किया जाय, उसको सुधारा जाय, आप इसमें अपनी रुचि लेकर सुधार करें। आप देकर के तो पीछा छुड़ा लेंगे और जो आम आदमी के ठहरने की जगह है उसको उससे अलग कर देंगे। उदयपुर में इतना अच्छा और सस्ता कोई होटल है देवस्थान विभाग का, तो बजाय आप उसको दूसरे विभाग को देने के या ओपन मार्केट में देने के, होटल तो बहुत हैं, होटलों की कमी तो आज भी नहीं है, प्राइवेट होटल भी बहुत हैं, पर अगर इस तरह की धर्मशाला है....

श्री अध्यक्ष : अब इन्दिराजी, यह इतना छोटा इश्यू है, इतना लम्बा समय न लें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : धर्मशाला देवस्थान विभाग की और लोग वहां जाकर सस्ते में ठहर सकते हैं तो उसका प्रबन्ध अच्छा करना चाहिए, उसको आप को सम्भालना चाहिए। यह मेरा निवेदन है।

ग्राम करेड़ा (भीलवाड़ा) में पंचायत समिति की स्थापना

631. श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या भीलवाड़ा जिले में नई पंचायत समितियां गठित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी और कहां-कहां पर।

(2) क्या तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा के ग्राम करेड़ा में नई पंचायत समिति गठित करने का प्रस्ताव जन-प्रतिनिधियों व जनता द्वारा भेजा गया है और सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जावेगा ?

(श्री कालूलाल गूजर)

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति माण्डल एक छोर से दूसरे छोर तक एवं मुख्यालय से अन्तिम गांव तक 100 किलोमीटर की लम्बाई में स्थित है ? यदि हां, तो इस कठिनाई को समाप्त करने हेतु क्या सरकार इसमें नयी पंचायत समिति ही इस सम्बन्ध खोलने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास (श्री नाथू सिंह) :

(1) जी, नहीं। भीलवाड़ा जिले में नई पंचायत समितियां गठित करने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है व ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

(2) पंचायत समिति, माण्डल की साधारण सभा की बैठक दिनांक 12.9.95 के द्वारा पंचायत समिति, माण्डल को दो हिस्सों में विभाजित करने का प्रस्ताव लिया जाकर ग्राम करेड़ा में नयी पंचायत समिति गठित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा भीलवाड़ा जिले में पंचायत समितियों के विभाजन किये जाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(3) यह सही है कि पंचायत समिति, माण्डल एक छोर से दूसरे छोर तक लगभग सौ किलोमीटर लम्बाई में फैली है लेकिन इस आधार पर पंचायत समिति का विभाजन किये जाने का निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री कालू लाल गूजर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। राजस्थान सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन का निर्णय इसलिए लिया कि छोटी पंचायतें बनेंगी और भौगोलिक दृष्टि से जो पंचायतें गलत तरीके से बनी वह सही हो जायेंगी तो लोगों को रिलीफ मिले। इसके साथ ही पंचायत समितियों के पुनर्गठन का भी विचार किया गया और जो आदेश पंचायत पुनर्गठन के जारी किये गये उनकी पालना में जिला प्रशासन द्वारा पंचायतों के पुनर्गठन के प्रस्ताव बनाये गये और उसके साथ ही पंचायत समितियों के पुनर्गठन के प्रस्ताव भी बनाये। मेरे यहां पर एक अजीबोगरीब स्थिति है क्योंकि पंचायत समिति जो मुख्यालय है वह बिलकुल एक कोने पर बसा हुआ माण्डल है और पंचायत समिति पूरी सौ किलोमीटर लम्बी है जो माननीय मंत्री जी ने भी एडमिट किया है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी व्यक्ति को छोटा सा भी काम पंचायत समिति से पड़ता है चाहे उसको आई आर. डी. पी. योजना के तहत कोई फार्म भरना हो, जीवनधारा के तहत भरना हो या कुटीर ज्योति या मैसिव योजना या ट्राइसम योजना, जो भी छोटा-मोटा काम पड़ता है तो इतना लम्बा क्षेत्रफल पार करके सौ किलोमीटर चल करके 50 रुपये का खर्चा करके ...

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रश्न पूछें.... (व्यवधान)....

श्री कालूलाल गूजर : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। यह

(15)

(श्री कालूलाल गूजर)

जरूर है, क्योंकि मैं मेरी बात को एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा तो प्रश्न ही नहीं बनेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना लम्बा-चौड़ा क्षेत्र होने से जिला प्रशासन ने ग्राम करेड़ा जो इस पंचायत का बड़ा गांव है जिसकी आबादी 6–7 हजार से भी ज्यादा है और जहां कि उप तहसीलें हैं, थाना भी है इस जगह को नयी पंचायत समिति बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किये और इसके अन्तर्गत कोड़ीमाल, शिवपुर, थाणा, नारेली, शानगढ़, मोटा का खेड़ा, चिताम्बा, गोरधनपुरा, सहेनुन्दा, मभाणा, धुंवाला, गोरख्या, उमरी, चीलेश्वर, निम्बाहेड़ा, रामपुरिया, चावण्डिया, करेड़ा, आमदला, दहीमथा, वेमाली, लादूवास ये 23 पचायतें मिला करके पंचायत समिति स्थापित करने का प्रस्ताव किया। बाकी 23 पंचायतों को मॉण्डल जो आलरेडी पंचायत समिति है उसमें रखने का किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव पचायत पुनर्गठन के साथ ही पंचायत समिति पुनर्गठन के प्रस्ताव राज्य सरकार को आ गये। आपने कहा कि हमारे पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो प्रस्ताव कहां गये? उस पर राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया? और जहां सरकार की मंशा पचायत पुनर्गठन की हैं रिलीफ देने की है वहां पंचायत समिति का पुनर्गठन नहीं होगा, तो गरीब आदमी को तो उतना ही 50 रुपये का खर्चा करके और पूरा दिन भर खराब करके छोटी सी बात के लिए वहां आना पड़ता है तो कितनी उनको परेशानी होती है इसको मिटाने का अगर सरकार का उद्देश्य है, तो पंचायत समितियों को पुनर्गठन क्यों नहीं किया जा रहा है? दूसरा मेरा निवेदन यह है कि....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। अभी एक ही प्रश्न हुआ है क्या इतनी देर में?

श्री कालूलाल गूजर : पंचायत में जनरल मीटिंग में पचायत समिति ने प्रस्ताव भेजा है, तो उस पर क्या विचार कर रहे हैं? और उस पर क्यों विचार नहीं किया जा रहा है? पचायत समितियों के पुनर्गठन 40 साल से पिछले 30 साल से नहीं हुए। अब 30 साल बाद भी उनको पुनर्गठित नहीं करेंगे तो कब करेंगे? यह तो बतायें। दूसरा, मेरा एक और निवेदन है अध्यक्ष महोदय, कि भीलवाड़ा में पहले भी दो पंचायत समितियां ऐसी है जो ...

श्री अध्यक्ष : कृपया प्रश्न पूछें, माननीय सदस्य....(व्यवधान)... बिराजिये आप।

श्री कालूलाल गूजर : जिसमें 20-20, 22-22 पंचायतों की पंचायत समिति है। यहां पर 46 पंचायतें हैं इस पचायत समिति में तो दो पंचायत समितियां आराम से पंचायतों की संख्या के हिसाब से भी बन सकती है। इसमें कोई दोराय नहीं है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय, को पूछना चाहता हूं कि एक तो जो पुनर्गठन के प्रस्ताव आये उन पर क्या निर्णय हुआ? दूसरा, हमने जो पंचायत समिति से प्रस्ताव भेजा उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिये आप माननीय ...(व्यवधान)....

श्री कालूलाल गूजर : तीसरा यह है कि पंचायत समिति का पुनर्गठन कब करेंगे ? 30 साल बाद अब भी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे ? यह बतायें मुझे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री कालूलाल गूजर : अध्यक्ष महोदय, यह तो बड़ी वाजिब और गरीब आदमियों की समस्या है इस पर....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप (व्यवधान)....मंत्रीजी का जवाब सुनें आप बिराजिये।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जनता को सुविधा मिले, जितनी भी ग्रामीण विकास योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ जनता को मिले और जनप्रतिनिधित्व बढ़े। इस सम्बन्ध में जिस तरह से हमने नये जिले बनाये, नये उपखंड बनाये, उसी तरह से हमने विचार किया कि नयी पंचायत समितियां बनायी जानी चाहिये। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, उसके अनुसार जब हमने केलकुलेशंस करवाये, जैसा माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि हमने कलक्टर से भी राय मांगी, जिला प्रशासन से भी राय मांगी, पंचायत समितियों से प्रस्ताव मंगवाये कि कौन-कौन सी नयी पंचायत समितियां बन सकती हैं और उस दृष्टि से जब हमने चार-पांच चीजें ध्यान में रखी—जिसमें आबादी वहां की ग्राम पंचायतों की संख्या, क्षेत्रफल इन सारी चीजों का हमने ध्यान रखा उसमें। लेकिन आप जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, सरकार के संसाधन सीमित हैं और उसके तहत ही हमने एक विचार बनाया कि दो लाख से ज्यादा की आबादी हो कहीं और 60 ग्राम पंचायतों से अधिक ग्राम पंचायतें हों उनको भी मगर हमने जब दिखवाया तो उनकी संख्या भी करीब 10 नयी पंचायत समितियां बनती हैं। इस समय आप जानते हैं राजस्थान में 237 पंचायत समितियां हैं तो प्रशासन की दृष्टि से भी और राज्य सरकार के संसाधनों की दृष्टि से भी जब हमने विचार किया तो 2 लाख की आबादी लें और 60 ग्राम पंचायतों की संख्या लें तो भी 10 नयी पंचायत समितियां बनती हैं और इसके साथ-साथ जबकि इस माण्डल की कुल जनसंख्या 1,46,986 है और ग्राम पंचायतों की संख्या 46 अर्थात् उससे बहुत कम है लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये 10 नयी पंचायत समितियां बनाने के लिए भी जब हमने लीगल राय ली तो भी उसमें सरकार के सामने बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। आज हमें वापस इन पंचायत समितियों के, पंचायत समितियों के सदस्यों के नये चुनाव करवाने पड़ते हैं। यदि नये चुनाव करवाते हैं तो जितने भी पुराने प्रधान या जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं हो सकता हैं वो कोर्ट में चले जायें। क्योंकि हम ज्योंही नये पंचायत समिति का गठन करेंगे सैक्शन 10 और सैक्शन 101 के तहत तो इसमें हमें एस. सी./एस टी./ओ बी सी. और महिलाओं के रिजर्वेशन को भी ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार रिजर्वेशन करना पड़ेगा। इसलिए जब हमने इस सम्बन्ध में विधि विभाग की राय ली और इसके लिए एडिशनल चीफ

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

सेक्रेटरी, हमारे डवलपमेंट कमिश्नर और लॉ सेक्रेटरी उनकी एक कमेटी बनायी उन्होंने सारा लॉ की दृष्टि से एग्जामिन करके कहा कि इसमें चुनाव कराना आवश्यक है इसलिए फिलहाल चूंकि जो हमने क्राइटेरिया बनाया है उसमें भी काफी अड़चनें आ रही हैं और यह तो उसके बहुत नीचे है । इसलिए यह तो राज्य सरकार बीच-बीच में इस तरह से एक्सरसाइज करती रहती है किस-किस पापुलेशन पर किस-किस ग्राम पंचायतों पर कितनी-कितनी पचायत समितियां बन सकती हैं, तो यह प्रस्ताव मंगाना, वहां से इन्फोर्मेशन मंगाना इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम सभी बना देंगे । प्रस्ताव तो बहुत आते हैं इसलिए इस व्यावहारिक कठिनाई के कारण और लीगल कठिनाई के कारण इस समय मैंने कहा कि राज्य सरकार के लिए इस 'माण्डल' को दो भागों में बांटकर दो पंचायत समितियों को बनाना सम्भव नहीं होगा।

श्री कालूलाल गूजर : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : अब क्या पूछना रह रह गया ?

श्री कालूलाल गूजर : मंत्रीजी ने यह बताया कि अभी इसमें पंचायतें 46 हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आलरेडी रायपुर और हुरडा दो पंचायत समितियां ऐसी है जो 20-20 पंचायतों की बनी हुई हैं....

श्री अध्यक्ष : वो पहले बन गयी जो बन गयी । श्री दयारामजी परमार विराजिये ।

श्री कालूलाल गूजर :....(व्यवधान).... दूसरा आपने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आपको चुनाव कराने पड़ेंगे । मेरा निवेदन है कि यदि दो पंचायत समितियां बनती हैं तो पंचायत समिति के चुने हुए मेम्बर हैं उनको नयी पंचायत समिति में सदस्य बनाया जा सकता है, चुनाव की आवश्यकता भी नहीं है और यदि मान लो कि उसमें रिजर्वेशन करना है तो वो रिजर्वेशन के आधार पर चुनाव हो सकता है। इसमें दिक्कत कहां आ रही है, मेरे समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : वो जिला परिषद तक फर्क पड़ने वाला है....(व्यवधान)....

श्री कालूलाल गूजर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब पंचायत समिति बनाने की सरकार की कोई मंशा है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात खतम हो गयी।

श्री परसादीलाल मीणा : इनको विभाग दिला दें फिर देखेंगे ये कैसे बनवाते है। इनको विभाग दिलवा दें फिर बनाना आप।

श्री कालूलाल गूजर : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इस तरह की चुनाव की प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक क्या कभी

(श्री कालूलाल गूजर)

पंचायत समितियों का पुनर्गठन होगा ही नहीं ? ....

श्री अध्यक्ष : जब होगा तब आप ... (व्यवधान)....मिल लेना आप । बिराजिये आप ।

श्री कालूलाल गूजर : नहीं यह बतायें तो सही कि किन परिस्थितियों में कब करा सकेंगे ? सरकार क्या जब चुनाव प्रक्रिया बंद हो जायेगी उसके बाद करायेगी, अध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान) .... चुनाव कराने की आवश्यकता ही नहीं है.... (व्यवधान) अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया जब करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री कालूलाल गूजर : अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि मंत्री महोदय आश्वासन दें कि कब तक करायेंगे ?

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ पंचायत समिति में 115 पंचायतें हैं, राजस्थान में सबसे बड़ी पंचायत समिति है....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष : कासनियां जी, आप बिराजें इसमें कोई लेना-देना ही नहीं है इस बात का । बिराजिये यह अभी बात नहीं हो रही है । भीलवाड़ा जिले की माण्डल की बात हो रही है । आप कृपा करके बिराजिये । माननीय समय जाया न करें । श्री दयारामजी परमार ।

डूंगरपुर–बलीया मार्ग पर निगम बस का संचालन

632. श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर से बलीया—वाया छाणी कनबई मार्ग पर निगम की बस चलाने की मांग जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर बस चलाने के लिये डूंगरपुर डिपो द्वारा बस चलाने की अनुमति मांगी गयी है किन्तु उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार कब तक उक्त मार्ग पर बस चलाने की अनुमति दिये जाने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री रोहिताश्व) : (1) जी हां । प्रस्तावित मार्ग का सर्वेक्षण करने पर इस पर संचालन अनार्थिक पाया गया है । अतः प्रस्तावित मार्ग पर निगम वाहन संचालन का कोई विचार नहीं है ।

(2) जी नहीं ।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी का उत्तर सुनकर मुझे घोर निराशा हुई । मैं आजादी के 50 साल के बाद में आदिवासी को बस में

(श्री दयाराम परमार)

बैठाने की मांग कर रहा हूं और निगम कहता है कि हम बस नहीं चलायेंगे और इसलिए नहीं चलायेंगे कि वहां पर अनार्थिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, निगम ने वहां पर 3 महीने तक बस चलायी है और प्रर किलोमीटर 13 रुपये इसकी आय थी उस मार्ग पर और एक दिन उस बस को चैकिंग किया गया तो 45 सवारियां बिना टिकट की पायी गयीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 52 सीटों की कैपेसिटी है। पूरी 52 सीटों पर बैठ जाये, पूरी गैलेरी भरकर बैठ जाये, ऊपर भी बैठ जाये और इसके बाद भी अगर वो गाड़ी लाभ में नहीं आती है, तो कहां बैठने की जगह है ? कहां सवारी बैठेगी तब आपकी गाड़ी मुनाफे में आयेगी ? आप यह बता दें मुझे जगह। माननीय अध्यक्ष महोदय, एवरी डे सौ से कम कभी भी सवारियां उस गाड़ी में नहीं बैठी हैं, तो उस मार्ग पर कोई बस नहीं है। दो पंचायत मुख्यालय जुड़ते हैं जावरा और बलीचा....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये अब। माननीय मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्राइंटेड प्रश्न पूछिये बिराजिये।

श्री दयाराम परमार : कल तक तो आपने टिकट नहीं काटे हैं ...

श्री रोहिताश्व : माननीय अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर से बलीचा वाया छाणी कनबई ...

श्री दयाराम परमार : बलीचा, बलीचा यह बलीया कहां गलती से ले लाये, साहब आप ?

श्री अध्यक्ष : हां बलीचा, बलीचा है।

श्री रोहिताश्व : हां, बलीचा, सॉरी। अध्यक्ष महोदय, बलीचा वाया छाणी कनबई यह 51 किलोमीटर का रूट है अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर से खैरवाड़ा 24 किलोमीटर का रूट राष्ट्रीयकृत रूट है, शेष जो 27 किलोमीटर रूट है, अध्यक्ष महोदय, वह अराष्ट्रीयकृत रूट है। वर्तमान में परमिट के जो रूल्स हैं मोटर व्हीकल एक्ट में, अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीयकृत रूट और अराष्ट्रीयकृत रूट दोनों को मिलाकर परमिट का जो निर्धारण है वह नहीं हो सकता क्योंकि नेशनलाइज रूट पर केवल 10 किलोमीटर की ही छूट है और यह रूट अध्यक्ष महोदय, जो अराष्ट्रीकृत है वह 21 किलोमीटर है। ऐसी सूरत में परमिट नहीं दिया जा सकता और माननीय सदस्य फिर भी जो कह रहे हैं, यह आदिवासी क्षेत्र है और माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्य भगोरा जी ने और शंकरलाल जी मीणा, जिला देहात मंत्री, भारतीय जनता युवा मोर्चा इनकी एक एप्लीकेशन इस क्षेत्र की जनता को बस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुझे मिली। मैंने, अध्यक्ष महोदय, आर.एस.आर.टी.सी. को आवश्यक कार्यवाही हेतु और इस रूट का निर्धारण करने के लिए आदेश दिये हैं कि आर. टी. ओ. में एप्लाई करके रूट परमिट आप हासिल करें और रूट परमिट हासिल करने के बाद निश्चित तौर पर आदिवासी इलाके की जनता को बस सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

श्री दयाराम परमार : यह माननीय अध्यक्ष महोदय, टाइम पीरियड बता दें,

(श्री दयाराम परमार)

ऐसे घुमाकर....(व्यवधान) मैंने प्रश्न, एक बस खरीदें, इतना तो मिले....(व्यवधान) इतने प्रश्न पूछ डाले ..(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें, यह तो खाली वहीं तक सीमित है।....(व्यवधान) ....यह डोरिया की बात नहीं हो रही है। यह तो डूंगरपुर से बलीचा बस के लिए बात हो रही है....(व्यवधान)... अंकित नहीं होगा।

श्री फूलचन्द (सलूम्बर) : × × ×

श्री अध्यक्ष : सलूम्बर के माननीय विधायक बिराजें।

श्री फूलचन्द : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजें, अभी तो कनबुई की बात हो रही है।

श्री फूलचन्द : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। बिना आसन की अनुमति के माननीय खड़े नहीं होंगे।

श्री फूलचन्द : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। माननीय मंत्री जी। नहीं, इसमें कोई सवाल नहीं है। इसमें तो परमार साहब का ही सवाल है और डूंगरपुर से बलीचा वाया छाड़ी का है।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजें। It is not possible for the Minister concerned to give answers to all the questions.

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : × × ×

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : × × ×

श्री भीमराज मीणा (ग्रासपुर) : × × ×

श्री चुन्नीलाल गरासिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : कनबुई की होने वाली है। बिराजें।

श्री भीमराज मीणा : × × ×

श्री चुन्नीलाल गरासिया : × × ×

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें आप। मंत्री जी।

श्री अमराराम चौधरी : × × ×

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : सांचोर नहीं आ रहा है बीच में।

श्री अमराराम चौधरी : × × ×

श्री अध्यक्ष : डूंगरपुर में होगा सांचोर ?

श्री अमराराम चौधरी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आपको गलतफहमी हो रही है माननीय सदस्य। आपका सांचोर डूंगरपुर में है ? बिराजें आप।

श्री अमराराम चौधरी : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजें। नो। माननीय मंत्री जी।

श्री अमराराम चौधरी : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया अंकित नहीं करें।

श्री अमराराम चौधरी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। क्या पूछ रहे हैं ? अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अमराराम चौधरी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, आप क्यों बोल रहे हैं ? (व्यवधान) बालोतरा नहीं है अभी बीच है। बिराजें आप। माननीय मंत्रीजी।

श्री रोहिताश्व : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के बहुत सारे माननीय सदस्यों ने रोडवेज की बसों को अपने-अपने क्षेत्र में चलाने की जो मांग की है निश्चित तौर पर मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं पर माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा, रोडवेज का जो बेड़ा है, माननीय सदस्यों को जानकारी होनी चाहिए 1964 में जहां हमने 400 बसों मे इसकी शुरूआत की। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बढ़ाकर 4300 बसें कर पायें हैं और टोटल जो रूट्स हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 65, 627 किलोमीटर टोटल रोड्स हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में जो टोटल नेशनलाइज रूट्स हैं वह 27 प्रतिशत के लगभग हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में हमारा बेड़ा धीरे-धीरे जो आगे बढ़ रहा है, जनता की सुविधा के लिए वह करीब 16,814 किलोमीटर पर अभी तक हम चला पा रहे हैं। इतनी हमने क्षमता डवलप की धीरे-धीरे बसों का बेड़ा बढ़ेगा। पूरे राजस्थान को कवर करने की हमारी मंशा है।

श्री अध्यक्ष : पूरे राजस्थान में नहीं आप तो (व्यवधान) बिराजें आप। कनवर्ई वाले रूट की बात करिये आप तो। केवल कनवई वाले रूट डूंगरपुर से बलीचा कनवई आप प्रारम्भ करने की स्थिति में हों तो हां कहिये, नहीं हैं तो ना कर दीजिये। खतम करिये बात। स्पेसिफिक प्रश्न है, सारे

× × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

राजस्थान से सम्बन्धित नहीं है। बिराजें आप।

श्री रोहिताश्व : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय दयाराम जी परमार साहब का जो ट्राइबल एरिया में बस चलाने का सवाल है .. (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : यह सलूम्बर का प्रश्न नहीं है, बिराजें आप... (व्यवधान).... यह कोई अभी वरबेटम बात थोड़े ही आ जायेगी कहीं से।

श्री रोहिताश्व : माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्राइबल बैल्ट में जो बस बलाने का प्रश्न है। मैं इसके साथ सहमत हूं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसमें बस चलाऊं लेकिन नियमों में, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम भी बंधे हुए हैं। प्राइवेट रूट्स पर अगर रोडवेज की बस चलती है तो प्राइवेट आपरेटर माननीय न्यायालय में जाकर स्टे ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में....

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई स्टे नहीं लेने वाला है। वहां कोई बस ही नहीं चलती है उस मार्ग के ऊपर तो वहां कौन स्टे ले रहा है ?

श्री रोहिताश्व : माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद परमार साहब को जानकारी नहीं है, इनके क्षेत्र की डूंगरपुर से झाझरी वाया घूघरा, साबली, खैरबाड़ा, बम्बई, पाटिया होकर निजी मार्ग निर्धारित है जिस पर दो निजी बसें, दो वापसी सेवा संचालित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बस ही नहीं है.... (व्यवधान)....

श्री दयाराम परमार : हां, तो वह रास्ता नहीं है ...(व्यवधान)

श्री हरिनारायण (खण्डार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि नियमों से बंधे हुए हैं....(व्यवधान). क्या ये जुगाड़ चल रहे हैं, ये भी नियमों में हैं क्या ? आपके यहां पर जुगाड़ों से लोग दिन रात एक्सीडेंट होते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, बिराजें।

श्री हरिनारायण : और जो जीपें चल रही हैं अवैध....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हरिनारायण जी बिराजें आप। बिना कहे खड़े हो गये। पाइंटेडली प्रश्न है खाली।

श्री रोहिताश्व : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने अवैध वाहनों का जो जिक्र किया। माननीय सदस्यों को जानकारी होनी चाहिए कि मेरे टाइम में पहली बार 20 लाख गाड़ियों का चालान करके हमने यहां जुर्माना राशि हासिल की, 20 करोड़ के लगभग हमने जुर्माना हासिल कर एक रेकार्ड बनाया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय, आपका स्पेसिफिक प्रश्न है। आप हां और ना कर दीजिये।....(व्यवधान) ....जब वह आ

(श्री अध्यक्ष)

जायेगा तब आ जायेगा....(व्यवधान).... श्री बनवारीलाल जी.... (व्यवधान).... रामनारायण जी बिराजें आप ।

प्रश्न संख्या-633

श्री बनवारीलाल शर्मा ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रामनारायण जी मीणा ।

पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बामरा गांव (बूंदी) के विरुद्ध जांच प्रकरण

634. **श्री रामस्वरूप मीणा** (नैनवां) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बामरा गांव (बूंदी) के विरुद्ध परिनिर्णय लेखबद्ध करने के सम्बन्ध में नोटिस क्रमांक एफ 3/एजे/8/जांच/बूंदी/93/1426 दिनांक 6 जुलाई, 1995 जारी किया गया था ? यदि हां, तो किस आरोप के आधार पर ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त पूर्व सरपंच के खिलाफ पंचायत रिकार्ड एवं नकद राशि प्रशासक/नव निर्वाचित सरपंच को नहीं सम्भलाने का भी आरोप है ? यदि हां, तो रिकार्ड एवं राशि की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त के रिकार्ड एवं कोष राशि नहीं होने सम्बन्धी सत्यता की जांच नही की जाकर कयास मात्र के आधार पर कार्यवाही की जाती रही है ? यदि नहीं, तो ग्राम पंचायत के तत्कालीन सचिव द्वारा रेकार्ड व राशि सम्भलायी जाने पर तैयार किये गये दस्तावेज की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरपंच के पास कोष एवं रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने पर भी चार्ज आदान-प्रदान आवश्यक है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ?

राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (श्री नाथूसिंह गुर्जर) : अध्यक्ष महोदय, (1) जी हां । जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(2) जी हां । विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(3) जी नहीं । राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 21 (2) व 21 (3) के अन्तर्गत नियमानुसार जांच कार्यवाही सम्पादित की गयी है ।

(4) जी हां । राजस्थान पचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 25 के अन्तर्गत चार्ज आदान-प्रदान आवश्यक है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला पूरे राजस्थान, जो घोषणा आज की तारीख में हो रही है, सरपंच चार्ज सैक्रेटरीज को दे देते हैं, पंचायत सचिव को चार्ज दे देते हैं और उसको राशि सम्भला देते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला 9.60 रुपये का है, कितने का माननीय मंत्री जी ? विभागीय

(श्री रामनारायण मीणा)

जांच प्रतिवेदन की कॉपी जो सरकार से मुझे मिली है, इसमें एक तो कोई तारीख नहीं है कि किस तारीख को इसकी जांच की गयी। दूसरे इसके मुताबिक इस जांच प्रतिवेदन में साफ लिखा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था। मैंने बाजं की राशि सैक्रेटरी को 9 60 रुपये एक महीने पहले सम्भला दी थी और सैक्रेटरी के बयान नहीं लिये गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, सचिव कहता है कहता है कि मेरे पास चार्ज आ गया। चूंकि सरपंच का नाम साफ है, उस सरपंच का जो नाम है, अध्यक्ष महोदय, उस नाम की वजह से क्या उसको परेशान किया जा रहा है? मेरा पहला प्रश्न तो यह है। समशुदीन है उसका नाम। आपकी सरकार में ऐसा कोई मंत्री नहीं है, नये-नये बने हैं वो सम्भाल नहीं पाते। आजकल जो कास्टिज्म फैला रहे हैं, आपकी सरकार में मंत्री बन बैठे हैं। मेरा निवेदन करना यह है कि 9.60 रुपये और वह कहता है कि सैक्रेटरी के पास है। सैक्रेटरी के बयान नहीं ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 9.60 रुपये में उसका मुंसिफ कोर्ट में चालान कर दिया है। 9.60 रुपये में आप उसको चार्ज शीट इश्यू कर रहे हो और सैक्रेटरी और सरपंच को बिठाकर आज दिन तक बात नहीं करना चाह रहे हैं। मैं आशा करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन के माध्यम से कि इस तरह के मामले में, आप बोरियों की बात करेंगे, मान्यवर, कुल 1,415 रुपये और उसको सारा ट्रायल फेस करनी पड़ रही है। इस तरह के राजस्थान में जो भी केसेज हैं, यह बामनगांव का ही मामला नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, बामनगांव का तो एक स्पेसिफिक मामला मैंने रखा है। राजस्थान में इस तरह के जो केसेज है, उन केसेज को क्या आप विद्ड्रा करोगे? जहां एक हजार, दो हजार की राशि आती है और ऐसे केसेज में जहां सैक्रेटरी को आप लायबल नहीं ठहराते। ठीक है, धारा 21 पंचायत अधिनियम की है लेकिन इसमें माननीय मंत्री जी गांव की हालत आप जानते हैं अगूठा छाप सरपच होता है। उस अंगूठा छाप सरपंच से आप आशा क्या करते हैं? रिकार्ड जब सैक्रेटरी के पास है, रोकड सैक्रेटरी के पास है, मोहर उसके पास होती है, जो कहीं जेब में डलकर रखता है। मोहर उसने सम्भला दी तो उसके पास कुछ भी नहीं है। क्या आप इस पर पुनर्विचार करोगे? आपके विभाग को कहोगे कि दुबारा जाकर जब रिकार्ड सारा उसके पास है, बोरियां सैक्रेटरी के पास हैं तो इसको जरा सैटल करें। कोर्ट में जो ट्रायल फेस कर रहे थे सरपंच, उन सरपंच को इस केसेज से बचाने की बात करेंगे? मेरा जो पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मान्यवर, इसको दे दें बाकी के मैं बाद में आपसे....

श्री नाथू सिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केवल 9.60 रुपये का प्रश्न नहीं है, यह कुल 1,415 रुपये का मामला था। पंचायत प्रचार अधिकारी को जांच के लिये भेजा। सी. ओ. ने उसकी जांच करवायी और उसके बाद सी. ओ. ने अपनी रिपोर्ट भेजी 1,415 रुपये। सवाल 1,415

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

रुपये का नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैंने इस विभाग का चार्ज लिया था, 2000 से अधिक इन्क्वायरीज सरपंचों के खिलाफ मेरे विभाग में पेंडिंग थीं। जिसमें पैसे का भी मामला था। कहीं-कहीं रिकार्ड से सम्बन्धित था। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं, सैकड़ों सरपंच ऐसे थे जो बैंक डेट्स में पट्टे काट रहे थे। सरकार की हजारों, लाखों की जमीनों पर पट्टे काट रहे थे चार्ज नहीं दे रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मुझे कई जगह पुलिस भेजनी पड़ी।

श्री रामनारायण मीणा : मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है, माननीय मंत्री जी।

श्री नाथू सिंह : मैं दे रहा हूं, आप बैठिए। मैं स्पेसिफिक प्रश्न का ही जवाब दे रहा हूं।

श्री रामनारायण मीणा : मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है। मेरा प्रश्न यह है कि सैक्रेटरी कहता है मेरे पास चार्ज है सैक्रटरी को क्यों नहीं मानते आप।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। जवाब सुने आप।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : स्पेसिफिक ही बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से हमने सबसे चार्ज लिया और करीब 2 करोड़ से ज्यादा पैसा पूर्व में जो लोग लेकर बैठे थे, उनसे वसूल कर सरकारी कोष में जमा करवाया और जिनके विरुद्ध केवल तलवार लटकी हुयी थी हमने एक निर्णय लिया बेसिक कि जिनमें राशि बकाया है, पैसा बकाया है यदि वो जमा करा देते हैं तो भी हम छोड़ देंगे। कई सरपंच अनपढ़ भी होते हैं। रेकार्ड में छोटा-मोटा मामला हो, प्रक्रिया सम्बन्धी मामले को समाप्त कर दिया जाये और जो पैसे का मामला इन्वाल्व है, वो पैसा जमा करा दें, तो उसे छोड़ देंगे वरना पैसा भी वसूल करेंगे और हम उसके खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे। इसीलए, अध्यक्ष महोदय, यह 1,415 रुपये का मामला नहीं है। यह जांच करवायी गयी जिसमें इतना पाया गया यदि वो पैसा जमा करा देते तो सरकार को कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह पैसा भी वो जमा नहीं कराना चाहें। इसीलिए सरकार ने कार्यवाही की है, जांच करवा कर कार्यवाही की है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि चाहे सरकार का एक सौ रुपया भी बाकी हो, एक मैसेज गया है इस बात से जो नये लोग चुनकर आये हैं कि 20 साल पहले और 15 साल पहले जो लोग पैसा खाकर बैठ गये उनसे ब्याज सहित वसूल किया है। आगे हमसे भी वसूल किया जा सकता है। इसीलिए कोई खाने की हिम्मत नहीं करेगा। एक हमने मैसेज भी दिया है इसके द्वारा और मुझे खुशी है, विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा, 2 करोड़ से ज्यादा रुपया उन्होंने वसूल कर वापस जमा करवाया है। जबरन चार्ज देकर चार्ज जमा करवाया है।

श्री रामनारायण मीणा : आप प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं। कंट्रोल कीजिए।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : इसमें भी 1,415 रुपया बकाया था।

श्री रामनारायण मीणा : रिपीट क्यों कर रहे हो ? मेरा सीधा सवाल है, मंत्री जी पैसे की बात कर रहे है 9.60 रुपये की, मैं ब्याज सहित 10 रुपये दे देता हूं। मेरा एक स्पेसिफिक प्रश्न है। अंगूठा छाप सरपंच को सैक्रेटरी कहता है मेरे पास पैसा आ गया, सैक्रेटरी कहता है कजूमेबल आर्टिकल है। बोरियां गल गयी हैं आप इसको कंडेम घोषित कीजिए, नहीं करो तो उसका पैसा सैक्रेटरी कहता है कि ले लीजिए साहब। मेरे पास बोरियां आ गयीं। मेरा कहना यह नहीं है कि आपने खूब तीर मारे, शेर मारे। आपने राजस्थान में क्या किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि 9.60 रुपये की जगह मैं 10 रुपये यहां सदन में आपको देने को तैयार हूं। सैक्रेटरी कहता है कि मेरे पास 10 रुपये आ गये और आप करोड़ रुपये की बात करते हो। 10 रुपये आप मुझ से ले लीजिए, ब्याज ले लीजिए। आप तो इतना बड़ा सेंस रखते हो, इतने अच्छे मंत्री हो। एक हजार का मामला है, वो बोरिया हैं कंजूमेबल। 10 साल पहले की बोरियां हैं। सब कंडेम हो गयीं। माननीय मंत्रीजी सैक्रेटरी का बयान आपने नहीं पढ़ा, उसको पढ़िए। तैयारी नहीं कर के आये हो आजकल आप और किसी धंधे में उलझ रहे हो। चुनाव से एक महिने पहले ही उसने सारा रेकार्ड ले लिया था। रेकार्ड में मेरे पास केवल मोहर थी, पास बुकें वगैरह सैक्रेटरी के पास रहती थीं। जब मैंने पंचायत का चार्ज दिया उस समय मैंने सैक्रेटरी से पूछा कि रेकार्ड में कितना बकाया है, तो सैक्रेटरी के कहे अनुसार 9.60 रुपये मैंने उनको दे दिये। मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूं। मुझे फंसा मत देना। इसी बाबत मेरा एक केस नैनवां कोर्ट में भी चल रहा है। अभी फैसला नहीं हुआ है। पंचायत प्रसार अधिकारी के पूछने पर चार्ज के लेने-देन बाबत सबूत नहीं है। मैंने तो जो कुछ भी मेरे पास था, सैक्रेटरी को दे दिया। रसीद नहीं ली। 9.60 रुपये की रसीद नहीं ली। आपके सी. ओ. ने जो जांच करने वाले है, उसने सैक्रेटरी से नहीं पूछा कि तेरे पास 9.60 रुपये आ गये पंचायत के ? सैक्रेटरी के पास चार्ज है। आज रोकड़ वहां है, सब कुछ पंचायत में है। इतनी सी बात जब जांच हो गयी और सैक्रेटरी से आप नहीं पूछ रहे हो। मेरा तो स्पेसिफिक है। आप कृपा करके मेहरबानी कीजिए इसकी जांच करवाइए, आप आदेश दीजिए माननीय मन्त्रीजी।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है मैंने भी यह जांच रिपोर्ट पढ़ी है। केवल 9.60 रुपये का नहीं है, जो नकद राशि थी 9.60 रुपये। इसके अलावा स्टाक रजिस्टर के अनुसार 2 क्विटल 37 किलो 619 ग्राम गेहूं बकाया है। दर 165 रुपये प्रति क्विटल राशि 392 रुपये 70 पैसे खाली बोरियां गेहूं की, उसी समय की, पुरानी नहीं हुयी है 225 नग, दर 4.25 रुपये प्रति बोरी, राशि 1,012.50 रुपये, कुल 1,415 रुपया और जो सी. ओ. ने रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने लिखा है, आगे नहीं पढ़ा आपने, पंचायत प्रसार अधिकारी ने राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 16 की उप

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

धारा 12 व 13 के तहत बयान किया कि सरपंच ही उत्तरदायी है । सरपंच द्वारा एक माह पूर्व मोहर वगैरह चार्ज एवं नकद देने में कोई रसीद नहीं प्रस्तुत करना शामिल है । सरपंच द्वारा कोर्ट नैनवां में इस बाबत कार्यवाही पेंडिंग बाबत भी इसकी पुष्टि करता है कि सरपंच द्वारा चार्ज के विषय में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उप धारा 2 की अवहेलना कर कर्त्तव्य की उपेक्षा की है । इसमें यह केवल राशि का ही मामला नहीं है, चार्ज देने का मामला भी सम्मिलित है ।

श्री हरजीराम बुरडक : मंत्री महोदय, जो मौजूदा पंचायत राज अधिनियम में आपने सरपंच के पास कोई चार्ज रखा नहीं । एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है—राशि और रेकार्ड सचिव की अभिरक्षा में रहेगा । तो सरपंच के पास कौन सा चार्ज था ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : यह पुराना मामला है । आज का मामला नहीं है । पुराना मामला है जब सरपंचों के पास चार्ज होता था ।

श्री रामनारायण मीणा : आप सैक्रेटरी से पूछिए, सैक्रेटरी के पास चार्ज है ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : आज है । यह पुराना मामला है । उस समय सरपंचों के पास चार्ज होता था ।

श्री रामनारायण मीणा : सारा चार्ज आपके सैक्रेटरी के पास है । उससे पूछिए तो सही । मैं इतना जानना चाहता हूं आपसे, आप सैक्रेटरी से क्यों नहीं पूछना चाहते ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : यह आज का मामला ही नहीं है. यह पुराना मामला है । आज का मामला है क्या ?

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, वास्तविकता यह है कि जो नया पंचायत एक्ट ढाई साल पहले बना पुराना एक्ट उसमें खत्म कर दिया । अब आप उस एक्ट के अनुसार कैसे कार्यवाही कर सकते हैं ? जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि सेक्रेटरी ने हां भर ली कि सारा रिकार्ड हमारे पास है तो चार्ज कहां रह गया ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : इसलिए जिस समय सरपंच के पास चार्ज होता था, उस समय का यह मामला है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ । प्रश्न काल समाप्त ।

अनेक माननीय सदस्य : अभी एक मिनट बाकी है साहब ।

श्री अध्यक्ष : मैं तो इस घड़ी से देख रहा हूं मैं तो आपकी तरफ देखता हूं ।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, आप मंत्रीजी से कहिए कि सरपंचों को इस तरह से मत रगड़िये आप । आपके सैक्रेटरी के पास मामला है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इसमें चार्ज का मामला भी सम्मिलित है ।

श्री रामनारायण मीणा : आप सैक्रेटरी से पूछोगे कि नहीं पूछोगे, यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सीडा परियोजना में कनाडा सरकार की साझेदारी

627. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीडा में राजस्थान सरकार व कनाडा सरकार का कितना-कितना हिस्सा है ? दोनों सरकारों का अब तक कितना-कितना व्यय हो चुका है ?

(2) इस परियोजना में क्या-क्या कार्य करवाने थे ? स्वीकृत परियोजना की प्रति एवं विभाग द्वारा किये गये खर्चे का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस परियोजना में विभाग द्वारा कितनी मोटर साईकिलें खरीदी गई व उन्हें किन-किन कर्मचारियों को उपलब्ध करवाई गई ? क्या उक्त योजना में मोटर साइकिलों का खरीदा जाना प्रस्तावित था ?

(4) इस परियोजना में लगने वाले पाइप बनाने के लिए जी. पी. एल. ने जो फैक्ट्री लगायी उसकी शर्तें क्या थी ? पाईप की कितनी मात्रा किस दर पर खरीदी जानी थी ? अब तक कितने पाइप किस दर से खरीदे जा चुके है तथा उन पाइपों का कहां-कहां उपयोग किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) अब कितने पाईप और खरीदे जाने हैं और उनका उपयोग किस-किस क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है ? जिन क्षेत्रों में पाइप लगा दिये गये हैं क्या उनको लाभ पहुंचा है ?

उत्तर

(1) मूल करार अनुसार सीडा में राजस्थान/भारत सरकार एवं कैनेडा सरकार का हिस्सा क्रमशः 69.85 मिलियन रुपये एवं 57.54 मिलियन केनेडियन डालर था जो संशोधन के पश्चात् क्रमशः 2652.40 लाख रुपये एवं 62.07 मिलियन केनेडियन डालर (आज के एक्सचैंज रेट पर लगभग 155 करोड़ रुपये) हो गया है। राजस्थान/भारत सरकार द्वारा अब तक 2090.10 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं, जिसमें से 600 लाख रुपये की राशि सीडा द्वारा पुनर्भरण की जा रही है। शेष राशि 1490.10 लाख रुपये में से राजस्थान सरकार ने परियोजना पर केवल 300 लाख रुपये ही वास्तविक व्यय किये हैं। उक्त व्यय राजद कार्यो हेतु सृजित अतिरिक्त स्टाफ के वेतन, भत्ते आदि एवं टेक्सेज, ड्यूटीज इत्यादि के भुगतान पर हुआ है। शेष 1090.10 लाख रुपये का व्यय सी. ए. डी. के ओ. एफ. डी. कार्यो एवं संस्थापन व्यय का एक हिस्सा है, जो कि सीडा परियोजना के न होने की स्थिति में भी राज्य सरकार को वहन करना पड़ता। उक्त खर्च राजद परियोजना में राजस्थान

(राज्य मंत्री, सिंचित क्षेत्रीय विकास)

सरकार के हिस्से के रूप में नोशनलरूप से डाला जा रहा है। कैनेडा सरकार द्वारा अब तक पुनर्भरित राशि को मिलाकर लगभग 30 मिलियन केनेडियन डालर व्यय किये जा चुके हैं।

(2) परियोजना के अन्तर्गत निम्न कार्य प्रस्तावित थे :—

1. भूमिगत जल निकास अनुसंधान कार्य
2. जल निकास सामग्री का उत्पादन
3. भूमिगत जल की निकासी,
4. खेत सुधार कार्यक्रम
5. कृषक सहायक सेवाऐं
6. मृदा एवं जल मूल्यांकन
7. मानव संसाधन विकास
8. सामाजिक विकास
9. आर्थिक विश्लेषण
10. जल प्रबन्ध
11. पर्यावरण विश्लेषण

उक्त परियोजना हेतु भारत एवं केनेडा सरकार के मध्य हुए समझौते के अंश "अ" की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट–1) विभाग द्वारा परियोजना पर अब तक किये गये खर्चे का विवरण भाग–1 के उत्तर में दर्शा दिया गया है।

(3) इस परियोजना के अन्तर्गत विभाग ने कुल 60 मोटरसाइकिलें खरीदी हैं। इन्हें कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं को ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई गई है (सूची परिशिष्ट–2 पर उपलब्ध है) 1 ऋण की वसूली उनके मासिक वेतन से राज्य सरकार के नियमानुसार की जा रही है। बाद वसूली यह राशि परियोजना के कार्यों हेतु ही उपयोग में ली जायेगी। परियोजना के आरम्भिक प्रतिवेदन में ही कृषि विस्तार के कर्मचारियों हेतु परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाना प्रस्तावित था।

(4) इस परियोजना में लगने वाले पाइप बनाने के लिए मै. जी. पी. एल. ने जो फैक्ट्री लगाई हैं उसकी निविदाएं राज्य सरकार द्वारा आमंत्रित की गई थी। निविदा की मुख्य शर्तें हैं :—

1. जी. पी. एल. को पाइप निर्माण हेतु केनेडा सरकार से अनुबन्ध ओ–2 के तहत ब्याज-मुक्त ऋण पर केनेडा से मशीनें उपलब्ध कराना।

2. डीम्ड एक्सपोर्ट के लाभों को ध्यान में रखते हुए परियोजना अवधि हेतु एक फिक्स दर देना।

3. उपलब्ध कराई गई मशीनों की कीमत परियोजना अवधि में सप्लाई किये जाने वाले पाइपों बिलों में से प्रो-रेटा आधार पर चुकाना।

इसका सम्पूर्ण ब्यौरा अनुबन्ध ओ-1 के रूप में दर्ज है। तथा इसकी गारन्टी एक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा दी गई है।

(सिंचित क्षेत्रीय विकास, राज्य मंत्री)

पी. आर जी. I अनुबन्ध के अनुसार 9033000 मीटर पाइप विभिन्न साइजों के/डायां के क्रय किया जाना था जिसमें दरें भी अलग-अलग प्रकार की हैं। सम्पूर्ण विवरण (मात्रा व दरें) परिशिष्ट–3 पर संलग्न है।

अब तक जी. पी. एल. फैक्ट्री से विभिन्न साइजों के 576813 मीटर पाइप क्रय किये गये हैं जिसकी अलग-अलग दरें अलग प्रपत्र के रूप में परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

इन पाइपों का उपयोग विभिन्न साइटों पर जैसे मुंडला, दीगोद-डी, फतेहपुरा एवं घघटाना में किया गया है जिसका विवरण परिशिष्ट-5 व 6 पर संलग्न है।

(5) परियोजना क्षेत्र घट जाने एवं डीजाइन में परिवर्तन के कारण अब अनुमानतः 35 लाख मीटर पाईप ही और खरीदे जाने हैं, जिनका उपयोग मुख्यतः चम्बल परियोजना के उस सिंचित क्षेत्र में किया जावेगा जिसकी लवणीयता की वेल्यू 4.00 ई. सी. से अधिक है। अन्य क्षेत्रों में ड्रेनेज कार्य हेतु भी इनका उपयोग विचाराधीन है, जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल निकास हेतु पाइप लगा दिये गये हैं वहां अब तक के अनुभव के अनुसार फसलों की उपज में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है एवं भूमि की लवणीयता तथा जल भराव में कमी होने में आशातीत लाभ मिला है। भूमि में सिंचाई उपरान्त बाह भी जल्दी आती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पाली शहर का प्रदूषण प्रकरण

628. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जल प्रदूषण नियन्त्रण परिशोधन एवं अनुसंधान फाउण्डेशन, पाली ने माह अप्रेल, 1996 में निर्धारित पी. एच. मान से कम पी. एच. के प्रदूषित पानी का नस्राव करने के बारे में एक रजिस्टर्ड पत्र विभिन्न इकाइयों को भेजा था? यदि हां, तो यह रजिस्टर्ड पत्र किन-किन प्रतिष्ठानों को भेजा गया तथा पत्र की प्रतिलिपि किन-किन को प्रेषित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ऐसे गम्भीर मामलों में अब तक राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मंण्डल, जयपुर ने कोई कार्यवाही की है? यदि हां तो क्या एवं नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि रेलवे स्टेशन पार औद्योगिक क्षेत्र पाली में कई औद्योगिक इकाइयां सूती कपड़े के स्थान पर सिन्थैटिक कपड़े के प्रोसेसिंग का कार्य बिना अनुमति कर रही है? यदि हां, तो ऐसे उद्योगों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री भीमराज भाटी)

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल कार्यालय, पाली ने पिछले छः माह में इन प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के बारे में मुख्यालय, जयपुर को सूचित किया है ? यदि हां, तो मुख्यालय जयपुर द्वारा इन इकाइयों के विरुद्ध प्रदूषण रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि माह अप्रेल, 1996 में निर्धारित पी. एच. मान से कम पी. एच. मान के प्रदूषित (अम्लीय) पानी के संयुक्त जल परिशोधन संयन्त्र में प्राप्त होने पर सिन्थेटिक कपड़े की प्रोसेसिंग की दस यूनिटस को अधिशासी न्यासी, पाली जल प्रदूषण नियन्त्रण परिशोधन एवं अनुसंधान फाउण्डेशन, पाली द्वारा रजिस्टर्ड पत्र/पत्र वाहक के द्वारा दिया गया था जिसकी सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। इस पत्र की प्रति राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल व अन्य किसी को नहीं दी गई।

(2) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर द्वारा दिनांक 18-3-1996 को इन इकाइयों को निर्देश जारी किये गये कि वे स्वयं के प्रतिष्ठान से जनित प्रदूषित जल को निर्धारित पी. एच. 5.5 से 9.0 की सीमा तक उपचारित करने के लिए दिनांक 31-3-1996 तक उपर्युक्त व्यवस्था स्थापित करें, कुछ इकाइयों द्वारा उक्त समय सीमा को अपर्याप्त बताया इसलिये इन इकाइयों को पुनः दिनांक 7-6-1996 के पत्र द्वारा मण्डल ने निर्देश दिये हैं कि यदि एक माह में वे प्रदूषित जल को पी. एच. की निर्धारित सीमा तक उपचारित करने हेतुं उदासीनीकरण (न्यूटरलाइजेशन) स्थापित करने में असफल रहती है तो उनके विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी हां। औद्योगिक क्षेत्र प्रथम एवं द्वितीय चरण, पाली में निम्न तीन इकाइयां सूती कपड़े के बजाय सिन्थेटिक कपड़े की प्रोसेसिंग का कार्य बिना राज. प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल से सम्मति एवं रीको की अनुमति प्राप्त कर रही है। सूची निम्नानुसार है :—

1. मैसर्स लक्ष्मी टैक्सटाइल्स मिल्स, ई–64, औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय चरण
2. श्री गणेश टैक्सटाइल्स इण्डस्ट्रीज, ई–71, औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय चरण
3. श्री बालड़ फैब्रिक्स (प्रा.) लि., 3, औद्योगिक क्षेत्र, प्रथम चरण

(4) जी, हां। इन इकाइयों द्वारा मण्डल के समक्ष उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया चालू रखने के लिए सम्मति आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके सम्बन्ध में मण्डल मुख्यालय ने सामान्य प्रक्रिया के अनुसार सम्मति आवेदन-पत्र निरस्त करने से पूर्व वास्ते जाहिर करने वजह का पत्र दिनांक 6-6-1996 को जारी किया है। जिसमें

(पर्यावरण मंत्री)

उद्योग को व्यक्तिशः सुनवाई की तिथि दिनांक 11-7-1996 प्रदान की गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

जिला धौलपुर में 'लोक महोत्सव' कार्यक्रम

633. **श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर)** : क्या पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर जिले की अपनी अलग से भाषा एवं संस्कृति है? यदि हां, तो इसकी यथास्थिति बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिले की संस्कृति को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से कोई "लोक महोत्सव" कार्यक्रम प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार इस क्षेत्र के पवित्र तीर्थ "मचकुण्ड" के नाम पर लोक महोत्सव का नाम "मचकुण्ड महोत्सव" रखने का विचार करेगी?

उत्तर

(1) वर्तमान धौलपुर जिला पूर्व में राज्य के भरतपुर जिले का ही एक भाग था। 1982 में यह अलग जिला बना यह ब्रज संस्कृति से ही प्रभावित क्षेत्र है और राजस्थान के भरतपुर जिले तथा सीमावर्ती उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश के जिलों की भाषा एवं संस्कृति का प्रभाव भी यहां देखा जा सकता है।

(2) धौलपुर जिले की अलग से कोई विशेष भाषा नहीं है इस क्षेत्र में "ब्रजभाषा" का लोक व्यवहार में प्रचलन है। इस क्षेत्र की जो बोली है वह ब्रज मिश्रित मेवाती है। वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) पवित्र तीर्थ "मचकुण्ड" के नाम पर "मचकुण्ड महोत्सव" मनाये जाने पर स्थानीय जन प्रतिनिधियों, जिला प्रशासक व सम्बन्धित विभागों से अब विचार किया जायेगा।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला भीलवाड़ा के शिक्षित बेरोजगारों को ऋण

556. **श्री कालूलाल गूजर (मांडल)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भीलवाड़ा जिले में अप्रैल, 1994 से 31 मार्च, 1996 तक कितने लोगों को प्रधानमंत्री रोजगार व शिक्षित बेरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत किये गये? सूची मय ऋण राशि एवं कार्य योजना के सदन की मेज पर रखें।

(2) भीलवाड़ा जिले में उक्त तारीख के मध्य किन-किन व्यक्तियों के ऋण प्रार्थना-

(श्री कालूलाल गूजर)

पत्र अस्वीकार किये गये ? विवरण मय कारणों के सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त दोनों प्रकार के ऋणों की स्वीकृति के क्या मानदण्ड निर्धारित है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 से शिक्षित बेरोजगार योजना को प्रधानमंत्री रोजगार योजना में समाहित कर दिया गया है। भीलवाडा जिले में अप्रेल, 1994 से 31 मार्च, 1996 तक प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत 712 अभ्यार्थियों को ऋण स्वीकृत किया गया है।

सूची मय पता, ऋण राशि एवं कार्य के संलग्न है। परिशिष्ट "अ"

अप्रेल, 1994 से मार्च 1996 तक भीलवाड़ा जिले में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत 188 अभ्यार्थियों के ऋण आवेदन पत्र बैंकों द्वारा निरस्त किये गये। सूची मय कारणों के संलग्न है। परिशिष्ट "आ"

(2) प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत ऋण की स्वीकृति के लिए निम्न मापदण्ड भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये हैं :–

1. प्रार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो।
2. शैक्षणिक योग्यता-मैट्रिक पास अथवा फैल अथवा सरकार द्वारा प्रायोजित तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण कम से कम छः माह का प्राप्त हो।
3. प्रार्थी सम्बन्धित स्थान का 3 वर्ष का निवासी हो।
4. प्रार्थी की स्वयं/परिवार की वार्षिक आय 24000/– रुपये तक हो।
5. प्रार्थी किसी वित्तीय संस्था से ऋण अदायगी का दोषी न हो।

(3) उक्त पात्रता रखने वाले अभ्यार्थी अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में मय दस्तावेजों एवं योजनाओं के साथ जिला उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करते हैं जिला उद्योग केन्द्र में प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार सम्बन्धित अभ्यार्थी को साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित किये जाते हैं जिनका जिला स्तरीय टास्कफोर्स द्वारा साक्षात्कार एवं अभ्यार्थियों का चयन किया जाता है। चयनित अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र बैंकों को अग्रेषित किये जाते हैं प्रत्येक लाभार्थी को ऋण स्वीकृति के पश्चात प्रशिक्षण दिया जाता है। अभ्यार्थी के प्रशिक्षण प्राप्ति के पश्चात बैंकों द्वारा ऋण वितरण किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सांभर का नमक उद्योग

557. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(1) क्या यह सही है कि सांभर साल्ट द्वारा नमक उद्योग का ठेका किसी बाहरी कम्पनी को दिया गया है ? यदि हां, तो कितने समय के लिए ?

(2) क्या सरकार ने सांभर में नमक बनाने वाले उद्योग को भारत सरकार से अपने हाथ में लेने का प्रयास किया है ? यदि हां, तो कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सांभर साल्ट लि. जो पुनः राज्य सरकार के अधीन लेने के लिए भारत सरकार को कई बार लिखा गया है, परन्तु प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में उप मुख्य मंत्री व मुख्य मंत्री द्वारा भारत सरकार के उद्योग मंत्री एवं प्रधान मंत्री को पत्र लिखे गये हैं। अन्तिम पत्र मुख्य सचिव द्वारा सचिव, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को दिनांक 11-4-1996 को लिखा गया है।

विधान सभा क्षेत्र फलासिया की वन भूमि के अतिक्रमणों का नियमन

558. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) आदिवासी क्षेत्र में वन भूमि पर आदिवासियों द्वारा किये गये अतिक्रमणों को नियमित करने की समिति में कौन-कौन सदस्य हैं ? निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में कितनी समितियां हैं तथा प्रत्येक में कौन-कौन सदस्य हैं ? सूची नामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया, जिला उदयपुर की उक्त भूमि को नियमित करने का क्या प्रावधान है ? उक्त प्रावधान के अन्तर्गत समिति ने कहां-कहां, कब-कब मौके देखे तथा किस-किस भूमि का नियमन किया तथा किस-किस भूमि का किन कारणों से नियमन नहीं किया गया ? नाम, पंचायत का नाम, भूमि का रकबा सहित विगत तीन वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शेष रहे प्रकरणों को भी जल्दी ही निपटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) आदिवासी क्षेत्र में वन भूमि पर आदिवासियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को नियमन करने हेतु राज्य सरकार के आदेश संख्या प्र. 1 (18) वन/90 दिनांक 27.4.91 के अनुसार तहसील स्तर पर गठित समिति में निम्न सदस्य होते हैं :–

1. क्षेत्रीय विधायक
2. प्रधान
3. सहायक वन संरक्षक (कन्वीनर)
4. तहसीलदार/नायब तहसीलदार

(वन मंत्री)

5. सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी
6. सम्बन्धित ग्राम पंचायत का सरपंच अथवा प्रशासक

(2) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया, उदयपुर में दो समितियां तहसील स्तर पर गठित है जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की पटल पर रख दिया गया है।

गठित समिति द्वारा राज्यादेशों के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र फलासिया के विभिन्न वन खण्डों में 1780 से पूर्व के अतिक्रमण स्थलों का मौका देखा गया एवं समिति की सिफारिश अनुसार उक्त अतिक्रमण वन भूमि को अनारक्षण करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये हैं। नियमन हेतु भारत सरकार की स्वीकृति अपेक्षित है। वन भूमि पर अतिक्रमण को नियमन करने का अधिकार उक्त समिति को नहीं है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ख" के अनुसार सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। अतिक्रमण को नियमन करने हेतु गठित समिति की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जा रही। समिति की अनुशंषानुसार प्रकरणों का केन्द्र सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर शीघ्र निस्तारण किया जायेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

कडाना-माहीघाटी परियोजना क्षेत्र में राहत कार्य

559. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कड़ाना-माहीघाटी परियोजना के अन्तर्गत कौन-कौन सा क्षेत्र आता है? इसका कार्य क्षेत्र कहां-कहां है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वन सुरक्षा व वन उपज हेतु परियोजना के पास जो ब्लाक आरक्षित है, उनके रख-रखाव की क्या स्थिति है? क्या सभी ब्लाकों में सुरक्षा व वन लगाने के कार्य समय पर चल रहे हैं क्या विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में भी कड़ाना परियोजना के ब्लाक स्थित है? यदि हां, तो उन ब्लाकों में अकाल राहत व अन्य योजनाओं के तहत क्या-क्या कार्य कराये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कड़ाना माही परियोजना (वन विभाग) के अन्तर्गत राजस्थान में माही नदी का जलग्रहण क्षेत्र आता है। इसके कार्यक्षेत्र में बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर एवं उदयपुर जिलों के भाग सम्मिलित हैं।

(2) परियोजना के अन्तर्गत निर्मित पूर्व वर्षों के पेडोक एवं क्लोजरों की सुरक्षा एवं रख-रखाव, उपलब्ध संसाधनों तथा वन कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। सराड़ा विधान सभा क्षेत्र में कडाना परियोजना के वन खण्ड नाका परशाद व टोकर के अन्तर्गत आते हैं जिनमें विभिन्न

(वन मंत्री)

योजनाओं के अन्तर्गत कराए गए कार्य का विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

कृषि उपज मण्डी समिति बूंदी द्वारा निर्मित सड़क

560 श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, बूंदी द्वारा वर्ष 1991 से मार्च, 1996 माह तक कितने गांवों को सड़कों से जोड़ा गया ? ग्राम के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बूंदी-कोटा मार्ग पर मांगली नदी या नमाना रोड से कोल खेड़ा, बरखेड़ा एवं खादखेड़ा, तालेड़ा से जलोदा, जमीतपुरा रेल्वे फाटक से जलोदी, अलफानगर से खुराड़, कोटा, केशोरायपाटन रोड से देहित, सिन्ता, तीर्थ भवानी पुरा वाया बेलन्दा से बाजड़, तालेड़ा से के. पाटन रोड पर बाजड़ से बड़ून्दा बूंदो कोटा रोड पर खेराली से नौताड़ा नया बरघा, तालेड़ा से बरूधण चौराहे, बरूधण, लक्ष्मीपुरा डोरा, सूतड़ा, बोरकुई सूतड़ा वाया डाबी से बुधपुरा घोड़पछाड़ नदी, जरखोदा से ठीकरिया, चारणान बूंदी से गरड़दा वाया नमाना, नमाना से हरिपुरा सड़कों का निर्माण कार्य कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा पूर्ण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक उक्त सड़कों का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, बूंदी द्वारा वर्ष 1991 से 1996 मार्च माह तक निम्न गांवों को सड़कों से जोड़ा गया :-

(1) ठीकरिया चारणान (2) नोताड़ा (3) उमरच (4) रायता (5) भोयतपुरा (6) रघुनाथपुरा (7) लीलेड़ा चारणान (8) माना चौक (9) देलुन्दा (10) बड़न्दा (11) होण्डी (12) गम्भीरी (13) कालपुरियां (14) गोपालपुरा (15) कोथ्या।

1. सं. सड़क बून्दी कोटा मार्ग पर मांगली नदी या नमाना रोड़ से कोलखेड़ा, बरखेड़ा एवं खानखेड़ा :-

इस सं. सड़क की स्वीकृति कोटखेड़ा से बरखेड़ा के नाम से स्वीकृत है जो निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त कोई स्वीकृति उपलब्ध नहीं है।

2. तालेड़ा से जलोदा :-इस नाम से कोई सड़क स्वीकृत नहीं है।

3. जमीतपुरा रेल्वे फाटक से जलोदी :-इस सडक की वर्तमान में कोई स्वीकृति उपलब्ध नहीं है।

4. अलफा नगर से खुराड़ :-इस सड़क हेतु कोई स्वीकृति उपलब्ध नहीं है।

(2) प्रश्न में अंकित सम्पर्क सड़कों में अंकित समस्त ग्राम डामर सड़क से जुड़े हुए हैं।

कृषि मण्डी खाजूवाला से आय

561. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरनसर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कृषि मण्डी खाजूवाला का गठन सर्वप्रथम कब हुआ ? तत्संबंधी विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तारीख से नई समिति के गठन तक कुल कितनी आमदनी हुई ?

(3) बीकानेर कृषि उपज मण्डी समिति में खाजूवाला क्षेत्र से उक्त विज्ञप्ति के प्रकाशन के बाद कितनी आमदनी हुई ? उक्त आमदनी में से इस नई समिति को कितनी राशि स्थानान्तरित की जा चुकी है तथा बाकी राशि कब तक स्थानान्तरित की जायेगी ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी, खाजूवाला के गठन हेतु प्रथम विज्ञप्ति दिनांक 14-12-89 को हुई लेकिन गठन दिनांक 25-4-95 को पूर्ण हुआ। विज्ञप्ति की प्रति संलग्न है।

(2) विज्ञप्ति जारी होने से गठन तक 1,91,46 915 रुपये की आमदनी हुयी।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति, बीकानेर को उक्त विज्ञप्ति से गठन तक खाजूवाला क्षेत्र से 1,91,46,915/– रुपये की आमदनी हुई खाजूवाला मण्डी समिति की मांग पर अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा करने हेतु 95.00 लाख रुपये राज्य सरकार को स्वीकृति प्राप्त कर स्थानान्तरित किए जा चुके है. शेष राशि स्थानान्तरित करने के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

कृषि उपज मण्डी क्षेत्र नागौर के प्रस्तावित निर्माण कार्य

562. श्री हजारीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नागौर जिले में चालू वर्ष में कौन-कौन सी कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में कौन-कौन सा निर्माण कार्य करवाया जायेगा व उन पर कितनी-कितनी लागत आयेगी ? मण्डीवार व कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत वर्ष जिले में कौन-कौन सी कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में कौन-कौन से निर्माण कार्य सम्पन्न कराये गये जिन पर कितना-कितना खर्चा हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में 5 कृषि उपज मण्डी समितियां क्रमशः नागौर, मेडतासिटी, कुचामनसिटी, डीडवाना व डेगाना है। इनके वर्ष 96–97 के लिये प्रस्तावित कार्य मय लागत परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। इन कार्यों के अगले वित्तीय वर्ष तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(राज्य मंत्री, कृषि)

(2) गत वर्ष नागौर जिले की मण्डी समितियों के अन्तर्गत कराये गये निर्माण एवं उन पर हुए व्यय का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

जिला भीलवाड़ा की कृषि उपज मण्डी

563. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या भीलवाड़ा जिले के गंगापुर कस्बे में कृषि उपज मण्डी कार्यरत है? यदि हां, तो उसके विगत पांच वर्षों का वित्तीय लेखा-जोखा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मण्डी की गौणमण्डी रायपुर कस्बे में लगभग 7–8 वर्ष पूर्व बनाई गई थी? यदि हां, तो उस पर कितना व्यय हुआ? क्या आज तक उस समिति को कोई आमदनी हुई है? यदि हां, तो किस व्यवस्था द्वारा?

(3) क्या गौणमण्डी निर्माण कार्य में व्यापारी शिफ्ट हो गये? यदि हां, तो वहां कितनी दुकाने कार्यरत हैं। यदि नहीं, तो क्यों? निर्माण राशि की किश्तें व ब्याज की अदायगी कहां से होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त मण्डी समिति ने अपने क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य करवाये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? यदि नहीं, तो क्यों? विगत पांच वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त समिति क्षेत्र में सब गौण मण्डियां भी स्थापित की गई? यदि हां, तो कहां-कहां? उन पर निर्माण, रख-रखाव आदि का कितना व्यय किया गया? उनका जनहित में क्या उपयोग हो रहा है?

(6) क्या उक्त कृषि मण्डी समिति ने अपने विकास कार्यों हेतु किसी प्रकार का ऋण लिया है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों का विवरण सदन की मेज रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। विगत पांच वर्षों का वित्तीय लेखा-जोखा निम्न प्रकार हैं :–

क्र. सं.	वर्ष	आय	व्यय
1.	1991–92	2117770.90	1697227.27
2.	1992–93	1182154.60	1756540.55
3.	1993–94	1183350.53	1362904 02
4.	1994–95	1365482.31	1421558.52
5.	1995–96	1908159.71	1763400.66

(राज्य मंत्री, कृषि)

(2) जी नहीं। गौण मण्डी रायपुर का निर्माण कार्य तीन वर्ष पूर्व 92–93 में पूर्ण हुआ। उस पर वर्ष 93–94 तक कुल 17.60 लाख रुपये का व्यय हुआ है। आज तक उस पर समिति को आवंटन शुल्क से कोई आमदनी नहीं हुई हैं।

(3) जी नहीं। क्योंकि गौण मण्डी रायपुर में व्यापारियों की संख्या कम होने नव निर्मित यार्ड कस्बे से दो किलोमीटर दूर होने एवं व्यापारियों द्वारा दुकान/गोदाम आवंटित नहीं कराने के कारण व्यापार स्थानान्तरण नहीं हो सका हैं।

निर्माण राशि की किश्तें व ब्याज की अदायगी गौण मण्डी रायपुर तथा मुख्य मण्डी गंगापुर की आय से होगी। मात्र 244492·50 रुपये मूल ऋण राशि शेष रही है जो आलोच्य वर्ष 96–97 में भुगतान कर दी जायेगी।

(4) जी हां। गौण मण्डी रायपुर का निर्माण कार्य वर्ष 92–93 में कराया है।

(5) जी नहीं। शेष प्रश्न ही नहीं उठता है।

(6) जी हां। मण्डी समिति, गंगापुर द्वारा मुख्य मण्डी प्रांगण गंगापुर के विकास हेतु 15·50 लाख रुपये तथा गौन मण्डी रायपुर के विकास हेतु 12·67 लाख रुपये का ऋण ले रखा है। जिसमें मुख्य मण्डी गंगापुर का एवं ब्याज वर्ष 95–96 में पूर्ण चुकता हो गया तथा रायपुर का ऋण एवम् ब्याज 244492.50 रुपये चुकाया जाना शेष है जो आलोच्य वर्ष 96–97 में भुगतान कर दिया जायेगा। पांच वर्षों का लेखा जोखा परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

जल संसाधन के संरक्षण/संवर्धन के प्रस्ताव

564. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि कृषि कार्य में जल संसाधन की प्रमुख आवश्यकता है? यदि हां, तो विभाग ने इसके क्या-क्या प्रावधान रखे है?

(2) क्या विभाग ने अपने स्तर से जल संसाधन के संरक्षण, संवर्धन के लिए कोई योजनाएं हाथ में ली हैं या अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर कोई परियोजनाएं चला रखी है? यदि हां, तो उदयपुर संभाग का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभाग ने सरकार के जल संसाधन के दोहन, संरक्षण, संवर्धन हेतु कोई सुझाव या प्रस्ताव प्रेषित किये हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा जलग्रहण क्षेत्रों में वर्षा के जल को संरक्षित करने हेतु कम

(राज्य मंत्री, कृषि)

लागत एवं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वानस्पतिक एवं निर्माण सामग्री को ध्यान में रखते हुए वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, सकन पोण्ड, नाडियां आदि का निर्माण कराया जाता है।

(2) जी हां। विभाग द्वारा जल-संसाधन संरक्षण हेतु विभिन्न योजनाओं में जलग्रहण क्षेत्रों पर विकास कार्य करवाये जा रहे हैं उदयपुर संभाग में विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत क्रियान्वित किये जा रहे जलग्रहण क्षेत्रों की प्रगति परिशिष्ट-1 पर सलग्न है।

(3) जी हां। विभाग द्वारा राज्य सरकार की निम्न योजनाएं प्रेषित कर रखी है :—

(अ) पावडी परियोजना :—यह परियोजना स्वीस विकास निगम के सहयोग से अलवर जिले में अजबगढ एवं चित्तौड़ जिले के रेतम जलग्रहण क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही है तथा दोनों जलग्रहण क्षेत्रों में 15000 है० क्षेत्रफल के लिए राशि रुपये 1533·90 लाख का प्रावधान रखा गया है योजना की अवधि जुलाई, 1995 से मार्च, 1999 तक है।

(ब) पुष्कर योजना :—पुष्कर सरोवर में वायु बहाव के साथ बहने वाले रेतीले कणों से भराव क्षमता में में हो रही कमी के निराकरण हेतु परियोजना वित्तीय सहायता हेतु आईसी॰इ एफ. कनाडा को प्रेषित की है। योजना की अनुमानित लागत रुपये 409.00 लाख है।

(स) जयपुर दौसा एवं टोंक जिलों में बहने वाली नदियों के दोनों ओर भूमि के कटाव को रोकने, क्षेत्र में भूमि की उर्वरता बनाये रखने एवं वानस्पतिकरण तथा भूमिगत वर्षा के पानी को सुरक्षित करने हेतु परियोजना तैयार की हैं। यह परियोजना जर्मनी की संस्था के एफ.डब्ल्यू. के पास विचाराधीन हैं।

(द) जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना :—इस योजना के अन्तर्गत जिला बारा एवं दौसा प्रत्येक में 40000 है० भूमि के जल एवं मृदा संरक्षित तैयार की गयी योजना राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है दोनों जिलो के लिए योजना की कुल लागत रुपये 40 करोड़ हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कृषि उपज मण्डी समिति नवलगढ़ के तत्कालीन सचिव के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

565. श्री बनवारी लाल भिण्डा (फतेहपुर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बनवारी लाल भिण्डा)

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति नवलगढ़ के तत्कालीन सचिव श्री रिछपाल सिंह के विरुद्ध वर्ष 1992-93 के दौरान कृषि उपजों का मण्डी शुल्क, अपवंचन की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त सचिव के विरुद्ध उप निदेशक, सतर्कता एवं सर्वे, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर कैम्प नवलगढ़ को माह अगस्त, 1992 से फरवरी, 1993 के दौरान कृषि उपजों का मण्डी शुल्क अपवंचन किये जाने की शिकायतें भी प्राप्त हुई थी ? क्या इसका मिलान सम्बन्धित फर्मों से तथा नगरपालिका चुंगी नाकों से जांच कर ली गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक जांच पूर्ण कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही कर ली जायेगी ?

(3) नवलगढ़ कृषि उपज मण्डी समिति को वर्ष 1991–92 में मण्डी शुल्क का कितनी आय हुई तथा वर्ष 1992–93 के दौरान कितनी आय हुई ? क्या कम आय के लिए सचिव जिम्मेदार रहे हैं ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त सचिव ने अपने कार्यकाल के दौरान कृ० मण्डी कोष की करीब 50 हजार की राशि जो कर्मचारियों के भविष्य निधि से सम्बन्धित थी, को निजी उपयोग में लिया ? क्या इसका आडिट किया जा चुका है और अभी भी कुछ राशि बकाया है ? क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में सचिव की जिम्मेदारी निर्धारित कर राशि वसूलने एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । वर्ष 92–93 में तत्कालीन सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, नवलगढ़ श्री रिछपाल सिंह के विरुद्ध कोई शिकायत निदेशालय को प्राप्त होना नहीं पाया जाता ।

(2) उक्त सचिव के सम्बन्ध में वर्णित अवधि से सम्बन्धित शिकायत तत्कालीन उप निदेशक (सतर्कता एवं सर्वे०) कृषि विपणन विभाग को किया जाना रिकार्ड के अनुसार नहीं पाया जाता है । तत्कालीन उप निदेशक (सकर्कता एवम् सर्वेक्षण) श्री ओ.पी. श्रीवास्तव अब सेवा निवृत हो चुके हैं । दिनांक 1·2·95 को उक्त सचिव के विरुद्ध शिकायत बाबत स्मरण पत्र के साथ सन्दर्भित शिकायत की प्रति अवश्य प्राप्त हुई । जिसकी जांच क्षेत्रीय सहायक निदेशक, सीकर से करायी गयी । जांच प्रतिवेदन दिनांक 12.7.96 को निदेशालय को प्राप्त हुआ है । सन्दर्भित शिकायत में अंकित कृषि जिन्सों की आवक का मिलान नगरपालिका उदयपुर वाटी का रिकार्ड वर्षा से खराब हो जाने एवं मण्डी समिति का तत्कालीन चुंगी नाका रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण सम्भव नहीं हो सका है । कुछ फर्मों के रिकार्ड की जांच करने पर शिकायत पत्र में अंकित कुछ प्रविष्टियों का इन्द्राज होना पाया गया, कुछ का नहीं । जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

(राज्य मंत्री, कृषि)

(3) कृषि उपज मण्डी समिति, नवलगढ़ को वर्ष 92–93 में 22·99 लाख रु. की आय हुई जो वर्ष 91–92 की आय 19·73 लाख रुपये से अधिक है। आय अधिक हुई है इसलिये किसी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(4) उक्त सचिव द्वारा सन्दर्भित राशि का निजी उपयोग में किया जाना नहीं पाया गया है। आडिट में मण्डी समिति कर्मचारियों के भविष्य निधि से सम्बन्धित राशि 35,256/– रुपये तत्कालीन कैशियर द्वारा गबन किया जाना पाया गया। गबन की सम्पूर्ण राशि कैशियर से वसूल कर ली गई है। इस हेतु दोषी कैशियर को दिनांक 26·11·94 को निलम्बित कर आरोप पत्र भी जारी कर दिये गए हैं। पर्यवेक्षीय उपेक्षा हेतु सम्बन्धित सचिव के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित है।

ग्राम छतरगढ़ में कृषि उपज मण्डी की स्थापना

566. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम छतरगढ़ में कृषि उपज मण्डी स्थापना हेतु अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(2) कस्बा लूणकरणसर में स्थित कृषि मण्डी में विद्युत् प्रसार, पानी की पाइप लाइन बिछाने, पानी की निकासी हेतु नालियां बनाने ओवर हैड टैंक से पानी सप्लाई, मण्डी की सड़कों की मरम्मत एवं मण्डी की सुरक्षा हेतु दीवार बनाने आदि की सुविधा हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त मण्डी में उपरोक्त कमियों के कारण विकास में बाधा आ रही है ? यदि हां, तो सरकार ये कमियां कब तक दूर करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) छतरगढ़ गौण मण्डी यार्ड की घोषणा अक्टूबर, 89 में होने के पश्चात् इस गौण मण्डी यार्ड के विकास हेतु 19·3·1991 को राजस्थान भू-दान बोर्ड से 80 बीघा भूमि निःशुल्क प्राप्त की जाकर राज्य भूमि विकास बैंक के माध्यम से 213·12 लाख रुपये की परियोजना बनाई जाकर स्वीकृत कराई गई है। तथा परियोजना के तहत स्वीकृत कार्यों के विरुद्ध कृषि विपणन निदेशालय द्वारा वर्ष 96–97 के लिये 113·51 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(2) यह मण्डी यार्ड कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित न होकर मण्डी विकास समिति सिंचित क्षेत्र का है। तथा मण्डी विकास समिति, बीकानेर द्वारा विद्युत मण्डल के माध्यम से विद्युत व्यवस्था कराई जा रही है। निर्मित भवनों/सड़कों पर विद्युत व्यवस्था हो चुकी है। जलदाय विभाग द्वारा माह जून, 96 तक निर्मित दुकानों व गोदामों के आगे पानी की आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछा दी गयी है। पानी के निकासी की वर्तमान में कोई समस्या नहीं है। मण्डी सिंचित विकास क्षेत्र

(राज्य मंत्री, कृषि)

की होने के नाते ग्रोवर हैड टैंक बनवाना मण्डी विकास समिति जलदाय विभाग का कार्य क्षेत्र है। पूर्व स्वीकृत निर्माण कार्यों के लिये वित्तीय प्रावधान के पश्चात् मण्डी के पास वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण सड़कों की मरम्मत नहीं करवाई जा सकी है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर सम्पर्क सड़कों की मरम्मत करा दी जायेगी। सुरक्षा हेतु व्यापारियों की मांग के अनुरूप वर्ष 94–95 में यार्ड चारों तरफ कांटेदार तारों की बाढ़ लगाई जा चुकी है।

(3) जी नहीं। व्यापार सुचारू रूप से चल रहा है।

पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलना

567. **श्री गोपीराम जाट** (ग्रामेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने निर्णय लिया था कि सभी पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोल दिये जायेंगे ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र ग्रामेर में कितने पंचायत मुख्यालयों पर स्कूल नहीं खोले गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस विधान सभा क्षेत्र में नांगल सिरस व भट्टों की गली जैसे कई पंचायत मुख्यालय इस सुविधा से वंचित हैं ? यदि हां, तो कब तक यहां उच्च प्राथमिक विद्यालय खोल दिये जायेंगे ?

(3) क्या सरकार कन्याओं की शिक्षा व्यवस्था हेतु अलग से उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलकर ग्रामीण बालिकाओं को शिक्षा सुलभ कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में गुणावगुण के आधार पर उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। विधान सभा क्षेत्र ग्रामेर में उच्च प्राथमिक स्तर की सुविधा विहीन ग्राम पंचायतों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करने पर उपलब्ध सीमित वित्तीय साधनों के अनुसार राज्य के अन्य प्रस्तावों के साथ विधान सभा क्षेत्र के इन विद्यालयों पर भी गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

(3) जी हां। बालिका शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है किन्तु क्रमोन्नति का आधार अन्य विद्यालयों के सामान निर्धारित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर का रख रखाव

568. **श्री मोहनलाल बारूपाल** (जायल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मोहनलाल बारूपाल)

(1) क्या यह सही है कि सादुंल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर का स्वीमिंग पूल मात्र मरम्मत के अभाव में बेकार पड़ा है ? यदि हां, तो उसे कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्कूल के ट्यूबवेल में विद्युत् कनेक्शन के अभाव में मोटर खराब हो चुकी है ? यदि हां, तो उसे कब तक दुरूस्त कराके चालू करवा दिया जायेगा, यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त स्कूल में आटा चक्की नहीं होने से विद्यार्थियों को घटिया आटा बाजार से खरीदना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्कूल हेतु आटा चक्की की स्वीकृति देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, वित्तीय प्रावधान की उपलब्धता पर मरम्मत कार्य सम्भव होगा।

(2) जी हां, राज्य विद्युत मण्डल द्वारा मांगी गई राशि का वित्तीय प्रावधान होने पर राशि जमा कराकर ट्यूब वैल का संचालन कराया जाना सम्भव होगा।

(3) जी नहीं, बाजार में अच्छा आटा उपलब्ध होता है। आटा चक्की हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध न होने से क्रय नहीं किया है। वित्तीय परिसीमा में राशि उपलब्ध होने पर क्रय की व्यवस्था हो सकेगी।

शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षक महाविद्यालय, जोधपुर के प्राचार्य के कार्यों की जांच

569. श्री अमराराम (धोद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षक महाविद्यालय, जोधपुर के प्राचार्य के गलत कार्यों की जांच करवाई गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्राचार्य श्री एम.एल. भिन्नी के योग्यता प्रमाण पत्रों की भी जांच की गई ? यदि हां, तो उस जांच में क्या पाया गया ?

(3) क्या प्राचार्य की पदोन्नति में वरीयता का उल्लंघन किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) शारीरिक शिक्षा में अधिकारी एवं शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं तथा उनको भरने की क्या प्रक्रिया है ? अब कब तक रिक्त पदों की पूर्ति कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं। योग्यता प्रमाण पत्रों की जांच का कोई संदर्भ/प्रश्न ही नहीं था।

(3) जी नहीं। प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं की गई थी। तदर्थ व्यवस्था की गई थी।

(शिक्षा मंत्री)

शारीरिक शिक्षा के अधिकारियों के 13 उप जिला शिक्षा अधिकारी तथा 1 उप प्रधानाचार्य के पद रिक्त है। शारीरिक शिक्षकों के 53 पद द्वितीय श्रेणी तथा 139 पद तृतीय श्रेणी के रिक्त हैं।

(4) पदोन्नति हेतु प्रत्येक वर्ष मार्च के अन्त में 1 अप्रेल की स्थितिनुसार रिक्त पदों के आधार पर पात्रता सूची वरिष्ठता के आधार पर निर्मित की जाकर सीधी भर्ती/विभागीय चयन समिति के द्वारा चयन किये जाने के पश्चात् पदोन्नति आदेश प्रसारित किये जाते हैं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

जिला अजमेर एवं राजसमन्द के विद्यालयों को अनुदान

570. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अजमेर व राजसमन्द जिले के किस–किस विद्यालय को वर्ष 1995 एवं 1996 में कितनी-कितनी अनुदान राशि स्वीकृत की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

अजमेर व राजसमन्द जिले में वर्ष 94–95 एव 95–96 में अनुदानित विद्यालयों को भुगतान की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

राज्य में साक्षरता कार्यक्रम

571. श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990 से 1996 तक प्रदेश में साक्षरता पर कितना व्यय किया गया ? जिलेवार वार्षिक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में कौन-कौन से जिले पूर्ण साक्षर घोषित किये जा चुके हैं एवं इन पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ?

(3) क्या यह सही है कि साक्षरता का मूल्यांकन केन्द्र सरकार द्वारा भी कराया गया ? यदि हां, तो कब-कब ?

(4) क्या यह भी सही है कि सीकर जिले को भी सम्पूर्ण साक्षर घोषित किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब एवं इस पर कितनी राशि व्यय की गई ? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सीकर जिले को साक्षर करने पर मूल्यांकन किया गया ? यदि हां, तो कब एवं किन-किन गांवों का ?

(6) क्या प्रदेश में साक्षरता कार्यक्रमों में व्यय सामग्री क्रय के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई शिकायतें भी प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई और क्या कार्यवाही शेष है ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में साक्षरता पर किये गये व्यय की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट–अ)

(शिक्षा मंत्री)

(2) जिलों को सम्पुर्ण साक्षर घोषित करने के निर्देश नहीं है। सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की अवधि पूर्ण होने एवं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा नियुक्त संस्था द्वारा मूल्यांकन करने पर उस जिले में उत्तर साक्षरता अभियान क्रियान्वित किया जाता है।

निम्न जिलों में साक्षरता अभियान की अवधि समाप्त होने एवं मूल्यांकन पूर्ण होने के बाद उत्तर साक्षरता अभियान क्रियान्वित किया जा रहा है। अब तक किया गया व्यय निम्नानुसार है :—

	(लाखों में)
अजमेर	258·98
डूंगरपुर	257·51
भरतपुर	215·67
टौंक	122·79
पाली	137·84
सीकर	145·19

(3) जी हां। विभिन्न जिलों में उनके नाम के आगे अंकित माह में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा गठित दल द्वारा मूल्यांकन कराया गया है—

अजमेर	दिसम्बर, 92
डूंगरपुर	जून, 93
भरतपुर	दिसम्बर, 94
टौंक	सितम्बर, 95
पाली	नवम्बर, 95
सीकर	फरवरी, 96

(4) जी नहीं। सीकर जिले में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का मूल्यांकन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के दिशा निर्देशानुसार किया गया है। मूल्यांकन प्रतिवेदन अभी राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

जिले में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के मूल्यांकन के पश्चात् उत्तर साक्षरता अभियान प्रारम्भ किया गया है। इस पर जून, 1996 तक 145·19 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। सीकर जिले की सम्पूर्ण साक्षरता योजना विधानसभा क्षेत्रवार स्वीकृत नहीं होकर सम्पूर्ण जिले की स्वीकृति हुई है। जिले पर व्यय संलग्न सूची के अनुसार किया गया है। (परिशिष्ट–अ)

(5) जी हां। 27 जनवरी, 96 से 8 फरवरी, 96 तक। गांवों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट–ब)

(6) जी हां। सीकर के मामले एक शिकायत मैसर्स हिण्डौन स्लेट इण्डस्ट्रीज एवं अन्य के द्वारा की गई। शिकायत पर जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, सीकर से वस्तु-स्थिति से अवगत करवाने हेतु लिखा गया था। जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, सीकर ने वस्तु स्थिति से अवगत करवाया जो शिकायत निराधार पायी गयी। (वस्तु-स्थिति की "रिपोर्ट" संलग्न है। परिशिष्ट–स)

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

(47)

खण्डेलवाल वैश्य शिक्षा समिति प्रबन्ध समिति के सदस्यों द्वारा किये गये कार्य

572. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) एवं **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्री खण्डेलवाल वैश्य शिक्षा समिति का गठन राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के तहत किया गया है ? यदि हां, तो क्या वर्तमान शिक्षा समिति उक्त नियमों की परिपूर्ति करती है ?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में श्री खण्डेलवाल वैश्य शिक्षा समिति की प्रबन्ध समिति में केवल 5 व्यक्ति हैं, इनमें से तीन सदस्यों ने मिलकर संस्था के अन्तर्गत चलने वाली शिक्षण संस्थाओं में अनियमित नियुक्तियां व गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें की हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनियमितताओं की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त समिति द्वारा पिछले चार वर्षों में बिना निविदायें आमंत्रित किये सामान की खरीद की गई है ? यदि हां, तो किस-किस सामान की व कितने रुपयों की ?

(4) क्या सरकार को श्री खण्डेलवाल वैश्य बालिका सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल में की गई अनियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो तत्संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? शिकायतों की प्रति एवं तत्संदर्भ में की गई कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) संस्थाओं में अनियमितताओं सम्बन्धी प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(3) सामान क्रय हेतु कोई अनुदान राशि आवंटित नहीं की जाती है। संस्था स्वयं के संसाधनों से उनकी आवश्यकतानुसार सामान क्रय करती है।

(4) जी हां। नियुक्तियों के प्रस्तावों का परीक्षण करने पर कोई अनियमितताएँ नहीं पाई गई है। प्राप्त शिकायत व शिक्षा उप निदेशक (पुरुष) जयपुर संभाग, जयपुर की रिपोर्ट (परिशिष्ट "अ" व "ब") संलग्न है।

(रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला राजसमन्द के विद्यालयों में उर्दू विषय

573. **श्री शांतिलाल खोईवाल** (राजसमन्द) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार की मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में संचालित सीनियर सैकण्डरी स्कूल्स,

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

कांकरोली, राजनगर, रेलमगरा कुंआरिया एवं कुरज में उर्दू तालिम को प्रोत्साहित करने के लिए उर्दू विषय, पढ़ाने की व्यवस्था किये जाने की योजना है ? यदि हां, तो क्या उक्त विषय इसी सत्र से प्रारम्भ कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

वर्तमान में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में संचालित सीनियर माध्यमिक विद्यालय में राजसमन्द के विद्यालयों में केवल राजनगर सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में ही उर्दू विषय पढ़ाया जा रहा है।

राज्य में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मांग के आधार पर निर्धारित संख्या में विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या होने पर अतिरिक्त विषय खोले जाते हैं। प्रश्नोलिखित कांकरोली, कुआरिया, कुरज एवं रेलमगरा विद्यालयों में निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति तथा भाषा विषय की आवश्यकतानुरूप वित्तीय प्रावधानों के उपलब्ध होने पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर द्वारा किये गये स्थानान्तरण प्रकरण

574. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (महिला) जोधपुर द्वारा इस सत्र में कितने स्थानान्तरण रुग्णता के आधार पर एवं कितने शिकायत के तथा कितने परीक्षा परिणाम खराब होने और कितने लोंगर स्टे के कारण किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) जिला शिक्षा अधिकारी (पुरुष) जोधपुर द्वारा इस सत्र में कितने स्थानांतरण आदेश रुग्णता के आधार पर, कितने परीक्षा परिणाम खराब रहने और कितने लोंगर स्टे के आधार पर किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) जोधपुर द्वारा एक भी स्थानान्तरण नहीं किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी के अधिनस्थ विद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण उप निदेशक (महिला) के द्वारा किये गये । जिनकी संख्या 30 है तथा सभी स्थानान्तरण अधिकतम ठहराव के आधार पर किये गये हैं।

(2) जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) जोधपुर के द्वारा 48 स्थानान्तरण किये गये हैं, तथा सभी स्थानान्तरण अधिकतम ठहराव के आधार पर किये गये हैं। सूची सदन की पटल पर रख दी गई है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, अजमेर के प्रधानाचार्य द्वारा की गई अनियमितता प्रकरण

575. श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री किशन मोटवानी)

(1) क्या यह सही है कि राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय (अल्प भाषायी) अजमेर के प्रधानाचार्य द्वारा वर्ष 1993-94 में पंजाबी भाषा छात्रों की प्रवेश सूची तैयार करने में अनियमितताएं बरतने के कारण ही न्यायालय ने दुबारा वरीयता प्रवेश सूची बनवाई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अनियमितता के कारण ही न्यायिक प्रकरण तैयार हुये ? यदि हां, तो कितने ?

(3) क्या यह भी सही है कि न्यायालय ने छात्र हित में निर्णय दिये ? यदि हां, तो उक्त अनियमितताओं के कारण सरकार को कितनी वित्तीय हानि हुई व सरकार ने इस बाबत क्या कार्यवाही की ? कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय (अल्प भाषा) अजमेर के द्वारा 93–94 में पंजाबी भाषा में प्रवेश हेतु निर्मित वरियता सूची संशोधित प्रवेश नियम के तहत निर्मित होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व के नियमों के तहत प्रवेश सूची निर्मित कर प्रवेश देने हेतु पाबन्द किया गया था।

(2) भाग संख्या 1 में उल्लेखित कारणों से 5 न्यायिक वाद बने।

(3) किस प्रकार की अनियमितता नहीं हुई, न ही वित्तीय हानि हुई। किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

जिला नागौर के विद्युत केन्द्रों पर तकनीकी कर्मियों के रिक्त पद

576. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर के 33 के. वी. एवं 11 के. वी. सब स्टेशन तथा 33 के. वी. एवं 11 के. वी. व एल. टी. लाइनों की देखभाल, रखरखाव, मरम्मत एवं विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चलाने हेतु कुल कितने तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता है ? जिले में वर्तमान में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों की संख्या कुल कितनी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में जिला नागौर में कुल कितने 33/11 के. वी. सब स्टेशन कार्यरत हैं ? विवरण तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में तकनीकी कर्मचारियों की कमी है ? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों की ? क्या सरकार तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला नागौर में 33 के. वी. 11 के. वी. व एल. टी. लाइनों व सब-स्टेशनों के रख-रखाव एवं विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से क्षेत्र के उपभोक्ताओं को जारी रखने हेतु स्वीकृत पदों से कुछ कम तकनीकी

(ऊर्जा मंत्री)

कर्मचारी कार्यरत हैं। लेकिन इस कमी की आवश्यकतानुसार ठेके पर कार्य करवाकर पूरा कर लिया जाता है। वर्तमान में अधीक्षक अभियन्ता, नागौर वृत व उप खण्ड लाडनूं में 1274 तकनीकी कर्मचारी कार्यरत हैं।

(2) वर्तमान में जिला नागौर में 33/11 के. वी. के 87 सब-स्टेशन प्रतिस्थापित हैं। तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्र. सं.	तहसील का नाम	33/11 के.वी. जी. एस. एस. की संख्या
1.	नागौर	17
2.	मेड़ता	21
3.	डीडवाना	7
4.	नावां	11
5.	परबतसर	13
6.	जायल	6
7.	डेगाना	8
8.	लाडनूं	4

(3) विद्युत मण्डल में आम तौर पर तकनीकी कर्मचारियों की कमी नहीं है। यदि किन्हीं स्थानों पर कमी है तो कहीं आधिक्य हैं। कमी वाले स्थानों पर शनैः शनैः आधिक्य वाले स्थानों से री-सर्पलिंग कर आवश्यकता की पूर्ति किये जाने का प्रयास किये जाते हैं। मण्डल की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण नई भर्ती पर रोक लगी हुई है।

अलवर शहर में बिजली के खम्भे गिरने से घटित दुर्घटना प्रकरण

577. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पिछले दो वर्षों में अलवर शहर में लगाये गये विद्युत के खम्भे मजबूती से न लगाये जाने एवं घटिया किस्म के होने के कारण लोगों पर गिर जाने के कारण असामयिक मृत्यु की या स्थायी रूप से विकलांग होने की शिकायतें सरकार एवं मण्डल प्रशासन को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो ये शिकायतें कब-कब प्राप्त हुई और प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह सही है कि बिजली के खम्भों के गिर जाने पर दुर्घटना ग्रस्त बालकों/व्यक्तियों के परिवारजनों को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी राशि के मुआवजे का चुकारा किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या मण्डल प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई, यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं, अलवर शहर में पिछले दो वर्षों में इस प्रकार की कोई शिकायत

(ऊर्जा मन्त्री)

विभाग को प्राप्त नहीं हुई। अतः शिकायतों पर कोई कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) जी नहीं, विद्युत विभाग के खम्भे गिरने से किसी प्रकार की दुर्घटना की सूचना नहीं है। अतः मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) विद्युत विभाग के खम्भे गिर जाने की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

पंचायत समिति अन्ता (बारां) एवं ग्राम छापोल (कोटा) का विद्युतीकरण

578. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति इटावा के ग्राम छापोल, जिला कोटा व पंचायत समिति अन्ता, जिला बारां के ग्राम बालापुरा को विद्युतीकरण किये जाने वाले गांवों की सूची में शामिल किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि बाद में ग्राम छापोल व ग्राम तालापुरा को इस सूची से हटा दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) उक्त दोनों गांव को अब कब तक पुनः विद्युतीकृत घोषित कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति इटावा के ग्राम छापोल, जिला कोटा पंचायत समिति अन्ता, जिला बारां के ग्राम बालापुरा का वर्ष 1990-91 व 1992-93 के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित किया गया था।

(2) वर्ष 1990-91 में प्रस्तावित ग्राम छापोल में संसाधनों के अभाव के कारण कार्य नहीं किया जा सका व बाद के वर्षों में ग्रामी विद्युतीकरण नीति में परिवर्तन के कारण इसे कार्यक्रम में सम्मिलित करना सम्भव नहीं हो पाया।

पंचायत समिति अन्ता, जिला बारां का ग्राम बालापुरा (आबाद) वर्ष 1993-94 के कार्यक्रम में शामिल किया जाकर माह फरवरी, 1994 में विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है। लेकिन विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया गया है। इस ग्राम में विद्युत हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। आवेदन प्राप्त होने पर लाइन का कार्य पूर्ण कर कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) उक्त दोनों गांवों में शेष रहे ग्राम छापोल का विद्युतीकरण आगामी वर्षों में निर्धारित विद्युतीकरण की नीति, आवंटित लक्ष्यों तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के अनुरूप किया जाना सम्भव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र लाडनूं के लम्बित नर्सरी कनेक्शन

579. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हरजीराम बुरडक)

(1) विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा 1 अप्रेल, 1995 से 31 मई, 1996 तक नर्सरी के कृषि कनेक्शनों के लिये कृषकों से कितनी राशि वसूल की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त अवधि में उपरोक्त कनेक्शन लगाने के लिये कितनी-कितनी राशि, किस-किस मद से खर्च की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में रा.रा.वि.मं. द्वारा निम्न विवरणानुसार नर्सरी कनेक्शन के लिए कृषकों से राशि वसूल की गई :–

वर्ष 1995-96	रुपये	34,36,391
वर्ष 1996-97 (31 मई, 96 तक)	रुपये	8,35,008
	कुल	42,71,399

(2) उपरोक्त अवधि में उपरोक्त कनेक्शन लगाने में खर्च की गई राशि का वर्षवार व मदवार विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	मद		
	लाइन कार्य		सब स्टेशन कार्य
	11 के.वी.	एल. टी	
1995-96	30 54 लाख	2.06 लाख	45.59 लाख
1996-97 (31 मई, 96 तक)	2.85 लाख	0.96 लाख	4.98 लाख
कुल	33.39 लाख	3.02 लाख	50.57 लाख
		= 86.98 लाख रु. मण्डल द्वारा कुल व्यय	

इस प्रकार राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा नर्सरी कनेक्शन पर प्राप्त आय के मुकाबले 100% से भी अधिक अतिरिक्त व्यय किया जाता है।

ग्राम पंचायत तिसाया (बारां) का विद्युत कनेक्शन प्रकरण

580. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(53)

(श्री रामनारायण मीणा)

(1) क्या यह सही है कि सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा पत्रांक आर.एस.ई.बी.डी एस. जी. एस–2/एस–18 (3) 1686 दिनांक 16 सितम्बर, 1995 सरपंच ग्राम पंचायत तिसाया (बारां) को लिखकर रामपुरिया केनाल से 4 पोल लगाने हेतु डिमाण्ड राशि जमा करवाई जाकर अधिशासी अभियन्ता (ओ. एण्ड एम) अन्ता को कार्य हाथ में लेने के लिए सूचित किया गया था ? यदि हां, तो इस बाबत अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) उक्त पत्र की पालना में अब डिमाण्ड नोट जारी करके राशि कब तक जमा करवाकर कार्यपूर्ण करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने अपने पत्र क्रमांक 1686 दिनांक 16.9.95 के तहत ग्राम पंचायत तिसाया, ज़िला बारां में ग्राम रामपुरिया से केनाल तक 3 पोल का तखमीना 3 घरेलू श्रेणी के आवेदकों के कनेक्शनों हेतु मांग पत्र जारी कर, इसके पश्चात मन्दिर को कनेक्शन दिये जाने हेतु एक पोल का तखमीना बनाकर मांग पत्र दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन मन्दिर पूर्व जिन 3 घरेलू श्रेणी के आवेदकों को मांग पत्र जारी किया गया था, उनके द्वारा मांग पत्र की राशि जमा नहीं कराने के कारण उनकी पत्रावलियां निरस्त करदी गई हैं। अतः एक पोल से मन्दिर का तखमीना बनाकर मांग पत्र जारी किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

(2 व 3) घरेलू श्रेणी के आवेदकों द्वारा मांग पत्र की राशि जमा नहीं करवाने के कारण उनके आवेदन निरस्त कर दिये गये। अतः इसके बाद मन्दिर को मांग पत्र जारी किया जाना सम्भव नहीं हो सका। अतः कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 581
(स्थगित)

ग्राम शिव (नागौर) का प्रस्तावित स्टेशन

582. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम शिव, हसील नावां, जिला नागौर में एक नया 33 के. वी. ग्रिड स्टेशन लगाने की योजना है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या सरकार इस क्षेत्र के गांवों की विद्युत समस्या के समाधान करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में इस कार्य को पूर्ण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम शिव में एक नया 33 के. वी. सब स्टेशन बनाने की योजना है तथा इसकी तकनीकी स्वीकृति माह अक्टूबर, 1994 में प्रदान कर दी गई थी।

(2) जी हां, इस कार्य को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करने के विचार से इसे वर्ष

(ऊर्जा मंत्री)

1996-97 के फेजूड प्रोग्राम में सम्मिलित किया जा रहा है।

ग्राम इन्दावा (लालसोट) में कृषि कनेक्शन

583. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दौसा जिले की पंचायत समिति लालसोट के ग्राम इन्दावा में कृषि कनेक्शन के डिमान्ड नोटिस की राशि वर्ष 1992 में जमा होने के बाद भी आज तक कृषि कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो जिन किसानों के डिमान्ड नोटिस की राशि जमा है, उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्राम के किसानों को अब तक कृषि कनेक्शन नहीं देने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम के किसानों को शीघ्र कृषि कनेक्शन नहीं देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति लालसोट के ग्राम इन्दावा के 9 कृषि आवेदकों द्वारा मांग पत्र की राशि वर्ष 1992 से जमा हैं, उनको कनेक्शन नहीं दिये जा सके। सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) उक्त ग्राम के 8 आवेदकों द्वारा लाइन का कार्य करते समय कुओं के खसरा नम्बर परिवर्तित करने हेतु आवेदन दिये जाने के कारण पूर्व प्रार्थित कुओं पर कनेक्शन लेने से इंकार कर दिये जाने तथा एक आवेदक का आपसी विवाद होने के कारण कनेक्शन नहीं दिये जा सकें।

(3) उक्त आवेदकों को कनेक्शन दिये जाने हेतु आवेदकों से खसरे के मालिकाना हक मांगे गये हैं तथा नये प्रस्तावित कुओं पर कनेक्शन दिये जाने हेतु तखमीना बनाने हेतु सर्वे प्रक्रिया जारी हैं। कनेक्शन वांछित कार्यवाही पूर्ण होने पर दिये जाना संभव हो सकेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–14 देखें)

श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों की सहकारी औद्योगिक इकाइयां

584. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों में सहकारी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां, कौन-कौनसी, कितनी-कितनी उत्पादन क्षमता की और कितनी-कितनी लागत की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सभी इकाइयों का विगत 3 वर्षों का लाभ हानि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामपाल उपाध्याय)

(3) क्या इन इकाइयों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितनी राशि व क्षमता की, यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त सभी इकाइयों की पृथक्-पृथक् संख्या, सदस्य संख्या, दिए जाने वाले बोनस व अन्य लाभ का गत तीन वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां, विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है ।

(2) विवरण परिशिष्ट–1 के कालम संख्या–6, 7 व 8 पर अंकित है ।

(3) जी नहीं ।

(4) काटन काम्प्लेक्स श्रीगंगानगर के अलावा कोई भी इकाई अपने आप में स्वतंत्र समिति नहीं है । अतः इन सभी इकाइयों की कोई सदस्य संख्या नहीं है और इन इकाइयों द्वारा बोनस/लाभ वितरण किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । कॉटन काम्प्लेक्स की 3429 व्यक्तिगत एवं 182 समितियां सदस्य हैं । कॉटन कॉम्प्लेक्स द्वारा गत तीन वर्षों में कोई बोनस या लाभ वितरण नहीं किया गया है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

जयपुर की सहकारी समितियों द्वारा जारी पट्टे

585. श्री बाबू लाल वर्मा (डग) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अपोलोनगर हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी, रामजीपुरा हाऊसिंग को-आपरेटिव सोसायटी, तथा जय जवान गृह निर्माण सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन कब हुआ ?

(2) उक्त तीनों सोसायटियों द्वारा जयपुर में क्या कोई आवासीय कालोनी बनाने हेतु पट्टे जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो उन कालोनियों का नाम, कुल वितरित किये गये पट्टों की संख्या मय क्षेत्रफल के विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त आवासीय कालोनियों के पट्टे सांगानेर तहसील की कृषि भूमि में किस खसरा नम्बर पर कितनी भूमि के काटे गये हैं ?

उत्तर

(1) अपोलोनगर हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी, रामजीपुरा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटी तथा जय जवान गृह निर्माण सहकारी समिति लि० का पंजीयन क्रमशः दिनांक 7.2.70, 13.5.66 एवं 1.1.69 को हुआ ।

(2) समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार अपोलो नगर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटी लि०, जयपुर तथा रामजीपुरा

(सहकारिता मंत्री)

कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि०, जयपुर द्वारा जयपुर में आवासीय कॉलोनी बनाने हेतु पट्टे जारी किये गये हैं। इन दोनों समितियों की आवासीय कालोनियों के नाम, कुल वितरित किये गये पट्टों की संख्या एवं क्षेत्रफल का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है। जयजवान गृह निर्माण सहकारी समिति में प्रशासक नियुक्त है जिन्हें समिति के पूर्व पदाधिकारियों से सम्बन्धित रेकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। रिकार्ड प्राप्त होने पर ही इस समिति से सम्बन्धित उत्तर दिया जाना सम्भव होगा।

(3) समितियों से प्राप्त सूचना के अनुसार अपोलोनगर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटी लि०, जयपुर तथा रामजीपुरा हाऊसिंग कोऑपरेटिव सोसायटी लि०, जयपुर द्वारा सांगानेर तहसील की कृषि भूमि पर काटी गई कालोनियों के पट्टों का विवरण परिशिष्ट–2 पर उपलब्ध है। जयजवान गृह निर्माण सहकारी समिति लि०, जयपुर में प्रशासक नियुक्त है जिन्हें समिति के पूर्व पदाधिकारियों से संबंधित रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। रिकार्ड प्राप्त होने पर ही इस समिति से संबंधित उत्तर दिया जाना सम्भव होगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

दी अरबन को-ऑपरेटिव बैंक, जयपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति

586. श्री बाबू लाल वर्मा (डग) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि 10 जुलाई, 1990 को राजस्थान पत्रिका में दी-अरबन को-ऑपरेटिव बैंक, जयपुर द्वारा खसरा नं. 2/229 एवं 2/230 ग्राम रामजीपुरा, तहसील सांगानेर के सम्बन्ध में कोई विज्ञप्ति जारी की गई थी ? यदि हां, तो यह विज्ञप्ति किस फर्म के ऋण खाते के सम्बन्ध में जारी की गई थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस जमीन को कुर्क करने की कार्यवाही ऋण की वसूली करने के लिए की गई थी ? यदि हां, तो बैंक ऋण की कितनी राशि की वसूली की गई ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह विज्ञप्ति फर्म न्यू इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के ऋण खाते के संबंध में थी। वर्णित भूमि बकाया राशि के पेटे राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 120 के अन्तर्गत 20-4-83 को कुर्क की गई थी व बाद में 13-7-85 को सुरक्षा हेतु यह भूमि श्री एस.एल. गर्ग पुत्र श्री ईश्वरलाल गर्ग, केसरकोठी, लालबहादुर नगर, जवाहरलाल मार्ग, जयपुर की सुपुर्दगी में दी गई थी। अतिक्रमण की सूचना मिलने पर यह भूमि श्री गर्ग की सुपुर्दगी से हटाकर यह सार्वजनिक सूचना आम जनता विशेष तौर पर अतिक्रमियों को चेतावनी देने हेतु प्रकाशित की गई थी।

(2) जी, हां। कुर्की के बाद फर्म से राशि रु. 4,06,662.16/– वसूल की गई।

अरबन को-आपरेटिव बैंक, जयपुर द्वारा स्वीकृत ऋण

587. **श्री बाबूलाल वर्मा** (डग) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि दी अरबन को-ऑपरेटिव बैंक, जयपुर द्वारा न्यू इण्डिया इण्डस्ट्रीज कम्पनी को उद्योग लगाने हेतु ऋण दिया गया था? यदि हां, तो ऋण की स्वीकृति दिनांक, राशि एवं ऋण प्रदान करने की समस्त शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस फर्म को ऋण प्रदान करने के अन्तर्गत सम्पार्श्विक प्रतिभूति बंधक के रूप में ली गई थी? यदि हां, तो प्रतिभूति का प्रकार, उसका बाजार मूल्य एवं भौगोलिक स्थिति की जानकारी का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में उक्त फर्म ऋण खाते की नवीनतम स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। इस नाम की फर्म को बैंक द्वारा कोई ऋण प्रदान नहीं किया गया।

(2) भाग–1 के संदर्भ में उत्तर अपेक्षित नहीं है।

(3) भाग–1 से संदर्भ में उत्तर अपेक्षित नहीं हैं।

पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन की ग्राम पंचायतों द्वारा जारी पट्टे

588. **श्री खंगार सिंह चौधरी** (खारची) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भूमिहीनों को गांवों में निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटित किये जाते हैं? यदि हां, तो यह प्रति कब से लागू की गई?

(2) पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन व तहसील मारवाड़ जंक्शन में ग्राम देवली बातां, आऊवा, मारवाड़ जंक्शन, खारची, कराडी पंचायतों में वर्षवार, कौन से खसरा नम्बरान में किन-किन व्यक्तियों को निःशुल्क आवासीय भूखण्ड कितने नाप के आवंटित किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पूर्व आवंटित भूखण्ड के पट्टों को निरस्त कर दूसरे व्यक्तियों को पट्टे बनाकर दिये गये? क्या प्रशासक व सरपंच द्वारा कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई? पंचायत द्वारा कितने पट्टे निरस्त कर दूसरों को दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 267 (2) (क) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ी जातियों, ग्रामीण शिल्पियों और

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज)

भूमिहीन श्रमिकों, जिनके पास स्वयं के गृह स्थल नहीं है तथा उन बाढ़ पीड़ितों को भी, जिनके गृह बह गये हैं, को 150 वर्गगज तक के भूखण्ड निःशुल्क आबंटन करने का प्रावधान है।

(2) पंचायत समिति, मारवाड़ जक्शन व तहसील मारवाड़ जक्शन में ग्राम देवली, बातां, आऊवा, मारवाड़ जक्शन खारची पंचायतों में वर्षवार जिन-जिन व्यक्तियों को निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आबंटित किये गये है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) यह सही है ग्राम पंचायत देवली द्वारा प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 3-1-83 एवं प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 1-2-88 द्वारा 10 प्लाटों को निरस्त किया गया है। पंचायत देवली द्वारा 10 प्लाटों पर किसी का कब्जा नहीं होने से पंचायत द्वारा पंचों की रिपोर्ट पर पूर्व पट्टों को निरस्त कर, जल प्रदाय योजना एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति को दिये गये हैं किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया गया है। निरस्त किये गये पट्टों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सरपंच, ग्राम पंचायत थाना (बूंदी) के विरुद्ध प्राप्त शिकायत

589. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1994 की धारा 19(8) के अन्तर्गत दो संतान से अधिक संतान होने की सूरत में सरपंच या पंच अपने पद पर नहीं बना रह सकता ?

(2) क्या यह सही है कि बूंदी जिले की ग्राम पंचायत "थाना" की सरपंच श्रीमती लक्ष्मी बाई निर्वाचित हुई थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्रीमती लक्ष्मी बाई के सरपंच निर्वाचित होने के समय दो पुत्र और एक पुत्री मौजूद थी ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार को ग्रामवासियों से इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त हुई है, कि श्रीमती लक्ष्मी बाई ने 6 फरवरी, 1996 को चौथे पुत्र को जन्म दिया है, जिसके कारण अब वे सरपंच के पद पर नहीं बनी रह सकती ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19(8) के अनुसार दिनांक 27-11-95 के बाद दो से अधिक सन्तान पैदा होने की स्थिति में पंचायती राज संस्था में निर्वाचित जन प्रतिनिधि अनर्हता की श्रेणी में आ जाता

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

है। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम की धारा 39(2) के अन्तर्गत उसको सुनवाई का मौका देकर पंचायत की सदस्यता से अपात्र घोषित किये जाने का प्रावधान है।

(2) जी हां।

(3) ग्राम पंचायत थाना जिला बून्दी में संधारित जन्म मृत्यु पंजीयन रिकार्ड के अनुसार श्रीमती लक्ष्मीबाई मीणा, सरपंच पंचायत थाना के दिनांक 27-11-95 (छूट दिनांक) से पूर्व 2 पुत्र तथा एक पुत्री होना तथा दिनांक 6-2-95 को एक पुत्र और होना बताया है।

(4) जी हां। श्री कैलाश चन्द गुप्ता, वकील, बून्दी द्वारा इस आशय की शिकायत राज्य सरकार को दिनांक 6-2-95 को प्रेषित की गई थी, जिस पर विभागीय पत्र दिनांक 27-5-96 के द्वारा मुख्य कार्यकारी, अधिकार जिला परिषद बून्दी, को पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 39(2) के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी होने के कारण सरपंच पंचायत थाना के विरुद्ध जांच कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये है। आगामी वैधानिक कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बून्दी के स्तर पर विचाराधीन है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, नागौर द्वारा की गई यात्रा प्रकरण

590-श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला परिषद्, नागौर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दिनांक 1 अप्रेल, 1995 से मई, 1996 तक कहां-कहां की यात्राएं किस-किस कार्य के लिये की? सरकारी या जिला परिषद् की गाड़ी से की गई यात्राओं का विवरण लॉग बुक की प्रतियों सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त अवधि में कितना-कितना, कब-कब यात्रा भत्ता उठाया गया? यात्रा भत्ता उठाने के बिलों की प्रतियों सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त यात्राओं में कौन-कौन सी यात्राएं ऐसी हैं जिनमें जिला परिषद् का कार्य नहीं था और अन्य कार्य के लिये यात्राएं की गई? इन यात्राओं में कौन से वाहन का प्रयोग किया गया एवं यात्रा भत्ता कहां से उठाया गया? किये गये कार्य के विवरण सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त अवधि में यात्रा भत्ता निम्न प्रकार उठाया गया :–

1. श्री सी. एम. काला (मु.का.अ.)

माह	राशि	भुगतान तिथि
अप्रेल, 1995	1066.00	30.5.95
मई, जून, 1995	1537.00	30.6.95

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

जुलाई, 1995	912.00	22.8.95
अगस्त, 1995	140.00	16.10.95

2. श्री गोविन्दराम बगड़िया(मु.का.अ.)

11.8.95 से 30.8.95 रु. 1050.00

(नगरपालिका कुचेरा से भुगतान प्राप्त किया)

22.8.95, 31.8.95 से 28.3.96 तक रुपये 5960.00 भुगतान दिनांक 25.4.96 को प्राप्त किया। यात्रा भत्ता आहरण बिलों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(3) उक्त अवधि में की गई यात्राओं में दिनांक 11.8.95, 12.8.95, 16.8.95 से 20.8.95 एवं 23.8.95 से 30.8.95 तक की यात्राएं कुचेरा नगरपालिका चुनाव से सबंधित कार्य के लिए जिला पूल की जीप सं. आर. जे–14/3193 एवं जिला परिषद् के वाहन सं. आर. जे–21/0794 तथा आर एस. ए.–5050 द्वारा की गई हैं। उक्त यात्राओं का यात्रा भत्ता रुपये 1050.00 चुनाव मद नगरपालिका से उठाया गया। अन्य समस्त यात्रायें जिला परिषद, कार्य, पल्स पोलियो, आई. सी. डी. एस. साक्षरता आदि कार्यों से की गई। इन यात्राओं का यात्रा भत्ता जिला परिषद, नागौर से प्राप्त किया गया।

जिला परिषद् एवं पंचायत समिति के सदस्यों को अधिकार

59/ **श्री रामप्रताप कासनियां** (पीलीबंगा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सदस्य को जन हित में किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र देने, विद्यालयों में प्रवेश के लिए कोई प्रमाण-पत्र प्रमाणित करने का अब तक नियमों में यह सही है कि प्रावधान नहीं है? क्या यह सही कि सरपंच के पद से इनका चुनाव क्षेत्र, पद सभी प्रकार से ऊपर हैं। यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था इन जन प्रतिनिधियों के लिये भी जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार अलग से कमेटी गठित कर पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्यों के साथ सामान्य सुविधा प्रदान करने का विचार कर रही है?

उत्तर

(1) यह सही है कि पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के सदस्य को किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र देने, अथवा प्रमाणित करने का कोई प्रावधान पंचायती राज अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत प्रचलित नियमों में नहीं है। जिला परिषद् अथवा पंचायत समिति के सदस्य की तुलना में

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

सरपंच पंचायत का अध्यक्ष होता है। प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु अधिकृत किये जाने का कोई प्रकरण वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के सदस्यों को सामान्य सुविधा प्रदान करने के लिए अलग से कमेटी गठित करने का कोई प्रकरण वर्तमान में सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पंचायती राज अधिनियम के तहत निर्मित नियम

592. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार ने कुछ नियम बनाये है ? यदि हां, तो किन-किन धाराओं में वांछित नियम बनाये हैं और शेष धाराओं में वांछित नियम कब तक बना दिये जायेंगे ? बनाये गये नियमों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 17(5) एवं 102 के अन्तर्गत पंचायती राज निर्वाचन नियम बनाये जाकर राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव माह जनवरी, 1995 में कराये जा चुके हैं। नवीन पंचायती राज नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया गया था परन्तु इसी दौरान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने व विधान सभा में मार्च, 96 में रखी गई आयोग की रिपोर्ट के सुझावानुसार प्रत्येक स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं हेतु एक ही प्रकार के नियम बनाये जाने व अन्य प्रावधानों सम्बन्धी सिफारिशें की गई हैं। तदनुरूप नये परिप्रेक्ष में नियमों के प्रारूप को राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार परिवर्तित किये जाने हेतु विधायकों, प्रधानों, सरपंचों, अधिकारियों से विस्तार से विचार विमर्श किया गया है। जन प्रतिनिधियों के सुझावों को मद्येनजर आवश्यक संशोधन कर नियमों को अन्तिम रूप दिये जाने की कार्यवाही चालू है।

पंचायत समिति श्रीमाधोपुर की ग्राम पंचायतों के विकास काय

593. **श्री भरत सिंह** (खानपुर) एवं **श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर की ग्राम पंचायतों का वर्ष 1995-96 एव 1996-1997 का आय व्यय का विवरण पचायतवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में किस योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से विकास कार्य कितनी-कितनी राशि के किस स्तर से स्वीकृत किये गये ? पंचायत वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भरत सिंह)

(3) इन विकास कार्यों में कौन-कौन से कार्य पूरे हो चुके हैं और कौन-कौन से अधूरे रहे, जो कब तक पूरे हो जायेंगे ?

(4) क्या यह सही है कि विकास कार्यों की स्वीकृति में समस्त पंचायतों को सामाना का आबंटन नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति श्री माधोपुर की समस्त ग्राम पंचायतों की वर्ष 1995–96 एवं 1996–97 की आय व्यय का विवरण पंचायतवार संलग्न परिशिष्ट "अ" पर है।

(2) उक्त अवधि में योजनावार, ग्राम पंचायतवार स्वीकृत कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" एवं "स"

विकास योजना का नाम	स्वीकृत कार्य		स्वीकृति किस स्तर पर जारी की गई
	95-96	**96-97**	
1. जवाहर रोजगार योजना	62	8	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सीकर से वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन के बाद पंचायत समिति द्वारा
2. सुनिश्चित रोजगार योजना	4	—	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सीकर द्वारा स्वीकृति जारी की गई।
3. 20 प्रतिशत राशि मद	1	—	"
4. तीस जिला तीस काम योजना	2	1	"
5. अपना गांव अपना काम योजना	9	1	"
6. निर्बन्ध राशि मद	2	—	"

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

(3) उक्त विकास कार्यों में से पूर्ण कार्यों का विवरण परिशिष्ट "ब" का कालम संख्या 7 पर दर्ज है। तथा अधूरे रहे कार्यों का विवरण कालम संख्या 8 पर दर्ज है। तथा अधूरे रहे कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "स" में दर्ज कालम संख्या 9 पर दर्ज है। अधूरे कार्य 30 जून, 96 को पूर्ण हो चुके हैं।

(4) विकास कार्यों की स्वीकृति में पंचायतों को जवाहर रोजगार योजना में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से सीधी ही राशि भिजवाई जाती है। तथा अन्य विकास योजनाओं की स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सीकर द्वारा जारी की जाती हैं तथा राशि का आबटन स्वीकृति के अनुसार ही किया जाता है संलग्न सूची पंचायत एवं वर्गवार परिशिष्ट "द"

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पर्यटन के प्रचार-प्रसार हेतु व्यय

594. श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1995-96 में सरकार द्वारा पर्यटन विकास हेतु प्रचार-प्रसार पर कितना बजट प्रावधान किया गया था ? उक्त बजट में से कितनी राशि किस-किस प्रकार किन-किन मदों पर व्यय की गई तथा उक्त कार्य हेतु क्या-क्या प्रकाशन कराये गये ? प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1995-96 में राज्य योजनान्तर्गत प्रचार-प्रसार मद में रु. 236.60 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत किया गया था। जिसके व्यय का मदवार विवरण निम्न प्रकार है :—

(राशि लाखों में)

1. पर्यटन साहित्य मुद्रण—	90.63
2. विज्ञापन	112.71
3. फिल्म व ऑडियो विजुअल	6.39
4. विभागीय अतिथि	5.37
5. कांफ्रेंस एवं सेमिनार	1.15
6. प्रदर्शनी	3.61
7. सोविनियर कप	5.45
8. पुस्तक पत्रिकाएं	2.29
9. अतिथि मेगजीन	5.89
10. अन्तरराष्ट्रीय कांफ्रेंस एवं सेमिनार	1.55
कुल व्यय	234.54

पर्यटन साहित्य मुद्रण के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में निम्न साहित्य प्रकाशित किया है :—

1. कलरफुल राजस्थान बोसर (अंग्रेजी भाषा)
2. कलरफुल राजस्थान (जर्मन भाषा)
3. जयपुर बोसर
4. पोस्टर 13 प्रकार के
5. डेजर्ट ट्राइगल बोसर (अंग्रेजी)

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

6. डेजर्ट ट्राईगल जर्मन (भाषा)

7. डिस्कवर राजस्थान बोसर

8. हाथी समारोह फोल्डर

9. गणगौर समारोह फोल्डर

10. हेरीटेज होटल बोसर

11. वॉल कलैण्डर-96

12. डायरी-96

कोटा थर्मल पावर से प्रदूषण

595. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या पर्यावरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा थर्मल पावर स्टेशन से निर्गमित उत्पादित फ्लाई एस. (राख) के उपयोग हेतु सरकार की क्या योजना है ? वर्तमान में प्रतिदिन इस राख का कितना उत्पादन होता है एवं निस्तारण हेतु सरकार प्रदूषण की इस भयंकर समस्या के रोकथाम की क्या व्यवस्था कर रही हैं ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 6 दिसम्बर, 1995 को पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में फ्लाई एस. उद्योग स्थापन हेतु बैठक रखी गई थी ? यदि हां, तो उसके कार्यवाही वृत्तान्त की प्रति व उसके बाद हुई प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में फ्लाई एस. आधारित किन-किन परियोजनाओं की स्वीकृति/प्रस्ताव कब से लम्बित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा थर्मल पावर स्टेशन से निर्गमित उत्पादित फलाई एस (राख) के उपयोग हेतु सरकार की ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित करने की योजना है। जिसमें इस राख का कच्चे माल के रूप में उपयोग होकर ईंट आदि बन सके। इस हेतु कोटा थर्मल के नजदीक ही वन विभाग के खाते की ग्राम सकतपुरा के खसरा नं. 267 की 44.69 हैक्टेयर भूमि को उद्योगों हेतु रीको को आवंटित किये जाने की कार्यवाही जिसमें कार्यालय में चल रही है, जिसमें वन विभाग से अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने पर भूमि रीको को आबंटित की जायेगी एवं रीको द्वारा फलाई एस. से ईंटें बनाने के उद्योगों को भूमि आबंटित की जायेगी।

वर्तमान में प्रतिदिन फलाई एश (राख) का लगभग 3500 टन उत्पादन होता है। वर्तमान में इस राख के निस्तारण हेतु राख को पानी में घोल बनाकर बंद पाइपों के जरिये विद्युत गृह के निकट राख संग्रहण क्षेत्र सं. 2 जो 265 हैक्टेयर एरिया में है, में जनवरी 93 से एकत्रित की जा रही है। यहां राख नीचे बैठती जाती है तथा पानी डिकेन्टेशन कुओं के द्वारा निथार दिया जाता है। प्रदूषण की समस्या की रोकथाम हेतु प्रभावी क्षेत्र के समीप वृक्षारोपण का कार्य प्रगति पर है।

(पर्यावरण मंत्री)

(2) जी हां 6 दिसम्बर, 1995 को पर्यावरण मन्त्री की अध्यक्षता में फलाई एस. उद्योग स्थापन हेतु एक बैठक शासन सचिवालय जयपुर में सम्पन्न हुई। बैठक की कार्यवाही विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

बैठक के उपरान्त फलाई एस. से ईंटें बनाने के उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि का चयन किया गया, कोटा थर्मल के नजदीक ग्राम सकतपुरा के खसरा नं. 267 की 44.69 हेक्टेयर भूमि ऐसे उद्योगों के लिये उचित होने के कारण इसे रीको को आवंटन करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई परन्तु यह भूमि वन विभाग के खाते में होने के कारण इस भूमि को उद्योग हेतु आवंटन के लिए वन विभाग की स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं होने के कारण रीको को आवंटन की कार्यवाही विचाराधीन है, इस भूमि के बदले वन विभाग को ग्राम मीलोत के खसरा नं. 162 की 10.12 हैक्टेयर 166 की 0.04 है. 167 की 34.53 हैक्टेयर कुल 44.69 हैक्टेयर राजस्व विभाग की भूमि दिये जाने हेतु भी प्रस्तावित की जा चुकी है। वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त होते ही रीको को भूमि आवंटन की कार्यवाही करदी जायेगी।

---

(3) राख आधारित उद्योग लगाने में निम्न ने रुचि दिखाई है :—

	प्रस्तावित तिथि	स्वीकृति तिथि
1. मै. राजस्थान पावर एस इण्डस्ट्रीज लि., बम्बई	6.2 95	21.9.95
2. मै. कुमावत इण्डस्ट्रीज, कोटा	24.11 95	28.11.95
3. मै. श्री कान्त कुमार मैत्ती, कोटा	29 2.96	29.2.96

राजस्थात राज्य विद्युत मण्डल ने इन्हें निशुल्क राख देने का प्रस्ताव किया है। उद्यमियों से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अभी प्रतीक्षित है। प्रतिवेदन मिलने पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही संभव है।

अब तक जिला कार्यालय में फ्लाई एस. से ईंट बनाने के उद्योग स्थापित करने के लिये निम्न तीन परियोजनाओं के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं जिनकी सम्पूर्ण जानकारी निम्न प्रकार से है :—

1. मैसर्स राजस्थान पावर्स इण्डस्ट्रीज लि. मुम्बई इस परियोजना के डायरेक्टर द्वारा माह नवम्बर 95 में जिला कलक्टर कोटा के यहां फ्लाई एस. से बिल्डिग मेटेरियल बनाने हेतु भूमि आवंटन बाबत प्रार्थना पत्र दिया, इन्होंने ग्राम सकतपुरा के खसरा नं. 267 की भूमि में से भूमि चाही। इनके प्रार्थना पत्र पर भूमि के आवंटन की कार्यवाही के दौरान यह भूमि वन विभाग के खाते में होने से वन विभाग को आवश्यक पत्राचार कर इस भूमि को उद्योग बाबत

(पर्यावरण मंत्री)

आबंटन स्वीकृति हेतु लिखा गया। अभी तक वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त यह भूमि रीको को आबंटित की जावेगी एवं रीको द्वारा फलाई ऐश से बनाने वाले बिल्डिंग मेटेरियल के उद्योगों को यह भूमि आवंटित की जावेगी। अभी इस परियोजना का भूमि आवंटन का प्रस्ताव उपरोक्त कारण से विचाराधीन है।

2. कुमावत इण्डस्ट्रीज कोटा इस उद्योग को फ्लाई एस. के उपयोग हेतु प्रोजेक्ट को भूमि आवंटन हेतु पत्र जिला कार्यालय को मार्च 96 में प्राप्त हुआ। इन्होंने सकतपुरा में थर्मल पावर स्टेशन के पास वन विभाग की भूमि चाही। इनके प्रार्थना पत्र पर भूमि आवंटन की कार्यवाही के दौरान यह भूमि वन विभाग के खाते में होने से वन विभाग को आवश्यक पत्राचार कर इस भूमि को उद्योग बाबत आवंटन स्वीकृति हेतु लिखा गया, अभी तक वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त यह भूमि रीको को आबंटित की जावेगी एवं रीको द्वारा फ्लाई एस. से बनने वाले ब्रिल्डिंग मेटेरियल के उद्योगों को यह भूमि आवंटित की जावेगी। अभी इस परियोजना का भूमि आवंटन का प्रस्ताव उपरोक्त कारणों से विचाराधीन है।

3. श्रीकांत मेत्ती (हाड़ौती फ्लाई एश उद्योग) कोटा :—इस उद्योग द्वारा भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र फरवरी 96 में प्रस्तुत किया है। उद्योग द्वारा ग्राम नान्ता के खसरा नं. 1724 की 1.54 हैक्टेयर भूमि उद्योग हेतु आबटित कराना चाहा है। यह भूमि नगर निगम क्षेत्र में मास्टर प्लान में होने से इसके कृषि से औद्योगिक प्रयोजन में उपयोग हेतु स्वीकृति हेतु संभागीय आयुक्त के मुख्यालय के शहरों हेतु संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा स्वीकृति देने के उपरांत आबंटन कार्यवाही होगी उद्योग के प्रार्थना पत्र पर माह जून 96 में उद्योग के श्रीकांत मेत्ती को संभागीय आयुक्त से स्वीकृति हेतु संभागीय आयुक्त के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु सूचना दी जा चुकी है। इस पर उद्योग द्वारा संभागीय आयुक्त महोदय के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है जिसमें संभागीय आयुक्त महोदय के यहां समिति की बैठक 25.7.96 नियत की गयी है। समिति की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत उद्योग हेतु भूमि आबंटन की कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

अलवर से प्रकाशित समाचार पत्रों को देय सुविधाएं

596. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : क्या जनसम्पर्क राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अलवर से प्रकाशित होने वाले स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा उनके पत्रों की निःशुल्क (कम्प्लीमेन्ट्री) प्रतियां अधिकारियों, विभागों, राजनीतिज्ञ व्यक्तियों आदि को नियमित रूप से वितरित की जाती

—(श्रीमती मीना अग्रवाल)

है ? यदि हां. तो क्या निशुल्क प्रतियों के लिए समाचार पत्रों को कागज सरकार उपलब्ध कराती है ? यदि हां, तो किस-किस पत्र को इस मद में कितना कागज उपलब्ध कराया जाता है ? क्या कभी इस कागज की जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अलवर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के मालिक, सम्पादक, संवाददाता, कर्मचारी आदि कितने व्यक्तियों को क्या-क्या सुविधाएं सरकार ने या उसके किसी विभाग ने दे रखी है ? प्रत्येक समाचार पत्र का नाम तथा विभिन्न उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट एवं राज्य के सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय को ही समाचार पत्र की निःशुल्क प्रति प्रदत्त किये जाने का प्रावधान है। समाचार पत्रों को राज्य सरकार द्वारा अखबारी कागज उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा समाचार पत्रों के संपादकों/संवाददाताओं का अधिस्वीकरण की सुविधा दे रखी हैं जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

डूंगरपुर जिले का प्रस्तावित बस स्टेण्ड

597. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले के प्रस्तावित नये बस स्टेण्ड का निर्माण कार्य रुका हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसे कहीं अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने की योजना है ? यदि नहीं तो निर्माण कार्य रोके जाने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

डूंगरपुर नगरपालिका द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 25-4-95 को दृष्टिगत रखते हुए बस स्टेण्ड का निर्माण कार्य रोका गया था। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस स्टेण्ड, अन्यत्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं होने से, पुनः निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

महेश नगर (जयपुर) से सी.टी.एस. बस का संचालन

598. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि महेश नगर (जयपुर) में वर्तमान में सी.टी.एस. बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री रतनलाल ताम्बी)

(2) क्या यह भी सही है कि इस मार्ग पर यात्रियों का काफी मात्रा में आवागमन होने के कारण इस मार्ग पर सी. टी. एस. बसें चलाने का सुझाव समय-समय पर नागरिकों द्वारा विभाग को दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए इस मार्ग पर सी. टी. एस. बसें संचालित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से एवं कितनी संख्या में कहां से कहां तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) अग्रवाल फार्म से महेश नगर, सचिवालय होते हुये रेल्वे स्टेशन के लिए परिवहन निगम द्वारा एक सेवा संचालित है ।

(2) महेश नगर होकर निगम की सिटी बस सेवा संचालन की मांग प्राप्त होने पर, उपरोक्त सेवा के अलावा, दो वाहनों का संचालन और किया गया था, लेकिन पर्याप्त यात्री भार नहीं मिलने से इन दो बसों का संचालन बन्द कर दिया गया ।

(3) निगम द्वारा कोई अन्य सेवा देने का विचार वर्तमान में नहीं है अजमेरी गेट से गुर्जर की थड़ी वाया महेश नगर चौराहा मार्ग निधारण करने के प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है ।

जयपुर-गंगानगर-बीकानेर मार्ग पर संचालित बस सेवा

599. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान परिवहन निगम की जयपुर से गंगानगर बीकानेर, हनुमानगढ़ एवं चूरू जाने वाली सभी बसों का मार्ग वाया फतेहपुर है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सभी बसों के वाया फतेहपुर मार्ग से जाने के कारण झुन्झुनू जिले के मुख्य कस्बे यथा—नवलगढ़, मुकन्दगढ़, मन्डावा एवं बिसाऊ के नागरिकों को इन बसों की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है और उनको बीकानेर, चूरू, गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जाने के लिए काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है ?

(3) इस स्थिति में क्या परिवहन निगम उक्त स्थानों पर चलने वाली कुछ बसों को वाया फतेहपुर के स्थान पर वाया नवलगढ़ मुकन्दगढ़, मंडावा एवं बिसाऊ मार्ग से संचालित करने का विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) इन कस्बों के यात्रियों के लिए बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू हेतु निम्नानुसार सीधी बस सेवा/सम्पर्क बस सेवाएं उपलब्ध है :—

(राज्य मंत्री, यातायात)

(अ) नवलगढ़ से बीकानेर के लिए सीकर से 22 सम्पर्क बस सेवाएं उपलब्ध हैं। नवलगढ़ से चूरू के लिए बिसाऊ पर 50 सम्पर्क बस सेवाएं उपलब्ध हैं। नवलगढ़ से गंगानगर के लिए हनुमानगढ़ तक 2 सीधी बस सेवाएं तथा हनुमानगढ़ से गंगानगर के लिए 94 सम्पर्क बस सेवाएं उपलब्ध हैं। नवलगढ़ से हनुमानगढ़ के लिए 2 सीधी बस सेवाएं उपलब्ध हैं।

(ब) मुकन्दगढ़ से बीकानेर के लिए झुन्झुनूं पर 4 सम्पर्क बस सेवाएं उपलब्ध हैं। मुकन्दगढ़ से चूरू के लिए बिसाऊ पर 50 सम्पर्क बस सेवाएं उपलब्ध है। मुकन्दगढ़ से गंगानगर के लिए हनुमानगढ़ पर 91 सम्पर्क बस सेवाएं उपलब्ध हैं। मुकन्दगढ़ से हनुमानगढ़ के लिए 2 सीधी बस सेवाएं उपलब्ध है।

(स) मंडावा से बीकानेर के लिए 10 सीधी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। मंडावा से चूरू के लिए बिसाऊ पर 50 सम्पर्क बस सेवाएं उपलब्ध हैं। मण्डावा से गंगानगर के लिए भी बिसाऊ पर 2 सम्पर्क सेवाएं उपलब्ध हैं। मंडावा से हनुमानगढ़ के लिए बिसाऊ पर 4 सम्पर्क बस सेवाएं उपलब्ध हैं।

(द) बिसाऊ के बीकानेर के लिए 4 सीधी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। बिसाऊ से चूरू के लिए 50 सीधी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। बिसाऊ से गंगानगर के लिए सीधी बस सेवाएं उपलब्ध हैं एव बिसाऊ से हनुमानगढ़ के लिए 4 सीधी बस सेवाएं उपलब्ध हैं।

(3) जी नहीं। जयपुर से गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ एवं चूरू वाया फतेहपुर जाने वाली बसों को वाया नवलगढ़, मुकन्दगढ़, मडावा एवं बिसाऊ होकर संचालित किये जाने से यात्रा में क्रमशः 31,69,27 एवं 21 कि. मी. की वृद्धि होगी। जयपुर से सीधे यात्रियों की सुविधा को देखते हुए, वर्तमान में इसके रूट को बदलने का निगम का कोई विचार नहीं है।

रोडवेज डिपो हिण्डौन

600. श्री हंसराम (करौली) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार रोडवेज डिपो हिण्डौन की दयनीय स्थिति को सुधारने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार बस स्टेण्ड करौली को अपने नियत स्थान से अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) करौली से जयपुर इस समय कितनी एक्सप्रेस बसें चल रही हैं, क्या यह बसें पर्याप्त हैं? यदि नहीं तो क्या सरकार करौली से जयपुर के लिए रोडवेज की और एक्सप्रेस बसें चलाने का विचार रखती है?

(4) क्या करौली से जयपुर को शाम 4.00 बजे बाद कोई बस जाती है? यदि नहीं, तो क्या सरकार शाम 4.00 बजे बाद

(श्री हंसराम)

करौली से जयपुर के लिए कोई बस चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) निगम की हिण्डौन डिपो की स्थिति दयनीय प्रतीत नहीं होती है ।

(2) जी हां । करौली में बस स्टेण्ड हेतु भूमि क्रय कर ली गई है । करौली बस स्टेण्ड परिसर के लिए 10 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है ।

(3) करौली से जयपुर के लिए वर्तमान में निगम द्वारा 3 बसें द्रुतगामी सेवा के रूप में संचालित की जा रही है । इन द्रुतगामी सेवाओं को औसत यात्रीभार 71 प्रतिशत उपलब्ध हो रहा है, जिसे देखते हुये करौली से जयपुर के बीच और अधिक द्रुतगामी सेवाओं के संचालन का निगम का कोई विचार नहीं है ।

(4) जी नहीं । सेवा के अनार्थिक होने की सम्भावना से सायं 4.00 बजे पश्चात् करौली से जयपुर के लिए कोई अन्य सीधी सेवा चलाने का निगम का वर्तमान में कोई विचार नहीं है ।

आयुर्वेद विभाग की उदयपुर जिले में प्रवृत्तियां

601. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले में विभाग की क्या-क्या प्रवृत्तियां संचालित है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन प्रवृत्तियों के संचालन हेतु कौन-कौन से पद सृजित हैं ?

(3) उक्त सृजित पदों में से कितने पद भरे हुए हैं एवं कितने रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्तमान में उदयपुर जिले में आयुर्वेद विभाग की संचालित प्रवृत्तियों का विवरण परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) इन प्रवृत्तियों के संचालन हेतु स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट "ख" व "ग" सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) इसका उत्तर प्रश्न के भाग 2 के विवरण परिशिष्ट "ख" व "ग" सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

स्थगित-प्रश्न

(गुरुवार, दिनांक 4 जुलाई, 1996)

शिक्षा निदेशालय द्वारा पुस्तकों की खरीद में वित्तीय अनियमितताएं

169. श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमू) : क्या शिक्षा मत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(71)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा निदेशालय में गत सत्र में पुस्तकों की खरीद के सम्बन्ध में लाखों रुपयों की वित्तीय अनियमितताओं का मामला प्रकाश में आया था ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये ?

(2) उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विज्ञान शिक्षण सुधार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994–95 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालयों के स्तर पर की गई पुस्तकों के क्रय में अनियमितताओं की शिकायत गत वर्ष में प्राप्त हुई थी। विद्यालय के संस्था प्रधानों को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पुस्तकों की सूची भेजकर यह निर्देश दिये गये थे कि वे अनुमोदित पुस्तकों की सूची में से विद्यालय की आवश्यकता और बजट सीमा को देखते हुए अपने स्तर पर क्रय करें। शिकायत प्राप्त होने पर अतिरिक्त निदेशक प्राथमिक शिक्षा की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई और जांच समिति ने कुछ विद्यालयों में किये गये क्रय की सैम्पल जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार यह पाया गया कि क्रय की गई पुस्तकों में से कुछ पुस्तकें ऐसी क्रय की गई हैं जो पुस्तकों की अनुमोदित सूची के अनुसार सही नहीं थी।

(2) ऊपर वर्णित नमूना जांच के आधार पर विज्ञान शिक्षण सुधार योजना के अन्तर्गत जिन-जिन विद्यालयों में पुस्तकों का क्रय किया उन सभी की विस्तृत जांच कराने का निर्णय लिया गया और प्रधानाचार्य डाइट की अध्यक्षता में विज्ञान शिक्षण सुधार योजना के अन्तर्गत कवर्ड प्रत्येक जिले की पृथक-पृथक जांच कमेटी बनाई गई हैं और उन्हें आदेश दिया गया है कि वे एक माह में क्रय की विस्तृत जांच कर दोषी व्यक्तियों की जिम्मेदारी निर्धारित कर उनके विरुद्ध आरोप पत्र आदि भिजवायें।

इसके साथ ही ऊपर वर्णित नमूना जांच के आधार पर अनियमितताओं में दोषी पाये गये 6 संस्था प्रधानों (प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक को सेवा से निलम्बित कर दिया गया हैं। जो कि निम्नानुसार हैः—

1. श्री बाबूलाल राखेजा, प्रधानाचार्य, रा.सी.मा.वि., चाण्डावल (पाली)

2. श्री शम्भूदयाल गुप्ता, प्रधानाचार्य, रा. सी. मा. वि., तालेड़ा (बूंदी)

3. श्री सम्पतराम, प्रधानाध्यापक, रा. मा. वि., भीमसर (झुन्झुनूं)

4. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा, प्रधानाध्यापक, सुनसारा (भरतपुर)

5. श्री रमेशचन्द्र शर्मा, तत्कालीन प्र. अ., रा. मा. वि., गोपीनाथ कांमा (भरतपुर)

6. श्री सोहनलाल व्यास, प्रधानाचार्य, रा.सी.मा.वि., जैतारण (पाली)

(शिक्षा मंत्री)

डाइट के प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में जो जिलेवार विस्तृत जांच करवाई जा रही है उसमें दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्रीमती इन्दिरा मायाराम एवं दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से भूमाफिया प्रकरण के सम्बन्ध में दर्ज एफ. आई. आर. नम्बर 635/94 थाना सोडाला, जयपुर की तफतीश बदलने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्य, आप बैठें। जब आसन पैरों पर हो तो इस तरह से इधर-उधर घूमा नहीं करते हैं।

(2) श्री रघुबीर सिंह मीणा एवं 7 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से आयुर्वेद चिकित्सकों को स्क्रीनिंग प्रक्रिया द्वारा स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनूं जिले में भयंकर अकाल की स्थिति उत्पन्न होने तथा अकाल राहत कार्य तुरन्त शुरू किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री मोहनलाल बारुपाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस थाना मथानिया, जिला जोधपुर के थानेदार द्वारा जनता को तंग किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। प्रस्ताकर्ता माननीय सदस्य को प्रस्ताव की विषय वस्तु पर आज शिक्षा, कला एवं संस्कृति की मांग पर चर्चा के समय बोलने की अनुमति होगी :–

(1) श्री परसादीलाल मीणा एवं अन्य सदस्य, विधाय सभा की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी, दौसा द्वारा शारीरिक शिक्षक के पद पर नियुक्त किये गये एवं कार्य ग्रहण करवाये गये 83 व्यक्तियों में से उप निदेशक (पुरुष), जयपुर द्वारा मात्र 31 व्यक्तियों को ही कार्य पर लिये जाने से शेष शारीरिक शिक्षकों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(2) श्री बनवारी लाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से निवाई विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति टुकिया, बुगलपुरा, जोधपुरिया, हिगुणिया एवं सीदरा के प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री ग्रध्यक्ष)

(3) श्री रामनारायण मीणा एवं 4 ग्रन्य सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से सीकर, कोटा, बून्दी एवं बारां जिले के विद्यालयों में कथित दुर्भावनावश किये गये स्थानान्तरणों से कर्मचारियों में व्याप्त ग्रसंतोष के सम्बन्ध में।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव ग्रविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, ग्रत: इस पर ग्रनुमति देने में ग्रसमर्थ हूं। कल इस विषय पर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है :–

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत एवं 11 ग्रन्य सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से बून्दी के सर्किट हाउस में राज्य के सहकारिता मंत्री के साथ ग्रसामाजिक तत्वों द्वारा कथित दुर्व्यवहार की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

कल इस पर चर्चा हो चुकी है।

प्रक्रिया के नियम 295 के ग्रन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री उदयलाल ग्रांजना, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की नर्सरी श्रेणी कृषि कनेक्शन योजना की सैकड़ों पत्रावलियां प्रतीक्षा सूची में पड़े रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री बनवारीलाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से निवाई विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शालाएं खोले जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोडाभीम की तहसील नादौती में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(4) श्री हरिसिंह, (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से जिला सवाई माधोपुर के करौली डिवीजन में पदस्थापित एक वनरक्षक को वर्षों से वेतन नहीं मिलने के सम्बन्ध में।

(5) श्री बनवारीलाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों को ग्रब तक समुचित मुग्रावजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री लक्ष्मण सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से पिछले कुछ वर्षों से राजसमंद चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा जिले में दो मीटर से ऊंचे एनीकट बनाने पर रोक लगे होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से कोटा जिले के ग्राम पंचायत मुख्यालय घूलेट में प्रस्तावित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण यथाशीघ्र करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री रामचन्द्र रावत, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से सार्वजनिक निर्माण विभाग के कोटपूतली स्थित विश्राम गृह में दो कमरों का निर्माण करने एवं ग्रन्य सुविधाएं बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी, सदस्य, विधान सभा की ओर से अकोला तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के लिये सेवा नियम नहीं बने होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा की ओर लोकल फण्ड ऑडिट द्वारा स्वायत्तशासी संस्थाओं की, की गयी ऑडिट की रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती मीना अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। इनको पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा। आज शून्यकाल में पर्चियां भी नहीं रखी हैं और माननीय सदस्यों ने दी भी नहीं है। क्योंकि आज मुखबन्द होगा। साढ़े चार बजे उसका समय नियत है इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कार्यवाही ठीक ढग से चलावें।

(नियम 295 के तहत प्राप्त प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, आज यह राजस्थान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी (व्यवधान) के मंत्री महोदय के ऊपर आरोप लगाया है। (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी (पाली) : अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइण्ट आफ इंफोर्मेशन।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारियों के खिलाफ (व्यवधान)....प्रमोशन में, इनके स्थानान्तरण में....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। श्री भीमसेन जी चौधरी, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

याचिका का उपस्थापन

इन्दिरा गांधी नहर की प्रथम स्टेज में बनाये जाने वाले सभी वाटर कोर्सेज को पक्का किया जाना

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में प्रथम स्टेज में बनाये जाने वाले वाटर कोर्सेज का अन्तिम चकों के अन्तिम मुरब्बा तक पक्का करने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री भीमराज भाटी : ऑन ए पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन, सर। सिर्फ एक मिनट.... (व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे चाहूंगा कि इसकी अपने ढंग से यहां चर्चा की जाये और सरकार की तरफ से एक वक्तव्य दिया जाये । (व्यवधान) 42 सदस्यों ने विधायकों ने अपने हस्ताक्षर से यह ज्ञापन दिया है और उसमें 3 मंत्री भी । (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : मैं प्रति-आवश्यक एक सूचना देना चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिए, आप क्या कहना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है । (व्यवधान) एक मिनट, एक सैकण्ड विराजिए, मोरदिया साहब, आप विराजिए । (व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है । इस पर आधे घण्टा चर्चा की जाए । राजस्थान सरकार की तरफ से जिस प्रकार से अधिकारियों के खिलाफ चाहे वे आई. ए. एस. हैं, चाहे आर. ए. एस. हैं उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है । ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिए आप । आज समय बहुत लिमिट है, आप बिराजिए ।

श्री परसराम मोरदिया : आधा घण्टा चर्चा की जाए, सरकार की तरफ से वक्तव्य दिलाया जाए । अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार के तीन मंत्री भी, हस्ताक्षर करने में शामिल हैं । मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार इस पर वक्तव्य दे । (व्यवधान) बहुत गम्भीर मामला है ।....

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है । राजस्थान का प्रशासन पेरलाइज्ड है । आदिवासी, हरिजन अकसर काम नहीं कर पा रहे हैं और जिस तरह से . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बिराजिए (व्यवधान) आप क्या बात कहना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है । आप बिराजिये ।

श्री भीमराज भाटी : आॅन ए पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन । (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : मंत्री लिख कर दे रहे हैं कि ज्यादती हो रही है । (व्यवधान) ..... बनियावाद चल रहा है क्या .. (व्यवधान) मंत्री यह कह रहे हैं .. (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन, श्री नरपतसिंहजी राजवी ।

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति 1996-97 का प्रथम प्रतिवेदन

श्री नरपतसिंह राजवी (सभापति, प्राक्कलन समिति "क") : अध्यक्ष महोदय, मैं, सभापति, प्राक्कलन समिति "क", भाषा विभाग से सम्बन्धित समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, फोगिंग की डेट बतायी जावे । नगर निगम

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

के द्वारा रामगंज बाजार में फोगिंग हुआ है। उस फोगिंग पर चर्चा के लिए डेट बतायी जाये। (व्यवधान) रामगंज बाजार में नगर निगम के द्वारा जो फोगिंग हुआ है, उस पर चर्चा कब होगी, इसकी डेट बतायी जाये। (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री परसराम मोरदिया : आधे घण्टे की चर्चा की जाये और सरकार की तरफ से वक्तव्य दिलाया जाये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : मंत्रीजी शामिल हैं। आप अभी यहां चर्चा करवाइये। उप मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं।

श्री परसराम मोरदिया : हमारे अधिकारियों के खिलाफ, अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारियों के साथ इस ढंग से भेदभाव किया जा रहा है।.... (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पर्ची दी थी। सवाई मानसिंह अस्पताल में....(व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगंज बाजार में, नगर निगम द्वारा जो फोगिंग किया गया। उस फोगिंग पर कब चर्चा होगी? इसकी डेट फिक्स की जाये। अध्यक्ष महोदय, हम आपसे न्याय चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : मैंने आपको पर्ची दी थी .. (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : कुछ अंकित नहीं होगा। अब अंकित नहीं होगा, बिराजिए आप।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री रामगोपाल बैरवा : × × ×

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : कुछ अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) आप बिराजिये, माननीय रामनारायणजी, आप क्या कर रहे हैं? कुछ अंकित नहीं होगा।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप हर मामले में खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान) मुझे सारी सूची अलग-अलग देखकर के बताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप शान्ति रखें (व्यवधान)

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री परसादीलाल मीणा, श्री हरिसिंह

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

(महुआ) एवं श्री शैलेन्द्र जोशी, सदस्य विधान सभा दौसा लोक सभा चुनाव के पीठासीन अधिकारियों को कथित अनियमितताओं के आरोप में चुनाव प्रक्रिया के दौरान निलम्बित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निर्वाचन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। श्री परसादीलालजी मीणा। (व्यवधान)

बस हो गया, अब आप बिराज जायें, कृपया बिराजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : × × ×

सूचना

महाराजा श्री उम्मेद मिल पाली में लाक आउट

श्री भीमराज भाटी : माननीय, आन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन सर, आधा मिनट सिर्फ मैं आपका लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलालजी।

श्री भीमराज भाटी : परसादीलालजी, एक मिनट। अध्यक्षजी की आज्ञा से। बहुत तकलीफ है, "माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : क्या कह रहे हैं आप ?

श्री भीमराज भाटी : बहुत परेशानी है। आधा मिनट लेऊंगा मैं।

श्री अध्यक्ष : बोलो न आप, क्या कहना चाहते हैं ?

श्री भीमराज भाटी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां महाराजा श्री उम्मेद मिल में लॉक आउट हो गया है, उसकी वजह से.... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : यह कोई बात नहीं है, बिराजिये आप। यह कौनसा प्रश्न चल रहा है ? बिराजिये, यह कोई अंकित नहीं होगा। होगा। कोई अंकित नहीं करें।

श्री भीमराज भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : परसादीलालजी। बिराजिये आप।

श्री भीमराज भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आराम से बैठो, आपका अधिकार है, बिराजिये आप।

श्री भीमराज भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री भीमराज भाटी : × × ×

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय क्या कर रहे हैं, यह ?

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : × × ×

श्री रामस्वरूप : × × ×

श्री भीमराज भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे पहले ही अनुरोध कर दिया। चैम्बर में भी अनुरोध कर दिया यहां पर भी अनुरोध कर दिया कि आज मुख बन्द का समय साढ़े चार बजे हैं और माननीय सदस्यों को....

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आज शिक्षा की मांग पर बोलना है। ध्यानाकर्षण भी है। अब आप बिराज जाएं और कोई बात है तो आप गृह मन्त्रीजी से बात कर लें। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री परसादीलाल मीणा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

दौसा लोकसभा चुनाव के पीठासीन अधिकारियों को कथित अनियमितताओं के आरोप में चुनाव प्रक्रिया के दौरान निलम्बित किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, दौसा लोकसभा क्षेत्र में लोक सभा चुनावों के दौरान मतदान केन्द्रों में हुई गड़बड़ी के सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक, दौसा द्वारा की गयी गड़बड़ियों पर और वहां पर रि-पोल और रि-पोल पर रि-पोल इस तरह से जो सरकार की, जिला निर्वाचन विभाग की जो विफलता हुई उस सम्बन्ध में माननीय गृह मन्त्री, निर्वाचन मंत्रीजी का मैं ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सारे सदन के माननीय सदस्यों से क्षमा चाहते हुए एक निवेदन करना चाहता हूं कि इसका सिक्वेंस बदल दिया जाए। मुझे नहीं मालूम था कि इतना जल्दी आ जायेगा। मैंने अधिकारियों से कहा कि साढ़े बारह बजे तक सारी सूचनाएं लेकर के मेरे पास आ जाय तो मेरी तैयारी है, सवेरे मैंने बड़ा डिस्कस कर लिया है केवल सिक्वेंस बदलने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री कैलाश मेघवाल : चूंकि सामान्यतया यह एक बजे शुरू होता है इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी सिक्वेंस आप बदल दें और वह अभी आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्रजी गहलोत। (अनुपस्थित)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आप समय निर्धारित कर दें। अभी इन दोनों के बाद....

श्री अध्यक्ष : अभी एक बजे से पहले-पहले।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री परसादीलाल मीणा : एक बजे।

एक माननीय सदस्य : समय निर्धारित कर दें, दो बजे, एक बजे।

श्री अध्यक्ष : जुबेर खानजी। आ गये क्या? श्री राजेन्द्रजी गहलोत। जोधपुर जिले के सोलह गांवों के बारे में....

श्री राजेन्द्र गहलोत : ध्यानाकर्षण, 131....

श्री अध्यक्ष : हां।

श्री राजेन्द्र गहलोत : दे रहा हूं। मैं राजस्व मंत्रीजी का, यह ध्यानाकर्षण, 131 शुरू हो गये क्या साहब?

श्री अध्यक्ष : हां, 131.

श्री राजेन्द्र गहलोत : राजस्व मंत्रीजी का मैं जोधपुर जिले के सोलह गांवों के नगर परिषद क्षेत्र में नियमन करने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : कहां गये? श्री जुबेर खानजी।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : राजस्व मन्त्री जी कहां हैं?

श्री राजेन्द्र गहलोत : नहीं आये क्या? मंत्रीजी को बुलायें साहब, जवाब क्यों नहीं आ रहा है?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : न सरकार के मंत्री हैं और यह तो इतना लाइटली ले रहे हैं इसको .... (व्यवधान) This is to much.

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी कहां गये?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : हमेशा एक ही के चक्कर में रहते हैं। हमेशा एक ही के चक्कर में रहते हैं (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इस सदन में मंत्री जब .. (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : सारे मन्त्री गायब हो गये, एक साथ ही तो गये क्या? क्या बात है, सरकार में कौन देगा जवाब?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : सिंचाई मन्त्री गायब। राजस्व मंत्री गायब और एक-एक ....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चालीस साल में ऐसी बात कभी नहीं आयी।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खानजी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : मैं माननीय सिंचाई मन्त्री का जिला अलवर की रामगढ़ तहसील में ...

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : सिंचाई मन्त्री भी नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट ठहरिये आप। बिराजिये।

श्री कुबेर खान : हुए कटाव पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्रीमती कमला : कितनी दुःख की बात है कि मंत्री महोदय उपस्थित नहीं हैं और ध्यानाकर्षण करने के बाद कोई जवाब देने वाला दूसरा मंत्री भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। समय जाया नहीं करें, अभी आ जायेंगे सब।

श्रीमती कमला : आप कुछ ताड़ना दें, कुछ अपनी तरफ से कहें।

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा ले लिया है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : सिचाई मंत्री नहीं हैं, दूसरे भी नहीं हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : ध्यानाकर्षण लगाने से फायदा क्या है जब मन्त्री मौजूद नहीं हैं। किसका ध्यान करें, अध्यक्ष महोदय का ध्यान करें क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह बता रहे हैं, बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, को ध्यान करें क्या ?

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब....

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : सप्लीमेंट्री के जवाब भी आप देंगे ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मजाक बना रखी है साहब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनो, सिचाई मंत्रीजी आज हैं नहीं। कृपया सुनिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : स्वास्थ्य मन्त्रीजी, आप तो हमारा जवाब दो। वह हास्पिटल में है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। क्या कर रहे हैं आप ? रामस्वरूपजी, इतने उत्तेजित नहीं हों, बार बार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि शिव प्रसाद मीणा को भर्ती कर लिया गया है और वह अपनी इच्छा से चिकित्सालय छोड़कर के गया था, संतोकबा दुर्लभजी चिकित्सालय में चले गये थे और अपनी इच्छा से ही वापिस आये हैं और जिस वक्त वे वापिस आये उस वक्त जो पुरानी यूनिट थी, वह चली गयी। अब कोई विवाद नहीं है। मैंने अभी सवाई-मानसिंह चिकित्सालय के अधीक्षक को बुलाकर के माननीय सदस्य से भी बात करवा दी है इसलिए कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सिचाई मंत्रीजी द्वारा ध्यानाकर्षण का जो उत्तर दिया जाना था, आज अपरिहार्य कारणों से वे उपस्थित नहीं हो सकें। मैं आपकी अनुमति से....

श्री रामस्वरूप मीणा : दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करवाओ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । क्या करते हो आप बारबार, हो गयी बात । श्री जुबेर खान ।

अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण होने वाले कटाव की समुचित व्यवस्था बाबत

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण होने वाले कटाव की समुचित व्यवस्था करने हेतु सिचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : पिछले वर्ष 1995 में रामगढ़ तहसील में अत्यधिक वर्षा 958 एम. एम हुई । जबकि तहसील की वार्षिक सामान्य वर्षा 558 एम. एम. ही है । अतः गत वर्ष बाढ़ का पानी रामगढ़ की आबादी के पास रामगढ़ देहली सड़क के ऊपर बहता हुआ स्थल "ए", आज इसके साथ नक्शा भी संलग्न है, इस पर मार्क किया हुआ है, स्थल "ए" पर सड़क को तोड़ता हुआ रामगढ़–गोविन्दगढ़ सड़क को "बी" स्थल से तोड़ता हुआ अलाबड़ा केनाल को भी, स्थल "सी" पर बहा ले गया और आगे विलास–लिलावंडी की सड़क पुलिया, जो अध्यक्ष महोदय, इस पर "डी" पर थी, को भी बहाता हुआ रूपारेल नदी में पानी सम्मिलित हो गया । इस क्षेत्र की भूमि रेतीली है । बाढ़ के इस पानी के बहाव से इस क्षेत्र की रेतीली जमीन में बहुत अधिक कटाव हो गया । अलाबड़ा केनाल के स्थल "सी" पर जहां कटाव हुआ था । वहां धरती के पूर्व में लेबल से बीस फुट गहरा नाला बन गया । पिपरोली बांध के पानी से भी अलाबड़ा केनाल में पानी होकर के जाता है । अलावड़ा, चौमा, चिड़वा, मालपुरा, इंदपुरा आदि गांवों की सिचाई इस पानी से होती है । अलाबड़ा नहर, क्योंकि बाढ़ के पानी से, कटाव से गहरा नाला बन गया है, जिससे पानी का रास्ता रूपारेल नदी की ओर हो गया है अतः इन गांवों की सिचाई हेतु अलावड़ा नहर से होकर के आगे जाने की वाला पानी अब आगे नहीं जाकर के नाले को ओर जाता है । अतः इन गांवों में इस वक्त सिचाई की सुविधा नहीं है । स्थल "डी" पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लिलावंडी-विलासपुर रोड पर इस भूमि के कटाव से बने नाले पर पुलिया बनायी जा रही है । इस पुलिया का बेड लेबल इस कटाव से बने नाले के बेड लेबल पर ही रखा गया है । प्रस्ताव में अध्यक्ष महोदय, यह एतराज किया गया है कि इस स्थिति में जब भविष्य में बरसात आयेगी तो जमीन में कटाव बढ़ेगा और कटाव से अलाबड़ा नहर फिर टूटेगी और फिर सारे गांव सिचाई से वंचित रह जायेंगे । अतः अध्यक्ष महोदय, विभाग ने निर्णय लिया है कि इस नाले पर नहर का क्रोसिंग, एक्वेडेक्ट बना दिया जाय । इस एक्वेडेक्ट के पास आस-पास नाला प्लेन करने एवं भू-रक्षण कार्य, चैक डैम, इत्यादि भी बनाये जायेंगे । इस प्रकार विलासपुर लिलावंडी सड़क की पुलिया के नीचे भी नाले का कटाव रोकने हेतु भू-संरक्षण कार्य, चैक डैम, एनीकट इत्यादि बनाने का शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा । इस क्षेत्र की उपरोक्त समस्याओं के समाधान

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हेतु विस्तृत, सर्वेक्षण करवाकर भू-संरक्षण एवं बाढ़ की नियंत्रण की स्कीम बनाने को आवश्यकता विभाग को महसूस होती है। इस स्कीम के समस्त कार्य को करवाने के लिये जितना भी तखमीना बनेगा, उसके अनुसार वित्तीय संसाधनों को देखते हुए शीघ्रताशीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : जुबेर खानजी। प्रश्न पूछें आप।

श्री जुबेर खान : जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं माना है कि भारी कटाव हुआ है। 20-30 गहरे गड्ढे हो गये हैं। एक तो मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है, इस मामले में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो बिलासपुर गांव को बहने की खतरे की बात कही है, उसको आप दुरुस्त कर लें बिलासपुर नहीं मिलकपुर गांव है। बिलासपुर तो चूंकि पहाड़ के पास है लेकिन मिलकपुर गांव रूपारेल नदी के पास बसा हुआ है और वहीं पर यह कटाव हो रहा है और वहां जो मिडिल स्कूल है, उसका आधा ग्राउण्ड तो कटाव हो चुका है। इस कंसखाल के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह कंसखाल एक छोटी सी नहर थी लेकिन पीछे छह बांधों का पानी का रेगुलेशन इस तरह होता है, ट्रेनिंग बांध, विजय सागर, नगला बन्जिर का, हंस सरोवर, मेव खेड़ा पिपरोली, इन सब बांधों का रेगुलेशन इस तरह का है कि यह सारा पानी जाकर के अलाबड़ा चेनल में होता हुआ, 25-30 गांवों की सिचाई करता था और इस काम में भी लिया जाता था कि अधिकक वर्षा आती थी तो इसका डाइवर्शन करके रूपारेल की तरफ छोड़ दिया जाता था। अब मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में यह कंसखाल जो नाला है, रामगढ़ से गोविन्दगढ़ जो सड़क जा रही है इतनी ज्यादा कट गयी है कि दक्षिण की तरफ दुबारा से नयी सड़क बनानी पड़ी थी और स्थिति यह हो गयी कि उस नयी सड़क तक इसका कटाव पहुंच गया है। अध्यक्ष महोदय, कंसखाल का केचमेंट एरिया जो इनके सिंचाई विभाग के रिकार्ड के अनुसार है, 209 स्क्वायर माइल का केचेमेंट एरिया है और जो पानी की ईल्ड बनती है, 1500 एम. सी. एफ. टी. ईल्ड बनती है एवरेज रेन फाल में, अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिये कि 1500 मिलियन क्यूसिक फिट के बहाव की जो ईल्ड बनती है एवरेजरेन में, जिस तरह से पिछली बार ज्यादा बरसात हुई, इस बार हुई तो क्या स्थिति यह वहां करता होगा?

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन इसमें यह है, मंत्रीजी, सीधा-सा है आपने जवाब में माना है कि जमीन का कटाव हो रहा है और फसलों की तबाही हो रही है और यह कटाव करता-करता रामगढ़ कस्बे के पास में पहुंच गया है, आपके पास यहां प्रस्ताव भेजा हुआ है या तो इसमें पिक अप वेयर बनें या स्पिल वे बनें जिसका डेढ़ से दो करोड़ रुपये का खर्चा आने की बात आपने स्वीकारी है। और आपने पूरा उत्तर पढ़ा नहीं, इसमें स्वीकारा भी है कि काम कराया जाना जरूरी है, यह निर्भर करेगा अगर सेण्ट्रल गवर्नमेंट से एड मिल जाती है बाढ़ के अन्दर तो उससे

(श्री जुबेर खान)

करायेंगे। अब मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि इसको कराने की आपकी इच्छा है या नहीं ?

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि आपने एक पुलिया का निवेदन किया था कि अलावड़ा से विलासपुर रोड़ पर पुलिया बन रही है वह इस बार बाढ़ में बह गयी, नीचे बैठ गयी और एक पिलर तो इसका उखड़ कर भी चला गया, अब उस पुलिया का कोई औचित्य नहीं रहा है। जब तक आप इस पुलिया का लेवल इतना ऊंचा नहीं करेंगे कि जमीन का कटाव रुके, अगर आप नाले के 30 फिट नीचे उसका लेवल रखेंगे तो जितना भी 1500 एस. सी. फिट पानी जायेगा सारा नाले में जमा होकर और जमीन का और ज्यादा कटाव करेगा।

अब समस्या दो हैं, एक तो मिलकपुर गांव का बहाव होने से कैसे रोका जाय और दूसरा, यह उपजाऊ भूमि का कटाव हो रहा है इसको कैसे रोका जाय। इसके लिये पुलिया तो इतनी ऊंची बने, इतना ऊंचा इसका लेवल हो कि सिल्टिंग होते-होते पांच-दस साल में ये नाले बढ़े नहीं बल्कि थोड़े लेवलिंग की स्थिति में आयें। बाकी कुछ किसान कर लें। दूसरा, पिक अप वेयर या स्पिल वे आपको बनाना पड़ेगा मिलकपुर के पास जिससे वाटर लेवल एक सरटेन लेवल के बाद तो रूपारेल में चला जाय और उससे पहले जो पानी है रूक कर अलावड़ा चैनल के मार्फत जो 20-25 गांवों में सिंचाई होती है, उसमें चला जाय क्योंकि अब कंसखाल 20 से 30 फिट नीची होने से सारा पानी बह कर रूपारेल में चला जायेगा, वाटर लेवल बहुत कम हो जायेगा और हमारे यहां, अध्यक्ष महोदय, सिंचाई ट्यूबवैल पर निर्भर करती है। इसलिये मेरा आप से निवेदन है कि लम्बी बात नहीं करते हुए, आप की रिपोर्ट आयी है, अध्यक्ष महोदय, चार लाइनें सिर्फ यह पढ़ूंगा। आपके सिंचाई विभाग ने एक रिपोर्ट भेजी है—"बाढ़ आने से ललावंडी से विलासपुर का रोड कट गया है. विलेज रोड, ब्रिज ध्वस्त हो गयी व 30-35 फिट तक के गहरे खड्डे हो गये व बहुत भारी उपजाऊ जमीन कट गयी है जिसमें 15 से 20 फिट तक के गहरे खड्डे हो गये जिससे अलावड़ा चेनल का कनेक्शन खतम हो गया है। अब यह पानी अलावड़ा चेनल में जाना बिलकुल भी सम्भव नहीं है। इस वर्ष की भीषण बाढ़ से यह कटाव बढ़ कर रामगढ़ की तरफ आ रहा है और रोड के साथ-साथ कई किलोमीटर जमीन 15 से 20 फिट तक गहरी हो गयी है और यह कटाव बढ़ता जा रहा है। आगे जब भी पानी आयेगा यह कटाव रामगढ़ की तरफ बढ़ेगा और आता ही चला जायेगा व उपजाऊ भूमि को बरबाद कर देगा। यह सारी चीजें आप मानते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहां सदन में यह घोषणा करें कि इस समस्या का समाधान हो। इस पर आप चाहे स्टेप वाइज ले लीजिये अगर दो करोड़ इस साल नहीं लगा सकते हैं एक करोड़ का प्रावधान कर के इस साल इस पर काम चलवाएं और दो या तीन साल में इसका निदान करें। क्योंकि लम्बे समय से यह मांग चली आ रही है और वहां के लोगों को बड़ी परेशानी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पिछले वर्ष और इस वर्ष भी 24 और 25 जून को इस क्षेत्र के अन्दर 400 मिलिमीटर बरसात एक साथ हुई जिसके कारण से बाद की स्थिति पैदा हुई।

अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ और मिलकपुर का क्षेत्र रेतीला क्षेत्र है और बरसात का पानी जो अलवर, दिल्ली रोड से पश्चिम की ओर से आया है इस क्षेत्र में इस कारण से आया कि यह रामगढ़ मिलकपुर क्षेत्र लो लाइन के अन्दर हैं। अध्यक्ष महोदय, उत्तर के साथ-साथ एक नक्शा भी हमने प्रेषित किया है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था करवाएं सदन में, नो मिनि कांफ्रेंस। सुनाई नहीं दे रहा, साहब। मिनि कांफ्रेंस हो रही है यहां।

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनें।.... (व्यवधान) ...

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : उस ज्ञापन से क्षुब्ध हो कर वापस आ गये है, मुझे ऐसा लगता है. माननीय उप मुख्य मंत्रीजी। ...(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री रामनारायण मीणा : क्या माननीय उप मुख्य मन्त्रीजी, आपकी पार्टी में इतना असंतोष है कि सचिवालय स्तर पर काम ठप्प हो गया ? इतने ज्ञापन दिये जा रहे हैं, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। आप जवाब दें, मन्त्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि लो लाइन के अन्दर यह एरिया है जिस के कारण से जब-जब बरसात एक साथ ज्यादा होती है इस तरह का संकट पैदा होता है।

अध्यक्ष महोदय, यह भी सही है कि अलावड़ा केनाल जिससे अलावड़ा, चौमूं, मुन्शीपुर, चिलवा इन कई गांवों में सिंचाई होती थी। यह जो बरसात का पानी अलवर और दिल्ली रोड की पश्चिम की ओर से आया और सड़क तोड़ता हुआ अलावड़ा केनाल को भी उसने तोड़ा है जिसके कारण से इसका आगे जो पानी इस केनाल के माध्यम से गांवों में जाता था वो पानी नहीं जा रहा है और इस वक्त निश्चित तौर पर वहां एक अस्थायी केनाल बन गयी है, गहरे खड्डे भी हो गये हैं और यह सारा पानी मिलकपुर के पास रूपारेल में जाकर मिलता है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह अलावड़ा केनाल टूट गयी है तो सब से ज्यादा संकट इस केनाल से सिंचित गांवों में है इसलिये मैंने पहले भी निवेदन किया था, अपने उत्तर में भी कहा है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अलावड़ा नहर के ऊपर एक क्रोस, जिसको एक्वेडेट कहते हैं, वो बनाना प्रस्तावित है। और मैं समझता हूं कि चूंकि समस्या भी गम्भीर है और माननीय सदस्य ने ध्यान भी आकर्षित किया है और सरकार पहले से चिंतित भी है और एक योजना विभाग के पास आयी है, निश्चित तौर पर उस योजना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पर शीघ्रातिशीघ्र काम प्रारम्भ करने का प्रयास किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो दूसरा कहा कि यह जो मिलकपुर गांव है इसके पास से जो कटाव हुआ है यह कंचनखाल जो नाला है इससे कटाव वहां न हो इसके लिये एक योजना बनायी है। उस योजना के अन्तर्गत वहां बिलासपुर से मिलकपुर के बीच में भू-संरक्षण का काम भी किया जायेगा और इस के कटाव को रोकने के लिये जो नाला है उस पर कंस्ट्रक्शन का काम भी करेंगे और इसके अलावा एनीकट भी छोटे-छोटे बना कर, यह सारा पानी जब आये तो यह पानी गांवों के अन्दर तबाही का रूप नहीं ले ले, इस पानी का उपयोग हो जाय इसके लिये एनीकट बनाने की भी योजना है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि बिलासपुर के पास जो पुलिया बन रही थी, जो पुलिया पिछले वर्ष टूटी, अध्यक्ष महोदय, और इस वर्ष पी.डब्ल्यू.डी. ने भी लगभग 10 लाख का तखमीना मंजूर किया है और पुलिया का निर्माण पुनः प्रारम्भ हो गया। अब माननीय सदस्य यह कहते हैं कि कैनाल व पुलिया का बैड लेवल समान नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विभाग ने जो कागजात भेजे हैं, जो मैं थोड़े से समय में देख पाया हूं, उन्होंने यह कहा है कि यह लेवल समान है और आप भी यही चाहते थे। परन्तु इसमें अगर किसी तरह की कोई खामी हुई तो निश्चित तौर पर माननीय विधायक महोदय ने जो सुझाव, बातें रखी हैं, उसके अनुसार पूरी जानकारी प्राप्त की जायेगी और मैं आप के माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार चिंतित है। इस पूरे मामले के अन्दर एक डिटेल्ड सर्वे का कार्यक्रम भी करना प्रस्तावित है। उसमें माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उन सुझावों को भी शामिल किया जायेगा और प्रयास यह रहेगा कि इस पूरे काम को चरणबद्ध तरीके से हो, अध्यक्ष महोदय, इसमें बड़ी राशि लगेगी। अब सरकार के संसाधन तो सीमित हैं परन्तु जिस तरह की तकलीफ है, आगे आने वाले जिन गांवों को सिंचाई का पानी मिलता था उन गांवों में जिस तरह का संकट आया है, निश्चित तौर पर इस काम को पूरा करने का पूरा-पूरा प्रयास किया जायेगा। और माननीय सदस्य ने यहां जो अपनी भावना से अवगत कराया है, मैं माननीय सदस्य, आप को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सिंचाई मंत्री महोदय आप के क्षेत्र में भी जायेंगे, आप से चर्चा भी करेंगे और आप भी कोई सुझाव देना चाहें तो आप के सुझाव आमंत्रित हैं।

श्री अध्यक्ष : बहुत बढ़िया। श्री राजेन्द्रजी गहलोत।

जोधपुर जिले के 16 गांवों के नगर परिषद के क्षेत्र में आने पर भी नियमन न होने से उत्पन्न स्थिति

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने एक आदेश दिनांक 19.3.1991 के द्वारा जोधपुर नगर परिषद की सीमा में 1962 में जोड़े गये 16 गांवों की सिवाय चक भूमि पर किये गये अतिक्रमणों को शहरी क्षेत्रों के लिये बने 1981 के नियमों के अन्तर्गत नियमित करने की समस्या पर विचार-विमर्श करने के लिये एक समिति का गठन किया। जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा इस समिति की बैठक दि. 18.3.1994 को आयोजित की गयी। समिति ने यह सिफारिश की कि सिवाय चक एवं खातेदारी भूमि पर किये गये अतिक्रमणों का नियमितीकरण कराये जाने हेतु शहरी क्षेत्रों के लिये बने 1981 के रूपान्तरण नियमों में सशोधन कराये जाये। इसके अनुसार 28.2.1962 की विज्ञप्ति से जो गांव नगर परिषद, जोधपुर में शामिल हुए उनमें 20.2.1962 से पूर्व तथा परन्तु 20.8.1981 पश्चात् तक राजकीय सिवाय चक भूमि पर आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये गये अतिक्रमणों को 250 वर्ग गज तक की सीमा तक निर्धारित रूपान्तरण शुल्क की एक चौथाई राशि, 500 वर्ग गज तक की सीमा तक निर्धारित रूपान्तरण शुल्क की आधी राशि एवं 500 से 1000 वर्ग गज तक के लिये अतिक्रमणों के मामले में साधारण दर से संपरिवर्तन शुल्क शास्ति एवं विकास शुल्क लेकर नियमित किये जाने की सिफारिश की गयी। नियमों में संशोधन का एक प्रारूप भी भेजा गया। उपरोक्त सिफारिशों का परीक्षण किया गया है एवं निर्णय यह लिया गया है कि अलग-अलग शहरों के लिये और वह भी कब्जे की तिथि के आधार पर अलग-अलग राशि निर्धारित किया जाना उचित नहीं है। राजस्थान भू-राजस्व नगरीय क्षेत्रों के लिये कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम, 1981 के नियमों में राजकीय भूमि पर आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये गये जो अतिक्रमण नियमन के योग्य हैं, उनका नियमन उन नियमों में ही कराया जा सकता है।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1962 में जोधपुर शहर के आसपास के 16 गांव नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित कर दिये गये थे। 1962 से लेकर 34 वर्षों तक यह समस्या करीब चालीस हजार परिवारों की है, अभी तक इस विषय में नियमन करने के लिये कई बार समितियां बनीं, कमेटियां बनीं, उसके बाद भी इसका नियमन नहीं किया गया। 1978 के अन्दर यह निर्णय लिया गया कि इन 16 गांवों का नियमन कर जो किसानों की पुरानी बस्तियां है, जो आज से नहीं 100 साल पूर्व से वहां रह रहे हैं, उनको या उनके जो बाड़ें हैं और बाडियां हैं उनका नियमन कर दिया जाये। उसके पश्चात् माननीय मंत्रीजी ने बताया कि 1981 के नियम के अनुसार इसको नियमित कर दिया जाना चाहिये था। परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि 1981 के तहत यह नियमन किये नहीं जा सकते हैं, न वहां की जनता इस बात को स्वीकार करेगी क्योंकि 34 वर्षों तक कई बार इस विषय में विचार किया जा चुका है। 1988 के अन्दर राजस्व

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

मंत्रीजी, राजस्व सचिव और जोधपुर के सम्भागीय आयुक्त और कलक्टर की एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने भी यह निर्णय लिया था जो अभी माननीय मंत्री ने बताया कि 1981 के नियमों में संशोधन करके उसका नियमन किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है, मैंने आज से दो साल पूर्व इसी सदन में यह मामला आपके समक्ष रखा था उसमें माननीय मंत्रीजी ने एक कमेटी जोधपुर के जिला कलक्टर की अध्यक्षता में बनायी थी। उसी कमेटी की रिपोर्ट आयी है। उस रिपोर्ट के अनुसार यह 1962 की जो समस्या है, उसका समाधान किया जाये। माननीय अध्यक्ष जी, जोधपुर के पास यह 16 गांव बड़ोल, मगरा, पूंजला, चोपासनी, हेमा का कुआ, सोढ़ों की ढाणी और बदासिया, काफी लम्बे समय से यह समस्या है। मैं माननीय मंत्रीजी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो कमेटी बनायी है, उस कमेटी की जो रिपोर्ट आयी है उसके अनुसार इसका नियमन किया जाये। साथ में, यह भी निवेदन है आप 1981 की बात कर रहे हैं, 1981 के बाद कई बार राजस्व विभाग से आदेश होने के पश्चात् भी उनमें विकास शुल्क जमा नहीं किया गया। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि 1992 के बाद कोई रूपान्तरण शुल्क नहीं लिया जा रहा है। इसलिए आपसे यह निवेदन है कि कलक्टर की जो रिपोर्ट आयी है, जो कमेटी आपने स्वयं ने बनायी है उसके अनुसार इसका नियमन करने के लिये कार्यवाही करें।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड, आप बिराजें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उसी में उत्तर आ जायेगा, अध्यक्ष महोदय। सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है वह वास्तव में बहुत गम्भीर है। इसमें सरकारी स्तर पर पहले भी राजस्व मंत्री और राजस्व सचिव, तेज कुमार जी, सब लोग वहां मीटिंग कर चुके हैं और उन्होंने अपनी प्रोसिडिंग्स दे दी है और इसमें यह सारे मामले शामिल हैं। आपने भी कलक्टर से रिपोर्ट मांगी है वह रिपोर्ट भी आपके पास आ गयी है। मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगा बाबूपुरा बस्ती जो जोधपुर की है, जैसा 1962 की बात उठायी है सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने, उसी तरह से बाबूपुरा बस्ती, जो कि सरकार ने स्वयं ने अपने उत्तर में माना है कि वह 1955 से बसी हुई है और जोधपुर में बसी हुई है और जोधपुर गांव में बसी हुई है पर उसका आज तक नियमन नहीं किया गया। क्या सरकार उनको नियमित करने का भी इरादा रखती है? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, मंत्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इन 16 गांवों को 1962 में नगरपालिका की सीमा में सम्मिलित कर दिया गया। उसके बाद 1978 में रूपान्तरण के कुछ नियम बने। लेकिन 1981 में जो नियम बने उनके अनुसार इनका नियमन वैसे तो

(श्री गंगाराम चौधरी)

पहले ही हो जाना चाहिये था। राज्य सरकार ने एक सक्युंलर जारी किया था नवम्बर, 1992 में, इस सक्युंलर में यह बात अंकित की गयी थी कि राजकीय भूमि पर, जिसमें चरागाह वगैरह भी शामिल हैं, पर कोई प्रतिक्रमण कर दिया गया हो और 31.3 1992 से पहले अगर रूपान्तरण शुल्क की राशि जमा करा दी गयी हो तो उनका नियमन कर दिया जावे। जो कब्जे हैं उनमें कुछ तो गांव की बस्तियां हैं, जो आबादी भूमि कटी हुई है पहले से, उनके नियमन की तो आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो बस्तियां या आबादी बाद में राजकीय भूमि पर बस गयीं या जो खेती की जमीन थी, कृषि भूमि थी उसके ऊपर बस गयी उनके नियमन का प्रश्न अवश्य पैदा होता है, जो 1981 के नियमों के अन्दर नियमित किये जा सकते हैं। केवल एक बात जो आड़े आ रही है, माननीय सदस्य, वह यह है कि 31.3.1992 की तारीख से पहले रूपान्तरण शुल्क जमा करवा देना चाहिये था, वह हमारे सक्युंलर में एक शर्त है। राज्य सरकार ने जिला कलक्टर की सिफारिश के ऊपर यह विचार किया कि यह जो तारीख है 31.3.1992, इस तारीख को संशोधित कर दिया जाये और इस तारीख को आगे बढ़ा दिया जाये। इसलिए राज्य सरकार की तरफ से मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि यह पैसे जमा कराने की जो तारीख है उससे राज्य सरकार मुकरेगी नहीं जो बस्तियां या प्रतिक्रमण सर्वे की रिपोर्ट में आ गये, जिनका माननीय सदस्य ने भी अलग से जिक्र किया कि यह आबादी फलां वर्ष में बसी, यह आबादी फलां वर्ष में बसी। इन 16 गांवों की बस्तियां 1981 से पहले, बल्कि यहां तक कि 31.5.1987 तक भी राजकीय भूमि पर प्रतिक्रमण हो दुगुनी फीस से वह भी नियमित किये जा सकते हैं। इन तारीखों से पहले सर्वे रिपोर्ट में जो भी आबादियां आ गयी हैं उनका नियमन कर दिया जायेगा। यह तारीख की जो शर्त है यह हटा दी जायेगी, यह मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं।

एक सवाल दूसरी बस्ती का आया। मेरे पास में इस बस्ती के सम्बन्ध में अभी तक जानकारी नहीं है, अध्यक्ष महोदय, इस वक्त मैं उत्तर देने में असमर्थ हूं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो उत्तर मुझे दिया है, उन्होंने यह कहा है कि 1955 से वह बस्ती बसी हुई है और सरकार ने यह माना है, मुझे आपने उत्तर दिया है।

श्री अध्यक्ष : वह याद नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं इस सम्बन्धित मामले पर....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने फरमाया कि 1987 तक जिसका है उसको नियमित कर दिया जायेगा, बिल्कुल यही कहा है और मैंने यही सुना है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1955 में जो बस्ती बसी हुई थी जिसको सरकार

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

ने माना है आपके राजस्व विभाग ने माना है। आपके ग्रुप-थर्ड ने जो रिपोर्ट मुझे दी है उसके अन्दर बाबूपुरा बस्ती को 1955 में माना है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1955 में मानने के बावजूद आपने अभी तक उसको नियमित नहीं किया। क्या आप उसको नियमित कर देंगे ? इस बारे में जवाब दें आप।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कहा कि 1981 के अन्तर्गत उसका नियमन किया जायेगा और पन्द्रह साल तक हमने इस बात के लिए इन्तजार किया कि 1981 के अन्तर्गत सारी जो बस्तियां हैं उसमें जो बस्तियां बसी हुई हैं, माननीय मंत्रीजी उन्हें कब्जा और अतिक्रमण मानते हैं। मेरा यह निवेदन है कि किसानों की बस्तियां थीं, आज से नहीं 100–150 साल से वहां बसी हुई हैं परन्तु 1981 का जब लोगों को यह मंजूर नहीं था उस समय राजस्व मंत्री श्री नरपतरामजी बरबड़ और राजस्व सचिव की एक कमेटी जोधपुर आयी थी और उन्होंने यह कहा था कि इसमें 81 वाले में संशोधन किया जाय। उसी संशोधन के सन्दर्भ में यहां मंत्रीजी ने एक कमेटी बनायी। फिर क्या औचित्य था कि कलक्टर की कमेटी बनाकर दो साल इसको और विलम्ब करने का 81 वाले तो उस समय भी करवा लेते। आज 34 साल तक इन्तजार करने के बाद 81 का फैसला करवाने में जनता को लाभ होने वाला नहीं है और पिछड़ो जाति, अनुसूचित जाति और कमजोर वर्गों के लोग वहां रह रहे हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि 1981 वाला कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि कलक्टर ने जो रपोर्ट भेजी है, जो कमेटी आपने बैठायी है उसके सर्वे के अनुसार कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब क्या है ? बार-बार नहीं। विराजें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आ जायेगा उत्तर....

श्री अध्यक्ष : बाद में पूछ लेना विराजें आप।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आपने जो जबाब दिया है 1955 में बस्ती बसी हुई है बाबूपुरा। यह कलक्टर का जबाब है क्या ? आप इसके आधार पर नियमित कर देंगे क्या ? जो आपने जवाब दिया है। आर्डर आपका ही है।

श्री अध्यक्ष : विराजें। माननीय मंत्रीजी।

श्री हरजीराम बुरडक : मेरा प्रश्न यह है मंत्री महोदय, कि जो आपने उत्तर दिया है 1987 तक नियमन करने का। क्या यह जोधपुर के लिए है या दूसरे शहरों में भी कई बस्ती हैं 1987 तक की जिनको आप नियमित कर देगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह नियम सारे राजस्थान में लागू है केवल जोधपुर के लिए ही नहीं है। माननीय सदस्य प्रस्तावक श्री गहलोतजी ने यह जानना चाहा है, कि

(श्री गंगाराम चौधरी)

1981 के रूल्स को संशोधित किया जाय। इसमें राज्य सरकार मजबूर इसलिए होगी क्योंकि 1981 के सारे नियम राजस्थान में लागू हैं। एक जगह हम कोई दूसरा क्राइ-टेरिया लागू करें और दूसरी जगह कोई दूसरा करें यह डिस्क्रिमिनेशन हो जायेगा। राज्य सरकार के सामने मजबूरी है और 1981 के नियमों के तहत नियमन करने में राज्य सरकार को कोई दिक्कत नहीं आयेगी। मैं इतना कह सकता हूं कि इन नियमों के तहत आगे पैसे जमा करवाने का अवसर देकर अभियान के तौर पर इनका नियमन जल्दी से जल्दी कर दिया जायेगा। बाबूपुरा बस्ती के लिए इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, मुझे यह तो जानकारी नहीं है कि कहां पर है परन्तु इतना कह सकता हूं कि 1981 के नियमों के अन्तर्गत जो नाजायज कब्जे, राजकीय भूमि पर हैं उनमें जो कवर होंगे उनको नियमित कर दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि कमेटी बनाने का क्या औचित्य था? 1981 की कमेटी के अनुसार ही रहना था तो दो साल पूर्व ही यह बात कह देते।

श्री अध्यक्ष : आप यह कह रहे हैं कि यह सारे राजस्थान में हैं 1981 के नियम और जोधपुर के लिए बदले नहीं जा सकते।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, तो फिर यह कमेटी बनाने का औचित्य क्या था? जब आपने सदन में यह आश्वासन दिया था कि कमेटी की रिपोर्ट जब भी आयेगी उस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार उसको नियमित करने की कार्यवाही करेंगे। यह प्रश्न उस समय उठना चाहिए था कि 1981 का जो नियम है उसको संशोधित किया जायेगा या नहीं किया जायेगा। आज लोगों को जिस प्रकार की कठिनाई है। आज समस्या तो 34 साल से है उसके लिए माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उसमें कोई राहत करें।

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने निवेदन किया कि नियमों में संशोधन की आवश्यकता ही नहीं है जो सर्वे हो चुका है, वह उसमें अधिकृत है और पैसे जमा कराने का अवसर आगे दे दिया जायेगा। नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता कहां आ गयी?

श्री अध्यक्ष : बस बात खतम हो गयी, अवसर मिल जायेगा। विराजें आप। माननीय श्री परसादीलालजी।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व अभियान कैम्प लगाकर करेंगे या कैसे करेंगे?

श्री गंगाराम चौधरी : हां, कैम्प लगाकर करेंगे।

श्री राजेन्द्र गहलोत : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : बढ़िया है, आपका तो काम हल हो गया। श्री परसादीलाल जी।

दौसा लोकसभा चुनाव के पीठासीन अधिकारियों को कथित अनियमितताओं के आरोप में चुनाव प्रक्रिया के दौरान निलम्बित किये जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दौसा लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारी की असफलता, जिसके कारण दौसा की पूरे हिन्दुस्तान में बदनामी हुई। जिला कलक्टर और एस पी. वहां से तुरन्त हटाये गये, रि-पोल हुआ। इस सन्दर्भ में माननीय चुनाव मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल (निर्वाचन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में दिनांक 02 मई, 1996 को लोकसभा आम चुनाव हेतु मतदान सम्पन्न हुआ था। इस चुनाव क्षेत्र के 1550 मतदान केन्द्रों में से चौदह स्थानों पर मतदान केन्द्रों पर बलात् कब्जा होने के कारण निर्वाचन आयोग को लिखा गया तथा आयोग ने पुनंमतदान कराने के निर्देश दिये। इन चौदह मतदान केन्द्रों में से दो मतदान केन्द्र संख्या 167 और 168 ग्राम जोण में स्थित थे दिनांक 04 मई, 1996 को इन मतदान केन्द्रों पर पुनंमतदान कराया गया। दोपहर करीब 3.30 बजे तक मतदान शांतिपूर्ण होता रहा। दोपहर 4.00 बजे करीब 200 व्यक्तियों की भीड़ मतदान केन्द्रों से कुछ दूर इकट्ठी हो गयी। करीब 4.15 बजे कुछ व्यक्तियों का एक समूह मतदान केन्द्र में घुसा और मतपत्रों को जबरन हथिया कर उन पर ठप्पे लगा दिये। इस घटना के बाद मतदान दल के सदस्यों ने ड्यूटी पर मौजूद मजिस्ट्रेट और सर्किल आफिसर को मतदान केन्द्र पर बलात् कब्जे की सूचना दी। इस बिन्दु पर आकर मतदान रुका रहा। घटना स्थल पर मौजूद सहायक कलक्टर ने जिला निर्वाचन अधिकारी से वायरलैस पर निर्देश मांगे कि मतदान को वापस चालू कराया जावे या नहीं ? जिला निर्वाचन अधिकारी को यह बतलाये जाने पर कि शरारती तत्व जा चुके हैं और मत डालने के लिए इन्तजार कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान पुन: प्रारम्भ करने की सलाह दी। उन्होंने यह भी बताया कि वह स्वयं तथा डी.आई.जी. घटना स्थल पर पहुंचने के लिए रवाना हो चुके हैं और रास्ते में हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने घटना स्थल पर पहुचकर सारी स्थिति का जायजा लिया। पीठासीन अधिकारियों से लिखित में रिपोर्ट प्राप्त की। पीठासीन अधिकारियों की डायरी को देखा तथा उनके द्वारा लिखी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट देने के बाद पुनमतदान कराने की सिफारिश निर्वाचन आयोग को भेजी। निर्वाचन आयोग के ध्यान में यह प्रकरण लाया जाने पर निर्वाचन आयोग ने पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट को हटाकर अन्य अधिकारियों को नियुक्त करने तथा पुनंमतदान में भी शांतिपूर्ण मतदान नहीं कराने की असफलता की जांच सम्भागीय आयुक्त से करायी जावे। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दोनों अधिकारियों को बदल दिया गया और सम्भागीय आयुक्त से जांच करवा ली गयी। इस जांच रिपोर्ट में जिला प्रशासन की चूक को इंगित करते हुए यह कहा गया है कि मतदान अधिकारियों ने बूथ कैप्चरिंग को रोकने का प्रयास नहीं किया। मतदान

(श्री कैलाश मेघवाल)

प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के निर्वाचन आयोग के दायित्व के निर्वहन में यह निर्देश प्राप्त हुए कि लापरवाही बरते जाने वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जावे। इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारियों द्वारा बरती गयी लापरवाही के कारण उनको निलम्बित कर असैनिक सेवा वर्गीकरण एवं अपील नियम में कार्यवाही की जा रही है।

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है उससे स्पष्ट है कि आपका मजिस्ट्रेट वहां पर था। दो सौ आदमियों की भीड़ आपने बतायी है, लेकिन वहा पर 1000 आदमियों की भीड़ थी। आपका पुलिस और प्रशासन मूकदर्शक होकर वहां पर बैठा हुआ था। आपने सही कहा है, चार बजे के लगभग आपका उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वहां पर पहुंचा, उस भीड़ को लेकर पोलिंग के अन्दर एकदम घुस गया। वहां पर पोलिंग में ले जाने के बाद वहां पर फर्जी मतदान किया गया। गृह मंत्रीजी, फर्जी मतदान करने के बाद सहायक कलक्टर ने जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट की गृह मंत्रीजी। रिपोर्ट करने के बाद वहां पर केन्द्रीय पर्यवेक्षक आ गये। आपके जिला कलक्टर ने यह आदेश दिया कि मतदान को कन्टीन्यू रखा जाय जबकि उसको वह संख्या बता दी गयी थी। 284 फलां बूथ में और 90 मत फलां बूथ में फर्जी डाल दिये गये हैं। यह पीठासीन अधिकारियों ने आपके सहायक कलक्टर को रिपोर्ट दी और आपके कक्लटर जो दौसा में बैठे हुए थे उन्होंने सहायक कलक्टर को यह संदेश भिजवाया कि आप मतदान को कन्टीन्यू रखें जबकि आपका केन्द्रीय पर्यवेक्षक जो वहां पर उस समय मौजूद था उसने यह रिपोर्ट कलक्टर को दी। कलक्टर ने रिपोर्ट लेने से मना कर दिया। उन्होंने सीधे इलेक्शन कमीशन को दी पर आपने वहां पर साढ़े पांच बजे तक फर्जी वोटिंग करवाया। सहायक कलक्टर, आप कहते हैं, पीठासीन अधिकारियों को आप शिकार बना रहे हैं। मैं आपको, निर्वाचन मंत्री को कहना चाह रहा हूं कि जब 500 आदमी उस कमरे में घुस जायें और दरवाजे पर आपका पुलिस और जाप्ता मूकदर्शक होकर बैठा रहे। उनको क्यों अन्दर घुसने दिया था पुलिस बल ने और मजिस्ट्रेट ने उनके जाकर गले पकड़ लिये। गृह मंत्रीजी, निर्वाचन मंत्रीजी, आपके कलक्टर ने उन दोनों पीठासीन अधिकारियों को मतदान के बाद वहां पर कलेक्ट्रेट में बुलाया और धमकाया और यह कहा कि आपने जो रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट को आप बदलिये। पर रिपोर्ट बदलना उनके हाथ में नहीं था निर्वाचन मंत्रीजी, क्योंकि वहां पर केन्द्रीय पर्यवेक्षक को वह रिपोर्ट दे चुके थे। आपका सहायक कलक्टर भी दे चुका था, आपके पीठासीन अधिकारी भी दे चुके थे। पर आपका कलक्टर इस बात पर अड़ा हुआ था रात भर कि आप यह दीजिये कि मतदान शांतिपूर्ण हुआ। उन्होंने अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन किया और ईमानदारी से कर्तव्य पालन की यह सजा उनको आपके कलक्टर ने दे दी है, आपके

(श्री परसादीलाल मीणा)

निर्वाचन अधिकारी ने दी है। इसमें सस्पेण्ड होना चाहिये था आपका कलक्टर एस.पी., वहां पर जो पुलिस के अधिकारी थे, आपका जो मजिस्ट्रेट था और आपने ऐसे अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को, जो कठिन समय में भी जाकर चुनाव करवाते हैं, उनको आपने सस्पेण्ड किया। आज सारा शिक्षक जगत दौसा का आन्दोलित है। हो सकता है स्कूलें बंद हों। आपने क्यों उनको सजा दी है? आपने कितने लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किये जो अन्दर गये? 400–500–200 की भीड़ आप बता रहे थे। जब वह भीड़ अन्दर गयी, आपका पुलिस जाप्ता क्या कर रहा था?

श्री अध्यक्ष : कृपया प्रश्न पूछें। भूमिका बन गयी है, अब आप प्रश्न पूछें।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हू। आपने उनको क्यों नहीं रोका? कलक्टर को आपने सस्पेण्ड क्यों नहीं किया? कलक्टर और एस.पी. को क्यों हटाया गया? डिवीजनल कमिश्नर ने जो जांच की, क्या उसमें कलक्टर और एस.पी. दोषी नहीं हैं?

जब आपका एक पीठासीन अधिकारी कमरे के अन्दर मतदान करवाता है, वहां पर पांच सौ आदमी घुस जाएं, आपका पुलिस और प्रशासन उनको रोके नहीं और आप कहते हैं कि उन पीठासीन अधिकारियों की गलती है। मैं कहना चाहता हूं अगर आपने उनको बहाल नहीं किया, अगर आपने उनको सजा दी, सजा मिलनी चाहिये उस कलक्टर और एस पी. को आपने उल्टा उन छोटे कर्मचारियों को जो आपका इलेक्शन करवाते हैं। आज सारा शिक्षक समाज उनकी बहाली की मांग करता हुआ आंदोलित है, दौसा में। हो सकता है अगर आपने यह कदम जल्दी नहीं उठाया तो दौसा जिले की सारी स्कूलें बन्द हो जायेंगी। एक आन्दोलन होगा और उस आन्दोलन के आगे झुककर सरकार को उनको बहाल करना होगा।

क्या यह बात सही है मैं कहना चाह रहा हूं निर्वाचन मंत्री जी, कि आपकी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चार बजे वहां पर आया और उसने आकर फर्जी वोटिंग करवाया और उसी के कारण यह री-पोल का भी री-पोल हुआ? आज तक हिन्दुस्तान के इतिहास में कहीं भी री-पोल का री-पोल नहीं हुआ। कितना पुलिस जाप्ता आपकी वहां पर मौजूद थी? कौन-कौन अधिकारी वहां पर मौजूद थे? आपका कलक्टर कितने बजे वहां पर गया? आपका एस.पी. कितने बजे वहां पर गया?

ऐसे निठल्ले और निकम्मे लोगों को आपने दौसा में लगाकर, ऐसे अधिकारियों को लगाकर आपने उन कलक्टर और एस. पी. को इनाम दिया है। सरकार ने उनको इनाम दिया है। आज सरकार के खिलाफ जनता की उंगली उठ रही है। कलक्टर को आपने बूंदी लगाया। बूंदी के लोगों ने उसको भगाया, आपने डूंगरपुर लगाया। क्या जरूरत है? जब तक उसकी इलेक्शन कमीशन से जांच पूरी नहीं हो, आपने क्यों उसको कलक्टर लगाया? इसका मतलब सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार

(श्री परसादीलाल मीणा)

ने कलक्टर को कहा था कि पोलिंग कैप्चर करवायें। कैसे भी हो हमारी पार्टी का उम्मीदवार जीते। आपने इन शिक्षकों को जो बलि का बकरा बनाया है, मैं आपसे कहना चाहूंगा वह निर्दोष हैं। आज सारे लालसोट और सारे दौसा जिले की जनता की अवाज है कि निर्दोष कर्मचारियों को आपके कलक्टर और एस.पी. ने अपनी जान बचाने के लिये फसाया इन कमजोर लोगों को, यह जो शिक्षक जगत के लोग हैं ...

श्री अध्यक्ष : आप जानते हैं, एक-एक प्रश्न का उत्तर इसमें हैं, बिराजें आप।

श्री परसादीलाल मीणा : आयन्दा आपको चुनाव में कर्मचारी नहीं मिलेंगे, अगर आपने बहाल नहीं किया तो। मेरी मांग है आपसे कि आप इन दोनों पीठासीन अधिकारियों को अविलम्ब बहाल कीजिये और कलक्टर और एस.पी. के खिलाफ जो डिवीजनल कमिश्नर ने जांच की है,

(12.55)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उस जांच के तथ्यों के आधार पर जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, आपकी सरकार ने क्यों पदस्थापन किया ? क्या कारण थे ऐसे निकम्मे लोगों को, जो चुनाव नहीं करा सके, दौसा जिले में 14 मतदान केन्द्रों पर जो कलक्टर और एस. पी. शांति से चुनाव नहीं करा सकते हैं क्या वह कलक्टर और एस.पी. लगाने के काबिल हैं ? ऐसे अधिकारियों को आप लगायेंगे तो यही हाल होगा।

मेरी आपसे पुन: मांग है कि दोनों पीठासीन अधिकारियों को बहाल करके जिन लोगों ने पोलिंग बूथ पर कब्जे किये हैं, आपके खिलाफ जिन लोगों ने मुकदमें किये हैं और री-पोल का जब 7 तारीख को मतदान हुआ आपके पी.डब्ल्यू.डी मिनिस्टर वहां पर बैठे थे, फर्जी मतदान करा रहे थे। वहां के लोगों ने पकड़ा, उनके चालान किये। यह आपकी सरकार मन्त्रियों का कर्तव्य है वहां जाकर पोलिंग पर बैठकर फर्जी मतदान करवायें। तीसरी बार भी उनके खिलाफ, कितने लोगों के खिलाफ चालान किये हैं ? आपकी सरकार के मन्त्रियों ने वहां पर अपने पद का दुरूपयोग करके लोगों को उकसाया है। हरिजनों को और दूसरे लोगों को वहां पर मतदान नहीं करने दिया। मैं आपसे मांग करता हूं कि दोनों पीठासीन अधिकारियों को बहाल करते हुए कलक्टर और एस.पी. के खिलाफ डिवीजनल कमिश्नर की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर आप कार्यवाही करें।

श्री रामनारायण चौधरी : यह चुनाव आयोग के तहत है या आपके तहत है ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हम जो लाये हैं इसके पीछे एक मकसद यह है कि चुनाव की पवित्रता और चुनाव की गोपनीयता, यह दोनों कायम रहें और निष्पक्ष, यह तो सही है मन्त्री जी आपने मान लिया कि दौसा निर्वाचन क्षेत्र में, राजस्थान में एक तिहाई मतदानों में अकेले दौसा में कब्जे हुए, बूथ कैप्चरिंग हुआ। टोटल 48

(श्री हरिसिंह)

और 48 में से 14 दौसा में, कुछ ही तो घट रहे हैं। अब यह मतदान केन्द्र जोन संख्या 157 और 168, दो तारीख को चुनाव हुआ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्य, आप दोनों माननीय सदस्यों ने परसादी लाल जी ने और आपने दोनों ने दौसा को अशान्त कर रखा है।

श्री हरिसिंह (महुआ) मैं तो अगली बार टोंक आ रहा हूं। तारीख दो को मतदान हुआ-बूथ कैप्चर, तारीख 4 को मतदान हुआ–बूथ कैप्चर, तारीख 7 को मतदान हो तब भी बूथ कैप्चर। लेकिन रिपोर्ट नहीं हुई। आखिर इन सबके पीछे राजस्थान सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों का हाथ था और आपने जितना भी प्रशासन है उसका राजनीतिकरण करने की चेष्टा की है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इसके पास में एक गांव है आलूदा। आलूदा में पांच मतदान केन्द्र. दो तारीख को जो मतदान हुआ उसमें वहां पर शत प्रतिशत मतदान हुआ। आप कल्पना करिये, बिना बूथ कैप्चरिंग के हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। आपने बहुत सारे चुनाव लड़े हैं। बिना बूथ कैप्चर किये शत प्रतिशत मतदान कभी नहीं हो सकता और यहीं पर एक मतदान केन्द्र और था। जिस पर एक मिस्टर विशम्भर दयाल गुप्ता पीठासीन अधिकारी थे। जो आपके कण्डीडेट गये उन्होंने जब बैलट पेपर देने के लिये कहा कि हमको इकट्ठी गड्डियां देवें, उन्होंने मना कर दिया वहां 72 प्रतिशत मतदान रह गया और उसको इनाम यह मिला कि माध्यमिक विद्यालय, तालचिड़ो तहसील, महुआ से बदलकर उसको लालकोट में लगा दिया क्योंकि उसने बूथ कैप्चर नहीं होने दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, मन्त्री जी आप यह बता दें, दूसरे दिन जब वहां मतदान आपने करवाया तो आपकी पुलिस बल में कौन-कौन लोग थे और मजिस्ट्रेट कौन था ? क्या इलेक्शन रूल्स में बलात् मतदान केन्द्र पर कब्जा करना एक काग्नीजेबल आफेंस है ? अगर है तो फिर वह जो पुलिस के अधिकारी और मजिस्ट्रेट वहां लगे हुए थे उनको काग्नीजेंस लेना चाहिये था कि नहीं लेना चाहिये था ? और अगर उन्होंने काग्नीजेंस नहीं लिया है तो उनके खिलाफ क्यों नहीं आपने कार्यवाही की ? और कार्यवाही किसके खिलाफ की, जिसने भीड़ को अलाऊ किया अन्दर जाने के लिये। वह गरीब मास्टर वहां बैठा हुआ था। उससे जबर्दस्ती बैलट पेपर छीने, 270 एक मतदान केन्द्र पर 90 एक पर। ठकाठक मोहर लगायी और ठोक दिये और पेटी में डाल गये। एक अधिकार, उपाध्यक्ष महोदय, पीठासीन अधिकारी को इलेक्शन रूल्स में दिया हुआ है और वह है गोपनीय प्रतिवेदन लिखने का। जब आपकी पूरी मशीनरी फेल हो जाये, मतदान केन्द्र पर कब्जा रोकने में आपके सुरक्षा बल फेल हो जायें तो उसको अधिकार दिया हुआ है कि वह गोपनीय प्रतिवेदन में इसका उल्लेख कर दें। गोपनीय प्रतिवेदन में आपने कहा है कि कलेक्टर वहां आया और उसने गोपनीय

(श्री हरिसिंह)

प्रतिवेदन को देखा, गोपनीय प्रतिवेदन को तो मंत्रीजी इलेक्शन प्रक्रिया सम्पूर्ण होने के बाद पीठासीन अधिकारी लिखता है। अकेला, गोपनीय प्रतिवेदन वहां पोलिंग स्थान पर कलक्टर ने नहीं देखा है। पेटियां आ जाने के बाद खोल कर के उसने लिख दिया कि मध्य बूथ कैप्चर हो गया, मतदान पर बलात् कब्जा किया गया है। 270 (1) में और 90 (1) में मतपत्र फर्जी डाल दिये गये हैं। तब कलक्टर साहब और एस. पी. साहब दोनों पीठासीन अधिकारियों को एक बजे तक लेकर बैठे रहे। उनको दबाया, उनसे कहा कि आप दूसरा गोपनीय प्रतिवेदन लिखो, इसको हम फाड़ देते हैं। उन्होंने कहना नहीं माना, कहना नहीं मानने की उनको सजा दी गयी, उनको सस्पेण्ड किया।

मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूं सस्पेंशन का कोई गम नहीं है, अधिकारी कर्मचारी सस्पैण्ड होते रहते हैं लेकिन चुनाव में निष्पक्षता से जो काम करें उसका अगर सस्पेंशन हो, यह मैसेज गया पूरे राजस्थान में, यह गुण्डागर्दी से मतदान केन्द्रों पर कब्जा करते हैं और उनके लिये कोई पीठासीन अधिकारी अपनी गोपनीय प्रतिवेदन में लिखेगा तो उसका यही हश्र होगा, यही सिखाया है आपने पीठासीन अधिकारियों को। चुनावों की पवित्रता और निष्पक्षता आप भंग करने जा रहे हो इसलिए जिन अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ आपको काम करना चाहिये था, जिनका सस्पेंशन करना चाहिये था, वह पुलिस के अधिकारी हैं, वह मजिस्ट्रेट हैं, जो एरिया देखने के लिये जाता है एरिया मजिस्ट्रेट, उनको तो आप कुछ नहीं कह रहे। इधर 72 प्रतिशत मतदान रह जाने पर पीठासीन अधिकारी को ट्रान्सफर कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, दौसा क्षेत्र में करीब 100 से अधिक ऐसे मतदान केन्द्र हैं जिन पर 90 प्रतिशत से उपर मतदान हुआ। लेकिन वह भयभीत पीठासीन अधिकारी, उसने नहीं लिखा वह तो अच्छा है, उनको इनाम मिल गया। 90 मतदान केन्द्र ऐसे हैं जिन पर 90 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है और बूथ कैप्चर हुआ है, लेकिन जिन्होंने उल्लेख नहीं किया गोपनीय डायरियों में उनको तो इनाम मिल गयी लेकिन जिन्होंने निष्पक्षता से चुनाव करवाया, चुनाव की पवित्रता को कायम रखा उसको आपने सजा दी है और सस्पैण्ड करके कार्यालय में डाल रखा है। उनको मेन्टली आप टार्चर कर रहे हैं। उनकी ईमानदारी का और निष्पक्षता का आपने यह नमूना दिया है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं चुनाव की पवित्रता को और निष्पक्षता को कायम रखें और इसको कायम करने के लिये यह निश्चित आवश्यक है कि इन दोनों पीठासीन अधिकारियों को क्षमा मांगते हुए तुरन्त बहाल कर दें और उस कलक्टर और एस. पी. जिसको आपने इनाम देकर दुबारा कलक्टर एस. पी. बना दिया है, वह चुनाव करवाने में निष्फल रहे, चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवाने में निष्फल रहे उनको यहां वापस बुला कर उनके गोपनीय प्रतिवेदन में रेड मार्क से लिखा जाये कि यह निकम्मे और निठल्ले अधिकारी हैं

(श्री हरिसिंह)

जिन्होंने भारत की चुनाव प्रक्रिया के सम्बन्ध इलेक्शन रोक करके यह किया है। इन लोगों को भविष्य ने कभी पीठासीन अधिकारी नहीं लगाया जाये। महत्वपूर्ण पदों पर पद स्थापन नहीं किया जाये। धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दौसा जिले में 1996 में 48 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया गया। उसमें पूरे भारत के अन्दर केवल दौसा जिले के आई. पी. एस. अधिकारी एस पी. महोदय, आई. ए. एस. अधिकारी कलक्टर महोदय को रातों रात चुनाव आयोग ने एक संकिण्ड के अन्दर हटा दिया, कह दिया दौसा जिले मे शट आउट हो जाओ। दौसा जिले को छोड़ दो और जयपुर में लाइन हाजिर करवा दिया। इसलिये कि केन्द्रीय शासन यह चाहता था, इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया यह चाहता था कि निष्पक्ष चुनाव हों और राजस्थान सरकार के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हिमायती करने वाले जो वहां पर एस. पी. बैठे थे, कलक्टर बैठे थे जिन्होंने निष्पक्ष जांच नहीं की तो जो सीनियर अधिकारी केन्द्रीय चुनाव आयोग से आये थे उनके द्वारा उनको किया गया और माननीय टी. एन. शेषन के आदेश से रातों रात 15 मिनट में उनको दौसा जिला छोड़ना पड़ा। यह आपके द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारियों की स्थिति है। मेरा निवेदन करना यह है कि जब एक तरफ चुनाव आयोग ने किया तो क्या राज्य सरकार ने अभी तक पूछा चुनाव आयोग से कि वह क्या वजह थी जिससे यह इतनी उच्च सेवा के अधिकारी हैं इनको रातों रात 15 मिनट के अन्दर दौसा जिला खाली क्यों करना पड़ा? सीमा छोड़ कर क्यों जाना पड़ा। कभी इसके बारे में कोई सोचा गया कि आखिर पूरे भारत के अन्दर केवल दो अधिकारियों को हटाया गया तो उनका ऐसा क्या कारण रहा है, क्या वजह रही हैं। इन्होंने कौनसे ऐसे गलत काम किये जो इनको निकाला गया।

मेरा यह भी कहना है कि इन लोगों ने, दो पीठासीन अधिकारी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिन्होंने चुनाव करवाये और जिनसे पहले केन्द्रीय पर्यवेक्षक मिल चुके थे। केन्द्रीय पर्यवेक्षकों ने उनको बता दिया था कि इस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग आये, नारेबाजी की और काफी तादाद में लोग उसके बावजूद भी यहां घुस गये और घुसने के बाद बैलट पेपर छीन ले गये। बैलट पेपर छीन कर इन्होंने कमल के फूल पर सील लगा दी फिर कह दिया जाओ और कहा कि ज्यादा करोगे तो पीटेंगे। ऐसी स्थिति में जो रिपोर्ट दी वह रिपोर्ट नहीं मानी गयी और माननीय कलक्टर महोदय ने, शर्म के साथ कहना पड़ता है कि माननीय कलक्टर महोदय ने एस. पी. साहब को बुलाया और थर्ड डिग्री मैथड से दोनों प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को कहा गया कि अब आपको नौकरी करनी है तो आप रिपोर्ट बदलिये। उनको आठ बजे तक न चाय पिलायी गयी न खाना खिलाया गया और करीब सुबह चार बजे तक कम्पेल डाउन किया गया कि वह रिपोर्ट बदलें। उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

कैसे बदलें हमारे तो पिताजी, जो केन्द्रीय पर्यवेक्षक हैं वह ले गये वे हमारी खाल उधेड़ देंगे। ऐसी स्थिति में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनके पास क्या अधिकार था। हमारे माननीय कलक्टर महोदय ने दौसा छोड़ने से पहले उन दो पीठासीन अधिकारी जो कि शिक्षक थे उनको सस्पेण्ड कर दिया।

मेरा निवेदन करना यह है कि आज दौसा जिले का पूरा शिक्षक वर्ग कहता है कि आने वाले चुनावों में कौन भाग लेगा। क्यों हम जायेंगे, क्यों वोटर लिस्ट चैक करेंगे? क्यों करेंगे जबकि हमारे ऊपर इस तरह दबाव पड़ता है। इतना ही नहीं शर्म की बात है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र बांदीकुई में ए. सी. एम. बांदीकुई के, जो भारतीय जनता पार्टी का कैण्डीडेट है उन्होंने न केवल दुर्व्यवहार किया बल्कि थप्पड़ मारा उसके बाद भी नहीं हुआ तो एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कैण्डीडेट आ रहे थे और दूसरी तरफ से ए. सी एम. और स्टाफ आ रहा था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ए सी. एम. बांदीकुई को एक किलोमीटर तक सकड़े नाले में वापस से जीप लेनी पड़ी और वापस बैंक करना पड़ा। कहा कि जिन्दा रहना है तो चले जाओ नहीं तो गोली से उड़ा दिया जायेगा और ए. सी. एम. चुपचाप, मय स्टाफ बांदीकुई चला गया। तहसीलदार उनके साथ, नायब तहसीलदार उनके साथ, सारा स्टाफ उनके साथ में, उनके साथ यह हुआ। होना तो यह चाहिये था कि 332 और 353 आई. पी. सी. में मुकदमा दर्ज करना चाहिये था।

मेरा निवेदन करना यह है कि हमारे यहां बांदीकुई में सेण्ट फ्रांसिस स्कूल है उसके अन्तर्गत, पालड़ा के अन्तर्गत, झालावास के अन्तर्गत और विरदापुरा के अन्दर चार जगह गलत मतदान किया गया और उस जगह खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के कैण्डीडेट ने किया, पुलिस ऐसे देखती रही जैसे कोई कबूतर फड़फड़ाता है। क्योंकि पुलिस भी पिटती, ऐसा जंगल का कानून बना रखा था। यह है भारतीय जनता पार्टी का राज और आज तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। आज तक कलक्टर दौसा के बारे में, (व्यवधान) एस. पी. दौसा के बारे में यह भी नहीं पूछा गया कि आखिर ऐसा कौनसा उन्होंने गैर अनुशासन का काम किया था। ऐसी उन्होंने क्या कर्तव्यपरायणता में चूक की थी जिसके कारण उनको रातों रात यहां से भगाना पड़ा। उनका काला मुंह हुआ। पूरे देश के अन्दर और पूरे विदेश के अन्दर यह इन आई. पी. एस. अधिकारी, आई. ए. एस. अधिकारियों का चुनाव के दौरान मध्य रात्रि को रातों रात ट्रान्सफर किया, इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया ने, केवल दौसा में और कहीं मिसाल नहीं है। यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है बड़ी गहरी बात है, संवेदयशील बात है। इस पर राजस्थान सरकार और निर्वाचन विभाग ने कुछ नहीं किया। तो मेरा यह कहना है कि ऐसी स्थिति में जो प्रिजाइडिंग आफिसर हैं उनका सम्बल बढ़ाने के लिये, उनका मनोबल बढ़ाने के लिये और जिन्होंने कम्पेल डाउन किया कि गलत रिपोर्ट करें

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

उन दोषी लोगों को, होना तो यह चाहिये था कि कलक्टर, दौसा और एस. पी., दौसा उसके खिलाफ चालान पेश किया जाता उनको बिहाइंड दी बार किया जाता और उनको जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है, अधिकारी–कर्मचारी के खिलाफ सीधी रिपोर्ट नहीं करने का, उनके खिलाफ चालान नहीं करने का, यह गवर्नमेंट उनको परमिशन देती, वह प्रासीक्यूट होते और मालूम पड़ता कि किस तरह एक अधिकारी को जिसने कर्तव्यपरायणता की उसको सस्पेण्ड करने का क्या अधिकार है · और उनको नौकरी से हटाने की धमकी दी गयी। जिसकी बजाय उनको प्रीमियम दिया गया, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बोनस दिया गया। उनको पहले बूंदी लगाया गया फिर उनको डूंगरपुर लगाया गया। अभिशंसित करना है तो कर्तव्यपरायण आदमियों को करो जिनको सस्पेण्ड कर दिया गया। अभिशंसित आप उन लोगों को करो, जिनमें असंतोष है, आपने उनको अभिशंसित किया जिन्होंने फर्जी मतदान करवाया। जिन्होंने यह ठेकेदारी ली थी कि दौसा के अन्दर भारतीय जनता पार्टी का कैण्डीडेट किरोड़ीलाल मीणा को जीता कर हम रहेंगे। कांग्रेस को नहीं जीतने देंगे फिर भी जनता की आवाज के सामने किसकी आवाज निकली है। वह व्यक्ति जिसने इतना फर्जी मतदान करवाया। वह व्यक्ति जिसने इतना गलत मतदान करवाया उनका यह हश्र हुआ वह हारे और मेरे निर्वाचन क्षेत्र से आठ हजार वोट से आये ....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप कब बिराजेंगे यह तो बतायें। कितनी देर में बैठना चाहते हैं आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं तो कल रात को भी बैठ गया था। अब भी बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो निवेदन करना चाहता हूं आप उत्तर सुनिये। सरकार का उत्तर सुनना चाहते हैं कि नहीं ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं सवाल पूछ रहा हूं। मेरा पहला सवाल तो यह है कि (व्यवधान)....वही कर रहे थे जो आप सुन रहे थे।

श्री रामनारायण चौधरी : यह मामला बड़ा पेचीदा है। मैं आपसे इन्फोर्मेशन के लिए जानना चाहता हूं कि चुनाव इलेक्शन कमीशन के सुपरिटेण्डेंस में हुए। इलेक्शन कमीशन के अण्डर में सारा स्टाफ था। राजस्थान का होम मिनिस्टर उस सम्बन्ध में कितने काम्पीटेंट हैं जवाब देने में, एक्शन लेने में। एक सिपाही से लेकर के उस समय जो भी अधिकारी था वह सब इलेक्शन स्टाफ, इलेक्शन कमीशन के अण्डर में था। किसी को ससपेण्ड किया तो उन्होंने किया, कोई ड्यूटी पर लगाया तो उन्होंने किया। वह एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, वह लोग आगे जो कुछ करें अब इसमें राजस्थान सरकार के इलेक्शन मिनिस्टर किस कम्पीटेंस से जवाब देंगे। और कितने वह देने के लिए अधिकृत हैं। कितने वह सक्षम हैं यह एक पाइंट है जो मैं जानना चाहता हूं जो मुझे एजीटेट कर रहा है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : श्रीमान्, मेरे तीन सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि ...

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो इन्होंने कांग्रेस को हराने की योजना बनायी। अब यह साबित करना चाहते हैं कि आठ हजार मेरे विधान सभा क्षेत्र के होने की वजह से जीते हैं। यह विषय या तो इलेक्शन पिटीशन का हो सकता है या यह विषय इलेक्शन कमीशन का हो सकता है या यह विषय यहां का है ही नहीं जिस पर यह चर्चा हो रही है....

श्री हरिसिंह (महुआ) : ...हम यह साबित कर दें कि आप बनवारी लाल बैरवा की मदद कर रहे थे कांग्रेस वालों की.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, कर रहे थे। हम जीता कर लाये। हम रहे थे और हम जीताकर....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे तीन सवाल हैं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि आपने कलक्टर दौसा जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है तथा राजस्थान पुलिस सेवा के, उच्च सेवा के अधिकारी है, आई. पी. एस. अधिकारी हैं एस. पी. दोनों को गलती पर पाया इलेक्शन कमीशन आफ इंडिया ने उनको हटाया। ऐसी स्थिति में आपने उन्हें कौनसी अवैधानिकता और कौनसी गलती के लिए दण्डित किया? क्या उनकी कोई इनक्वायरी चल रही है? किस तरह की प्रशासनिक इनक्वायरी चल रही है?

श्री उपाध्यक्ष : सवाल नम्बर एक....

श्री शैलेन्द्र जोशी : पहला सवाल....

श्री उपाध्यक्ष : सवाल नम्बर दो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सवाल नम्बर दो। मेरा यह कहना है कि वह व्यक्ति जिनको कम्पेल डाउन किया गया कलक्टर के द्वारा और एस. पी के द्वारा कन्फाइन करके, रोंगफुल कन्फाइन करके उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उस बारे में क्या जांच हुई और आप उनको कब बहाल करने जा रहे हैं? मैरिट के आधार पर, जांच के आधार पर, निष्पक्षता के आधार पर।

तीसरी बात यह है कि जौन में जहां पर बलात् मतदान हुआ उस दिन जिस समय भीड़ आयी। उससे पहले आप बतायें निष्पक्षता से कि कितने पुलिस अधिकारियों का अरेंजमेंट आपने कर रखा था। जबकि आपको मालूम था कि वह सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या आप सक्षम हो कुछ कहने के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो फैक्ट्स रखने के लिए समक्ष हूं। एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया है है तो निर्वाचन मंत्री के रूप में जो फैक्ट्स हैं मेरे सामने वह मैं सदन से छुपाना नहीं चाहता। मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने वह स्थिति सामने लाकर रख दी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामनारायण जी से

(श्री हरिसिंह)

पूछना चाहता हूं कि यहां कोई निर्वाचन अधिकारी आयेगा जवाब देने के लिये यहां पर भारत का इलेक्शन कमीशन आयेगा क्या जवाब देने के लिए ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : पार्लियामेंट में उठायेंगे तो इलेक्शन कमीशन जायेगा क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी : वह तो उनसे पूछें।

एक माननीय सदस्य : हां, इलेक्शन कमीशन जायेगा। हम सम्बन्धित मंत्री से पूछ रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया सुनें। उत्तर सुनें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बहुत समझदारी की बात कही है यह आपके सामने।

श्री शैलेन्द्र जोशी : नासमझ तो यही कहेंगे कि समझदारी की बात कही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने भाई को खड़ा किया कितने वोट दिलाये.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप तो स्वयं अजवर चले गये....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : कुछ मुद्दे उठाये गये। लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने मैंने जो तथ्य रखे थे उनसे सहमति व्यक्त की और अपनी पीड़ा भी व्यक्त की कि क्यों उनको निलम्बित किया गया है। मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन फिर भी राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाये। उन्होंने राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण मंत्री पर आरोप लगाया कि वह वहां बैठकर फर्जी मतदान करवा रहे थे। मैं इसका बहुत ही स्ट्रांग प्रतिरोध करता हूं और यह बिलकुल ही असत्य कथन कहा गया है।

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्री जी वहां गये थे। फर्जी वोटिंग हुई थी। उनमें से पुलिस गिरफ्तार करके ले गयी। गलत बात कही है। वहां थे मौजूद आठ तारीख को....(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : देश में चुनावी लड़ाई लड़ी जाती है और चुनावी लड़ाई में जोश भी होता है, खरोश भी होता है, आवेश भी होता है। अपनी विजय प्राप्त करने के लिये उम्मीदवार भी और दूसरे समर्थक भी बहुत मुस्तैदी से चुनाव लड़ते हैं और राजस्थान के जो लोकसभा के चुनाव हुए दौसा निर्वाचन क्षेत्र बहुत ही संघर्षमय और बहुत ही तेजी से जहां चुनाव प्रचार हुआ ऐसा एक लोकसभा चुनाव क्षेत्र था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बूथ केप्चरिंग की घटनाएं इस देश में नयी नहीं हैं। वहां 1550 पोलिंग स्टेशन हैं और 1550 में से 14 में री-पोलिंग हुआ, री-पोलिंग होना भी कोई नयी प्रक्रिया नहीं है लेकिन मैं आपकी सूचना के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि चीफ इलेक्शन....

श्री परसादीलाल मीणा : री-पोलिंग का री-पोलिंग यह नया है।

श्री कैलाश मेघवाल : हुआ है। यह तो फैक्ट्स है।

श्री परसादीलाल मीणा : पहले भी हुआ था क्या ?

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं हुआ है। मैं ना नहीं कर रहा हूं। पहले नहीं हुआ तो अब हो गया। कई बातें पहली बार होती है यह पहली बार हुआ। तीसरी बार। इसमें कहां दिक्कत है। जो फैक्ट्स हैं उनको मैं नहीं छुपाता। मैं निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि चीफ इलेक्शन कमीशन के जिस तरह के कड़े निर्देश थे कि चुनाव की घोषणा होने की तारीख से और चुनाव का परिणाम गजट में नोटीफाइड होने तक सम्पूर्ण प्रशासनिक मशीनरी चीफ इलेक्शन कमीशन के ज्यूरिस्डिक्शन में चली जाती है। चाहे किसी तरह की कार्यवाही हो और उस समय जो सरकारें हैं वह भारतीय जनता पार्टी की पार्टी के रूप में काम करने को बाध्य हो जाती हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के अनुसार सभी पार्टियां अपना-अपना कार्य करती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कलक्टर तो हमेशा ही चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में है क्योंकि वह चीफ इलेक्टोरल आफिसर है डिस्ट्रिक्ट का। वह तो हमेशा उनका है लेकिन दूसरी जो सम्पूर्ण प्रशासनिक मशीनरी है वह उनके अधिकार में चली जाती है और उनके निर्देशों पर काम करती है और आपने तो वह सारे निर्देश देखे होंगे आप स्वयं डिप्टी स्पीकर हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कि यूं नहीं जायेंगे कोई अफसर मिलने नहीं जायेगा, कोई अफसर सर्किट हाउस में नहीं जायेगा, कोई अफसर साथ नहीं जायेगा, लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होगी। जितना निष्पक्ष चुनाव कराने की चीफ इलेक्शन कमीशन के आदेश है और मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी ने पूरा योगदान दिया है।

श्री रामनारायण चौधरी : निष्पक्ष चुनाव में आपका और आपकी पार्टी का क्या योगदान है ?

श्री कैलाश मेघवाल : बहुत बड़ा योगदान रहा है ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें आपके निष्पक्ष होने का कोई योगदान नहीं है। आपने सारे सिस्टम को बिगाड़ा है।

श्री कैलाश मेघवाल : हमने मोडल कोड आफ कडक्ट को फेथफुली पालन किया है ...

श्री रामनारायण चौधरी : कोड आफ कंडक्ट को तो हमने किया है....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक सेकण्ड। आप गोपनीय डायरी मंगायेंगे क्या ? यह मतदान केन्द्र जो री-पोल हुआ है इस पर पीठासीन अधिकारी ने क्या लिखा है।

श्री परसादीलाल मीणा : क्या रिपोर्ट है ? बताइये आप।

श्री हरिसिंह (महुग्रा) : वह भारतीय जनता पार्टी के तथ्य को उजागर कर देगी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : वह डायरी मंगा दें।

श्री हरिसिंह (महुग्रा) : उसमें लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने मतदान केन्द्र के अन्दर घुसकर के जबरदस्ती बैलेट पेपर्स पर कब्जा किया.... इसमें लिखा हुआ है....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप डायरी पढ़ लें...

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस देश में 1991 में भी लोकसभा के चुनाव हुए थे। ठीक पांच साल पहले और 1991 में इलेक्टोरल ओफेन्सेज जो उस चुनाव में हुए वह 292 हुए और मुझे इस बात की खुशी है कि वैसे यह भी नहीं होने चाहिए थे लेकिन 1996 के लोकसभा चुनाव में 292 से घटकर इलेक्टोरल ओफेन्सज 68, केवल 68 पर नम्बर आ गया. (व्यवधान) यह है हमारी निष्पक्षता ।....(व्यवधान) हमने योग दिया है।

श्री परसादीलाल मीणा : जब आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो फिर आपने कैसे निष्पक्ष कह दिया।

श्री कैलाश मेघवाल : आपने कम योग दिया है हमने ज्यादा योग दिया है। देश के चुनाव निष्पक्ष और स्वतन्त्र हों।

श्री रामनारायण चौधरी : भारतीय जनता पार्टी ने शांतिपूर्ण... (व्यवधान) इसमें क्या आप कर रहे हैं और क्या वह कर रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश पोल 1991 में 59 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे सारे लोकसभा चुनावों के.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सभी का योगदान रहा है। आप विराजें।

श्री कैलाश मेघवाल : हमारा ज्यादा रहा है। इनका कम रहा है।

श्री हरिसिंह (महुग्रा) : आप इसको डायलूट कर रहे हैं....

श्री कैलाश मेघवाल : मैं डायलूट नहीं कर रहा हूं....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : गृहमन्त्रीजी मेरा ज्यादा रहा कि मैंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी पोलिंग कैप्चर नहीं होने दिया।

श्री कैलाश मेघवाल : बहुत अच्छा। बधाई हो आप को।

श्री परसादीलाल मीणा : यह आपका भारतीय जनता पार्टी का जहां से एम.एल.ए. था उसी के क्षेत्र में रीपोलिंग की घटना घटी है....श्री परसादीलाल मीणा कांग्रेस वालों के क्षेत्र में नहीं घटी और आपके में कैसे घटी। विचार करिये आप इस पर (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : आप ज्यादा ताकतवर हैं। पोलिंग स्टेशन पर केप्चरिंग की शिकायत कब होती है और कब नहीं होती सारे देश में इस तरह की स्थितियां भीहैं। लोग सुनाते भी हैं कि कई जगह बूथ केप्चरिंग हो गयी लेकिन कोई शिकायत करने वाला ही नहीं मिला। हो सकता है कि आपके यहां आपने कराये हो लेकिन कोई शिकायत करने वाला ही न हो, भयभीत होकर के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह तो प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। आप सुन नहीं रहे हैं। आप सुनने का....(व्यवधान) प्रयास कीजिए। कृपया बिराजें। आप उत्तर तो सुनें

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपको बता रहा था कि 1991 में 59 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां री-पोल हुआ और 1996 में केवल 48 जगह पर री-पोल हुआ। वह भी नहीं होना चाहिए था, हम मानते हैं। यह री-पोलिंग की स्थिति नहीं आयेगी अगर हम सब एक अनुशासित राजनैतिक कार्यकर्त्ता के रूप में मॉडल कोड आफ कण्डक्ट का पूर्णतया पालन करेंगे। यह सब के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है और दूसरी पार्टियों के लिए भी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि चुनाव की तारीख की घोषणा से लगा कर और चुनाव का नोटिफिकेशन होने तक सम्पूर्ण प्रशासनिक मशीनरी इलेक्शन कमीशन के अण्डर में होती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय सारी कार्यवाही, अनुशासनात्मक कार्यवाही, दाण्डिक कार्यवाही, यह सारी होती है और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले 1991 के चुनाव में इलेक्शन कमीशन के निर्देश जो उन्होंने दिये थे हमारे यहां के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजस्थान के सस्पैंड हुए थे। अभी जैसा कहा गया कलक्टर और एस. पी. के बारे में।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : वह मशीनरी तो उनके अण्डर में होती है और बूथ कैप्चर करने वाली मशीनरी R. S S. आपके अण्डर में होती है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुनें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शांतिकुमारजी धारीवाल तो 15 वोट से हेराफेरी से बड़ी मुश्किल से जीत कर आये हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप भी इलेक्शन में हेराफेरी से 225 वोटों से जीते हैं। हेराफेरी से जीत कर आये हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : आप भी हेराफेरी से जीते थे, नहीं तो मामला गड़बड़ था।

श्री हरिसिंह (महुआ) : चीफ मिनिस्टर साहब ने टेलीफोन किया, निर्वाचन अधिकारी को दबाया ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य शांतिकुमारजी 15 वोटों से भी फर्जी जीत

(श्री कालूलाल गूजर)

कर आये हैं, 15 वोटों की हेराफेरी करके जीत कर आये हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जैसा आपने बताया कि मैंने हेराफेरी करी तो मैंने तो सिर्फ 15 की करी है, इन्होंने कितनों की करी है ?

श्री कैलाश मेघवाल : 206.

श्री परसादीलाल मीणा : 240 वोट की हेराफेरी करी है।

श्री कैलाश मेघवाल : 206 वोट से मैं जीता हूं। कांग्रेस ने भयंकर रूप से हेराफेरी करी जिससे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जीतने का परसेंटेज कम रहा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : राज किस का है ?

श्री परसादीलाल मीणा : आपने 240 की हेराफेरी की और इन्होंने तो 15 की करी है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सच है कि दो तारीख को यहां पोलिंग हुआ था ...

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है....

श्री उपाध्यक्ष : इनका पूरा उत्तर आने दीजिये। आप शांति रखिये, धैर्य रखिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिये, लीपा-पोती नहीं करें।

श्री उपाध्यक्ष : आपका भी आ रहा है।

श्री कैलाश मेघवाल : बांदीकुई से आने वाले माननीय विधायक से मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें दो तारीख को पोलिंग था, सारे राजस्थान में 2 तारीख को पोलिंग हुआ था। 27 और 2 तारीख को, 2 तारीख को जोन के इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों पर शांतिपूर्ण पोलिंग नहीं हुआ इसलिए कलेक्शन कमीशन ने 4 तारीख को पुनंमतदान की तारीख तय की थी। 4 तारीख की जो घटनाएं आपके सामने आयी हैं उन घटनाओं के आधार पर 4 तारीख को भी री-पोलिंग नहीं होने से इलेक्शन कमीशन जागा और जागने के बाद 5-5-96 को इलेक्शन कमीशन ने यहां वायरलेस दिया और वायरलेस देकर कहा है कि "Detailed enquiry should be conducted by the Revenue Divisional Commissioner regarding the failure of the administration in preventing vitiation of the poll process even during the re-poll phase on 4.5...."

बड़ा सीरियस लिखा है इसको कि री-फेज जो हुआ था 4-5-96 को "....inspite of the presence of large number of police personnel." तो बड़ा गम्भीरता से लिया और गम्भीरता से लेने के साथ उन्होंने यह निर्देश दिया कि कलक्टर और एस. पी. को तुरन्त हटायें और उनके निर्देश से कलक्टर और एस. पी. को तुरन्त हटा दिया गया। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रेविटी

(श्री कैलाश मेघवाल)

कमीशन्स और ओमीशन्स कुछ होते हैं उस कमीशन्स और आफेंसेज में जो ओमीशन्स हैं। यह अगर इलेक्शन कमीशन उस समय मान कर यह निर्देश देते कि इनके खिलाफ एस. पी. का यह ओमीशन रहा है या कलक्टर का यह कमीशन रहा है। इन दोनों पर इस तरह का उत्तरदायित्व ठहराते तो कहना सच है लेकिन कार्यवाही होती है और उन्होंने कहा, क्योंकि ये सक्षम नहीं दिखते हैं। देखिये, सक्षमता की भी ग्रेविटी होती है। कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट और सक्षम हो तो वह सम्भाल लेता है कोई एरर आफ जजमेंट करके सक्षम नहीं हो तो इनको सक्षम मानते हुए कि री-फेज में जब पोलिंग नहीं करा सके तो हटा दिया जाये और हटा दिया गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वीकार करता हूं मैं, और उनकी सक्षमता पर एक प्रश्नचिन्ह लग गया। उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को सारी रिपोर्ट होने के बावजूद भी उन्होंने कोई कार्यवाही करने के किसी तरह के निर्देश नहीं दिये। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं दिये तो फिर तो फिर क्यों सस्पेंड किया ?

श्री कैलाश मेघवाल : मैं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं। इलेक्शन कमीशन के इस निर्देश के अनुसार कमिश्नर, जयपुर ने एक कार्यवाही की और जांच की। कमिश्नर, जयपुर की जांच के आधार पर उसमें दो चीज मानी है, दूसरा नेग्लीजेंस मानी है, कंट्रीब्यूटरी नेग्लीजेंस माना है, सुपरवाइजरी नेग्लीजेंस माना है, डायरेक्टर नेग्लीजेंस माननीय 'The two Presiding Officers namely Mr. Radheyshyam Dhakar and Mr. Ramesh Chandra Sharma also failed to discharge their duties in effective manner. They did not resist and oppose miscreants.'

श्री परसादीलाल मीणा : क्या कर सकते हैं ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : कैसे कर सकते थे।

श्री परसादीलाल मीणा : कैसे कर सकते, 200 आदमियों की भीड़ और पुलिस दल और मजिस्ट्रेट वहां मौन धारण करके बैठे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक सैकण्ड, आप कल्पना करिये, मैंने आपसे सीधा-सीधा एक प्रश्न पूछा था कि आपकी पुलिस वहां थी रेजिस्ट उनको करना चाहिये था या पीठासीन अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को। भीड़ को अन्दर घुसने से रोकने की किस की ड्यूटी थी ? यहां पर यह प्रश्न है। पोलिंग अधिकारी की थी या बाहर तैनात पुलिस की थी ? पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की ?

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसको मेरिट्स में नहीं जाना चाहता। कोई न कोई व्यवस्था हमको स्वीकार करनी पड़ेगी और उस व्यवस्था की फाइंडिंग्स जो सामने आती है उनको मानना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन

(श्री कैलाश मेघवाल)

के आदेश से कमिश्नर ने उसमें यह भी लिखा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री हरिसिंह (महुआ) : कोई भी पीठासीन अधिकारी अगर बूथ कैप्चर होगा तो कभी भी गोपनीय प्रतिवेदन नहीं लिखेगा। आप बूथ कैप्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : डिवीजनल कमिश्नर ने यह भी फाइंडिंग दी है '....It also appears that the polling personel did not even resist the booth capturing.' अब यह कमिश्नर की रिपोर्ट है। उस समय कमिश्नर किसी के प्रभाव में नहीं था। इलेक्शन कमीशन के निर्देश से उसने जांच की और जांच करके यह रिपोर्ट बनायी और इस आधार पर उनको निलम्बित किया गया और सिविल सर्विसेज रूल्स के क्लासीफिकेशन कंट्रोल रूल्स के अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है। उनका एक्सप्लेनेशन लिया जायेगा, उनके गवाह भी लिये जायेंगे और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन के वक्त में जब उनके डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ये अधिकारी थे और उस समय का यह मसला है। तो इसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कार्यवाही बिल्कुल निष्पक्ष, बिल्कुल सही होगी। किसी के भी विरुद्ध, कोई भी जो अपराधी नहीं है उनके साथ कार्यवाही नहीं होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहीं यह भी बताया गया कि इलेक्शन आफेंसेज की रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। मैं महुआ से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि इस प्रकरण के बारे में इलेक्टोरल ओफेंसेज और दूसरे ओफेंसेज के अन्तर्गत दोनों प्रकरणों की रिपोर्ट एफ. आई. आर. नम्बर 82/96 पंजीबद्ध होकर के उसकी भी कार्यवाही चल रही है, जो रिप्रजेंटेशन आफ पीपुल्स एक्ट के अन्तर्गत ओफेंसेज हुआ है। दूसरे आई. पी. सी. के ओफेंसेज भी हैं। वह प्रकरण अभी अनुसंधानाधीन है उसमें अनुसंधान त्वरित गति से करने के निर्देश दे दिये जायेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें जो अनुशासनात्मक कार्यवाही हो रही है उसमें तो राजकीय कर्मचारियों के अपने बचाव के स्पष्टीकरण देने के....

श्री हरिसिंह (महुआ) : मंत्रीजी आप मान रहे हैं। पीठासीन अधिकारी का कोई कसूर नहीं था।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने नहीं माना है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप मान रहे हो।

श्री कैलाश मेघवाल : जांच से माना है।

श्री परसादीलाल मीणा : पीठासीन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया एस.पी. को बचाने के लिए।

श्री कैलाश मेघवाल : जांच अधिकारी ने जो जांच की है....

श्री शैलेन्द्र जोशी : अधिकारी की कोई गलती नहीं है। तो फिर इनको सस्पेंड क्यों किया गया? अधिकारियों को बहाल क्यों नहीं किया जा रहा है? उनका कोई दोष नहीं है। बहाल क्यों नहीं किया जा रहा है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : अगर उन्होंने कहीं नेग्लीजेंस की है,....

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप उनको बहाल कीजिये, दोनों पीठासीन अधिकारियों को।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय परसादीलालजी, जरा इधर भी देखें। आप आसन की तरफ देखें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तीनों खड़े होकर पूछ रहे हैं, यह कौन सा तरीका है। एक-एक करके पूछें आप।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, अगर उन्होंने कहीं नेग्लीजेंसी की है, जांच होगी और किसी से करवा लो परन्तु उनको बहाल करने में कहां दिक्कत है। आप उनको दण्डित करिये जिसने अपराध किया हो। आपने उनको सस्पेण्ड क्यों किया?

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप डाइरेक्शन दे रहे हैं क्या? (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : जांच करवा लीजिये किसी डिवीजनल कमिशनर के अलावा किसी कमिश्नर से करवा ले और किसी से करवा लो पर सस्पेण्ड करने का क्या तरीका है। मान लो कलक्टर और एस. पी. के खिलाफ भी कोई नेग्लीजेंसी आये तो आपने उनको सस्पेण्ड नहीं किया? छोटे कर्मचारियों को क्यों सस्पेण्ड किया? अगर कहीं उनकी नेग्लीजेंसी है, मान लो उनसे थोड़ी गलती भी हो गयी पर सस्पेंड करने मे क्या फायदा है? आप उनको दण्डित करिये। सर्विस रूल्स में दिया हुआ है आप उनके अनुसार बाद में भी दण्डित कर सकते हैं। सस्पेंड करने में आपका उद्देश्य पूरा होता है क्या? एक तरह से उनको हरेस किया है कलक्टर और एस.पी. ने। मैं आपको सही कह रहा हूं आज दौसा का पूरा शिक्षक समाज आंदोलित है और यह मांग कर रहा है हम यह उनके मार्फत आपसे कह रहे हैं मान लो उनकी कहीं नेग्लीजेंसी भी रही है तो दण्डित करना। मैं नहीं कहता कि रही कि नहीं रही यह जांच का विषय है, इनको बहाल करने में कहां परेशानी है? हमारी मांग है कि उनको बहाल करें अन्यथा आगे चुनाव कराने में निर्वाचन आयोग को बड़ी परेशानी आयेगी।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं चाहता हूं कि लालसोट, महुआ और बांदीकुई से आने वाले माननीय विधायक शांत नागरिक जीवन की स्थापना करने में सरकार का सहयोग करें और यदि आन्दोलन की स्थिति बन रही है तो उनको शांत करें। इस में इलेक्शन कमीशन के प्रशासनिक अधिकारों के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है और आपकी भावनाओं से जांच अधिकारी को अवगत करा देंगे। यह उसके

(श्री कैलाश मेघवाल)

देखने की बात है। पेडेंसी ऑफ इन्क्वायरी होते हुए भी रिइन्सटेट भी होते हैं इस बात से मैं मना नहीं करता। यह केस उस तरह का है या नहीं इस दृष्टि से देखकर कार्यवाही करेंगे यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

आय-व्ययक 1996-97

मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति

श्री उपाध्यक्ष : अनुमान की मांग पर विचार। आय व्यय बजट 1996-97, श्री गुलाबचन्द कटारिया, शिक्षा मंत्री अनुदान की मांग संख्या 24, शिक्षा कला एवं संस्कृति पर विचार एवं अनुदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18 अरब, 14 करोड़, 21 लाख, 22 हजार तक की की राशि जिनमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

मांग संख्या-24 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या–24 मुख्य शीर्षक शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :–

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :

1. पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा की दृष्टि से अधिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व उच्च प्राथमिक पाठशालाएं खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) :

2. भीम-देवगढ़ (राजसमंद) में उच्च प्राथमिक, सैकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी स्कूल कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) :

3. राज मार्ग स्थित मंडी अर्जुनसर के उच्च प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला एवं राजकीय बालिका माध्यमिक शाला, लूणकरणसर को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

4. पंचायत मुख्यालय, जालवाली, चक 3 पी. डब्ल्यू. एच. जोरो आर. डी. मोतीगढ़, बड़ा बास, करणी सर भाटियान, पंचायत समिति व ग्राम रानीसर पंचायत समिति बीकानेर, पंचायत समिति लूणकरण के शेष पंचायत मुख्यालयों को प्राथमिक शालाओं को क्रमोन्नत पर चर्चा के लिये।

(श्री भीमसेन चौधरी)

5. खाजूवाल पंचायत समिति, बीकानेर के शिक्षा कर्मी स्कूलों के अध्यापकों के चयन हेतु लोक जुम्बिश परियोजना की सहमति से 8 से 13 जुलाई को होने वाला शिक्षा कर्मी बोर्ड द्वारा साक्षात्कार स्थगित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) :

6. सिरोही विधान सभा के ग्राम पाडीव में सैकण्डरी एवं ग्राम वराड़ा में सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध पर चर्चा के लिये।

7. सिरोही विधान सभा क्षेत्र के पंचायत मुख्यालय धुबाणा, जेतपुरा तथा मंडवारिया पंचायत के गांव देलदर, रामपुरा पंचायत के गांव पालड़ी में उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा अरठवाड़ा ग्राम पंचायत में बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

8. सिरोही जिले में आबू पर्वत पर स्थित डाइट में प्रवेश लेने वाली गरीब छात्राओं को आवासीय सुविधा नहीं मिलने से उत्पन्न परेशानी को हल करने के लिए डाइट आबू पर्वत को जिला मुख्यालय सिरोही में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) :

9. बूंदी जिले में सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूलों में नये विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) :

10. खंडेला विधान सभा क्षेत्र के खण्डेला एवं कांवट में कन्या सिनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) :

11. धौलपुर जिले में शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक स्कूलों को माध्यमिक स्कूलों में क्रमोन्नत नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

12. धौलपुर में घोषित शिक्षा नीति के अनुसार जिला मुख्यालय पर महिला कालेज नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

13. 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये शिक्षा अनिवार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. मण्डावा विधान सभा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, ककडेऊ खुदा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मारिगसर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, डाडेरवास, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, तोलियासर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सैंसवास, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, हमीरवास (नूआ), राजकीय प्राथमिक शाला, लूमास को क्रमोन्नत किये जाने को आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

15. जहाजपुर में उप जिला शिक्षा अधिकारी का पद सृजन करने एवं शिक्षा विभाग का छात्रावास तथा राजकीय पुस्तकालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) :

16. जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता के अन्तर्गत रायपुर में कन्या सीनियर माध्यमिक विद्यालय एवं मोखुन्दा में सीनियर माध्यमिक विद्यालय व गंगापुर में वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :

17. खैरवाड़ा तहसील के सभी पंचायत मुख्यालय पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. उदयपुर जिले में साक्षरता कार्यक्रम असफल हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

19. खैरवाड़ा के गांव सागवाड़ा में माध्यमिक विद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. खैरवाड़ा में महाविद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर के चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) :

21. गुढ़ाचन्द्रजी में कन्या शाला को क्रमोन्नत करने व अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में विद्यालय भवनों की दयनीय दशा में सुधार एवं विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मागराज चौधरी (आहोर) :

23. जालौर जिले की आहोर तहसील में स्थित उच्च प्राथमिक शाला, देवावास, रामा, रायथल बोला, नोखा एवं भवरानी माध्यमिक शाला को सीनियर माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. जालोर जिले की आहोर तहसील में स्थित प्राथमिक शाला भूलेवा, खारा, मोहीवाड़ा, कोराणा, कोटड़ा थूबा, किशनगढ़, मोठड़ी, हरियाली को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

25. मण्डावा विधान सभा क्षेत्र की राजकीय उच्च प्राथमिक शाला, सोनासर, बाजेला एवं वाहिदपुरा को सैकण्डरी स्तर तक क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामनारायण चौधरी)

26. मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी और उच्च प्राथमिक शाला खोलने हेतु कोई बजट प्रोविजन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. शिक्षण संस्थाओं के उचित निरीक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) :

28. आमेर महलों में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए महलों के रख-रखाव एवं उसके सौन्दर्य को बनाये रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

29. विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक, उद्योग शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, लेब बॉय के कार्य कलापों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. अध्यापकों द्वारा अपने स्कूलों में न पढ़ाकर विद्यार्थियों को घरों पर बुलाकर पढ़ाने एवं ट्यूशन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) :

31. राजकीय सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय, इटावा (कोटा) में गत 2 वर्षों से साइन्स, बायलोजी के व्याख्याता का रिक्त पद रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) :

32. आसीन्द तहसील में बदनोर गांव में बालिकाओं के लिये सैकण्डरी स्कूल को सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

33. आसीन्द तहसील में दौलतगढ़ गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) :

34. कुशलगढ़ क्षेत्र में प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय रामगढ़, टिमेड़ा सागवा, लसोनियां को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पंचायत हैड क्वार्टर को प्राथमिक शाला, पाली बाड़ी चनरा खुरा, कलोजरा, सारण में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अधिक आबादी वाले रेवेन्यू गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति, कुशलगढ़, सज्जनगढ़, पीपल खुट,

(श्री फतेहसिंह)

आनन्दपुरी में प्राथमिक विद्यालय में स्वीकृत पदों को भरने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) :

39. खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुधार हेतु अधिक स्कूलें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भरतसिंह (खानपुर) :

40. कोटा जिले के ग्राम कुन्दनपुर के उच्च प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

41. संस्कृत शालाओं का निरीक्षण व नियंत्रण के अभाव में हो रही अव्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

42. उच्च अधिकारियों द्वारा शालाओं का समय-समय पर निरीक्षण नहीं करने से शालाओं में हो रही अव्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

43. झालावाड़ा के खानपुर विधान सभा क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय, धनावद तथा भगवानपुरा की खस्ता हालत से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

44. खानपुर विधान सभा के ग्राम पनवाड़ व दहीखेड़ा के माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) :

45. शिक्षा में गुणात्मक सुधार न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

46. शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति की व्यवहारिकता में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

47. अजमेर जिले में विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

48. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में व्याप्त अनियमितताएं एवं गिरते हुए परीक्षा परिणाम की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

49. सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर में वाणिज्य विषय में लड़कों की प्रवेश संख्या को देखते हुए दो और अतिरिक्त कक्षायें पढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) :

50. विधान सभा क्षेत्र फागी की मण्डोर, टूटोली, मंडावरा उच्च प्राथमिक शालाओं को क्रमोन्नत कर माध्यमिक स्कूल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

51. तहसील मुख्यालय फागी के माध्यमिक विद्यालय (छात्रा में) को उच्च माध्य-

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

मिक स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) :

52. विधान सभा क्षेत्र अलवर में शालाओं को क्रमोन्नत करने एवं शालाओं के लिये भवन की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री कुबेर खान (रामगढ़) :

53. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, अगरावर (अलवर) को माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

54. कस्बा गोविन्दगढ़ (अलवर) में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

55. नौगांवा (अलवर) की शालाओं को सीनियर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मण्डी) :

56. सरकारी स्कूलों में अध्यापकों का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) :

57. शैक्षणिक संस्थानों में हुये तबादलों में अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री अमराराम (धोद) :

58. सीनियर माध्यमिक विद्यालय, लोसल में जीव विज्ञान संकाय, धोद में विज्ञान, जीव विज्ञान संकाय एवं फागलवा में कला संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

59. अध्यापकों का नीति विरुद्ध स्थानान्तरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

60. उच्च प्राथमिक विद्यालय, शितोलाव में प्राथमिक विद्यालय की कक्षाएं चालू करने एवं जाना ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

61. सेठ दौलतराम नोपानी प्राथमिक विद्यालय, महनसर झुन्झुनूं, माध्यमिक विद्यालय हिन्दी विद्या भवन सीकर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय जयरामपुरा सीकर को सरकार द्वारा अधिग्रहण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) :

62. तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) :

63. निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर को उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं

(श्री परसराम मोरदिया)

सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सुधार की आवश्यकता के सम्बन्ध चर्चा के लिए।

64 निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर की स्कूलों की क्रमोन्नति के लिए।

65. निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में छात्राओं की शिक्षा के लिए माध्यमिक एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66 निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के माध्यमिक एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सभी संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्री माधोपुर) :

67. राजस्थान विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के बाद भी राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

68. कल्याणपुरा (थोई) जिला सीकर में सैकण्डरी स्कूल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69. राजस्थान सरकार द्वारा घोषित शिक्षा नीति एवं अध्यापकों को स्थानान्तरण नीति पर चर्चा के लिए।

श्री भीमराज भाटी (पाली) :

70. केरला गांव में प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. मांडावास ग्राम में राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) :

72 टोंक महाविद्यालय में कानून की शिक्षा का संकाय नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

73. ग्राम दनवास के माध्यमिक शाला को उच्च माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

74 ग्राम रजवास, बहड़, सोदड़ा, खलदेवन चनाली के राजकीय उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

75. ग्राम पंचायत मुख्यालय तुर्किया जुगलपुरा, जोधपुरिया, हीगोणिया व सोदरा के प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

76. निवाई नगर में महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली) :

77. गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में मनमानी फीस वसूल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

78. राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, रोहट में वाणिज्य विषय पुनः प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. बांगड़ महाविद्यालय, पाली में चित्र-कला विषय शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलीचन्द (दानपुर) :

80. दानपुर विधान सभा क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं होने के कारण वहां के छात्रों को शिक्षा से वंचित रहने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

81. बांसवाड़ा जिले में अनुसूचित जन-जाति समुदाय के छात्रों को शिक्षा से वंचित रखने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) :

82. बांसवाड़ा जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में स्कूल खोलने में सामान्य क्षेत्र के समान नियम लागू नहीं करने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

83. वर्ष 1995 से 1996 तक राजकीय बालिका सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, बांसवाड़ा में भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के व्याख्याता के पद रिक्त रखने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री शांतिलाल चोईवाल (राजसमंद) :

84. जिला मुख्यालय राजसमंद में तकनीकी शिक्षा का कोई शिक्षण संस्थान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन) :

85. बून्दी जिले के सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों के अपर्याप्त भवनों एवं आवश्यक सुविधाओं के अभाव से छात्रों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

86. बून्दी जिले के सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में छात्रों द्वारा वांछित विषय उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

87. केशवरायपाटन (बून्दी) क्षेत्र की कॉपरेन सैकण्डरी (छात्रा) भासी जी का बराना (छात्र) अरनेठा, घाट का बराना आदि को सीनियर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

88. बून्दी की प्राचीन विख्यात चित्रोली को बचाने, विस्तार करने एवं अधिक से अधिक जनता को अवगत कराने हेतु विशेष बजट न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

89. बून्दी जिले में अधिकारियों की मिली-भगत से विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुरूप अध्यापक न होने एवं

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

कतिपय अध्यापकों को विशेष सुविधा देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) :

90. अध्यापकों द्वारा स्कूल में उपस्थित हुए बिना भी वेतन प्राप्त कर लेने से छात्रों को हो रही असुविधा एवं राज्य कोष को हो रही हानि पर चर्चा के लिए

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) :

91. मीरा गर्ल्स कालेज, उदयपुर में सत्र 1996–97 में "सीट्स" कम करने से उत्पन्न असंतोष की स्थिति पर चर्चा के लिये।

92. गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को अप्रेल, 96 से जुलाई, 96 तक की ग्रांट इन एड नहीं देने से उत्पन्न असंतोष की स्थिति पर चर्चा के लिए।

93. राज्य के साहित्यकारों, कलाकारों को चिकित्सार्थ सहयोग देने के लिए कोष निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. साहित्य अकादमी, उदयपुर के पुस्तकालय, वाचनालय के भवन निर्माण हेतु पंचवर्षीय योजना में स्वीकृति पर भी अनुदान नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

95. राज्य को कोई सांस्कृतिक नीति न होने से इसके निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (धोद) :

96. राजस्थान में अनुदानित स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों से अधिक फीस वसूलने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डोली) :

97. राजस्थान के विश्व विद्यालयों में स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु कक्षाओं में नियमों की आवश्यकता के बाद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

98. शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति को व्यावहारिक बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालयों में व्याप्त अव्यवस्था एवं अध्ययन कार्य में शिथिलता के बाद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) :

100. डूंगरपुर जिले में आदिवासी गांवों में समुचित स्कूल नहीं खुलने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री किशनगोपाल कोगटा (ममूदा) :

101. विजयनगर अजमेर की बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं की संख्या बढ़ाने के लिए स्थान की कमी को ध्यान में रखते

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

हुए और कमरे बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. मसूदा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खरवा में माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. मसूदा विधान सभा के पंचायत बरल-II में सन् 1904 से प्रारम्भ उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. मसूदा विधान सभा क्षेत्र के पंचायत जालिया-II में गणित, विज्ञान के स्थान पर जीव विज्ञान विषय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

105. मसूदा विधान सभा क्षेत्र के मसूदा में बालिका माध्यमिक विद्यालय को बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) :

106. मांडल, जिला भीलवाड़ा की बालिका सीनियर सैकण्डरी स्कूल में संस्कृत विषय खोलने की बार-बार मांग करने व नियमानुसार वहां छात्राओं की संख्या पूर्ण होने पर भी संस्कृत विषय नहीं खोलने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

107. मांडल विधान सभा क्षेत्र में संस्कृत स्कूल खोलने हेतु विभाग को प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार स्कूलें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील के ग्राम छाजुओं का खेड़ा को उच्च प्राथमिक संस्कृत स्कूल को बार-बार मांग करने पर भी प्रवेशिका में क्रमोन्नत नहीं करने से बालकों को हो रही भारी कठिनाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

109. भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील के ग्राम भगवानपुरा के चारों ओर 30 किलोमीटर के क्षेत्र में एक भी सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं होने व भगवानपुरा को सैकेण्डरी स्कूल को सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत नहीं करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

110. मांडल विधान सभा क्षेत्र जिला भीलवाड़ा को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मेजा, बावलास एवं चावण्डिया को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत नहीं करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

111. जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में पारोली, रोपा खजूरी, लुहारी कलां एवं टीकड में सीनियर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने एवं जामोली बिहाड़ा, गंधोर, टीटोडी, गांगीथला, घ्र्ुवाला, कूचलवाडा

(श्री रतनलाल ताम्बी)

कलां, बिनेठा ऊंचा, दांतड़ा बिरधोल, गड्डूली में छात्रों तथा रोपा, पारोली, शक्करगढ़ में कला माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) :

112. राजस्थान में शिक्षकों में बढ़ती जा रही ट्यूशन प्रवृत्ति की स्थिति पर चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र महुआ में सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय बड़ा गांव खेड़ला में कनिष्ठ प्राध्यापकों की नियुक्ति नहीं किये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

114. राजस्थान में अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं शिक्षा कर्मी योजना की विफलता की स्थिति पर चर्चा के लिए।

115. राजस्थान में तकनीकी शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था के अभाव की स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) :

116. डूंगरपुर जिले के अधिक ग्रामों में विद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) :

117. गंगरार विधान सभा क्षेत्र के सभी विद्यालयों में पर्याप्त भवन उपलब्ध कराये जाने तथा पुराने भवनों की मरम्मत के लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध करायी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. माध्यमिक विद्यालय सावास को सीनियर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय, मरमी को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119. सीनियर माध्यमिक विद्यालय गंगरार में कक्षा ग्यारहवीं में नये ऐच्छिक विषय हिन्दी, संस्कृत व इतिहास आदि खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120. सीनियर माध्यमिक विद्यालय बस्सी में 11 वीं कक्षा में विज्ञान संकाय में नये ऐच्छिक विषय के रूप में जीव विज्ञान विषय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121. प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय में सीनियर माध्यमिक विद्यालय (बालिका) खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिनारायण (खण्डार) :

122. महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कन्या विद्यालयों को क्रमोन्नत करने व नये कन्या विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री हरिनारायण)

123. वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय चौथ का बरवाड़ा (सवाई माधोपुर) को शास्त्रीय संस्कृत विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. राजकीय माध्यमिक विद्यालय पांचोलास (सवाई माधोपुर) में भवन निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125. खण्डार विधान सभा क्षेत्र के स्कूल भवनों के अधूरे कार्यों को पूरा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126. बहरावण्डा कलां के राजकीय माध्यमिक विद्यालय को राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

127. लाडनूं जिला नागौर मे महिला कालेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

128. कस्बा लाडनूं से जो हरिजन अध्यापकों का नीति विरुद्ध स्थानान्तरण किये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) :

129. डग विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत मुख्यालयों में मॉडल स्कूल क्रमोन्नत करने एवं पंचायत समिति मुख्यालय डग में बालिका माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपी चन्द (नगर) :

130. भरतपुर जिले में शिक्षा हेतु सैकण्डरी हायर सैकण्डरी विद्यालयों के अभाव की स्थिति पर चर्चा के लिए।

131. भरतपुर जिले में शिक्षा के स्तर में गिरावट की स्थिति पर चर्चा के लिए।

132. भरतपुर जिले के नगर निर्वाचन क्षेत्र में विषयवार शिक्षक नियुक्त करने एवं कन्या महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

133. भरतपुर जिले में बृजभाषा अकादमी की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134. भरतपुर जिला बृज क्षेत्र में आता है इसलिए बृज की कला, संस्कृति का विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) :

135. प्रदेश के विद्यालयों में लेब-बॉय एवं प्रयोगशाला सहायकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136. पंचायत समिति लालसोट के प्राथमिक विद्यालय ढोलावास को क्रमोन्नत कर उच्च प्राथमिक

(श्री परसादीलाल मीणा)

विद्यालय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

137. पंचायत समिति लालसोट के उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्जामपुरा को क्रमोन्नत कर माध्यमिक विद्यालय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138. लालसोट तहसील मुख्यालय पर कॉलेज खोलकर छात्रों को सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :

139. झुन्झुनूं जिले की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जहाज में प्रधानाध्यापक का पद सृजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140. सन् 2001 तक सभी को साक्षर करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

141. ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयो में सुधार करने तथा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142. झुन्झुनूं कस्बे के सेठ मोतीलाल महाविद्यालय के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में हुई गड़बड़ी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

143. टी. वी. संस्कृति से हमारी मूल संस्कृति पर पड़ने वाले दुष्परिणामों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रेवतराम पंवार (नोखा) :

144. नोखा नगरपालिका क्षेत्र में चाचा नेहरू प्राथमिक बालिका विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145. बाबा छोटू नाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय नोखा में स्कूल व्याख्याता के पद कम कर दिये जाने एवं उक्त विद्यालय में कृषि विषय एवं व्यावसायिक शिक्षा खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146. ग्राम जसरासर पंचायत समिति नोखा जिला बीकानेर के सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

147. ग्राम पांचू, पंचायत समिति नोखा, जिला बीकानेर में स्थित माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

148. ग्राम जसरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर में विज्ञान का विषय पिछले वर्ष से बन्द कर दिये जाने

(श्री रेवतराम पंवार)

से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

डा. शंकर मानुबा (कपासन) :

149. कपासन नगरपालिका क्षेत्र में महाविद्यालय खुलवाने की आवश्यकता चर्चा के लिए ।

150. पंचायत समिति भोपाल सागर के निलोद एवं चोर बड़ी माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

151. कपासन उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान विषय खोलने एवं कचहरी उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

152. कपासन विधान सभा क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पचायत में एक-एक आवासीय माध्यमिक विद्यालय एवं प्रत्येक पांच ग्राम पंचायतों पर एक-एक आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने तथा वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों को आंगन बाड़ी या नर्सरी कला में बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) :

153. जगदम्बा अन्ध विद्यालय, गंगानगर में हो रहे भ्रष्टाचार एवं कार्यकलापों की जांच कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

154. विजयनगर जिला गंगानगर में छात्र/छात्राओं के अग्रेत्तर अध्ययन हेतु महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

155. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर के बल्लूराम गोदारा कन्या महाविद्यालय में छात्राओं के अध्ययन हेतु सीट्स बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) :

156. पुरातत्व महत्व के जूनागढ़ जो कि पर्यटन स्थल भी है उसका संधारण एवं प्रदूषण से बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) :

157. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के ग्राम घरोनिया, ओसाव, कड़ोदिया, खारपाकला, ढाबलाखींची एवं माथनिया में कन्या प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

158. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय सुनेल (पंचायत समिति मुख्यालय) को कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, पिड़ावा (तहसील मुख्यालय) को कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के पंचायत मुख्यालय गोविन्दपुरा, शेरपुर, सरखेड़ी व अकावा को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने एवं पूर्व में संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त स्थानों की पूर्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

160 विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में सुनेल नगर का कन्या शाला भवन क्षतिग्रस्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

161. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय सिरपोई में बोर्ड का सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री समस्त (हिण्डोन) :

162. हिण्डोन विधान सभा क्षेत्र के समस्त पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं होने के कारण जन आक्रोश पर चर्चा के लिए।

163. हिण्डोन विधान सभा क्षेत्र के ग्राम जटनगला, सनेट, बाजना खेड़ा. पटोंदा, भुकरावली दानालपुर में माध्यमिक विद्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

164. शिक्षण संस्थाओं में अनुशासनहीनता को समाप्त करने में सरकार की विफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

165. शिक्षा के स्तर में लगातार हो रही गिरावट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

166. सिनेमा व दूरदर्शन के द्वारा फैल रहे सांस्कृतिक प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

167. बूंदी जिले के रायथल, रेठोदा उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168. नैनवां तहसील के नैनवां, देई राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय को सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

169. नैनवां तहसील के सुंथली, बन्सोली प्राथमिक पाठशाला को उच्च प्राथमिक पाठशाला में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. प्राथमिक शाला में उर्दू पढ़ाने हेतु प्रशिक्षित अध्यापक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री रामनारायण मीणा)

171. राजकीय उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में तृतीय भाषा सिन्धी के विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमरचन्द मिड्ढा (सूरतगढ़) :

172. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में 44 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

173. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में जहां शाला भवन उपलब्ध नहीं है वहां शाला भवन का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

174. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में कन्या शाला की संख्या कम होने के कारण वहां नई कन्या शालाएँ खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) :

175. निर्वाचन क्षेत्र सूरजगढ़ (झुंझुनू) में स्कूलों में अध्यापकों की कमी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (जोहरी बाजार) :

176. जयपुर स्थित माणक चौक सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के बैठने हेतु फर्नीचर का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

177. जयपुर स्थित माणक चौक सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के अनुपात में स्थान की कमी से छात्रों के बैठने की समस्या पर चर्चा के लिए।

178. जयपुर स्थित माणक चौक सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन जीर्ण शीर्ण स्थिति में होने से विद्यार्थियों के जीवन को होने वाले खतरे से बचाने हेतु शीघ्र जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) :

179. अजमेर सम्भाग में विभाग में नियमित अध्यापकों की सेवा के उपरान्त भी उन्हें 3 माह से वेतन नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

180. अजमेर में गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता, अनुदान व सेवा शर्तें आदि) नियम 1993 के नियम 20 (6), 20 (7) व 23 के प्रावधानों को सही ढंग से लागू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

181 उपनिदेशक शिक्षा (पुरुष) अजमेर मंडल, अजमेर एवं जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थाएं) अजमेर के द्वारा उर्दू विषय के तीन वरिष्ठ

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

अध्यापकों का पद रिक्त न होने के उपरान्त भी सामान्य विषय पढ़ाये जाने हेतु पदस्थापित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

182. विद्यालयों में छात्रनिधि कोष के अनुचित व्यय एवं दुरुपयोग को रोकने तथा कोष की आय-व्यय का ऑडिट कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

183. राजकीय शैक्षिक अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के नियम 11 व 27 के तहत बिना प्रक्रिया अपनाए अध्यापिकाओं की नियुक्ति करने व विधवाओं एवं परित्यकता महिलाओं को नियुक्ति नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) :

184. जालोर शहर के नव क्रमोन्नत सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालये (शहरी) में वाणिज्य विषय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

185. ग्राम नून, पंचायत समिति जालोर के उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

186. ग्राम उम्मेदाबाद (पंचायत समिति सायला) जिला जालोर के माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

187. जालोर विधान सभा क्षेत्र के समस्त पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

188. जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में जीर्ण-शीर्ण पुराने स्कूल भवनों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

189. जोधपुर शहर में माध्यमिक विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

190. जोधपुर शहर में महिला बी. एड. महाविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

191. जोधपुर शहर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतहपोल को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह (महुआ) :

192. जिला दौसा के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नीति विरुद्ध किये गये शिक्षकों के स्थानान्तरण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) :

193. श्री हिन्दी विद्या भवन हायर सैकण्डरी स्कूल को अधिग्रहीत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

194. इस्लामिया सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में प्रशासक लगा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

195. कुशलपुरा ग्राम पंचायत गुंगारा की प्राथमिक शाला को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

196. राजकीय चितलांगिया, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में विज्ञान-गणित विषय बन्द करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

197. श्री खण्डेलवाल वैश्य बालिका सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में अनियमित नियुक्तियां होने पर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)

198. श्री खण्डेलवाल वैश्य शिक्षा समिति, जयपुर के अधीन पांच शिक्षण संस्थाओं में से केवल एक पर प्रशासक नियुक्त कर शेष को भ्रष्टाचार के लिये खुला छोड़ देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

199. श्री खण्डेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा, जयपुर जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था है, अनुदान नहीं देकर अन्य समिति को अनुदान दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)

200. ग्राम हुडास सील व बाकलीया तहसील लाडनूं में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

201. सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल मीठड़ी तहसील लाडनूं जिला नागौर में प्रिंसिपल का पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

202. नागौर जिले में पोलीटेक्निक कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री एमादुद्दीन अहमदखां (तिजारा) :

203. श्री खण्डेलवाल वैश्य शिक्षा समिति, जयपुर का गठन राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 के विरुद्ध किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम)

204. श्री खण्डेलवाल वैश्य शिक्षा समिति द्वारा संचालित पांच शिक्षण संस्थाओं में बिना टेण्डर आमंत्रित किये सामान क्रय करने पर भी

(श्री किशन मोटवानी)

विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) :

205. बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में स्थित उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

206. जोधपुर जिले में अध्यापकों, शारीरिक शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों एवं उप प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामेश्वर भारद्वाज, मूर्तिकार (किशनपोल) :

207. जयपुर में ढेर के बालाजी क्षेत्र में राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

208. जयपुर में पंचमुखी हनुमान मार्ग, शास्त्री नगर में संस्कृत विद्यालय का भवन निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

209. सिकराय (जिला दौसा) में राजकीय प्राथमिक विद्यालय को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) :

210. निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के पास वर्तमान में उपलब्ध वरिष्ठ निजी सहायक के दो पदों में से एक पद को निजी सचिव में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) :

211. सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, जटवाड़ा में विज्ञान विषय व कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय बस्सी जिला जयपुर में वाणिज्य विषय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

212. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

213. माध्यमिक स्कूल, देवगांव, बड़वा, सामरिया कानोता एवं राजपुरा को बोर्ड की परीक्षा सेन्टर बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अरुण सिंह (डीग) :

214. पास्ता के माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री अरूण सिंह)

215. हलेना सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में जीव-विज्ञान (बॉयलोजी) विषय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा) :

216. भीलवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

217. भीलवाड़ा विधान सभा क्षेत्र मंगरोप ग्राम में सैकण्डरी स्कूल को हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

218. भीलवाड़ा शहर में धान मंडी व गांधी नगर बालिका विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

219. टोंक शहर में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, कोहना को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

220. टोंक जिले में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, डारडातुर्की को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदनमोहन (खैरथल) :

221. शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

222. ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में भवन व स्टॉफ की समुचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

223. 10 वर्ष से अधिक ठहराव वाले शिक्षकों का स्थानान्तरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचंद मीणा.... (व्यवधान)...।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : आपने डिबेट चालू कर दी। उन लोगों के खिलाफ आज तक कुछ कार्यवाही नहीं हुई, यही तो मैं पूछ रहा हूं जब तक आप उसको नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपने सारा मामला अधूरा छोड़ दिया, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की।

मांग संख्या–24 पर विचार

श्री फूलचन्द (सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस पवित्र सदन में शिक्षा जो मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण अंग है, उस पर चर्चा में अपने आपको सम्मिलित करता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, शिक्षा मंत्रीजी और उच्च शिक्षा मंत्रीजी, राजस्थान सरकार

(श्री फूलचन्द मीणा)

को धन्यवाद दूंगा कि जब से यह सरकार आयी है उसने शिक्षा को पहली प्राथमिकता माना है। मानव को खड़ा करने, शिक्षा में सरलता और गुणवत्ता लाने का प्रयत्न किया और उसमें सफलता हासिल की। सरकार ने सबको शिक्षा मिले इस हेतु 1994–95 के बजट में शिक्षा के लिये 200 करोड़ रुपये का प्रावधान कर उसे शिक्षा को समर्पित किया। स्कूलों का सुधार किया, शिक्षा में सुधार किया, अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया, जहां स्कूल भवन नहीं थे वहां स्कूल भवन बनाये, जहां एप्रेटस नहीं थे, वहां उपलब्ध कराये। इस प्रकार 210 करोड़ रुपये से 400 करोड़ रुपये का खर्चा किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की उपलब्धियां बताऊंगा। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को हृदय से धन्यवाद दूंगा और आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने रात-दिन सतत् प्रयास करके शिक्षा में गुणवत्ता लाने, अध्यापक-अभिभावक सम्बन्ध बढ़ाने और शिक्षा का महत्व लोग समझें इस बात का प्रयास किया। इस हेतु वे 24 घण्टे इस ओर अग्रसर हैं कि मैं शिक्षा विभाग को सुधार कर रहूंगा चाहे मुझे सड़क पर आना पड़े या घर जाना पड़े। वे आदमी को देश के लिये खड़ा करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, देश को विश्व स्तर पर ले जाने के सतत् प्रयत्न करते हैं जिसमें इनको निरन्तर सफलता अर्जित हो रही है। इसमें पूरा सदन आपके साथ है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय पांच मिनट का था जिसको आपने आभार व्यक्त करने में खो दिया, पांच मिनट का समय दे रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन(मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष, ये पहले वक्ता हैं और पहली बार बोल रहे हैं।

श्री फूलचन्द मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में पहली बार बोल रहा हू और वह भी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोल रहा हूं। शिक्षा मंत्रीजी ने शिक्षा का स्तर सुधारने में कितनी मेहनत और प्रयास किया, जितनी सजगता से कार्य किया इसका पता बोर्ड के रिजल्ट से लगता है। इनसे लग रहा है कि अभिभावक यह महसूस कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में सुधार करने वाला कोई न कोई लगा है।

गांवों में शिक्षा की यह स्थिति थी कि कि लोग कहते थे कि स्कूलों में क्या जाना है, बच्चा पढ़ेगा नहीं, बच्चे को मास्टर साहब पढ़ायेंगे नहीं, मास्टर साहब आते ही नहीं हैं, मास्टर साहब कब आयेंगे कोई अता पता नहीं है। लेकिन यह भावना आज धीरे-धीरे दूर हो रही है और अभिभावकों को यह लग रहा है कि उनका बच्चा पब्लिक स्कूल में नहीं जाये, सरकारी स्कूल में जाये और वहां पढ़कर वह कुछ न कुछ प्राप्त कर निकलेगा। इस स्थिति के लिये मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार बोल रहा हूं और आप घण्टी बजा

(श्री फूलचन्द मीणा)

रहे हैं, मेरा भाषण आधा रह जायेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसार सन् 2000 तक सबको शिक्षा को देखते हुए हमारी सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए 1994–95 का बजट तो शिक्षा को समर्पित किया ही 1995–96 में भी गम्भीरतापूर्वक विचार करके 312 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, यह निश्चित रूप से सराहनीय कदम है मैं जिस इलाके से आता हूं वह तो शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां पुरुष शिक्षा 10–12 प्रतिशत और महिला शिक्षा एक प्रतिशत ही है। ऐसी स्थिति में मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने मुझे पांच मिनट, 10 मिनट बोलने का समय दिया है इसलिये मैं सीमित दायरे में रहूंगा।

आज राजस्थान में 34619 प्राथमिक विद्यालय, 11647 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 3295 माध्यमिक विद्यालय और 1300 सीनियर माध्यमिक विद्यालय, 17600 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से 86.16 लाख विद्यार्थियों को शिक्षा सुविधा उपलब्ध हो रही है। वर्ष 1994–95 में 4 से 5 लाख छात्र और बढ़े हैं। शिक्षा मानव के लिये आवश्यक है और वह उसे तीसरी आंख देती है, शिक्षा की शालाएं सरस्वती के मंदिर हैं और उनमें जाने में चूक न करें, ऐसी भावना राजस्थान में पैदा हुई है, वातावरण बना है इसके लिये मैं शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इस प्रकार की सराहनीय कोशिश की है।

उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजाति और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 और 150 की आबादी पर विद्यालय खोलने के नियमों में तब्दीली करके 150 और 100 की आबादी पर विद्यालय खोलें हैं। गत वर्ष पांच सौ प्राथमिक विद्यालय खोले गये और अभी भी छह सौ विद्यालय खोलने की सरकार की मंशा है और निश्चित रूप से खुलेंगे, यह सराहनीय कदम नहीं है तो और क्या है? गत समय में हम सदन में यह सोचते थे कि शिक्षा में सुधार लाने के लिये यह होना चाहिये, यह होना चाहिये। हम पिछले 40 वर्षों से यहां हैं लेकिन शिक्षा का स्तर बिगड़ा क्योंकि बच्चे सरस्वती के मंदिर में जाने के लिये तैयार ही नहीं थे। हमारी पूर्व की सरकारें दनादन स्कूलें खोलती गयीं और केन्द्र सरकार से बजट आये या नहीं आये, एक बार तो धराशाही सरकार रहे, आवे या जावे—हम तो स्कूल खोल रहे हैं पढ़ना तो पढ़ना और नहीं पढ़ना तो आपके घर बैठना। ऐसी भावना को दूर करने का जिस प्रकार आज राजस्थान की सरकार ने प्रयत्न किया क्या वह सराहनीय कदम नहीं है। सराहनीय कदम नहीं है तो इसका प्रतिशत कैसे बढ़ा?

आज राज्य में 74043 प्राथमिक विद्यालयों में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 65249, राजकीय अध्यापक कुल 1,40,292 कार्यरत हैं जिसमें 31355 महिलाएं हैं। यह भी सराहनीय कदम है। महिला शिक्षा में महिलाओं के लिए भी शिक्षा है और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी ने अभी महिला पोलीटेक्निक खोलें हैं, महिला कालेज खोले हैं, महिलाओं के लिए

(श्री फूलचन्द मीणा)

स्कूल खोले हैं, महिलाओं के लिए और भी शिक्षा के आयाम पैदा किये हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जब दस मिनट में ही पूरा करना है तो मैं निवेदन करूंगा कि जब हम इन आंकड़ों की ओर जाते हैं तो आंकड़े सब ऐसे सराहनीय हैं कि जो सरकार की उपलब्धियां बताते हैं कि हमने क्या किया है। यह निश्चित रूप से सभी किताबों और प्रगति विवरण में बता रखा है कि 1995-96 में क्या किया और 96-97 में क्या करने जा रहे हैं और हम इस शिक्षा का ऐसा स्तर बनायेंगे कि वह वास्तव में देवता बने, वास्तव में भारत में भारत का पुरुष बने, भारत को समृद्धिशाली बनाये।

इसमें कुछ खामियां भी हैं। निश्चित रूप से खामियां हैं। खामियां यह हैं कि आज शहरों में क्या करना चाहते हैं। शहरों में ही सारी की सारी सुविधाएं जुटाना चाहते हैं। स्कूल क्या, कालेज क्या, यूनिवर्सिटी क्या, उच्च शिक्षा क्या–सभी व्यवस्थाएं हम यहां देना चाहते हैं। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मेरे विचार व्यक्त करूंगा कि इस शिक्षा का विस्तार उन गांवों में होना चाहिए जहां गरीब लोग और अनपढ़ लोग रहते हैं। वहां के लोग कहां जायें ? जब सारी सुविधाएं हम शहरों में ही दे रहे हैं तो निश्चित यह भावना होगी कि लोग शहरों की ओर जायें। यदि गांवों में सुविधाएं देंगे तो यह भावना होगी कि मुझे उदयपुर में नहीं रहना, मुझे जयपुर में नहीं रहना, मुझे बीकानेर में नहीं रहना,–मुझे धरियावद में रहना है, मुझे सलूम्बर में रहना है. मुझे सराड़ा में रहना है, मुझे बांसवाड़ा में जाकर रहना है। आज यूनिवर्सिटीज वहां होनी चाहिए आज टेक्नीकल एजुकेशन होनी चाहिए। आज इंग्लैण्ड में, अमेरिका में स्कूलें गांवों में हैं। वहां टेलीफोन है, वहां नल और सारी सुविधाएं हैं, सारी आधुनिक सुविधाएं हैं। इससे लोग वहां जाकर पढ़ते हैं। हमारे यहां शहरों की ओर भीड़ बढ़ रही है कि कहां चलना है कालेज में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कि जयपुर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं कि उदयपुर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं कि जोधपुर जा रहे हैं और भीड़ इतनी पैदा हो गयी कि हम यहां आकर अपने आपको भूल गये और जो हमारी बेसिक चीजें थीं उनको भी भूल गये और यहां के चक्कर में पढ़ गये, यहां की चकाचौंध में पड़ गये और फिर वापस अपने बाप के वहां रोने चले जाते हैं। इसलिए शिक्षा में जो बुराई है उसमें निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए।

मैं उच्च शिक्षा के बारे में दो मिनट निवेदन करूंगा कि आई॰आई॰टी॰ हिन्दुस्तान की है। आई॰आई॰टी॰ के बच्चे पढ़ने के बाद सीधे अमेरिका जाते हैं, इंग्लैण्ड जाते हैं। क्यों ? हिन्दुस्तान में क्यों नहीं ? हिन्दुस्तान की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा आई॰आई॰टी॰ में लगता है और लगने के बाद में वह सब के सब अच्छा पैसा मिलने के लिए बाहर चले जाते हैं। यहां से अच्छे बच्चे तैयार हुए और विदेशों में जाकर नौकरी करते हैं। विदेशों में

(श्री फूलचन्द मीणा)

अच्छा पैसा मिलता है। यह बुराई भी निकलनी चाहिए नहीं तो वह हमारा हिन्दुस्तान छोड़कर क्यों जायें। हिन्दुस्तान की गाढ़ी कमाई पर क्यों कुठाराघात करते।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री फूलचन्द मीणा : मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अब मैं मेरे क्षेत्र की ओर जाऊंगा। मैं शिक्षा मंत्री जी को पुनः धन्यवाद देता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादीलाल मीणा।

श्री फूलचन्द मीणा : दो मिनट में समाप्त करूंगा .

श्री उपाध्यक्ष : नहीं समाप्त करें।

श्री फूलचन्द मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी ने जो सलूम्बर क्षेत्र में सराहनीय कदम उठाया कि इसी वर्ष सरकार ने महाविद्यालय खोला, इसी वर्ष वहां 400 बच्चों का आवासीय विद्यालय खोला और वहां व्यावसायिक विषय भी खोला और आज राजस्थान सरकार की जितनी बढ़ाई की जाये उतनी कम है। कक्षा एक से पांच तक के सभी बच्चों को फ्री किताबें दीं। 13 करोड़ रुपया खर्च किया और अब इस साल 15 करोड़ खर्च करने जा रहे हैं। यह सब किस की उपज है ? यह शिक्षा मंत्री जी के दिमाग की उपज है, सरकार की उपज है। हम बच्चों को पढ़ाना चाहते है। मुझे यह कहते कतई हिचक नहीं है कि इस सरकार ने जितनी गुणवता और जितने अच्छे काम किये हैं वैसे पूर्व सरकार ने नहीं किये हैं ..

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामपाल उपाध्याय,

श्री फूलचन्द मीणा : .. इस सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। मैं तो विपक्ष से भी निवेदन करूंगा कि आपको भी ऐसा शिक्षा मंत्री कभी नहीं मिलेगा। पूर्व में कई शिक्षा मंत्री थे लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया। आपको इनकी सराहना करनी चाहिए। मुझे इस सदन में आपने टाइम दिया मैं अपनी ओर से धन्यवाद देते हुए अपनी बात खतम करता हूं।

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको और मेरे नेतागण और भाई परसादीलाल जी का आभारी हूं कि उन्होंने बोलने का सुअवसर दिया। इससे पहले कि मैं अपनी शिक्षा की बात करूं, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि शिक्षा का जो स्वरूप आज उभरकर आया है और उसके 1/3, 1/3, 1/3 मंत्री 3 हैं। पहले उच्च शिक्षा मंत्री, फिर दूसरे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री और फिर तीसरे श्रीमान् नाथसिंह जी हमारे पंचायत राज के शिक्षा मंत्री हैं। इससे पहले कि मैं तथ्यात्मक बात आपकी सेवा में निवेदन करूं....

श्री उपाध्यक्ष : कला और संस्कृति मंत्री और हैं।

श्री रामपाल उपाध्याय :....हां तो 4 समझ लें। 1/3 नहीं 1/4 कह देंगे हमारा क्या। मैं डाक्टर जगन्नाथ पुरोहित का एक वक्तव्य उद्धृत करना चाहूंगा।

(श्री रामपाल उपाध्याय)

'India has a very old glorious culture. Education preserves and transmits the culture. Education is the base of the country's development.'

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में कुछ मौलिक धारणाएं हैं। उन धारणाओं का उल्लेख करना मैं उचित समझूंगा शिक्षा राष्ट्र का मेरूदण्ड है। अतीत की उपलब्धियों तथा वर्तमान परिस्थितियों का संधिस्थल है, भविष्य का आलोक है। पता नहीं शिक्षा हृदय वीणा के तारों को झंकृत करती है जिसमें अनेकता में एकता, सर्वधर्म सम्भाव, सत्यं शिवम् सुन्दरम्, संवेदनशीलता आदर्श आवश्यकताएं आदि के राग अलापे जाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विविधता में एकता हमारे राष्ट्र की सर्वोपरि विशेषता है। मैं इसको फिर जोर देकर कहना चाहूंगा कि विविधता में या अनेकता में एकता हमारे राष्ट्र की सर्वोपरि विशेषता है। ज्ञान हेतु घर के दरवाजे, मस्तिष्क के दरवाजे और मस्तिष्क की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। हमारे विशाल देश की रूपात्मक विविधता ही उसकी सांस्कृतिक एकता का आधार रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपना महत्व रखती है और इसका लास्ट निवेदन कर रहा हूं कि शिक्षा एक ऐसा सांचा है जिसमें इन्सान रूपी मिट्टी को मनुष्यता रूपी ज्योति में ढाला जाता है। विविधता की सुगन्ध हमारी संस्कृति है। शिक्षा मानवता को तोड़ती नहीं है, शिक्षा मानवता को जोड़ती है। यह सारे शब्द मैंने इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन किये हैं कि इसी तानेबाने में चाहे वह उच्च शिक्षा हो, चाहे वह प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे कल्चर या दूसरे कार्यक्रम हों शिक्षा 'एज ए होल' शिक्षा कभी मानवता के टुकड़े नहीं करती। मैं उच्च शिक्षा के बारे में बात करूं अथवा प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा के बारे में बात करू लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा श्रीमन् कि जो बातें मैंने अभी कहीं उसके तीन निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष है कि जीवन के सद्मूल्यों की प्रतिष्ठा शिक्षा में होना चाहिए। सद्मूल्यों का मतलब जो शिक्षित होते हैं वह उदारमना होना चाहिए, जो शिक्षित होता है वह धर्म निरपेक्ष होना चाहिए और जो शिक्षित होता है वह प्रजातांत्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठा पुरःस्थापित करने वाला होना चाहिए। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी कार्टेगरिया में, इसी तानेबाने में मैं आजके वर्तमान शिक्षा विभागों द्वारा, विभाग को विभागों में इसलिए कटारिया साहब कह रहा हूं कि दो तीन अलग-अलग विभाग हैं, इनके अन्दर किस प्रकार की बात हो रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्रालय के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में एकाधिक विश्वविद्यालय स्थापित हैं। जब कोई शिक्षा या कोई शिक्षक नेता या सारे प्रदेश को एक नयी नवचेतना से समर्पित करने वाला व्यक्ति अगर पूर्वागृहि हो जाये अगर उसके मन में अनेक पूर्वागृह काम करने लगें तो शिक्षा जैसी पवित्र चीज के लिए वह क्षम्य नहीं हो सकता।

(श्री रामपाल उपाध्याय)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले यह जो विश्वविद्यालय हैं, सारे नाम तो नहीं लेकिन इन विश्वविद्यालयों के सिंडीकेट के स्वरूप क्या हैं उनकी ओर शिक्षा मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। कानोडिया कालेज में 20 पद रिक्त हैं लेकिन उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने केवल एक पद स्वीकार किया है। वह क्यों किया? क्योंकि अजमेर विश्वविद्यालय के कुलपति श्री पी.एल. चतुर्वेदी की पुत्रवधु श्रीमती मृदुला चतुर्वेदी को उस पद पर स्थापित करना चाहिए था। अब सब चतुर्वेदी–चतुर्वेदी हैं, आप स्वयं सोचिये। मैं सारी बात एक्सप्लेन करूंगा तो अभी उपाध्यक्ष महोदय मुझे कहेंगे कि आपका टाइम हो गया। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस कानोडिया कालेज की प्रिंसिपल सुश्री शान्ता मेहतानी हैं, उनको राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर का सिंडीकेट का माननीय सदस्य मनोनीत किया है। दूसरा, उषा चतुर्वेदी जिनके बारे में सारा सदन और राजस्थान जानता है, यह भी कन्या महाविद्यालय में लेक्चरर हैं। वहां की आचार्य डाक्टर रमा कोचर को भी सिंडीकेट में मनोनित किया। उनकी आयु 73 वर्ष है जो कि शिक्षा अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के जो पहले पी.एल. चतुर्वेदी थे उनके बारे में कहूं, अब तो वाइस चांसलर हो गये, वह थे। फिर डाक्टर एस.डी. मिश्रा, सारे नियमों को ताक में रखकर उनको अजमेर विश्वविद्यालय में ओ.एस.डी. बना रखा था और यहां पर सिंडीकेट का मैम्बर बना रखा था। इसी तरह से जोधपुर में शारदा शरण सिंह जी और कोटा में और दूसरी जगह भी हैं। मैं विशेष रूप से अजमेर का उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि मेरे क्षेत्र में अजमेर विश्वविद्यालय का एफिलिएशन है। आदरणीय जो हमारे विधायकगण होते हैं वह तो होते ही हैं लेकिन उसके अलावा हमारे गवर्नमेंट नामनीज में मिस्टर एन ए खण्डेलवाल हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज में, वहां पर सिंडीकेट नहीं है। उसके अन्दर प्रोफेसर बी.के. शर्मा हैं जो मैथ्स के हैं, अब तो उनको हटा दिया। इस तरह से कुल मिलाकर मैं इस बात पर आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि सिंडीकेट में जो नामिनेशन है, मनोनयन है वह मात्र केवल एक विचारधारा विशेष के प्रतीक के रूप में इनको मनोनीत किया गया है। यह जो मैंने नाम लिये हैं यह सब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से सम्बन्धित व्यक्ति हैं। अभी तो शुरू कर रहा हूं माननीय भंवर लालजी साहब क्या तकलीफ हैं (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : उससे सम्बन्धित होना क्या पाप है?

श्री रामपाल उपाध्याय : पाप नहीं है। मैंने पाप नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : इस देश की पूजा करना या इस देश के लिये बात करना वह पाप हो गया क्या? (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : राजनीति का अड्डा बनाना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

छात्रों के पढ़ने की जगह है, राजनीति का अड्डा बनाना चाहते हैं....(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : इस देश के अन्दर रहने वाला प्रत्येक नागरिक राजनीति में भाग लेने का हकदार है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : राजनीति का अड्डा बनाना....(व्यवधान) इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : इस देश में अनेक बार इस देश के उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने यह एफिडेविट दिये हैं कि हमारे संघ का राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है और हकीकत यह है कि यह सब एफिडेविट असत्य हैं। आपकी . (व्यवधान)....भारतीय जनता पार्टी की जननी अगर कोई है, भारतीय जनता पार्टी की मां कोई है तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है। सीधा सीधा राजनीति में है....(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, आर एस एस राजनीतिक संगठन नहीं है, सामाजिक संगठन है परन्तु उसमें भाग लेने वाला भारतीय है और भारतीय.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विश्वविद्यालय जो हिन्दुस्तान में माने हुए हैं, आज उनमें पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं। (व्यवधान) भ्रष्टाचार फैल रहा है, विश्वविद्यालयों में, एडमिशन में भ्रष्टाचार, पढ़ाई में भ्रष्टाचार फर्जी डिग्रियां मिल रही हैं लोगों को....(व्यवधान) पवित्र काम में राजनीति....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,मैं माननीय रामपाल जी से पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रहते हैं और ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। यदि इस राष्ट्र को सही संस्कारों से युक्त करना है तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों को आगे आना चाहिए। उपाध्याय जी ने मुझे कहा है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : जो मंत्री रहे हैं, आप उनको बोलने दीजिये। (व्यवधान) भ्रष्टाचार फैल रहा है, फर्जी डिग्रियां दे रहे हैं आप तो। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप स्पष्ट क्यों नहीं कहते। स्पष्ट कहिये कि राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ राजनीति में भागीदारी करता है। यह स्पष्ट क्यों नहीं कहते ? इस बात का कौन बुरा मान रहा है ? आपका दोहरा चरित्र है, दोहरी बात है (व्यवधान) नम्बर दो का संगठन है और नम्बर दो के आप हो। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : यह आरोप गलत है। आर. एस. एस. राजनीतिक और सांस्कृतिक....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उस यूनिवर्सिटी को बदनाम करा दिया .. (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : एक वर्ष में 56 पी.एच.डी. दी गयी। (व्यवधान) राजनीति का अड्डा बना दिया इसको। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सिंडीकेट के जितने भी मैम्बर हैं सब कांग्रेस के अलावा हैं। यह पहली बार हुआ है कि योग्यता के आधार पर बनाये जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : क्या सारी योग्यता आर एस एस में हो गयी? क्या और योग्य ही नहीं हैं? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप तो श्रीराम के नाम से जीते हो ताम्बी जी।

श्री टीकमचन्द कान्त : आप तो याद करो। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : और +++ लोग योग्य हो सकते हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : .. (व्यवधान)....उसके बाद यूनिवर्सिटीज की हालत क्या हो गयी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रामपाल जी, आपके अब दो मिनट बाकी हैं। (व्यवधान)

श्री रामपाल उपाध्याय : दो मिनट की क्या बात हुई : (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेहरबानी करके आप यह टोका टाकी को इनवाइट न करें। आपके दो मिनट और हैं, आप बोलिये।

श्री महावीरप्रसाद जैन : यह कार्यवाही से निकालें।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग जैसे पवित्र कार्यक्रम में इस प्रदेश में उठा पटक और अजीबोगरीब हालत हो रही है, इस पवित्र सदन में हमारा कर्तव्य है। मैं निवेदन कर रहा था, अब मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं, स्थानान्तरण के आतंकवाद के उच्च शिक्षा के अन्दर नमूने देखिये। बीकानेर से अशोक आचार्य, कांती कोचर, कुल 11 स्थानान्तरण हुए हैं। भीलवाडा से प्रहलाद घग्घर, निर्मल कटारिया, गौरीशंकर असावा, राजेन्द्र तपेसरा, बी सी जैन, इस प्रकार 40–50 स्थानान्तरण किये गये हैं। अलवर से रघुवीर दयाल को अलवर से बाडमेर और उसके बाद रामावतार गुप्ता, गिरिराज प्रसाद शर्मा, ऐसे लगभग 20 स्थानान्तरण हुए हैं। भरतपुर से अशोक कुमार सिंह और उनकी पत्नी, ऐसे 10–11 स्थानान्तरण हुए हैं। अजमेर से सुरेश अग्रवाल, श्री सीताराम शर्मा, ऐसे करीब 20 स्थानान्तरण हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह लिस्ट कहां से उठा लाये। इसमें शिक्षा के ऊपर कुछ सुझाव दीजिये। इतने विद्वान आदमी हो, शिक्षा के ऊपर कुछ सुझाव दीजिये।

श्री भंवरसिंह डांगावास : उपाध्यक्ष महोदय, स्थानान्तरण सेवा का एक भाग है, कोई नयी चीज नहीं हो गयी जो स्थानान्तरण हुए। इतने बुजुर्ग सदस्य हैं, सुझाव दें।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र गहलोत : आज तक इन्होंने स्थानान्तरण ही किये हैं, शिक्षा की ओर ध्यान कभी नहीं दिया, वही याद आ रहा है इनको। यह इधर-उधर की बात कर रहे हैं।

श्री रामपाल उपाध्याय : प्राशसनिक आवश्यकता से अपराधियों को दण्डित करने की कोई बात हो, अनुभवी लोगों को भेजने की कोई बात हो, अगर आप इस बात को महसूस करें और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने इस बात को कहना चाहता हूं और उनसे यह मांग करना चाहता हूं कि बजट का कितना प्रतिशत भाग उच्च शिक्षा के स्थानान्तरण पर खर्च हुआ, इसके लिए हाउस के विधायकों की एक कमेटी बैठाकर इसका अता-पता लगाना चाहिए।

श्रीमन्, मैं अजमेर विश्वविद्यालय की बात कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के किसी विश्वविद्यालय में ऐसा अजीबोगरीब हाल, जैसा कि अजमेर विश्वविद्यालय में हो रहा है, कहीं नहीं होगा। क्या स्थानान्तरण, क्या पोस्टिंग, क्या हटाना, क्या अयोग्य लोगों को उच्च पदों पर बैठा देना, उनकी आर्थिक परिस्थितियों से लाभ प्राप्त करना। आपको एक निवेदन करना चाहता हूं श्रीमान् कि वहां पर....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप विद्वतापूर्ण बात करिये। उपाध्यायजी, यह आपके स्टेण्डर्ड की बात थोड़े ही है। आप शिक्षा के बारे में कोई ऐसी मूल बात कहिये जिससे लोगों को लाभ मिले।

श्री रामपाल उपाध्याय : यही तो कह रहा हूं, फिर आप क्या करोगे? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : घनश्यामजी, आप तो कहलवाने में रुचि रख रहे हो। (व्यवधान)

श्री रामपाल उपाध्याय : राज्य शासन के बारे में मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि राज्य शासन में भ्रष्टाचार नहीं होने का शेखावत का दावा परन्तु चतुर्वेदी के विभाग पर शेखावत की चुप्पी। उसके बाद, विश्वविद्यालय भाजपा की राजनीति का अड्डा, अजमेर। उसके बाद, आरोपों से घिरे लोग विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा में कि यहां पर आरोप लगे, उनको वहां ओ. एस. डी. बना दिया। किन्हीं खण्डेलवाल साहब को कर दिया कहीं और कोई साहब को कहीं कर दिया।

अब आगे और निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्, एम. बी. ए. के प्रवेश में अनियमितताएं और एम. बी. ए. के प्रवेश में बड़े पैमाने पर अजमेर में धांधली और विश्वविद्यालय के निदेशकों के चयन में भयंकर धांधली। इसलिए मैं चतुर्वेदी साहब, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप कृपा करके जिन पर आपका भरोसा हो हाउस के उन माननीय सदस्यों को, कम से कम और आप कुछ करें कि नहीं करें, अजमेर विश्वविद्यालय की आप जांच कराइये और क्या वहां नियमानुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस प्रकार की धांधली हो रही है। 110 महाविद्यालयों का एफिलिटेड विश्वविद्यालय

(श्री रामपाल उपाध्याय)

अगर इस प्रकार की बात कर रहा है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत तकलीफ की बात है। विषय तो मेरे पास 20-30 हैं लेकिन मैं एक-दो विषय पर और बोलकर मैं आपके आदेशों की पालना करने की कोशिश करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप समय का भी पालन करने का प्रयास करें।

श्री रामपाल उपाध्याय : आपके आदेशों की पालना का मतलब ही समय की पालना करना है।

श्रीमन्, मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं कि उच्च स्तरीय कमेटी बनी है अभी मार्च 1996 में, इसके अन्दर माननीय कटारिया साहब के निर्देशन में एक कमेटी बनी, अब मैं आपके ऊपर आ रहा हूं तो मेरी प्रार्थना है, उस कमेटी को तीन महीने में रिपोर्ट देनी चाहिए थी, उस कमेटी को उच्च स्तरीय जितना शिक्षा जगत में जो कुछ वह है, उस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए और उसके अनुसार काम करना चाहिए माननीय चतुर्वेदी साहब से प्रार्थना करना चाह रहा हूं कि गैर शैक्षणिक संस्थाओं का अधिनियम, 1989 में हुआ और उसके आधार पर जो आपने सारी कार्यवाही की और अब आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। पहले जो एक भ्रष्टाचार कमेटी बनी थी....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण, कृपया बातें नहीं करें। बात नहीं करें।

श्री रामपाल उपाध्याय : आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है और मैं चाहूंगा, यह गैर शैक्षणिक संस्थाएं हैं.... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सदन का दुरुपयोग करते हैं। मुख्यमंत्रीजी के पक्ष में एक जगह दस्तखत सदन में करवाये जाते हैं और विपक्ष में एक जगह दस्तखत करवाये जा रहे हैं। यह सदन का दुरुपयोग है।

श्री उपाध्याय : कृपया आप भी व्यवधान न डालें। बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इन्होंने भा. ज. पा. का दफ्तर समझ रखा है (व्यवधान)

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से प्रार्थना करता हूं कि उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुख्य मंत्रीजी के पक्ष में या विपक्ष में यहां सत्ता पक्ष में किसी प्रकार का हस्ताक्षर अभियान नहीं है। यह बात गलत कही गयी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और मुख्य मंत्रीजी हमारे सर्वमान्य नेता हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभी के।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप ही के नहीं, सदन के नेता है। इस सदन के नेता हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक मात्र नेता हैं हमारे। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप ही के नहीं, सदन के नेता हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिस तरह के सपने मन में आप लिये बैठे हो, ये मुंगेरी लाल के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, मुख्य मंत्रीजी का हम भी सम्मान करते हैं और उनके खिलाफ जब विद्रोह हो रहा है तो हमको भी तकलीफ हो रही है। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कांत : उपाध्यक्ष महोदय, न तो मुख्य मंत्रीजी के विरुद्ध कोई विद्रोह होने वाला है और न कोई विरोध हो सकता है और न कोई विकल्प की बात ही है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : किसी प्रकार का कोई हस्ताक्षर अभियान मुख्य मंत्रीजी के विरुद्ध न तो किसी ने किया, न कराया (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : सवाल सिर्फ इतना है, आपको यह एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत क्यों पड़ गयी ?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपके कारनामों से मुख्य मंत्रीजी बीमार हो गये। आपके कारनामों से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है।

श्री विष्णु मोदी : सवाल इस बात का है कि आपको एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता कैसे पड़ गयी ? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, कालूलाल जी गूजर, आज वह कागज जो आपके हाथ में था, वह क्या था, वह कौनसा कागज था। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : असत्य प्रचार तो आप स्वयं कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन स्वयं दे रहे हैं। आपको आवश्यकता क्या पड़ गयी एक्सप्लेनेशन देने की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अभी दिल्ली बहुत दूर है। बिना बात ही....

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मुख्य मंत्रीजी बीमार हैं। कम से कम इन दिनों में हस्ताक्षर अभियान नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : जब विरोध ही नहीं है तो स्पष्टीकरण क्यों दे रहे हैं, स्पष्टीकरण की क्या जरूरत है फिर ?

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। (व्यवधान) अब आप विराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : जो असंतुष्ट थे वह चले गये।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में बात कंक्लूड तो करूं, सभी लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा जैसे पवित्र कार्यक्रम को चाहे वह विश्वविद्यालय हो, चाहे वह महाविद्यालय हो, चाहे वह प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे वह माध्यमिक,

(श्री रामपाल उपाध्याय)

उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, हमारा सबका यह पुनीत दायित्व है और जो सत्ता में बैठे हैं उनका अधिक पुनीत दायित्व है कि आप योग्यता के आधार पर लोगों को पढ़ने-पढ़ाने का काम दीजिये। आप सारा पक्षपात मिटाइये। आप इस प्रकार का विश्वविद्यालय में और महाविद्यालयों में भ्रष्टाचार हो रहा है उसको मिटाइये और भगवान की खातिर योग्य व्यक्तियों को ट्रांसफर के आतंकवाद के कारागृह में मत रखिये। मेरे पास 50 उदाहरण और हैं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं, कम से कम योग्यता की कीमत करो, लाठी की कीमत मत करो, योग्यता के आधार पर लोगों को आगे बढ़ाओ ताकि ये हमारा प्रदेश एक नयी संस्कृति पैदा करेगा। हमारी जो पुरानी सस्कृति आ रही है, जो हमारा सार है। आप क्षमा करेंगे, आप शिक्षा विभाग के जरिये इस प्रदेश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। आज शिक्षा विभाग के जरिये इस प्रदेश मे भाई-भतीजावाद फैलाना चाहते हैं। आज इस शिक्षा विभाग के जरिये और न जाने क्या-क्या काम करना चाह रहे हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, श्रीमन्, शिक्षा को शिक्षा रखिये। शिक्षा के बीच में इस प्रकार का हस्तक्षेप मत करिये। सच्ची शिक्षा वह होगी जिसमें प्रशासन को कम से कम हस्तक्षेप करेगा। क्योंकि आप मुझे बहुत कह रहे हैं, मेरे पास कहने को और भी कुछ है लेकिन मैं आपका बड़ा आभारी हूं. आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारी लाल जी भिण्डा। (व्यवधान) श्री शिवकिशोर जी सनाढ्य।

सूचना

पृथ्वीराज नगर योजना, जयपुर से प्रभावित किसानों का विधान सभा पर धरना

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के बाहर हजारों काश्तकार स्त्री और पुरुष काफी घंटे से बैठे हुए हैं। उनकी बहुमूल्य जमीनों को सरकार बिना कीमत दिये कब्जा कर रही है, उनका अधिग्रहण कर रही है, उनको मुआवजा भी पूरा नहीं दे रही है और....

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी पीड़ा है।

श्रीमती कमला : उनके ऊपर डंडे बरसाये जा रहे हैं, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। एक तरफ उसी क्षेत्र के अन्दर जिन बड़े-बड़े जौहरियों ने जिन बड़े-बड़े अधिकारियों ने, जिन बड़े-बड़े नेताओं ने अपने फार्म हाउसेज बना रखे हैं, रिजोर्ट्स बना रखे हैं, उनको बेच रहे हैं। उनको रेगुलराइज करने के लिए जे.डी.ए. ने कानून पारित किया है और दूसरी तरफ इन किसानों ने वर्षों से इन जमीनों को लेवल किया। वहां पर बिजली लगायी, उनको बारानी से सिंचित किया, आज उनकी रोजी-रोटी छीनी जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती कमला : उनको बेघरबार और बिना रोजगार के किया जा रहा है। मैं चाहूंगी, माननीय मंत्री महोदय इस बारे में अपना वक्तव्य दें और अपनी नीति स्पष्ट करें कि एक ही जबान से। (व्यवधान) आप दोहरी नीति अपनाये हुए हैं। यह बर्दाश्त होने लायक बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह काश्तकारों का मामला है। आप कृपया इस पर ध्यान दें। लोग बाहर धरने पर बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारीलाल भिण्डा। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : किसान बरबाद हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : एक तरफ तो आप उनको छोड़ रहे हैं (व्यवधान) वे ही लोग विधान सभा में बात कर हैं। (व्यवधान) यह बिलकुल नहीं चलेगी। माननीय मंत्रीजी, इस बारे में अपनी नीति स्पष्ट करें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : हजारों की संख्या में किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। आप किसानों की बात को गम्भीरता से लें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, 2000-3000 आदमी धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। उनकी जमीन बिकवाई जा रही है, और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनके मकानों को नष्ट किया जा रहा है, सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिए।

श्रीमती कमला : आप फार्म हाउसेज को बेच रहे हैं (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : 3000 आदमी बाहर धरने पर बैठे हैं, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : और यह कौनसा कानून है और कौनसा तौर-तरीका है (व्यवधान) मेहरबानी करके इसके ऊपर बयान दीजिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : सरकार सो रही है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अन्याय के खिलाफ हम आवाज उठायेंगे, यह किसान विरोधी सरकार है। यह किसानों का शोषण करने वाली सरकार है, किसानों के प्रति बिलकुल सद्भावना नहीं रखती है। किसान बाहर बैठे हुए हैं लेकिन यह वक्तव्य देने के लिए तैयार नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : जमीन आप एक्वायर करें इसमें एतराज नहीं है लेकिन इस नाम पर किसानों को बरबाद नहीं किया जाना चाहिए। आज किसान को बरबाद किया जा रहा है, उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। (व्यवधान) पहले की जो स्कीम थी उस स्कीम को बदला जा रहा है।....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकार वक्तव्य दे।

श्री रामस्वरूप मीणा : राजस्थान की विधान सभा के बाहर किसान रो रहे हैं। किसान रो रहे हैं. इनको, उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के बाहर दुखी हैं। दो हजार किसान पड़े हैं विधान सभा के बाहर। उनकी बात को सुना जाय। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : मेरे ख्याल से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है इसलिए सरकार को इस मामले मे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और जो हजारों किसान बरबाद हो रहे हैं उनकी बात को सुनकर एक समाधान निकालना चाहिए। उपाध्यक्षजी, पृथ्वीराज नगर बने उसके खिलाफ नहीं हैं लेकिन....(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : ....इसलिए मिनिस्टर साहब, इस बारे में कोई आश्वासन दें हमको कि उनसे बातचीत करेंगे....

श्री शिवनाथ सिंह : उस नाम पर किसानों को बरबाद नहीं किया जाय और जो बड़े-बड़े फार्म हाउस हैं, पैसे वाले हैं उनको बचाया जा रहा है. किसानों को कोई पूरा मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उनकी मांग है कि मार्केट रेट पर उनको मुआवजा मिले।....(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : यह गांव, गरीब और किसान की बात है।

श्री रामस्वरूप मीणा : सरकार सो रही है। माननीय मंत्रीजी सो रहे हैं। ध्यान दिया जाय। मंत्रीजी सो रहे हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : सुजानसिंहजी सो रहे हैं। .. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गरीब लोग रो रहे हैं, सरकार सो रही है।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें किसी एक पार्टी के लोग नहीं हैं, इसमें सभी पार्टियों के लोग हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : किसान रो रहे हैं, सरकार सो रही है। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : गरीब को गणेश मानने वाली यह सरकार हजारों लोगों की व्यथा को, उनकी रोजी रोटी छीनने के लिए जिस प्रकार से लग रही है उस अन्याय के खिलाफ लोग आये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं इसमें, तमाम वर्गों के लोग हैं इसमें। उनकी बात सुननी पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजें। माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : गांव, गरीब और गणेश की बात कहने वाली सरकार उनको उजाड़ना चाहती है। उनको आज सुनने की आवश्यकता है। इसके लिए जो गांव के गरीब लोग बड़ी तादाद में आये हैं और उनके साथ अन्याय हो रहा है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आदरणीय कमलाजी, कृपया आप विराजें।

श्री रतनलाल ताम्बी : जो सरकार न्याय नहीं करे....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठे, विराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : किसान बाहर रो रहे हैं, बाहर पड़े हुए हैं, विधान सभा के बाहर दो हजार आदमियों ने धरना दे रखा है ...

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूपजी, आप बैठें।

श्रीमती कमला : इस तरह से बसे हुए किसानों को कैसे उजाड़ सकते हैं....

श्री रामस्वरूप मीणा : आप किसानों की समस्याओं को पहले सुनें, फिर कार्यवाही चलायें इसकी। वक्तव्य दिलायें मंत्री महोदय से। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर।

श्री नाथूराम अहारी : आप सरकार से स्टेटमेंट दिलायें इस बारे में।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। विराजें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : कुछ कहिये स्वायत्त शासन मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : आपने सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया, बहुत है, पर्याप्त है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : खड़े ही नहीं हो रहे हैं, बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : सरकार वक्तव्य दे। सरकार अपनी प्रतिक्रिया दे। मंत्रीजी मौजूद हैं, सरकार को कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिये। जब तक सरकार की प्रतिक्रिया नहीं आयेगी, मामला बिगड़ सकता है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : ध्यान आकर्षित करने का सवाल नहीं है, यह कोई एक नगर का भी मामला नहीं है, यह सरकार की नीति का मामला है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : सरकार जवाब ही नहीं दे रही है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, आप भी किसान हैं ...

एक माननीय सदस्य : आप बहुत जागरूक मंत्री हैं, उनकी सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : सरकारी वक्तव्य दे अपना। इसके बाद आगे कार्यवाही की जाय।

श्रीमती कमला : मंत्री महोदय वक्तव्य दें। सरकार की स्थिति स्पष्ट करें। किसानों के साथ न्याय करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : राजस्थान की विधान सभा के बाहर दो हजार किसान धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी ज़मीनों पर नाजायज कब्जे किये जा रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह गरीब किसानों की रोज़ी-रोटी का सवाल है। सरकार रोज़ी रोटी नहीं दे सकती है और

(श्री रतनलाल ताम्बी)

जो है उनको छीनना चाहता है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ग्रासन पैरों पर। माननीय सदस्य बैठिये। ग्राप बैठें। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : बोलिये। खड़े होइये ग्रापमें से भी किसानों के हमदर्द, यह सरकार बरबाद कर रही है किसानों को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। ग्रंकित न हो।

श्री ग्रमराराम चौधरी : × × ×

श्री रतनलाल ताम्बी : × × ×

श्री शिवनाथ सिंह : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। कृपया बिराजें एक मिनट।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप सारे एक साथ बोलें उसका कोई तात्पर्य नहीं है। जो कुछ कहना है एक-एक बोल सकते हैं ग्रौर उसके ग्राधार पर कह सकते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : मंजूर है, एक-एक बोलेंगे हम। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया ग्राप सुनें। बीच-बीच में उठ जाते हैं ग्राप।

श्री रामनारायण मीणा : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसमें दो पोजीशन है।

श्री उपाध्यक्ष : घनश्यामजी तिवाड़ी ग्राप कुछ कह रहे हैं? बोलें ग्राप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : उपाध्यक्ष महोदय, बाहर पृथ्वीराज नगर के बहुत से किसान ग्राये हुए हैं। इसमें दो प्रकार के लोग हैं। दो-चार हजार लोग इस प्रकार के गरीब ग्रादमी हैं उनके मकान बन गये, ग्रालरेडी उनके मकान बने हुये हैं ग्रौर मकान बनाकर वह रह रहे हैं। उन लोगों के मकानों को तोड़ने की कार्यवाही करने की कोशिश की गयी। उन्होंने अपनी घंटी बांधी ग्रौर ग्रपने मकानों को बनाने की कोशिश की। इसमें कुछ इस प्रकार के लोग हैं जिनके बड़े-बड़े फार्म हाउस हैं, खेत बने हुए हैं, उन फार्म हाउस ग्रौर खेतों को इसमें छोड़ा गया है। तीसरे इस प्रकार के लोग हैं जो खुद खेती करते हैं ग्रौर चौथे इस प्रकार के लोग हैं जो सोसाइटीज ने उन जमीनों को खरीद रखा है। इसलिए इसमें चार प्रकार के लोग हैं। कुछ किसान हैं जो ग्रपनी काश्त करके ग्राज पेट भर रहे हैं. उनके सामने रोजी-रोटी का सवाल है। इसी प्रकार से कुछ बड़े-बड़े लोगों ने रिजोर्ट ग्रौर फार्म हाउस बना रखे हैं। वह किसी न किसी प्रकार से कानून के बहाने से इसमें से निकल रहे हैं ग्रौर कुछ इस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने, तीन-चार हजार लोगों ने

× × × ग्रध्यक्षपीठ के ग्रादेशानुसार ग्रंकित नहीं किया गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

वहां अपने मकान बना रखे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या आज यह है कि आप मिनिमम रेट पर उसकी चीज लेना चाहते हैं। तो पहले तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन्होंने एक कमेटी बनायी है कलक्टर, जयपुर की अध्यक्षता में, तो किसी भी समय माननीय मंत्री महोदय किसानों को आश्वस्त करें और सदन को इस सारी स्कीम के बारे में जानकारी दें कि गरीब किसानों को, अगर आपको गरीबों बसाने के लिए जमीन चाहिए, तो गरीब किसानों के साथ आप किस प्रकार का मुआवजा देकर न्याय करना चाहते हैं लेकिन समान रूप से व्यवहार लागू होना चाहिए। उन बड़े-बड़े किसानों के या अफसरों के जो बड़े-बड़े फार्म हैं उन पर भी वही नियम लागू होना चाहिए जो गरीब से गरीब काश्तकार पर आप लागू करना चाहते हैं।

इसी प्रकार जिन लोगों ने मकान बना लिये हैं उन मकानों के बारे में आपकी क्या नीति है और जो भू-माफिया हैं. जिस भू-माफिया ने किसानों से ऐग्रीमेंट टू सेल करके जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं उनको किसी भी प्रकार से इस एजीटेशन का फायदा नहीं हो, यह भी देखने का काम है। इसलिए माननीय सदस्यों ने जो यह मुद्दा उठाया है, वह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर आप समय तय करके सरकार से सरकार से बातचीत करके कोई इस प्रकार की व्यवस्था करें ताकि किसानों को लाभ मिल सके। यह मेरा निवेदन करना है।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, दो तथ्य मैं रखना चाहती हूं। जिन काश्तकारों की जमीन जे.डी.ए. या सरकार अधिगृहीत कर रही है....

श्री उपाध्यक्ष : सरकार का ध्यान आपने आकर्षित कर दिया, आप विराजें।

श्रीमती कमला : बहुत जरूरी है एक तथ्य माननीय।

श्री उपाध्यक्ष : आप बार-बार न उठें। कृपया आप विराजें।

श्रीमती कमला : नहीं, यह बहुत जरूरी है बताना।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, थोड़ा विराजें, बैठें आप।

श्रीमती कमला : जिस मूल्य के ऊपर जमीन ली जा रही है...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप अपना आसन ग्रहण करें. आसन पैरों पर है। मंत्री महोदय कुछ कह सकते हैं इसमें, कहना चाहते हैं?

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहती हूं, मैं एक मिनट बात कहना चाहती हूं।

श्रीमती कमला : मैं उनकी निगाह में एक तथ्य यह लाना चाह रही हूं कि जमीनों के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने हरेक गांव की कीमत तय कर रखी है और जिन गांवों की जमीन अधिगृहीत की जा रही है उस रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी के तहत में उनकी एक बीघा जमीन लाखों रुपये

(श्रीमती कमला)

की है, जबकि आज जब उनकी जमीन सरकार ले रही है तो मुश्किल से उन्हें 20 और 24 हजार रुपये मुआवजे के दिये जा रहे हैं। दूसरी तरफ माननीय घनश्यामजी को शायद जानकारी नहीं है उन फार्म हाउसेज को रेगुलराइज करने के लिए सरकार ने नियम बना दिये हैं कि इनको तो रेगुलराइज करने के यह बाई-लाज बनाये जाते हैं जो आज अखबार के अन्दर आया है। एक तरफ तो उनको रेगुलराइज किया जा रहा है, दूसरी तरफ उनको उजाड़ा जा रहा है। एक तरफ उनकी कीमत स्टाम्प ड्यूटी के लिए दो-तीन लाख कायम की हुई है, दूसरी तरफ उनको मुआवजा दे रहे हैं 20 हजार, 24 हजार। यह कहां का न्याय है?

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, दिक्कत की बात तो यह है कि जहां जमीनें राज्य सरकार के अधिकारीगण एक्वायर करने की सोचते हैं वहां पहले ही मकान बने हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें ज्यादा चर्चा नहीं होगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज जो विषय सूची है वह काफी लम्बी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : और जब मकान बन गये हैं तो उनको एक्वायर करने की क्या आवश्यकता है आपका परपज भी वही है और परपज हल हो चुका है। पूरे ग्रीन बेल्ट में मकान आधे से अधिक बन चुके हैं। जहां मकान बन चुके हैं उनको उसी रूप में रेगुलराइज करना चाहिए। और जमीन अगर खाली है कहीं, जितना मुझे महसूस है, जमीन खाली नहीं है तो फिर इस प्रकार की योजना बनाना, यह मेज पर बैठ कर योजनाएं बनाना क्या सोच रखता है और उनको परेशान करने, लोगों को परेशान करने का क्या अर्थ हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। माननीय मंत्री महोदय, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मंत्री महोदय। (व्यवधान) आप विराजें, मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं होने दूंगा। आप विराजें। आपने सरकार का ध्यान आकर्षित कर लिया, सरकार कुछ कह रही है। आप विराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो मंत्री महोदय इन लोगों को समझाइयें। कभी नये जयपुर के नाम पर योजना आती है, और कभी अन्य....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो बैठती हूं पर इनको समझायें आप।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप। आप बैठिये।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्षजी, एक बिन्दु ऐसा रह गया....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप बैठिये। आप विराजें।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं बैठ तो रहा हूं। आपके बैठते ही मैं खड़े हो जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री गोपीचन्द (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह किसानों का बहुत गम्भीर मसला है और इतना हल्का-फुल्का नहीं है जिस पर चर्चा करने पर भी आप कंट्रोल लगायें ।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्षजी, आपने आदेश दिया था, आपके आदेश की हम पालना कर रहे हैं । आपने कहा कि एक-एक व्यक्ति बोलिये, हम एक-एक बोलने को तैयार हैं लेकिन हमारी बात आप सुनने को तैयार नहीं हैं .. (व्यवधान)

श्री गोपीचन्द : किसानों की बदौलत आज हाउस के अन्दर हम लोग बैठे हैं । किसानों की समस्याओं के लिए समय देना पड़ेगा, विस्तार से चर्चा होनी चाहिए इस विषय के ऊपर और फैसला होना चाहिए इस बात के ऊपर कि किसानों को किस ढंग से न्याय दिया जाय । जब इस तरीके से किसानों की जमीनों को जबरदस्ती छीन लिया जाता है यह ब्यूरोक्रेसी वो व्यवहार करती है जो अंग्रेजों के टाइम में होता था यह बर्दाश्त नहीं किया जायेगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय के ऊपर जोरदार डिबेट होनी चाहिये और आज फैसला होना चाहिये । किसान के साथ अन्याय हम लोग नहीं होने देंगे । यहां वो लोग बैठे हैं जो किसानों की.... (व्यवधान) ...

एक माननीय सदस्य : यह किसानों के शोषण का मामला है उनको वाजिब मुआवजा नहीं देने का मामला है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : फैसला करें इस बात का ...(व्यवधान)....फिर आज की कार्यवाही आगे बढ़ेगी....(व्यवधान)....

श्री गोपीचन्द : ....(व्यवधान).... माननीय उपाध्यक्ष महोदय,.... (व्यवधान).... इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है.... (व्यवधान) .. बहस करायी जाये किसानों पर पहले । वक्तव्य से काम चलने वाला नहीं है । फैसला करें जब तक आप नहीं करेंगे तब तक....(व्यवधान)....राजस्थान में पूर्वी राजस्थान से लेकर .. (व्यवधान).... जिन लोगों को चुनकर भेजते हैं, किसान हाउस के बाहर बैठे हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को उस पर चर्चा करने के लिए समय नहीं है । शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जब जिन्दगी सुरक्षित नहीं है । रहने को मकान नहीं है .. (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : सरकार कुछ कहना चाहती है आप सुनिये ।

श्री गोपीचन्द : ....(व्यवधान)... हमारी रोजी-रोटी को छीना जा रहा है । इससे मैं पैदा करके कमाकर खाता हूं .. (व्यवधान) ... जिससे पशुओं को पाला जाता है.... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । अंकित नहीं होगा ।

श्री गोपीचन्द : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया बिराजें । सरकार कुछ कहना चाहती है । अब आप बिराजें ।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री गोपीराम जाट : × × ×

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : × × ×

श्री शिवनाथ सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र गहलोत : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मैंने मंत्री महोदय को पुकार लिया है आप बिराजें। कृपया सदन में व्यवस्था स्थापित करें माननीय सदस्य। मंत्री महोदय।

श्री भवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय वास्तव में सरकार के लिए बहुत गम्भीर है और इस पर मैं बराबर चर्चा कर रहा हूं। ये जितने भी किसान हैं या जो लोग वहां बस गये हैं उनसे मेरी बराबर बातचीत चल रही है। आज भी अभी एक शिष्ट मण्डल आया हुआ है उससे मैं बातचीत करूंगा। इसकी समस्या समझ लें। यह पृथ्वीराज नगर पर आवासीय योजना के लिए बहुत बर्षों पूर्व इसकी अवाप्ति की कार्यवाही की गयी और अवाप्ति की कार्यवाही का विरोध हुआ न्यायालयों में और होते-होते सुप्रीम कोर्ट में गया मामला और वहां से अवाप्ति की कार्यवाही को वैध मान लिया। अगर सरकार की नीयत खराब होती या इन काश्तकारों के खिलाफ कार्यवाही करने की मंशा होती तो जिस दिन ये अवाप्ति के आदेश हमारे पक्ष में हुए थे तभी हम कब्जा करके उनको बेदखल कर सकते थे। लेकिन वह न करके यह कई कैटेगरीज का मामला है जैसा घनश्यामजी ने कहा कि इसमें वो लोग हैं जो काश्तकार हैं, जिनकी जमीन अवाप्त हो गयी। इसमें वो लोग हैं जिन्होंने सोसायटियों से मकान खरीद लिये, जमीनें खरीद ली और मकान बना लिये। वो लोग भी हैं जो केवल इसका लाभ उठाकर जिसको भू-माफिया कहते हैं वो भी इसमें बहुत-बड़ी संख्या में इसका लाभ उठाना चाहते हैं। इस प्रकार से यह बड़ा मिक्सड एक ऐसे मामला है जिसमें सरकार यह सोच रही है कि किसी के साथ अन्याय न हो। काश्तकारों को उसकी कीमत मिले और जो आदमी जिसने मकान भी बना लिया यदि उस आवासीय योजना जो सरकार की है उसमें अगर वो फिट होता है तो उसको बेदखल नहीं किया जाये इसकी कोशिश की जाये और किसानों को उसका ठीक मुआवजा मिल कर वो भी वहां आबाद हो सके तो आबाद हो, इस पर हम चर्चा कर रहे है ... (व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान न करें। यह पहले आप सुनिये माननीय सदस्य।

श्री विष्णु मोदी : व्यवधान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बीच में नहीं बोलेंगे।

श्री विष्णु मोदी : मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, बात सदन को ...

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप सरकार कुछ कह रही है सुनिये। पहले आप सुनिये।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री विष्णु मोदी : बात सदन को गुमराह करने की है ।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा ।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप पूछ सकते हैं गुमराह कर रहे हैं तो उनकी बात तो पूरी होने दीजिये । पहले इनकी बात तो पूरी होने दीजिये । आप इतने वरिष्ठ सदस्य होते हुए भी व्यवधान डाल रहे हैं । आप बात सुनिये पहले ।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्रीमती कमला : × × ×

श्री रामकिशन वर्मा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें । सवाल पूछ लिया आपने बैठिये आप । इस पर इतना लम्बा डिस्कशन नहीं होता । आप बैठिये । पहले आप मंत्री महोदय को सुनिये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया बिराजें ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय को आप सुनें माननीय सदस्य ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बिराजें । मन्त्री महोदय ।

श्रीमती कमला : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कमला जी आप बार-बार व्यवधान डाल रही हैं ।

श्रीमती कमला : आप कुछ सुनना ही नहीं चाहते । आदरणीय कमलाजी आप बैठें ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुनें ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा जी एक मिनट आप बिराजें । आप बैठें तो सही ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है और आप भी खड़ी हैं । यह कोई तरीका है । आप बिराजें मन्त्री महोदय को आप सुनें फिर कोई सवाल हो तो कर सकते हैं । आप सुनिये । मन्त्री महोदय को पहले सुनें आप फिर कोई सवाल हो तो बतावें ।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप सरकार को सुनने का कष्ट करें, सरकार कुछ कह रही है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : सब कुछ जानती है सरकार, सरकार को सब कुछ मालूम है।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप भी बिराजें। मेहरबानी करें मेरे ऊपर। कृपया मंत्री महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे सांगानेर से आनी वाली माननीय सदस्या ने कहा कि इसमें भू-माफिया भी हैं और बाकी लोग जेनुइन भी हैं। तो एक कृपा तो आप करें कि वह लिस्ट तो आप मुझे दे तो ताकि जो भू-माफिया हैं उनको तो निकालूं उनमें से। यह काम तो आप कर दो। अब सवाल यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला कोई मेरा आज स्टेटमेंट नहीं था लेकिन चूंकि यह सब की चिन्ता का विषय है, इतने लोग यहां आये हुए हैं और आपने मुझे आदेश दिया कि जो मेरी एकाएक जानकारी है वह मैं दे रहा हूं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी किसान के साथ इस प्रकार की ज्यादती नहीं होगी क्योंकि हम पहले से ही विचार कर रहे हैं। जब यह मामला हमारे सामने आया....(व्यवधान) अब सुन लीजिये आप बात। जब यह मामला मेरे सामने आया तो इसकी कई पेचिदगियां सामने आयीं और इस कारण से हमने, अपने आप स्वयं ने ही जिलाधीश की अध्यक्षता में और हमारे दो तीन माननीय सदस्य जो नगर निगम के उपाध्यक्ष हैं, एम.एल.ए. साहब हैं और और लोग हैं उनको इस बात के लिए नियुक्त किया है कि आप जाकर देखें कि यह जो योजना हमारी है, आखिर में लोगों को बसाने की योजना है। वहां लोग बसेंगे, यही तो योजना है.... (व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन तो लें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उसके सदस्य कौन हैं, मुझे जानना है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर मान लीजिये उस योजना में (व्यवधान)....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मेरे क्षेत्र का मामला है, मुझे सदस्य ही नहीं बनाया।

श्री भंवरलाल शर्मा : उस योजना में अगर मान लो जितनी हमारी नीति है, जितनी हमारी स्कीम हैं उसके हिसाब से अगर कम लोग भी बसते हैं और बरबाद नहीं होता तो बहुत खुशी से इस बात को चाहेंगे इसीलिए एक कमेटी इस बात की बना दी है वह इस सम्बन्ध में जांच कर रही है वह जांच करके 20 तारीख तक या 28 तारीख तक हमको रिपोर्ट देगी कि हम इसको कितना सुविधापूर्वक बिना किसी को तकलीफ पहुंचाये, बिना किसी का एक्सप्लायटेशन किये या किसानों को बिना

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

परेशान किये हम क्या कर सकते हैं। इस पर हम बराबर चिन्ता कर रहे हैं। एक कमेटी बैठी है और मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि इसके जो माननीय सदस्य हैं जो इसको चला रहे हैं वे भी बराबर मिल रहे हैं हमसे और हम कोई रास्ता निकालने....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : इस कमेटी में किनको सदस्य बना दिया, मैं जानना चाहती हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने बना दिया, मुझे बनाना था जिनको।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जिसके क्षेत्र का मामला है उसको क्या, इसीलिए कि मैं कांग्रेस की विधायक हूं।.... (व्यवधान) ...

श्री जगदीप धनखड़ : ऐसे कैसे बना दिया ? कोई तरीका होगा। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मेरे क्षेत्र में आधे से ज्यादा ऐसे मामले हैं.... (व्यवधान)....

श्री भंवरलाल शर्मा : वह बना दिया हमने।....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : सम्बन्धित विधायक को तो बनाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा : वो चाहेंगे तो बना देंगे।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मुझे नहीं बनाया है, मुझे आज तक क्या, अभी भी कमेटी में....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सम्बन्धित विधायक उसमें शामिल हैं, संबंधित विधायक श्री गोपीरामजी शामिल है... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आप मन्त्री महोदय को जवाब देने दें। (व्यवधान)....

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर यही शिकायत है कि साहब इस सारे मसले में आपको ही नहीं जोड़ा गया तो आपको निमन्त्रण है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जी नहीं। मुझे इससे शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत यह है कि आप कह रहे हैं कि कमेटी बना दी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपको निमंत्रण है, आप पधारिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मुझे तो पता ही नहीं है कि कोई कमेटी बन गयी।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब पधारो, आओ आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : किस बात की कमेटी आपने बनायी ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अब आ जाइये न, क्या दिक्कत है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको कमेटी में रख दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आ जाइये इसमें कौनसा गजट निकालना है मुझे, पधारो आप ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : रखना चाहिए न आपको ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब बात यह है कि रात बिरात यहां जाते हैं खेतों पर, मैंने जानबूझकर आपका नाम नहीं दिया कि आप रात को वहां जायेंगी .. (व्यवधान).... You are respected but let me complete. कई बात जैसे ध्यान में नहीं आयेगी इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को यही विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो बात कही है । मैं नहीं मानता कि आप राजनीति से बोल रहे हो कि अखबारों में नाम आ जाय । ऐसा नहीं मानता । आपके मन में कुछ भी हो लेकिन यहां बात तो उठायी है और मैं इसलिए मानता हूं इस बात का कि हम खुद बहुत ही चिन्तनशील हैं, सी. एम. साहब खुद चिन्तित हैं और हमारा डायलाग चल रहा है इनसे । अभी भी एक शिष्टमण्डल आया हुआ है बातचीत करने के लिये तो कोई ऐसा मार्ग निकालेंगे, जिसमें इन लोगों को तकलीफ नहीं हो और जिनको बसाना है उनकी चिन्ता करिये । जो लोग कई वर्षों से यहां आवासीय योजना में आने के लिए तैयार बैठे हैं उनको भी बसाना होगा । आखिर ये भी बसें, वह भी आराम से फले, फूले । यह हमारा दृष्टिकोण है । इस हिसाब से काम करेंगे और उसके बाद में भी यदि आपको लगा ...

श्रीमती कमला : मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है । फार्म हाउसेज को जैसे आपने रेगुलराइज किया है बाइलाज बनाकर या जो काश्तकार वहां बस गये उनको भी उसी तरह से रेगुलराइज करेंगे क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : कौन से फार्म हाउसेज को रेगुलराइज किया है । नाम बतायें, किसी का किया हो तो, एक नाम बता दीजिये ।....(व्यवधान)....तो फिर काहे की बात कर रही हैं आप ?.... (व्यवधान)....

श्रीमती कमला : जनरल कायदा बनाकर निकाला उसी तरह इसको भी निकालिये....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुनें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : योजना भी सफल हो जाय और जो लोग जिनकी हम जमीन ले रहे हैं ये रास्ता दें वे हमेशा के लिए बेघर होते हैं, बेरोजगार भी होते हैं तो उनका दर्द भी है हमको । हम आपको प्रकट नहीं कर पा रहे है लेकिन है और इसलिए यह निर्णय हम ऐसा ही करेंगे जिससे आपको शांति होगी । फिर भी आपको लगे तो आप मुझे सलाह दे दीजिये । अगर मान लीजिए फिर भी कोई बात रहती है तो सलाह दीजिए । इसमें कौनसी परेशानी है ?

श्री शिवनाथ सिंह : ओरीजनल प्लान जो है जिसमें सड़कें वगैरह भी ओरिजनल प्लान में थी किन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उन सड़कों को हटाकर दूसरी जगह किया जा रहा है । 200 फीट की जो सड़क पहले थी क्या आप यह कहने को तैयार हैं कि उसी जगह उसको रखा

(श्री शिवनाथ सिंह)

जायेगा ? ओरिजनल प्लान को नहीं बदला जायेगा ।

श्री रामनारायण मीणा : साफ सलाह है, माननीय मन्त्री महोदय अभी जो आपसे मिलने वाले आये हैं उनमें जो सोसाइटी वाले आये हैं, उनमें जो सोसाइटी वाले हैं और भू-माफिया हों तो उनसे बात मत करिये आप, किसानों से बात करिये। किसानों की आड़ में भू-माफिया आपसे ब त करने आये हैं, सोसाइटी वाले आपसे करने आये हैं और आप कानून बदलो.... ....(व्यवधान)....माननीय मत्री जी बिलकुल साफ यह राय है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आज मेरा स्टेटमेंट नहीं है ।

श्री रामनारायण मीणा : सोसायटी वालों और भू-माफिया से आप क्यों बात करते हो ?....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुनें आप.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : आप आज किसानों से बात करिये....(व्यवधान)....

श्री भंवरलाल शर्मा : देख लेता हूं ।

श्री रामनारायण मीणा : वे किसान नहीं हैं न ही उन्होंने किसानों से बात की है ।.

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर आप भी आ जाना अभी वहां....(व्यवधान)....

श्री रामनारायण मीणा : हम आपसे निवेदन करते हैं कि एयरकंडीशन प्लांट्स में यहां भू-माफिया चलते हैं, सोसाइटी वाले चलते हैं । आप कृपा करके उनसे बात मत करिये ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें अब ।

श्री रामनारायण मीणा : किसानों से बात करिये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री रामनारायण मीणा : कौन किसान से बात करेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें ।

श्री रामनारायण मीणा : भू-माफिया से और सोसायटी वालों से बात करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप मंत्री महोदय की पूरी बात तो सुनें । ... (व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : जयपुर को भू-माफिया के हाथों बेच दिया गया है ।.... (व्यवधान)....

श्री भंवरलाल शर्मा : और मेरा आज स्टेटमेंट नहीं है, केवल माननीय सदस्यों और हाउस की इन जानकारी के लिए था उन्होंने चिन्ता की उसके लिए जो मेरे ध्यान में हैं मैंने बता दिया । अब आप मुझ से कई प्रश्न कर रहे हैं । आप यह समझकर कर रहे हैं कि आज स्टेटमेंट दे रहा हूं । मेरी तैयारी नहीं थी । यह मामला जरा सीरियस था इसलिए जो मेरी जानकारी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

थी बता दी, फिर भी It is open to you. It is open to you.

श्री जगदीप धनखड़ : अब इस मामले में कुछ न कुछ निर्णय हो जाय, आप स्टेटमेंट कल दे दीजिये। हम यह जानना चाहते हैं कि किसानों को क्या वाजिब कम्पनसेशन, सहूलियत आप देंगे ? आप स्टेटमेंट कल दे दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : जब कभी निर्णय होगा तो जानकारी दे दूंगा।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, कल दे दीजिये स्टेटमेंट।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं अभी निर्णय ही नहीं हुआ इसका, इसलिए माननीय सदस्य आपसे निवेदन है कि यदि आपको लगता है कि हमारे निर्णय में कोई भूल हो रही है, बोनाफाइड मिस्टेक कर रहे हैं तो मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा आप बता देना मेरे को कि यह और कर दूं। इसमें झगड़ा नहीं है। यह हमारे ही हैं आपका तो लेना देना ही नहीं है किसी का इनसे हमारे हैं ये तो।

श्री शिवनाथ सिंह : जो ओरिजनल प्लान था उसको मत बदलो आप।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त... (व्यवधान)... श्री बनवारीलाल मिण्डा।

श्री राजेन्द्र पारीक : उन लोगों के तो मकान तोड़ दिये कम से कम यह निर्देश तो फरमायें... (व्यवधान) कि जब तक पूरा फैसला न हो जाए आप मकान नहीं तोड़ेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त, माननीय सदस्य .. (व्यवधान) श्री बनवारीलाल मिण्डा।

मांग संख्या–24 पर विचार

श्री बनवारीलाल मिण्डा (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व 50 साल की आजादी पर भी प्रदेश में साक्षरता अभियान चालू है। इससे यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि शिक्षा के प्रति पिछली सरकार कितनी गम्भीर और सक्रिय थी। वर्तमान में जैसा 1985 से 1990 और 1990 से 1995 के जो आंकड़े इन लोगों के समक्ष हैं उनको देखकर वर्तमान शिक्षा मन्त्री को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बड़े पैमाने पर प्राइमरी शालाएं, उच्च प्राथमिक शालाएं, माध्यमिक शालाएं काफी खोली और शिक्षा के अन्दर के एक वायुमण्डल का निर्माण किया।

खास तौर से उच्च शिक्षा मन्त्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि महिला शिक्षा के अन्तर्गत उन्होंने पूरे प्रदेश में एक इस ढंग का एटमास्फियर निर्माण किया कि बिना मांगे हुए जहां पुराने कालेजेज थे वहां 98 प्रतिशत अनुदान दिया। इसके लिए हम सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। साथ ही माननीय शिक्षा मन्त्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो प्राथमिक शालाएं हैं उनमें ट्रेंड टीचर हैं, उनको पूरी तनख्वाह मिलती है। किन्तु

(श्री बनवारीलाल भिण्डा)

जिस आंचल से मैं चुनकर आता हूं। उस आंचल के देहातों में प्राइमरी स्कूलें देहात में लोगों ने खोल रखी हैं और 30-30, 40-40 रुपये महीना ट्यूशन देकर गार्जियन बड़ी खुशामद करके बच्चों को पढ़ाते हैं। जबकि उनके पास बैठने के लिए जगह भी नहीं है। हमारे पास ठीक ढंग की बैठने की जगह है, ट्रेण्ड अध्यापक हैं। किन्तु सरकारी प्राइमरी स्कूलों में जाने का रूझान लोगों का कम दिखाई देता है। यह एक विचारणीय विषय हैं, इस पर चिंतन करना चाहिये। दूसरी बात में यह कहना चाहूंगा, मैं जिस शेखावाटी इलाके से आता हूं, उस इलाके में प्रवासी लोग बाहर जाकर आजादी से पूर्व उस इलाके में शिक्षा का एक बड़ा भारी ऐतिहासिक कार्य लोगों ने किया। बड़े अच्छे ट्रस्ट निर्माण करके वहां कोलेजेज, वहां हास्पिटल्स, वहां अन्य सेवा के ट्रस्ट आज भी चालू हैं। किन्तु आज की वर्तमान जो महंगाई है, उस महंगाई के अन्दर उन ट्रस्टों की ऐसी स्थिति नहीं है कि इस महंगाई का मुकाबला बिना सरकार की ओर से अनुदान बढ़ाए बिना....

श्री उपाध्यक्ष : भिण्डा साहब आप आसन की तरफ देखें। जिधर आप बोल रहे हो उधर तो पीठ है, इधर देखिये।

श्री बनवारीलाल भिण्डा : अनुदान जब तक नहीं बढ़े इन लोगों को इंस्टिट्यूशन चलाने में कठिनाई महसूस होगी। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान इधर आकर्षित करना चाह रहा हूं कि उन संस्थाओं में; मैं उन दुकानों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उन संस्थाओं के लिये कह रहा हूं जिनका 50-50, 60-60 साल का इतिहास है और जिन्होंने शिक्षा जगत में काफी ख्याति प्राप्त की है, अच्छे बालक तैयार किये हैं, अच्छे शिष्ट नागरिक बनाये हैं। उन संस्थाओं के अन्तर्गत जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों के साथ ऐसा लग रहा है कि सौतेला बर्ताव हो रहा है। आखिरकार शिक्षा मंत्री जी वो अपने ही प्रदेश के नागरिक हैं। राजकीय सेवाओं में काम करने वाले अध्यापकों के लिए सब तरह की व्यवस्था है। किन्तु प्राइवेट संस्थाओं में काम करने वाले, जबकि मैं यह कहता हूं कि प्राइवेट इंस्टिट्यूशनों का रिजल्ट, वहां का रिजल्ट, वहां का अनुशासन, वहां की व्यवस्था कम्पेरेटिवली अच्छी है, सरकार के कम्पेरिजन में। फिर भी यहां के अध्यापकों को नीचे स्तर पर 9-18-27 का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उनको कोई ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है। उनके लिए कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं है। आखिरकार उन लोगों के साथ इस ढंग का यह व्यवहार करने का औचित्य क्या है? मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस मामले को, इस बात को गम्भीरता से ले और लेकर जो अध्यापकों के साथ और निजी शिक्षण संस्थाएं जो चल रही हैं, उनके लिए एक क्राइटेरिया तय करिए। कम से कम यह करिए कि सन् 1977 से बाद आज तक जो शिक्षण संस्थाएं एड लिस्ट में नहीं आयी हैं, उन शिक्षण संस्थाओं को कहीं तो एड

(श्री बनवारीलाल भिण्डा)

लिस्ट पर लाइये । कोई तो एक क्राइटेरिया बनाइये । चूंकि यह सरकार नीतियों से चलती है इसलिए कोई एक नीति तो ऐसी हो कि वो संस्थाएं, वो ट्रस्ट उन सब संस्थाओं को सुचारू रूप से चला सके । खास तौर से मुझे यही निवेदन करना था, धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद । श्री परसादीलाल मीणा ।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा पर आज विचार किया जा रहा है । मैं माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान गांवों की शिक्षा की ओर दिलाना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी आज गांवों की शिक्षा व्यवस्था और शहरों की शिक्षा व्यवस्था में जमीन-आसमान का फर्क है । गांवों में आज जो स्कूलें चल रही हैं, अगर आप उनको देखें तो गांवों के विद्यार्थी को जो सुविधाएं शहरों में मिल रही है आज, उसी क्लास में पढ़ने वाले छात्र को आज वह सुविधा गांव में नहीं मिल रही है । आप एक उदारण के तौर पर देख लीजिए कि एक प्रयोगशाला सहायक और लैब की जो जगह है, आज सब जगह गांवों में खाली पड़ी है । ना आपकी कोई प्रयोगशाला है वहां, ना कोई वहां इस तरह का प्रशिक्षण है और गांवों में अध्यापकों की जगह भी साल-साल भर तक सब्जेक्ट विषयों की जगह खाली पड़ी रहती है । आज गांव में और शहर में जो यह फर्क आ गया, आज गांव के छात्र शहरों की ओर पलायन करने लग गये कि इस गांव में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, यहां पर अध्यापक ठीक नहीं है, यहां पर कमरे की व्यवस्था नहीं है । इस तरह का जो गेप आ गया है गांव और शहर के बीच में, मेहरबानी करके आप इस फर्क को मिटाने के लिये गांवों की जो शिक्षा व्यवस्था है, वहां पर अच्छे अध्यापक लगाइये । अच्छे अध्यापकों को आप छांट-छांटकर जयपुर में लगा देते हैं । वहां पर जगह खाली पड़ी रहती है । उसके कारण छात्र पढ़ाई में बहुत पीछे रह जाते हैं ।

यह सही बात है कि आजादी के बाद राजस्थान में क्या हिन्दुस्तान में शिक्षा का बहुत प्रसार हुआ है । हर गांव-गांव में स्कूलें खुली हैं । उसमें भारत सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है । आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं । यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि भारत सरकार आपको पूरा पैसा दे रही है प्राथमिक एजुकेशन का, अनौपचारिक शिक्षा का, प्रौढ़ शिक्षा का । पर आज प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा की मंत्री जी क्या हालत है । सारा फर्जीवाड़ा है । मेहरबानी करके प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा को बन्द करके, यह हमारा अनुभव है आप किसी भी प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र को चैक कर लें । किसी भी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र जो चल रहा है, उसको आप चैक कर लें । आपको कहीं कोई कागजों में मिलेगा । कहीं कोई आपको ये केन्द्र संचालित नहीं मिलेगा । यह जो पैसा आपका बरबाद हो रहा है इन दोनों शिक्षाओं पर प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा पर, आप इस पैसे को जो स्कूलों की व्यवस्था है, वहां

(श्री परसादीलाल मीणा)

पर अध्यापकों की व्यवस्था है, आप लैब बॉय, लैब असिस्टेंट नहीं लगा पा रहे हैं। बार-बार आप जगह निकलते हैं, बार-बार उसको एक्सटेंड कर देते हैं कि किन्हीं कारणों से यह भर्ती आगे के लिये स्थगित की जाती है। कई बार आपने आवेदन लिये। यह गांव के लिए हो रहा है सिर्फ। यह धन की कमी गांवों के स्कूलों के लिए आ रही है। शहरों में आज आपको एक भी स्कूल ऐसी नहीं मिलेगी। राजस्थान के किसी भी अरबन एरिया में चले जाइये, जहां पर किसी तरह का एक पद भी खाली मिल जाय। हमारे गांवों के लोग आज शहर में क्यों आ रहे हैं? वहां पर अध्यापक नहीं है, वहां पर अच्छी व्यवस्था नहीं, वहां पर अध्यापक समय पर नहीं जाते। यह जो गेप आ गया, मेहरबानी करके आप इस गेप को मिटाइये।

मैं आपको कहना चाहूंगा कि 1986 में जो नयी शिक्षा नीति आयी है, उसमें व्यावसायिक शिक्षा को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। पर मुझे तकलीफ है कि वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1990 में आने के बाद व्यावसायिक शिक्षा की ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया है। आप मेहरबानी कर के आंकड़े सुन लें। 87-88 में व्यावसायिक शिक्षा को 51 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लागू किया। 88-89 में 24 में किया। 89-90 में 50 में किया। हमारे कार्यकाल के चार साल में 125 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा लागू की। आपके आने के बाद 90-91 में कुछ नहीं किया। 91-92 में केवल 20 में किया। 92-93 में बिलकुल नहीं किया। 94-95 में बिलकुल नहीं किया 94-95 में आपने 10 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा लागू की। केवल आपने 30 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को लागू किया है। आज जो शिक्षा का स्तर हो गया नयी शिक्षा नीति में जो व्यावसायिक शिक्षा को स्थान दिया गया है, वो सर्वोच्च स्थान है। आज मैट्रिक पास करके या उच्च माध्यमिक कक्षा पास करके वो कोई भी धंधा लगा सकता है। आज सीनियर करके वो बेरोजगार नहीं डोलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार को ज्यादा से ज्यादा ताकत व्यावसायिक शिक्षा को गांवों में लागू करने में लगाये, जिससे गांवों में जो बेरोगारी आ गयी, जो लोग आज शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी की तरफ जा रहे हैं, उस पर रोक लगेगी। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इस वर्ष में जितना भी बजट दे सकते हैं वो व्यावसायिक शिक्षा पर गांवों में लागू करें। इसके लिये आपको बजट देना चाहिये।

मैं कहना चाहूंगा कि संस्कृत शिक्षा की बात है, उसमें भी अभी हम बहुत पीछे हैं। यह सही बात है कि आपके आने के बाद इसमें गति आयी है। आपने कुछ स्कूलें खोली हैं। आपने इसको प्राथमिकता दी है। पर क्या हुआ उस संस्कृत विश्वविद्यालय का जो यहां राजस्थान में, जयपुर में स्थापित कर रहे थे? कुछ नहीं हुआ। यह सही बात है कि मेरे इलाके में एक संस्कृत कॉलेज है— सराव गांव महाराजपुरा,

(श्री परसादीलाल मीणा)

वहां के जितने भी छात्र शास्त्री कर के निकले हैं, ग्राज की तारीख में, उपाध्यक्ष महोदय, एक भी बेरोजगार नहीं है ग्राज जो ग्राटंस ग्रोर कला में बी ए. करते हैं वो 90 पर्सेन्ट छात्र बेरोजगार हैं। ग्राप इस संस्कृत शिक्षा को बढ़ाइए, उतने ही लोग ग्राज धंधे लगेंगे, उतनी ही बेरोजगारी कम होगी। हर क्षेत्र में संस्कृत शिक्षा वाला जा सकता है। मेहरबानी करके, इसको ग्राप गांवों में इस वर्ष ज्यादा से ज्यादा लागू करें।

ग्राप बालिका शिक्षा पर आ जाइये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांव में पांचवीं कक्षा तक तो कोई भी लड़की पढ़ लेती है। ग्रागे के लिए उसके घर वाले 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर उसको भेजने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। यह सही बात है कि भारत सरकार के सहयोग से ग्रापने सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए बजट में एक ग्रपनी नीति बनायी है मैं इसके लिए ग्रापको बधाई देता हूं माननीय मन्त्रीजी, कि आपने बिना भेदभाव के इस तरह की नीति लागू की है। उस नीति को ग्रगर सभी मंत्री लागू करें तो कामकाज में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में राजनीतिक भेदभाव की बढ़ती जा रही खाई बहुत कम रह जायेगी।

ग्राज ग्रापने उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए बीड़ा उठाया है, वह सही है किन्तु इसमें कई गांव ऐसे रह गये जो ग्राम पंचायत मुख्यालय नहीं हैं लेकिन वहां पर सौ से ग्रधिक छात्राएं ग्राज पढ़ रही हैं। ग्रगर वहां पर मिडल स्कूल नहीं खुलेगा तो वे छात्राएं पांचवीं तक पढ़कर रह जायेगी। गांवों में यह सबसे बड़ी परेशानी हमारे सामने ग्रा रही है। ग्रापने ग्राउट-ग्राफ-वे जाकर मेरे गांव में विद्यालय खोला उसके लिए तो मैं ग्रापको पर्सनली धन्यवाद देता हूं। इस साल ग्रापने संस्कृत प्रवेशिका खोली, उसके लिए भी धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रब मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी को थोड़ा निवेदन कर दूं। उच्च शिक्षा मंत्रीजी हमारी परेशानी ग्राप से है। हमारी परेशानी ग्रापने बढ़ा दी है।

मेहरबानी करके ग्राप हमको बता दीजिए कि सशर्त विद्यालय, कॉलेज खोलने के लिए हमें कितना पैसा देना है? ग्राप सशर्त खोल दीजिए कि हम इन शर्तों पर यहां लालसोट में कालेज खोलते हैं। ग्रगर लालसोट की जनता चाहेगी, वहां के जन-प्रतिनिधि चाहेंगे, हम ग्रापकी उन शर्तों को मानेंगे। सरकार या तो कम से कम भवन बना दे या हमसे 1-2 साल का खर्चा ले ले। ग्राप भवन भी हमसे बनवा रहे हैं, खर्चा भी हमसे ले रहे हैं, क्या ग्रापने इस शिक्षा को बिजनेस बना लिया? ग्राज कालेज खोलने के लिए हमको पैसे देने पड़ रहे हैं, ग्राज भवन बनाने के लिए हमको पैसे देने पड़ रहे हैं।

ग्राज कहीं से भी, लालसोट से निकले हुए छात्र का जयपुर के कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, कहीं दूसरे गांव से निकले हुए छात्र का भी। क्योंकि उनकी पढ़ाई का स्तर शहरों के मुकाबले नीचे है। ग्राज

(श्री परसादीलाल मीणा)

मैरिट से कालेज में एडमिशन करते हैं, हमारे छात्र कालेज में एडमिशन कैसे लेंगे। आज से सीनियर के बाद बिना पढाई के रह जाते हैं या तो कहीं प्राइवेट कॉलेज में जायेंगे, वहां पर डोनेशन देंगे। गांव के गरीब आदमी, किसान का लड़का जो गांव में खेती करता है, गांव में मजदूरी करता है वह प्राइवेट कालेज में डोनेशन देकर के एडमिशन नहीं लेता है। आपको वहां कालेज खोलना चाहिए। आपने रतनगढ़ में खोल दिया, पहले वहां से आसन पर बैठे आपके अध्यक्षजी थे, वहां रतनगढ़ में आपने किस आधार पर कालेज खोला। वहां तो आपने पैसे नहीं मांगे दूसरी जगह आपने मांगें, वहां तो पैसे नहीं मांगे। मन्त्रीजी, हमने ऐसा क्या अन्याय कर दिया कि आप हमसे भवन भी बनवा रहे हैं और तीन साल का खर्चा भी मांग रहे हैं। ऐसा राज हमने कहीं नहीं देखा था।

आपने लालसोट में घोषणा की थी। अपने दिल से कहकर आये थे वहां पर लालसोट की जनता की पब्लिक मीटिंग में, आप उस बात को लागू करिये। नहीं तो लालसोट के लोग आपको अभिशाप देते रहेंगे, वहां का युवा-वर्ग आपको कोसता रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही मिनट में खतम कर रहा हूं।

मैंने आपको जो बात कही, अब आप अपना जवाब दें तब आप हम को बता दें। कि हम से भवन बनवा लें या हमसे कुछ और ले लें पर मेहरबानी करके आप इस वर्ष वहां कॉलेज खोलिए।

आज दौसा कॉलेज की क्या हालत है? आपने सारे अधिकारी, लेक्चरर्स ऐसे लगाकर रखे हैं जो जयपुर बैठे रहते हैं, कालेज में एक दिन नहीं जाते, छात्रों की कक्षाएं नहीं लगाते। उच्च शिक्षा मंत्रीजी, उच्च शिक्षा में आज व्यवस्था खराब हो रही है। आप जाकर दौसा कालेज की हालत देख लीजिये। वहां गुण्डागर्दी का माहोल हो गया है। वहां के लेक्चरर्स रहते नहीं, आपके प्रिंसिपल का कोई कन्ट्रोल नहीं। आपके लेक्चरर्स रोज अप-डाउन करते हैं। कोई आइ ए. एस. की बीवी है, कोई किसका है, कोई मंत्री के पी. ए. की बीवी है यह व्यवस्था आपने हमारे साथ कर रखी है। आप वहां पर ऐसे लेक्चरर्स लगाइये कि जो वहां पर रहें, नियमित रूप से कक्षाएं लें। साथ में 10-10 कक्षाएं कोई लेक्चरर नहीं लेता हैं, उनको वेतन कितना मिलता है। आप उन लेक्चरर्स का मूल्यांकन करवाएं कि सालभर में उन्होंने कितनी कक्षाएं लीं, कितनी बार वे कालेज में गये। आज यहां से जायेंगे, किसी गाड़ी से 2 बजे पहुंचेंगे और तीन बजे वापिस आ जायेंगे। यह व्यवस्था है, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। आज कालेजों में जो अव्यवस्था हुई है, वह सब आपके ढीलेपन के कारण हुई है आप इसमें कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जिस तरह आज डीन पर मामला उठा, वह एक शर्मनाक घटना है। सारे राजस्थान के कॉलेजों में, स

(श्री परसादीलाल मीणा)

जगह यही हालत हो रही है चाहे वह दौसा का कॉलेज हो, चाहे गंगापुर का हो, चाहे अलवर का हो। सब जगह यही माहौल है। उच्च शिक्षा मंत्रीजी, आज कॉलेजों की पढ़ाई का जो स्तर गिर रहा है, इसमें हस्तक्षेप करके आपको ठीक करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने जिस तरीके से शिक्षा की तरफ ध्यान दिया है, क्योंकि शिक्षा के मायने में भारतवर्ष में हमारा नम्बर सबसे पिछड़ा हुआ है। अगर हम 1951 से प्रारम्भ करें तो हमारा साक्षरता का प्रतिशत क्या था? कम से कम हम 1991 तक 38.5 पर आये जबकि पहले 8.95 था।

क्योंकि हमारी भौगोलिक परिस्थिति में लोग दूर-दूर बसे हुए हैं, ढाणियों में बसे हुए है। इस भौगोलिक परिस्थिति की वजह से और उस ऐतिहासिक परिस्थिति को भी नहीं भूला जा सकता कि रजवाड़ों के अन्दर अलग-अलग सारे रजवाडों में अलग-अलग शिक्षा का क्रम था। इस दृष्टि से जब भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ और राजस्थान बना, उसके बाद शिक्षा के प्रति जिन लोगों की लगन थी, मैं शेखावटी के लोगों को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन सेठों ने, पैसा तो विदेशों में, बाहर अन्य राज्यों में कमाया लेकिन अपने उस क्षेत्र को भूले नहीं। इसलिए शेखावटी में आज सबसे ज्यादा कॉलेज मिलेंगे, शिक्षण संस्थाएं मिलेंगी। लेकिन जो अन्य राज्य थे उन स्टेट्स के अन्दर जिस राजा की जैसी रुचि थी उसके हिसाब से शिक्षा का क्रम था।

अभी लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि प्रौढ़ शिक्षा को बंद कर दिया जाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर 2001 तक सब लोगों को साक्षर करना है तो ये सब संस्थाएं चालू रखिये। आज लोक-जुम्बिश जिस तरह से काम कर रही हैं, आज शिक्षा कर्मी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, प्रौढ़ शिक्षा जिस तरह से काम कर रही है, सरस्वती योजना के अन्तर्गत महिलाओं को जिस तरह से शिक्षित किया जा रहा है, ये सम्पूर्ण योजनाएं इस बात की साक्षी हैं कि राजस्थान सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि राजस्थान साक्षर हो। क्योंकि आज हमारा मानव संसाधन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। अगर हमने मनुष्य को शिक्षित कर लिया और उसे मनुष्य बना दिया, आज शिक्षा में यह निश्चित है कि जिस तरह से शिक्षित लोगों से अपेक्षा की जाती थी, क्योंकि शिक्षा तो जीवन का सम्पूर्ण विकासकर्ता है। लेकिन आज वह केवल व्यवसाय से जोड़ दिया जाये, वह सम्भव नहीं है। व्यवसाय भी होना चाहिए लेकिन शिक्षा तो मनुष्य का निर्माण करती है और इस दृष्टि से जो प्रयास राजस्थान सरकार कर रही है, इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को और शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

आज प्राथमिक शिक्षा के मंत्रीजी नहीं

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

हैं लेकिन मैंने पिछली बार भी यह निवेदन किया था और मैं अब भी यह निवेदन कर रहा हूं कि शिक्षा की जब बात करते हैं तो कोई यह नहीं देखता कि पंचायत राज की शिक्षा क्या है, माध्यमिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा की बात है ? शिक्षा की जब बात चलती है तो सम्पूर्ण शिक्षा विभाग को देखा जाता है। आज जितनी भी कमियां नजर आती हैं, चाहे वह पंचायत राज में कमियां नजर आयें, या प्राथमिक शिक्षा में कमियां नजर आयें या उच्च शिक्षा में कमियां नजर आयें इन कमियों के कारण से....। मैं बधाई देना चाहता हूं राजस्थान सरकार के हमारे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री को, उच्च शिक्षा मंत्री को कि जिस तरह से इन्होंने शिक्षा को इन वर्षों में सम्भाला है। आप यह समझ जायेंगे कि मैं तारीफ कर रहा हूं लेकिन मैं उन आंकड़ों में इसलिए नही जाना चाहता कि आंकड़े तो, जो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग का जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, इस सदन के माननीय सदस्यों को उस प्रतिवेदन में सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं और आंकड़ों के आधार पर अपने आप यह सिद्ध होता है कि राजस्थान में शिक्षा का गुणात्मक विकास भी हुआ और शिक्षा का जो फैलाव हो रहा है, उसकी जो कल्पना है, उससे राजस्थान बनेगा। मैं संकेत के रूप में जो-जो बातें हैं, निवेदन करना चाहता हूं कि गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं, कोई आज की नहीं हैं। आजादी के पहले से हैं और केवल इनको इसलिए बनाया गया था, महात्मा गांधी की भी कल्पना यह रही होगी, तिलक की भी कल्पना यह रही होगी और उस समय के जो मनीषी थे, उन सबकी कल्पना थी कि शिक्षा के केन्द्र हो और इसलिए मदन मोहन मालवीय ने बनारस में हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की। कांगड़ी में स्थापना की गयी विश्वविद्यालयों की और इनके सबके पीछे भावना जो थी वह यह थी कि जो ग्राम शिक्षा है, जो ग्राम से लेकर के उच्च शिक्षा तक का अध्ययन, उसमें, स्वदेशी की भावना पैदा हो, देश प्रेम की भावना पैदा हो, राष्ट्र प्रेम की भावना हो और अपनी संस्कृति पर और अपने इतिहास पर लोगों का सम्मान बढ़े और इसलिए इन सब लोगों ने किया था। इसलिए यह जो गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं, जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कि प्रोवीडेंट फण्ड सैण्ट्रल का कमिश्नर और प्रोवीडेंट फण्ड यहां कटता रहा लेकिन सैण्ट्रल कमिश्नर के आदेश और शिक्षा विभाग के आदेशों के सामने कठिनाइयां खड़ी हो गयी हैं। उन पर मुकदमें चलने वाले हैं और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। करोड़ों रुपया प्रोवीडेंट फण्ड का राजस्थान सरकार के पास है, जो सैण्ट्रल देगा, वह सैण्ट्रल की स्कीम के अनुसार चलेगा अगर उस फण्ड से यह चाहें तो इनको पेंशन दे सकते हैं।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)
आज पेंशन विश्वविद्यालय में दी जा रही है। आज पेंशन आर.एस ई बी में दी जा रही है। आज ऐसी कौनसी संस्था है, जहां पेंशन नहीं दी जा रही और इनका करोड़ों रुपया, राज्य सरकार के ऊपर इसका आर्थिक भार नहीं पड़ने वाला है। आप केलकुलेशन करके तो देखें। इन लोगों की ग्रेच्युटी है, उन लोगों को जो पेंशन है, यह सारे परिलाभ देने चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा भिण्डाजी बता रहे थे कि जो अच्छी संस्थाएं हैं, जो पूरा वेतन देती हैं, जो दुकानें चल रही हैं, जो कामर्शियलाइज हैं, जिन लोगों का काम केवल पैसा कमाना है, ऐसी संस्थाएं स्पष्ट रूप से अलहदा-सी नजर आती हैं। ऐसी संस्थाएं जो डोनेशन लेती हैं, उनको तो नहीं, क्योंकि मैं ऐसी संस्थाओं को जानता हू, हमारे सामने रोज यह सवाल पैदा होता है कि ढाई हजार फीस लेगें, फिर ढाई सौ रुपये पर मंथ लेंगे लेकिन मजबूरी है लोगों की, वहां उनको पढ़ाना पड़ रहा हैं। अच्छी एजुकेशन के नाम पर कुछ लोग तो बिल्कुल घटिया एजुकेशन दे रहे हैं। अगर दसवीं में किसी लड़के के 75 प्रतिशत नहीं आये तो ग्यारहवीं में उसको एडमिशन नहीं देगें, प्राइवेट बैठायेगे। तो ऐसी जो संस्थाएं हैं उन पर निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिये लेकिन जो अच्छी हैं, उनको बराबर पैसा भी दिया जाना चाहिये।

मैं शिक्षा मंत्रीजी, आपको निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग बीकानेर में और आपके सैक्रेटेरियट में हजारों केसेज उन संस्थाओं के उलझे हुए हैं किसी के पद सृजित नहीं हुए, किसी के पद सृजित हो गये थे तो चार साल बाद में उसको काट दिया। इस्टीट्यूशन तो सोच रही थी कि मुझे दो लाख रुपया मिलने वाला है और आपने उसका पैसा मार्च में काट दिया क्योंकि जो खर्च कर देते हैं, उसके बाद आप पैसा देते हैं। जो खर्च कर लिया, उसके बाद देते हैं और फिर उससे काट लें तो इस्टीट्यूशन चलेगी कहां से ? इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप विशेष ध्यान देकर के, सम्पूर्ण अधिकारियों को एक जगह एकत्रित कर, यहां, आप जहां चाहे, जिस डिवीजन में चाहे, वहां बुलायें, बीकानेर में बुलायें या यहां पर बुलायें लेकिन कैम्प लगाकर के इन शिक्षण संस्थाओं का, लगभग मैं सोचता हूं करोड़ों रुपया, दस-बीस करोड़ रुपया तो निश्चित रूप से है, आपके शिक्षा विभाग में पड़ा होगा। इन लोगों को अगर समय पर पैसा मिल गया तो निश्चित रूप से यह बहुत अच्छा काम करने वाली संस्थाएं हैं।

मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने 51 संस्थाओं को अनुदान सूची पर लिया है। बजट में घोषणा हुई है। अनुदान सूची पर हमने लिया है, और 90 प्रतिशत आपने दे दिया बालिका शिक्षा के लिए लेकिन आज भी काफी शिक्षण संस्थाएं बाकी हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हू कि इन सारी संस्थाओं को आप मेहरबानी करके धीरे-धीरे ही लें लेकिन अनुदान सूची पर लें ताकि यह शिक्षण संस्थाए अच्छे कामकर सकें। एस. आई. ई. आर. टी. और डाइट के माध्यम से, एस. आई. ई. आर. टी. को पहले केवल एक जैसे घुड़साल समझ रखा था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उसके लिए सलेक्शन करें और अच्छे लोगों को भेजें क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो बीकानेर में होता है।

श्री परसादीलाल मीणा : खड़े-खड़े बोलो ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं आपकी आज्ञा जरूर मानूंगा । तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह डाइट और एस.आई.ई.आर.टी. इनको आप स्ट्रेन्थन करें और इनमें अच्छे लोगों को लगायें । सलेक्शन करके लगायें । जिनकी शिक्षा में रुचि हो, लिखने में रुचि हो और यह प्रशिक्षण के लिये केन्द्र सरकार भी चिन्तित है । 1986 की जो पालिसी है, एजुकेशन की, उस पालिसी में प्रशिक्षण पर बहुत जोर दिया गया है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशिक्षण और निरीक्षण इन दोनों पर बल होना चाहिये । आज संस्थाओं का निरीक्षण नहीं हो पाता । आज प्राइमरी स्कूल की जो स्थिति खराब है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां पर निरीक्षण ठीक तरीके से नहीं होता । आज माध्यमिक शिक्षा में ठीक तरह से निरीक्षण नहीं होता । आपने निरीक्षण करना शुरू किया और आपके भय से अधिकारियों ने निरीक्षण करना शुरू किया और पिछले साल के रिजल्ट आप देख लीजिये । आप बुरे तो बने । निश्चित रूप से कुछ लोग नाराज हुए और कुछ लोगों की आलोचना के पात्र बनें लेकिन रिजल्ट में जिस तरीके से परिवर्तन आया है, यह इस बात का प्रतीक है कि अगर निरीक्षण बढ़ता तो निश्चित रूप से इसके ऊपर, और यह ट्रेनिंग, यह दोनों बहुत आवश्यक है । इसलिए डाइट और एस.आई.आर.टी. को आप स्ट्रेन्थन करने की कृपा करें ।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग की जमीनों पर जगह-जगह अतिक्रमण हो रहे हैं । पहले तो स्कूलों के पास में अपने खेल के मैदान नहीं हैं । स्कूलों के पास खेल के मैदान नहीं हैं उसके बावजूद भी उस पर अतिक्रमण हो रहे हैं तो कोई न कोई ऐसी एजेन्सी होनी चाहिये कि वह बनायें । यह क्षतिग्रस्त विद्यालय, अभी भी जैसे यह हादसे होते हैं जिनमें बच्चों की मौत होती है, टीचर्स की मौत होती है, ऐसे सैकड़ों विद्यालय हैं । आज की राजस्थान पत्रिका में प्रसंगवश, में आज प्राथमिक विद्यालयों का, नैनवां का, हिण्डोली का आया है । कितने विद्यालय ऐसे हैं ? जो कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं । आपने अपने बजट में दो करोड़ रुपये का प्रावधान इस बार रखा है, इनकी मरम्मत के लिये, विद्यालयों की मरम्मत के लिये लेकिन उसमें आपने एक शर्त लगा दी है कि मैचिंग ग्रांट के रूप में दिया जाय । अगर मैचिंग ग्रांट कहीं नहीं मिली और विद्यालय भवन वास्तव में गिरने जैसा है तो स्थान की विशेषता को देखकर के यह प्रबन्ध करने चाहिये कि मैचिंग ग्रांट के बगैर भी उन विद्यालयों को बनाया जा सके । मैं आपको इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि आपने बच्चों के स्वास्थ्य की चिन्ता की है और इस बार चालीस लाख बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण होगा । मैं सोचता हूं यह पहली बार ही परीक्षण होगा ।

श्री टीकमचन्द कान्त : आपने करवाया था कभी ?

श्री रामनारायण चौधरी : यह प्रक्रिया आल ओवर इंडिया है । यह मत समझें कि

(श्री रामनारायण चौधरी)

राजस्थान की है। यह किसने करवाया है? नरसिम्हारावजी के जमाने में चालू हुआ है। यह नाम लिख दो भैरोंसिंहजी के, आप लिख दो। यह आल ओवर इंडिया है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : लेकिन मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि मेडिकल का चैक-अप पहली बार, अगर यह आल इंडिया का भी है, लेकिन पहली बार राजस्थान में किया जायेगा। तो बच्चों का परीक्षण होना चाहिये, इसमें किसी का विरोध नहीं हो सकता लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि यह यू.आई.टीज. हैं, यह हाउसिंग बोर्ड है ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं समाप्त कर रहा हूं। हाउसिंग बोर्ड है, यह सारे के सारे .. (व्यवधान) ...

श्री रामनारायण चौधरी : सारे हिन्दुस्तान में पहली बार किया गया है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अगर कोशिश करें, जब यह नयी स्कीम्स बनाते हैं तो स्कूल की बिल्डिंग भी बना दें और जितना राज्य सरकार किराया देती है, उसी किराये के आधार पर उनका पैसा चुक जायेगा। आज हम बैंक से पैसा लेते हैं और बिल्डिंग बनाते हैं, हम हुडको से पैसा लेते हैं और हाउसिंग बोर्ड की स्कीम चलती है, हम हुडकों से पैसा लेते हैं और यू.आई.टी. मकान बनाती हैं तो स्कूल का भवन क्यों नहीं बना सकती और राज्य सरकार उसमें से क्यों नहीं कर सकती? तो मैं यह भी शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा।

शिक्षकों की थोड़ी-सी डिमाण्ड है। आपने बहुत पूरी की हैं, मैं सोचता हूं कि 8700 और कुछ इस बार पदोन्नतियां हुई हैं, इतनी पदोन्नतियां राजस्थान में कभी नहीं हुई। जितनी डी.पी.सी. इस बार हुई इतनी डी.पी.सी. राजस्थान में कभी नहीं हुई। तो शिक्षकों के अन्दर जो एक फस्ट्रेशन पनप रहा था, जब आदमी को पदोन्नति मिलती है तो आदमी प्रसन्न होता है और उस पदोन्नति के कारण से शिक्षकों के अन्दर प्रसन्नता है। लेकिन शिक्षकों की अपनी समस्या है और वह समस्या यह है कि 1990 से लेकर आज तक उनको टी.ए. और मेडिकल का पैसा नहीं चुकाया गया है और पंचायत राज में मिडिल स्कूल चले गये उसकी वजह से जब रिकार्ड वहां से भेजा गया तो जिन बेचारों ने बिल बना कर के भेज दिये थे आज उनके बिल भी गायब हैं, तो यह टी.ए. बिल और मेडिकल का पैसा इनको मिलना चाहिये, जो पैसा ये खर्च कर चुके हैं और राज्य सरकार उनको देना चाहती है। इसलिये मैं आप से निवेदन करूंगा कि इसको करें। यह सारे झगड़े जितने होते हैं, आज इतने लोगों के तम्बू बाहर लगे हुए हैं, इतने बैनर हैं, ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों की, जब शिक्षक संघों की गिरदावरी हुई थी उस समय एक संगठन का तो एक आदमी आया तो मैंने प्रश्न किया था निदेशक महोदय से कि, साहब, कम से कम अध्यक्ष और मंत्री तो होता

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

एक ही संख्या कैसे आयी तो ऐसे जो लैटर पैड के संगठन बन गये हैं, उनकी वजह से बड़ी खराब स्थिति है। आप कोई भी आधार बनायें लेकिन एक शिक्षक संगठन को आप मान्यता दें, आप दो को मान्यता दें, और इस तरीके से दुकानें बंद हो जानी चाहिये। मैं आप से यह निवेदन कर रहा हूं कि अगर यह मान्यता का सवाल हल हो जाता है, सहाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य महोदय, जो पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी इस ट्रांसफर की त्रासदी को भोगा है। ट्रांसफर की वजह से हर मंत्री व्यस्त रहता है, कुछ सोच ही नहीं पाता है। ट्रांसफर के लिये बोर्दिया कमेटी बनी और मैं बधाई देता हूं आप को कि पहले शिक्षा मंत्री थीं आप ...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। समय का सवाल है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : जिन्होंने साहस करके ट्रांसफर के ऊपर एक यह रखा। तो बोर्दिया कमेटी को राजस्थान सरकार को लागू करना चाहिये।

ट्रांसफर और पोस्टिंग्स में बहुत भ्रष्टाचार पहले होता रहा है, ट्रांसफर में भ्रष्टाचार की बू आती रही है, यह सारे के सारे अगर बन्द करने हैं तो आप को मेहरबानी कर के इसे लागू करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अरुण सिंह।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं कालेज के ऊपर एक बात कहना चाहता हूं। उदयपुर का जो संस्कृत विद्यालय है वहां महाविद्यालय की बिल्डिंग के लिये झगड़ा है। 131 वर्ष पुराना संस्कृत महाविद्यालय है देवस्थान विभाग में इसका 6 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है लेकिन यह भूमि के विवाद के कारण से 34 वर्षों से लड़ रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं तो कम से कम ये अकादमियां हैं, ये सांस्कृतिक धरोहर हैं इन पर भी मेहरबानी कर के आप ध्यान दें।

उच्च शिक्षा मंत्रीजी, सदन में अभी चर्चा चल रही थी उच्च शिक्षा की कि किस तरीके से विश्वविद्यालय में ...

श्री उपाध्यक्ष : मैंने श्री अरुण सिंहजी पुकार लिया, आप बिराजें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

मैं निवेदन कर रहा हूं आप से कि विश्वविद्यालय के संदर्भ में कुलाधिपति महोदय ने राजस्थान विश्वविद्यालय की, उनसे सूचनाएं मंगायी हैं 10 दिन में। इन 10 दिन की सूचनाओं में यह हो रहा है कि शिक्षकों से स्टूडेंट्स से पिटवाया जा रहा है। जो एफ.आई.आर. दर्ज हुई है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही राजस्थान सरकार कर नहीं रही है। इस तरीके से साक्ष्यों को मिटा दिया जायेगा तो इंक्वायरी किस बात की होगी ? विटनेस ही अगर मिट गया तो किस की इंक्वायरी करायेंगे ? इसलिये इंक्वायरी करायेंगे ? इसलिये मैं कहना

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

चाहता हूं कि वहां के कुलपति को तुरन्त हटाया जाय।

आज अजमेर विश्वविद्यालय की बात कही, मैं चुनौती देता हूं इस बात के लिये कि राजस्थान में जो विश्वविद्यालय चल रहे हैं उनमें अजमेर विश्वविद्यालय ने अपने जो कीर्तिमान स्थापित किये हैं, मैं कहना चाहता हूं एग्रीकल्चर कालेज वालों ने भी नियुक्तियां दीं, सारे पद खाली पड़े हुए थे, लेकिन इस विश्वविद्यालय ने जो कानून हैं उस कानून के अन्दर कानून के सर्वसम्मत सारे काम किये हैं और इन्होंने तो सब से बड़ा काम किया राष्ट्र की भाषा को प्रोत्साहित करने के लिये अपना पाठ्यक्रम भी हिन्दी में छपवाया है। इन्होंने प्रवेश फार्म भी हिन्दी में छपवाया है और जिस तरीके से यह मोडल है, इन विश्वविद्यालयों के अन्तर को समझना पड़ेगा। यह राजस्थान में अन्य विश्वविद्यालयों में और अजमेर विश्वविद्यालय में यह यूनिवर्सिटीज फोर कालेजेज हैं, यह यूनिवर्सिटी कालेजेज के लिये हैं और वहां के कुलपति को वहां के लेक्चरर्स को उन कालेजेज में जाना पड़ता है और उन कालेजेज में जा कर के विद्यार्थी से जीवित सम्पर्क बनाना पड़ता है। जो अन्य विश्वविद्यालय हैं उनके अन्तर को थोड़ा-सा स्पष्ट करने की आवश्यकता है और इसलिये नियुक्तियां वगैरह जो भी कानून के सम्मत हुई हैं उनको देखा जाय और इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अरुण सिंह।

श्री अरुण सिंह (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, आज माध्यमिक और उच्च शिक्षा की डिमाण्ड्स पर चर्चा हो रही है। सबसे पहले राजस्थान सरकार बधाई की पात्र है, इस पिछड़े हुए राज्य में सरकार ने शिक्षा को और साक्षरता को प्राथमिकता दी। माध्यमिक शिक्षा मंत्रीजी को भी बधाई देता हूं कि हर पंचायत हैडक्वार्टर पर इन्होंने मिडल स्कूल खुलवाये।

अब शिक्षा विभाग इतना बड़ा हो गया है, जितना बड़ा हो गया है उतनी उनकी प्रोब्लम्स भी हैं। मेरा एक सुझाव है माध्यमिक शिक्षा मंत्रीजी को कि यह शिक्षा विभाग डि-सेंट्रालाइज होना चाहिये। चार जोन बने, अब आप के हैडक्वार्टर बीकानेर है, एक शिक्षक या अध्यापक की कोई प्रोब्लम हो तो उसको बीकानेर जाना पड़ता है, तो जैसे ये डिवीजनल कमिश्नर्स 6 डिवीजन हैं ऐसे ही यह विभाग 6 जगह बंटना चाहिये, डि-सेंट्रलाइजेशन होना चाहिये इस डिपार्टमेंट का।

अब राजनीति सब जगह घुस गयी है। शिक्षा विभाग में भी जितनी यूनियंस बनी हैं उतनी ही राजनीति इस विभाग में आ गयी। एक शिकायत मैं माध्यमिक शिक्षा मंत्रीजी को कर रहा हूं, इन्होंने शिक्षा अधिकारियों को, जो जिले में हैं उनको इतने अधिकार दे दिये हैं कि मंत्री महोदय भी कोई अध्यापक की ट्रांसफर की डिजायर करें तो शिक्षा अधिकारी लिखता है, जगह नहीं है। और जगह है वहां भ्रष्टाचार वहां पनप रहा है। मेरे जिले में तीन शिक्षा अधिकारी हैं, एक रूरल, एक अरबन और

(श्री अरुण सिंह)

एक लेडीज, माननीय मंत्री महोदय की डिजायर पहुंचे, वहां से जवाब आता है कि जगह नहीं है और मैं सबूत दूंगा आप को, मंत्री महोदय, वहां जगह है और शिक्षा अधिकारी ने पैसे भी लिये। मैं तो सबूत दूंगा आप को।

श्री हरिसिंह (महुआ) : कब ?

श्री अरुण सिंह : मैं तो अभी दे दूं, एफेडेविड है जेब में।

तो यह जो आपने अधिकार दिये हैं इन शिक्षा अधिकारियों को, वो इन अध्यापकों के शुभचिंतक तो हैं नहीं, वहां एक धंधा और पेशा हो रहा है। क्लर्क, डिप्टी शिक्षा अधिकारी, सब धंधा कर रहे हैं। आपने इस मिडल स्कूल विभाग को सम्हाला है। मेरे जिले में रिजल्ट्स भी अच्छे आये हैं और लोगों की रुचि बढ़ने की तरफ हुई है

उच्च शिक्षा मंत्रीजी मेरे गुरु भी हैं। (व्यवधान) मेरे राजनैतिक गुरु हैं। डीग कालेज का 17 साल पहले माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने उद्घाटन किया था। मास्टर आदित्येन्द्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने.... (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : शिक्षा मंत्री मैं ही था उस समय।

श्री अरुण सिंह : अच्छा। अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने डीग कालेज को रिकोग्नाइज किया। 17 साल बाद रिकोग्नाइज किया। इसमें लालफीता-शाही है पर अब वह रिकोग्नाइज हो गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से।

मेरा आपसे अनुरोध है कि बिल्डिंग्स के लिये कुछ पैसा आये, पी.डब्ल्यू.डी. की मेन्टीनेंस में आये और अन्त में साइंस की क्लासेज शुरू होनी चाहिये। मेवात के बच्चों को साइंस के लिये 100 किलोमीटर दूर या तो अलवर जाना पड़ता है या भरतपुर जाना पड़ता है। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि साइंस और संस्कृत की क्लासेज वहां चालू हों। जो जन सहयोग आप चाहेंगे वह भी दिला देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस मांग को स्वीकार करेंगे।

एक और अनुरोध है आपसे कि ब्रज भाषा अकादमी को शायद दो लाख का ग्रांट मिलता है, उस ग्रांट को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख आप करवायें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा। (अनुपस्थित) श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्राइमरी, सैकण्डरी और हायर एजुकेशन तीनों शिक्षाओं की मांग आज विचाराधीन हैं। मान्यवर, मेरे से पहले रामपाल जी उपाध्याय

(श्री रामनारायण चौधरी)

और हमारे शिक्षक नेता रहे सनाढ्य साहब दोनों के विद्वतापूर्ण संभाषणों के बाद मैं उन्हीं की बातों के साथ आगे बढ़ूंगा। उन्होंने उच्च शिक्षा को आखिरी प्राथमिकता से उन्होंने शुरूआत की।

मान्यवर, ग्रामीण जीवन के अन्दर आप तो स्वयं ग्रामीण जीवन में पले-पोसे हो। गांवों के अन्दर शिक्षा प्रसार आजादी के बाद बहुत हुआ। कांग्रेस के शासन में और कांग्रेस के शासन के बाद इस शासन के बाद इस शासन में भी इस कार्यक्रम में मंदी नहीं आने दी, उससे अधिक तेजी नहीं लाये। उस क्रम को ही इन्होंने जारी रखा है। यह मैं मानकर चलता हूं। लेकिन जो गुणात्मक दृष्टि से गांवों की शिक्षा गिरी है, वह बहुत चिन्ताजनक है। इसको आप भी मानते हैं और तमाम माननीय सदस्य मानते हैं कि गांवों के अन्दर गुणात्मक दृष्टि से इस शिक्षा को नहीं सम्हाला गया तो ग्रामीण छात्रों का भविष्य शिक्षा की दृष्टि से अन्धकारपूर्ण है। हमारे बच्चे किसी भी सूरत में जयपुर, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और आल इण्डिया कम्पीटिशन और स्टेट लेवल काम्पीटिशन में सब जगह से जो बच्चे आते हैं, उनमें नहीं टिक सकते। प्रथम तो हमारे बच्चे कालेज में ही नहीं आ सकेंगे। एक माननीय सदस्य अभी जिक्र कर रहे थे कि दौसा कालेज के लड़के किस तरह से जयपुर के छात्रों से कम्पीटिशन, करेंगे, एडमिशन ही हमारे बच्चों का नहीं हो रहा है। एडमिशन योग्यता जो चाहिये, वह ग्रेजुएट ही नहीं हो सकेंगे। हम तो ऐसी स्थिति में उलझ रहे हैं।

मैंने पिछली बार भी माननीय शिक्षा मंत्रीजी को अनुरोध किया था कि प्रशिक्षण और निरीक्षण करें। प्रशिक्षण पर आप जोर दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, प्रशिक्षण पूरी तरह से इनका तकनीकी है, फार्मलिटी है, खाना-पूर्ति है। बी.एस.टी.सी., एस.टी.सी., बी.एड और एम.एड. यह करवाते हैं। इसके अन्दर नहीं सिखाया जाता, कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता और वहां से आने बाद सिवाय बी.एड. की डिग्री हासिल करने के और कुछ भी सीखकर नहीं आते हैं। इससे ज्यादा तो जो एलएल.बी. करके आते हैं वह ज्यादा सीखते हैं। वह कोर्ट में खड़े तो हो जाते हैं काला कोट पहनकर। पैसे भर भी उनमें परिवर्तन होकर नहीं आता। यह तो स्थिति इनके प्रशिक्षण की है।

निरीक्षण की बात के लिये मैंने उस रोज निवेदन किया था। मैंने एक प्रश्न भी किया था। डायरेक्टर आफ एजुकेशन का एक जगह भी निरीक्षण नहीं होता है जिस जमाने में डायररेक्टर आफ एजुकेशन अंग्रेज थे, मान्यवर, जयपुर स्टेट का डायरेक्टर आफ एजुकेशन विलियम ह्यूमस थे, वह स्वयं भी जयपुर स्टेट के अन्दर स्कूलों में जाकर निरीक्षण करते थे। उसका एक असर होता था। हमारे डायरेक्टर आफ एजुकेशन तो ट्रांसफर्स के लिये जयपुर और बीकानेर के बीच घूमते रहते हैं। इसके अलावा उनको फुर्सत नहीं मिलती। वह बहुत सज्जन आदमी हैं।

(श्री रामनारायण चौधरी)

देवता हैं। मैं उनका आदर करता हूं। वह ईमानदार हैं और मिलनसार हैं। तमाम गुणों के बावजूद यह भी एक गुण होना चाहिये। एक भी स्कूल का निरीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मंत्रीजी को मैंने निवेदन किया था कि निरीक्षण रिपोर्ट डायरेक्टर आफ एजुकेशन की मंत्रीजी के पास आनी चाहिये। डिप्टी डायरेक्टर के निरीक्षण की रिपोर्ट डायरेक्टर के पास तो जाये लेकिन आप के पास भी आनी चाहिये। आपके पास भी कोई व्यवस्था हो। यदि निरीक्षण आप नहीं बढ़ाओगे तो इसमें सुधार नहीं होगा।

प्राइमरी शिक्षा के अन्दर बुनियादी सुधार की जरूरत है। जहां एक से अधिक टीचर हों वहां प्रधानाध्यापक का पद क्रियेट होना चाहिये और व प्रधानाध्यापक सैकण्ड ग्रेड से नीचे का टीचर नहीं हो। आज हम ऊपर तो ले जा रहे हैं बड़े-बड़े क्वालिफाइड और हाई-क्वालिफाइड और गांवों के अन्दर ले जा रहे हैं सैकण्डरी और एस.टी.सी. का, अध्यापक। वहां अच्छे टीचर लगायें।

मान्यवर, आप तो खुद विद्वान हैं। एक से पांच तक की कक्षा को कोई भी सैकण्डरी या एस.टी.सी का अध्यापक पढ़ा ही नहीं सकता। पांचवीं और चौथी क्लास को न वह हिन्दी पढ़ा सकता है, न वह गणित पढ़ा सकता है। ज्योग्राफी और इतिहास तो पढ़कर पढ़ा दे लेकिन वह खुद ही इनमें प्राब्लम हल नहीं कर सकता। किसी सवाल को वह खुद ही हल कर सकता। अंग्रेजी का पाठ नहीं समझा सकता। पांचवीं क्लास को हिन्दी का पाठ नहीं समझा सकता। सामान्य ज्ञान का उसको पता नहीं है। इस ढंग का तो गांवों के अन्दर स्टाफ है। वहां एक अध्यापक सैकण्ड ग्रेड का होना चाहिये। प्राथमिक स्कूलों में आपको स्ट्रेन्थन करना चाहिये।

यह ठीक है कि आपने हर पंचायत हैडक्वार्टर पर मिडल स्कूल खोला है, यह आपका सराहनीय कदम है। लेकिन इनके अलावा भी मैंने मंत्री महोदय को निवेदन किया था कि झुन्झुनूं एक ऐसा जिला है कि जहां रूरल एजुकेशन का हाइएस्ट पर्सेंटेज है राजस्थान के अन्दर। एक जमाना था जब लोयस्ट था। आजादी के बाद राजस्थान के अन्दर रूरल एजुकेशन में झुन्झुनूं डिस्ट्रिक्ट हाइएस्ट पर्सेंटेज में हो गया। आजादी से पहले लोएस्ट था। गवर्नमेंट की लोअर मिडल स्कूल चलती थी वहां झुन्झुनूं के अन्दर और कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन नहीं था, तब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे। सेठों की स्कूलें थीं। उसके अन्दर हम सब पढ़े थे और आज गवर्नमेंट का सारा पैराफरनेलिया है। यह कदम सराहनीय है। लेकिन आप उसमें भी वही फार्मूला लगाओं कि पंचायत हैडक्वार्टर पर खोलेंगे। अब पंचायत के अन्दर दूसरी मिडल स्कूल है लेकिन कई गांव ऐसे हैं कि वहां कि जनसंख्या अधिक है। एक बड़ा गांव है इसके अन्दर तीन प्राइमरी स्कूलें चलती हैं। एक चलती है बाडू के बास में, दूसरी चलती है गुगन हरिजन

(श्री रामनारायण चौधरी)

की ढाणी में, एक चलती है ककडेऊपुरा में। ककडेऊपुरा रेवेन्यू विलेज है, तीन प्राइमरी स्कूलें चलती हैं। ऐसी जगह हो वहां पर भी आपको मिडल स्कूल देनी चाहिये क्योंकि तीन प्राइमरी स्कूलों के किसी भी कीमत पर चार किलोमीटर दूर छठी क्लास के अन्दर जा नहीं सकते। ऐसे भी जो हार्ड केसेज हैं उनके बारे में भी आपने सैकेण्डरी एजुकेशन में लास्ट टाइम में झुन्झुनू में बहुत मदद की। मैं आपकी सराहना करता हूं। बडी तादाद में आपने सैकेण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूले खोलीं उस स्कीम में हमारा भी योगदान था। इस साल भी मैंने बजट देखा आपने कन्टीन्यू रखा यह सराहनीय कदम है।

कालेज एजुकेशन के ऊपर यहां माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की मार्फत माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया था। जो चित्रण माननीय सदस्यों ने खींचा था उसकी जांच माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी को करनी चाहिए। आज हमारे प्राइमरी स्कूल्स में तो यह हालत है और हमारा शिक्षा का जो ऊंचा मन्दिर है उसमें यह हालत है कि जहां प्रोफेसर का पता नहीं, लड़कों का पता नहीं, हाजरी होती है, पढ़ाई का कोई हिसाब-किताब नहीं। श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री दीपेन्द्र सिंहजी ने पूरे आंकड़े देकर आपको बताया था। फर्जी रिजल्ट तैयार होता है। जिसका एडमीशन नहीं होता हो उनका फर्जी एडमीशन हो जाता है, एक चिट के ऊपर एडमीशन कर देते हैं। यह आपके शिक्षा के मन्दिरों में छात्रों में आपस में इतना भेदभाव होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे छात्र, जो देश के भावी नागरिक हैं जो देश के कर्णधार बनने वाले हैं, यह सारा भार उनके ऊपर आने वाला है। इस उम्र में उनके अन्दर मनोभावना और मनोबल जिस तरीके से देखकर टूटता है कि मैं क्वालिफाइड लड़का रह गया और वह सिफारिश से आ गया। एक साल के अन्दर मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी के अन्दर सैकड़ों एडमीशन ऐसे हुए हैं, वह वाइस चांसलर के डिस्क्रिशन से हुए हैं अब यूनिवर्सिटी में भी डिस्क्रिशन है जिसके कम नम्बर हैं उसका एडमीशन हो गया और जिसके ज्यादा नम्बर हैं वह रह गया। डिस्क्रिशन के भी तो नम्बर होते हैं मान्यवर, कि जिसका नम्बर नहीं है उसका डिस्क्रिशन से नम्बर आ जाता है जिसका है उसका नम्बर कट जाता है। यह आपके शिक्षा के मन्दिरों में यूनिवर्सिटीज में जिस यूनिवर्सिटी की मान्यवर, यहां पहले धाक थी कि उसके वाइस चांसलर को गवर्नर जैसा सम्मान प्राप्त था किसी जमाने में। आज सबसे बड़े शिक्षा के कुल के प्राचार्य, प्रधानाचार्य के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे, उनका काला मुंह कर दें, उनको कक्षाओं में नहीं आने दें, उनको आफिस में नहीं जाने दें, और उनके खिलाफ घरना हो तो लड़के क्या सीख रहे हैं और क्या मैसेज जा रहा है? लोगों में, छात्रों में सब जगह क्या मैसेज जा रहा है? यूनिवर्सिटी के अन्दर तो किसी भी प्रकार की कन्ट्रोवर्सी रहनी ही नहीं चाहिए। हर चीज मैरिट के आधार पर हो, क्या

(श्री रामनारायण चौधरी)

डिस्क्रिशन है ? एक लड़का जो क्वालिफाइड है वह तो रह जाता है और जो · डिस्क्रिशन के अन्दर है वह आ जाता है तो यह चीजें आपके हायर लेवल पर चैक नहीं करोगे तो मान्यवर, इसका अच्छा असर होने वाला नहीं है।

मैं आपको निवेदन करता कि शिक्षा की दृष्टि से हमारे राजस्थान का नम्बर राष्ट्रीय स्तर पर नीचे से एक नम्बर पर है महिला एजुकेशन में और हमारा दूसरा मेल एजुकेशन जो है उसका पाँचवां नम्बर है यह कितनी दयनीय स्थिति है हमारी, इसको आप सुधार रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं लेकिन इसमें आपको अधिक ध्यान देने की जरूरत है। मैं अधिक लम्बा नहीं कहूंगा मान्यवर, आपका धैर्य टूट रहा है मैं एक दो मिनट में ही बात को समाप्त करूंगा।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समितियों में एस. ओ. आई. वगैरह सब आ रके हैं उनका प्रमोशन करके सनाढ्य साहब ने उनका नाम शिक्षा प्रसार अधिकारी बना दो, चाहे उनके कुछ और लगा दो लेकिन मान्यवर, शिक्षा का बजट आपका है और मेरे ख्याल से नाथूसिंहजी तो हैं नहीं, इस बिल को आप ही पायलेट कर रहे हैं आप उनको देखिये तो सही। प्रश्न उठता है कि पंचायत समितियों को कोई अधिकार नहीं दिये हैं। मैं हामी हूं इस बात का लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि प्राइमरी एजुकेशन पंचायत समितियों को सुपुर्द की है, आप भी तो जाते हैं। अब तो आप डिप्टी स्पीकर हो गये, पता नहीं गये या नहीं गये, इससे पहले आप पंचायत समितियों की बैठकों में गये होंगे, एक भी एजेण्डा प्राथमिक स्कूलों के मैनेजमेंट का, उनमें क्या हो रहा है, एक भी एजेण्डा पंचायत समितियों के अन्दर आता नहीं कोई भी विकास अधिकारी, कोई एस डी. आई. पंचायत समिति के के माननीय सदस्यों को, जो हमारे निर्वाचित होकर गये हैं, वे खुद इस बात लिए चिन्तित नहीं हैं उनको यह आभास ही नहीं करवाया गया कि प्राइमरी की सारी शिक्षा पंचायत समितियों के हाथ में है। उसको किस प्रकार से हम मैनेज करें, कैसे उसको सुव्यवस्थित करें, यह पंचायत समिति के हाथ में है। तो यह अधिकार प्राइमरी शिक्षा की शिक्षा का, पंचायत समितियों को दिया है। मान्यवर, इसको आप कम मानते हैं, उसके अन्दर पूरा इन्वाल्वमेंट गांवों का है, गांव के प्रतिनिधियों का है। वहां एक बी. डी. ओ. जाता है और महीने-दर-महीने पंचायत समिति की बैठकें होती हैं लेकिन कभी भी शिक्षा के ऊपर, हमारे गांव में कैसी पढ़ाई चल रही है कोई जिक्र नहीं, कोई चर्चा ही नहीं होती।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कंक्लूड करते हुए कि प्राथमिक शिक्षा को आप स्ट्रेन्थने करवाइये, अच्छे से अच्छे अध्यापकों को आप गांवों में लगाइये और प्राइमरी स्कूल के अन्दर जिम्मेदारी बांधिये कि एक से अधिक जहां टीचर हों वहां आप हैडमास्टर बैठाइये, हैडमास्टर के पद

(श्री रामनारायण चौधरी)

को आप सक्रिय कीजिये उसको ट्रेक्टिव बनाइये ताकि वह गांवों के अन्दर दिलचस्पी लें और लड़कों के भविष्य की ओर जागरूक रहें।

इसी प्रकार यूनिवर्सिटी एजुकेशन और कालेज एजुकेशन की तरफ माननीय ललित किशोर चतुर्वेदी साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप बहुत सक्रिय हैं, मैं मानता हूं आप दिलचस्पी भी लेते हैं लेकिन महसूस कर रहे हैं। इसका कारण है मान्यवर। मैं बुराई नहीं करता, विश्वविद्यालयों को आटोनामी दी। इस आटोनामी के नाम पर सारा मामला गड़बड़ हो गया, पैसा विधान सभा का। विधान सभा उसको डिसकस भी नहीं कर सकती और चांसलर हमारे महामहिम हैं यह ऐसी बातें हैं जो ऐसी स्थितियां पैदा कर रही हैं और शिक्षा के अन्दर सुचारू रूप से संचालन में बालक हैं। यदि आवश्यकता हो तो शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो यूनिवर्सिटी एक्ट है, उसमें संशोधन लाइये, सूटेबल संशोधन लाइये जो ऊपर तक गो थ्रू हो ताकि यूनिवर्सिटी के संचालन में सरकार की भागीदारी हो और विधान सभा में कोई आवाज उठे उस हिसाब से उसमें सुधार हो सके। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा, कला और संस्कृति की मांग पर विचार हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बात तो माननी ही पड़ेगी कि पिछले चार-पांच वर्षों में चाहे प्रारम्भिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या महाविद्यालय की शिक्षा हो, तरह-तरह की व्यवस्थाएं करके इसको प्रोत्साहन दिया गया, निःशुल्क पुस्तकें बांटी गयीं। जहां जरूरत हुई वहां सभी जगह हायर सैकण्डरी सीनियर सैकण्डरी किये गये। और तो और एक नीतिगत फैसला लेकर और सारी पंचायत मुख्यालयों पर मिडल स्कूल खोलने के लिए नीति बनायी। स्कूल खोले भी गये और खोले जा रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह तो केन्द्र सरकार कर रही है।

श्रीमती तारा भण्डारी : केन्द्र सरकार नहीं, राजस्थान सरकार कर रही है। माफ करना माननीय सदस्य, अगर केन्द्र सरकार और पूर्व राजस्थान की सरकार ने कभी शिक्षा पर विचार किया होता तो आज माननीय रामनारायणजी को दुःख भरे शब्दों में यह नहीं कहना पड़ता कि विकास की यानि शिक्षा की जो सूची है उसमें महिला शिक्षा का नीचे एक नम्बर पर स्थान है और पुरुषों की शिक्षा नीचे से पांचवें नम्बर पर है यह बात आज आप लोगों को कहनी नहीं पड़ती। आज तो आप बड़े गौरव से कहते कि हमारा सारा राजस्थान शिक्षित है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं आपसे उम्मीद करूं कि 1986 की शिक्षा नीति पर जरा प्रकाश डालें। यह किसकी थी?

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, अब इनकी खोटी नीति पर मैं क्या प्रकाश डालूं मैं तो अपनी अच्छी नीति की बात करना चाहती हूं। इनकी नीति तो यह थी कि इन्होंने एक स्कूल खोला, नाम गलत लिख दिया वह स्कूल आज दिन तक नहीं खोला लोगों को झासे देते थे यह स्कूल खोल दिया जाओ, लेकर जाओ। फिर वहां देखते कि इस गांव में गोपली नाम का कोई स्कूल ही नहीं और वह स्कूल हाथ से चला जाता था।

मैं इनकी नीति की बात नहीं करती। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार की और हमारे मुख्य मन्त्री जी की नीतियों पर धन्यवाद देना चाहती हूं कि एक मानस बनाकर, आज आप देखिये ज्यादा से ज्यादा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया। जो भी हमारी महिला शिक्षण संस्थाएं हैं उनको अनुदान देने का प्रयास किया। महाविद्यालय महिलाओं के लिये खोले गये। महिला पोलोर्टेक्निक में महिलाओं के लिये सीटें बढ़ायी गयीं। पहली से आठवीं तक की बालिकाओं को पुस्तकें दी गयी। पहली से पांचवीं तक के बच्चे को पुस्तकें दी गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनके आंकड़े दुरुस्त करना चाहती हूं कि केवल निःशुल्क पुस्तकों में सन् 1994 में दस करोड़ रुपया खर्च हुआ, सन् 1995 में तेरह करोड़ रुपया खर्च हुआ। और इस वर्ष पन्द्रह करोड़ रुपया खर्च हुआ। रुपया तो रुपया है। समय पर सभी बालकों को पुस्तकें उपलब्ध करायी गयीं वरना स्कूलों की घोषणा होती थी दिसम्बर में जाकर, फिर कहते अभी वित्तीय स्वीकृति नहीं आयी और उसके दूसरे साल भी वह स्कूल चलती नहीं थी। इसलिये एक समयबद्ध कार्यक्रम करके जो भी काम करना है, स्कूलें खोलनी हैं तो जुलाई तक खोल दी गयी और भी कोई अध्यापक लगाने हैं या और कोई काम करना है तो नीति बनाकर किया। इसके आज नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। आज स्कूलों में लड़कियों का नामांकन बढ़ा है। आप आंकड़े देख लीजिये। ड्राप-आउट कम हुआ है। जो माता-पिता लड़कियों को स्कूल भेजना नहीं चाहते थे, वह लड़कियां आज स्कूल जाने लगी हैं और साथ-साथ उनका नामांकन बढ़ा है।

मैं तो शिक्षा मन्त्रीजी की प्रयासों को बार-बार धन्यवाद देना चाहूंगी कि इनको कड़वा घूंट तो पीना पड़ा, हम विधायकों की भी जलीकटी सुननी पड़ी लेकिन आज राजस्थान में शिक्षा का भविष्य उज्ज्वल हुआ है। आज सरकारी स्कूलों की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मैरिट में नाम देखिये आप, सरकारी स्कूलों के बच्चों के आज मैरिट में नाम आ रहे हैं तो यह सब हमारी नीति रीति और जो हमारी दूरदर्शिता है उसका फल है कि राजस्थान में शिक्षा का वातावरण बना। हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने इसको चैलेन्जपूर्वक लिया कि हम सन् दो हजार तक सम्पूर्ण राजस्थान को साक्षर करने के लिये संकल्पित हैं और इस संकल्प के लिये तरह-तरह के प्रयास राजस्थान सरकार कर रही है और करती चली जा रही है। क्योंकि दुनिया जानती है, हिन्दुस्तान जानता है कि राजस्थान शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है और इस पिछड़ेपन को दूर करने लिये सबका सम्मिलित प्रयास चाहिये। केवल यह

(श्रीमती तारा भण्डारी)

कहने से कि शिक्षा की अन्य प्रान्तों की जो सूची है उसमें महिला शिक्षा नीचे से पहले नम्बर पर है या पुरुषों की शिक्षा नीचे से पांचवे नम्बर पर है। यह कहकर हम अपने कर्तव्यों की इतिश्री नहीं मान लेते। एक सामूहिक प्रयास होना चाहिये और वो हो रहा है। चाहे लोक जुम्बिश का माध्यम हो, चाहे शिक्षाकर्मी योजना हो, सरस्वती योजना हो, अनुदानित जो भी संस्थाएं हैं, बहुत अच्छी तरह प्रयास हो रहा है और इन्हीं अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में जो आज 90 प्रतिशत अनुदान दिया है इससे बहुत बढ़ावा मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विकलांगों का एक स्कूल देखा है। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, जोधपुर में माणक लाव में एक बहुत ही अच्छा विकलांगों का स्कूल चलता हैं, 150-200 बालक हैं। अच्छा उनका शिक्षण है, अच्छी उनकी ट्रेनिंग है लेकिन अब उनके संस्थापक से मेरी बात हुई, श्री नारायणसिंहजी माणक लाव से, तो उन्होंने कहा कि इस वर्ष यह स्कूल बन्द होने जा रहा है, मैंने कहा क्यों, तो उन्होंने बड़े दर्द भरे शब्दों में कहा कि हमारी अब इतनी क्षमता नहीं रही कि चन्दा लायें। मैं इस विषय में माननीय शिक्षा मन्त्री जी को कहना चाहूंगी कि वह इस स्कूल को देखें और जल्दी से जल्दी इस स्कूल को जो भी अनुदान देना हैं, क्योंकि आज विकलांगों की समस्या हमारे सामने हैं। परमात्मा ने मनुष्य को विकलांग बनाया यह बात तो समझ में आती है लेकिन शिक्षा की दृष्टि से वह वंचित न रहे। शिक्षित होकर किसी न किसी रूप में कहीं स्टेबल हो जाय, यह भी हमारी भावना होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पता है सीमित समय है इसलिए मैं अपने क्षेत्र की एक-दो समस्याएं जरूर कहना चाहूंगी क्योंकि इसी पिछड़ेपन में हमारा सिरोही बहुत पिछड़ा इलाका है। पिछले तीन-चार वर्षों से मेरे यहां कोई सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं खुला। मेरा माननीय शिक्षा मन्त्री जी से इतना ही निवेदन है कि मेरे गांव वराडा में जो चार-पांच सैकण्डरी स्कूलों से फीडिंग होता है वहां वराडा में सीनियर सैकण्डरी खोलें और एक गांव है मेरा पाड़ीव—(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपके तो कुछ खोला ही नहीं, आप राजस्थान की कह रही हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : आपके खोला है ना अभी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हमारे तो नहीं खोला।

श्रीमती तारा भण्डारी : मेरे यहां तो खोले हैं और खोलने की उम्मीद भी है। आप चिन्ता मत करो, उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार इनकी पोल खुल आती है इसलिये जल्दी-जल्दी बीच-बीच में बोलते हैं।

पाड़ीव में एक मिडल स्कूल है, उसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र प्रसाद जी ने उद्घाटन किया था लेकिन आज तक

(श्रीमती तारा भण्डारी)

भी वह मिडिल है। मैं शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि पाडीव को इस बार जरूर क्रमोन्नत करें और इनकी भूलों को क्षमादान करें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक डाइट स्कूल चलता है आबू पर्वत पर, अच्छा चलता है। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना लेकिन आबू इतना महंगा है कि वहां पर जो भी छात्राएं —महिलाएं ट्रेनिंग लेने जाती हैं, उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती इसलिये वह लोग वहां पर ट्रेनिंग नहीं ले पातीं। वहां आबू में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वह किराये से रह सकें क्योंकि आबू बहुत महंगा है। सभी जानते हैं कि पर्यटन स्थान है। इसलिये शिक्षा मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि या तो डाइट को सिरोही मुख्यालय पर स्थानान्तरित करें तो भवन हम उपलब्ध करायेंगे अन्यथा लड़कियों के रहने के लिये किसी न किसी प्रकार की होस्टल की व्यवस्था करें वरना मेरा एक क्षेत्र एस. टी. का है, एक विधान सभा एस. सी. की है और एक जनरल सीट है। पिछड़ा इलाका है और वहां की बालिकाओं को आगे पढ़ने और ट्रेनिंग के अवसर नहीं मिलते।

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा कला और संस्कृति के बारे में बोलूंगी। एक तो मेरा निवेदन उच्च शिक्षा मंत्री जी से है। वह हमारे सिरोही गये थे और पिछड़ेपन की बात को सुनकर, मुझे यह कहने में बहुत ही खुशी है कि वहां घोषणा करके आये थे कि अगले साल निश्चित रूप से सिरोही मुख्यालय पर कन्या महाविद्यालय की स्थापना कर दी जायेगी। पिछले साल मेरे यहां लड़कियां कम थीं। यह सन् 1952 का महाविद्यालय है। उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही मुख्यालय का सबसे पुराना महाविद्यालय जोधपुर डिवीजन का और उस महाविद्यालय में छात्रों की संख्या इतनी हो गयी है, आज भी मेरी प्रिंसिपल साहब से बात हुई तो वह कह रहे थे कि सभी विषयों में सैक्शन बढ़ाने पड़ेंगे। लड़कियों की संख्या भी बढ़ गयी। इसलिये मैं चाहती हूं कि वह अपनी घोषणा को ध्यान में रखकर महिला कालेज खोलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में चंद्रावती अति प्राचीन नगरी थी जो किसी कारण वश जमीन में दब गयी। अब वहां जहां भी खोदते हैं प्राचीन मूर्तियां निकलती हैं और एक बड़ा भण्डारण हो गया है वहां पर प्राचीन और कलात्मक मूर्तियों का। मैं कला और संस्कृति मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि चन्द्रावती में जो भी मूर्तियां आज बेतरतीबी से पड़ी हैं एक-दूसरे के ऊपर, ठीक से उनका रख-रखाव किया जाय और म्यूजियम टाइप बनाकर के दर्शनार्थ उसको रखा जाय। हजारों रुपये, हजारों सिक्के हमारे यहां से जमीन में से खोदने पर मिले, खूब मूर्तियां मिली। लेकिन पुरातत्व विभाग सारे सिक्कों को लेकर चला जाता है। मेरा माननीय मंत्री महोदया से निवेदन है कि उन सिक्कों को सिरोही जिले में वापस लाया जाय। कौनसे वर्ष के थे, किन काल के थे? उनके लिटरेचर के साथ उन सिक्कों को म्यूजियम में अवलोकनार्थ रखा जाय।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ एक निवेदन और है। आज संस्कृति की बात तो सभी कर रहे हैं लेकिन हमारे जो सांस्कृतिक आधार हैं, जो हमारी प्राचीन कलाएं हैं, उन कलाओं पर भी हमें ध्यान देना होगा। हर क्षेत्र में कोई न कोई विशेषता है। जयपुर की कुछ विशेषता होगी तो कोटा की कुछ विशेषता होगी तो इस प्रकार सिरोही की भी बहुत विशेषताए हैं। हमारे यहां तलवारों का बहुत बड़ा उद्योग था। उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही नाम तलवार के कारण पड़ा। तलवार का पर्यायवाची सिरोही है और सिरोही का पर्यायवाची तलवार है लेकिन आज वह उद्योग बिल्कुल मृत प्रायः हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जिस प्रकार वहां तलवारें बनती थीं, जिस प्रकार से आज वहां मूर्तियां बनती हैं हमारे यहां से शिल्पियों और मूर्तिकारों को लंदन तक बुलाया जा रहा है लेकिन आज जो हमारा जिला है वहां पर उनके लिये कुछ ऐसा स्थान नहीं है जहां बैठकर वह अपनी कलाकृतियों को बेच सकें या उसका मार्केट बना सकें या उसका हाट लगा सके। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्रीमती तारा भण्डारी : बिलकुल समाप्त है उपाध्यक्ष महोदय। राजस्थान भर में कला और संस्कृति की इतनी धरोहर है उसका रक्षण होना चाहिए। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरा सिरोही जिला कला के नाते अतिउत्कृष्ट जिला है। जहां भी खोदते हैं मूर्तियां निकलती है, उपाध्यक्ष महोदय, जहां भी जाते हैं अवशेष मिलते हैं। जहां भी जाते है सिक्के मिलते हैं। इसी प्रकार कशीदाकारी का भी हमारे अच्छा काम होता है। कलात्मक जूतियों की कशीदाकारी होती है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगी कि जितनी भी हमारी कलाकृति और कला से से सम्बन्धित वस्तुएं हैं उनका अच्छा म्यूजियम बनाकर लोगों के दर्शनार्थ रखें। जैसा दिल्ली में शिल्पग्राम बनाया गया है वैसा हमारे मुख्यालय पर भी शिल्पग्राम बनायें। जहां पर लोग बैठ कर अपनी बनायी हुई कलापूर्ण वस्तुओं का बेचान, खरीद कर सके। साथ ही साथ हमारे इस तलवार उद्योग को भी जीवित रखा जाये इसके लिए भी प्रयास किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा पर काफी बातें हो चुकी है। शिक्षा ग्रामोन्मुखी नहीं है यह बात भी हो चुकी है। पूंजीपति विद्यालय खुलवा लें यह बात भी हो चुकी है और गरीब और पिछड़े हुए गावों में शिक्षा का प्रसार नहीं हो पा रहा हैं। यह बात भी हो चुकी है। मैंने पहले भी निवेदन किया था, उपाध्यक्ष महोदय, स्त्री शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना वास्तव में आज की तारीख में उसकी आवश्यकता है। आपके

(श्री रामनारायण मीणा)

पता है माननीय मंत्रीजी जिस जगह बीस-बीस छात्र हैं दसवीं कक्षा में, माध्यमिक स्कूल में, वहां सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोल दिये गये। मैं निवेदन कर रहा था नैनवां में जहां 70 बच्चियां है और आये दिन घटनाएं होती रहती है सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में जाने से, देई जहां इतनी संख्या में लड़कियां हैं, देई में 60 लड़कियां हैं वहां पर ब्वायज के स्कूल में जाने से कितनी बातें होती रहती हैं। पिछले दिनों वहां पुलिस को भी जाना पड़ा अतिक्रमण हटाने के नाम पर। सारी बातें हुई। इन बातों पर आप ध्यान दें। हम आपसे काफी अपेक्षाएं रखते हैं। सैद्धान्तिक दृष्टि से चलेंगे, गरीब का भी ध्यान रखेंगे।

अब मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह कि उच्च शिक्षा मंत्रीजी आप नैनवां गये आपने मालायें पहनी, कालेज नहीं खुला। कालेज की बाउण्ड्री को सुरक्षित कीजियेगा उस पर अतिक्रमण हो रहा है। बूंदी जिले में मात्र एक कालेज है और नैनवां में, जहां सात सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल पास में है 70-70 किलोमीटर तक कोई शिक्षा नहीं है। आप कृपया उसका ध्यान रखें। यूनिवर्सिटी के बारे में यहां बहुत बातें हो चुकी हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी आप थोड़ा इसको गौर से देख लें। उसी के साथ मैं अपनी बात का उदाहरण दूंगा। महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर है। वहां 1996 में एम. ए. हिन्दी का चौथा पेपर हुआ और आपके जो पेपर हैं, एक ही माडल आता है। दो नहीं आने चाहिये। कितना ही ही इस तरह का हुआ है। एक ही परिवार के दो भाई-बहन परीक्षा में बैठे हैं उनको जो पेपर दिया गया। लड़का रजनीश है पिता का नाम किशोरी लाल है 260, रजत कालोनी गेट नम्बर-4 बूंदी का निवासी है। एम. ए. हिन्दी फाइनल का चौथा पेपर जो उसको दिया उसमें जो दिया गया माडल नम्बर 319 का पेपर उसके रोल नम्बर 14,214 मैंने आपको बताये हैं और इसको 319 का दिया है और उसकी जो सगी बहन है उसका नाम है नीरूबाला, नीरूबाला को माडल नम्बर 320 का पेपर दिया गया है और दोनों पेपर बिलकुल डिफरेन्ट हैं। वह दिये गये। परीक्षाएं ली गयीं। वहीं पेपर है। एग्जामिनर को एक पेपर दिया जायेगा जांच के लिये या दो पेपर दिये जायेंगे आप तो प्रोफेसर रहे हैं माननीय और मैं आशा करूंगा ऐसा मामला हुआ है। मैंने आपको उदाहरण दिया है आप चाहे तो मैं दोनों पेपर आपको देने को तैयार हूं, सदन के पटल पर रखने को तैयार हूं मेरे पास दोनों पेपर्स की फ़ोटो कापी है। आपके यूनिवर्सिटी में जहां से पेपर छपा है वह 83 पेपर छपे हैं और यही नहीं, मान्यवर यह, यू. पी. सी. से श्रीमान मन्त्री महोदय सार्वजनिक, निर्माण एवं उच्च शिक्षा मन्त्री, राजस्थान जयपुर को 20 जून, 1996 को यू. पी. सी. से किशोरी लाल ने अपने दोनों लड़के और लड़की के भविष्य को देखते हुए आपको चिट्ठी लिख दी है उनके पास कोई जवाब

(श्री रामनारायण मीणा)

नहीं गया। यही नहीं, मान्यवर आपको यूनिवर्सिटी को भी लिख दिया गया है 22-4-96 को लिख दिया गया है। पेपर 19-4-96 को हुआ था उसके बावजूद भी कोई जांच नहीं है। इस तरह की बातें जो यूनिवर्सिटी में हो रही है। कृपा करके उनको देखें। ऐसे उदाहरण देखें और आवश्यक हो, तो हिन्दी का पेपर, चूंकि रिजल्ट अभी नहीं निकला है तो उसको दुबारा करवाये। रिजल्ट निकल गया हो तो उसकी सैंक्टिटी की दृष्टि से उसको चेक करवायें। यह बातें यूनिवर्सिटी में हो रही हैं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप शिक्षा जगत से आये हैं। आप इसके बारे में ध्यान देंगे। दोनों मंत्री, जो दो कोनों पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, मिलकर राजस्थान की दशा सुधारेंगे। स्त्री शिक्षा पर बल देंगे और इसमें कोई भेदभाव, राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं अपनायेंगे आज की तारीख में, मैं और सदन आपसे यही अपेक्षाएं रखता है। इसी के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा की मांग पर जो चर्चा चल रही है उसमें अपने आपको जोड़ते हुए मैं सबसे पहले तो शिक्षा मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने इस वर्ष सैंकण्डरी और हायर सैंकण्डरी, सीनियर सैंकण्डरी स्कूल खोलने का इरादा ही बन्द कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो इस साल इरादा ही नहीं रखता हूं केवल 2-4 जगह छोड़ करके। इसीलिये जो बच्चे और जो स्कूल आज के तीस-तीस साल से और मेरे नेवटा का स्कूल तो सन् 1945 से है। वह जो मिडल स्कूल है और जिनकी हम उम्मीद लेकर बैठे थे उन सबकी आशाओं पर पानी फिर गया। आप समय कम देंगे मैं यह जानती हूं। इसलिए मैं सिर्फ आपको पाइन्टेडली ही बता रही हूं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगी कि अच्छा होता वह थोड़ा-सा टैक्स लगा लेते पर कम से कम शिक्षा के ऊपर यह कमी नहीं करते कि सैंकण्डरी और हायर सैंकण्डरी स्कूल खोले ही न जाये।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी सरकार महिला शिक्षा के लिये बड़ी समर्पित है। महिलाओं के कितने सैंकण्डरी और कितने हायर सैंकण्डरी स्कूल खोल रहे हैं यह शिक्षा मंत्रीजी स्वयं भी जानते हैं और तीन कालेज महिलाओं के खोल कर वह समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा महिलाओं के लिये समर्पित है तो मैं ऐसा मानती हूं कि महिलाओं के प्रति अन्याय है। जैसा कि भारत सरकार करने जा रही है तीस प्रतिशत नौकरियों में और सभी जगह उनके लिये आरक्षण होने की बात हम लोग कर रहे है। तब महिला शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। जो राजस्थान सरकार महिला शिक्षा के ऊपर समर्पित है। उन्होंने महिलाओं के लिये कितने कम स्कूल पिछले साल खोले, इस साल भी खोल रहे हैं।

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

(समय : 16.00)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष; पदासीन)

जैसा एक हमारे माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे कि अभी राजस्थान इतना आगे नहीं बढ़ा है कि एक उम्र के बाद लड़कियों को लड़कों के साथ पढ़ने भेज दें या कहीं दूर पढ़ने भेज दें। मिडल स्कूल में तो फिर भी किसी तरह भेज देंगे जब तक कि लड़की 13-14 साल की होती है लेकिन 13-14-15 साल की होने के बाद बहुत मुश्किल से गांव के लोग लड़कों के साथ लड़कियों को पढ़ने भेजते हैं। यहां तो शादी ही कर देते हैं 10 साल, 12 साल, 15 साल में पढ़ने कहां भेजेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है इस समर्पित सरकार से कि स्त्री शिक्षा पर आप सचमुच ध्यान देना चाहते हैं तो उनके लिये अलग स्कूल खोलें। जैसा कि मैंने निवेदन किया था बगरू में तो आस-पास में कहीं है ही 30-40 किलोमीटर तक।.. महिलाओं के लिये कोई नहीं है। लड़किया तो सैकण्डरी के बाद पढ़ ही नहीं सकती हैं। बिलकुल ही उनका पढ़ना बन्द हो गया। ऐसी जगहों पर तो जरूर कालेज खुलना चाहिये ताकि वहां के आस-पास लड़कियां भी शिक्षा पा सके।

तीसरा, मेरा निवेदन यह है कि जो पैसा आप अनौपचारिक शिक्षा के ऊपर खर्च कर रहे हैं उनसे जो भ्रष्टाचार के अड्डे बन रहे हैं और लोगों ने जितना पैसा इसमें इस नाम से खाया है या दबाया है, मैं चाहूंगी कि शिक्षा मंत्रीजी इस बात की जांच भी करवा लें कि शिक्षा उससे कितनी मिल रही है। कितने गांव के लोग पढ़ रहे हैं, कितनी लालटेन जल रही है, कितनी दरियां जा रही हैं, कितनी पट्टियां जा रही हैं। जहां भी यह खुले हैं मैंने जगह पर जाकर देखा है। बिलकुल जो आपके पास सूचना आती है वह सही नहीं है। मैं निवेदन करती हूं कि इसकी जांच की जाये। वह पैसा महिला शिक्षा पर खर्च करें तो शायद अधिक लाभ होगा। मेरा आपसे यह निवेदन था कि अभी नीचे हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी के लोग आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने शायद गवर्नर साहब को भी और शिक्षा मंत्रीजी को भी अपना ज्ञापन दिया है। जैसा कि वह बता रहे हैं अगर उसी प्रकार प्रकार का यूनिवर्सिटी में आचरण हो रहा है तो मुझे बड़ा दुःख है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की मैं फर्स्ट ईयर से लेकर छात्रा रही और यह यूनिवर्सिटी बनाई थी ऐसे महान व्यक्ति मोहन सिंह जी मेहता ने जो कोई राजनीतिक दल से सम्बन्धित नहीं थे। एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे और उनकी क्या कल्पना थी इस यूनिवर्सिटी के बारे में और उन कल्पनाओं पर आज किस तरह से पानी फेरा गया है कि आज वाइस चांसलर के सामने लड़के गालियां दे रहे हैं प्रोफेसरों को और वाइस चांसलर मिलते नहीं है। वाइस चांसलर के सामने ही लड़के मारपीट कर रहे हैं। उनकी एफ. आई. आर. दर्ज हो रही है। उस एफ. आई. आर. के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार के उदाहरण हम आज के छात्रों और आगे हमारी भावी पीढ़ी के सामने रखना चाहते हैं तो इससे ज्यादा दुःखदायी घटना कोई नहीं हो सकती। इसलिए कृपा करके यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स यहां धरना दे रहे हैं उनसे बात करें और जांच भी करायें कि यह किस तरह का महौल पैदा कर दिया है। यह सच है कि गलत है यह देखना आपका काम है। लेकिन जो माहौल पैदा हो गया है उसका जो असर हमारे छात्र-छात्राओं पर हो रहा है वह बहुत खराब हो रहा है। इसके बारे में जांच कराई जाये।

एक मेरा निवेदन है कि राजस्थान में सीनियर सैकण्डरी स्कूल में जो लेक्चरार हैं उन लेक्चरार को प्रमोशन के कोई चांसेज नहीं है। लेक्चरार ही बनते हैं और और लेक्चरार ही रहते हैं। जगह तो रीडर भी बनते हैं, प्रोफेसर भी बनते हैं। वह कहलाते तो लेक्चरार हैं लेकिन जैसे भर्ती होते हैं वैसे ही रहते हैं। इस बात पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये कि इन लेक्चरार को किस तरह से आप प्रमोशन दे सकते हैं। इनको रीडर बनाओगे या इनको कालेजेज में भेजेंगे या क्या करोगे। इस बात पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सरकार का फिर इस ओर ध्यानाकर्षित करेगी कि सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल और लड़कियों के जो स्कूल हैं जो इस साल बहुत कमी कर दी है उससे मेहरबानी करके बजट को फिर बढ़ाने की कृपा करें। आपने समय दिया धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकर भानूदा जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, साढ़े चार बजे मुख बन्द होगा तो मैं समझता हूं कि आधा घण्टा जवाब में भी लगेगा। इसलिये मंत्री महोदय का जवाब प्रारम्भ करवाया जाये।

श्री शिवनाथ सिंह : साढ़े चार बजे का न होकर थोड़ा समय और बढ़ा दिया जा तो माननीय सदस्यों को कहने का मौका मिल जायेगा और मेरे ख्याल से बाद कोई जरूरत नहीं है।

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्य- महोदय, हम राजसमन्द जिले के बारे भी बात नहीं कह पा रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोद जिले तो राजस्थान में 31 हैं और मानन सदस्य बहुत कुछ कहना चाहते हैं। गुलोटि के सम्बन्ध में जब अप्लाई किया जा र है और मांगें पास की जायेंगी उसका आ समय साढ़े चार बजे निर्धारित किया विश्नोई जी के मामले को लेकर स्व पक्ष के लोग हमेशा ही कहते हैं कि अ- भी ऐसा ही इस्तेमाल किया था। वह उसी दिन की बात थी जिस दिन मुख होने वाला था। मुखबन्द पर इन्होंने स बढ़ाया। समय बढ़ाने के बाद दुबारा स की मांग की तो इन्होंने कहा कि दुबारा स नहीं बढ़ाया जा सकता। इस पर एक बाद में पास करवाने के लिये सद

(श्री परसराम मदेरणा)

अनुमति मांगी। सदन में शांति और व्यवस्था नहीं थी तो इन्होंने कहा कि मैं मांग पास नहीं करवाऊंगा। सदन में मैं पहले शांति और व्यवस्था स्थापित करूंगा। इस प्रकार की एक प्रिसिडेंट और परम्परा अपने सामने है। जो उस वक्त के अध्यक्ष महोदय ने जो मेरे पास ही बिराजमान हैं उन्होंने स्थापित की है। आप भी उसका अनुसरण करने की कृपा करें। जो भी आपको निर्धारित करना है....

श्री अध्यक्ष : एक ही बार करना है।

श्री परसराम मदेरणा : एक बार नहीं। एक बार हुई है इसलिए मैं कह रहा हूं एक दफा एजुकेशन की डिमाण्ड थी और को इन्सीडेंट उसी दिन मुखबन्द होने वाला था। मोहन लाल जी सुखाड़िया एजुकेशन मिनिस्टर थे। और चार बजे का टाइम था।

श्री कैलाश मेघवाल : यह 64 के पहले की बात है।

श्री परसराम मदेरणा : 1964 की क्या यह तो 1952 से पहले की होगी। लेकिन जब-जब यह मेम्बर आये में भी इस सदन में मेम्बर आया हूं। हम दोनों मौजूद थे। इन्होंने मुख्यमंत्री जी से यह कहा कि मैंने साढ़े तीन बजे चीफ व्हिप को कह दिया था कि गवर्नमेंट अगर उत्तर देना चाहती है तो अभी समय आधा घण्टे ही बचा है। जो भी समय आप निर्धारित करें माननीय सदस्य काफी बोलने वाले हैं। जैसा विश्नोई जी ने दो घंटे का समय बढ़ाया था। फिर वही मांग आयी थी। गुलोटिन फाइनेंशियल बिजनेस है। चाहे आप तीन घण्टे बढ़ायें, चार घण्टे बढ़ायें। प्रथम एक्सटेंशन में ही निर्णय सदन को ले लेना चाहिये। बार-बार गुलोटिन का समय नहीं बढ़ाना चाहिये। मैं फिर एक बार हाउस को विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि लोकसभा में समय नहीं बढ़ता है। हमारे यहां परम्परा बढ़ाने की है जो भी आप बढ़ाना चाहे। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंन्ट चीफ व्हिप 15-15 मिनट के बाद में खड़े होकर कहें कि अब बढ़ा दो, अब बढ़ा दो। इस तरह से नहीं होगा। आपको बढ़ाना है तो सोच समझकर के दो घंटे, तीन घंटे, साढ़े तीन घंटे, चार घंटे, साढ़े चार घंटे, पांच घंटे....

श्री रामस्वरूप मीणा : मांग पर चर्चा होने तक समय बढ़ाया जाये।

श्री परसराम मदेरणा : ....आपसे तो उनकी बहुत मित्रता है। मेरे गांव की एक कहावत है कि एक महाजन का किसी पर कर्जा था, कोई किसान होगा। उसने फाड़गती लिख दी। वह अनपढ़ आदमी था। "कांकड़-कांकड़ फाड़गती गांव में ज्यों का ज्यों।" कि सरहद-सरहद में तो फाडगती सही रहेगी लेकिन गांव में पहुंचते ही यथा-स्थिति, पूर्व जैसी ही रहेगी। आप तो दोनों समझते हैं कि आपकी सरहद में क्या है और गांव में क्या है। आप उस बेवलेथ पर उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि उसमें अभी आधे घण्टे का समय है,

(श्री परसराम मदेरणा)

15–20 मिनट का समय है। एक्सटेंशन करना है तो कुछ भी समय निर्धारित करना है। सदन के काफी माननीय सदस्यों को बोलना है। ....नहीं, आपकी उंगली खड़ी करने से नहीं होगा यह आज डिमान्ड दूसरी है। The guillotine is being applied, and if you do not remain in discipline, I can apply guillotine against you also, What I tell you is....आप वह लगा देंगे। आज आपके हाथ में नहीं है। गुलोटिन लगाने वाला दूसरा है वहां से आदेश ही नहीं आया है गुलोटिन लगाने के लिये। आज आसन का अधिकार है। जो कुछ भी समय बढ़ाना है आप सोचकर बढ़ायें। हमारी पार्टी के माननीय सदस्य जो बोलना चाहते हैं उनकी सूची आपके पास है और सत्ता पक्ष के भी माननीय सदस्य जो इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, उनकी सूची भी आसन के सम्मुख है।

श्री रतन लाल ताम्बी : हमारी निष्पक्ष पार्टी वालों की सूची भी है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं आपको तो जरूर समय मिलना चाहिये। अध्यक्ष महोदय से तो मैं बात भी कर रहा था। आपके सम्बन्ध में मैं उनके चेम्बर में उनसे बात कर रहा था। यह चर्चा का विषय नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि इस सूची को देखकर चेयर की तरफ से ब्रोडली स्पीकिंग समय का इंडिकेशन आ जाये तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री शिवनाथ सिंह : रिमोट कन्ट्रोल को छोड़िये।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। रिमोट कन्ट्रोल तो कोई मुझ पर होता ही नहीं है। आपका रिमोट कन्ट्रोल भी आपने नहीं चलने दिया था। मेरा निवेदन है कि....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि इस प्रकार की मांगें जब आती हैं तो अधिकतम माननीय सदस्यों को अवसर मिलना चाहिये। जिससे कि वह अपनी बात रख सकें। प्रतिपक्ष के नेता महोदय की इस बात से मैं सहमति व्यक्त करता हूं कि समय को बढ़ाने का काम एक बार किया जाना चाहिये। यह जो गुलोटिन वाला विषय है यह एक सेंसिटिव है। आज एक निवेदन मैं आपसे अवश्य करना चाहता हूं। परम्परा यह रही है पुराने समय की कि सामन्य रूप से बजट की मांगों पर बहस करने के लिए सदस्य महोदय को दो-दो अवसर मिला करते थे। बाद में कुछ बदल गया। कई बार कई विषयों पर सभी सदस्य बोला करते हैं, यह भी अभ्यास हुआ पिछले बार एक दो समय से किन्तु क्योंकि आज गुलोटिन का समय है इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जो माननीय सदस्य इस सारी मांगों के सन्दर्भ में दो बार नहीं बोले हैं, कम से कम उनको बोलने का अवसर दिया जाये, ऐसी व्यवस्था करें। यह बात तो सच है कि आज बहुत अधिक माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर देना भी सम्भव नहीं है गुलोटिन होने के कारण से। इसीलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं सहमति बताते हुए प्रतिपक्ष नेता महोदय से कि एक बार समय बढ़ाया जाये किन्तु

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

इस बात की चिन्ता की जाये कि सेंक्टिटि के कारण कम से कम जो सदस्य नहीं बोले हों दो-दो बार उनको अवसर दिया जाये, यह मेरा विनम्र निवेदन है ।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपकी एक बात से कि रूल्स की पोजीशन है । जिन डिमाण्ड पर डिस्कशन हो जाता है उन डिमाण्ड्स के ऊपर एप्रोप्रिएशन बिल में जहाँ तक सम्भव हो कोई पालिसी मैटर बाकी रह गया तो उसमें चर्चा, नहीं होती बाकी सभी मांगों पर चर्चा, हो सकती है एप्रोप्रिएशन बिल के दिन इसलिए क्योंकि लोगों को समय नहीं मिलता है, आज गुलोटिन का डे है, माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं । एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है सबसे महत्वपूर्ण विषय है पंचायती राज मिनिस्टर के लिए । धपल में पास करा गये अपनी डिमाण्ड को । ...

श्री नाथूसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : मैंने आपको धन्यवाद दे दिया था ।

श्री परसराम मदेरणा : आप सुनिये । मैं कल मुख्य मंत्रीजी के पास इसलिए बैठा था कि कंसेंसस जो बना है सोशल सेक्टर में प्रायोरिटी का और जिसमें आपके सजेशंस को अखबारों में, बहुत से लोगों ने कंसेंसस बनाने के आपने एक अहम भूमिका निभायी है । उसमें एजुकेशन है कि नहीं है । तो एक लेटर प्रधानमंत्रीजी ने उनको लिख कर भेजा था उस लेटर की मुझे प्रति दी है । राजस्थान के अन्दर आइडेंटी की है तीन प्रायोरिटी सोशल सेक्टर की । उसमें युनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन प्रायोरिटी पर है । राजस्थान की स्थिति यह है, अध्यक्ष महोदय, कि एक उच्च शिक्षा, एक बिचौली शिक्षा, एक प्राइमरी शिक्षा । तीन-तीन अलग मिनिस्टर, अलग-अलग विभाग और प्रायोरिटी में आ रही है आपकी लेकिन प्रायोरिटी में आने के बाद में आगे जाकर इनरोलमेंट सिक्थ क्लास में होगा । इसलिए आपका सीधा कार्डिनेशन है, सीनियर सैकण्डरी होने के बाद में सीधा सम्बन्ध आपसे है । तो तीनों स्टेप बाई स्टेप आगे चल रहे हैं । इसलिए एजुकेशन का बहुत महत्व है । अभी कई माननीय सदस्य स्त्री शिक्षा के बारे में कह रहे थे । हिन्दुस्तान के अन्दर 481 जिलों के अन्दर स्त्री शिक्षा का अगर सबसे कम परसेंटेज है तो 480 जिलों में ज्यादा है । जैसलमेर में ज्यादा हो गया कालोनाइजेशन की वजह से, जालौर में में ज्यादा हो गया, बाड़मेर सबसे पीछे है और पंचायती राज मिनिस्टर आंखें मूंद कर बैठे हैं ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : आपके विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा है ।

श्री परसराम मदेरणा : I have drafted a letter to the Prime Minister, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में है उसकी कापी आपको भेज दूंगा, मैं कल भेज रहा हूं । आज मुझे थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट करना है । मैं यह समझता हूं कि एम. ए., बी. ए. वगैरह तो आगे की बात है लेकिन कोई बच्चा 11 साल का,

(श्री परसराम मदेरणा)

5 साल का नीचे का बच्चा अनपढ़ रह जाता है तो दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र, इण्डियन रिपब्लिक का नागरिक जीवनभर तक अनपढ़ रहेगा। जिम्मेदारी आपकी है, उत्तरदायित्व आपका है। निर्वहन करने के लिए कि ले लाख, ले डेढ़ लाख। देना कुछ नहीं, थोड़ी सी स्कूल खोली है। स्कूल इसलिए खोली हैं, 8 किलोमीटर के अन्दर स्कूल नहीं हैं। क्राइटेरिया आपने देखा हमने कोई नाम नहीं दिया है। आपने वहां का नक्शा देखा और हमको चार महीने बाद मालूम हुआ कि स्कूल खोली है और अभी तक वे भी क्राइटेरिया में नहीं आयी हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के एट पार नहीं आयी है। इसलिए खोली है आपने, कोई अहसान नहीं है हमारे पर....

श्री नाथूसिंह गुर्जर : खोली तो सही।

श्री परसराम मदेरणा : खोली है। जैसे मैं अहसान में दब रहा हूं अभी तक। बहुत कमी है। We are not at par. We are not at par with other districts so far the dissence is concerned. बहुत होस्टाइल टेरेन है, बहुत कंडीशन डिफरेंट है, टिब्बे और धोरें हैं। छोटे-छोटे बच्चे उन टिब्बों के ऊपर से जाते हैं। आप अभी तक गेहूं और ओजरी ठोके हुए हो। वहां पर बाजरी के धोरों में जाओ तब मालूम पड़ेगा कि एक टिब चढ़े और दूसरे से उतरे, 10-10 पाले तक कोस करते हैं और प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, वहां पीने का पानी नहीं। एक चुगलिया साथ लेकर जाते है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भाग लेना चाहते है डिबेट के अन्दर और दोनों ही मंत्री साहिबान के सम्मुख अपने क्षेत्र की, राजस्थान की, क्षेत्र की बात कहना जरूरी नहीं है क्योंकि हाउस के अन्दर जब एजुकेशन का प्रश्न है तो पूरे राज्य के संदर्भ में उस परिप्रेक्ष्य में कोई बात कही जा सकती है। इसलिए इसका समय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी आप निर्धारित करें माननीय सदस्यों की सूची को देखकर एक दफे ही उसका निर्णय हो। उसमें एक बात यह होनी चाहिए कि गवर्नमेंट रिप्लाई कितने बजे शुरू होगा और गुलोटिन कितने बजे लगेगा। माननीय सदस्य कब तक बोलेंगे। ये तीनों ही बातें बहुत साफ होनी चाहिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमू) : अध्यक्ष महोदय, मुखबंद का समय तो बढ़ता ही रहता है, बहुत बार बढ़ा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्रीगणों से कि दो-ढ़ाई घंटे आप समय बढ़ा दें। माननीय सदस्य बोल लें और उनके बाद और उसके बाद मंत्री महोदय के समय का निर्धारण कर दें और उसके बाद मुखबन्द का प्रयोग हो जाये तो सब लोग अपने विचार रख सकेंगे।

सदन की कार्यवाही

मुखबन्द के निर्धारित समय एवं विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : मैं प्रस्ताव करता हूं, माननीय अध्यक्ष

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

महोदय, कि सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया जाय और 6 बजे गवर्नमेंट की रिप्लाई हो जाये, साढ़े छह बजे तक माननीय सदस्य बोल लें और साढ़े छह बजे से साढ़े सात बजे तक सरकार का जवाब आ जाये और साथ में यह भी प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाए।

श्री परसराम मदेरणा : यह क्या बीच में गुड़-गोबर कर दिया। When the guillotine time will start Hon'ble Speaker ? We donot went to remain in misapprehension.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज जो लिस्ट आयी है उस हिसाब से 11-11 पक्ष और विपक्ष की तरफ से नाम आये हैं और 3–4 नाम दूसरे हैं। 11 माननीय सदस्य बोल चुके हैं और यदि इसी लिस्ट से चलना है और आप इनसिस्ट नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं आज ठीक रहेगा और उसी हिसाब से मैं सोचता हूं कि साढ़े छह बजे तक माननीय सदस्य बोल लें, साढ़े सात बजे तक जवाब आ जाये और साढ़े सात बजे गुलेटिन करेंगे (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : अध्यक्ष महोदय, पहले बोल चुके हैं क्या उनको समय नहीं मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : विराजें। नाम जितने आये हैं वो ही हैं।

श्री भगराज चौधरी : बोल चुके हैं उनको नहीं मिलेगा क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें। मानूदाजी।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : हमने भी मांग पेश की है, हमारा भी नाम आना चाहिए ...(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : गुलेटिन का समय साढ़े सात बजे रखा है तो साढ़े सात बजे ही होगा। आप बिराजें। सभी माननीय सदस्य पांच-पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करने की चेष्टा करें तो अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को मौका मिलेगा। अब आप विराजें, बोले नहीं, बोलने से गड़बड़ हो जाती है। श्री शंकरजी मानूदा....(व्यवधान)....

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम हमारे सचेतक महोदय के द्वारा नहीं भेजे गये हैं क्या ऐसे सदस्यों को यदि बोलना हैं....।

श्री अध्यक्ष : आप बैठें तो सही। इतनी देर में तो पांच माननीय सदस्य बोल जाते। आप क्या कर रहे है ? सभी माननीय सदस्य पांच-पांच, छह-छह मिनट में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। श्री शंकर मानूदा, आप चार बजकर बीस मिनट पर बोल रहे हैं।

मांग संख्या 24 पर विचार

डा. शंकरलाल मानूदा (कपासन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसाकि सबको विदित है, This planet has become a global village.

(डा. शंकरलाल मानू रा)

इस ग्लोबल विलेज में हमारे रीजन कि क्या स्थिति है इस बारे में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार आपको निवेदन करना चाह रहा हूं, "Many South Asians face hunger and deprivation, the Bank says in a study titled Jobs, Poverty and Working Conditions in South Asia." इसमें लिखा है कि 1990 में "....almost 59 percent of the South Asian population consumed less than $ 30 a month in terms of purchasing power capacity." इसके अलावा "....The equivalent share of the population was 53 percent in Sub-Saharan Africa."

माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हम इस स्टेज पर आ गये हैं कि दुनिया में अगर सबसे पिछड़ा इलाका है तो वह हमारा देश और इसके आसपास के देश हैं। हमारे देश में भी सबसे ज्यादा गरीबी की हालत हिन्दी बेल्ट में है जिसमें राजस्थान शामिल है। इनकी दशा सबसे ज्यादा दयनीय है और भी कई पेरामीटर्स दिये जा सकते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमारा देश सब सहारन अफ्रीका से भी नीचे चला गया है जिनमें कांगो और इस तरह के देश शामिल हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यूनिसेफ के नेशनल एम्बेसडर, सुनील शास्त्री जो फेमस क्रिकेटर भी हैं, उन्होंने हाल ही में अपने आर्टिकल में बहुत दर्दनाक विवरण में व्यक्त किया है, "It always used to strike me then, as now, why should it be that some are poor, with very limited life chances, while others can enjoy the best that is on offer ?"

अध्यक्ष महोदय, "That one out of every nine children here dies befor reaching the age of five years. The child nutrition rate is twice that of Africa in India."

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो विचार व्यक्त किये उसमें लिखा है "... The country should not enter...."

जैसा मैं समझता हूं, उन्हें दर्द है, हमारे माननीय सदस्यों और पूरे देश को दर्द होना चाहिये। उन्होंने लिखा है "... country should not enter the next century with almost half of the population illiterate.. The child labour, the low status of girls, the burgeoning growth in population is all because of - the reason is illiteracy."

अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति हमारे देश की क्यों बनी, इसके सम्बन्ध में मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। मिस तवलीनसिंह ने इण्डियन एक्सप्रेस में रिसेंटली एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा

(डा. शंकरलाल भानूवा)

है कि हम इक्कीसवीं सदी में किस तरह से जायेंगे और हमारी क्या दशा होगी despite of all the educational programmes, हमारे जितने एजूकेशन प्रोग्राम चल रहे हैं और उनकी जो स्थिति है उसके बावजूद हम इक्कीसवीं सदी में किस हालत में पहुंचेंगे इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है "Into which we enter, please remember, as one of the poorest, most illiterate countries in the world." क्या हम इस तरह से पहुंचना चाहते हैं इक्कीसवीं सदी में ?

श्री अध्यक्ष : भानूवा साहब, आधा मिनट और है....।

डॉ. शंकरलाल भानूवा : अध्यक्ष महोदय, मेरे लिए थोड़ा.... -

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनें, बहुत तैयारी करके आये हैं।

डॉ. शंकरलाल भानूवा : अध्यक्ष महोदय, एक पाकिस्तानी इकॉनामिस्ट ने उसका जो उद्धरण दिया और बहुत अच्छे विचार व्यक्त किये कि हमारी दुर्दशा के क्या कारण हैं और उन्हे दूर करने के प्रयास कैसे करें। पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाल और भारत दुनिया के पिछड़े देशों में भी बहुत पीछे रह गये। उन्होंने "हैमाल्ड" जो एक साउथ एशियन मैगजीन है, उसमें लिखा है कि हमारी जो सिचुएशन है "Their average adult literacy rate is 55 percent..." सारे रीजन की लिटरेसी रेट 55 प्रतिशत है जबकि हमारी कुमुलेटिव लिटरेसी रेट 47 प्रतिशत है और उसमें बांगला देश भी आ गया। इस रीजन में करीब 300 मिलियन पीपुल की लिटरेसी की यह सिचुएशन है। उसने आखिर में लिखा है....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

डॉ शंकरलाल भानूवा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि....

श्री अध्यक्ष : आप यह सब पत्र में लिख कर प्रकट कर दें। श्री हरिसिंहजी (महुआ)। (अनुपस्थिति)

डॉ. शंकरलाल भानूवा : इस पीड़ा को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आप इसको लाइटली ले रहे हैं.... ।

श्री अध्यक्ष : मैं लाइटली नहीं ले रहा हूं। मैं तो समय पर ले रहा हूं।

डॉ. शंकरलाल भानूवा : अध्यक्ष महोदय, समय तो बहुत बीत गया, पचास साल बीत गये और अभी भी हमारी यह हालत हो रही है। गांवों में जाते हैं तो पता लगता है। गोबर लिये हुए लड़कियां मिलती है, जो पढ़कर कलक्टर बनती...(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : राजेन्द्रजी पारीक। माननीय सदस्य कृपया बात न करें।

डा. शंकरलाल मानूदा : दिल में दर्द होता है इसलिये निवेदन कर रहा हूं। यदि यही स्थिति रही तो हम किसी तरह भी आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने जो बात लिखी है वह थोड़ी ध्यान देने योग्य है, In the same articale, he points out that although... सब लोग कोरिया और मलेशिया का एक्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि इनका डवलपमेंट हो गया, दूसरे साउथ एशिया के देश जो हमसे बहुत पीछे थे वे भी हमसे आगे बढ़ गये। उन्होंने कारण लिखा है कि वे कैसे आगे बढ़े "...although all the South Asian countries dream of being South Korea they ignore the vital faet that South Korea invests...."

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें। माननीय राजेन्द्रजी पारीक।

डा. शंकरलाल मानूदा : साउथ कोरिया की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं "... South Korea invests $ 130 per head per year..."

श्री अध्यक्ष : आपकी बात बहुत अच्छी है, इसको आप चिट्ठी लिखकर सबको सर्कुलेट करवा दें।

डा. शंकरलाल मानूदा : माफी चाहता हूं पारीक साहब, आप तो बहुत बोलते हैं, South Korea invests $ 130 per head on the education, मलेशिया एक छोटा-सा देश है लेकिन वह 128 डालर पर हैड शिक्षा पर खर्च करता है और हम 9 डालर खर्च करते हैं। कहां 9 डालर और कहां 130 डालर, This is the reason. This is the root cause of poverty in India. अगर इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तो कोई चान्स नहीं है हमारे आगे बढ़ने का, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अब बिराजें। माननीय मानुदाजी 10 मिनट हो गये हैं।....मैं मजबूर हूं आज वरना और बुलवाता मैं आपको।

डा. शंकरलाल मानूदा : मजबूर हैं तो अध्यक्ष महोदय इसको देख-देख कर मैं रोता हूं....

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा जैसे महती विषय पर आज चर्चा है और उसमें भी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा तीनों पर और समय का इतना अभाव है कि कोई बहुत ही उच्च क्षमता और उच्च मस्तिष्क का व्यक्ति होगा जो इन तीनों का सार निकाल कर 5 मिनट में रख दे तब तो सम्भव हो सकता था लेकिन फिर भी अपनी अल्प बुद्धि से जो कुछ बन पड़ेगा मैं कोशिश करूंगा। और मैं इस प्रथम कड़ी में प्राथमिक शिक्षा के माननीय मंत्री माननीय श्री नाथूसिंह जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि

(श्री राजेन्द्र पारीक)

यह वह नींव का पत्थर है जिसकी बागडोर आपके अपने हाथ में है। आपके जो मापदण्ड शिक्षा के प्राथमिक विद्यालय खोलने के हैं उनके विषय में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपके मापदण्ड भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल होने चाहिए। कहीं तो सड़क का ऐसा माध्यम होता है जहां दूर-दूर तक प्राइवेट इन्सटीट्यूशन्स भी होते हैं, गवर्नमेन्ट के इन्सटीट्यूशन्स भी होते हैं और कई क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जहां उस ढाणी के इर्दगर्द कोई विद्यालय नहीं होता है और चूंकि आपके मापदण्ड में नहीं आता इसलिए आप वहां पर विद्यालय खोलते नहीं और यदि आप खोल भी देते है तो बढ़ती हुई जनसंख्या का जो दबाव है वह आपकी उन सारी व्यवस्थाओं को निगल जाता है और फिर परिस्थिति वो की वो बनी रहती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपकी जब भी प्राथमिक विद्यालय खोलने की कोई योजना हो तो आप ऐसे क्षेत्रों का चयन करें जहां, आपको उसकी आवश्यकता का अधिक महत्व हो। मेरा आपसे विशेष आग्रह है इस बारे में।

माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय. मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और चन्द बिन्दुओं की ओर आपसे निवेदन भी करूंगा कि बहुत लम्बे समय से लम्बित कुछ ऐसे प्राथमिक विद्यालय जिनके बारे में आप हर बार संबंधित विधायकों को पत्र लिखते हैं और उनसे आपका यह आग्रह होता है कि आप अपने क्षेत्र के ऐसे विद्यालयों के बारे में सूची दे जो प्राथमिक से क्रमोन्नत होने हैं और विधायक अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं के अनुसार आपको अपनी सूची भी प्रेषित करते हैं लेकिन उसमें कई बार यह महसूस होता है कि आपकी प्राथमिकताएं और विधायकों की प्राथमिकताएं अलग-अलग हो जाती हैं। विधायक उस क्षेत्र से चुनकर आता है और उस क्षेत्र की कौनसी प्राथमिक शाला कितनी महती स्थिति में है, कितनी अहम स्थिति में है—मैं समझता हूं कि इसकी पूरी की पूरी जानकारी उस विधायक से ज्यादा मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। इसलिए आप जब भी इस तरह के विद्यालय खोलें उससे कम से कम आपका एक निश्चित दायरा होना चाहिए कि जो विद्यालय पचास-पचास बरसों से और चालीस-चालीस बरसों से प्राथमिक श्रेणी में ही आज तक चले आ रहे हैं कम से कम ऐसे विद्यालयों को तो यथाशीघ्र क्रमोन्नत करना चाहिए। क्रमोन्नत नहीं होने से उस क्षेत्र में जहां आज पचास साल से प्राथमिक विद्यालय चला आ रहा है यह इस बात का तो सबूत है ही कि उस क्षेत्र की जो भौगोलिक परिस्थिति है, वहां के लोगों का जो रहन सहन है वह इतना कमजोर है कि वह प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स, के रूप में भी कोई मिडल स्कूल वहां पर नहीं खोल पा रहे हैं। यदि उनकी अपनी हैसियत होती तो निश्चित रूप से आपका इन्तजार किये बिना वह लोग वहां पर अपने यहां मिडल स्कूल का कोई न कोई बन्दोबस्त करते और ऐसी हालत में आप तो स्कूल नहीं खोलें और वहां पर मिडल स्कूल की व्यवस्था नहीं हो तो उच्च

(श्री राजेन्द्र पारीक)

शिक्षा में आप माननीय शिक्षा मंत्री महोदय तीन-तीन महिला महाविद्यालय खोलने की जो बात कर रहे हैं इनकी नींव तब लगेगी जब मिडल स्कूलों के स्तर पर गांव में और खास तौर से ऐसे क्षेत्रों में जहां उस प्राथमिक शिक्षा का, भले ही वह विद्यार्थियों का हो या महिलाओं का हो आप ज्यादा से ज्यादा वहां पर उन लोगों को सुविधाएं देंगे तब जाकर आपकी यह स्थिति बनेगी। अभी सरकार ने जो 600 विद्यालयों के लिए प्रावधान रखा है तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि इस विधान सभा में 200 विधायक हैं आप तो निर्विवाद रूप से तीन-तीन विद्यालय हर विधायक को अलाट कर दीजिए। इससे न तो आपके ऊपर यह दबाव रहेगा कि आपने किसी राजनैतिक आधार पर या किसी व्यक्ति विशेष के दबाव के आधार पर विद्यालय खोले हैं। तो कम से कम आपका कोई न कोई तो दायरा निश्चित होना चाहिए।

माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय समय इतना कम है कि लग ही नहीं रहा है कि क्या कहें क्या न कहें। मतलब यह है कि बोलने में भी प्राथमिकता तय करनी पड़ रही है। माननीय प्राथमिक शिक्षा मंत्री महोदय, मैं कई बरसों से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सीकर में एक हिन्दी विद्या भवन स्कूल है। आज कम से कम 1-2 करोड़ की वह प्रापर्टी है। प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन के रूप में वह चलता था। उसका मैनेजमेन्ट उस इन्स्टीट्यूशन को छोड़कर अलहदा हो गया और आज वह विद्यालय बन्द होने की स्थिति में है। आपको स्वयं को भी इस बात का इलम है कि यदि राजस्थान में प्राइवेट इंन्स्टीट्यूशन्स की भूमिका महती नहीं होती तो सरकारी साधनों से आप इस राजस्थान की शिक्षा का और खास तौर से यह जो आपका संकल्प है कि सन् 2001 तक आप इस राजस्थान प्रदेश में सम्पूर्ण साक्षर होने की स्थिति में होंगे। तो यह स्थिति केवल आपके अपने प्रयत्नों से नहीं चल पा रही है। प्राइवेट और जो दानदाताओं के इन्स्टीटयूशन्स हैं इसमें उनकी भी अहम भूमिका है। कुछ परिस्थितियों में ही जब आपको ऐसा लगता है कि दानदाता उस विद्यालय को उस इन्स्टीट्यूशन को चलाने की स्थिति में नहीं हैं तो ऐसे में आपको यह समझना चाहिए कि जहां एक ओर इतने बड़े दबाव को दानदाताओं द्वारा कम किया जा रहा है वहीं किसी एक विद्यालय विशेष के लिए आपको चाहिए कि कैसी भी परिस्थितियां हो, आपके ऊपर चाहे कितना ही फाइनेन्शल बर्डन हो, आपको निश्चित रूप से उस मामले में दखल करना चाहिए अन्यथा क्या होगा कि दानदाताओं की भी इसमें रुचि कम हो जायेगी। दानदाता अपनी परिस्थितियों के हिसाब से एक स्कूल खड़ी कर देता है लेकिन यह तो जरूरी नहीं कि हर वक्त उसकी वही स्थिति रहेगी। वह आज जो करोड़पति है वह आगे आने वाले बीस वर्षों के बाद भी करोड़पति होगा। उसने एक अच्छा विद्यालय आपको बना कर

(श्री राजेन्द्र पारीक)

दिया है और वह विद्यालय यदि आर्थिक कारणों से बन्द होता है तो मैं समझता हूं कि यह न केवल सरकार की विफलता होगी बल्कि दानदाताओं द्वारा जो आगे बढ़कर शिक्षा जगत के माध्यम से सरकार पर जो आर्थिक दबाव पड़ता है उसमें भी वह अपनी भागीदारी निभाते हैं। आप इस मामले में निश्चित रूप से गौर फरमायेंगे।....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारी स्तर पर जो हस्तक्षेप होता है इन्स्टीट्यूशन्स के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : .....इन्डीविजुअल पार्टी पालिटिक्स होती है और उनकी अपनी निजी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं कि उनको लेकर सरकारी स्तर पर आप जो प्रशासक नियुक्त करते हैं उस प्रशासक की नियुक्ति से पहले कम से कम मैनेजमेन्ट कमेटी से है, पक्ष और विपक्ष दोनों हैं, उनको बुलाकर कम से कम सुनने का तो प्रयत्न जरूर करें। अब सीकर का ही उदाहरण ले लें। उसमें आपने प्रशासक नियुक्त कर दिया ...

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ

श्री राजेन्द्र पारीक : ....माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट तो फिर दस मिनट हो जायेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : ....आज जिस तरह से उच्च शिक्षा जगत में विश्वविद्यालयों के माध्यम से जो एक राजनैतिक माहौल बन रहा है, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, यह माहौल न केवल राजस्थान की जनता के लिए घातक होगा बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि यह परिस्थितियां धीरे-धीरे एक विषवृक्ष के रूप में पनपेंगी और आपके लिए भी चैलेन्ज के रूप में खड़ी हो जायेंगी। मेरा आपके माध्यम से सिर्फ इतना सा ही निवेदन है कि आपको यदि यह लग रहा है कि विश्वविद्यालयों में अनियमितताएं हो रही हैं, विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों में अनियमितताएं हो रही हैं, विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं तो क्यों नहीं आप एक ऐसी वार्ता का आयोजन करें जिसमें बैठकर उस विश्वविद्यालयों से संबंधित लोग आपके समक्ष होंगे और असेम्बली के माध्यम से माननीय विधायकगण जो आप पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं वह भी उस वक्त उपस्थित होंगे। दोनों पक्ष मिलकर अपनी बात कहेंगे तो मैं समझता हूं कि आगे जो परिस्थितियां बन रही हैं इनसे निश्चित रूप से इजाद मिलेगी और हमारी शिक्षा का स्तर जो अच्छी स्थिति में बना है यह भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो मेरा आपसे इस मामले में विशेष आग्रह है कि आप भी अपने महार्थियों को कम से कम पाबंद करें कि वह आकर किसी दूसरे विश्वविद्यालय या कुलपति के ऊपर भी आरोप

(श्री राजेन्द्र पारीक)

लगायेंगे और इधर कोई माननीय विधायक खड़े होंगे वह आपके ऊपर आरोप लगायेंगे। तो कम से कम आज जो यह परिस्थितियां बन रही हैं उसमें बजाय यह करने के कि हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगायें...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : ....उच्च शिक्षा जैसे महती कार्यक्रम में हमें बैठ करके आपसी वार्तालाप करके ऐसा एक निर्णय लेना चाहिए जिसमें न नियुक्तियों में अनियमिततायें हों, न वित्तीय अनियमितताएं हों और आज जो शिक्षा जगत का वातावरण बिगड़ रहा है इसमें भी अंकुश लगे। आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री पराक्रमसिंह।

श्री पराक्रमसिंह (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की मांग पर मैं अपने आपको जोड़ते हुए सबसे पहले तो मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेवाड़ अंचल में उदयपुर के अन्दर इंजीनियरिंग कालेज खोल करके हमारी बरसों की मांग पूरी की। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने सिर्फ अभी मेकेनिकल इंजीनियरिंग का ही सबजेक्ट खोला है। मैं समझता हूं कि मेवाड़ अंचल के अन्दर माइनिंग और आज के युग के अन्दर कम्प्युटर का जो महत्व चल रहा है इलेक्ट्रोनिक, फ्रूट एण्ड क्राफ्ट इंजीनियरिंग के भी विषय खोले जायें, यह मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है। साथ साथ एक काम और अच्छा आपने किया उसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हर कालेज में महाराणा प्रताप का चित्र लगाने के लिए आपने को आदेश दिया है, अनिवार्य किया है उससे भी शिक्षा के अन्दर आने वाली पीढ़ी जो प्रताप के चरित्र को लेकर उनके आदर्श की बातें उनके ध्यान में आयेगी। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से स्कूलें खोली हैं, मिडल स्कूलों को क्रमोन्नत किया है उसके लिए तो वह धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन मैं समझता हूं और मानता हूं कि शिक्षकों की कमी है जिसे पूरा करने के लिए पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। ऐसी कितनी ही स्कूलें मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं जहां कि एक-एक सब्जेक्ट के दो-दो टीचर लगे हुए हैं और जो सब्जेक्ट वहां पर है उसका टीचर आज दो साल से नहीं है। इसके ऊपर भी विशेष ध्यान देकर कंसर्निंग सब्जेक्ट के टीचर को लगाने के लिए उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए।

मिडल स्कूलों के अन्दर फोर्थ क्लास की नियुक्ति होती है पर जो नये स्कूल हुए हैं उनमें अभी तक नहीं लगाये गये हैं। उनमें भी लगाने की पूरी कोशिश की जाय।

चूंकि आपने समय मे बांध रखा है इसलिए मैं तीन बातें मेरे विधान सभा क्षेत्र

(श्री पराक्रमसिंह)

की निवेदन करना चाहता हूं। मैं उनसे मांग कर रहा हूं कि आगूचा के अन्दर सैकण्डरी स्कूल है उसे सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत किया जाय। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिला शिक्षा के लिए काफी प्रोत्साहन दिया है, आज आगूचा की हालत यह है कि हर साल 25 से 30 लड़कियों को दसवीं पास करने के बाद में मजबूरन पढ़ाई छोड़कर घर बैठना पड़ता है। वहां सीनियर/सैकण्डरी स्कूल नहीं होने के कारण उन्हें हुड़ा या गुलाबपुरा जाना पड़ता है जहां यातायात के साधन बहुत कम हैं, बसें ओवरलोड आती हैं और आज जिस प्रकार से मनचले लड़के छेड़खानी करते हैं उससे सभ्य परिवार के लोग इस वातावरण में अपनी बच्चियों को आगे पढ़ने नहीं भेजना चाहते। इस कारण हर वर्ष आगूचा ग्राम और आगूचा ग्राम के आस-पास की लड़कियां पढ़ाई छोड़कर अपने घर बैठती हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला शिक्षा के लिए इतना जोर दे रही है, मैं पुरजोर मांग करूंगा कि आपने बजट में शायद यह प्रावधान इस साल कम रखा है पर वर्षों से जो मेरी आगूचा की मांग है उसे इसी वर्ष पूरा करेंगे।

दूसरा, गुलाबपुरा नगरपालिका क्षेत्र है और वहां एक ही सरकारी स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है। नगरपालिका क्षेत्र होने के कारण वहां प्राइवेट इन्स्टीट्यूशंस काफी हैं पर गरीब तबके के लोग उन प्राइवेट स्कूलों के अन्दर ऊंची फीस देकर जा नहीं सकते इसलिए वहां गुलाबपुरा के अन्दर हमारी प्राइमरी स्कूल है उसको मिडल स्कूल करने की अति आवश्यकता है, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाय।

तीसरा, वैसे तो मांगें बहुत है पर जो जरूरी मांग है वही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। रायला के अन्दर डबल शिफ्ट चलती है और आज छोटे बच्चों को नेशनल हाई-वे को क्रॉस करके स्कूल में जाना पड़ता है जबकि गांव के अन्दर प्राइमरी स्कूल है। अगर उसको मिडल कर दिया जाय तो यह भी वहां की जनता को सुविधा मिलेगी।

आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। वन्दे मातरम।

श्री अध्यक्ष : श्री फतेह सिंह जी। आप तो रोज ही बोलते हैं। कम से कम उन सदस्यों का तो देखो जो नहीं बोलते। फतेह सिंह जी आज पहली बार बोल रहे हैं। बोलने दें। शांति बनाये रखें। कृपया सुनें।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा के ऊपर चर्चा हो रही है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा का मूल, जो नींव है वह प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल की नींव अगर मजबूत होती है तो आगे ऊंची कक्षाओं तक लड़कों का भविष्य उज्ज्वल रहता है। इस मौके पर मैं राज्य सरकार या मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि जो हमारी शिक्षा की नींव प्राइमरी स्कूलें हैं वह इतनी कमजोर है कि वहां पर, यानि दोहरी नीति हमारे सामने है। एक तो शहरी क्षेत्र और एक दूर दराज का

(श्री फतेह सिंह)

क्षेत्र। शहरी क्षेत्र के अन्दर जो प्राइमरी स्कूलें हैं वहां पर प्राथमिकता के आधार पर अध्यापकों की बराबर व्यवस्था रहती है और दूर दराज के इलाकों में अध्यापकों की कमी रहती है। उसी का कारण है कि वहीं के हमारे लड़के या लड़की आगे जाकर पर्सेंटेज बना नहीं पाते हैं एडमिशन मिलता नहीं है और वह पिछड़ जाते हैं। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जो प्राइमरी स्कूलें हैं, वह पंचायती राज के अन्दर, पंचायत समितियों के अधीन हैं। अक्सर यह देखा गया है कि पंचायत समितियों में उन स्कूलों को देखने के लिए कहीं एस डी आई नहीं है, कहीं पंचायत समिति के अन्दर साधन नहीं हैं, साधन की कमी है। तो मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एक पंचायत समिति में 200 या 300 प्राइमरी स्कूलें हैं, उन स्कूलों की निगरानी के के लिए स्टाफ की जरूरत रहती है, कहीं एस. डी. आई की जरूरत है और कहीं वाहन की जरूरत है। कहीं कोई ऐसा भी एरिया है, मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़, बागीदौरा और पीपलखूंट पंचायत समिति है। इन पंचायत समितियों के अन्दर जीप की व्यवस्था नहीं है। अब हम यह कहें कि शिक्षा में हम आगे बढ़ें, साक्षरता अभियान चलायें, हर गरीब तबके को हम पढ़ाकर के उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करें जिससे वह गरीबी से उठकर आगे आये, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन पंचायत समितियों में जीप की व्यवस्था नहीं है वहां पर सरकार जीप की व्यवस्था करे तब जाकर के उन प्राइमरी स्कूलों की देखभाल होगी,' अध्यापकों की देखभाल होगी कि स्कूलें बराबर चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। उसके ऊपर निगरानी रखी जायेगी तब जाकर यह हमारी प्राथमिक शिक्षा का स्तर बढ़ेगा।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि दूर दराज के इलाकों में स्कूल ही नही हैं। आपने एक क्राइटेरियां बना रखा है कि इतनी आबादी पर एक प्राइमरी स्कूल खोली जायेगी। उसके आधार पर पंचायत समितियों से आप प्रस्ताव मांगते हैं, प्रस्ताव मांगने के बाद उसकी मंजूरी भी आपने दी हैं मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले के अन्दर 8 पंचायत समितियां हैं। 8 पंचायत समितियों में आपने प्राइमरी स्कूलें खोलीं। प्राइमरी स्कूलें ऐसी जगह खोली हैं जहां पहले से ही प्राइमरी स्कूल आलरेडी चल रही है, पुरानी है। वहीं पर आपने दुबारा दे दी और आपने यह मान लिया कि हमने प्राइमरी स्कूल आदिवासी क्षेत्र में या दूरदराज के इलाके में दे दी। उन स्कूलों में संशोधन करने के लिए राज्य सरकार के पास में, मंत्री महोदय के पास में पंचायत समिति ने दुबारा लिखकर भेजा कि अमुक स्कूल के बजाय अमुक स्कूल स्वीकृत की जाय, संशोधन किया जाय परन्तु आज दिन तक वह संशोधन नहीं हुआ। तो मैं यह उम्मीद करूंगा कि उन प्राइमरी स्कूलों की जो आपने डबल सैंक्शन दी हैं उनमें संशोधन करके उनकी मांग के अनुसार उन शालाओं की नये सिरे से स्वीकृति दें।

(श्री फतेह सिंह)

तीसरा, मेरा निवेदन यह था कि कहीं दूर दराज के इलाके में ऐसे भी रेवेन्यू विलेज हैं और ऐसी भी ढाणियां हैं जहां पर प्राइमरी स्कूल नहीं है। 5-10 किलोमीटर से ज्यादा दूर पर लड़कों को जाना पड़ता है, एक-एक गांव 10-10, 15-15 किलोमीटर पर बसे हुए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपके पास में सर्वे रिपोर्ट है उस आधार पर पंचायत समितियों से जो प्रस्ताव आयें उसके मुकाबले आप उन ढाणियों में, उन रेवेन्यू विलेज में स्कूल खोलने की कृपा करें। यह मेरी मांग है।

चौथा, मेरा निवेदन यह था कि लम्बे समय से राजस्थान के अन्दर कई मिडल स्कूलें क्रमोन्नत हुई हैं, प्राइमरी से मिडल स्कूल में क्रमोन्नत हुई हैं। 1960-61 से लगाकर आज दिन तक कई स्कूलें ऐसी हैं जो अभी तक भी क्रमोन्नत नहीं हुई। उनसे प्रस्ताव मंगायें जाय, एम. एल. एज. लोगों से भी प्रस्ताव मंगाये गये हैं, मैं विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के लिए यह कहना चाहूंगा कि कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में तीन स्कूलें ऐसी हैं जो सन् 1961 में प्राइमरी से मिडल स्कूल में क्रमोन्नत हुई थीं, जैसे रामगढ़ है जहां आपकी आश्रम स्कूल है और कुशलगढ़ से 15 किलोमीटर दूर है। उसके बाद में एक मिडल स्कूल तिमेड़ा है जो कुशलगढ़ से 18 किलोमीटर दूर है। लम्बे समय से ये स्कूलें खुली हुई हैं। उसके बाद पंचायत समिति सज्जनगढ़ के सागवा में जो स्कूल खुली हुई है, उन स्कूलों के लिए मिडल से सकण्डरी में क्रमोन्नत करने के लिए प्रस्ताव आपके पास आये हुए हैं। उनको क्रमोन्नत अभी तक नहीं किया। मैं इस मौके पर मंत्री महोदय से यह मांग करूंगा कि उन स्कूलों को आप क्रमोन्नत करें। इसी प्रकार और क्षेत्र में, दूर-दराज के इलाकों में अगर जहां स्कूल पुरानी खुली हुई हैं और आपको वहां उस क्षेत्र में लड़के-लड़कियों को लाभ दिलाना है तो आप क्रमोन्नत करें, यह मेरी मांग है।

दूसरा मेरा यह निवेदन था, पिछली बार आपने कुशलगढ़ क्षेत्र में महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए दो स्कूलें खोलीं, तामेसरा और बड़वा। आदेश आ गये, स्टाफ भी आ गया उसके बाद में दुबारा राज्य सरकार ने आदेश जारी किया कि इन स्कूलों को हम बालिकाओं में नहीं मानकर बालक में ही क्रमोन्नत करते हैं तो जब लड़कियों ने एडमिशन ले लिया। प्राइमरी स्कूल से मिडल स्कूल में लड़कियों ने यह माना, यहां पर मिडल स्कूल में क्रमोन्नत हुई है कन्या की, इसमें एडमिशन लेने के बाद में इस प्रकार का यह आदेश जारी किया कि इन स्कूलों को हम कन्या में नहीं करके छात्रों में की जा रही है तो मेरा इसमें यह निवेदन है कि उन स्कूलों को आप कन्या में ही क्रमोन्नत करें और उनका जो बजट आपने नहीं दिया है, वह बजट दें।

आगे मैं यह भी कहना चाहूंगा, दूर-दराज के इलाके में लड़कियां पढ़ने नहीं जाती है। आप उस क्षेत्र में गये हैं, आपने देखा भी है। राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में भी आप गये होंगे जहां बैकवर्ड क्लास के लोग रहते है, जो पहले से दबे हुए थे गरीब

(श्री फतेह सिंह)

थे। उस इलाके में आज भी शिक्षा की कमी है। मैं यह उम्मीद करूंगा कि जिस इलाके में लड़कियों को पढ़ाने के लिए प्राइमरी स्कूल, मिडल स्कूल, सैकण्डरी स्कूल नहीं खुले हैं दूर-दराज के इलाकों में, आज शहरों में तो खुली हुई हैं लेकिन दूर-दराज के इलाकों में लड़कियों के लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की है और कई जिलों से और पंचायत समितियों से जो प्रस्ताव आये हैं उन प्रस्तावों पर आप गौर करें। और गौर करने के बाद उस क्षेत्र में लड़कियों को पढ़ाने के लिए आप व्यवस्था करें, यह मेरी मांग है क्योंकि हमने यह देखा कि बांसवाड़ा जिला या डूंगरपुर जिले में महिलाएं इतनी कम पढ़ी-लिखी हैं कि जब उनको किसी सर्विस में जाने के लिये काम पड़ता है तो आरक्षण तो आपने दे रखा है कि महिलाओं को इतना आरक्षण दिया जाना चाहिए लेकिन उसको योग्यता नहीं होगी तो वह उस आरक्षण की पूर्ति कैसे करेगी....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री फतेह सिंह : तो मैं यह उम्मीद करूंगा कि जो आरक्षण की नीति राजस्थान की सरकार ने अपनायी है, उसके मुकाबले में आरक्षण का समाज को फायदा मिले. इस तरह की व्यवस्था, पालिसी सरकार अगर बनायेगी तब तो आरक्षण का फायदा मिलेगा वरना हम यह कहेंगे कि हमने आदिवासी हरिजनों को यह लाभ दे दिया....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री हरिसिंह जी।

श्री फतेह सिंह : ओ बी. सी. को यह लाभ दे दिया तो यह निश्चित रूप से समाज को लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ हमको जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा।

दूसरा, मेरा यह कहना था, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पूरा समय निकला, उसके बाद में मेरे मुंह में इस प्रकार की बीमारी हुई थी कि मैं बोल नहीं पाया था। कुछ मैंने इलाज कराया यहां भी और उसके बाद में गुजरात में जाकर इलाज कराया। मुझे समय दिया है ...

श्री अध्यक्ष : दूसरे माननीय सदस्यों को पांच मिनट दिये है, आपको 10 मिनट दिये हैं पूरे। बहुत लिमिटेड टाइम है वरना तो आप 12 बजे तक बोलते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री फतेह सिंह : मैंने 10 मिनट ले लिये। मैं दूसरी बात कहना चाहता था, जिस इलाके में सैकण्डरी स्कूल में कई तरह की कमियां उसकी आप पूर्ति करेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं, पिछले समय में प्राइमरी से मिडल स्कूल क्रमोन्नत हुई। उन स्कूलों के अन्दर पिओन की व्यवस्था नहीं है तो मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि उन मिडल स्कूल के अन्दर पिओन का काम कौन करेगा? क्या अध्यापक करेगा या कोई लड़का करेगा? शायद उसके अन्दर कोई बजट नहीं दिया है इसलिए मैं यह उम्मीद करूंगा, पुराने समय से जो मिडल स्कूलें खुली हुई हैं उनके अन्दर पिओन की पोस्ट नहीं है, उस पोस्ट को भरा जाये। आपने नयी स्कूलें खोली हैं,

(श्री फतेह सिंह)

उन स्कूलों में आपने पोस्ट दी है और उसमें बजट भी दिया है लेकिन जो पुरानी स्कूलें, जो भी दूर-दराज के इलाके हैं, वहां पोस्ट नहीं है। उसमें बजट अलाट करके उस व्यवस्था को पूरा करें।

कालेज के बारे में कहना चाहूंगा, हमारे बांसवाड़ा या कुशलगढ़ में कालेज की व्यवस्था है लेकिन कालेज के अन्दर, उस इलाके में आप जानते है, कालेज में जितनी योग्यता के प्राचार्य, लेक्चरर्स चाहिए, वे नहीं है। वहां पर रिटायरमेंट के नजदीक वालों को भेजते हैं। वे या तो छुट्टी ले लेते हैं या वापिस इधर-उधर चले जाते हैं और कालेज में जो पढ़ाई होनी चाहिए थी, वह नहीं होती....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें आप। माननीय हरिसिंह जी।

श्री फतेह सिंह : मैं उम्मीद करूंगा, मांग करूंगा सरकार से कि कालेज में जो कमियां हैं, अध्यापकों की पोस्टों की, उनकी पूर्ति की जाये। सैकण्डरी स्कूलों में कमी है, उसकी भी पूर्ति की जाये। मिडल स्कूलों में अध्यापकों की कमी है, उनकी पूर्ति की जाये और प्राइमरी जो हमारी नींव है, वह ठीक करने के लिए सरकार पूरी तरह से व्यवस्था करें, यह उम्मीद करता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री हरिसिंह जी। पांच मिनट।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हां, पांच मिनट ही लूंगा। अध्यक्ष महोदय, आजादी के समय अशिक्षा हमें विरासत में मिली थी सामंती व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था नवाबी व्यवस्था, उस समय शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया था। अभी सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूं जब राज आपको सुपुर्द किया तब तक 32,000 के आसपास प्राइमरी स्कूल कांग्रेस के शासनकाल में खुल चुके थे और और 11,000 के आसपास उच्च प्राथमिक विद्यालय खुल चुके थे और करीब 3215 माध्यमिक विद्यालय और 1200 के आसपास उच्च माध्यमिक विद्यालय खुल चुके थे। कांग्रेस वालों ने भी खोले और आपने भी खोले। यह एक प्रक्रिया है जो हर बजट के साथ चल रही है। मैं आपको भी आरोपित नहीं कर रहा हूं कि आप नहीं खोल रहे हैं। यथा शायद आपका बजट जितना अलाउ कर रहा है आप खोल रहे हैं। हम प्राइमरी स्कूल खोले, मिडल स्कूल खोले....

श्री अध्यक्ष : कोई बात रिपीटेशन कर रहे हैं। अध्यक्ष बैठे हैं यहां। कोई भी बात रिपीट नहीं करें, मैं आपको टोकना नहीं चाहता।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सैकण्डरी स्कूल खोलें, हायर सैकण्डरी स्कूल खोलें अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि हमने क्वान्टिटेटिवली काफी विकास किया है लेकिन क्वालिटेटिवली हमारे विद्यालयों को शैक्षणिक स्तर गिरता चला जा रहा

(श्री हरिसिंह)

है। अभी विश्वविद्यालय के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के समय में यहां सब बातें बहुत खुलासा रूप में, विस्तृत रूप से स्पष्ट हो चुकी है, मैं उन पर सदन का समय नहीं लूंगा। मैं विशेषकर आपसे अनुरोध करूंगा, अगर चरागाह के मवेशी का पेट भरे तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को मानसिक खुराक मिल सकती है। इस कदर अगर हमने प्राथमिक शिक्षा को प्रारम्भिक स्तर पर सही नहीं किया तो बच्चा दिन-प्रतिदिन शिक्षा में कमजोर होता हुआ चला जायेगा। इस पर सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है।

मैं आपसे निवेदन करूं, मैं धन्यवाद देता हूं और आदरपूर्वक स्मरण कर रहा हूं हमारे भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का जिन्होंने पहली बार शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिये एक क्रांतिकारी कदम उठाया और 1986 में शिक्षा नीति घोषित की। उस नीति के तहत सबसे जबरदस्त काम किया कि हिन्दुस्तान भर में हर जिले में एक मॉडल स्कूल, नवोदय स्कूल के नाम से खोला। पूरे हिन्दुस्तान में नीति लागू की कि इस ढंग का यह माडल स्कूल होगा, इस ढंग का शैक्षणिक स्तर होगा, इस ढंग का शिक्षा का कोर्स होगा, उसका सिलेबस होगा। उसके साथ ही उन्होंने शिक्षा को व्यावहारिक शिक्षा व्यवसाय से जोड़ने के लिए व्यावसायिक शिक्षा का श्रीगणेश किया। मुझे तकलीफ इस बात की है कि राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा को इन्टेंशनली धक्के देकर पीछे रखा है। मैं आरोपित करता हूं शिक्षा मंत्रीजी, इस व्यावसायिक शिक्षा जो लक्ष्य निर्धारित था वह सन् 1990 में 10 प्रतिशत बालकों को इस शिक्षा के अन्तर्गत लाना था और आठवीं पचवर्षीय योजना में 25 प्रतिशत बालकों को इस शिक्षा के अन्तर्गत लाना था। आपकी जो प्रगति है उसके मुताबिक में आपसे अनुरोध कर रहा हूं, जब से आपने यह मन्त्रालय सम्भाला है। 90-91 में आपने एक भी व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र नहीं खोला। 91-92 में 20 खोले, 92-93 में एक भी नहीं खोला, 93-94 में एक नहीं खोला और 94-95 में आपने मात्र 10 स्कूल खोले।

श्री अध्यक्ष : यह तो परसादीलालजी पहले ही कह चुके हैं, अब आप क्या रीपीटीशन कर रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं जो अनुरोध कर रहा हूं, वह यह है, अब इसमें सबसे ज्यादा दुर्गति जो हुई है वह यह है कि आज तक आपका शिक्षा विभाग व्यावसायिक शिक्षा के लिए न तो सेलेबस तय कर पाया है और न ही पाठ्यपुस्तकों का निर्धारण कर पाया है और न ही व्यावसायिक शिक्षा के लिए ट्रेन्ड अध्यापक आप दे पाये हैं। जहां भी आपने यह केन्द्र खोल दिये हैं, वहां अध्यापक नही है। उनको पढ़ने का कोर्स नहीं है, उनके पास पुस्तकें नहीं है, विद्यार्थियों को यह तक पता नहीं है कि जो व्यावसायिक शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं उसका क्या ठिकाना है, कोई अता-पता नहीं है। औपचारिक रूप से जो आपके पास शिक्षक हैं वही जाकर उनको कुछ बाते बता देते हैं। तो व्यावसायिक शिक्षा के प्रति आप बिलकुल उदासीन हैं, आपका कोई ध्यान

(श्री हरिसिंह)

इस तरफ नहीं है। सरकार इस मामले में बिलकुल विफल रही है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। समाप्त करें माननीय।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरी तो साहब अभी तीन मिनट हुई है, दो मिनिट बाकी रही है अभी।

श्री अध्यक्ष : मैं लिख कर रखता हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं दो मिनट में आपको कह देता हूं।

श्री अध्यक्ष : कुछ माननीय सदस्य ऐसे भी हैं जिनका नाम नहीं आया है और बाद में दिया है, उनको बुलवाना चाहता हूं मैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, इसी के तहत आपरेशन ब्लेक बोर्ड स्कीम आई, केन्द्र ने पैसा दिया। हर प्राइमरी स्कूल में दो कमरे होंगे। बच्चों को आडियो विजुअल सामग्री उपलब्ध होगी। दो अध्यापक होंगे। आपके पास आपरेशन ब्लेक बोर्ड का सामान आया। 19 करोड़ की आपने परचेज की। माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं किसी प्राथमिक विद्यालय में कोई सामग्री नहीं पहुंची। 19 करोड़ रुपयों का गोलमाल हो गया। उस सामग्री का कोई अता-पता नहीं। आपकी परचेजिंग एजेन्सी कौन सी थी, आपने किन-किन विद्यालयों को वह माल सप्लाई किया, उसका कोई पता नहीं, न आपके दो अध्यापक पहुंचे, न आपने जो प्राथमिकताएं तय की हुई थीं हर स्कूल में प्राथमिकता के आधार पर एक महिला अध्यापक को ज्वाइन करवाया जायेगा, वह भी आपने नहीं किया और ब्लेक बोर्ड का जो पैसा केन्द्र सरकार से आया यह आपने दूसरी-दूसरी मदों में काम में लिया।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री जोगेश्वरजी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इसके साथ ही एक निवेदन थोड़ा सा और अर्ज करना चाहता हूं। एक मिनट सिर्फ।

श्री अध्यक्ष : आप तो रोज ही कह ही देते हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं रोज ही तो बोलता हूं पर एक मिनिट स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय है। टोटल 20.44 प्रतिशत स्त्री शिक्षा है। उसमें से शहरों में 50 प्रतिशत से ऊपर और गांवों में 11 प्रतिशत के आस पास बालिकाएं पढ़ी लिखी हैं। इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं श्रीमती कमला जी को धन्यवाद देता हूं कि जब वह शिक्षा मंत्री थी तब उन्होंने स्त्री शिक्षा को उच्च प्राथमिक विद्यालय, चार सौ विद्यालय आवश्यक रूप से राजस्थान में खुलवाये, एक विधान सभा क्षेत्र में दो जगह। लेकिन आपके मंत्रीजी इस ओर बिलकुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्त्री शिक्षा के लिए आपने कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले। पहले ही हम इसमें बहुत पीछे हैं इसलिए मेहरबानी करके

(श्री हरिसिंह)

इसकी तरफ आप विशेष ध्यान दें। मैं इतना ही अनुरोध करके आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं, आपने समय दिया।

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात मान ली। जोगेश्वरजी।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां सड़क बिजली, पानी जैसी चीजों का सम्बन्ध समाज के, प्रदेश के वर्तमान से होता है वहीं शिक्षा का सम्बन्ध समाज के भविष्य से होता है और जो व्यक्ति अपने भविष्य के प्रति जितना अधिक जागरूक होता है वही व्यक्ति, वही समाज आगे बढ़ता है, समर्थ बनता है, सब होता है। आज यह सदन इस प्रदेश में शिक्षा कैसी हो अगले वर्ष में, कितनी हो, इस बारे में विचार करने के लिए बैठा है। यह विचार करते समय मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा सदन का पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ। मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि शिक्षा विभाग, विशेषकर प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग पिछले दो-ढ़ाई सालों से जो कुछ कर रहा है, गुणात्मक परिवर्तन लाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस विभाग में उनकी अनदेखी हो रही है, उनका मूल्यांकन ठीक से नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कुछ बिंदुओं की तरफ संक्षेप में ध्यान दिलाना चाहूंगा।

इन दो वर्षों में सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी, दोनों ही कक्षाओं में अलग-अलग विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, बोर्ड की परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत में बहुत अच्छी बढ़ोत्तरी हुई है। उदाहरण के लिए सैकण्डरी में 1994 में 56.6 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए थे, उसके स्थान पर 95 में 57.8 हुए और 96 में जाकर 63.55 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। यही स्थिति यदि श्रेणीवार गिनें, प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वालों की स्थिति, द्वितीय श्रेणी प्राप्त करने वालों की स्थिति, उनके आंकड़े यदि निकालें तो बहुत उत्साहवर्द्धक हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाकर केवल एक वाक्य में बस सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी लेने वालों छात्रों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ी है, तृतीय श्रेणी लाने वालों की संख्या प्रति वर्ष घटी है। यह एक बहुत उल्लेखनीय बात है जिसकी तरफ हम सब का ध्यान जाना चाहिए और इस सदन को इन सब बातों को एप्रिशियेट करना चाहिए।

मैं विशेष तौर से उल्लेख करना चाहूंगा, जो मेरिट सूची बनती है अलग अलग विषयों की, सीनियर सैकण्डरी में, टोटल में, उसमें सामान्यतः यह धारणा रहती है कि कौन आयेंगे, पब्लिक स्कूल के छात्र आयेंगे, 0 को लिस्ट है, 8-9 छात्र पब्लिक स्कूल के आयेंगे, एक-आध गलती से कोई सरकारी विद्यालय का आ जायेगा, ऐसी स्थिति रही है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा विशेष तौर से, पिछले वर्षों में जो हुआ है। सैकण्डरी स्कूल परीक्षा में 1994 में 9 छात्र मेरिट में आये, 95 में 10 आये और फिर 96 में 10 आये। यही स्थिति सीनियर सैकण्डरी की भी है। इसमें भी लगातार संख्या बढ़ रही है मेरिट

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

में। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बालकों का मेरिट में आना बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह सब ऐसे ही नहीं हो गया। मुझे याद है जब मैं पहली बार विधायक बन कर आया था 1990 में, जब भी कभी शिक्षा के बारे में बात आती चाहे वह प्रश्न के माध्यम से हो, चाहे ध्यानाकर्षण के माध्यम से हो, चाहे विशेष उल्लेख के माध्यम से हो, चाहे मांग पर बहस हो, बजट पर बहस हो, हमेशा एक ही बात आती थी, मास्टर नहीं हैं, अध्यापक नहीं हैं, पोस्टें खाली हैं, प्रधानाचार्य नहीं हैं, जहां देखो-नहीं हैं, नहीं हैं। आज जब हम राजस्थान का परिदृश्य देखने बैठें, अधिकांश सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में प्रिंसीपल मौजूद हैं, अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक मौजूद हैं, अधिकांश विषयों के अध्यापक मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : दस मिनट तो देंगे ना। दस मिनट से पहले ही निबट जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : दस मिनट नहीं, दस मिनट सम्भव ही नहीं है। उन माननीय सदस्यों को दिया है जो बिलकुल बोले ही नहीं हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैं चाहूंगा कि यह सदन राज्य सरकार को और राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को इसके लिए धन्यवाद दे। तकनीकी शिक्षा में मैं केवल एक बिंदु की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि कल का जो समय है आने वाला समय जो है वह कम्प्यूटर युग है और कम्प्यूटर का काम, कम्प्यूटर का उपयोग दिनों-दिन बढ़ रहा है, बढ़ने वाला है, और अधिक बढ़ने वाला है इसलिये सरकार द्वारा संचालित जितने भी आई. टी आई. है या पोलीटेक्निक हैं या और इस तरह के जितने भी संस्थान हैं उन सब के माध्यम से और कालेजों और स्कूलों के माध्यम से भी कम्प्यूटर शिक्षा पर अधिक जोर देना चाहिए। इस पर मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा।

तीसरी बात अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर कोई नहीं बोला है अभी तक और शायद कोई बोलेगा नहीं, खेल के विषय में मेरी रूचि है इसलिए संक्षेप में थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा उसकी तरफ। पिछले दो वर्षों में उसमें भी बहुत बड़ी उपलब्धियां हुई हैं। जल्दी-जल्दी मैं गिनाऊं, तो पिछले दो वर्ष में विभिन्न खेलों में सौ से अधिक खिलाड़ी राजस्थान से चयनित होकर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित खेल छात्रवासों में गये हैं, सौ से अधिक विद्यार्थी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, खेल मंत्री कहां हैं?

श्री अध्यक्ष : कोई बात नहीं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : खेल मंत्री की बजाय खेल की चिंता करिये माननीय सदस्य। इसी तरह से यह सारे खिलाड़ी जो गये हैं, सौ से अधिक खिलाड़ी जो चयनित हुए हैं वह सारे के सारे हमारे

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

राजस्थान खेल परिषद द्वारा सचालित ग्रामीण केन्द्रों से तैयार हुए थे। विशेषकर ग्रामीण केन्द्रों से। गत वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के 14 खिलाड़ी स्वर्ण पदक लाये हैं, 22 खिलाड़ी रजत पदक लाये हैं, और 22 खिलाड़ी कांस्य पदक लाये हैं। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण पदक हमको मिले हैं राजस्थान को, कुश्ती में और हैंडबाल में। भारत की जो भी टीम है, हैंडबाल में कुश्ती में, तीरंदाजी में, बास्केट बाल में, उन सब में राजस्थान के खिलाड़ी अच्छे स्थान पर है, अच्छी स्थिति बनाये हुए हैं। विशेषकर जनजाति क्षेत्रों में बहुत अधिक उपलब्धि उसमें हुई है।

श्री अध्यक्ष : श्री रूपाराम जी। (अनुपस्थित)। श्री महादेव सिंह जी।

श्री जोगेश्वर गर्ग : यह सारा जो हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सब के बाद में यह निवेदन करना चाहता हूं, सरकार का विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : पूरे दस मिनट ले लिये आपने तो। बिराजें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : इतनी उपलब्धियों के बाद भी जो इस साल हुआ है, अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण है। अन्तिम बात .. (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : इतनी सब बात नहीं हुई ? माननीय सदस्य मेरी मजबूरी समझें आप। 10 मिनट हो गये हैं आपके पूरे। आप 10 मिनट कह रहे हैं तो भी हो गये और वैसे भी हो गये। यों तो फिर.... इसलिए ..

श्री जोगेश्वर गर्ग : केवल एक वाक्य बोल रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष : हां, जल्दी बोलिये आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग : इतनी सारी उपलब्धियों के बाद भी इस बार का बजट का विवरण जब देखा तो खेल की गतिविधियों के लिये जो पैसा दिया गया है वो बहुत कम है और इतना कम है कि ये सारी गतिविधियों लगभग बन्द होने वाली हैं। इस तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं ..

श्री अध्यक्ष : ठीक है। महादेव सिंह जी।

श्री जोगेश्वर गर्ग : खेलकूद की गतिविधियों के लिए पैसा बढ़ाया जाये इसके बिना ये सारी गतिविधियों बन्द हो जायेंगी और ये छात्रावास चलाना मुश्किल हो जायेगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में जो गतिविधियां हुई हैं वो सारी चलनी बन्द हो जायेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। महादेव सिंह जी।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या—24 शिक्षा पर चर्चा हो रही है उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि सम्पूर्ण मानव के विकास के लिये शिक्षा का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस महत्व को ध्यान में रखते हुए आपने 1996-97 के बजट में शिक्षा के लिये सारे राजस्व का 21.80 प्रतिशत जो हिस्सा रखा है उसके लिए तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पिछली बार आपने एक नीति तय की थी कि राजस्थान के हर पंचायत हैड क्वाटर के ऊपर मिडिल स्कूल होगी और उसी के अनुसार आपने पूरे राजस्थान में हर पंचायत हैडक्वार्टर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले। इसके लिये हम आपके आभारी हैं और मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने देखा है, मैंने सुना है कि महिला वर्ग में शैक्षिक वातावरण का अभाव है लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि हमारे शेखावाटी बैल्ट में लड़कों की बजाय हमारी बालिकाएं पढ़ने के लिये ज्यादा से ज्यादा जाती हैं। आज गांवों का वातावरण ऐसा है, गांवों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि गांव के काश्तकार लोग जहां अपने ट्यूबवैल बने हुए हैं वहां ट्यूबवेल पर बस गये हैं और वह गांव से काफी दूरी पर रहते हैं। इसलिये आप जो भी प्राथमिक विद्यालय खोलते हैं उन प्राथमिक विद्यालयों के लिये जो सूची आती है, उसके बजाय आप जनप्रतिनिधियों से भी प्रस्ताव मांगें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही मैं महिला शिक्षा के लिये कहता हूं और हर बार मैंने कहा था कि जिस प्रकार से पंचायत हैडक्वार्टर पर आपने उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले हैं उसी प्रकार से महिलाओं के लिये सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हर विधान सभा क्षेत्र में खोलने की कृपा करें। यह मेरा आपसे निवेदन है। आपको मालूम है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में एक भी महिलाओं की सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। अतः मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि वे खण्डेला और कांवठ दोनों कस्बों के अन्दर बालिकाओं की सीनियर माध्यमिक विद्यालय खुलवायें।

श्री अध्यक्ष : महादेव सिंह जी एक से काम नहीं चलेगा क्या अभी ?

श्री महादेव सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी भी चलती है तो फिर एक ही खुलवा दो। आप एक तो खुलवा दो। मैं इसके साथ ही उच्च शिक्षा मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे बैल्ट में रींगस में महिलाओं का महाविद्यालय उन्होंने खोला है इसलिये हमारी बहनों की शिक्षा के लिये ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिलेगी। पुनः मैं आपके सामने एक और निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी कोई स्कूल नहीं है जहां अध्यापक पूरे हों और बहुत से ऐसे लड़के हैं जो बी. ए. और बी. एड. करके बेरोजगार घूम रहे हैं

(श्री महादेव सिंह)

इसलिए जितने भी बी.ए./बी.एड. लड़के हैं उनको रोजगार देंगे, तो स्कूलों के अन्दर अध्यापकों की पूर्ति होगी। इसी के साथ मैं पुन: शिक्षा मंत्री जी से मांग करूंगा कि खण्डेला में एक सीनियर बालिका विद्यालय खुलवाने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिये धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र जी चौधरी। सारी बातें कह दी थोड़े समय में।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मांग पर चर्चा हो रही है और इसमें मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इस बात का विश्वास दिलाया है कि 2001 तक हम सभी लोगों को साक्षर कर देंगे। हम भी यही चाहते हैं कि उनकी बात सफल हो पर उसके लिए जरूरी है कि बजट प्रावधान क्या किये गये हैं। बराबर शिक्षा का बजट बढ़ रहा है इसके लिये तो शिक्षा मंत्री जी आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने बराबर अपने बजट को बढ़ाया है। इसके लिये बहुत जरूरी है कि हमारी जो शालाएं हम खोल रहे हैं शिक्षा मंत्री जी, उसमें स्थिति यह है कि नयी शाला खोलते हैं प्राइमरी स्कूल में तो फिर भी दो-तीन टीचर मिल जायेंगे आपको। जैसे ही आप मिडल स्कूल खोलते हैं तो आपका एक हैडमास्टर आता है और एक टीचर आता है और यह पंचायत राज मंत्री जी अपने टीचर्स विथड्रा कर लेते हैं तो बहुत दुर्गति होती है उसी 5वीं तक स्कूल की स्थिति तो ठीक ही होती है पर बाद में उसकी हालत खराब होती है। इसलिये आप तत्काल प्रभाव से जो नये मिडल स्कूल खोलें उसमें हैड-मास्टर के साथ तीन टीचर, चार टीचर एक साथ ही आप नये दे दें।

नम्बर-दो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विषय समाप्त कर दिये गये हैं मैंने कई जगह दो साल पहले यहां विधान सभा में निवेदन किया था कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी में भावी एक सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल है, विज्ञान का विषय था वहां पर। पिछले पांच सालों से वहां पर शिक्षा मंत्रीजी न तो कैमेस्ट्री का टीचर, न मैथेमिटिक्स का, न फिजिक्स का और उसके बाद में भी कोई सुधार नहीं हुआ। आपसे निवेदन यहां सदन में भी किया, व्यक्तिगत भी मिला। अध्यक्ष महोदय, आप देखिये उसके बाद में शिक्षा मंत्रीजी ने कुछ निर्णय लिये। शिक्षा अधिकारियों ने मुझसे जोधपुर में पूछा कि आपके यहां पर चूंकि स्टूडेंट्स नहीं है तो क्या आप यहां विषय को हटाना चाहते हैं। मैंने कहा कि मुझे बतायें जब आपके पांच साल से वहां पर टीचर्स नहीं हैं, तो वो स्टूडेन्ट वहां कैसे रहेगा और आपने यह आधार बना दिया कि जहां स्टूडेन्ट्स हैं वहां हम टीचर्स देंगे। अब आप मुझे बतावें कि भावी में पिछले पांच सालों से विज्ञान के कोई टीचर्स नहीं है इसलिए स्टूडेन्ट्स टी. सी. कटा-कटा कर चले गये। अब दूसरे स्कूल का उदाहरण दूंगा रतकुड़िया का। वहां पर फिजिक्स का टीचर नहीं है और आज स्थिति यह है कि हायर

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

सैकण्डरी वहां पर 10 स्टूडेन्ट्स रह गये हैं और वो टी. सी. कटा-कटा कर जा रहे हैं। पिछले पांच सालों से है ही नहीं वहां पर तो अब आप यह कह देंगे कि यहां पर है ही नहीं तो क्या करें, यह तो यहां से हटाना पड़ेगा। यह विषय हटाने का आधार आपका गलत है। आपके टीचर्स होते हुए भी स्टूडेन्ट्स नहीं हैं वहां से आप विषय हटाइये। यह भी मेरा एक सुझाव है।

तीसरा मेरा महत्वपूर्ण सुझाव यह है, अध्यक्ष महोदय, कि जिस तरह से ये प्राइमरी स्कूल्स की बात है इसके अन्दर उदाहरण दिया गया है कि पांच सौ प्राइमरी स्कूल खोल देंगे तो पंचायत राज मंत्री जी आप सबको साक्षर कर देंगे। मापदण्ड आपके पूरे हो जायेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में सभी जगह एक जैसी स्थिति नहीं है। ऐसे गांव भी हैं जहां पर गांव के अन्दर तो आपके 50 लोग ही रहते हैं और ढाणी के अन्दर ढाई सौ आदमी रहते हैं और ढाणियां कोई पांच किलोमीटर है, कोई 6 किलोमीटर है। आपके मापदण्ड यह पांच सौ से कैसे पूरा होगा? इसलिये आप उसके ऊपर ध्यान दीजिये और वहां पर जो ढाणियां हैं उनके अन्दर स्कूल खोल दीजिये और आपके पांच सौ से काम चलेगा नहीं।

एक और महत्वपूर्ण सुझाव मैं देना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि यह जो भाषा के टीचर्स हैं, तो उर्दू भाषा के बारे में मेरा आपसे निवेदन है कि शिक्षा मंत्री जी पीपाड़ के अन्दर उर्दू भाषा का अध्यापक बहुत अर्से से नहीं है तो आप उसकी नियुक्ति करने के बारे में जरूर कार्यवाही करेंगे।

एक मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा मंत्री जी राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर 170 के करीब अस्थायी व्याख्याता नियुक्त हैं और उनकी स्थिति यह है कि उसमें कई लोगों की नियुक्तियां अनियमित हुई हैं और अनियमित नियुक्तियों के अन्तर्गत मैं आपको बिलकुल स्पष्ट उदाहरण दे देता हूं। एक मि. राकेश कुमार झा हैं उनकी बिलकुल गलत मैरिट बनायी गयी और उनको नियुक्ति दे दी गयी और नियुक्ति दी है 28-11-89 को उसके बाद जब हंगामा हुआ तो वाइस चान्सलर ने एक कमेटी बना दी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी 9-12-89 को कि यह बिलकुल गलत नियुक्ति है नन फाउण्ड सुटेबल, उन्होंने रिपोर्ट दे दी कि गलत मैरिट बनायी और उस व्यक्ति ने उच्च शिक्षा मंत्री जी स्टे ले लिया और स्टे लेकर बिलकुल चूना लगा रहा है आपके और लगाने की स्थिति में रजिस्ट्रार ने लिखा 1992 में कि कोई कार्यवाही नहीं हो रही। आज तक उसका स्टे वैकेट नहीं हुआ एक बात। दूसरी जो आपके अनियमित नियुक्त के....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मुझे इन्टरप्शन नहीं करना चाहिये। यह जितने प्राध्यापक आपने विश्वविद्यालय में बताये

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

हैं वे कब लगे हैं यह आप स्वयं सारा देख लें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि डॉ. ग्रो. पी. गुप्ता का जिसको लीव रिजर्व पर लगाया था कोई छुट्टी पर चला गया तीन महीने की उसकी जगह लगाया गया, उसके बाद में, अध्यक्ष महोदय, उनको आज तक नहीं हटाया गया और वो छुट्टी से भी वापस आ गया। आप इसकी जांच करा लें....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : बस एक मिनट में खतम कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के रूटा के अध्यक्ष मि. अशोक शर्मा, जिनसे सारा संचालन और शिक्षा हम ग्रहण करते हैं वो नकल करवाते हुए पकड़े गये। उनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज हुई है, पुलिस थाने के अन्दर और बी. बी. गुप्ता हैं जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने 30 जून को दर्ज की है मिस्टर अशोक शर्मा के खिलाफ जो अपनी भतीजी को नकल करवा रहे थे। वहां के अभिभावकों ने और सभी लोगों ने शिकायत की, यह मैं आपको दे दूंगा। आप इसकी जांच करवा लें।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : इसके खिलाफ कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई है। यह रुटा का अध्यक्ष है।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें। श्री रेवतराम जी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : तो इस तरह से शिक्षा मंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि जो शिक्षकों के पद हैं आपके यहां बहुत भारी कमी है और उनकी कमी की पूर्ति करने से ही शिक्षा में सुधार होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रेवतराम पंवार : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 24 पर चर्चा हो रही है। इसके सम्बन्ध में मैं माननीय शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से। उच्च शिक्षा मंत्री महोदय ने इस साल नोंखा में जो महाविद्यालय खोला है उसके लिए मैं अपनी तरफ से और नोखा की जनता की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। नोंखा में हमारे तीनों वर्ग कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग और विज्ञान वर्ग हैं। वाणिज्य वर्ग और कला वर्ग में एक-एक सैक्शन, एक-एक संकाय खोलने के लिए निवेदन करना चाहता हूं। इसके साथ ही अंग्रेजी ऐच्छिक और गृह विज्ञान के विषय जो नहीं खोले गये हैं उसके सम्बन्ध में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। उसके सम्बन्ध में निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि हमारे जो सीनियर माध्यमिक विद्यालय हैं, नोंखा में गर्ल्स की बालिकाओं की उसमें गृह विज्ञान का सब्जेक्ट है और कालेज में नहीं होने के कारण से वहां की लड़कियां आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से

(श्री रेवतराम पंवार)

महरूम रह जायेंगी। इसलिए उच्च शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन है कि आप जी वैकल्पिक विषय और गृह विज्ञान का विषय खोलने की कृपा करें।

साथ ही मैंने नोखा के लिए आई. टी. आई. कालेज खोलने के लिए निवेदन कर रखा है। हमारे नोखा में आई. टी. आई. कालेज खोलें, काफी बड़ा कस्बा है, 45 हजार की आबादी है। नोखा जो कस्बा टाइप शहर है, बढ़िया है उसमें लड़के भी खूब हैं इसलिए आई. टी. आई. की बहुत आवश्यकता है, खोलने की कृपा करें। इसके साथ ही जैसे दूसरे सम्भागों में इंजीनियरिंग कालेज हैं, मैं बीकानेर के लिए इंजीनियरिंग कालेज खोलने की मांग करता हूं। साथ ही, जो यूनिवर्सिटी का सम्भागवार मानस है, गवर्नमेंट का, उस हिसाब से बीकानेर में यूनिवर्सिटी खोलने के लिए भी निवेदन करना चाहता हूं।

शिक्षा मंत्री महोदय, कटारिया साहब भी विराजमान हैं। इनके द्वारा मेरे क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय जो खोले, उच्च प्राथमिक विद्यालय उनकी आज पोजीशन यह है कि कोई भी ग्राम पंचायत मेरे क्षेत्र में बिना उच्च प्राथमिक के नहीं है। इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। पिछले दो सत्रों में आप द्वारा तीन सैकण्डरी स्कूल खोले गये। लोगों को ग्रामवासियों को सुविधा प्राप्त हुई और जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हुई। नोखा, नगरपालिका क्षेत्र काफी बड़ा है उसमें लड़कियों का मिडिल स्कूल एक ही है। उसमें एक चाचा नेहरू प्राथमिक विद्यालय है जो नोखा के पश्चिम साइड से लड़कियां जब पूर्व साइड में पढ़ाने को जाती हैं, बीच में रेलवे लाइन पड़ती है। रेलवे लाइन के कारण से एक दो बार एक्सीडेंट भी हो गये, बच्चियां एक्सपायर हो गयीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस स्कूल में रश भी बहुत है और एक ही मिडिल स्कूल होने के नाते एक दूसरी स्कूल जो चाचा नेहरू बालिका प्राथमिक विद्यालय है उसको क्रमोन्नत करने की कृपा करें।

बाबा छोटूनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय में बाकी सब्जेक्ट्स तो है, कृषि विषय नहीं है और व्यावसायिक शिक्षा नहीं है। कृषि का वहां बहुत बडा कार्य है, कृषि कुएं हैं, मूंगफली होती है, सरसों, गेहूं होते हैं इसलिए कृषि विषय का वहां उपयोग रहेगा इसलिए कृषि विषय भी खोलें और व्यावसायिक शिक्षा का सब्जेक्ट भी खोलें। जसरासर उच्च माध्यमिक विद्यालय में पिछले सत्र से विज्ञान का विषय था वह बन्द कर दिया। हमारे कालेज में विज्ञान विषय है इसलिए मैं यह चाहूंगा कि जसरासर जो काफी बड़ा गांव है उसमें विज्ञान का विषय रहे ताकि कालेज में जो विज्ञान विषय है उसमें लड़कों की पूर्ति हो सके।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री रेवतराम पंवार : और एक ही निवेदन है साहब वह देता हूं। ग्राम पांचू काफी बड़ा गांव है उसमें माध्यमिक विद्यालय है। उसमें मैं मांग करूंगा सीनियर माध्यमिक विद्यालय खोला जाय

(श्री रेवतराम पंवार)

ताकि सबसे बड़ा गांव होने के नाते उसमें लड़कों को सुविधा मिले, गांव वालों को सुविधा मिले।

श्री अध्यक्ष : श्री भरतसिंह।

श्री रेवतराम पंवार : राठी स्कूल जो है नोंखा में, उसमें छात्र संख्या बहुत ज्यादा है। वह मिडल स्कूल है उसको माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं। एक निवेदन पंचायत राज मंत्री जी से भी करना चाहूंगा कि अध्यापकों की कमी है, पंचायत के जो स्कूल हैं उसमें नार्म्स के हिसाब से दो-दो अध्यापक होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री रेवतराम पंवार : नोंखा में 89 अध्यापक कम हैं। यह 21.9.95 तक की रिपोर्ट है। उसके बाद न तो अध्यापक दिये गये ..

श्री अध्यक्ष : वह आज नहीं है। वह निकल चुकी 15 तारीख को।

श्री रेवतराम पंवार : वह बैठे हैं साहब। शिक्षा का मामला है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं उससे थाड़े ही होता है। आज जिसकी डिमाण्ड है उसी की बात करें आप।

श्री रेवतराम पंवार : नहीं, नहीं शिक्षा का मामला है न साहब इसलिए, प्राथमिक शिक्षा की बात है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। भरतसिंह जी।

श्री रेवतराम पंवार : यह निवेदन करते हुए धन्यवाद।

श्री भरतसिंह (खानपुर) : माननीय अध्यक्षजी, शिक्षा की मांग पर चर्चा करते समय सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने गत दो वर्षों में विभिन्न जिलों का दौरा किया, शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान हेतु जनप्रतिनिधियों से बैठकर चर्चा की और खुद ने प्रयास किया कि इस बिगड़ती व्यवस्था को सुधारा जाय और काफी कुछ सफलता उनको मिली भी है। मगर जिस प्रकार की जितनी भयंकर समस्या है ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर खास तौर से उसमें अभी काफी कुछ काम करना है और मेरे उस सम्बन्ध में कुछ सुझाव भी हैं।

शहर और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की खाई बढ़ती जा रही है और आज काम्पीटिशन के जमाने में एक तरफ अच्छे स्कूलों में बच्चों का शहर में एडमिशन नहीं होता। वहीं उसकी तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर शिक्षा की स्थिति काफी दयनीय है और यही स्थिति रही तो 10वीं तक अधिकांश बच्चे जब एग्जामिनेशन में जाते हैं तो काफी कुछ वहीं निकल जाते हैं, 10वीं के बाद आगे नहीं बढ़ पाते, सीनियर में जाते हैं तो आधे वहां रह जाते हैं और जब कालेज एजुकेशन की स्थिति आती है तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जब ऐसी स्थिति रहेगी तो अधिकांश नौकरियां

(श्री भरतसिंह)

जो ग्रामीण क्षेत्रों में आज हमारे ग्रामीण भाई कर रहे हैं चाहे वे अध्यापक की हैं, चाहे पटवारी की हैं, एक समय वह आयेगा कि गांव के बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला कभी काम्पीटिशन एग्जामिनेशन में वह वहां नहीं आ पायेगा। अधिकांश नौकरियों में चाहे वे पंचायत समितियों के अध्यापक हैं, चाहे आपके शिक्षा विभाग के अध्यापक हैं, सब शहर से ही जुड़े हुए लोग गांवों में जायेंगे और समस्या और बढ़ती जायेगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमारी ग्रामीण शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाय और यह शिक्षा के विभिन्न रूप हैं, अलग-अलग रूप से अलग-अलग शिक्षा के नाम दिये जा रहे हैं। हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं, गांव का आदमी जो अनपढ़ है वह तो और ज्यादा इससे कंफ्यूज हो रहा है। चाहे व्यावसायिक शिक्षा का नाम लें, चाहे अनौपचारिक शिक्षा का नाम लें, चाहे आपके रूटीन के जो शिक्षा के स्कूल हैं, चाहे संस्कृत विद्यालय हैं। ये सब इतने कंफ्यूजिंग हैं। मोटी बात यह है कि जिस भी रूप में यह स्कूल फंक्शन कर रहे हैं उनमें अध्यापक समय पर पहुंच नहीं रहे हैं। स्कूल समय पर खुलते नहीं हैं। उस अध्यापक को अच्छा माना जाता है, गांव के लोग उस अध्यापक की तारीफ करते हैं जो अध्यापक स्कूल में चला जाता है, पढ़ाये या नहीं पढ़ाये वह तो बात अलग है मगर कोई अध्यापक स्कूल में पहुंच रहा है तो गांव के लोग कहते हैं कि यह मास्टर साहब बराबर आते हैं। उसकी तारीफ इसीलिए है कि वह स्कूल में आ रहे हैं। मगर पढ़ाई का जहां तक सवाल है, इंसपेक्शन की आपकी जो व्यवस्था है आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी स्कूलों में इंसपेक्शन के लिए जाते नहीं हैं, जाते हैं तो चूंकि वह भी शिक्षा विभाग से ही सम्बन्धित हैं किसी के खिलाफ कार्यवाही करने में भी हिचकिचाते हैं। जिस प्रकार के आपके यहां संगठन हैं, जिस प्रकार की आपके यहां व्यवस्था है उस व्यवस्था से वे भी डरते हैं। मेरा सुझाव यह है कि आपकी जो इंसपेक्शन प्रणाली है उसको आप सुदृढ़ करें उसमें उन लोगों को लें, आपके डिपार्टमेंट के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके भरोसे आप नहीं छोड़ें। वह लोग जो शिक्षा में अच्छा काम करके रिटायर हो चुके हैं जो अभी भी अपना योगदान देना चाहते हैं, समाज में वे पीड़ित हैं, उस व्यवस्था को जो उनके समय थी और आज के समय समस्या जो बिगड़ गयी है, उनका उपयोग करें और उनका काम ही यही रहे कि वह महीने में 5–25 जगह इंस्पेक्शन करें और उनकी रिपोर्ट की अहम् भूमिका रहे और उसके अनुसार उस पर कार्यवाही करें। अगर इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो शायद सम्भव है सुधार होगा।

आपने जो व्यवस्था कर रखी है प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी स्कूल गांव के अन्दर पंचायत के पास है और मिडिल स्कूल शिक्षा विभाग के पास हैं। इससे भी ग्रामीण क्षेत्र का नुकसान हो रहा है। आप तय कर लें, पंचायत मंत्री तय लें, आप दोनों बैठकर तय कर लें, मुख्य मंत्री बैठ कर तय कर लें। इस व्यवस्था को

(श्री भरतसिंह)

एक तरफ से करें। अगर आप पंचायत से हटाकर शिक्षा विभाग में ले लेते हैं तो भी ठीक है और अगर पंचायत के पास आप रखते हैं तो मिडल स्कूल की एजुकेशन भी आप वहीं रखें। क्योंकि हम पंचायत में देखते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल की क्या स्थिति है और मिडल स्कूल की क्या स्थिति है। मिडल स्कूल का अध्यापक, उसको जब यह मालूम है कि इंसपेक्शन व्यवस्था कमजोर है और उसे यह भी मालूम है कि पंचायत का सरपंच, जन प्रतिनिधि मुझ पर कार्यवाही नहीं कर सकता क्योंकि हमारे ऊपर कार्यवाही हमारा डिपार्टमेंट करेगा, तो पूरी व्यवस्था चरमरा रही है और उसका नुकसान गांव की जनता को उठाना होगा। इसके साथ ही जो भवनों की व्यवस्था है, बहुत भवन इस प्रकार के हैं, मिडल स्कूल जो आपके पास चल रहे हैं, बड़ी दयनीय स्थिति में हैं। विकास विभाग के माध्यम से जो पैसा आता है पंचायत समितियों के अन्दर जो खर्च होता है वह अधिकांश प्राइमरी स्कूलों के ऊपर ही होता है। मरम्मत के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। काफी स्कूल इस प्रकार के हैं जिनके ऊपर जिला कलक्टर ने रिपोर्ट आप लोगों के पास भेज रखी है कि वो बैठने जैसी स्थिति में नहीं हैं। कभी भी वर्षा के समय गिर सकते हैं इस प्रकार जिसमें बैठने के लिये व्यवस्था नहीं हो, उनके लिये आप विशेष रूप से अलग से फंड करें। उच्च शिक्षा मंत्री जी का भी इस मौके पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान के कुछ जिले तुलनात्मक रूप से दूसरे जिलों से पिछड़े हैं। भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है, उन जिलों के लिये चाहे आपने कालेज खोल भी दिये हों, आपको इस बात के लिये बधाई देता हूं कि आपने झालावाड़ में पिछले साल कन्या विद्यालय खोला। मगर स्थिति यह है कि झालावाड़ एक ऐसा जिला है जहां पर जब वर्षा हो जाती है तो मनोहरथाना का बच्चा झालावाड़ तक नहीं आ सकता, इकलैरा के लोग-बाग वहां तक नहीं आ सकते। भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की होने की वजह से यह सौभाग्य की बात है कि आप सार्वजनिक निर्माण मंत्री भी हैं। अगर इकलेरा जैसी जगह में कालेज नहीं खोल सके तो कम से कम इकलेरा और झालावाड़ के बीच आने वाली जो नदियां हैं, उस पर पुल ही बना दें। कम से कम वहां का बच्चा वहां तक पढ़ने आ जाये, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय भरत जी विराजें। श्री किशन गोपालजी कोगटा।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24 शिक्षा, कला और संस्कृति पर वाद-विवाद चल रहा है। इसमें मैं भी हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था किसी देश और राज्य की प्रगति वहां की शिक्षा पर निर्भर है कि शिक्षा का स्तर कैसा है और उसी आधार पर उस देश की प्रगति निर्भर करती है। जब भारत स्वतन्त्र हुआ तब 1951 में साक्षरता की जो पर्सेंटेज थी वो 8.95 थी और यह इस बात का द्योतक है कि हिन्दुस्तान शिक्षा के मामले में विश्व में बहुत पिछड़ा हुआ है और इसी का परिणाम है कि ब्रिटिश लोगों ने यहां राज

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

किया। सन् 1991 में साक्षरता का स्तर 38.5 पर्सेंट बढ़ा है और यह इस बात का द्योतक है कि देश और राज्य शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देकर प्रगति में विश्व में जो देश बढ़ रहे हैं, उसकी प्रगति में शिक्षा के माध्यम से बढ़े। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि पिछले और आज में ...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह विश्व से तो शुरू कर रहे हैं। कब ते दिल्ली आयेंगे और कब वे जयपुर आयेंगे? पांच मिनट में सभी हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। हिण्डौली से चालू करेंगे। बिराजें। हिण्डौली से चालू करेंगे। नहीं तो हिण्डौली रह जायेगी फिर।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इसलिए बोल रहे है विपक्ष के लोग....

श्री अध्यक्ष : अब आप उनका जवाब नहीं दें, अपनी बात कहें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : इनके आंकड़ों से पता लगेगा कि इनके राज में क्या स्थिति थी।

श्री अध्यक्ष : ये सिद्धहस्त हैं डिस्टर्बेंस करने में। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : यह दृष्टिकोण सामने रखते हुए शिक्षा में जहां 85 से 90 तक, मैं केवल 5 साल के आंकड़ों की तुलना करूंगा। जहां 286.27 करोड़ रुपये खर्च किये शिक्षा में वहां 90 से 95 तक 595 करोड़ रुपये खर्च किये। 308.73 करोड़ रुपये 90 से 95 तक ज्यादा शिक्षा में खर्च किये वो 100 पर्सेन्ट बैठता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाह रहा हूं, वही नहीं सन् 1985 और 90 के बीच प्राथमिक शालाएं 1900 खोलीं, इन्होंने, लेकिन 90 95 तक 5,955 प्राथमिक शालाएं खोली। 5 गुणा प्राथमिक शालाएं खोलीं। शिक्षा प्रति इस सरकार की जो दृष्टि है, जो भावना है वो इस बात से प्रदर्शित होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था उच्च प्राथमिक शालाएं जहां 85 से 90 तक 1,951 खुली हैं वहां 90 से 95 के बीच 1,659 उच्च प्राथमिक शालाएं खुली हैं। यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन कर रहा था कि उच्च शिक्षा में जहां 85 से 90 के बीच में केवल एक महाविद्यालय खोला इसके साथ-साथ जहां 90 से 95 के बीच 8 नये महाविद्यालय खोले गये और ऐसे ही तकनीकी शिक्षा में जहां 85 से 90 तक, 90 से 95 के बीच 20 महाविद्यालय खोले गये। इसके साथ तकनीकी शिक्षा में जहां 85 से 90 में 10.51 करोड़ रुपये खर्च किये इसके मुकाबले 90 से 95 के बीच 76 करोड़ रुपये खर्च किये। यह 624 पर्सेन्ट जाकर बैठता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों माननीय ललित किशोरजी चतुर्वेदी जहां उच्च शिक्षा में और गुलाबचन्द जी कटारिया साहब माध्यमिक शिक्षा में जब से आये है, मैं आपके माध्यम से कहना

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति आयी है और क्रान्ति ही नहीं शिक्षा में जो गुणात्मक सुधार हुआ उसके लिये दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा····

श्री अध्यक्ष : मैं भी आपको धन्यवाद दे रहा हूं बैठने के लिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष जहां 500 प्राथमिक शालाएं खुली, 600 उच्च प्राथमिक शालाएं....

श्री अध्यक्ष : माननीय मगराज जी साहब।

श्री किशन गोपाल कोगटा : और 85 माध्यमिक शालाएं और 70 उच्च प्राथमिक शालाएं खोलने का प्रावधान है। लेकिन मैं माननीय गुलाबचन्द जी कटारिया जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या आप 85 माध्यमिक विद्यालय और 70 उच्च माध्यमिक विद्यालय वास्तव से इस साल खोलेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : हां।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा और इनका जवाब दें, अगर नहीं है....

श्री अध्यक्ष : और विजयनगर में भी चांस है कि नहीं, बिराजो आप। बिराजें, बिराजें बोलने का तो समय ही नहीं है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल बजट में जो प्रावधान है....

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री मगराजजी चौधरी।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मैं मेरे क्षेत्र की भी बात करूंगा।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में अब आपने नहीं की तो I will not allow you. यह अब दो मिनट की गड़बड़....। यह सब नहीं चलेगा। मेरे को कइयों को बुलाना है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मैं माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि मेरे क्षेत्र में संस्कृत माध्यमिक विद्यालय खोला, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में चालिया संकण्ड....

श्री अध्यक्ष : आठ मिनट हो जायेंगे माननीय साठ मिनट तक अलाउ नहीं कर सकता मैं।

श्री किशन गोपाल कोगटा : वहां से गणित-विज्ञान का सब्जेक्ट आपने आर्थिक कारण से बन्द कर दिया लेकिन मैं तीन साल से यह कह रहा था माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को कि इसकी जगह जीव विज्ञान खोला जाये क्योंकि वहां गांव में गणित पढने वाले नहीं हैं लेकिन आपने हमारी सुनाई नहीं की और उस विज्ञान विषय को ही समाप्त कर दिया। मैं आपके

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

माध्यम से कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही स्कूल है....

श्री अध्यक्ष : दोनों पड़ौस में हो, आप कह देना। बिराजें आप। माननीय भगराज जी साहब !

श्री किशन गोपाल कोगटा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो पंचायत समिति हैं—एक जवाजा और एक मसूदा। दोनों पंचायत समिति में एक भी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है। 70 पंचायतें हैं उसमें। बालिकाओं की शिक्षा पर इतना जोर दिया जा रहा है, मेरा यह आग्रह है आपके माध्यम से....

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। कृपया बिराजें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम ने कहना चाहूंगा एक माध्यमिक विद्यालय 1958 का है। आज तक उसको अपग्रेड नहीं किया। ऐसे ही एक बरल उच्च प्राथमिक विद्यालय है जो....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी यहां सब कहने से नहीं हो जाना है। बिराजें आप। हो गयी आपकी बात पूरी। भगराज जी चौधरी।

श्री किशन गोपाल कोगटा : वहां लगभग 400 विद्यालय हैं लेकिन उनको अपग्रेड करने के लिये, क्रमोन्नत करने के लिये, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : हो गया। आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। अच्छी तैयारी करके आये हो, धन्यवाद (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : ...सब डिविजन में इंजीनियरिंग कालेज खुले हैं—जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर लेकिन अजमेर डिविजन में इंजीनियरिंग कालेज नहीं खुला। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा माननीय उच्च शिक्षा मन्त्री जी से कि अजमेर में....

श्री अध्यक्ष : बिराजें। अभी और कोई बात याद आ जायेगी फिर बोलने लग जाओगे। बहुत सारी बातें याद आयेगी अभी। कृपया बिराजें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : इस वर्ष इंजीनियरिंग कालेज खोले। इसके साथ-साथ पंचायत समिति मसूदा में आई.टी.आई. कालेज खोलने के लिये आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मन्त्री जी को आग्रह करूंगा कि वो इसी साल खोलें। आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। को-आपरेट, को-आपरेट। ढाई मिनट ज्यादा कर दिया। साढ़े सात मिनट खराब कर दिये।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य, स्वयं शिक्षा मंत्री और आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि राजस्थान में शिक्षा का स्तर पिछले काफी वर्षों से दिनों-दिन गिरता जा रहा है और अब स्थिति बहुत ही शोचनीय हो गयी है। इसका मुख्य

(श्री भगराज चौधरी)

कारण मेरे ख्याल से जैसा कि पहले कहा गया कि पिछले काफी सालों से पंचायत राज संस्था की व्यवस्था होने के बाद में हमने प्राथमिक शिक्षा को पंचायत समिति के अधीन दे दिया। उसके बाद स्थिति दिनों दिन और गिरती गयी। आज हालत यह हो गयी है कि पांचवीं कक्षा तक का विद्यार्थी प्राइमरी स्टेज तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब उच्च प्राथमिक शाला में प्रवेश करता है तो उस समय उसको जोड़ बाकी भी नहीं आती है। न तो शुद्ध हिन्दी लिखनी आती है, न किसी प्रकार का उसका बेसिक ज्ञान होता है। इस तरह की स्थिति आज की स्थिति आज की शिक्षा की हो गयी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि आखिर आप किस प्रकार की शिक्षा देना चाह रहे हैं। एक तरफ तो आप शिक्षा का सार्वजनिकीकरण करने की बात कर रहे हैं दूसरी तरफ उस क्षेत्र में हम नये-नये मापदण्ड अर्जित करने की बात सोच रहे हैं और तब देश को इक्कीसवीं सदी में ले जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन नीचे के स्तर पर जहां आपकी नींव डाली जा रही है शिक्षा के क्षेत्र में, वहां बहुत सी जगह अध्यापक नहीं है और कहीं अध्यापक नहीं पढ़ाते। केवल मात्र स्कूल खोलने से मेरे ख्याल में न तो शिक्षा का स्तर सुधरने वाला है और न वांछित परिणाम निकलने वाले हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां कहीं भी स्कूल खोलें आप स्कूलों के अन्दर छात्रों की संख्या को देखकर, जो भी आपने मापदण्ड तय किये हैं उसके अनुसार अध्यापक लगायें। मेरे क्षेत्र के अन्दर जिन स्कूलों में सौ-सौ छात्र हैं वहां पर बहुत सी जगह एक अध्यापक भी नहीं है। यह हालत कहां है। हमारे पास ग्रामीण लोग आते हैं कि आपने स्कूलें खोल दीं, अध्यापक नहीं हैं। मैं विकास अधिकारी से कहता हूं तो वे कहते हैं क्या करें, सरकार ने बढ़ाने की, लगाने की मंजूरी नहीं दी है। और चेंज करने की जो प्रक्रिया आपने लगा रखी है, उसमें कई प्रकार की दुविधाएं आ रही हैं। मैं चाहूंगा कि जितनी भी आपने स्कूलें खोल रखी हैं और जहां खोलने वाले है उन सारे स्कूलों में आप 2 महीने के अन्दर-अन्दर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आप अध्यापकों को लगा दें।

आज से कुछ साल पहले अध्यापकों को लगाने के बारे में आपने ट्रेण्ड अध्यापक होने की एक शर्त लगा रखी है, चाहे एस. टी. सी. ट्रेण्ड हो और चाहे बी. एड. हो। दुर्भाग्य से राजस्थान के अन्दर बढ़ती हुई स्कूलों की मांग को देखते हुए, अध्यापकों की मांग को देखते हुए हमारे पास इतनी शिक्षण संस्थाएं थी नहीं। इसलिए आपने दूसरे प्रान्तों की काफी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता दे रखी थी, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की। उनको मान्यता देने के पश्चात् हमारे यहां के जो युवक अध्यापक बनना चाहते थे, आगे पढाई करना नहीं चाहते थे, उनकी हालत नहीं थी उन विद्यार्थियों ने बाहर जाकर उन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अपना एडमिशन ले लिया, पत्राचार के जरिये उन्होंने अपनी

(श्री मंगराज चौधरी)

डिग्री अथवा डिप्लोमा लेने की कोशिश की उसके पश्चात् मालूम पड़ा कि आपने उन संस्थाओं को बाद में डि-रिकाग्नाइज कर दिया और डि-रिकोग्नाइज करने से पहले पहले आपने एक बार उनको लगा भी दिया। अब लगाने के बाद आपने निकाल दिया इस आधार पर कि चूंकि फलां-फलां शिक्षण संस्थाएं मान्यता प्राप्त नहीं थीं, मान्यता प्राप्त वो थीं, पर वे फर्जी चलती थीं, दैनिक रूप से नहीं चलती थीं. बराबर ढंग से शिक्षण नहीं देती थीं। इस प्रकार से मेरे ख्याल से राजस्थान के अन्दर करीबन 200 अध्यापक है जो एक बार लगने के बाद, 3-3, 4-4, साल तक अध्यापक रहने के पश्चात वापिस उनको निकाल दिया। मेरा सुझाव है, आप उस पर विचार करें। मेरे ख्याल से गलती उनकी नहीं है, गलती तो आपकी है, सरकार की है। आपने इस प्रकार की फर्जी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता क्यों दी जब दे दी तो, आपके विश्वास पर इन शिक्षण संस्थाओं में उन्होंने एडमिशन ले लिया और उसके बाद डिग्री, डिप्लोमा ले लिया, लेकिन अब मालूम पड़ा कि वे तो उचित ढंग से काम नहीं कर रही थीं, ढंग से ट्रेनिंग नहीं दे रही थीं, आपके लिए उपयोगी प्रशिक्षण ग्रहण नहीं किया तो ऐसी स्थिति में उनको निकालने के बजाय आप उनको दुबारा लगा लीजिये। मगर जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है, आप छुट्टियों के दिनों में एक साल, दो साल, तीन साल में उनको दुबारा ट्रेनिंग देने की व्यवस्था कर लीजिए ? इस शर्त के आधार पर उन्हें आपको दुबारा लेना चाहिए जिससे कि अध्यापकों की जो कमी चल रही है उसमें कुछ पूर्ति करने में आपको योगदान मिलेगा और दूसरा उनको भी दुबारा सर्विस में आने का मौका मिलेगा।

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक साक्षरता का सवाल है, प्रतिपक्ष के हमारे नेता महोदय ने कहा था कि बाड़मेर जिला बहुत पीछे है। मैं मानता हूं बाड़मेर जिला बहुत पीछे है मगर जालोर जिला भी शिक्षा के स्तर में उतना ही पिछड़ा हुआ है, जितना कि बाड़मेर है। इन दोनों जिलों में शिक्षा का स्तर, लिट्रेसी पर्सेन्टेज 18 है जबकि राजस्थान का 38 प्रतिशत चल रहा है। महिलाओं की दृष्टि से भी जालोर और बाड़मेर की स्थिति बहुत ही दयनीय है, केवल मात्र 9 प्रतिशत शिक्षा है।

ऐसी स्थिति में निवेदन करना चाहूंगा कि जो पिछड़े जिले है उन पिछड़े जिलों को शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के दूसरे अग्रणी जिलों के समकक्ष लाने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आप प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं, हम भी बराबर उसको सुन रहे हैं। हमें मन में बड़ी हीन-भावना हो रही है कि हमारा पिछड़ापन कब मिटेगा। मगर इस पिछड़ेपन को मिटाने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है न तो विशेषतौर से आप वहां कोई स्कूलें खोल रहे हैं, न कोई सैकण्डरी स्कूल खोल रहे हैं।

आज भी स्थिति यह बनी हुई है कि 20-20 किलोमीटर के दायरे के अन्दर

(श्री मगराज चौधरी)

वहां पर एक भी सैकण्डरी स्कूल नहीं है, 7-7, 8-8 किलोमीटर के दायरे में.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : बिराजिए । श्रीमती मीनाजी ।

श्री मगराज चौधरी : इसका कारण यह बनता है कि इस वजह से जो छात्र जिनके नामांकन बढ़ाने की बात आप सोच रहे हैं प्राथमिक स्कूल स्तर पर वे बच्चे दाखिला लेने के बाद में और पांचवीं क्लास उत्तीर्ण करने के बाद में जब उच्च प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनको 8–8 किलोमीटर जाना पड़ता है, छोटे बच्चे जा नहीं पाते हैं। यह स्थिति बनी हुई है, इसलिए मैं चाहूंगा कि चूंकि राजस्थान में भौगोलिक कारणों से कहिये या आर्थिक कारणों से कहिये, सामाजिक कारणों से कहिये पश्चिमी राजस्थान की हालत बहुत ही दुभर है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मगराजजी, बिराजिए ।

श्री मगराज चौधरी : हमारे पूर्वी राजस्थान में बरसात भी होती है, कारोबार भी ठीक है, उद्योग-धन्धे भी ठीक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पहले से आगे बढ़ा हुआ है । उसके मुकाबले पश्चिमी राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय, समाप्त करें ।

श्री मगराज चौधरी : जैसा कि माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया था कि जैसे आप 600 उच्च प्राथमिक स्कूलें खोलने जा रहे हैं । इसमें प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 3–3 उच्च प्राथमिक स्कूल दे रहे हैं । मेरा इसमें सुझाव है कि मेहरबानी करके आप 3–3 बराबर स्कूलें नहीं बांटें । (व्यवधान) बल्कि हमको कुछ एक्स्ट्रा स्कूलें हमारे पिछड़ेपन को देखते हुए, हमारे पिछड़ेपन को मिटाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्कूलें हमारे वहां पर खोलें, कुछ ज्यादा सैकण्डरी स्कूल खोलें जिससे कि अलबता धीरे-धीरे, शनैः-शनैः.... (व्यवधान)....

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में प्राथमिक स्कूलों के लिए सौ मीटर के अन्दर पेयजल व्यवस्था नहीं होने पर वहां करने को कहा जिसका मैं स्वागत करती हूं कि स्कूलों में पानी की व्यवस्था उपलब्ध करायें । व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिए ।

श्री मगराज चौधरी : शिक्षा के क्षेत्र में जो अग्रणी क्षेत्र हैं, हम भी उनके समकक्ष पहुंच सकें । (व्यवधान) और दूसरा मेरा निवेदन है कि ... (व्यवधान)....

श्रीमती मीना अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं । पंचायत मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि बड़ी पंचायतों में महिला स्कूलें खोली जायं ।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, एक मिनट . (व्यवधान) कृपया समाप्त करें।

श्री भगराज चौधरी : मैं संक्षेप में कह रहा हूं, मान्यवर।

श्रीमती मीना अग्रवाल : गांवों में जहां-जहां भवन बने हुए हैं वहां भी स्कूलें खोली जायं। गांव में टीचर्स नहीं आते हैं, वे ट्यूशन करते हैं, ज्योतिष आदि का धन्धा करते हैं।

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड, मीनाजी।... (व्यवधान) इनको दिक्कत हो रही है।

श्री भगराज चौधरी : आप 500 प्राथमिक शालाएं खोल रहे हैं, यह बहुत कम हैं। आप 600 मिडल स्कूल खोल रहे हैं, यह भी बहुत कम हैं। (व्यवधान) सैकण्डरी स्कूल खोल रहे हैं, यह भी बहुत कम हैं।....(व्यवधान)

श्रीमती मीना अग्रवाल : उस पर भी विचार करें, इसके साथ-साथ में यह भी कहती हूं कि बड़ी पंचायतों में बोर्ड परीक्षा के केन्द्र बनाये जाय। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि आप चाहे मुख्य मंत्रीजी से बात करें, चाहे किसी से बात करें, चाहे कोई और में बजट कम कर लें, मगर मेहरबानी करके शिक्षा के क्षेत्र में हमारा पिछड़ापन मिटाइये। आप ज्यादा प्राथमिक स्कूल खोलें, ज्यादा मिडिल स्कूल खोलें, ज्यादा सैकण्डरी स्कूल खोलें। इससे कम....(व्यवधान)

श्रीमती मीना अग्रवाल : माननीय सदस्य, हमें भी मौका दीजिए। (व्यवधान) आप बैठाइये, अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजिये चौधरी साहब, आप बिराजिये।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का टाइम तो दिया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : बहुत समय दिया है, आपको। (व्यवधान) 7-8 मिनट हो गये।

श्रीमती मीना अग्रवाल : अध्यक्षजी, इनका टाइम नहीं हुआ क्या ?

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में केवल मात्र एक और मांग करके समाप्त करता हूं। मेहरबानी करके आप ज्यादा मिडल स्कूलें खोलें, ज्यादा सैकण्डरी स्कूल हमको दीजिए। मेरे क्षेत्र में 50-50 किलोमीटर की परिधि के अन्दर एक भी हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है, 50-50 किलोमीटर में। कम से कम मुझे एक तो हायर सैकण्डरी स्कूल दें।

श्री अध्यक्ष : मीनाजी, बोलें आप। (व्यवधान) कृपया आप समाप्त करें।

श्री भगराज चौधरी : मेरे पूरे क्षेत्र के अन्दर....(व्यवधान)... हायर सैकण्डरी स्कूल है तथा शेष सारा क्षेत्र खाली पड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती मीना अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बजट में

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

100 मीटर के अन्दर प्राथमिक शालाओं की पेयजल की व्यवस्था नहीं होने पर वह करने को कहा है। जिसका मैं स्वागत करती हूं और निवेदन करती हूं कि स्कूल में पानी की व्यवस्था करिये।

अध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं, समय को देखते हुए मैं छोटे रूप में इनको बोलना चाह रही हूं। हमारे पंचायत मंत्रीजी यहां विराजमान हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहती हूं कि बड़ी पंचायतों में महिला स्कूल खोली जायं गांव में जहां भवन बने हुए हैं, वहां स्कूलें खोली जायं। कई बार गांव में टीचर्स नहीं जाते, ट्यूशन करते हैं या ज्योतिष आदि का धन्धा करते हैं। इसकी जांच कराई जाय। इसके अलावा बड़ी पंचायतों में बोर्ड की परीक्षा के केन्द्र खोले जाय।

अध्यक्ष महोदय, अलवर शहर के अन्दर आज भी पेड़ों के नीचे 10-12 स्कूलें लग रही हैं। इनकी जमीन के लिए नगर परिषद, यू. आई. टी. जिलाधीश को लिख चुके हैं। मगर जमीन की अभी तक व्यवस्था नहीं हुई है। बच्चे बरसात में में और धूप में पढ़ते हैं तथा सर्दी से ठिठुरते रहते हैं। मैं आपके जरिए मंत्रीजी को निवेदन करना चाहती हूं कि कालोनी के पार्कों में थोड़ा सा स्थान दिलाया जाये जिसमें निबंन्ध योजना के अन्दर 1-2 कमरे बनाए जायं जिससे बच्चे परेशानी से बचे रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट स्कूलों ने व्यापार बना रखा है। वे विकास शुल्क, निर्माण शुल्क और प्रवेश शुल्क लेते हैं जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि ऐसे स्कूलों को अनुदान नहीं देवें। प्राइवेट स्कूलों में जो दो महीने की छुट्टी करते हैं, गर्मी के टाइम उस समय टीचर और बस को हटा दिया जाता है मगर वह बस और टीचर की फीस लेते हैं, गारजियन्स से, उसके बारे में भी आप विचार करें। प्राइवेट स्कूल खुद की ड्रेस, जूते, किताबें-कापी, इसके अलावा टाई वगैरह दुकान बताते हैं, जो काफी महंगी रेट्स पर बेचते हैं, इसके बारे में भी आप विचार करें स्कूल कॉलेज के पास गति अवरोधक होने चाहिये क्योंकि कई बार दुर्घटना हो जाती है।

इसके अलावा मैं आपसे एक निवेदन और करूंगी कि स्कूल और कालेजों में आते और जाते समय लड़के और लड़कियों में अश्लील हरकतें होती रहती हैं तो वहां पुलिस की व्यवस्था ऐसे टाइम पर होनी चाहिये, जिससे अश्लील हरकतें नहीं हों। यह मेरा आपसे निवेदन है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं। देश का निर्माता बच्चों को हम मानते हैं इसलिए स्वास्थ्य परीक्षण और स्कूलों में प्रवेश का समय बढ़ाया, निःशुल्क पुस्तकें आदि दी। अध्यक्ष महोदय, स्कूलों में कई बार विकलांग बच्चे पढ़ते हैं मगर वे टीचर विकलांग बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। इशारे से बता नहीं पाते हैं इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि ऐसे टीचरों की अलग से व्यवस्था करें, जिससे वे बच्चे पढ़ पाये। अलवर जिले में खेल के लिये स्टेडियम का मैदान है मगर कुछ समय से टूर्नामेंट वगैरह नहीं होता, जो काम्पीटिशन नहीं

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

होने से लड़के-लड़कियां भाग नहीं ले पाते हैं। इस बारे में भी आप विचार करें। अलवर के अन्दर ऐतिहासिक आर. आर. कॉलेज है, उसमें नींबू और आंवले के पेड़ और स्विमिंग पुल यह सब कुछ बने हुए हैं लेकिन मगर उसकी हालत आज बहुत खराब है। पर्यावरण की दृष्टिकोण से भी। इसलिए उस पर थोड़ा ध्यान देवें। हमारे मंत्रीजी इस समय नहीं हैं इसलिये मैं आपके जरिए कहना चाह रही हूं।

इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाह रही हूं, विधवा, तलाकशुदा महिलाएं या जिनकी अभी-अभी शादियां होती हैं, उनका उनके इच्छित स्थान पर तबादला होना चाहिये, जिससे वह शिक्षा का पूरा लाभ बच्चों को मिले, यह मेरा आपसे निवेदन है क्योंकि महिला बहुत परेशान होती है। अन्त में मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि अलवर में महिला पोलीटेक्निक कालेज खोला जाय। आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरारामजी (धोद), संक्षेप में।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा की मांग पर जो चर्चा चल रही है, उसमें अपने आपको शामिल करता हूं। शिक्षा में सबसे बड़ी जो बात है हमारी सरकार नीति बनाने में रिकार्ड कायम कर रही है। नीतियां भी बनाती है लेकिन सबसे ज्यादा उन नीतियों और दिशा-निर्देशों को तोड़ती है तो हमारी सरकार है जहां तक शिक्षा का सवाल है, हमारे मंत्रीजी शिक्षा में गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाने के लिये बड़ी बातें करते हैं। लेकिन शिक्षा में स्थानान्तरण की जो नीति अबकी बार अपनायी गयी है मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में पहले कभी नहीं अपनायी गयी। यहां हमारे सीकर में खाटू श्यामजी में एक मेला लगाया गया। सब शिक्षा अधिकारियों, मंत्रीजी को किसी अधिकारी पर कोई विश्वास नहीं है और अधिकारियों के साथ जो कुछ हुआ है, वह या तो अधिकारी जानते हैं या मंत्रीजी जानते हैं। यहां ऐसे शिक्षक जिनका रिजल्ट 80 प्रतिशत से कभी कम नहीं रहा लेकिन हो सकता है वे राजनीति में अपने विचार आपके खिलाफ रखते हों, उनका स्थानान्तरण कर दिया गया और उनके आधार पर प्रशासनिक दृष्टि से जबकि व्यवस्थाएं इन्होंने, दिशा-निर्देश में यह दे रखी है कि प्रशासनिक दृष्टि से होगा तो उससे एक्सप्लेनेशन होगा लेकिन कहीं नहीं और दूसरी विशेष रूप से जो परेशानी है, शिक्षा में जो पिछड़े हुए जिले हैं, जहां शिक्षा कमजोर है, जहां शिक्षा अधिक है, वहां के लोग नियुक्तियां लेते हैं। यह केवल जिलों के बीच में नहीं है, एक जिले के अन्दर भी आधा भाग आपको ऐसा मिलेगा जो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। जहां के लोग शिक्षित नहीं होते, वहां नियुक्तियां देते हैं और थोड़े दिन के बाद में जिलों से भी ट्रांसफर होकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और जिले से भी उस साइड में पहुंच जाते हैं, जहां शिक्षा का घनत्व ज्यादा है और निश्चित रूप से उन अध्यापकों

(श्री ग्रमराराम)

में, ऐसे मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्रापको मिल जायेंगे, ग्रापने पिछले सत्र में दिया था कि ग्राठ मिडल स्कूल ऐसे हैं, जिनके हैडमास्टर नहीं है। सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, जिसके दो सब्जैक्ट जिग्रोग्राफी ग्रौर पालिटिकल साइंस का, पूरे साल नहीं है। ग्राप जहां कह रहे हैं ग्रभी विधान सभा में कह रहे थे मंत्रीजी कि 20 लड़के पढ़ने के लिये ग्रायेंगे तो हम सब्जैक्ट खोल देंगे। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की लोसल स्कूल जिसमें जीव विज्ञान के विषय के लिये बार-बार लोगों ने लिखा, मैंने भी ग्रापको लिखा है, 20 नहीं ग्रापको चालीस विद्यार्थी मिल जायेंगे ग्रगर ग्राप वहां बायलॉजी का, साइन्स चल रही है ग्रगर बायलॉजी का खोल देंगे तो चालीस विद्यार्थी मिल जायेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कहां ?

श्री ग्रमराराम (घोद) : लोसल में। कागलवा, जहां ग्रापने वाणिज्य संकाय खोल रखा है, कला संकाय खोल देंगे तो ग्रापको ग्राज चालीस विद्यार्थी मिल जायेंगे। ऐसे विद्यालय, ग्रापने तीन साल में मेरे यहां पर एक भी सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं दिया ग्रौर सीकर से लेकर के दांता तक ग्रौर लोसल तक एक भी सीनियर स्कूल नहीं है ग्रौर पचास किलोमीटर का गेप है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्राथमिक....

श्री ग्रमराराम (घोद) : प्राथमिक की कहां पर कह रहा हू। ग्राप बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। प्राथमिक स्कूल में भी यही हालत है। जहां होना चाहिये, जहां विद्यार्थी होने चाहिये। (व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : बीच में नहीं बोलें। माननीय इनको बोलने दें। मेरे पास....

श्री ग्रमराराम (घोद) : ग्रापने जो डेपुटेशन की प्रथा थी उसको करीब-करीब खतम किया है, उसके लिये तो ग्राप धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन जो पोस्टिंग लेने के बाद वह टीचर येन-केन-प्रकारेण, चाहे उसमें राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप हो, वह वहीं शिक्षा ग्रधिकारी का दबाव हो पहुंच जाते हैं। जहां ग्रापके शिफ्टेड हैं। तो निश्चित रूप मे जो प्रक्रिया ग्राज राजस्थान में, ट्रेंड, जब एक समय था यहां नहीं थे, उत्तर प्रदेश से ग्राते थे, ग्राज यहां ट्रेंड लोग हैं ग्रौर ग्राप उनको नियुक्तियां देना चाहते हैं। फिर कौनसी प्रक्रिया ऐसी जटिल प्रक्रिया सालभर, तीन साल ग्रपनाते रहो, प्रमोशन नहीं हो रहा साहब, जब प्रमोशन होगा तब ग्रापको पोस्टिंग देंगे ग्रौर कौनसे जब टीचर नहीं हो, राजस्थान में उपलब्ध है, उन जिलों में दीजिये ग्रौर सख्ताई से ग्राप जो दिशा-निर्देश निकालते हैं, उन पर स्ट्रिक्टली रहिये। चाहे वह जिलों का मामला हो। चाहे जिलों के ग्रन्दर का मामला हो। जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है मैं निश्चित रूप से उल्लेख करूंगा। मन्त्रीजी, ग्राप ग्रगर शिक्षा में, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, जहां पर रिपेयर का कुछ प्रोवीजन किया गया है लेकिन जो गांवों की स्कूलें हैं, उनको इतना बढाये क्योंकि जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, 1950 से लेकर के ग्राज तक पचास साल से उन पर कहीं

(श्री अमराराम)

भी रिपेयर किसी भी योजना में नहीं हो सकता, चाहे वह ग्रामीण योजना हो, चाहे शहर की इसलिए रिपेयर में जो बिल्डिंग, जो चाहे स्कूलों की हो, श्री कल्याण कालेज जो सीकर जिले का सबसे बड़ा कालेज है, 50-60 साल पहले राजा कल्याण सिंह ने वह बिल्डिंग दी थी। आज तक उसकी रिपेयर, मैं समझता हूं कि पी. डब्ल्यू. डी. भी नहीं करती। पूरे के पूरे कमरे जो नये नहीं बने हैं, पुराने ये सब चूते हैं। वहां पर आपकी जो यू. जी. सी. की लाइब्रेरी बनी थी वह पूरी की पूरी चूती है, पूरी किताबें खराब हो जाती हैं लेकिन रिपेयर के नाम पर एक बजट ...

श्री अध्यक्ष : कृपया, समाप्त करें।

श्री अमराराम (धोद) : और जो आपने कालेज खोलने के लिये, कम से कम एक शर्त इसमें से जरूर हटा दीजिये आप अगर शिक्षा को चाहते हैं तो या तो भवन बनाने वाली या रुपये जमा कराने वाली, एक शर्त हटा देंगे तो शिक्षा को विस्तार मिल सकता है और जहां स्त्री शिक्षा के लिये मेरा निवेदन है कि अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो शहर में जहां गर्ल्स की सीनियर सैकण्डरी स्कूलें हैं अगर आप उसमें प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो उनमें छात्रावास होना चाहिये। जो भी थोड़े-बहुत खाते पीते हैं, उनके मकान होंगे, पैसा भी खर्च कर सकते हैं लेकिन जो गरीब लोग अपनी बच्चों को कहीं कैसे-तैसे पढ़ाकर के वे हायर सैकण्डरी करवाना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : विराजिये। माननीय, समाप्त करें।

श्री अमराराम : वहां अगर छात्रावास नहीं होगा तो न मकान दिला सकते हैं, न खुद का मकान है इसलिये सबसे अधिक लड़कियों की शिक्षा के मामले में यह भयंकर समस्या है ...

श्री अध्यक्ष : आप भी बोलेंगे क्या? श्री शांतिकुमारजी धारीवाल।

श्रीमती मीना अग्रवाल : एक बात मैं भूल गयी।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा है, विराजिये आप।

श्रीमती मीना अग्रवाल : अलवर में आर्ट्स कालेज में 700 सीट की जगह 600 सीट हो गयीं। मैं निवेदन करती हूं कि उसको बढ़ा दिया जाय। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आप भूल तो गयी लेकिन आज समय बहुत कम है। आज समय कम है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। धारीवाल साहब।

श्री अमराराम (धोद) : एक मिनट, खेल का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, दो सैकण्ड लूंगा। जहां तक खेल का सवाल है, राजस्थान में....

श्री अध्यक्ष : मैं ज्यादा लम्बा भाषण नहीं देने दूंगा, शांतिकुमारजी आपको।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं ।

श्री अमराराम : सीकर जिले में चाहे फुटबाल हो, चाहे हैंडबाल हो, चाहे एथेलेटिक्स हो, राजस्थान... (व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : + + + वह नहीं अलाउ है आज ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पांच शब्दों में ...

श्री अध्यक्ष : मेरे को....

श्री अमराराम (धोद) : स्टेडियम की केवल बाउण्ड्री बनकर के और खाली अधिकारी का आफिस बनकर के रह गया (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भीमसेनजी विराजे हुए हैं, रामस्वरूपजी बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप बैठे हैं । प्लीज, हाथ नीचे करें । अब बोलो मत फटाफट ...

श्री अमराराम (धोद) : ... साल के बाद कुछ नहीं हुआ है । मेरा निवेदन है, सांस्कृतिक मंत्रीजी से कि आपने म्यूजियम बनाया है लेकिन आज तक वह शुरू नहीं किया है और उसका उद्घाटन नहीं हुआ । आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद । धारीवाल साहब ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्राथमिक शिक्षा, चाहे आपके कटारिया साहब की हों, चाहे उनकी हो, उस बारे में मैं आपसे विस्तार रूप से कई बार चर्चा कर चुका हूं और जो कुछ मेरे सुझाव थे, मैंने आपको दे दिये । मैं आज आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मन्त्रीजी, चतुर्वेदी साहब से कुछ कहना चाहूंगा और खासकर जिस शहर से आप पधारते हैं और जिस शहर में मेरा निवास है, उस बाबत बात कहना चाहूंगा । कोटा इंजीनियरिंग कालेज में कुछ अपाइंटमेंट्स के बाबत मैंने एक सवाल लिखा है तारांकित (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया, बोलिये नहीं ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह सवाल यह था कि कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज में वर्ष 1994-95 और 1995-96 में किस-किस संवर्ग में कितने-कितने व्यक्तियों को कितनी-कितनी अवधि के लिये अस्थाई या तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया ? जवाब यह आया कि विवरण साथ में मौजूद है । और उसके बाद जो दूसरा पार्ट था उसका जवाब यह आया कि उक्त नियुक्तियों से सम्बन्धित पदों को भरने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये गये हैं । यह सरकारी जवाब है । आप को मैं यह मुलाहिजा कराना चाहता हूं कि रीडर के चार पद, व्याख्याता के 45 पद, लैब असिस्टेंट के 10 पद और 10 ही पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के, तथा डाटा एंट्री लेखा आपरेटर्स, कनिष्ठ लिपिक, असिस्टेंट प्रोटेक्टर, टीचिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल-कम-हेल्पर, टेक्निशियंस,

---

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

सांख्यिकी सहायक, कुल मिला कर के उस एक इंजीनियरिंग कालेज में करीब-करीब 200 आदमी अस्थायी तौर पर तदर्थ, यानि एडहोक बेसिस पर मात्र दो-दो साल से कार्यरत हैं। एडहोक की एक उम्र होती है। अध्यक्ष महोदय, एडहोक अपाइंटमेंट ज्यादा से ज्यादा एक साल के लिये हो सकता है और वह भी नियमों के अन्तर्गत हो सकता है यह अपाइंटमेंट किस तरीके से आप के द्वारा किये गये? आप चेयरमैन हैं न केवल आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, बल्कि इस इंजीनियरिंग कालेज की एक-एक चीज के लिये आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। आप चेयरमैन हैं। और जिन लोगों के आप के न तो इन्टरव्यू लिये गये, मैंने यह पूछा कि इन्टरव्यू कब हुए इनके, जवाब लिखते हैं, देखिये पहला आदमी जिस का आपने मुझे यह जवाब दिया है, खुशहाल सिंह चौहान का लिखा है, आपने उसको रीडर के पद पर अपाइंटमेंट दिया है। मिनियम क्वालिफिकेशन एम-टेक चाहिये जबकि उस उस व्यक्ति की जो मेक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ एम. एससी. है। और यह लिस्ट पूरी इरेंगुलरिटीज से भरी हुई है। साक्षात्कार में बताया गया है, अध्यक्ष महोदय, एक भी आदमी, अलावा उसके दूसरा कोई उपस्थित नहीं हुआ। बुलाया ही नहीं। जिन पदों पर विज्ञापन दिये, यह 200 पद तो मैं वो बता चुका हूं जो तदर्थ और अस्थायी आपने खुद ने अपने जवाब में लिखे हैं और यह चल रहे हैं, कोई 1.8.1994 से, कोई 19.11.1994 से और वगैरह-वगैरह 1994 से और 1995 से ये इतने आदमी चलते आ रहे हैं, यह सारे तदर्थ और अस्थायी हैं। साक्षात्कार के लिये मैंने आप से निवेदन कर दिया, कि निल लिखा हुआ है, यानि कि अकेला आदमी आया। आया क्या, हुकम था आप का। फटाफट नौकरी मिल गयी। यह हाल है उस इंजीनियरिंग कालेज का जिस का....

श्री अध्यक्ष : मिनिस्टर के हुकम नहीं होंगे तो क्या आप के होंगे? विराजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, साहब। बिराजूं कहां, साहब, मैं तो कम्प्लीट कर रहा हूं। अभी तीन ही मिनट हुए हैं मुझे।

श्री अध्यक्ष : तीन नहीं हुए चार हो गये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं घड़ी देख कर के बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : 5 बज कर 59 मिनट से आपने चालू किया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लेकिन मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो कुछ भी हुआ यह कौनसे नियमों के अन्तर्गत आपने किया? तदर्थ का कार्यकाल समाप्त हो चुका लेकिन आपने आज तक उनको बरकरार बनाये रखा। उन लोगों को जो वाकई ही इन पोस्टों के लिये डिजर्व करते थे, आपने उनका हक मारा। न

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

पूरी पोस्टों का आज तक विज्ञापन करवाया न उनको साक्षात्कार के लिये बुलवाया। वो लोग जो इन पदों के काबिल थे आपने उनको नौकरियों से वंचित रखने का एक षड्यंत्र रखा और षड्यंत्र में आप कामयाब हुए। इतने लम्बे समय से और इतनी भारी संख्या में तदर्थ और अस्थायी लोगों से काम करवाया। आपने जिस कांग्रेस के जमाने में, जिस टाइम पर यह इंजीनियरिंग कालेज खोला था, खोलने वालों का जो उस वक्त का मंत्रिमण्डल था, उसके सदस्यों के मन में कितना बड़ा विचार था कि इस इंजीनियरिंग कालेज को हम क्या बनायेंगे लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं क्योंकि हम दोनों, आप और मैं उसी शहर से हैं, कि आज उस इंजीनियरिंग कालेज का क्या स्तर रह गया है। इतने अराजकता के वातावरण इन सब इर्रेगुलरिटीज की वजह से आज वहां पर फैल गया कि कोई दिन ऐसा नहीं होता कि पुलिस अन्दर नहीं घुसती, झगड़े नहीं होते, दंगे-फसाद नहीं होते, गबन के आरोप एक-दूसरे पर नहीं लगते। उसका सत्यानाश कर के रख दिया, जिसके चेयरमैन आप हैं। मुबारक हो आप को।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। आप को भी मुबारक। धन्यवाद। श्री अमरचंद मिढ्ढा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : साहब, मैं बस एक आखरी बात बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरचंदजी मिढ्ढा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आखिरी बात बोल रहा हूं। साहब, वो भी नहीं बोल पायेंगे मैं बोलूंगा।....(व्यवधान).... कम्प्लीट तो मुझे करना ही पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : आप को कम्प्लीट करना पड़ा है मेरे पास समय की सीमा है। साढ़े 6 बजे मंत्रीजी का जवाब लेना है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसी तरीके से एक और आखिरी बात निवेदन करना चाहता हूं। बस एक-दो मिनट की बात है, साहब।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट का नहीं है, शांतिलालजी, 6 मिनट चाहिये आप को। और अब आप नाटक नहीं करो.... (व्यवधान)....

श्री अमरचन्द मिढ्ढा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 24 के ऊपर....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अजमेर यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करना चाहता हूं। आपने वहां पर 6 विभाग ऐसे कायम कर रखे हैं।

श्री अमरचन्द मिढ्ढा : श्रीमान् शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मिढ्ढा साहब, परेशान मत होओ आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वो अध्यक्षजी के हुकम से बोल रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने वहां पर 6 विभाग कायम कर रखे हैं। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड कुलपति को आपने वहां पर बोटनी का डीन बना दिया। और बोटनी का डीन बना दिया, छात्र एक नहीं। और एक ही सब्जेक्ट नहीं कम से कम 6 सब्जेक्ट अजमेर यूनिवर्सिटी में इस तरह के हैं जहां परपूरा स्टाक मौजूद है लवाजमा वहां मौजूद है और छात्र नाम की कोई चीज नहीं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये अब आप। कृपया बिराजें, साढ़े 6 बजे जवाब लेना है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : साहब, आप बात पूरी नहीं कहने देंगे।

श्री अध्यक्ष : और इधर के पांच माननीय सदस्यों को और बोलना है। बिराजें आप।....(व्यवधान)... बहुत बुजुर्ग सदस्य हैं, मैं उनको मना नहीं करूंगा, बैठिये आप। श्री अमरचंदजी साहब।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक तरफ तो आप यह उम्मीद करते हैं कि अच्छे सुझाव आवें, सरकार की कमजोरियां उजागर हों और दूसरी तरफ आप बोलने नहीं दोगे।

श्री अध्यक्ष : मैंने आप को पहले ही कर दिया आप नाटक नहीं करेंगे और समय की सीमा है। बिराजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। बिराजिये।

श्री अमरचन्द मिढ्ढा (सूरतगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आज मांग संख्या 24 के ऊपर श्रीमान् शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पहले तो मैं श्रीमान् कटारियाजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि केवल दो सालों के अन्दर मेरे विधान सभा क्षेत्र में 40 मिडल स्कूल खोले। उसके बावजूद भी 44 ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर ऐसे हैं जहां मिडल स्कूल नहीं हैं, मेरी मंत्रीजी से प्रार्थना है कि जितने भी राजस्थान के अन्दर मिडल स्कूल खुलें, प्रतिशत के हिसाब से मुझे भी उतने स्कूल दिये जायं।

हायर सैकण्डरी और सैकण्डरी स्कूल के लिये कम से कम 15–20 जगह ऐसी हैं जहां 20–20 साल से स्कूल चल रहे हैं पर उसके अन्दर कोई हायर सैकण्डरी या सैकण्डरी स्कूल नहीं हैं, कृपा कर के अगर राजस्थान में स्कूल खोले जायं तो उसमें हमारा भी हिस्सा रखा जाय और गंगानगर जिले के अन्दर आई. टी. आई. का एक कालेज खोला जाय। यह मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह खोलें।

आपकी जो शिक्षा नीति है, आप का स्थानान्तरण का मामला है, मेरे ख्याल से यह शिक्षा नीति करीब-करीब नाकामयाब रही है क्योंकि यह अध्यापक आप के पास जैसी रिपोर्ट नीचे से भेज देते हैं वैसी ही आप आ कर देते हैं, तो इसकी आप कोई न कोई सही व्यवस्था करें।

ग्राम पंचायत के सिवाय कई-कई ऐसे गांव हैं जहां 15–15, 20–20 किलो-

(श्री ग्रमरचन्द मिढ़ढा)

मीटर में न रास्ता है, न सड़क है, न पीने का पानी है और न वहां कोई मिडल स्कूल है। तो इस वास्ते मेरे विधान सभा क्षेत्र में करड़ू एक ऐसा गांव है जहां मिडल स्कूल खोलना ग्रति ग्रावश्यक है, तो मैं ग्राप से प्रार्थना करूंगा कि इन पंचायत हैडक्वाटर्स में हमारे स्कूल कम खोल कर करड़ू के ग्रन्दर एक मिडल स्कूल जरूर खोला जाय। धन्यवाद।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री जुबेर खानजी। (ग्रनुपस्थित)। श्री दीपेन्द्र सिंहजी शेखावत। (ग्रनुपस्थित) श्री रामस्वरूप जी।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : ग्रध्यक्ष महोदय, शिक्षा पर ग्राज यह विचार हो रहा है, ग्राज शिक्षा की बड़ी दयनीय दशा हो गयी है। राजस्थान विश्वविद्यालय जो सारे विश्व में एक महान विश्वविद्यालय माना जाता था ग्राज उसी के व्याख्याता, वहां के कुलपति इस राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण इतने दुःखी हो गये हैं कि उनका जीवन दुखार हो गया है। ग्राक्रमण ग्रौर हमले किये जा रहे हैं उन के ऊपर। ग्राज राजस्थान के विश्वविद्यालय के व्याख्याताग्रों का बाहर एक बहुत बड़ा धरना है जिसमें मैं भी उनकी सेवा में हाजिर था। ग्रध्यक्ष महोदय, दुख की बात है कि ग्रगर इस प्रकार की शिक्षा की दशा हो गयी तो क्या होगा?

इसी प्रकार राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ, जिस के ग्रध्यक्ष हमारे श्री रामचंद्रजी चौधरी हैं वो भी बाहर धरने पर बैठे हैं। इन ग्रध्यापकों के साथ माननीय कटारियाजी ने एक समझौता किया था। जो समझौता किया आपने 13 मार्च, 1996 को कि ग्राप की मांगों को मान लिया जायेगा। जिसमें ग्राप ने संघर्ष के दौरान जो ग्रसत्य मुकदमे किये गये थे उनको वापस लिया जायेगा, यह वादा किया था। दूसरा, ग्रापने कहा था कि संघर्ष के दौरान सक्रिय रहे पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताग्रों से बदले की भावना नहीं रखी जायेगी, प्राध्यापकों को समयबद्ध पदोन्नति का लाभ दिया जायेगा, 80:20 के ग्रनुपात में प्राध्यापक ग्रौर प्राध्यापिकाग्रों की पदोन्नति की जायेगी। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, ग्रापने यह वादा किया था। यह राजस्थान विधान सभा का पवित्र सदन जिसके ग्रन्दर लिखा हुग्रा है "सत्यमेव जयते," सत्य की विजय होती है, ग्रापने वहां पर विश्वास देकर ग्रौर शिक्षा जगत में भी ग्रापने ग्रसत्य बोला, इससे बड़ी दुःख की बात ग्रौर क्या होगी। ग्राज उनको संघर्ष के लिये ग्राना पड़ा है। राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ को बाहर धरने पर बैठना पड़ा। इसलिए मेरा माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि ग्राप कम से कम शिक्षा को तो ग्रसत्य से बचा लो। जब शिक्षा में ग्रसत्य चला जायेगा तो फिर इस शिक्षा का लाभ क्या मिलेगा? गुरु को ब्रह्मा माना जाता था, गुरु को विष्णु माना जाता था ग्राज वह सड़कों पर डोल रहा है, दर-दर की ठोकर खा रहा है, संघर्ष कर रहा है बच्चों को क्या पढ़ायेंगे वह?

श्री अध्यक्ष : अब आप अपने एरिये की कोई बात कहना चाहें तो कहें, ऐसी बात तो रोज ही कहते हो आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं मेरे एरिये पर ही आ रहा हूं। पहले मैं गुरुओं की बात कर रहा हूं जिन गुरुओं ने मुझे यहां तक भेजा है, जिन गुरुओं की कृपा से मैं यहां पर आया हूं। आप सब भी गुरु की कृपा से यहां पर आए हैं–इसलिए पहले उनके दुःख-दर्द को मुझे कहना पड़ रहा है।

इसके साथ मैं अपनी कांस्टीट्यूएंसी के बारे में कहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र से 80 किलोमीटर के पहले कोई भी कालेज नहीं है। माननीय मंत्रीजी, टोडाभीम सारी शर्तें पूरी करता है। बिल्डिंग के हिसाब से और सारी छात्रों के हिसाब से और फैसेलिटी के हिसाब से, वहां पर आप कॉलेज खोलिये। ग्राउण्ड वहां पर मौजूद है। बिल्डिंग वहां पर मौजूद है। छात्रों की संख्या बहुत है। वहां से 80 किलोमीटर दूर कालेज खुला हुआ है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप टोडाभीम में कालेज की स्थापना करायें।

एक आखिरी निवेदन और है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में गुढ़ाचन्द्रजी स्कूल के लिये पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था उस स्कूल के आठ कमरे गिर गये। वह तो भाग्य था कि रात को गिरे अगर दिन में गिर जाते तो, मंत्री महोदय, कितने लालों की जान चली जाती। यह हाल हमारे शिक्षा जगत का हो गया है। आठ-आठ कमरे वहां गिर गये। बच्चों की परीक्षा की आपने व्यवस्था नहीं की। ग्राउण्ड के अन्दर परीक्षा दी है बच्चों ने गुढ़ाचन्द्रजी के अन्दर। आपने वादा किया था कि जब स्कूल खोलेंगे तो मैं भवन बनवा दूंगा, गिरे हुए कमरों को ठीक करवा दूंगा। माननीय, इसी सदन के अन्दर वायदा किया था आपने, बड़े दुःख की बात है जो इधर आन्दोलन कर रहे हैं उनके वायदे से मुकर गये, इधर मेरे वायदे से भी आप मुकर गये। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी। इसलिए अपने वायदे से मत मुकरो या तो शिक्षा मन्त्री रहते हो तो सच बोलो वरना शिक्षा मन्त्री पद छोड़ दो। खाटूश्याम जी में बैठकर स्थानान्तरण करो चाहे कहीं भी जाकर स्थानान्तरण करो। खाटूश्यामजी के चरणों में जाकर आपने इतना बड़ा घोटाला किया है। हमारे जो अध्यापक हैं जिनके स्थानान्तरण के लिये कोई नीति आपने नहीं रखी। रोजाना नीतियां बदलते हो। आपने मुझे पत्र दिया था कि कोई स्थानान्तरण कराना हो तो आप मुझे यह फार्म भरकर दे दो। मैंने फार्म में दो नाम दिये थे। एक नाम था जिसको राष्ट्रपति पदक प्राप्त था। लेकिन बड़े दुःख की बात है वह मुसलमान था, मुसलमान अध्यापक था आज तक उसका ट्रांसफर नहीं हुआ। दस चक्कर मैंने लगा लिये। इतना बड़ा भेदभाव आपका है। इससे बुरी बात और क्या होगी, शिक्षा जगत में भी आपने पार्टी बनाकर रख दी।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री शांतिलाल खोईवाल।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए वह आज कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। इसलिए

(श्री रामस्वरूप मीणा)

ट्रांसफर की कोई नीति तय करो और ईमानदारी से करो यह बदला-बदली नहीं। एक बार जो तय हो गया सो हो गया। बदलो मत अपनी जगह से।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। समय पूरा हो गया आपका। साढ़े छह बजे तक मैं.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे राजस्थान शिक्षा सेवा प्रधानाध्यापक संघ, जिसके अध्यक्ष रामचन्द्र चौधरी हैं, वहां धरने पर बैठे हैं उनकी शर्तों को पूरा करो और धरने को तुड़वाओ जाकर तो आपका और हमारा सदन में बैठना अच्छा है वरना बेकार है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। हो गया बस आपका। श्री खोईवाल जी।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : अध्यक्ष महोदय, समाज को सुसंस्कृत बनाने के लिये शिक्षा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है। मैं उच्च शिक्षा मन्त्री का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि अपने बजटरी प्रोविजन्स में पिछले तीन सालों में जितना प्रावधान रखा है वह वास्तव में सराहनीय है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रतिपक्ष के कुछेक माननीय सदस्यों ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा के प्रति बहुत उदासीन है। अब जिसको बुराई करनी है, जिसको क्रिटिसाइज करनी है, वह तो क्रिटिसाइज करेंगे चाहे आप कितनी ही अच्छाइयां करो।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या उदासीन इसलिए तो नहीं है कि पांचवीं कक्षा तक के सभी बच्चों की शिक्षा के लिये मुफ्त पुस्तकें वितरित की जायें? क्या उदासीनता का चार्ज इसलिए लगाया जा रहा है कि आठवीं कक्षा तक की बच्चियों की शिक्षा के लिये मुफ्त पुस्तकें वितरित की जायें? क्या उदासीनता का चार्ज इसलिए लगाया जा रहा है कि योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर महिला महाविद्यालय खोला जाये? क्या उदासीन इसलिए है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 1990 के पहले केवल 107 प्राइमरी स्कूल थे और इन पांच सालों में 46 प्राइमरी स्कूल और खुले हैं? क्या इस प्रपोर्शनेट में इसलिए उदासीनता का चार्ज लगाया जा रहा है? क्या उदासीनता का चार्ज इसलिए है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 39 मिडल स्कूल थे और पिछले पांच सालों में 18 मिडल स्कूलें और एड हो गयी हैं इसलिए उदासीनता का चार्ज लगाया जा रहा है? दुर्भाग्य यह है कि एकेडमिकली अपनी बात इस विधान सभा सदन के माध्यम से जनता को मैसेज देना चाहते नहीं? क्या हम यहां झांसे देने के लिए, असत्य बोलने के लिये, गलत मैसेज कनवे करने के लिये यहां बैठे हुए हैं? मैं समझता हूं जो अच्छी बात है उसको अच्छी बात कहना चाहिये जो गलत बात है, गलत

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

बात कहने में बिलकुल हिचकिचाहट नहीं करना चाहिये। मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूं। मैं तो एकेडमिक पॉलिटिशियन हूं। जो बात है वही कहूंगा। (व्यवधान) माननीय खेतसिंह जी, आप थोड़ी मेहरबानी करके सुन लें, बाद में बोल लेना।

श्री खेतसिंह राठोड़ (शेरगढ़) : आपको लाभ मिला है, सबको लाभ नहीं मिला। आपके 46 स्कूलें खुल गयीं, आपके इतने ग्रांट हो गयी....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके यहां भी खुले हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके भी खुल गये।

श्री शांतिलाल खोईवाल : आप रुकिये, पूरे राजस्थान में हजारों की संख्या में स्कूल खुले हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनो मेहरवानी करके। मुझे कभी-कभी बोलने का मौका मिलता है।

श्री अध्यक्ष : बोलें-बोलें। कृपया शांति बनाये रखें।

श्री शांतिलाल खोईवाल : मेरा निवेदन यह है कि क्या यह उदासीनता का चार्ज इसलिए लगा रहे हैं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले पांच सालों में 4 सैकण्डरी स्कूलों को सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में परिवर्तित किया है? क्या इसलिए उदासीनता का चार्ज है? क्या उदासीनता का चार्ज इसलिए लगाया जा रहा है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले पांच सालों में 6 सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आप लोग इस बात को कहते नहीं, और सुन नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, समय की सीमा है अभी (व्यवधान)

श्री शांतिलाल खोईवाल : मैं कुछ कड़वी बात भी कहूंगा। आप यह सुन रहे हो कि यह अच्छी बातें कर रहे हैं। मैंने निवेदन किया मैं पालिटिशियन नहीं हूं, एकेडमिकली पालिटिशियन हूं। एकेडमिक पालिटिशियन के नाते मैं सही-सही बात कहने में भी हिचकिचाऊंगा नहीं। मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आकर्षित इस बात के लिये करना चाहूंगा, शिक्षा मंत्रीजी, आप मेहरवानी करके इस बात का जवाब दें कि क्या ऐसी कोई जिला मुख्यालय है जहां तकनीकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है? यदि दुर्भाग्यशाली जिला मुख्यालय कोई है तो वह राजसमंद है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैंने पहले ही कहा अच्छी बातों के साथ-साथ कड़वी बातें भी होंगी तो मैं निश्चित तौर से कहूंगा। उच्च शिक्षा मंत्रीजी जिला मुख्यालय पर पॉलिटेक्निक कालेज की बात छोड़ो, आई. टी. आई. जैसी संस्था भी नहीं है, जबकि हमारे यहां जे. के. इण्डस्ट्रीज हैं, जहां पर तकनीकी ज्ञान के लोगों की आवश्यकता होती है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री शांतिलाल खोईवाल : हिन्दुस्तान जिंक दरीबा माइन्स, जहां पर तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। वह बहुत छोटी-सी बात है। मैं शिक्षा मंत्री, गुलाबचन्दजी कटारिया का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉ. जितेन्द्र जी।

श्री शांतिलाल खोईवाल : एक मिनट और बोलूंगा। एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा मैं मेरे क्षेत्र में एमड़ी पंचायत मुख्यालय है, मुझे कई बातें बोलनी थीं, बोलना यह भी था मुझे वैसे तो कि मेरा एक भी पंचायत मुख्यालय ऐसा नहीं है जहां पर मिडल स्कूल नहीं हो लेकिन एमड़ी पंचायत मुख्यालय जो जे. के. परिसर के नजदीक है, छात्रों की संख्या आठवीं में 150 हैं। मेरा अनुरोध है कि उस स्कूल को आप मेहरबानी करके क्रमोन्नत करें। इसी तरह पनड़िया स्कूल, जो सैकण्डरी स्कूल है, उसको भी क्रमोन्नत करके सीनियर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करें।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि राजनगर में जो सैकण्डरी स्कूल है गर्ल्स के लिये उसमें 170 बालिकाएं हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें। बिराजें माननीय।

श्री शांतिलाल खोईवाल : मेहरबानी करके उस सैकण्डरी स्कूल को सीनियर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं शिक्षा मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरी बात पर ध्यान दें। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : + + +

श्री अध्यक्ष : इसको एक्सपंज कर दीजिये। बिराजें-बिराजें अभी तो।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका ध्यान राजस्थान के लाखों उन विकलांग डीफ एण्ड डम्ब और अंध बालकों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनकी शिक्षा के बारे में किसी ध्यान नहीं गया है। महोदय, राजस्थान की यह स्थिति हो, लाखों बच्चे हैं और अंध विद्यालय की बहुत कमी है। डीफ एण्ड एक मात्र स्कूल है जिसकी व्यवस्था बहुत खराब है। बोलने वालों के लिए तो सब बोलेंगे। जो दर्दनाक स्थिति में है उनके लिए मैं पुरजोर शब्दों में अपील करूंगा कि इस तरह से जो मानसिक रूप से अव्यवस्थित बच्चे हैं, उन बच्चों के लिये शिक्षा का पूर्ण और उचित प्रबन्ध किया जाये।

महोदय, दूसरा प्राइवेट संस्थाओं को आप एनकरेज कर रहे हैं राजस्थान में और दूसरी ओर हजारों प्राइवेट संस्थाएं हैं उनको एक साल गवर्नमेंट ने अनुदान नहीं दिया है। तो मैं निवेदन करूंगा कि उनको अतिशीघ्र अनुदान दिया जाय।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. जितेन्द्र सिंह)

महोदय, तीसरा महत्वपूर्ण विषय मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, सारी शिक्षाओं के बारे में बात हो चुकी है। महोदय राजस्थान के छहों मेडिकल कालेजों यह हालत हो रही है कि गत दस वर्ष से एक भी क्लिनिकल साइड की कक्षाएं नहीं लग रही हैं और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह स्थिति होगी कि आपके सामने डाक्टर्स की ऐसी यूजलैस जेनरेशन आयेगी जो लाखों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करेगी। मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से कहूंगा कि मेडिकल कालेज, कोटा, मेडिकल कालेज, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और एस. एम. एस. मेडिकल कालेज की हालत देखिये जो विश्व के मान्यता प्राप्त संस्थान थे। उनमें दस वर्ष से आपके कक्षाएं नहीं हो रही हैं, लड़के कालेजेज में नहीं जा रहे हैं तो क्या इलाज करेंगे पब्लिक का?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

डा. जितेन्द्र सिंह : महोदय, जब हम पढ़ते थे मेडिकल कालेज के अन्दर। यहां पर एक आडिटोरियम था जहां पर क्लिनिकल साइड की कक्षाएं होती हैं उस पर ताला लगा हुआ है। महोदय, नाच-गानों के लिए किराये पर दिया जाता है वह आडिटोरियम। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि मेडिकल कालेज के जो डवलप्ड थे, स्वास्थ्य मंत्रीजी और उच्च शिक्षा मंत्रीजी, ध्यान दीजिये इस बात पर कि the generation will be spoiled.

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें।

डा. जितेन्द्र सिंह : महोदय, अन्त में एक बात और कहना चाहूंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय का डिसक्शन बहुत हो गया। राजस्थान विश्वविद्यालय का पोस्टमार्टम बहुत हो गया। अजमेर विश्वविद्यालय की क्या हालत है? 150 छात्र हैं मात्र. विभिन्न संकायों में, खर्चा पूरा का पूरा है। महोदय मैं किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना चाहता। गुरुजनों के लिये This House is not a place for this discussion. मेरी अपनी एक आस्था है....(व्यवधान) धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री दलीचन्द जी। (व्यवधान) आप बार-बार बोल रहे हो। यह माननीय सदस्य मुश्किल से एक बार बोले हैं। हर माननीय सदस्य अपना चांस लेना चाहते हैं। बोलने दें इन्हें।

श्री दलीचन्द (दानपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम पंचायत मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारा बांसवाड़ा जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और पहाड़ों-नालों से घिरा हुआ है इलाका है जहां पर हमारे बहुत सारे गांव हैं और वह पांच-पांच, सात-सात किलोमीटर पर फैला हुआ है। वहां कई नदी-नाले आते हैं। पांच-पांच, छः-छः साल के बच्चे वहां जा नहीं सकते। सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि प्राथमिक विद्यालय रेवेन्यू गांव के हिसाब से भले ही खोल दिये लेकिन वह गांव बड़ा होने के नाते वहां पर बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना है कि मजरों में जो प्राथमिक

(श्री दलीचन्द)

विद्यालय खोलनी हैं कृपा करके ऐसी कोई लिस्ट मंगवाकर प्राथमिक विद्यालय खोली जायं।

इसके साथ ही मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारा बांसवाड़ा जिला बैकवर्ड इलाका है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, पंचायत समिति पीपलखुर्द ऐसी पंचायत समिति है, इतना डेंजर इलाका है कि पूरी पंचायत समिति में दो तो माध्यमिक विद्यालय और दो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं बाकी दानपुर से पीपलखुर्द तक 60-65 किलोमीटर तक बीच में कोई उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं किया है और माध्यमिक विद्यालय नहीं है तो मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इसका क्षेत्र थड़ीटेसपुर में पड़ता है तो कृपा करके थड़ीटेसपुर में एक माध्यमिक विद्यालय खोलें।

मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अभी ढाई साल में मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया है। दूसरे, मेरे विधान सभा क्षेत्र में इन दो-ढाई साल में 27 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करके वहां के बच्चों को पढाने की सुविधा उपलब्ध करायी है। मैं इसके लिए मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत सारे पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जिनमें मिडल स्कूल खोलने बाकी हैं। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि कम से कम पंचायत स्तर पर हर पंचायत पर मिडल स्कूल खोलने चाहिए।

इसके साथ ही मेरा एक और निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी तक बालिकाओं के लिए को स्कूल नहीं है। एक है जो बांसवाड़ा के पास है खांदूकालोनी में एक बालिका माध्यमिक विद्यालय है। इसके अलावा दूर-दूर तक बालिका विद्यालय नहीं है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पुरजोर निवेदन करूंगा कि कम से कम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में एक बालिका माध्यमिक विद्यालय खोलने की व्यवस्था करें ताकि हमारी बालिकाओं को वहां शिक्षा मिल सके और वह आगे बढ़ सकें।

अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत आठ है और आज तक भी वहां बालिकाओं के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पायी है बालिकाएं नहीं पढ़ पाती हैं। और बालिकाएं अगर पढती हैं तो केवल पांचवीं तक। पंचालयत मुख्यालय पर जहां स्कूल हैं प्राइमरी स्कूल हैं वहीं पढ पाती हैं या मिडल स्कूल हैं वहीं पढ़ पाती हैं उसके बाद अध्ययन नहीं कर पाती हैं। मैं मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में अधिक से अधिक बालिका उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय खोलने की कृपा करें। आपने हमारे क्षेत्र में दो-ढाई साल में जो भी काम करवाये हैं उनकी सराहना करूंगा और मैं धन्यवाद दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलालजी वर्मा। ऐसी कोशिश करो कि आप दो मिनट में बोल दें।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश में शिक्षा के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका नम्बर नहीं है अभी बैठो।

श्री बाबूलाल वर्मा : जो गुणात्मक सुधार किये उनके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नम्बर तो दस या बीस थे मैंने तीस बुलवाये हैं।

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा। मैं ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में जो गुणात्मक सुधार हुए हैं वह निश्चित रूप से हुए हैं। इसके लिए शिक्षा मंत्रीजी बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं लेकिन झालावाड़ जिले में और कोटा सम्भाग में शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक सुधार नहीं होकर गिरावट आयी है। मैं आपके माध्यम से दो बातें कहना चाहूंगा, सैकण्डरी परीक्षा परिणाम के बारे में निवेदन करूंगा कि राज्य का टोटल 79 प्रतिशत रहा और उसमें भी हाईएस्ट था 63 परसेंट लेकिन झालावाड़ जिले में वह 34 परसेंट के आसपास रहा और बारां और सवाई-माधोपुर जिलों में 33-34 परसेंट रहा। मतलब यह है कि कोटा संभाग के परीक्षा परिणाम में गिरावट आयी और इस मामले में मैंने पिछली बार भी मंत्री महोदय को निवेदन किया था जब माननीय मंत्रीजी कोटा में मीटिंग लेने आये थे। मैंने आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पर्टिकुलरली झालावाड़ जिले के डग विधान सभा क्षेत्र में साइन्स के अन्दर एक भी लड़का पास नहीं हुआ था। पूरे 10-12 हजार की आबादी वाला गांव और उसमें एक भी बालक उत्तीर्ण नहीं हो, यह बड़े चिन्ता का विषय है और उसके कारण भी मैंने मंत्री महोदय को अवगत कराये थे कि प्रधानाध्यापक बराबर ध्यान नहीं दे पाते हैं। कोटा से लेकर चौमेला तक प्रधानाध्यापक डेली अप डाउन करते हैं। डग में रहने वाला प्रधानाध्यापक ठीक तरीके से काम नहीं करता है और शिक्षा परिणाम छात्रों को भुगतना पड़ता है, इससे शिक्षा विभाग की इमेज पर थोड़ा फर्क पड़ता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से पूरे झालावाड़ जिले में....

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री बाबूलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : एक बात ही पूरी करें एक मिनट में।

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय मंत्री महोदय से एक मिनट में कहना चाह रहा हूं, अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो लेकिन यदि यही स्तर रहा तो मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। अपने को एक सोच बनानी पड़ेगी। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम दस-बारह ग्राम पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जहां पर मिडल स्कूल नहीं हैं और यदि वहां पर कोई

(श्री बाबूलाल वर्मा)

बात होती है तो कहते हैं कि बालक नहीं हैं किसी में सात बालक हैं। मैं कहता हूं कि पांच-सात-दस साल तक मिडल स्कूल नहीं खोल सकते जब तक वहां पर शिक्षा के साधन उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे। तो मैं नहीं समझ सकता कि वहां शिक्षा में विकास होगा।

एक चीज और मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 3307 सैकण्डरी स्कूल हैं और 1087 सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं। उनमें से झालावाड़ जिले में कितने स्कूल हैं ? मात्र 52 स्कूल हैं और मात्र 18 सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्षेत्रों में ऐसी विषमता क्यों है ? राजस्थान में ऐसे-ऐसे जिले भी हैं जहां पर लगभग 300 स्कूल्स हैं और जब एक जिले में 300 स्कूल हैं और एक जिले में 52 स्कूल हैं, ऐसी विषमता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कम से कम इस विषमता को दूर करने की कृपा करें और जिन अध्यापकों पर नियंत्रण नहीं है जिससे शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है, निश्चित रूप से माननीय मंत्रीजी की सलाह है लेकिन कम से कम मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस स्थिति को सुधारने के लिए कुछ करें। आपने समय दिया। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय श्री माधवसिंह दीवानजी। एक मिनट में अपनी बात कह सकते हैं।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, तीन मिनट लूंगा। मेरा तो सिर्फ इस सम्बन्ध में निवेदन है कि यह जो शिक्षा का स्तर खराब हो रहा है। आज आठवीं क्लास के लड़के को बुलायें तो वह एक किताब नहीं पढ़ सकता। इसको सुधारने के लिए मेरे कुछ सुझाव हैं। जब वह दसवीं का इम्तिहान देता है तब भी वह फेल होता है। अगर आप पांचवीं और आठवीं के लिए एक बोर्ड कायम कर दें तो कम से कम पांचवीं तक मास्टर पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, हर मास्टर का सेपरेटली असेसमेंट हो सके कि वह पांचवीं तक पढ़ा रहा है कि नहीं।

दूसरा, जो शारीरिक शिक्षक स्कूलों में लगाये हुए हैं यह बीमारी है पूरी। न तो कोई खेलकूद कराते हैं। और एक ही पीरियड लेते हैं, दिनभर राजनीति करते रहते हैं। इनको अगर आप ट्रेनिंग करा दो तो यह पढ़ायेंगे भी और एक घंटा इनको शारीरिक शिक्षा के लिए देना चाहिए बाकी जो यह फालतू शारीरिक शिक्षक बैठा रखे हैं इनका कोई यूज नहीं है।

इसी तरह से लाइब्रेरियन बैठा दिये। लाइब्रेरी नहीं, किताबें नहीं और लाइब्रेरियन बैठे हुए हैं उनका कोई काम नहीं है दिनभर बातें करते हैं, गप्प-सप्प मारते हैं। तो लाइब्रेरियन का चार्ज अगर एक टीचर को दे दो तो 20–25–50 किताबें होती हैं, वह उसका चार्ज रख लेगा यह एक आदमी क्यों फालतू बैठा रखा है। वह की वह बात लैब ब्वाय और

(श्री माधवसिंह दीवान)

लैब असिस्टेन्ट के ऊपर लागू होंगी। लैब नहीं, लेबोरेटरी नहीं, लैब इक्विपमेंट नहीं और लैब स्वाय, लैब असिस्टेंट बैठे हुए हैं। या तो लैब बनवाओ या फिर एक आदमी को कहीं न कहीं एक्स्ट्रा और चार्ज दो। फिर जैसा कि आप यह कहते हैं और शिक्षा मंत्री जी यह तो रूल रहा है कि जो शिक्षा मंत्री बनता है वह अगली बार चुनाव हार जाता है। चाहे आप कुछ भी कर लो, यह आज तक का पिछला रिकार्ड हमारे टाइम तो यह ही रहा है और आपके टाइम भी यही रहा। यही रहेगा तो आप बिना चिन्ता किये हुए....(व्यवधान) आजकल जयपुर में भी आप देखते हैं कि सरकारी स्कूल में कोई अच्छा आदमी अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहता। सारे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं।

एडेड स्कूल का जो फार्मूला आपने बनाया हुआ है। दिये जा रहे हैं एक स्कूल को एड और हजारों स्कूलें नयी आ गयी उनको एक पैसा भी नहीं। जितने भी एडेड स्कूल हैं उनका एड कहीं सौ पर्सेण्ट दे रहे हैं तो अगले साल अस्सी करिये, साठ करिये और पांच साल बाद उनका एड खतम करिये। नये नये जो स्कूल आ रहे हैं उनको कोई सम्बल नहीं है। उनको एड देना शुरू करिये ताकि प्राइवेट स्कूल और बढ़ सकें और उनको सपोर्ट आ सके और नब्बे पर्सेण्ट का फार्मूला है इसको मैक्सिमम एड पचास पर्सेण्ट कर दीजिये वह अपने आप पैदा करेंगे इतने साल से चल रहे हैं।

अन्त में मुझे उच्च शिक्षा मंत्री जी से सिर्फ एक बात कहनी है कि सारी यूनिवर्सिटी वहां चली गयी। एक महाराजा कालेज अकेला यहां रह गया है और यहां के लड़के महारानी कालेज में क्या और हास्पिटल में क्या सारी गड़बड़ जो होती है महाराजा कालेज के लड़के करते हैं। अगर आप इस महाराजा कालेज को हास्पिटल का पार्ट बनाने के लिये दे दो और यह महाराजा कालेज यूनिवर्सिटी में चला जाय तो महारानी कालेज की लड़कियों को भी काफी आराम रहेगा और यहां के प्रशासन को भी बहुत आराम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : हमारा क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : मैंने बुलाया जब आप थे नहीं। मैंने सभी माननीय सदस्यों को, जितनी भी सूची आयी है उन सबको बुलाया है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि आपने कहा कि बुलाया, इससे बड़ा शोषण विधायकों का और क्या होगा कि सुबह 6 बजे उठते हैं और रात को बारह बजे तक यहां बैठते हैं। कोई पता नहीं होता कब नाम आएगा। कहीं पानी पीने जाओ, टायलेट जाओ बीच में नाम आ जाय, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। साढ़े सात बजे गुलोटिन है, आप बिराजें।

श्री जुबेर खान : इससे बड़ा शोषण आप क्या करेंगे सुबह छः बजे से यहां आते हैं। हम भी एक सुझाव देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें मैं आपको पूरा मौका देता हूं, राधेश्याम जी को भी देता हूं। अब आप सरकारी रिप्लाई सुनें। गुलोटिन किसी भी हालत में बदल नहीं सकेगा। साढ़े सात का मतलब साढ़े सात ही है। कृपया बिराजें। मैं आपसे आज के लिये क्षमा चाहता हूं।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, इतना तो आप कह दें मंत्री जी बाद में कुछ कर तो देंगे हमारे यहां भी स्कूल वगैरह। अलवर के मामले में मंत्री जी बिलकुल निष्पक्ष रहे। हम यह दावे से कह सकते हैं अलवर में जितने भी स्कूल खुले, मंत्री महोदय ने कोई पक्षपात नहीं किया। यह बात मैं यहां कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी बात तो खतम हो गयी।

श्री रघुवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में जब पधारे थे तो सराड़ा में यह कह कर आये थे....

श्री अध्यक्ष : बिराजो, बिराजो। रघुवीर सिंह जी बहुत बुलवाया हूं आपको, 295 में भी बुलवाया आज। बिराजो आप।

श्री रघुवीर सिंह : यह कह कर आये थे कि जब विदेश में जाते हो तो लोग आपको ठोडी कहते हैं। आपने यह आरोप लगाया था वहां की जनता पर कि मैं शांतिलाल चपलोत जब विदेश में जाता हूं तो वहां के लोग मुझे ठोडी कहते हैं आपके कारण। इससे आप अन्दाज लगाइये कि हमारा क्षेत्र कितना शिक्षा के मामले में पिछड़ा है।

श्री अध्यक्ष : क्योंकि कम पढ़े लिखे होते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की इस मांग पर माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये, लगभग 199 कटमोशन आपके द्वारा मेरे से सम्बन्धित, 34 माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां रखे। सबसे पहले तो मैं सभी माननीय सदस्यों का, जो पिछले ढाई साल से शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिये और शिक्षा के वातावरण को सुधारने के लिये जो सकारात्मक सहयोग आप सब लोगों का मिला, उसके लिये मैं आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पिछले ढाई वर्षों में शिक्षा जगत में काम करने वाले सारे ही कर्मचारियों ने भी और विशेषकर के अध्यापक साथियों ने भी हमारी सबकी भावना को समझकर अपने सुधार के कुछ कदम आगे बढ़ाये उसके लिये मैं आज के इस अवसर पर उनको भी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं और विश्वास रखता हूं कि आगे और शिक्षा के गुणात्मक सुधार की दृष्टि से और शिक्षा के सम्पूर्ण वातावरण को अच्छा बनाने की दृष्टि से वह मदद करेंगे।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मैं सोचता हूं कि राजस्थान ने पिछले इन तीन चार वर्षों में शिक्षा पर जो व्यय अपना बढ़ाया है वह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्य मंत्री, सम्पूर्ण राजस्थान का हर बालक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े, इसके लिये वह प्रयासरत हैं। जब पहला बजट पेश हुआ 1993-94 का तो उस समय केवल 136 करोड़ रुपया प्लान का बजट था। शिक्षा को समर्पित बजट में 272 करोड़ का एक ही बार में उसका दुगुना हुआ, अगले वर्ष में 311 करोड़ और इस वर्ष का जो बजट है वह 375 करोड़ रुपया कुल रखा। यह अपने आप में जो ढाई गुना वृद्धि इस छोटी सी अवधि में जो हुई तीस महीने की अवधि में, यह इस बात को प्रमाणित करती है कि राजस्थान और राजस्थान की सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर जो कलंक हम पर वर्षों से लगा हुआ है उस कलंक को हम जल्दी से जल्दी धो पाएं इसके लिये प्रयत्नशील हैं।

मैं आपके सामने यह बात भी रखना चाहता हूं कि जो राजस्थान सरकार का टोटल बजट है उसमें 22 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करती है जबकि हमारे आस पास के जो राज्य हैं उनका व्यय हमसे कम है। राजस्थान में इस समय 22 प्रतिशत खर्चा होता है, गुजरात में 21.16, मध्यप्रदेश में 16.79 हरियाणा में 10.80 और उत्तर प्रदेश में 17.07, यह सब इस बात का है कि राजस्थान ने शिक्षा पर अपना खर्चा निरन्तर बढ़ाया है और उस बढ़ाने के पीछे जो आपकी और हमारी सबकी भावना है वह यही है कि हम शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा अपने बालकों तक पहुंचा सकें और सबको शिक्षा दे सकें।

मैं सोचता हूं कि पिछले इन ढाई सालों में हमने लगभग 6 हजार, 345 विद्यालयों को जो क्रमोन्नत किये हैं, यह भी अपने आप में एक रिकार्ड है। यह एक पहला अवसर है जब राजस्थान के आप में से सभी माननीय सदस्य बोलें हैं इस बात को कि अब राजस्थान में कोई भी ऐसा रेवेन्यू विलेज नहीं है जिसमें ढाई सौ की आबादी हो और प्राइमरी स्कूल नहीं पहुंचा हो। रेगिस्तानी क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं बचा जिसमें डेढ़ सौ तक हमने नहीं पहुंचाया। अब की बार हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक पंचायत तक हमारा एक कम से कम उच्च प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा का कोई न कोई आधार वहां पहुंच जाय, उसके लिये हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन सारी जानकारी करने के बाद लगा कि आठ सौ पचास के लगभग पंचायतें ऐसी निकलती हैं जिनमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है।

इन सबकी पूर्ति इसी साल में तो सम्भव नहीं लेकिन मैं इसी साल घोषणा साथ ही करता हूं कि अगले वर्ष के बजट तक हम निश्चित रूप से राजस्थान की एक भी पंचायत को ऐसी नहीं रहने देंगे जहां कम से कम एक उच्च प्राथमिकी शिक्षा हमको उपलब्ध न हो जाय।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मैं सोचता हूं कि यह पहला साल होगा कि हमने सैकण्डरी स्कूल एक साल पहले ही खोल दिये। आज जो माननीय सदस्य गिना रहे थे कि आपने बजट में 85 सैकण्डरी स्कूल रखे हैं और 70 सीनियर सैकण्डरी रखे जाते हैं लेकिन यह पहली बार राजस्थान में हुआ होगा कि हमने अपने विद्यालय एक साल पहले ही क्रमोन्नत कर दिये। इस कारण से कि समय पर अध्यापक लगा सकें, समय पर उसकी व्यवस्था कर सकें। उसमें से कुछ हमने जनसहभागिता के स्कूलों में उसको रखा और उसके बाद बहुत ही कम मात्रा में, जिसकी संख्या मुश्किल से....

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : तीन साल में एक भी स्कूल गंगानगर में नहीं खोला।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें, बिराजें It is not a debating ground.

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय सदस्य, आपकी बात में कुछ सच्चाई भी है और सच्चाई इसलिये भी है कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जिन शहरों में पढ़ाने की कोई न कोई व्यवस्था है उसके कारण से शायद हम नहीं कर पाये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं गांवों में मांग रहा हूं, गांवों में।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें। क्राइटेरिया में है तब।

श्री जगतार सिंह कंग : आपने स्कूल को डिग्रेड किया... (व्यवधान).. यह कहा ग्यारहवीं क्लास के स्टूडेंट को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। यह तथ्य है आपके सामने।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ऐसा नहीं है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। सामान्यतया मैंने यह पद जब संभाला था तो यहां विधान सभा में जब भी कोई खड़े होते तो सबसे पहले रिक्त पदों की स्थिति आती कि इतने पद खाली हैं, इस तरह की स्थिति है, शिक्षा का वातावरण नहीं बन रहा है। हमने उसकी पूर्ति करने की कोशिश जरूर की लेकिन उसमें शत प्रतिशत हमको सफलता मिल गयी हो, यह स्थिति मैं आज नहीं कह रहा हूं लेकिन मैंने प्रयास करके शत प्रतिशत प्रिंसिपल लगाये हैं, हैडमास्टर लगाये हैं, व्याख्याताओं में जरूर शत प्रतिशत नहीं लगा पाया लेकिन फिर भी विभाग का यह नियमित क्रम रहता है कि जो पद वापस रिक्त हो जाते हैं, आज की तारीख में मैं सोचता हूं कि जो डी. पी. सी. हमारे विभाग के सारे अधिकारियों और कर्मचारियों ने जो मेहनत करके की, वह अपने आप में राजस्थान में एक रिकार्ड है हमने इन पिछले वर्षों में केवल चार सौ की, तीन वर्ष की डी.पी.सी. की है एक दो साल की बाकी नहीं। किसी किसी विषय की तो पच्चीस पच्चीस साल की डी. पी. सी. नहीं हुई। इन सारों को मिलाकर लगभग चार सौ तीन साल की डी. पी. सी. हमने की और दस हजार सात सौ तिरानवे लोगों को हमने पदोन्नति

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

दी। मैं सोचता हूं कि हमने हमारी तरफ से सदन में यह विश्वास दिलाया था कि मैं इन पदों को निश्चित रूप से भरूंगा तो जो 50 प्रतिशत पदोन्नति देने का आधार था उसके आधार पर पदोन्नति दी। यही नहीं आर. पी. एस. सी. से भी जो पद मुझे मिलने चाहिये मैंने समय पर उनको लेने की कोशिश की और पिछले साल 1158 सीधी भर्ती से और यह जो एस. डी. आई की कमी रहती थी, हमेशा आपके द्वारा प्रश्न आता था कि पंचायत समिति में एस. डी. आई. नहीं है लेकिन हमने पिछले साल शत प्रतिशत एस.डी.आई. की जितनी उनको आवश्यकता थी उतने पद हमने पंचायत राज को पिछले साल ही दे दिये। आज की तारीख में उनके पास किसी प्रकार का पद खाली नहीं है।

अध्यापकों की सीधी भर्ती के बारे में भी हम लोगों ने प्रयास किया कि सारे राजस्थान में एक ही दिन भर्ती हो ताकि एक व्यक्ति चार-चार जगह फार्म भर करके चारों जगह मैरिट में आ जाता है और जब उसको नियुक्ति देते हैं तो पता ही नहीं लगता है कि वह जोइन भी करेगा कि नहीं करेगा और उसमें हमारे तीन-तीन महीने निकल जाते हैं। हमें पता ही नहीं लगता कि उसने जोइन भी किया कि नहीं किया। तो हमने इसके कारण से सारे राजस्थान में एक दिन, 10 जून के दिन सारे राजस्थान की भर्ती एक साथ प्रारम्भ की और उसके कारण से हमें समय पर अध्यापक उपलब्ध हुआ। यही नहीं हुआ, जिले का, उसका खुद का एम्पलायमेंट का कार्ड आवश्यक किया उसके कारण से जो आदिवासी और रेगिस्तानी क्षेत्र थे जहां अध्यापकों की भर्ती तो होती थी लेकिन पता ही नहीं लगता था पद रिक्त रह जाते थे। स्थानीय लोगों को उसमें नियुक्ति मिली उसके कारण से हमारे अधिकांश पद भर गये हैं और हमको इसमें सफलता मिली है। रिक्त पदों की जो स्थिति है आज की तारीख में वह मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस समय प्रधानाचार्य के 1164 पद हमारे पास कुल हैं उसमें से 185 आज की तारीख में रिक्त हैं। उप प्रधानाचार्य के 1189 में से 280 आज रिक्त हैं। प्रधानाध्यापक के हमारे पास 3158 पद हैं 300 पद आज की तारीख में रिक्त है। स्कूल व्याख्याता के हमारे पास 13,207 पद हैं उसमें से 1857 पद आज की तारीख में रिक्त हैं। सैकण्ड ग्रेड के हमारे पास 39971 पद हैं उसमें से 1128 खाली हैं। थर्ड ग्रेड के 8760 पद हैं उसमें से 2019 पद खाली है। शारीरिक शिक्षकों के 4525 पद हैं उसमें से केवल 158 पद खाली हैं। इसका मतलब यह है कि इन पिछले वर्षों में जो प्रयास किया उससे रिक्त स्थानों की काफी पूर्ति हुई है। फिर भी कुछ पदोन्नति के कारण से और रिटायरमेंट के कारण से जो पद खाली हो जाते हैं मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जल्दी से जल्दी इन पदों को भरने के प्रयास करेंगे। हमने कई लोगों को समय पर पदोन्नति भी दी लेकिन 9,18,27 के कारण से और दूरस्थान पर नहीं जाने के कारण से लोगों ने अपनी पदोन्नति को छोड़ दिया उसके कारण से कुछ पद रहे। माननीय सदस्यों

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

ने स्थानान्तरण के बारे में यह कहा है। बोर्दिया कमेटी की रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गयी। वह एक अन्तिम मंत्रिमण्डल के स्तर पर विचाराधीन है और उसके बाद उसे लागू कर देंगे। लेकिन इस साल हमने जो निर्देश जारी किये वह लगभग बोर्दिया-कमेटी में जो सिफारिशें थीं उन्हीं सिफारिशों को आधार बना करके हमने अबकी बार ट्रान्सफर के निर्देश दिये। माननीय सदस्य, हो सकता है कि इतने काम करने में कहीं कमी रही होगी, कोई गलती हुई होगी तो उसके लिये भी परिवेदना में छोड़ रखा है कि अगर हममे कोई कमी रह गयी तो आप डिप्टी डायरेक्टर के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा दें, हम उसको वापस सुधार लेंगे। मैं सोचता हूं कि यह पहला साल होगा कि हमने स्थानान्तरण के आधार पर बोर्ड परीक्षा परिणाम को प्राथमिकता दी। जिन अध्यापकों का बोर्ड परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ था उनको प्राथमिकता के आधार पर उन्होंने जो स्थान चाहा उसको हमने दिया। हमने पहली बार 30 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अध्यापकों को उनके स्थान से निश्चित रूप से हटाया। यह पहली बार होगा जब ऐसी बालिकाएं या ऐसी महिलाएं जो किसी दूसरे जिले में हैं और उनकी सर्विस या उनके पति की सर्विस या उनकी शादी किसी दूसरे जिले में हो गयी उनको हमने शत प्रतिशत छूट दी कि अगर समीप वाले जिले में रिक्त स्थान हैं तो उन सबका स्थान परिवर्तन कर दिया जाये और मैं सोचता हूं इसमें अधिकांश लोगों को इसमें राहत मिली। यह जरूर हो सकता है कि उन्होंने जो स्थान चाहा जयपुर में वह शायद जयपुर शहर तो नहीं मिला होगा लेकिन जयपुर जिला उनको देने की निश्चय रूप से कोशिश की है। इसी तरह से विधवाओं की भी हमने मदद की है। इसी तरह से जो गम्भीर विकलांग हैं उनको भी हमने प्राथमिकता के आधार पर ट्रान्सफर किये हैं और मैं सोचता हूं कि इतने ट्रान्सफर हो जाने के बाद भी जिस प्रकार, ठीक है कहीं इक्की-दुक्की गलती हो सकती है, कोई चीज नहीं हुई होगी मैं उसे स्वीकार करता हूं मैं उससे ना नहीं करता हूं। परन्तु मैंने मेरी तरफ से यह कोशिश की, लोगों ने कहा कि खाटू श्यामजी में कैम्प लगा कर किया। मैंने कैम्प केवल इसलिये लगाया कि जो मैंने निर्देश दिये हैं उन निर्देशों के तहत ट्रान्सफर हों। इसकी चिन्ता करके मैंने स्वयं वहां बैठ करके इस चीज को करवाया है। यह जो लोगों निगाह में, (व्यवधान) नहीं, मैं सोचता हूं कि जितना मुझसे बन सकता था और जितना मेरे से इसमें ठीक सुधार हो सकता था उतना सुधार करने की कोशिश मैंने निश्चित रूप से की है। निरीक्षण, सबसे बड़ा विषय पिछली बार भी आया था। चूंकि विद्यालयों का काम इस कारण से नहीं कि निरीक्षण प्रभावी नहीं होता। पिछली बार माननीय सदस्य रामनारायण चौधरी ने भी और कई सदस्यों ने रखा, यदि विद्यालय को सुधारना है तो उसका निरीक्षण प्रभावी होगा तो विद्यालय सुधरेगा। हमने इसके लिये प्रयास किया। प्रयास ही नहीं किया हमने डीओ, डिप्टी डायरेक्टर को, मंथली उनका

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

इन्सपैक्शन करना है उसका कोटा दिया। कोटा ही नहीं दिया मैंने स्वयं ने उनकी इन्सपैक्शन रिपोर्ट अपने पास मंगवा करके मंथली चार्ट बना करके अगर उनका कम आया तो मैंने उनको पत्र लिखा कि आपकी निरीक्षण रिपोर्ट जितनी आनी चाहिये वह नहीं आयी। अगर उस निरीक्षण रिपोर्ट में कुछ कमियां थीं उनकी तुरन्त पूर्ति नहीं हुई उसके लिये भी प्रयास किया, डायरेक्टर के स्तर पर भी किया। मैंने स्वयं ने कम से कम पिछले साल में 30-35 स्कूल तो मैंने स्वयं ने देखें। डायरेक्टर साहब ने भी स्कूल देखे और देखे ही नहीं, उस समय जो कुछ भी कमी खामियां हमको लगी उसको तुरन्त वहीं की वहीं निपटाने की कोशिश की है। मैं केवल आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं पिछले साल 5741 निरीक्षण कुल हुए हैं जिसमें उप निदेशक (पुरुष) ने 522 किये हैं, उप निदेशक (महिला) ने 462 किये हैं, जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) ने 2339 किये, जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) ने 1418 किये और जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ने 929 किये हैं। यह मैंने मंथली रिकार्ड रख करके यह प्रयास किया है कि स्कूलों का निरीक्षण हो और मन्थली नहीं तो हमने कहा कि प्रत्येक विद्यालय का वर्ष में एक बार निरीक्षण किसी न किसी के द्वारा हो अगर यह अधिकारी कम पड़ते हैं तो किसी भी प्रिंसिपल को लगा करके भी और किसी अधिकारी को लगाकर, पर एक भी विद्यालय ऐसा नहीं हो जिसका वर्ष में एक बार निरीक्षण नहीं हो। मैं सोचता हूं कि इस निरीक्षण के प्रभाव से ही आपने स्कूल में देखा होगा कि स्कूल में अध्यापकों का समय पर पहुंचना, रहना निश्चित रूप से बढ़ा है। यह आप स्वयं भी महसूस करते हैं और मैं स्वयं भी इस बारे में सन्तुष्ट हूं कि वास्तव में इसमें से हमको कुछ मिला है। इसका तो परिणाम क्या निकला कि हमने जो निरीक्षण किया, कैसा हुआ कैसा नहीं, यह तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम ही बता सकता है कि हमने जो प्रयास किया उसमें कोई सफलता मिली कि नहीं मिली। आज मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का इस साल का जो परीक्षा परिणाम आया वह परीक्षा परिणाम वास्तव में हम सबको बहुत ही एक तरह सन्तोष देने वाला परीक्षा परिणाम है। हम लोगों ने इसके साथ यह भी कोशिश की कि ट्यूशन प्रवृत्ति को किसी प्रकार से रोका जाये उसके लिए भी हमने उडनदस्ते बना करके कुछ अध्यापकों को ट्यूशन करते हुए हमने पकड़ा और पकड़ने के साथ उनके साथ हमने कुछ कठोरता और कुछ एक्शन भी हमने किया उसके कारण से भी ट्यूशन प्रवृत्ति को हमने कुछ रोका। यह पहली बार होगा कि हमने सरकारी स्कूल में ऐसे बच्चों को विद्यालयों में छांटा जिसके 70 प्रतिशत से ज्यादा अंक उसके नीचे वाली क्लास में, वह नवीं पास करके आया तो ऐसे लड़कों के डायरी में नाम लिख करके उनकी एक्सट्रा कोचिंग क्लासेज हमने शुरू की। यह राजस्थान में हमने कई विद्यालयों में की। उसी का परिणाम है कि यह जो मैरिट में बच्चों की

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सूची बढ़ी है हमने उनके लिये एक्सट्रा कोचिंग किया एक्सट्रा टीचर को बुला करके व्यवस्था की उसके कारण आपको लगेगा कि यह जो हमारी धारणा है कि शहर में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अबकी वार बोर्ड के परीक्षा परिणामों ने और बोर्ड की मैरिट ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि वह बांसवाड़ा का दूर दराज का अरथूना का बालक भी मैरिट में आ सकता है अरनोद का बालक भी मैरिट में आ सकता है और यह जो मैरिट सूची आयी है इस मैरिट सूची में अधिकांश बच्चे गांव के बालक हैं। तो यह जो हमने पहला प्रयोग किया था उस प्रयोग में हमें निश्चित रूप से सफलता मिली है। मैं आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो परीक्षा परिणाम है उस पर भी आपकी दृष्टि जाये इसके लिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। 1994 में, हमारे जो नियमित छात्र हैं मैंने इसमें जो फिगर लिये है, टोटल बच्चों का नहीं लिया जो विद्यालय में पढ़ते हैं उन बच्चों का परीक्षा परिणाम लिया है। कला वर्ग में 1994 में 53 प्रतिशत था, 1995 में 54 प्रतिशत था और इस समय 66.44 प्रतिशत, 12.18 प्रतिशत कला वर्ग में परीक्षा परिणाम में वृद्धि हुई। विज्ञान वर्ग में (व्यवधान) 1994 में 47 प्रतिशत था, 1995 में यह 46 प्रतिशत हो गया और इस साल 1996 में 58 03, 11.41 पर्सेन्ट रिजल्ट बढ़ा। वाणिज्य वर्ग में 59 पर्सेन्ट था फिर 58 हुआ, कम हो गया इस बार 69.98,70 पर्सेन्ट, 11.31 पर्सेन्ट बढ़ा। सैकण्डरी का परीक्षा परिणाम, यह जो नियमित छात्र हमारे हैं 1994 में 56 प्रतिशत था. 1995 में 57 प्रतिशत था और इस साल 67.55 प्रतिशत रहा इस तरह से 5.7 प्रतिशत परीक्षा परिणाम बढ़ा। परीक्षा परिणाम केवल यहीं नहीं, इसकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट वह हमको सन्तोष देने वाला है केवल परीक्षा परिणाम से हमको सन्तोष नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : चौमूं का परीक्षा परिणाम क्या है ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : चौमूं का अच्छा ही है। कला वर्ग में प्रथम श्रेणी में 1994 में 4 पर्सेन्ट, 1995 में 4.6 पर्सेन्ट 1996 में 7.7 पर्सेन्ट आये है। विज्ञान में 1994 में 16 पर्सेन्ट, 1995 में 16.9 और इस बार 28.0 पर्सेन्ट बच्चे फस्ट डिवीजन आये हैं। इसी तरह वाणिज्य वर्ग में 1991 में 9 प्रतिशत, 1995 में 12.4 और इस बार 19.0 बच्चे थे। सैकण्डरी में 1994 में प्रथम श्रेणी 12.5 था, 1995 में 13.1 हुआ और इस बार 16.4 हुआ। यह सब इस बात को प्रमाणित करता है कि परीक्षा परिणाम केवल संख्यात्मक दृष्टि से ही नहीं, गुणात्मक दृष्टि से भी अच्छे है। थर्ड डिवीजन का पर्सेन्टेज गिरा है। यह इस बात को बताता है कि निश्चित रूप से अध्यापक बन्धुओं ने जो परिश्रम किया उसका निश्चित रूप से परिणाम आया है। यही नहीं मैरिट की दृष्टि से भी आर्ट्स में 16 बच्चों की कुल मैरिट थी उसमें से 13 राजकीय विद्यालयों के बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है। विज्ञान में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

14 मैरिट में थे उसमें से 9 राजकीय विद्यालयों के बच्चों की आयी। इससे निश्चित रूप से मन को संतोष होता है कि जो परिश्रम हमारे अध्यापक साथियों ने किया उसकी उपलब्धि निश्चित रूप से हमको मिली। यही नहीं हर बार कई कहते हैं कि किसी विद्यालय में बहुत अध्यापक हैं और किसी विद्यालय में अध्यापक नहीं हैं। उसमें शत-प्रतिशत सफलता मिल गयी हो ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया है। हमने सामान्यीकरण करके कुछ विद्यालयों में जो शहर में या रोड साइड पर हैं, जो बहुत अधिक पद दे रखे थे उन पदों को तोड़कर उन विद्यालयों में उन अध्यापकों को भेजा जहां बालकों की संख्या अधिक थी। यह भी कोई सामान्य संख्या नहीं, तृतीय श्रेणी के अध्यापकों में 5758 को हमने एक स्कूल से निकालकर दूसरे स्कूल में डाला। सैकण्ड ग्रेड के 999 अध्यापकों के पदों को एक स्कूल से तोड़कर दूसरे स्कूल में दिया और व्याख्याताओं के भी 1128 पद तोड़कर जिन विद्यालयों में आवश्यकता थी, वहां हमने दिये। यही नहीं, यह जो अनार्थिक, माननीय सदस्य राजेन्द्र जी कह रहे थे उसमें कुछ सच्चाई है कि वास्तव में कई जगह अध्यापक वर्षों से नहीं लगे रहने के कारण से बच्चों ने विज्ञान नहीं ली या विज्ञान छोड़ दी। लेकिन आखिर 5-5 साल से कभी लगा भी हो, कभी नहीं लगा लेकिन एक-एक और दो-दो बच्चों के आधार पर मैं फैकल्टी चलाऊं, तीन व्याख्याता और दो बच्चों के आधार पर और इसके कारण से दस बच्चों से जहां कम थे उन संकायों को मैंने तोड़ा और एक दो संकाय नहीं 174 संकायों को और 32 विषयों को हमने तोड़ा। लेकिन वहां से जो व्याख्याता सरप्लस हुए उनको दूसरे स्कूलों में दिया दूसरे स्कूलों के अलावा नये स्कूलों को भी हमने संकाय दी और साथ में एक राइडर लगा दिया कि यदि आपके यहां पढ़ने के लिए 20 बच्चे हों तो कोई आवश्यकता नहीं है कि यहां से संकाय तोड़ा जाये। आप 20 की सूची बनाकर हैड मास्टर से यह छाप लगाकर ले आयें कि 20 बच्चे इस संकाय में प्रवेश लेने के लिये उपलब्ध है तो मैं वह संकाय आपको वापस दे दूंगा। लेकिन अनार्थिक होकर के चार-चार वर्ष तक केवल एक ही लड़का 12 वीं में पढ़ रहा है और वह भी फेल हो जाये, उसमें चार व्याख्याता लगाकर चार लाख रुपया सरकार का लग जाये, इसको देखकर इसको कम करने की कोशिश की है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसका कारण यह था कि आपने लगाये लेकिन किसी ने जोइन नहीं किया, जोइन किया तो वह वापस शहर में आगया। वह ट्यूशन करता रहे और इसी वजह से ही धीरे-धीरे नम्बर गिरता गया और वह हालत यह हो गयी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया :- आपकी इस बात में कुछ सच्चाई है और वह थी प्रतिनियुक्ति। पिछले साल भी मैंने आपको विधान सभा में कहा था कि हम प्रतिनियुक्ति बन्द करेंगे। अब तो हमने प्रतिनियुक्ति की कठोरता इतनी कर दी है कि अब यदि संस्था प्रधान प्रतिनियुक्ति वालों की सैलेरी बना देगा तो वह संस्था-

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

प्रधान जिम्मेदार होगा। बिना डायरेक्टर की स्वीकृति के वह किसी की सैलेरी भी भी नहीं बनायेगा ताकि प्रतिनियुक्ति पर रहने का कोई सवाल ही नहीं रहे। प्रतिनियुक्ति पर रखने का सबसे ज्यादा जो दबाव है वह है बड़े लोगों के दबाव से लोग इधर-उधर आकर लग जाते हैं, बाकी सामान्य आदमी के बस का रोग नहीं कि वह कहीं प्रतिनियुक्ति पर लग जाये। इस प्रकार ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : बड़े लोग.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मतलब कि खेतसिंहजी जैसे बड़े लोग।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह नहीं, हमने संस्था प्रधान को भी सशक्त किया है और हमने संस्था प्रधान को यह अधिकार दिया है कि यदि संस्था प्रधान यह सोचे कि उसके विद्यालय में कोई अध्यापक ऐसा है जिसके कारण से शिक्षण का वातावरण बन ही नहीं सकता तो वह उसको रिलीज करके डी. ओ. के पास भेज सकता है, यह भी हमने उसको अधिकार दे दिया ताकि विद्यालय में अराजकता न रहे और विद्यालय में किसी प्रकार से अनुशासन बन सके।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ...(व्यवधान) आपके उसमें तो प्रतिनियुक्ति बन्द हो गयी जबकि आपके यहां चालू हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। नो डिबेट।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मंत्री महोदय, यहां पर भी बन्द करवाइये।.... यहां पर तो आपने कह दिया कि प्रतिनियुक्तियां बन्द कर दी। आप फरमायें कि प्रतिनियुक्तियां कब बन्द करेंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री शांति धारीवालजी बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कहां हो गयीं खतम।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। समय कम है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हम यहां जो कुछ भी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं....

श्री राजेन्द्र चौधरी : उच्च प्राथमिक विद्यालय आप खोलते हैं उसमें खाली....

श्री अध्यक्ष : अभी कहां बीच में आ गये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : ...एक हैड मास्टर और एक अध्यापक देते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मेरा यह सुझाव था कि एक साथ ही आप चार पांच टीचर दे दें तो वह स्कूल का भट्टा नहीं बैठेगा। उसके बारे में आपका क्या विचार है?

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय सदस्य की यह बात सही है कि जहां हम उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलते हैं तो उसमें हम एक हैड मास्टर और एक विज्ञान

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

ही देते हैं और नीचे का अध्यापक प्राइमरी का, पंचायत राज का होता है। वह पंचायत राज का टीचर सोचता है कि पता नहीं मुझे कहां फेंक दिया जायेगा इसलिए वह तुरन्त सुरक्षित जगह जाने की कोशिश करता है और लग जाता है। हमारी पकड़ में नहीं आता है। हम इसके लिए भी बराबर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इसको रोक करके ठीक कर सकें। लेकिन यह जो सारी सफलता है, यह सफलता तो अध्यापकों के सहयोग से ही सम्भव हो सकेगी। हम वह उसके ऊपर किसी प्रकार की सख्ती या कठोरता करके नहीं ला सकेंगे। वातावरण बनाना पड़ेगा और इसलिए हमने अध्यापकों की जितनी समस्याएं आती थीं उन समस्याओं को भी हल करने का प्रयास किया है। हमने अपना एक 11 सूत्रीय कार्यक्रम बनाकर के अध्यापकों की हर समस्या को हल करने का प्रयास किया है। मैं सोचता हूं कि चाहे उसका रिटायरमेंट हो, चाहे उसका फिक्सेशन हो, चाहे उसकी पदोन्नति हो उसको हमने समयबद्ध करने की कोशिश की है। यहीं नहीं स्थानान्तरण नीति के बारे में भी यह पहली बार होगा कि हमने शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों को भी बुलाकर जो निर्देश हम जारी कर रहे थे उन पर उनसे पहले चर्चा की, उससे सहमति ली और उनकी सहमति के आधार पर हमने गाइड लाइन बनाकर दी। संघों से वार्ता के लिए भी हमने समय-समय पर उनको पूरा मौका दिया। उनकी बात सुनी। जितना हमसे संभव हो सकता था उतनी समस्या हमने हल की। मैं सोचता हूं कि पिछले चार सालों से टी. ए. और मेडिकल के बिल उनके कई वर्षों से पेंडिंग चल रहे हैं हमने कोशिश की है और इसी साल के कुछ महीनों में ही निश्चित रूप से लगभग 19 करोड़ रुपये के उनके टी. ए. और मेडिकल का जो बाकी है उनको हम दे देंगे। मृतकों के 451 आश्रितों को हमने नियुक्तियां जारी कर दी हैं। शिक्षक सदनों का भी निर्माण किया। बीकानेर और जयपुर के शिक्षक सदन बन गये, जोधपुर और उदयपुर का काम चल रहा है और दो शिक्षक सदन और हैं संभाग स्तर पर उनको भी हम अतिशीघ्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ताकि बाहर से आने वाले अध्यापकों को ठहरने की जगह मिल सके। मैं सोचता हूं कि संस्कृत शिक्षा की दृष्टि से भी हमने प्रयास किये हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने संस्कृत शिक्षा की जो संख्या है, बढ़ाई है। मेरे पास 1988 के आंकड़े हैं। उस समय सारे राजस्थान में 219 राजकीय विद्यालय थे और आज की तारीख में 875 विद्यालय हैं। इसके साथ ही संस्कृत शिक्षा के अध्यापकों को लगाने के भी हमने प्रयास किया। यह बात जरूर है कि हमारे पास प्रिंसिपल जितने लगने चाहिये थे वह हम नहीं लगा सके क्योंकि उनकी पदोन्नति के कई कोर्ट केसेज हैं और कुछ उनके नियम नहीं बने हुये थे। उसके कारण से प्रिंसिपल के जो पद हैं, चाहे वह शास्त्री कालेज का हो, चाहे आचार्य कालेज का हो, उसके पद जरूर रिक्त हैं। उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको भी हम जल्दी भर सकें।

श्रीमती कमला : संस्कृत विश्वविद्यालय का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : ...अभी आगे है। माननीय सदस्य कमला जी आगे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उच्च शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे। यह उनका मामला है। संस्कृत शिक्षा और संस्कृत विद्यालयों के लिये इस बजट में 50 लाख रुपये ईयर मार्क किया है और जो 50 लाख रुपया हमको मिला कि नीचे के फिडिंग स्कूल हम तैयार करें वह हमने सारे के सारे उपाध्याय, आचार्य शास्त्री जितने भी कालेज हैं उनको हमने क्रमोन्नत करके उनके आदेश जारी कर दिये हैं। मैं सोचता हूं कि शिक्षा की सर्वांगीण उन्नति की दृष्टि से जहां एक ओर हम विद्यालय शिक्षा से काम कर रहे हैं तो दूसरी ओर लोक जुम्बिश के माध्यम से भी, शिक्षाकर्मी के माध्यम से भी हम सम्पूर्ण राजस्थान में हर बच्चे को शिक्षा के घेरे में लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि शिक्षाकर्मी स्कूलों की जो उपलब्धियां हैं, अगर आपमें से कोई भी शिक्षाकर्मी स्कूल जाकर देखें तो निश्चित रूप से आपके मन को पूरा संतोष मिलेगा। वह बालक जो उसी गांव का है और 10 वीं 11 वीं पढ़ा हुआ बच्चा है लेकिन वह जिन बच्चों को तैयार कर रहा है उन बच्चों में से सात बच्चे तो नवोदय विद्यालय में सलेक्ट हुए। मैं सोचता हूं कि यह शिक्षा कर्मी स्कूल का अपने आपमें एक कीर्तिमान होगा। इसी तरह से उन्होंने केवल यही नहीं, बच्चों का जो ठहराव है, वह भी बढ़ाया है। यानि बच्चों का, स्कूल का एनरोलमेंट शिक्षा कर्मी स्कूलों में बढ़ा है। वह भी लगभग कहीं 87 परसेंट गांव के बच्चे उस स्कूल में आते हैं, कहीं 92 प्रतिशत लडके आते हैं। लगभग 67 पर्सेन्ट बच्चियां उस गांव की हमारी शिक्षा कर्मी का जो भी स्कूल है, जहां चलता है उसमें बालक-बालिका निश्चित रूप से आ रहे हैं।

एक नयी योजना हमने शुरू की थी, सरस्वती योजना। उसके पीछे भी यही है कि हमारी पढ़ी लिखी बहनें हैं जो घर-गृहस्थी में लग गयीं लेकिन वे पढ़ी लिखी हैं। अगर मोहल्ले की 10-15-20 बच्चियों को वह अपने घर के आंगन में बुलाकर उनकी शिक्षा का काम करेंगी तो निश्चित रूप से हम बालिका शिक्षा को बढ़ा सकेंगे। उस दृष्टि से हमने 100 स्कूल पिछले साल शुरू किये थे उसमें से 98 सालभर चले, दो स्कूल नहीं चल पाये। इस साल हमने 120 स्कूल, उसके बीच वाले साल में 120 स्कूल और स्वीकृत किये। केन्द्रीय सरकार ने भी हमारी इस योजना को अच्छा समझते हुए उन्होंने 100 सरस्वती विद्यालय को आठ लाख और समर्थिंग रुपया, उसमें से 4 लाख उन्होंने हमको भेज दिया, 14 लाख रुपया और भेजेंगे। इस साल हम एक हजार सरस्वती बालिका विद्यालय और प्रारम्भ कर रहे हैं ताकि 1200-1300 विद्यालयों द्वारा हम छोटे-छोटे घर और आंगन में ही 20–25 बच्चियों को पढ़ाने का काम करेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : प्रौढ़ शिक्षा के बारे में भी कहो।

श्री अध्यक्ष : विराजें। अभी डिस्टर्बेंस नहीं। विराजें अभी तो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सरस्वती जो बहनें हैं, इस सरस्वती बहन को विद्यालय चलाने के लिए 500 रुपया देते हैं और साल भर का इनको 4 हजार रुपये देते हैं। तीन टुकड़ों में देते हैं पहली बार उनको एक हजार रुपया फिर 1500, फिर 1500, ताकि तीन साल तक यह विद्यालय इस प्रकार से चल सके।

"एक नयी योजना हमने गुरु मित्र योजना शुरू की है।....

श्री जगतार सिंह कंग (श्री करणपुर) : पंजाबी के बारे में तो कुछ कहो।

श्री अध्यक्ष : कृपया इन्हें समाप्त करने दें। अभी साढ़े सात बजे गुलोटिन है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : गुरु मित्र योजना भी हमने शुरू की है। बालकों को खेल के माध्यम से और आकर्षण के माध्यम से विद्यालय में लाकर हम टिका सके। इसके साथ ही हमने बालिका फाउण्डेशन फण्ड बनाया है। इस फाउण्डेशन में ऐसे क्षेत्र जहां बालिका शिक्षा का अभाव है या 10 प्रतिशत से भी कम उस जिले में बालिका शिक्षा है उसमें हम बालिका शिक्षा फाउण्डेशन के माध्यम से वहां अच्छे अंकों से पास होने वाली एक-एक जिले से 20-20 बालिकाओं को छांटेंगे और उनको एक हजार रुपया सालाना वजीफे के रूप में देंगे ताकि वह अपनी गरीबी के कारण से विद्यालय नहीं छोड़ पाये और उसके पढ़ने का सहारा हो जाए।

इसी के साथ में दत्तक बालिकाएं भी ले रहे हैं। हम दानदाता से आग्रह करेंगे कि पहली से लेकर पांचवी तक की एक बच्ची को गोद लेओ और 500 रुपया इस फण्ड में जमा कराओ। 9वीं से लेकर 12वीं तक की बच्चियों का 1000 रुपया इस फण्ड में जमा कराओ। राजस्थान सरकार ने इसमें एक करोड़ रुपया हमको दिया है और अब हम दानदाताओं को 80जी जिसमें आयकर की छूट होती है वह भी उन्हें मिलेगी और उसके आधार पर भी हम बालिकाओं को पढ़ायेंगे। यही नहीं, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से हमने 6 सम्भागीय केन्द्रों पर 6 होस्टल बनाये 50-50 बालिकाओं के लिए। जो 2-3 जगह बन कर के तैयार हो गये हैं और 2-3 में शायद और 2-3-4 महीने लगेंगे ताकि हर सम्भागीय स्तर पर ऐसी बालिकाएं जिनकी शिक्षा आगे चालू नहीं रह सकती है उनको छात्रावास में रख कर हम उन बालिकाओं को शिक्षक दे सके।

हमने नामांकन और ठहराव को अब की बार प्राथमिकता दी है। प्राथमिकता के साथ ही हमने 4 पंचायत समितियों में जनप्रतिनिधियों के साथ एक सम्मेलन करके उनको भी मोटीवेट किया और उसके साथ ही 8 से 13 तारीख तक हमने प्रवेशोत्सव किया। कोई विद्यालय ऐसा नहीं है जिसने अपने गांव में रहने वाली बच्चों को आइडेंटीफाई नहीं किया हो कि इस घर में कौन सा ऐसा बच्चा है जो 6 से 14 साल की उम्र का है और विद्यालय नहीं आता है तो उसको हमने तिलक लगा कर स्कूल में लेकर आये हैं। नामांकन के सही आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं लेकिन निश्चित रूप से नामांकन बढ़ा है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सम्पूर्ण साक्षरता की दृष्टि से भी राजस्थान के 26 जिलों में हमने सम्पूर्ण साक्षरता का काम प्रारम्भ किया है। 6 जिलों में उत्तर साक्षरता का कार्यक्रम चल रहा है।—(व्यवधान) ऐसा है, हो सकता है कि इसमें जितनी अपने उपलब्धि चाहते हैं उतनी उपलब्धि नहीं मिलती है लेकिन वातावरण बनाने की दृष्टि से और शिक्षा में नामांकन, यह सब कुछ जो आज वातावरण बना है कि बस भरकर आती है एक मिडल स्कूल के लिए, कहां से चल कर मेरे पास आ रहे हैं और एक मिडल स्कूल मांगते हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी स्कूल के प्रति जो अर्ज है, भूख जो जगी है वह निश्चित रूप से इन सब प्रकार के अभियानों से जगी। आखिर हम प्रयास करेंगे तो कुछ सफलता मिलेगी कुछ असफलता मिलेगी। असफलता के नाम से हथियार डाल दें मैं कम से कम उसका पक्षपाती नहीं हूं। प्रयास करना चाहिये और प्रयास करने से कुछ न कुछ सफलता मिलेगी। यह बात जरूर है कि अनौपचारिक शिक्षा के बारे में जो सवाल आपने खड़ा किया और आपने कहा कि हमारे यहां के कुछ ऐसे आइटम लोगों ने खरीदे जिनकी स्वीकृति नहीं थी। उसमें उसकी जांच भी हो गयी, दो लोगों को हमने सस्पेंड कर दिया और पुलिस केस भी उनके खिलाफ दर्ज करा दिया। हम उन सारे बी. डी. ओज. के बारे में भी जानकारी कर रहे हैं जिन्होंने बिना इस प्रकार के आदेश के इस प्रकार की सामग्री कहां से खरीदी और कैसे खरीदी। यह तो सारा प्रकरण जांच होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन हमने कोशिश की है कि इस प्रकार की कहीं भी गलतियां होती हैं तो उसको तुरन्त रोका जा सके।....

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : मन्त्री महोदय, ऐसा है कि हर पंचायत समिति में या दो-दो पंचायत समितियों में लगा हुआ है। वहां पर देखिये, मालवा बिसन में 5 लाख बजट है। एक लाख और कुछ रुपये प्रकाश के लिए दिये जा रहे हैं। हर साल का वहां रिकार्ड है। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : नहीं, यह वो नहीं है।

श्री खंगारसिंह चौधरी : कुछ नहीं है वहां। मैंने देखा है सब जगह जाकर के फिर वही हाल होगा या तो ये गिरफ्तार होंगे या उसका रुपया निकलेगा। मैंने गत प्रश्न के जवाब में भी पूछा था। वह जवाब भी आपका सही नहीं आया। इसलिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर आपकी नजर रहनी चाहिये। यहां स्टेट में घोटाला है तो उन पंचायत समितियों में कितना होगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय सदस्य, मैं स्वयं भी इस बारे में चिन्तित हूं और इसके लिए बाहर की एजेंसीज से एक बार इसका सारा मूल्यांकन करायेंगे, सारा रिव्यू करेंगे कि वास्तव में जो अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्र हमने चालू कर रखे हैं उसकी उपलब्धि क्या है, क्या नहीं है उसके बाद ही इस बारे में कोई निर्णय

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कर पायेंगे। मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसका कोई न कोई मूल्यांकन करके इसकी सही स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे।

पाठ्य पुस्तकों के बारे में हमने 38 करोड़ रुपये की पाठ्य पुस्तकें दीं। मैं सोचता हूं कि निजी शिक्षण संस्थाओं को भी हमने मान्यता और अनुदान सूची पर लिया है और अब की बार हमने कैम्प लगा कर ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिनमें पदों की स्वीकृति नहीं हो रही है या अनुमोदन नहीं हो रहा है या उनकी किसी प्रकार की समस्या है उनको हम कैम्प लगा कर इस अगस्त के महीने में यहां पर बुला कर हाथों हाथ सारी समस्याओं का सुलझारा करेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): आप बिराजो। अभी दो मंत्री और बैठे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया: एक सैकण्ड। केवल मैं कुछ आवश्यक बातें हैं वह बता दूं बाकी मैंने सब छोड़ दीं। ग्रामीण क्षेत्र में 5 हजार प्राथमिक विद्यालयों को दरी-पट्टी हेतु 3 हजार प्रति विद्यालय के हिसाब से 1 करोड़ 50 लाख रुपया उनको हम दे रहे हैं। 3 हजार प्राथमिक विद्यालयों को भवन के रखरखाव के लिए प्रति विद्यालय को 5 हजार रुपये के लिहाज से 1 करोड़ 50 लाख रुपया उनको हम दे रहे हैं।

चालू सत्र में 186 मदरसों को 11.26 लाख रुपये की पुस्तकें उन बच्चों को निःशुल्क दी है।....

श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा): यह अभी तक पहुंची ही नहीं हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया: यह पहुंच रही हैं, यह अब बटेंगी। यह अब बटेंगी, उनकी तारीख अब तय हुई है। उन्होंने सामूहिक बांटने के लिए लिया है हमसे।

गैर सरकारी विद्यालय हैं, जो मन चाहे फीस लेते हैं या आवश्यक आपको ड्रेस भी वहीं खरीदनी, टाई भी वहीं खरीदनी। इसके लिए हमने हमारे अधिकारियों की एक टीम बनायी है। वह टीम इसकी सारी जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट भेजेगी और उसके आधार पर हम किस तरह से इनको कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में हम निर्णय लेकर के निश्चित रूप से इस प्रकार की जो धांधली चल रही है उसको हम रोकने के प्रयास करेंगे।

इसी प्रकार मेडिकल का जो 19 करोड़ रुपया बाकी है वह सारे अध्यापकों को हम दे देंगे और गैर शिक्षण संस्थाएं जिनका 19 करोड़ रुपया पुराना बाकयात है उनका भी हम सारा का सारा पेमेंट इसी सत्र में 2–3 महीने में करेंगे।

कक्षा 8 का बोर्ड बनाने के बारे में आपने कहा। बोर्ड तो नहीं लेकिन हम डाइट के माध्यम से, हर जिले की परीक्षा डाइट के माध्यम से करायेंगे। वही उनका पेपर सेट करेंगे और वही उनकी कापियां जांच करके दूसरे विद्यालयों में देंगे। ताकि हम वहां से मिडल से ही उनका स्तर बनाने के लिए प्रयास करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें। माननीय चतुर्वेदी साहब।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बात एक साथ पूछ लेना।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : तृतीय भाषा के लिए तो कुछ करो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक साथ पूछ लेना।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : एक सैकण्ड। यह पहला साल होगा कि सारे बच्चों का हमने बीमा कराया है, हमारा हर बच्चा इंश्योरड होगा और उसके ऊपर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो 10 हजार रुपये मिलेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : तृतीय भाषा की बात तो बताइये।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक साथ पूछ लेना।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उर्दू के बारे में, सिंधी के बारे में, पंजाबी के बारे में तो बताइये।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्षजी, कट मोशन का जवाब तो भिजवा दें।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : मंत्री महोदय, पुरानी मिडल स्कूल हैं उनमें चपरासी नहीं है और न हो लाइब्रेरियन है। समाचार पत्रों का पैसा 3-3 साल से भुगतान नहीं हो रहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उर्दू के बारे में क्या नीति है?

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : हमारे यहां एक स्कूल है जिसके कमरे गिर गये उसके बारे में कुछ नहीं कहा मंत्रीजी ने। उस विद्यालय के सात कमरे गिर गये। अध्यापक रो रहे हैं बाहर। उनके बारे में नहीं कहा कुछ भी।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें। कृपया सुनें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सवाल एक साथ कर लेना बाद में।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी कोई बात कह रहे हैं पहले आप सुन लें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सरकार की यह नीति हो कि उर्दू को साफ करना हो, पंजाबी को साफ करना हो और....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सिंधी को भुलाना हो तो आप यह फरमा दें।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जहां भी 20 बच्चे होंगे वहां उनको उर्दू, संस्कृत का जो भी अध्यापक होगा वह लगायेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : सिन्धी के बारे में बात करिये नहीं तो माहेश्वरीजी नाराज हो जायेंगे।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बूंदी में 10 बच्चों के लिये उर्दू की क्लास चालू है।

श्री कुबेर खान (रामगढ़) : सी. एम. साहब तो पहले ही नाराज हैं और नाराज हो जायेंगे (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनें। शांति बनाये रखें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की मांग पर सामान्य शिक्षा, प्राइमरी, शिक्षा और उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में सदन में माननीय सदस्यों के जो सुझाव आये हैं उनका मैं आदर और सम्मान करता हूं। माननीय सदस्यों ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में जो कमियां अपने भाषणों के दौरान दर्शायी हैं वे निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन करेंगी और हम उच्च शिक्षा को सुधार की दिशा में ले जा सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निरक्षरता एक अभिशाप है जो आज प्रदेश में ही नहीं वरन देश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने तो इसके बारे में चर्चा नहीं की लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने अपनी नीति के अनुसार 24 जिलों में सघन साक्षरता अभियान चलाया है अगले वर्ष शेष रहे 7 जिलों में अभियान चलाया जायेगा। इस प्रकार सम्पूर्ण राजस्थान में सघन साक्षरता की दृष्टि से कार्यवाही प्रारम्भ हो जायेगी और राज्य सरकार के सन् 2000 तक प्रत्येक बच्चे को साक्षर करने की नीति में कामयाब हो सकेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : यह सघन वृक्षारोपण है क्या?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : (व्यवधान)....माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज देश और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये केवल साक्षरता तक ही सीमित रहने से काम नहीं चलेगा वरन् जब तक हम बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक और मानव संसाधनों का विकास नहीं करेंगे तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि हम प्रदेश की उन्नति में योगदान दे रहे हैं।

उच्च शिक्षा के विकास का लगातार प्रयत्न करते चले जाना अत्यंत आवश्यक है। उच्च शिक्षा मंत्री के नाते जो जिम्मेदारी वर्तमान सरकार ने मुझे दी है जो विद्यालय और महाविद्यालय इन दोनों क्षेत्रों को न केवल विस्तारात्मक बल्कि गुणात्मक दृष्टि से भी उच्च शिक्षा को ऊंचे शिखर पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहने से नहीं चूकूंगा, नहीं कि जिस प्रकार की इच्छा शक्ति हमारे मन में है यदि वैसी ही पुरानी सरकार के मन में भी होती तो आज राजस्थान का उच्च शिक्षा में यह स्वयं उपस्थित नहीं होता। शेरगढ़ से आने वाले माननीय

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

सदस्य मेरे सामने बैठें हैं जब शिक्षा के विस्तार की चर्चा आयी तो वे अपनी ओर से कुछ कह रहे थे। मैं केवल सामान्य शब्दों के आधार पर नहीं कह रहा बल्कि आंकड़े दे सकता हूं कि कैसी उदासीनता बरती गयी है। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप देखने की कोशिश करें। 1980 में जनता पार्टी की सरकार जाने के पश्चात् जब तत्कालीन सरकार आयी तो वर्ष 1980 से 1985 के बीच राजस्थान में केवल एक महाविद्यालय की स्थापना की गयी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : 1992 से आगे का ही बता दें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वह भी बताता हूं, चिंता मत करो। एक-एक बताऊंगा, समय नहीं है वरना वह भी बताता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : यह तो इसलिये बताया है कि उस समय खेतसिंहजी शिक्षा मंत्री थे।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : मैं तो 1973 से 1977 तक था। उस समय मुल्क और राजस्थान की आबादी को देख लीजिये, उस हिसाब से उस वक्त की शिक्षा और आज की शिक्षा में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन आबादी बढ़ाने में आपका क्या योगदान है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारा योगदान कुछ भी नहीं है। हमारी तो कम आबादी है लेकिन राजस्थान की आबादी की बात करते है तो आपके मुकाबले में है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने 1980 से 1985 के बीच का जिक्र किया लेकिन 1985 से 1990 के पांच वर्षों को लें तो इस दौरान एक महाविद्यालय खोला गया और 1980 से 1985 के तो वह भी नहीं खोला गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी का डेढ़ वर्ष का राज लें जिसमें माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत मुख्य मंत्री और मैं शिक्षा मंत्री था, उस समय 13 महाविद्यालयों की स्थापना हुई। यह तो शुरूआत थी। फिर वर्तमान सरकार का काल शुरू हुआ, 1990 से 1993 के बीच 5 महाविद्यालयों की स्थापना की गयी। 1993-94 के काल की चर्चा मैं आपके सामने नहीं कर सकता लेकिन 1994 से 1997 तक 15 नये महाविद्यालयों की स्थापना की गयी और यहां भी रूकेंगे नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सारे के सारे आपके उधर के लोगों के खोले हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इधर के माननीय सदस्यों के क्षेत्र में यदि कालेज खोले हों तो वापस ले लें क्या ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : खोले ही नहीं, कोई चार-पांच खोले हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो खोले हैं वे वापस ले लें क्या ?

श्री राजेन्द्र पारीक : जन सहयोग से कितने महाविद्यालय खोले, यह बतायें तो थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा।

श्री अध्यक्ष : बैठो-बैठो, आपका ज्ञान अर्जन करवायेंगे अभी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : एक-एक करोड़ रुपये मांग रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : पढ़ाने वाले तो बाहर बैठे धरने पर पुकार रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जन सहयोग तो आपको भी मिल सकता था, आपने लिया नहीं या दिया नहीं, मुझे पता नहीं क्या हुआ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : "तां घर घाटा जानिये जो करे पुरानी बात"। अब आप पुरानी बातें कर रहे हैं कि 1982 में यह था, 1983 में यह था। आपके खुद के घाटा हुआ है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : वापस लेने की जरूरत नहीं है पर खेतसिंहजी आप इन सबको पढ़ाने बैठा दोगे। यह गारंटी दो।

श्री अध्यक्ष : कृपया इन्हें पूरा करने दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा यहीं समाप्त नहीं करूंगा। मैं तो प्री-इण्डिपेंडेंस और इण्डिपेंडेंस पीरियड की भी चर्चा करना चाहता हूं। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले राजस्थान की धरती पर 12 महाविद्यालय थे, उसके बाद के 30 वर्षों में 38 महाविद्यालय स्थापित किये गये।

मैं आपके सामने राजकीय महाविद्यालयों की चर्चा कर रहा हूं और सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा के विस्तार के लिये वर्तमान सरकार का क्या दृष्टिकोण है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के महाविद्यालयों की चर्चा भी मैं आपके सामने करना चाहूंगा। इस समय 8 महाविद्यालय अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में हैं। डूंगरपुर में महिला और पुरुष, बांसवाड़ा में महिला और पुरुष, प्रतापगढ़ में पुरुष, सलूम्बर, कुम्भलगढ़ और आबूरोड के कुल 8 महाविद्यालयों में से 4 हमने गत 5 वर्षों में खोले हैं। इण्डिपेंडेंस के बाद का समय, लें तो एक महाविद्यालय आबू रोड में हमको ही खोलने का मौका मिला। यह तो जनजाति क्षेत्र का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं जो तीन कालेज खोले गये तत्कालीन राज्य में उनको पोस्टग्रेजुएट करने का भी मौका 1977 में हमको मिला—चाहे वह डूंगरपुर हो, चाहे वह बांसवाड़ा हो, चाहे वह प्रतापगढ़ हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज एक सोच है और उस सोच के नाते एक कार्यक्रम लेने की हमने कोशिश की है।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आप के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस समय मैंने कार्यभार सम्भाला था आज के 3 वर्ष पहले राजस्थान में सरकारी और गैर सरकारी 167 महाविद्यालय थे। 71 महाविद्यालय सरकारी थे और शेष गैर सरकारी थे। 3 वर्ष की अवधि में यह संख्या बढ़ाकर 207 हो गयी है। 40 नये महाविद्यालयों की स्थापना की गयी है इन 3 वर्षों में। सरकारी और गैर सरकारी दोनों मिलाकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1994–95 में 8, 95–96 में 23 और 96–97 में 9 महाविद्यालय हमने इस साल खोले हैं। आपके माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूं ...

श्री परसराम मदेरणा : 11 लाख प्रति वर्ष इन्टेक आफ एनरालमेन्ट बढ़ रहा है ...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हां, वह भी बताऊंगा।

श्री परसराम मदेरणा : ....उसके अनुपात में आप क्या करेंगे ? 35 करोड़ से आप 95 करोड़ हो गये हैं। इसलिए खोलने पड़ेंगे वह तो। उसमें तो कोई खास बात नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने अभी सवाल किया कि जिस समय राजस्थान मिला था विरासत में....

श्री परसराम मदेरणा : 'बिरा है आसमां पर समां कुछ भी नहीं, गौर की बगली में दिल है पहलू में कुछ भी नहीं।'

श्री बलजीतसिंह : यह जो महाविद्यालय खोले है यह क्या आपने पैसे लिये और खोले गये हैं ? (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सरकारी महाविद्यालयों में कोई पैसा नहीं लिया। इसका जवाब पूरा हो जाने दीजिए। आपके क्षेत्र में बाड़ी में कन्या विद्यालय मैंने खोला है। इस बार प्राइवेट उसके लिए बधाई दीजिए ...

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने साइन्स कालेज कितने खोले ?

श्री बलजीतसिंह : हमारे यहां कोई कन्या महाविद्यालय नहीं है (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : गुलोटिन का समय हो रहा है। (व्यवधान) 7.30 पर गुलेटिन ..

श्री शिवनाथ सिंह : यह नहीं होगा। पहले तय हो गया था।

श्री अध्यक्ष : विराजें। मेरी बात पूरी सुने और टोकाटाकी नहीं करें............ विराजें आप....

श्री परसराम मदेरणा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री शिवनाथ सिंह : आपने तय कर दिया था, 7.30 का 7.30 ही रहेगा।

श्री अध्यक्ष : (व्यवधान) कृपया टोकाटाकी नहीं हो ...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ....माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

निवेदन करना चाहता हूं कि इतना ही नहीं हमारा सारा ध्यान महिला शिक्षा की ओर है। अगर आप देखेंगे तो 40 नये महाविद्यालयों की स्थापना जो हमने की है उसमें से 32 कन्या महाविद्यालयों की स्थापना हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री शैलेन्द्र जोशी : इसमें से साइंस कालेज कितने हैं? (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हम तीन वर्षों के पहले, राजस्थान की धरती पर इन्डिपेन्डन्स से पिछले सौ वर्षों में केवल कन्याओं के 15 महाविद्यालय थे। 3 वर्षों में 32 कन्या महाविद्यालय खोले गये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री रामनारायण चौधरी : झुंझुनू के अन्दर एक भी नहीं खोला। एक भी कालेज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें, विराजें। चौधरी साहब नाट अलाउड। (व्यवधान)...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जरा मेरी सहायता कीजिए...(व्यवधान)।...

श्री परसराम मदेरणा : आपने तो एक हजार महाविद्यालय खोल दिये कन्याओं के, बाड़मेर में 3 फीसदी भी (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं...

श्री रामनारायण चौधरी : झुंझुनू में एक भी सरकारी कालेज नहीं खोला 30 लाख की पापुलेशन में...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, विराजें, विराजें,...प्लीज/कोआपरेट विथ दी चेयर...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से आज जो 30 अनुदानित महिला महाविद्यालय हैं इसमें से 25 महाविद्यालयों को 90 प्रतिशत अनुदान हमने इस समय में दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जहां 93-94 में 31 हजार छात्राएं अध्ययनरत थीं वहां अब बढ़कर 44 हजार छात्रायें हो गयी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केवल प्रचार प्रसार की दृष्टि से नहीं गुणात्मक दृष्टि से भी। मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे निरीक्षण और प्रशिक्षण की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रशिक्षण की दृष्टि से टी. आर. एफ. की योजना हमने लगातार चालू की है। प्रत्येक विद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्राध्यापक जाते हैं और निरीक्षण के लिए हमने 8 असिस्टेन्ट डायरेक्टरों की नियुक्ति इस बार की है जो, की है, राजस्थान में निरीक्षण करके महाविद्यालयों का काम ठीक करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस दृष्टि से हमने सत्र का नियमितीकरण किया है। प्रवेश का दिन तय हो गया। परीक्षा का दिन तय

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

हो गया, छात्रसंघ के चुनाव की तिथि तय हो गयी और यहां तक भी आप देखेंगे कि 120 से 130 दिन हुआ करते थे शिक्षण के। नियमित कलेन्डर बनने के बाद वह दिन 170 हो गये हैं। इतना ही नहीं हमको विश्वास है कि यह संख्या बढ़कर 180 तक पहुंच जायेगी, जिस योजना से हम चल रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि प्राध्यापक और प्राचार्य उनकी सेवाओं की चिन्ता नहीं की गयी, बड़ी कठिनाई थी, राजस्थान में 450 व्याख्याता अस्थाई थे। अस्थायी होने के कारण नयी पोस्टिंग नहीं कर सकते थे। सहाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य महोदय ने चर्चा की थी स्थानान्तरणों की। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि क्योंकि हम नये प्राध्यापक नियुक्त कर सकते थे पिछले दो सालों में इसीलिए हम ढाई-ढाई महीने तक भेजते थे उनको और कहते थे कि ढाई महीने जाओ, पढ़ाओ और वापिस आ जाओ। उसके कारण ठीक व्यवस्था हुई। आज स्थिति यह हो गयी है कि 450 व्याख्याता नियमित हो गये हैं। इतना ही नहीं प्राचार्यों के लिए डी.पी.सी. नहीं हुई थी। नियम कानून गलत थे। डी.पी.सी. हमने करवाई और आज भी एक भी महाविद्यालय राजस्थान में ऐसा नहीं है कि जिसमें निश्चित रूप से नियमित रूप से प्राचार्य उपप्राचार्य लगे हुए नहीं हों। शनैः शनैः इतना ही नहीं इस सारी दृष्टि से दो वर्ष तक हमने कोशिश की। मैंने प्राचार्य महोदयों से निवेदन किया था कि गुणात्मक परिवर्तन लाना चाहिए, देश भक्ति के कारण होना चाहिए। मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि बिना सरकारी आज्ञा के आधे महाविद्यालयों में प्रारम्भ में 'वन्दे मातरम्' और अन्त में 'जन गण मन' प्रारम्भ हो गया है। इस बार हम आदेश भिजवा रहे हैं ताकि उनको एक आदत पड़े, एक अनुशासनहीनता में अनुशासन का निर्माण हुआ और इसी तरह महाराणा प्रताप का चित्र जो कि राजस्थान की शान बान है हमारे प्रत्येक महाविद्यालय में लगाकर हम उससे प्रेरणा लें–इस प्रकार की कोशिश की है। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं चर्चा करना चाहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : महात्मा गांधी को हटवा दिया आपने।

श्री अध्यक्ष : विराजें, विराजें "नोट अलाउड" बैठ जाइये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं चर्चा करना चाहता हूं कि महाविद्यालयों में इस प्रकार का गुणात्मक परिवर्तन हुआ है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। कृपया

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, खेल कूद के मंत्री को वक्तव्य देना है अभी तो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अभी तो दो मिनट का समय है ...

श्री परसराम मदेरणा : Hon'ble Speaker, sir, the time fixed by the

(श्री परसराम मदेरणा)

Hon'ble Chair for guillotine is sanctum sanctorium.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं बधाई देना चाहता हूं दौसा से आने वाले माननीय विधायक को, मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो कालेज हमने इस बार खोले हैं उदयपुर में हमने इन्जीनियरिंग कालेज की स्थापना कर दी। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और माइनिंग भी हो तो वह वहां खुलेगा और फुल फ्लेज्ड वह बनेगा। दो और सम्भाग बचे हैं अजमेर और बीकानेर। यहां भी कुछ वर्षों में दो-तीन वर्षों में हम निश्चित रूप से इन्जीनियरिंग कालेज खोलेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था हम प्रत्येक सम्भाग में करने का भी विचार रखते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, तदर्थ नियुक्तियों की चर्चा भी यहीं पर की थी हमारे माननीय सदस्य हिन्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आगामी 4 माह में कोई भी नियुक्ति तदर्थ नहीं रहेगी, सब का नियमित रूप से सलेक्शन करके उनका सलेक्शन कर दिया जायेगा....

श्री अध्यक्ष : विराजें आप, समाप्त करें।

मांग संख्या 24 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रुपये 18, 14, 81, 22,000 (अठारह अरब, चौदह करोड़ इक्यासी लाख बाइस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान एवं अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

अनुदान की शेष मांगों का पारण।

मुखबन्ध

मांग संख्या-1

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-1 राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,50,37,000/- (सात करोड़ पचास लाख सैंतीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-2

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-2 मन्त्री परिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,34,38,000/- (दो करोड़ चौंतीस लाख अड़तीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-3

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-3 सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 27,67,88,000/- (सत्ताइस करोड़ सड़सठ लाख अठ्यासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृति)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-4

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-4 जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 96,66,81,000/- (छियानवे करोड़ छियासठ लाख इक्यासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-5

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-5 प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,60,45,000/- (अठारह करोड़ साठ लाख पैंतालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-6

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-6 न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 51,23,24,000/- (इक्यावन करोड़ तेईस लाख चोइस हजार) तक की राशि जिसमे लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-8

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-8 राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 91,39,95,000/- (इकरानवे करोड़ उन्तालीस लाख पिचानवे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या–9

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-9 वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,21,95,42,000/- (एक अरब इक्कीस करोड़ पिचानवे लाख बयालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–10

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-10 विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,27,000/- (आठ लाख सत्ताइस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–11

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-11 विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,78,01,000/- (आठ करोड़ अठहत्तर लाख एक हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–12

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-12 अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,55,05,000/- (तेईस करोड़ पचपन लाख पांच हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–13

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-13 आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 87,45,29,000/- (सत्यासी करोड़ पैंतालीस लाख उन्नतीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-14

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-14 बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,01,04,000/- (छब्बीस करोड़ एक लाख चार हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-15

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-15 पेंशन व अन्य सेवाएं निवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 3,87,24,51,000/- (तीन अरब सत्यासी करोड़ चोइस लाख इक्यावन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-18

प्रश्न यह है कि मांग-18 जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 5,27,24,000/- (पांच करोड़, सत्ताईस लाख चोईस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-20

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-20 आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 80,85,39,000/- (अस्सी करोड़ पिच्यासी लाख उन्तालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-22

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-22 क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,78,62,36,000/- (एक अरब अठहत्तर करोड़ बासठ लाख छत्तीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-23

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-23 श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 35,30,21,000/- (पैंतीस करोड़ तीस लाख इक्कीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-25

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-25 कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,06,01,000/- (पच्चीस करोड़ छह लाख एक हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-26

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,76,00,04,000/- (रुपये पांच अरब छिहत्तर करोड़ चार हजार मात्र) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-28

प्रश्न यह कि मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 59,03,50,000/- (रुपये उनसठ करोड़ तीन लाख पचास हजार मात्र) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-30

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,65,34,51,000/- (रुपये दो अरब पैंसठ करोड़ चौंतीस लाख इक्यावन हजार मात्र) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या–31

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–31 पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,35,000/– (रुपये पन्द्रह लाख पैंतीस हजार मात्र) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–32

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–32 नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,44,16,000/– (रुपये बारह करोड़ चवालीस लाख सोलह हजार मात्र) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–33

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,59,69,20,000/– (रुपये एक अरब उनसठ करोड़ उनहत्तर लाख बीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–35

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 43,59,00,000/– (रुपये तिरालीस करोड़ उनसठ लाख) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–36

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 51,12,28,000/– (रुपये इक्यावन करोड़ बारह लाख अट्ठाइस

(श्री अध्यक्ष)

हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-37

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-37 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,15,38,95,000/- (रुपये दो अरब पन्द्रह करोड़ अड़तीस लाख पिचानवे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-38

प्रश्न यह है कि संख्या-38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,48,67,15,000/- (रुपये एक अरब अड़तालीस करोड़ सड़सठ लाख पन्द्रह हजार), तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-39

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 76,78,74,000/- (रुपये छिहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख चौहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-40

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-40 राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,18,28,000/- (चार करोड़ अट्ठारह लाख अट्ठाइस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-44

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-44 लेखन सामग्री के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997

(श्री अध्यक्ष)

को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,61,37,000/– (नौ करोड़ इकसठ लाख सैंतीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–47

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-47 पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,59,91,000/– (तेरह करोड़ उनसठ लाख इक्यानवे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-48

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-48-विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,05,19,00,000/– (पांच अरब पांच करोड़ उन्नीस लाख) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–49

प्रश्न यह कि मांग संख्या-49 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,31,42,000/– (अट्ठारह करोड़ इकतीस लाख बयालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-50

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-50-ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,14,51,25,000/– (दो अरब चौदह करोड़ इक्यावन लाख पचीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

विधायी कार्य
विधेयक का पुर:स्थापित

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1996

विधायी कार्य, पुर:स्थापित किये जाने वाला विधेयक, श्री भैरोंसिंह जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1996 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-तीन) विधेयक, 1996 को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1996 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 19.7.96 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.50 बजे, शुक्रवार दिनांक 19.7.1996 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 630 का विवरण

होटल देवदर्शन, उदयपुर में यात्रियों के ठहरने के लिये निम्न आवास व्यवस्था उपलब्ध है :—

(1)	फेमिली रूम	—	03
(2)	सिंगल बेड रूम	—	05
(3)	डबल बेड रूम	—	37
(4)	डिलक्स रूम	—	11
(5)	डोर मेटरिज (I–सामान्य–5) (II–डिलक्स-1)	—	06

(6) कार पार्किंग सुविधा

(7) लान सुविधा

(8) पानी की सुविधा हेतु वाटर टेंक

(9) स्वागत कक्ष/प्रतीक्षा कक्ष, टी. वी. व्यवस्था सहित

(10) डेजर्ट कूलर एवं गीजर की व्यवस्था

(11) केन्टीन सुविधा

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 634 का विवरण

कार्यालय जिला परिषद, बूंदी

विभागीय जांच प्रतिवेदन

विरुद्ध श्री शमशुदीन, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बामनगांव, प. स. नैनवां, जिला बूंदी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 3/ऐबे/8/जांच/बूंदी/93/5266, दिनांक 24-8-94 के अनुसार श्री शमशुदीन पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बामनगांव प.स. नैनवां, जिला बूंदी के विरुद्ध राजस्थान पंचायत सामान्य नियम: 1961 के नियम 21(2) के आरोप पत्र दिये जाने पर उनके द्वारा आरोपों का खण्डन करने से नियम 21(3) के अन्तर्गत जांच कराना इष्ट कर होने से राज्य सरकार द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बूंदी को सरपंच शमशुदीन ग्रा. पं. बामनगांव के विरुद्ध लगे आरोपों की जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त करने पर नियम 21(4) के अनुसार जांच अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन निम्नानुसार है :—

आरोपों का विवरण :—ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद एवं समय-समय पर ग्राम पंचायत के रेकार्ड एवं कोष की राशि प्रशासक/नव निर्वाचित सरपंच को सम्मलवाने हेतु स्मरण कराने के बावजूद आपके द्वारा चार्ज न सम्मलवा कर कर्तव्य की उपेक्षा की है।

श्री शमशुदीन पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बामनगांव को अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों का खण्डन करने हेतु कोई साक्ष्य हेतु अथवा स्वयं उपस्थित होने एवं पैरवी करने हेतु रजि. ए. डी. पत्र क्रमांक 4559 दिनांक 21-9-94 का 6-10-94 को उपस्थिति बाबत जारी किये जाने पर श्री शमशुदीन ने बयान किया कि वे सन् 1981-82 से बामनगांव ग्राम पंचायत के सरपंच बने। बाद में जगदीश नागर सरपंच बने क्योंकि मैं चुनाव में खड़ा नहीं हुआ। पंचायत का मेरे पास कोई चार्ज नहीं था। चार्ज उस समय के सेक्रेट्री के भंवरलाल नागर के पास था मेरे पास सिर्फ मुहर थी जो कि सारा चार्ज सरपंच की मोहर वगैरह उसको दे दी थी। चुनाव के एक महिने पहले ही उसने सारा रिकार्ड ले लिया थोड़े रेकार्ड में मेरे पास केवल मुहर थी पास-बुकें वगैरह सैक्रेट्री के पास रहती थी जब मैंने पंचायत का चार्ज दिया उस समय

मैंने सैक्रेट्री से पूछा रिकार्ड में कितना बकाया है तो सैक्रेट्री के कहे अनुसार 9.50 पैसे मैंने उनको दे दिये। मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूं मुझे फंसा मत देना। इसी बाबत मेरा एक केस नैनवां कोर्ट में भी चल रहा है अभी फैसला नहीं हुआ है।

पंचायत प्रसार अधिकारी के पूछने पर चार्ज के लेनदेन बाबत सबूत नहीं है मैंने तो जो कुछ भी मेरे पास था सैक्रेट्री को दे दिये। रसीद नहीं ली।

पंचायत प्रसार अधिकारी ने राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 16 की उपधारा 12 व 13 के तहत सरपंच ही उत्तरदायी है बयान किया।

सरपंच द्वारा एक माह पूर्व मोहन वगैरह चार्ज एवं नकद देने में कोई रसीद नहीं प्रस्तुत करना संदेहास्पद है।

सरपंच द्वारा कोर्ट नैनवां में इस बाबत कार्यवाही जेरे पेंडिंग बताया भी इसकी पुष्टि करता है कि सरपंच द्वारा चार्ज के विषय में राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 15 का की उप धारा 2 की अवहेलना कर कर्तव्य की अपेक्षा की है।

आरोपों की पुष्टि होती है।

जांच प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह०/–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव
जिला परिषद, बूंदी

श्री शमशुद्दीन पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बामनगांव पंचायत समिति नैनवां (बून्दी) के विरुद्ध बकाया पंचायत चार्ज/राशि का विवरण ।

1.	नगद राशि	9.60 पै.
2.	स्टाक रजिस्टर के अनुसार	2 क्वि. 37 किलो 619 ग्राम गेहूं बकाया है । (दर 165/- रु. प्रति क्वि. राशि 392.70/-)
3.	खाली बोरियां गेहूं	225 नग (दर 4.50 पै. प्रति बोरी राशि 1012.50 पै.)

इस प्रकार कुल राशि 1415/- बकाया है ।

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न सं. 628 का विवरण

सूची सिन्थेटिक्स इकाइयों की जिन्हें दिनांक : 18-4-96 को पत्र लिखा गया।

क्रमांक	नाम इकाई		
1.	नर्मीकार फैब्रिक्स, एफ. 252,	माण्डिया रोड, औद्योगिक क्षेत्र	
2.	मेघा टेक्स प्रिन्ट, एफ-141	,,	,,
3.	गजेन्द्र प्रिन्टर्स, ई-11	,,	,,
4.	श्रीकान्त टैक्स. एफ-306	,,	,,
5.	कवाड़ फेब्रिक्स, ई-15	,,	,,
6.	एस. यू. एन. टैक्स. एफ-326	,,	,,
7.	मरूधर इंडस्ट्रीज, एफ-142	,,	,,
8.	पार्श्वनाथ फेब्रिक्स प्रा. लि.	,,	,,
9.	श्री प्रिन्ट	,,	,,
10.	आनन्द डिपाईजिंग	,,	,,

परिशिष्ट-4

समयाभाव के कारण सदन में न लिये जा सके

तारांकित प्रश्नोत्तर

किशनगढ़-बास, भिवाड़ी ग्रोद्योगिक क्षेत्र का भूमि अधिग्रहण प्रकरण

635. श्री मदन मोहन (खैरथल) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि किशनगढ़ बास भिवाड़ी ग्रोद्योगिक क्षेत्र अलवर में जो भूमि अधिग्रहण की जा रही है, में अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार का मामला सरकार के ध्यान में आया है ? यदि हां, तो किसके विरुद्ध, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। किशनगढ़ बास एवं भिवाड़ी ग्रोद्योगिक क्षेत्र जिला अलवर में जो भूमियां अधिग्रहित की जा रही हैं, उनमें अनियमितता एवं भ्रष्टाचार का कोई ठोस मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। यदि ऐसा कोई ठोस मामला सरकार को प्रेषित किया जाता है तो तत्काल जांच कर कार्यवाही की जावेगी।

(2) प्रश्न के भाग एक में उल्लिखित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि उपज मण्डी समितियों में सचिवों का पदस्थापन

636. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) एवं श्री प्रद्युम्नदास मदान (लाडपुरा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों का श्रेणीवार विभाजन किया गया है ? यदि हां, तो श्रेणी विभाजन की विज्ञप्ति व आदेश की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने मण्डी समितियों में मण्डी सचिवों का पदस्थापन एवं नियुक्ति मण्डी की श्रेणी के अनुरूप किया है ? यदि हां, तो सरकार के निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) निर्धारित मानदण्डों के विपरीत सचिव पद पर पदस्थापित अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें। नीति विरुद्ध

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

लगे हुए अधिकारियों को कब तक हटाया जाकर नीति के अनुसार पदस्थापन कर दिया जावेगा ?

(4) क्या श्री गंगानगर कृषि मण्डी सरकार द्वारा विज्ञापित आदेशों के अनुसार विशिष्ट श्रेणी में आती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने वहां पर मण्डी सचिव के पद पर श्रेणी के अनुसार योग्य व्यक्ति को नियुक्त किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार मण्डी समितियों में मण्डी सचिवों के पद पर मण्डी के श्रेणी के अनुरूप सचिवों के पदस्थापन का विचार रखती है किन्तु कुछ अपरिहार्य कारणों से यह पदस्थापन नहीं हो पाया है।

(3) निर्धारित मानदण्ड के विरुद्ध पद स्थापित अधिकारियों की सूची जो परिशिष्ट 'ब'' पर संलग्न है, सदन की मेज पर रख दी गई है। नीति के विरूद्ध पदस्थापित अधिकारियों को शीघ्र हटाया जाकर नीति के अनुरूप अधिकारियों का पद स्थापन कर दिया जायेगा।

(4) जी हां। श्रेणी अनुसार योग्य व्यक्ति नियुक्त है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अरावली वन विकास योजना

637. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ) एवं श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में अरावली क्षेत्र में वन विकास की योजना कब से प्रारम्भ की गई तथा इस पर अब तक कितना व्यय किया गया ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में अब तक किस-किस क्षेत्र में क्या-क्या कार्य करवाया गया है तथा क्या कार्य करवाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(3) क्या उक्त योजना पर विदेशों से भी ऋण या सहायता प्राप्त की गई है ? यदि हां, तो कितनी राशि एवं किन शर्तों पर ?

(4) यदि उक्त योजना पर व्यय की गई राशि के कार्यों का मूल्यांकन भी करवाया गया है ? यदि हां, तो कब एवं उसके क्या परिणाम रहे ?

(5) क्या उक्त योजना पर कार्यरत कर्मचारियों अथवा खर्च की गई राशि के विषय में शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) अरावली क्षेत्र में वन विकास की योजना अप्रेल, 1992 से प्रारम्भ की गई है। जिलेवार व्यय की सूचना परिशिष्ट "क" के अनुसार है।

(2) विवरण परिशिष्ट–"ख" के अनुसार है।

3) जी हां। ओ. ई. सी. एफ. जापान द्वारा जून, 96 तक 3650 मिलियन येन राशि इस परियोजना हेतु भारत सरकार को स्वीकृत, की है, जिसके विरुद्ध भारत सरकार से अब तक 10517.97 लाख रुपये की राशि राजस्थान सरकार को दी जा चुकी है एवं राशि रुपये 962.77 लाख अभी भारत सरकार से प्राप्त होना बकाया है। मुख्य शर्तों का विवरण परिशिष्ट–'ग" के अनुसार है।

(4) जी हां। अरावली परियोजना की आयोजना एवं प्रबोधन यूनिट द्वारा वर्ष 94–95 एवं 95–96 में विभिन्न समय पर मूल्यांकन किया गया है, जिसके आधार पर अधिकांश वृक्षारोपण क्षेत्रों में जीवित पौधों का प्रतिशत 50 से 80 के बीच में आया है।

(5) जी हां। प्राप्त शिकायतों पर संबंधित प्राधिकृत/सक्षम अधिकारियों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

अरावली वृक्षारोपण परियोजना में वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96 तथा
1996-97 में जिलेवार किये गये व्यय की सूचना

(राशि लाख रुपये में)

जिले का नाम	1992–93	1993–94	1994–95	1995–96	1996–97 (आवंटन)
1	2	3	4	5	6
अलवर	92,40	169.75	298.756	377.43	240.55
बांसवाड़ा	77.48	204 37	375.075	485.53	277.29
चित्तौड़गढ़	134.63	321 10	513.787	836.73	484.23
दौसा	8 48	29.86	96.924	125.61	84.16
जयपुर	446.48	655.93	902.945	951.35	552.35
नागौर	75.65	182.92	265.834	296.81	188.10
पाली	62.27	76.82	164.303	296.83	110.54

1	2	3	4	5	6
सीकर एवं झुंझुनू	156.62	336.19	451.96	575.14	372.83
सिरोही	46.38	105.55	156.510	291.45	182.83
उदयपुर	361.36	737.36	1145.410	1276.95	779.34
योग	1461.75	2819.85	4369.504	5513.83	3272.22

(270)

पुनरुद्धार		पंचायत भूमि वृक्षारोपण					एनीकट (संख्या)	नवीन पौधशालाओं की संस्थापन (संख्या)
96–97 प्रस्तावित	योग	93–94	94–95	95–96	96–97 प्रस्तावित	योग		
1700	4700	200	260	300	250	1010	24	1
3250	10100	340	880	1240	1060	3520	13	4
1300	4500	400	200	200	170	970	0	2
1400	3900	200	300	300	230	1030	0	1
1000	3750	400	320	500	400	1620	0	4
1000	4100	400	420	160	250	1230	11	0
1700	4450	200	100	100	140	540	9	0
7250	19950	360	320	740	630	2050	35	3
3700	10850	300	820	860	770	2750	12	3
3300	9880	200	240	100	100	640	0	0
5600	76180	3000	3860	4500	4000	15360	104	18

ओ. ई. सी. एफ. जापान से भारत सरकार के हुए अनुबन्ध की मुख्य शर्तें

1. यह अनुबन्ध समुन्द्र पारीय आर्थिक सहायता निधि जापान (ओ. ई. सी एफ. जापान) और भारत सरकार के मध्य हुआ है।
2. ओ. ई. सी. एफ. जापान से अनुबन्ध 8095 मिलियन येन राशि के लिए हुआ है।
3. परियोजना के लिए उपलब्ध कराई गई राशि पर 2.60 प्रतिशत ब्याज देय होगा।
4. समस्त राशि परियोजना पूर्ण होने के 20 साल के अन्दर लौटानी होगी।
5. इस परियोजना की अवधि 1–4–92 से प्रारम्भ होकर 31–3–99 तक होगी।

जिला धौलपुर के विद्यालयों में व्याख्याताओं के पद

638. श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय बयाना (छात्र) जिला भरतपुर एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी, जिला धौलपुर में व्याख्याताओं के हाल ही में पद समाप्त किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या समाप्त किये गये पदों के स्थान पर उक्त विद्यालयों में अन्य पद सृजित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) कौन कौनसे विषय के व्याख्याताओं के कितने-कितने पद समाप्त किये गये ? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, बसेड़ी जिला-धौलपुर, राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, बयाना जिला-भरतपुर में कुछ व्याख्याताओं के पद समानीकरण में अधिशेष होने के कारण समाप्त किये गये हैं।

(2) जी नहीं।

नवीन पद सृजित नहीं किए गए। समीक्षोपरान्त कुछ पद यथावत रखे गये हैं।

(3) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

बिन्दु संख्या तीन की सूची (व्याख्याताओं के समाप्त किये गये पद)

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	विषय	पदों की संख्या
1.	रा.सी.मा.वि , बसेड़ी	गणित	1
	(धौलपुर)	वाणिज्य	3
2.	रा.सी.मा.वि. बयाना,	वाणिज्य	1
	(भरतपुर)	कृषि	1

भूमि विकास बैंक, झुन्झुनूं

639. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भूमि विकास बैंक, झुन्झुनूं में जून, 1995 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में कितनी-कितनी लाभ अथवा हानि रही ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन पांच वर्षों में बैंक द्वारा दिया गया ब्याज तथा बैंक द्वारा प्राप्त ब्याज की राशि कितनी-कितनी रही ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में बैंक द्वारा प्राप्त ब्याज की राशि तथा बैंक द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों आदि के वेतन भत्तों पर व्यय की गई राशि का अनुपात क्या रहा तथा वेतन भत्तों आदि से भिन्न किये गये खर्चों का अनुपात क्या रहा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूचना परिशिष्ट 'क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचना परिशिष्ट "ख" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूचना परिशिष्ट 'ग' के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर भूमि विकास बैंक, झुंझुनूं में मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों में रही लाभ हानि का विवरण निम्न प्रकार है :—

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	वर्ष	लाभ	हानि	
1.	90–91	1.42	—	(उक्त सूचना वित्तीय वर्ष के आधार पर दी गई है)
2.	91–92	1.68	—	
3.	92–93	—	95.03	
4.	93–94	29.50	—	
5.	94–95	—	60.85	

(280)

ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर इन पांच वर्षों में बैंक द्वारा दिये गये ब्याज तथा बैंक द्वारा प्राप्त ब्याज की राशि का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :—

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	वर्ष	ब्याज प्राप्त	ब्याज दिया
1.	90–91	95.34	74.08
2.	91–92	131.18	105.27
3.	92–93	256 33	179.39
4.	93–94	255.29	182.01
5.	94–95	231.67	190.29

भूमि विकास बैंक, झुन्झुनूं द्वारा की गई ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर उक्त अवधि में बैंक द्वारा प्राप्त ब्याज की राशि एवं अधिकारियों/कर्मचारियों आदि के वेतन भत्तों आदि पर व्यय की गई राशि एवं अन्य खर्चों का अनुपात का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र सं.	वर्ष	प्राप्त ब्याज	वेतन भत्ते	प्राप्त ब्याज से अनुपात	अन्य खर्चे	प्राप्त ब्याज से अनुपात
1.	90–91	95.35	18.56	19.56	6.71	5.04
2.	91–92	131.18	23.39	17.83	7.56	5.76
3.	92–93	256.33	25.49	9.94	5.53	2.16
4.	93–93	255.29	29.74	11.65	9.53	3.73
5.	94–95	231.67	33.28	14.36	10.78	4.65

यात्री वाहनों के परमिट जारी करने के मानदण्ड

640. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा की मिनी ट्रक की गाड़ी बनवाने के पश्चात् इन्हें सवारी वाहन अथवा निजी वाहन में पास नहीं किया जाता ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इन जीपों को भी सवारी वाहन के रूप में अनुमति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार टाटा 407 एवं 608 की बाड़ी बनने के पश्चात् सवारी वाहन में प्रयोग की अनुमति दे रही है ? यदि हां, तो वर्ष 1994 से अब तक कितनी टाटा 407 एवं 608 को परमिट दिये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार टाटा गाड़ियों 407 व 608 को इस तरह की अनुमति देने पर रोक लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत प्रत्येक मोटर वाहन का आदिप्ररूप (प्रोटोटाइप) का प्रमाण पत्र निर्धारित अभिकरणों से प्राप्त किया जाना आवश्यक है । अतः महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा नामक कम्पनी द्वारा निर्मित मिनी ट्रक, जिसका आदिप्ररूप (प्रोटोटाइप) भार वाहन के लिए प्रमाणित है, का सवारी वाहन और निजी वाहन के रूप में पंजीयन नहीं किया जा सकता है ।

(2) जी हां । टाटा 407 और 608 वाहनों का भार वाहन और सवारी वाहन दोनों के रूप में अलग-अलग आदिप्ररूप (प्रोटोटाइप) प्रमाणित है और इनके प्रमाणित आदिप्ररूप (प्रोटोटाइप) के अनुसार ही भार वाहन/यात्री के रूप में इनका पंजीयन किया जाता है । वर्ष 1994 से मई, 96 तक टाटा 407 एवं 608 वाहनों को स्थायी संविदा वाहन के 442 परमिट और मंजिली वाहनों के 588 परमिट जारी किए गए हैं ।

(3) जी नहीं । वाहन का पंजीयन नियमानुसार वाहन के प्रमाणित आदिप्ररूप-(प्रोटो टाइप) के अनुसार किया जाता है ।

पंचायत समिति बीकानेर एवं लूणकरणसर के आंगनबाड़ी केन्द्र

641. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, बीकानेर एवं लूणकरणसर क्षेत्र में आंगनबाड़ी योजना कब चालू की गई तथा अब तक कितनी आंगनबाड़ियां प्रारम्भ करने के लक्ष्य के मुकाबले कहां-कहां कितनी आंगनबाड़ियां प्रारम्भ की गई ?

(श्री भीमसेन चौधरी)

(2) क्या यह सही है कि सम्बन्धित अधिकारियों की शिथिलता एवं जनसम्पर्क के अभाव में इस स्कीम की प्रगति नगण्य रही है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, बीकानेर में बाल विकास परियोजना वर्ष 1994-95 में स्वीकृत की गई । इस परियोजना में 247 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत है। इन स्वीकृत केन्द्रों के मुकाबले 196 आंगनबाड़ी केन्द्र प्रारम्भ किये जा चुके हैं। केन्द्रों की सूची परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है। पंचायत समिति लूणकरणसर में बाल विकास परियजना वर्ष 1995-96 में स्वीकृत हुई हैं। इस परियोजना में 156 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है। नव स्वीकृत परियोजना होने के कारण आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी नहीं।

बाल विकास परियोजना बीकानेर में चालू केन्द्रों की सूची

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	चालू केन्द्र	क्र. सं.	केन्द्र का नाम	चालू केन्द्र
1.	मालासर	1	21.	किलचूदेवडान	1
2.	गेरसर	1	22.	कल्याणसर अगूंणा	1
3.	डांडूसर	2	23.	सुरधरणा	1
4.	जगदेववाला	1	24.	गाढवाला	3
5.	कतरियासर	2	25.	जामसर	1
6.	कानासर	3	26.	दाउदसर	1
7.	भरूपादा	1	27.	जलालसर	2
8.	शोभासर	1	28.	लूणीया बड़ा बास	1
9.	खारा	2	29.	राजेरा	2
10.	हुसनसर	1	30.	खारड़ा	1
11.	बम्बलू	4	31.	गुसाईस	2
12.	लालमदेसर	2	32.	शेरेरा	2
13.	स्वरूपदेसर	2	33.	हेमरा	1
14.	बरसिंहसर	4	34.	नौरंगदेसर	3
15.	बासी	1	35.	रासीसर	1
16.	केसरदान जाटान	3	36.	सीथल	3
17.	करणीसर बीकान	1	37.	तेजरासर	2
18.	अम्बासर	2	38.	बेलासर	2
19.	गीगासर	1	39.	मूडसर	4
20.	रामसर	3	40.	सुरजसिंह पुरा	1

1	2	3	1	2	3
41.	पलाना	5	66.	मलदीन	2
42.	नापासर	4	67.	31 के वाई डी	1
43.	रिडमलसर	2	68.	एस. एस एम.	1
44.	नालबड़ी	4	69.	25 के वाई डी.	1
45.	रायसर	1	70.	1-2 के डब्ल्यू एम	1
46.	हिमतासर	1	71.	28 बी डी	1
47.	उदासर	3	72	14 बी. डी.	3
48.	पेमासर	1	73.	20 बी डी.	1
49.	कोलासर	2	74.	10 बी डी	1
50.	मेघासर	1	75.	8 के वाई डी	1
51.	बच्छावर	1	76.	6 बी डी	1
52.	जनमलसर	1	77.	1 पी एच एम	1
53.	शावनी	2	78.	7 के वाई डी	1
54.	वदरासर	1	79.	12 के वाई डी	1
55.	जालवाली	1	80.	22 के वाई डी	1
56.	लाखुसर	1	81.	उदयरामसर	4
57.	कालासर	2	82.	कंकराला	1
58	सवाईसर	1	83.	13 के वाई डी	1
59.	करणीसर भाटियान	1	84.	4-7 पी एच एम	1
60.	बान्दरवाला	1	85.	5 के जे डी	1
61.	वरजू	1	86.	खाजूवाला	5
62.	मोतीगढ़	2	87.	माघो डिग्गी	1
63.	सियासर पंचकोसा	1	88.	3 पी डब्ल्यू एम	1
64.	दन्तौर	2	89.	1 के जे डी	1
65.	वतसर	2	90.	के वाई डी	1

1	2	3	1	2	3
91.	19 के जे डी	1	103.	जोधासर	3
92.	1 एस एस एम	1	104.	3 बी एम	1
93.	पूगल	4	105.	सत्तासर	2
94.	आडूसी	2	106.	1 एस डी डब्ल्यू	1
95.	2 ए डी	1	107.	छतरगढ़	4
96.	गंगाजली	1	108.	खारवाली	1
97.	कुम्हारवाला	1	109.	4 आर जे डी	1
98.	राणीसर	1	110.	3 सी एच डी	[illegible]
99.	फलावाली	1	111.	लूणखां	2
100.	रामड़ा	1	112.	किसनपुरा	1
101.	मसरपुरा	4	113.	राणेवाला	2
102.	मानीपुरा	1			
					196

पंचायत राज संस्थाओं के रिक्त पदों की पूर्ति

642. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) एवं श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच एवं पंचों के कितने-कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों पर शीघ्र चुनाव करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य के प्रमुख, प्रधान, सरपंच एवं पंचों के रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रधान/प्रमुख के रिक्त पदों को छोड़कर अन्य रिक्त पदों पर उप चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराये जाते हैं। रिक्त पदों के चुनाव कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को लिख दिया गया है। प्रधान/प्रमुख के रिक्त पदों पर चुनाव कराये जाने के निर्देश विभाग द्वारा दिये जा चुके हैं।

	जिला	जिला परिषद			पंचायत समिति			पंचायत		
		प्रमुख	उप प्रमुख	सदस्य	प्रधान	उप प्रधान	सदस्य	सरपंच	उप सरपंच	पंच
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अजमेर	—	—	—	1	—	—	—	—	22
2.	अलवर	—	—	—	—	—	—	2	—	36
3.	बारां	—	—	—	—	—	—	—	—	22
4.	बांसवाड़ा	—	—	—	—	—	—	1	—	16
5.	बाड़मेर	—	—	—	—	—	—	3	—	29
6.	भरतपुर	—	—	1	—	—	—	—	—	2
7.	भीलवाड़ा	—	—	—	—	—	—	4	—	26
8.	बीकानेर	—	—	—	—	—	—	1	1	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	बूंदी	—	—	—	—	—	—	—	—	13
10.	चित्तौड़गढ़	—	—	—	—	—	—	2	—	13
11.	चूरू	—	—	—	—	—	—	1	—	20
12.	दौसा	—	—	—	—	—	—	1	—	9
13.	डूंगरपुर	2	—	—	—	—	—	2	—	28
14.	धौलपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	18
15.	गंगानगर	—	—	—	1	—	—	1	—	13
16.	हनुमानगढ़	—	—	—	—	—	—	3	2	15
17.	जयपुर	—	—	—	—	—	—	4	—	24
18.	जैसलमेर	—	—	—	—	—	—	—	—	10
19.	जालौर	—	—	1	—	—	—	2	4	19
20.	झालावाड़	—	—	—	—	—	—	1	—	9
21.	झुन्झुनूं	—	—	—	—	—	—	1	3	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	जोधपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	19
23.	कोटा	—	—	—	—	—	—	—	—	8
24.	नागौर	—	—	—	—	—	—	3	—	32
25.	पाली	—	—	—	—	—	—	3	2	31
26.	राजसमन्द	—	—	—	—	—	—	—	—	22
27.	सवाई माधोपुर	—	—	—	—	—	1	2	—	32
28.	सीकर	—	—	—	—	—	—	4	—	19
29.	सिरोही	1	—	—	—	—	—	1	—	1
30.	टोंक	—	—	—	—	—	—	—	—	18
31.	उदयपुर	—	—	—	—	—	—	7	—	20
	योग :	2	—	2	2	—	1	49	13	565

अधिकारियों द्वारा विधायकों के पत्रों का उत्तर

643. श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक 10 (2)प्र.सु./अनु./1 समन्वय/96 दिनांक 16 फरवरी, 1996 जारी कर राज्य अधिकारियों द्वारा विधायकों को उनके पत्रों का उत्तर देने के निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो क्या इस आदेश की पालना पूर्णरूपेण हो रही है ?

(2) प्रशासक, कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को किस-किस विधायक ने जून, 1996 में पत्र लिखे और क्या प्रशासक ने उन पत्रों का उत्तर विधायकों को दिया ? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध राज्यदेश की अवहेलना व विधायक को सूचना नहीं देने के लिए उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । इस आदेश की पूर्णरूपेण पालना हो रही है ।

(2) प्रशासक, कृषि विपणन बोर्ड को जून, 96 में विधायकों द्वारा लिखे गये पत्र एवं दिये गये उत्तर की सूचना निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	विधायक का नाम	उत्तर देने का दिनांक
1.	श्री भंवरसिंह डांगावास	2-7-96
2.	श्री नसरू खां राज्य मंत्री उद्योग	4-7-96
3.	श्री अचलाराम मेघवाल राज्य मन्त्री आयुर्वेद विभाग	4-7-96
4.	श्री हरिशंकर भाभड़ा उप मुख्य मन्त्री	6-7-96
5.	श्री अमर चन्द मिड्ढा	8-7-96

(3) जो पत्रादि प्राप्त हुए उनका उत्तर माननीय विधायकों को प्रेषित किया गया है अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला झुन्झुनूं का वृक्षारोपण कार्यक्रम

644. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुन्झुनूं जिले की अलसीसर तथा झुन्झुनूं पंचायत समिति क्षेत्रों में वन विभाग में "रेगिस्तान विकास कार्यक्रम" तथा अन्य योजनाओं के तहत किन-किन स्थानों पर वृक्षारोपण एवं अन्य कार्य वर्ष 1994-95 व 1995-96 तथा 1996-97 में किया गया ?

(2) प्रत्येक पर कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या इन कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया ? यदि हां तो कब-कब किस-किस अधिकारी द्वारा एवं इसमें क्या तथ्य सामने आये ?

(4) झुन्झुनूं के बीड़ में वन विभाग का क्या कार्यक्रम चल रहा है तथा कितना व्यय वर्तमान में हो रहा है एवं कितने अधिकारी कर्मचारी किन कार्यों हेतु नियुक्त हैं ? तथा कार्य की क्या प्रगति है विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) झुन्झुनूं जिले की अलसीसर तथा झुन्झुनूं पंचायत समिति क्षेत्र में वन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराए गए वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्यों का स्थलवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार हैं ।

(2) इन कार्यों पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार हैं ।

(3) जी हां, इन कार्यों का भौतिक सत्यापन क्षेत्रीय वन अधिकारी, झुन्झुनू द्वारा जून, 95 एवं जून, 96 में कराया गया है । वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में कराये गये वृक्षारोपण कार्यों में पौधों का जीवित प्रतिशत परिशिष्ट "क" के अनुसार हैं ।

(4) झुन्झुनूं बीड़ में वन विभाग की पौध शाला है जिस में वृक्षारोपण एव वितरण हेतु विभिन्न प्रजातियों के पौधे तैयार किए जाते हैं । वर्ष 1995-96 में 1.00 लाख नवीन पौध तैयारी पर रुपये 1.05 लाख एवं वर्ष 1994-95 के 0.50 लाख पौधों के संधारण पर रुपये 0.35 लाख तथा कुल व्यय 1.40 लाख हुआ है । वर्ष 1996-97 के लिए अभी तक बजट आवटन नहीं हुआ है । बीड़ पर एक वनपाल नियमित रूप से तैनात है, जो वन सुरक्षा एवं पौध तैयारी का कार्य करते हैं । इसके अतिरिक्त दैनिक मजदूरी पर अस्थायी श्रमिक कार्य की उपलब्धता के आधार पर लगाये जाते हैं ।

पंचायत समिति झुन्झुनूं एवं मलसीसर में वर्ष 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 में कराये गये वृक्षारोपण कार्यों का विवरण

क्र. सं.	नाम कार्यस्थल	क्षेत्रफल	गाँवों का नाम	वृक्षारोपण वर्ष	योजना	व्यय राशि (रु. लाख में)	जीवित पौधों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
पंचायत समिति झुन्झुनूं :							
I 1.	ग्रामीण ईन्धन भीमसर	24 है	भीमसर	1994-95	मरु विकास कार्यक्रम	5.06	80
2.	— ,, — तोलियासर	17	तोलियासर	,,	,,	3.58	80
3.	— ,, — टोडरवास	25	टोडरवास	,,	,,	5.28	80
4.	— ,, — दौरावास	17	दौरावास	,,	,,	3.59	82
5.	— ,, — कोलाली	23	कोलाली	,,	,,	4.84	73
6.	नदी किनारे चिचड़ोली	25	चिचड़ोली	,,	,,	2.67	69
7.	सिल्वीपेस्ट्रोल सिगडी	40	सिगड़ी	,,	,,	1.93	79

294

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	सिल्वीपेस्ट्रोल बीड़ झुन्झुनूं	35	झुन्झुनूं	,,	,,	1.37	70
9.	शेल्टर बेल्ट झुन्झुनूं-मंडाव	25 आरकेएम	—	,,	,,	6.10	70
10.	— ,, — मुकन्दगढ़-मंडावा	15 आरकेएम	—	,,	,,	3.91	76
	योग-I	206 है. + 40 आरकेएम				38.33	
II 1.	ग्रामीण ईंधन रसौड़ा	9 है.	रसौड़ा	1995–96	मरू विकास कार्यक्रम	2.01	75
2.	— ,, — चुड़ीचतरपुरा	25	चुड़ीचतरपुरा	,,	,,	5.40	76
3.	शहरी सौंदर्यकरण बंधेका बालाजी	5	झुन्झुनूं	,,	शहरी सौन्दर्यकरण	1.80	80
4.	— ,, — झुन्झुनूं-सीकर रोडसाइड	6 आरकेएम	झुन्झुनूं	,,	,,	2.66	79
	योग-II	39 है. + 6 आरकेएम				11 87	

1	2	3	4	5	6	7	8
III 1.	ग्रामीण ईंधन दौरासर	20 है.	दौरासर	1996-97	आश्वासित रोजगार योजना	1.05	वृक्षारोपण कार्य प्रगति पर है।
2.	— ,, — मारीगसर	20	मारीगसर	,,	,,	1.39	,,
	योग-III	40 है.			-	2.39	
	पंचायत समिति अलसीसर						
I 1.	ग्रामीण ईंधन, खारिया	28 है.	खारिया	1994-95	मरु विकास कार्यक्रम	5.86	80
2.	— ,, — बीदासर	23	बीन्दासर	,,	,,	4.86	81
3.	— ,, — दुलचास	25	दुलचास	,,	,,	4.27	80
4.	— ,, — बाजला	29	बाजला	,,	,,	6.12	79
5.	— ,, — कमालसर	19	कमालसर	,,	,,	4.00	69
6.	सिल्वीपेस्ट्रोल, बिलोई	40	बिलोई	,,	,,	1.60	79

297

(296)

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	टिब्बास्थिरीकरण	30	सेसु	,,	,,	2.13	80
8.	— ,, — गांग्यासर	20	गांग्यासर	,,	,,	1.53	80
	योग-I	214 है.				30.37	
II 1.	ग्रामीण ईंधन, हंसासर	20	हंसासर	1995–96	मरू विकास कार्यक्रम	4.51	70
	योग-II	20 है.				4.51	
III 1.	ग्रामीण ईंधन, चुड़ेला	25 है.	चुड़ेला	1996–97	आश्वासित रोजगार योजना	1.10	वृक्षारोपण कार्य प्रगति पर हैं।
2.	— ,, — हंसासरी	20	हंसासरी	,,	,,	1.13	,,
3	— ,, — दौलतपुरा	25	दौलतपुरा	,,	,,	1.86	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	— ,, — चन्दवा	25	चन्दवा	,,	,,	1.25	,,
5.	— ,, — मरोदा	20	मरोवा	,,	,,	1.17	,,
6.	— ,, — निराधनू	30	निराधनू	,,	,,	1.59	,,
	योग-III	145 है.				8.11	

प्रधानाध्यापकों का पदोन्नति प्रकरण

645. **श्री रामेश्वरलाल चौधरी** (नावां) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या शिक्षा सत्र 1995-96 में माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पदों पर विभागीय पदोन्नति के समय शिक्षा विभाग ने अनुसूचित जाति/जनताति के कोटे को पूरा किया ? यदि हां, तो कुल पदोन्नत अध्यापकों में उक्त कोटे में कितनी पदोन्नतियां की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विभागीय पदोन्नति में माध्यमिक विद्यालय के कितने प्रधानाध्यापकों को अनुसूचित जाति/जन जाति कोटे से पदोन्नति दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के क्रमशः 30 एवं 11 आशार्थियों को पदोन्नति दी गई है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। पात्रता सूची में अनुसूचित जाति/जनजाति के कुल 41 ही उपयुक्त आशार्थी उपलब्ध हुए, जिन्हें पदोन्नति दी जा चुकी है।

बिन्दु संख्या 3 की सूची (वर्ष 1995-96 में प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय पद पर चयनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची)

क्र.सं.	वरिष्ठता क्रमांक	नाम अधिकारी	जन्म तिथि	चयन का प्रकार
1	2	3	4	5
1.	666	देवीदत (अज)	13-4-30	वरिष्ठता-सह योग्यता
2.	1611	मोहन लाल (अजा)	10-7-37	"
3.	1718	बीरबल राम (अजा)	9-1-42	"
4.	1719	शंकरलाल (अजा)	17-7-39	"
5.	1722	लालचन्द (अजा)	12-2-77	"
6.	1929	जगन्नाथ प्रसाद (अजा)	2-5-40	"
7.	1930	मदनलाल (अजा)	21-8-45	"
8.	2027	मदनलाल लहावर (अजा)	27-6-48	"
9.	120 (74-78)	नानकराम मीणा (अजजा)	17-11-38	"

1	2	3	4	5
10.	229	अमीचन्द आर्य (अजा)	2-7-38	वरिष्ठता-सह योग्यता
11.	299	हरीसिंह हरिजन (अजा)	10-3-38	,,
12.	311	हरलाल सिंह (अजजा)	5-6-40	,,
13.	340	मालीराम चन्दोलिया (अजा)	5-4-36	,,
14.	342	बन्शीधर वर्मा (अजा)	30-9-42	,,
15.	358	मेघराज नारावाड़ा (अजा)	1-8-48	,,
16.	365	जयराम खण्डरावलिया (अजा)	13-5-39	,,
17.	366	बद्रीलाल मांगोलिया (अजा)	12-12-39	,,
18.	370	रामसहाय मीणा (अजजा)	12-3-39	,,
19.	372	मौरीलाल (अजा)	9-5-41	,,
20.	373	गणपत लाल मीणा (अजजा)	3-5-37	,,
21.	374	प्रभातीलाल बैरवा (अजा)	5-8-38	,,
22.	375	मकबूल सिंह (अजा)	1-10-41	,,
23.	376	हरिराम मीणा (अजजा)	23-5-38	,,
24.	377	किशनचन्द जाटव (अजजा)	3-6-45	,,
25.	378	भूराराम बैरवा (अजा)	9-1-50	,,

1	2	3	4	5
26.	390	बलदेव सिंह (अजा)	15-1-39	वरिष्ठता-सह योग्यता
27.	877	गजानन्द सिंह (अजा)	21-2-39	,,
28.	892	पृथ्वीलाल वर्मा (अजा)	8-6-38	,,
29.	898	छगनलाल (अजा)	25-7-37	,,
30.	899	मदन सिंह (अजजा)	30-12-38	,,
31.	938	वृद्धिचन्द वर्मा (अजा)	11-1-38	,,
32.	955–ए	नारायणलाल खरीक (अजा)	18-6-40	,,
33.	983	घमण्डीलाल (अजा)	21-1-39	,,
34.	997–ए	लक्ष्मण गर्ग (अजा)	1-7-42	,,
35.	1010	रामप्रसाद मीणा (अजजा)	10-1-41	,,
36.	1013	गोगराज भाटिया	15-11-42	,,
37.	1026	महादेव प्रसाद मीणा (अजजा)	5-8-50	,,
38.	1025	मदनलाल मीणा (अजजा)	11-5-48	,,
39.	1020	छितरिया लाल (अज)	8-7-55	,,
40.	1097	मूलाराम (अजा)	4-11-44	,,
41.	385 (डी)	कमला मीणा' (अजजा)	11-12-55	,,

वक्फ भूमि पर अतिक्रमण प्रकरण

646. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या वक्फ राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रामगढ़ रोड स्थित करबला में कितनी जमीन राजकुमार धाभाई ने वक्फ बोर्ड को दी ?

(2) उक्त जमीन में से बोर्ड के कब्जे में कितनी जमीन शेष है ?

(3) क्या उक्त भूमि पर लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों द्वारा ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) बोर्ड ने उक्त कब्जे हटाने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, रामगढ़ रोड स्थित करबला में रामकुमार धाभाई द्वारा कोई जमीन वक्फ बोर्ड को नहीं दी गई है ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जयपुर के पर्यटक स्थलों का पुनरुद्धार

647. श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर): क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा घाट की गूणी, जयपुर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु कोई सर्वेक्षण योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार इस वर्ष जयपुर जिले के स्मारकों जिनका पूर्व में पुनरुद्धार करवाया गया था, का पुनः पुनरुद्धार करवा रही है ? यदि हां, तो किन-किन का ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । पर्यटन विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आवास विकास संस्थान के माध्यम से घाट की गूणी क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु एक योजना बनाई गई है । योजना में घाट की गूणी के सभी 52 स्मारकों एवं मकानों का सर्वेक्षण करने के पश्चात् यह तय किया गया है कि इस समस्त क्षेत्र को किस प्रकार से पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए । मुख्य बिन्दुओं का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है ।

(2) जी नहीं । ऐसे किसी स्मारक का पुनरुद्धार नहीं करवाया जा रहा है, जिसका पूर्व में पूर्ण पुनरुद्धार कराया जा चुका है ।

परिशिष्ट 'क"

घाट की गूणी क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने हेतु बनाई गई योजना के मुख्य बिन्दुओं का विवरण:–

1–पर्यटकों को सूचना एवं इस क्षेत्र सम्बन्ध में जानकारी देने हेतु एक सूचना केन्द्र का निर्माण जिसमें चिकित्सा, दूर-संचार, खानपान आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध हों।

2–घाटी में स्थित बागों का समग्र विकास, जिसमें घाटी में स्थित सभी बाग आपस में जोड़े जा सकें।

3–जयपुर के स्थानीय हस्तशिल्प कलाकारों द्वारा किये जाने वाले कार्यों की प्रदर्शनी तथा बिक्री हेतु स्थान।

4–राजस्थान, गुजरात मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्प की बिक्री हेतु विशेष दुकानें।

5–सांस्कृतिक गतिविधियां तथा लोकनृत्य, गायन-वादन तथा नाट्य विद्याओं के प्रदर्शन हेतु स्थान।

6–संगीत एवं कलाओं तथा गायन, चित्रकारी, अन्य पारस्परिक तथा सम-सामयिक कलाओं को सिखाने हेतु केन्द्र।

7–प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण के उद्देश्य से एक मूर्ती उद्यान की योजना।

8-पर्यटकों के आवास हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएं तथा युवा छात्रावास, कैम्प, हवेली अतिथि गृह, हवेली सुईट और हेरिटेज होटल जो चार सितारा या पांच सितारा सुविधाओं से युक्त हो। काम्पलेक्स में शिल्पकारों, सांस्कृतिक कलाकारों व अन्य कलाकारों के आवास सुविधा की सुविधा।

9–भोजन व जलपान के लिए स्थानीय ढाबा, स्नेक्स बार, उद्यान रेस्टोरेन्ट, ओपन एयर रेस्टोरेन्ट एव विशेष प्रकार के भोजन हेतु जलपान गृह की व्यवस्था। जिसमें विभिन्न राजस्थानी व्यन्जन, मिठाईयां व अन्तरराष्ट्रीय व्यन्जन उपलब्ध कराए जाएगे।

10–सामान्य उद्यानों के अतिरिक्त विशेष मनोरंजन क्षत्र जैसे: मनोरंजन उद्यान जिसमे विभिन्न प्रकार के राइडस ने चरपार्क, ऊंची पहाड़ियों पर व्यू पाइंटस, हवाई व जल क्रीड़ा की सुविधा।

11–मुख्य रास्ते के अतिरिक्त एक पैदल मार्ग की योजना जिससे सभी महत्व-पूर्ण स्थान जुड़े हो। यह मार्ग पारम्परिक दरवाजों, छतरियों व बरामदों से युक्त हो। वाहनों की पार्किंग हेतु स्थान व आने जाने के मार्ग निर्धारित हो। काम्पलेक्स से होकर ऐसे मार्ग की भी योजना है जिस पर पर्यटक ऊंट पर बैठ कर चल सकें।

ग्राम पंचायत बड़ोदिया (बांसवाड़ा) की भूमि पर अतिक्रमण

648. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बड़ोदिया में सर्वे नम्बर 776, 777, 778,

(श्री भवानी जोशी)

751/1, 718 की आबादी भूमि पर अतिक्रमण हटाने व पंचायती राज अधिनियम, 269 (2) व राजस्थान राज मार्ग अधिनियम, 1995 के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत शिकायत जिला कलक्टर, बांसवाड़ा की प्रधान पंचायत समिति बागीदारों व जनप्रतिनिधियों ने दिनांक 4 मार्च, 1996 को डाक द्वारा की गई ?

(2) यदि हां, तो उक्त सर्वे नम्बरों पर से अतिक्रमण कब तक हटा दिया जायेगा व नियमों के उल्लघन करने वालों के खिलाफ कब तक कार्यवाही अमल में लाई जाकर उन्हें दण्डित करने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम पंचायत बड़ोदिया में सर्वे नम्बर 776, 777, 778, 756 तथा 718 की आबादी भूमि पर अतिक्रमण बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 4-3-96 को प्रधान पंचायत समिति, बागीदोरा एवं अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा जिला कलक्टर, बांसवाड़ा को प्रस्तुत किया गया था।

(2) जिला कलक्टर, बांसवाड़ा द्वारा तहसीलदार, बागीदोरा को वस्तुस्थिति की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। तहसीलदार, बागीदोरा द्वारा जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जाती है।

कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा निर्मित सड़कों का रख रखाव

649. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा बनायी गई सड़कों का रख रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाये जाने का निर्णय सरकार ने लिया है ? यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितने किलोमीटर सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानांतरित करने का लक्ष्य था ?

(2) वर्ष 1995-96 में कितनी किलोमीटर सड़कें राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानांतरित की गई ?

(3) निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सड़कें स्थानांतरित नहीं हो पाने के क्या कारण रहे ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 95-96 में 2000.08 कि.मी. एवं वर्ष 96-97 में 2000 कि. मी. लम्बी सड़कों को स्थानान्तरित किये जाने के लक्ष्य के आदेश जारी किये गये थे।

(2) वर्ष 1995-96 में 1262.53 कि. मी. लम्बी सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित किया जा चुका है।

(राज्य मंत्री, कृषि)

(3) लक्ष्य के अनुरूप सड़कें स्थानान्तरित नहीं हो पाने का मुख्य कारण बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कें पुरानी एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उन्हें नहीं लिया गया। अतः यह निर्णय लिया गया है कि जो सड़कें अच्छी हालत में हो उन्हें ही सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित किया जावे। इस हेतु चरणबद्ध तरीके से सड़कों के स्थानान्तरण की योजना है।

पंचायत समिति भीण्डर (उदयपुर) का विद्युतीकरण

650. श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) 1995-96 में राजस्थान में कितने गांवों एवं कुओं का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य था? योजनानुसार उदयपुर जिले के कितने गांवों एवं कुओं का विद्युतीकरण करना था? इन लक्ष्यों के अनुसार पंचायत समिति, भीण्डर जिला उदयपुर में कितने गांव एवं कुएं विद्युतीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1995-96 तक पंचायत समिति, भीण्डर में सामान्य श्रेणी एवं नर्सरी योजना के अन्तर्गत कनेक्शन हेतु कितने आवेदन विचाराधीन थे? वर्तमान में कितने आवेदन कब से विचाराधीन हैं? विचाराधीन आवेदकों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष, 1995-96 में 750 गांवों को विद्युतीकृत करने एवं 25000 कुओं का ऊर्जीकरण करने का लक्ष्य रखा गया था। उदयपुर जिले में 58 गांवों को विद्युतीकृत एवं 750 कुओं को ऊर्जीकृत करने का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष 58 गांवों एवं 750 कुओं का लक्ष्य प्राप्त किया गया। वर्ष 1995–96 में पंचायत समिति भीण्डर में कोई गांव विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित नहीं किया गया। वैसे उदयपुर जिले के गांवों में विद्युतीकरण का औसत 78 प्रतिशत है जब कि इस पंचायत समिति का 82 प्रतिशत है। वर्ष 1995–96 के दौरान पंचायत समिति वार कृषि कुओं की ऊर्जीकरण का लक्ष्य निर्धारण नहीं किया गया था। पंचायत समिति भीण्डर में 242 कृषि कनेक्शन जारी किये गये थे, जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समिति भीण्डर में 31 मार्च, 96 तक सामान्य श्रेणी के 2195 व नर्सरी के 81 आवेदन पत्र कृषि कनेक्शन हेतु विचाराधीन थे, वर्ष 84–85 से जून, 96 तक सामान्य व नर्सरी श्रेणी के कुल 2340 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार है :—

1984-85	1
1985-86	40
1986-87	76
1987-88	117
1988-89	148

(ऊर्जा मंत्री)

1989–90	334
1990–91	144
1991–92	218
1992–93	271
1993–94	438
1994–95	293
1995–96	152
1996–97 (जून तक)	107

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

बगड़ी (पाली) में डाइट संस्था भवन

651. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बगड़ी जिला पाली में डाइट संस्था खोलने के आदेश जारी किये गए थे ? यदि हां, तो कब एवं इसका शिलान्यास कब किया गया तथा उक्त संस्था भवन बनाने हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई ? इस राशि से कितने भवन कितने वर्गमीटर में बनने थे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस आदेश को सरकार द्वारा रोक दिया गया ? यदि हां तो कब, तथा क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इसे पुन: शुरू करने के आदेश दिये गये है ? यदि हां, तो कब तथा क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि इस कार्य के रुकने से लागत राशि में वृद्धि हो गई है एवं स्वीकृत राशि से पूर्व निर्धारित भवन का निर्माण सम्भव नहीं है ? यदि हां, तो समय पर भवन न बनने से निर्माण राशि में हुई वृद्धि के कारण कितने भवनों की कमी की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि इन भवनों के न बनने से शिक्षार्थी प्रभावित हो रहे है ? यदि हां, तो इन भवनों को बनाने में अब कितनी धन राशि की और आवश्यकता होगी तथा इसकी स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, बगड़ीनगर जिला पाली में डाइट संस्था खोलने के आदेश दिनांक 24–4–89 को प्रदान किये गये। इसका शिलान्यास श्री माधवसिंह दीवान तत्कालीन वन मंत्री द्वारा दिनांक 23–1–90 को किया गया था। उक्त संस्था को भवन बनाने हेतु 83.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये जिसमें संलग्न विवरण अनुसार कार्य करवाया जाना था।

(2) एवं (3) जी नहीं। स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा सोजत-सिटी में डाइट संस्था खोलने की मांग करने के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अपने स्तर पर निर्णय लिया जाकर निर्माण

(शिक्षा मंत्री)

कार्य बन्द किया गया। स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुसार स्थान परिवर्तन के प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये गये। भारत सरकार द्वारा बगड़ीनगर में ही डाइट निर्माण हेतु निर्देश दिये। तदनुसार विभाग द्वारा दिनांक 9-10-92 से बगड़ीनगर में ही डाइट निर्माण कार्य यथावत चालू करने के आदेश दिये।

(4) जी हां, निर्माण सामग्री की दरों में वृद्धि हो जाने के कारण आबंटित राशि में प्रस्तावित निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं था जिससे निम्न भवनों का निर्माण नहीं हो सका :—

भवन	शेष रहे निर्माण कार्यों का विवरण।
1 प्रशासनिक खण्ड	स्टेयर केस
2. अकादमिक खण्ड	,, ,,
3. छात्रावास (छात्र) भू-तल	
भू-तल प्रथम मंजिल	स्टेयर केस बताई नहीं बनाई
4. स्टाफ क्वार्टर्स	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ।

(5) संशोधित तखमीना भिजवाने हेतु कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को लिखा गया है। संशोधित तखमीना प्राप्त होने पर भारत सरकार को राशि स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव भिजवाये जा सकेंगे।

बगड़ी नगर जिला पाली में डाइट निर्माण हेतु निम्न भवनों का निर्माण कराया जाना था

भवन	राशि (लाखों में)	कमरों की संख्या	अन्य सुविधाएं
1. प्रशासनिक खण्ड		15	
2. अकादमिक खण्ड	26·00	12	शौचालय और स्टेयर केस
3. छात्रावास (छात्र)			
भू-तल प्रथम मंजिल	30·00	20	किचन ब्लॉक व स्टेयर
छात्रावास (छात्रा)		20	केस शौचालय
4. स्टाफ क्वार्टर्स (थर्ड टाइप)		01	
,, (फोर्थ टाइप)	07·00		
,, (स्तिकथ टाइप)		02	
5. डवलपमेन्ट कार्य	—		

कोटा शहर की यातायात व्यवस्था

652. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा संभाग में बिगड़ती यातायात व्यवस्था के कारण वर्ष 1995–96 में कुल कितने लोगों की मृत्यु हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अवैध वाहनों के संचालन तथा कोटा शहर में यातायात व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर क्या छात्रों ने कोटा बन्द किया था ? यदि हां, तो क्या इस प्रदर्शन के बाद कोटा शहर में किसानों को मंडी में जाने हेतु मुख्य मार्ग पर होकर निकलाने पर पाबन्द कर दिया गया है तथा घण्टों तक किसानों को इन्तजार करना पड़ता है ?

(3) क्या यातायात व्यवस्था में सुधार करने हेतु कोटा शहर में बाई पास बनाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो बाई पास कहां होकर बनाया जायेगा तथा सरकार यह कार्य कब तक करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोटा संभाग में वर्ष 1995–96 में सड़क दुर्घटनाओं में 533 लोगों की मृत्यु हुई। सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) कोटा शहर में यातायात व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर छात्रों द्वारा दिनांक 7–12–95 को आंशिक बन्द करवाया गया था। सड़क पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से भारी वाहनों को अन्य मार्गों से शहर में आने की व्यवस्था की गई है। बारां, कैथून और बून्दी की तरफ से आने वाले ट्रकों को घंटाघर चौराहा, बोरखेड़ा, राजपूरिया, डी० सी०एम० वाले बाहरीय मार्गों से नयी धान मण्डी में आने जाने की व्यवस्था यातायात सुगमता की दृष्टि से की गई है। इन मार्गों पर किसानों को रोका नहीं जाता है।

(3) जी हां। राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 12 पर स्थित बड़गांव (कि·मी. 236/488) से झालावाड़ सड़क के कि. मी. 255/760 के मध्य बाई पास बनाना प्रस्तावित हैं। भूमि अवाप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा पचास लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इस क्रम में भूमि अवाप्ति हेतु धारा 4 (1) की अधिसूचना राजकीय गजट में प्रकाशित की जा चुकी है।

कोटा सम्भाग में वर्ष 1995–96 में दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या।

क्र.सं	जिला	मृतकों की संख्या
1.	कोटा शहर	109
2.	कोटा ग्रामीण	60
3.	बूंदी	114
4.	बारां	85
5.	झालावाड़	44
6.	सवाई माधोपुर	121
	योग :	533

पंचायत राज संस्था अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन प्रकरण

653. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों को उच्चत्तर संस्थाओं में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा घोषणा की गई थी? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम को अधिक प्रभावी व व्यवहारिक बनाने हेतु नये पंचायती राज (सामान्य) नियम बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो चुनाव सम्बन्धी नियमों को छोड़कर अब ये नियम कब तक बना लिए जायेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों में आपसी तालमेल बनाने हेतु सरपंच को पंचायत समिति तथा प्रधान को जिला परिषद का सदस्य बनाये जाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी हां। पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत नवीन पंचायती राज नियमों का प्रारूप तैयार किया जा चुका है। नियमों के प्रारूप को अन्तिम रूप देने हेतु उसकी समीक्षा की जाकर आवश्यक संशोधन किया जाकर शीघ्र जारी किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

विभाग में संयुक्त निदेशक व उप-निदेशकों की उपादेयता

654. श्री गोपीराम जाट (आमेर): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कृषि विश्वविद्यालय और कृषि अनुसंधान परिषद् किसानों के लिए नये-नये आविष्कार करते हैं और कृषि निदेशालय सिर्फ प्रचार-प्रसार का काम करता है?

(2) क्या यह भी सही है कि फसलोंवाइज संयुक्त निदेशक, उप निदेशकों की नियुक्ति इस विभाग में है? यदि हां, तो इनके कार्य विवरणों का ब्यौरा इन पदों की औचित्यता व उपादेयता बताते हुए सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कृषि पर्यवेक्षकों, ग्राम सेवकों और सहायक कृषि अधिकारीगण ही किसानों को प्रचार-प्रसार का काम करते हैं? यदि हां, तो संयुक्त निदेशक, उप निदेशक (फसलोंवार पद वाले) क्या कार्य करते हैं?

(4) क्या सरकार प्रशासनिक अधिकारी का काम करने वाले (फसलोंवार) संयुक्त निदेशक, उप निदेशकों के पद समाप्त कर उसकी बचत से किसानों को लाभ देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कृषि विभाग द्वारा उपजिला, जिला एवं खण्ड स्तर पर क्रमशः सहायक निदेशकों/उप निदेशकों एवं संयुक्त निदेशकों की नियुक्ति की गई हैं जो विभाग की समस्त योजनाओं की क्रियान्विति एवं प्रबन्ध कार्य सम्पादित करते हैं तथा उन्नत तकनिकी का प्रसार स्वयं व अपने अधिनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से करवाते हैं। किन्तु मुख्यालय स्तर पर दलहनीय एवं तिलहनीय फसलों के प्रसार, उत्पादन वृद्धि हेतु संयुक्त निदेशक एन.पी.डी.पी. योजना एवं संयुक्त निदेशक, ओ.पी.पी. योजना के पद सृजित हैं जो दलहनीय एवं तिलहनीय फसलों के प्लानिंग क्रियान्वयन एवं मोनीटरिंग का कार्य सम्पादित करते हैं।

(3) कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी स्तर तक के कर्मचारियों द्वारा केवल प्रसार का कार्य सम्पादित किया जाता है तथा सहायक कृषि अधिकारी के ऊपर के स्तर के समस्त अधिकारियों के द्वारा प्रबन्ध एवं प्रसार दोनों कार्य संपादित किये जाते हैं।

(4) ऐसे मात्र दो पद ही हैं और इन पदों की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें समाप्त करने का विचार नहीं हैं।

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा (उदयपुर) की वन भूमि पर अतिक्रमणों के कारण

655. श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने वन भूमि पर वर्ष 1980 से पूर्व के कब्जों को नियमित करने की नीति बनाई हैं ? यदि हां, तो उक्त नीति से कितने लोगों को लाभ मिल चुका है ?

(2) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा (उदयपुर) में कितने लोगों ने वन भूमि पर कब्जे कर रखे हैं ? क्या उक्त सभी कब्जे वर्ष 1980 से पूर्व के हैं ? यदि हां, तो क्या इन्हें नियमित करने की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो किस-किस के कब्जों को नियमित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शेष रहे प्रकरणों को भी जल्दी निपटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों।

उत्तर

(1) जी हां, नियमितीकरण के 2860 प्रकरण केन्द्र सरकार को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पूर्वानुमति हेतु प्रेषित किये गये है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा (उदयपुर) में उपलब्ध सर्वे के अनुसार 2\1

(वन मंत्री)

लोगों ने वन भूमि पर कब्जे कर रखे है, उक्त कब्जों में से स्थानीय अधिकारियों एवम् जनप्रतिनिधियों की समिति द्वारा अनुशंषित 1980 से पूर्व के 112 व्यक्तियों के कब्जे नियमन योग्य पाये जाने पर पूर्वानुमति हेतु केन्द्र सरकार को अग्रेषित किये गये है।

(3) जी हां। शेष रहे प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा प्रसारित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही प्रगति पर है। इन प्रकरणों का केन्द्र से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पूर्वानुमति प्राप्त होने पर नियमन कर दिया जायेगा।

राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, सोमलवाड़ा (डूंगरपुर)

656. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1996–95 एवं 1996-97 में जिला डूंगरपुर के पास सोमलवाड़ा की राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में वाणिज्य संकाय एवं ऐच्छिक विषय गणित थी ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इस शिक्षा सत्र से उक्त विद्यालय में वाणिज्य संकाय बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस दिशा सत्र में उक्त विद्यालय में वाणिज्य संकाय में छात्रों ने प्रवेश प्राप्त किया था ? यदि हां, तो अब प्रवेश देने के उपरान्त संकाय बंद करने का क्या औचित्य है ?

(3) क्या सरकार प्रवेश लिए छात्रों का हित एवं भविष्य को ध्यान में रखते हुए उक्त संकाय एवं ऐच्छिक विषय गणित को पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। निर्धारित संख्या से कम विद्यार्थी होने के कारण वाणिज्य संकाय एवं गणित विषय बन्द कर दिया गया था। निर्धारित छात्र संख्या की शर्त पर वाणिज्य संकाय पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है।

(2) जी हां। वाणिज्य संकाय पुनः प्रारम्भ करने के कारण छात्रों को प्रवेश दिया गया है।

(3) जी हां। छात्रों एवं अभिभावकों की मांग के आधार पर वाणिज्य संकाय पुनः प्रारम्भ किया जा चुका है।

निगम के हिन्डौन डिपो द्वारा बसों का संचालन

657. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर), क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का डिपो सवाई माधोपुर जिले में केवल हिन्डौन में ही है ? यदि हां, तो क्या जब से यह डिपो हिन्डौन में स्थापित हुआ है तब से घाटे में चल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) हिण्डौन आगार से किन-किन स्थानों को बसों का संचालन किया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि हिण्डौन आगार तहसील मुख्यालय से जिला मुख्यालय एवं गंगापुर-करौली मार्ग पर एक भी बस का संचालन नहीं करता है जिससे जनता को असुविधा होती है ? अब कब तक बसों का संचालन कर दिया जायेगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि हिण्डौन आगार में कण्डम एवं खराब बसें दे रखी हैं जो आये दिन खराब हो जाती है ? यदि हां, तो अब कब तक इसमें सुधार कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

हिण्डौन आगार द्वारा इस समय 8 अन्तर्राज्यीय 11 अन्तर आगारीय एवं 12 आगारीय मार्गों पर बसों का संचालन किया जा रहा है, जिन पर औसतन पर्याप्त यात्रीभार नहीं मिलना घाटे का मुख्य कारण है।

(2) हिण्डौन आगार से विभिन्न स्थानों के लिए संचालित बस सेवाओं का मार्गवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) निगम द्वारा पूर्व में हिण्डौन तहसील मुख्यालय से सवाई माधोपुर के लिए बस सेवा शुरू की गई थी। लेकिन इसका संचालन अनार्थिक होने से इस सेवा को बंद कर दिया गया। हिण्डौन से सवाईमाधोपुर के लिए फास्ट ट्रेन सुविधा भी उपलब्ध है। गंगापुर-करौली के बीच हिण्डौन आगार द्वारा वर्तमान में दैनिक 17 सेवाएं एवं अन्य आगारों द्वारा 16 सेवायें संचालित की जा रही है।

(4) जी नहीं।

हिण्डौन आगार से विभिन्न स्थानों के लिये संचालित बस सेवाओं का मार्गवार विवरण

क्र.सं.	मार्ग का नाम	दैनिक संचालित परिचक्र
1.	महावीरजी-शिकोहाबाद	2
2.	महावीरजी-मेरठ	2
3.	केलादेवी-सौरोंजी	2
4.	केलादेवी-अलीगढ़	2
5.	केलादेवी-दिल्ली	2
6.	गंगापुरा-दिल्ली	2
7.	सपोटरा-दिल्ली	2
8.	महावीरजी-सोनागिरी	2
9.	मासलपुर-दिल्ली	2
10.	बालाजी-दिल्ली	2
11.	हिण्डौन-मथुरा	2
12.	हिण्डौन-सहारनपुर	2
13.	बामनवास-दिल्ली	2
14.	हिण्डौन-बाजना-दिल्ली	2
15.	हिण्डौन-जयपुर वाया महुआ	2
16.	केलादेवी-जयपुर	2
17.	महावीरजी-जयपुर	2
18.	महावीरजी-पदमपुरी	2
19.	जयपुर-बयाना	2
20.	महावीरजी-नाकोडा	2

1	2	3
21.	महावीरजी-लाडनूं	2
22.	केलादेवी-पुष्कर	2
23.	हिण्डौन-जयपुर (टोडाभीम)	3
24.	जयपुर-केलादेवी वाया टोडाभीम	1
25.	केलादेवी-जयपुर वाया महुआ	1
26.	जयपुर-करौली	3
27.	हिण्डौन-जयपुर वाया नादोती	2
28.	हिण्डौन-नांगल-जयपुर	2
29.	जगर-जयपुर	2
30.	बालाजी-टोंक	2
31.	हिण्डौन-महावीरजी	22
32.	हिण्डौन-बामनवास	2
33.	हिण्डौन-सपोटरा	2
34.	हिण्डौन-केलादेवी	25
35.	हिण्डौन-जगर	2
36.	हिण्डौन-गंगापुर	49
37.	हिण्डौन-मासलपुर	3
38.	मासलपुर-करौली	2
39.	हिण्डौन-करौली	10
40.	हिण्डौन-बालाजी	2
41.	हिण्डौन-महुआ	22
42.	महुआ-महावीरजी	2
43.	गंगापुर-वजीरपुर	2

1	2	3
44.	करोली-गंगापुर	17
45.	बालाजी-केलादेवी	1
46.	हिण्डोन-रामपुरा	6
47.	हिण्डोन-मोढीयापुर	32
48	केलादेवी-करोली	1
49.	केलादेवी-मासलपुर	1
50.	हिण्डोन-मुसावर	[illegible]
51.	मुसावर-खेडली	[illegible]
52.	हिण्डोन-नगर	2
53.	हिण्डोन-गुढ़ाचन्द्रजी	2
54.	गंगापुर-हिण्डोन (करोली)	15
55.	हिण्डोन-खेडला	15
56.	हिण्डोन-नादोती	8
57.	हिण्डोन-राजगढ़	2
58.	हिण्डोन-टोडाभीम	18
59.	खेड़ा-महुआ	[illegible]
60.	हिण्डोन-मण्डावर	2
61.	हिण्डोन-बयाना	10
62.	हिण्डोन-सूरोठ	4
63.	हिण्डोन-मूड़िया	8
64.	हिण्डोन-गोवंधन	12

पंचायत समिति गढ़ी बांसवाड़ा की जांच प्रकरण

658. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही कि बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति में पिछले दो वर्षों में हुए विकास कार्यों में लाखों रुपयों की अनियमितता की जांच हेतु जिला परिषद् सदस्य के निवेदन पर एक जांच कमेटी जिला कलेक्टर द्वारा बनाकर जांच करवाई गई ?

(2) यदि हां, तो जांच कमेटी द्वारा क्या रिपोर्ट दी गई व दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांच कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है एवं 17 सी. सी. ए. के नोटिस जारी किये गये हैं। जांच कमेटी की रिपोर्ट संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भू-संरक्षण विभाग को आवंटित बजट

659. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भू-संरक्षण विभाग को पिछले पांच वर्षों में कुल कितना बजट आवंटित किया गया तथा आवंटित बजट जिलेवार कहां-कहां, किन-किन कार्यों में व्यय किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पिछले पांच वर्षों में किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध कार्य में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार किये जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुईं एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जोधपुर जिले में किन-किन योजनाओं के तहत किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई तथा उक्त कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का सर्वेक्षण किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब कराया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) बिलाड़ा जलग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं गड्ढे खुदाई पर अलग-अलग कितना व्यय किया गया तथा वर्तमान में वहां कितने पौधे मौजूद हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) बिलाड़ा जलग्रहण क्षेत्र में लवणीय एवं क्षारीय भूमि के वनस्पतिकरण, चरागाह विकास, गोपाल योजना, खेतों

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

मेडबन्दी, वृक्षारोपण आदि पर किये गये व्यय एवं वास्तविक प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग की पिछले पांच वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल राशि रु. 26088.73 लाख आवंटित की गयी थी जिसका विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है तथा आवंटित बजट में से जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण कार्यों के विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत व्यय राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 से 6 पर संलग्न है।

(2) पिछले पांच वर्षों में कुल 25 अधिकारियों के विरुद्ध कार्य में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-7 पर संलग्न हैं इनमें से 6 अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत निराधार पाये जाने के कारण प्रकरण समाप्त किये जा चुके हैं. 8 प्रकरणों से सम्बन्धी अधिकारियों को सी. सी. ए. 16/17 के तहत आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं, 2 प्रकरणों में पूर्ण कार्यवाही की जाकर आरोप पत्रादि निदेशक, कृषि को भिजवा दिये गये हैं तथा 9 प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध जांच कार्य प्रगति पर हैं।

(3) जोधपुर जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत गत पांच वर्षों में खर्च की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट-8 से 17 पर संलग्न हैं उक्त कार्यों का भौतिक एवं वित्तीय सत्यापन विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सहायक अभियन्ता/कृषि अधिकारी, उप निदेशक एवं संयुक्त निदेशक/परियोजना निदेशक द्वारा करवाया गया है। विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों का विवरण परिशिष्ट-18 पर संलग्न है।

(4) बिलाड़ा जलग्रहण क्षेत्र के नाम से कोई जलग्रहण क्षेत्र स्वीकृत नहीं है। बिलाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत क्रियान्वित किये जा रहे हैं जलग्रहण क्षेत्रों में गत पांच वर्षों में पौधारोपण, खड्डे की खुदाई पर व्यय एवं वर्तमान में मौजूदा पौधों का विवरण परिशिष्ट-19 पर संलग्न है।

(5) बिलाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में क्रियान्वित किये जा रहे जलग्रहण क्षेत्रों में गत पांच वर्षों से लवणीय एवं क्षारीय भूमि वनस्पतिकरण, चरागाह, विकास गोपाल योजना, खेती की मेड़ पर समोच्च वानस्पतिक अवरोध वृक्षारोपण पर किये गये वास्तविक व्यय का विवरण परिशिष्ट-20 पर संलग्न हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला जोधपुर के ग्रामों में विद्युत कनेक्शन

660. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले के किन-किन ग्रामों के घरेलू कनेक्शन के ऐसे आवेदन-पत्र

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

जिनकी डिमाण्ड राशि जमा करवादी गई है किन्तु कनेक्शन अभी तक नहीं दिया गया, विचाराधीन हैं? उक्त कनेक्शन अब तक चालू नहीं किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें। इन अनियमितताओं के सम्बन्ध में किस स्तर के अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं?

(2) जोधपुर जिले में पेयजल विभाग द्वारा कुओं के कनेक्शन एवं अन्य योजनाओं के लिए कब-कब कहां-कहां पर आवेदन किये गये जो कनेक्शन विद्युत मण्डल द्वारा शुरू नहीं किये गये हैं एवं किन-किन के डिमाण्ड नोट भी जारी नहीं किये गये? अब कब तक इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले के विभिन्न गांवों में घरेलू कनेक्शनों के 7277 आवेदकों के डिमाण्ड राशि जमा हैं। ऐसे सभी आवेदकों को संसाधनों के अनुसार कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। अधिकांश आवेदकों द्वारा वांछित औपचारिकताएं पूर्ण नहीं करने के कारण कनेक्शन नहीं दिये जा सके तथा कुछ ग्रामों में कनेक्शन दिये जाने हेतु एल टी. लाईन आदि का काफी विस्तार करना होता है जिनमें संसाधन सीमित होने के कारण कुछ विलम्ब हुआ है। अतः इसमें कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। जोधपुर जिले के विभिन्न गांवों में घरेलू कनेक्शनों के ऐसे आवेदक जिन्होंने मांग पत्र की राशि जमा करवादी है तथा उन्हें कनेक्शन देना शेष है, की ग्रामवार सूची प्रपत्र "अ" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जोधपुर जिले में पेयजल विभाग के वर्तमान में 65 कुएं/योजनाओं के विद्युत सम्बन्ध दिया जाना शेष है। इनमें 64 कुओं को मांग पत्र जारी कर दिये गये हैं, एक कुएं का मांग पत्र कुआ नहीं खोदने के कारण तखमीना नहीं बनाया गया है। जारी मांग पत्रों में से 38 आवेदनों की मांग पत्र की राशि जमा हुई है उन्हें संसाधनों के अनुरूप शीघ्र कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। विचाराधीन कुओं/योजनाओं की सूची विवरण सहित प्रपत्र "ब" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनियमितता प्रकरण

661 श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार को इस वर्ष राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न संकायों की परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र आउट होने तथा निर्धारित विषय से सम्बन्धित प्रश्न-पत्र के स्थान पर दूसरे विषय के प्रश्न-पत्र वितरित किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किस-किस विषय एवं किस-किस स्थान से?

(श्री विष्णु मोदी)

(2) क्या यह सही है कि अजमेर के एक परीक्षा केन्द्र पर दसवीं कक्षा के हिन्दी के प्रथम प्रश्न-पत्र के स्थान पर हिन्दी का द्वितीय प्रश्न-पत्र वितरित होने का प्रकरण सरकार के ध्यान में आया था ? यदि हां, तो किस केन्द्र पर तथा इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के ध्यान में राष्ट्रदूत, जयपुर के 29 मार्च, 1996 के संस्करण में प्रकाशित खबर के माध्यम से प्रश्न पत्रों संबंधी शिकायत सामने आई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बोरुंदा (जोधपुर केन्द्र पर उच्च माध्यमिक परीक्षा के कृषि विज्ञान वर्ग के शस्य विज्ञान के स्थान पर उद्यान विज्ञान विषय का प्रश्न-पत्र वितरित कर दिया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सूचना प्राप्त होते ही उद्यान विज्ञान विषय की परीक्षा निरस्त कर दिनांक 4-4-96 को पुनः आयोजित करवाई गई। अजमेर के ओसवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय के केन्द्राधीक्षक द्वारा कक्षा 10 के एक परीक्षार्थी को हिन्दी प्रथम प्रश्न-पत्र के स्थान पर हिन्दी द्वितीय का प्रश्न-पत्र वितरित कर दिया गया लेकिन अगले दिन हिन्दी द्वितीय की परीक्षा होने तक विशेष व्यवस्था करके यह सुनिश्चित किया गया कि हिन्दी द्वितीय का प्रश्न-पत्र आउट न हो पाये।

(2) यह सही है कि अजमेर के राजकीय ओसवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय के केन्द्राधीक्षक द्वारा कक्षा 10 के एक परीक्षार्थी को हिन्दी प्रथम प्रश्न-पत्र के स्थान पर हिन्दी द्वितीय का प्रश्न-पत्र वितरित कर दिया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ध्यान में इस प्रकरण के आने पर इस परीक्षार्थी को उस दिन शाला भवन में ही रोके रखा गया ताकि अन्य परीक्षार्थियों को हिन्दी द्वितीय प्रश्न-पत्र की जानकारी नहीं हो सके। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा इस प्रकरण की जांच की जा चुकी है। जांच के आधार पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को इस केन्द्र के वीक्षक तथा प्रधानाचार्य के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने हेतु दिनांक 29-4-96 को लिखा गया है। इस पर निदेशालय द्वारा कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

ग्राम पडर (भीलवाड़ा) की भूमि पर अतिक्रमण

662. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

*(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंडर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा में ग्राम सेवा सहकारी समिति के गोदाम के सामने लगभग 75,000/- रुपये के पंचायत के वाणिज्यिक भू-खण्ड पर एक पंच अतिक्रमण कर बिना स्वीकृति के दुकान का निर्माण कराया है ?

(श्री रतनलाल ताम्बी)

(2) क्या सरकार इस अवैध निर्माण को हटाकर पंच के विरुद्ध पद के दुरुपयोग किए जाने के मामले में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि ग्राम पंडर में ग्राम सेवा सहकारी समिति गोदाम के सामने एक पंच ने अतिक्रमण कर बिना पंचायत की स्वीकृति के निर्माण कराया है।

वस्तुस्थिति यह है कि पंचायत पंडर द्वारा एक प्लाट 12 × 20 फीट का वर्ष 1969 में 301/- रु. में श्री कन्हैयालाल पुत्र कल्याण नाई निवासी पंडर को विक्रय किया गया था। श्री कन्हैयालाल ने उक्त प्लाट दिनांक 17.3.78 को श्री बन्शीलाल पुत्र फुन्दीलाल सोनी पंच को 1351/- रु० में कथित रूप से विक्रय कर दिया।

श्री बन्शीलाल द्वारा उक्त भूखण्ड पर निर्माण कराने की स्वीकृति चाहने हेतु पंचायत में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर सरपंच, ग्राम पंचायत, पण्डर ने दिनांक 6.6.95 को ही स्थगन आदेश जारी कर दिया, क्योंकि प्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था।

(2) श्री बन्शीलाल पंच ने उक्त प्लाट वर्ष 1978 में ही क्रय कर लिया था और उक्त भूमि पर निर्माण कार्य करने की स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दौरान ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया था जिस पर सरपंच ने दिनांक 6.6.95 को स्थगन आदेश जारी कर दिया। चूंकि पंच द्वारा अवैध निर्माण का मामला इन तथ्यों के आधार पर नहीं बनता है। अतः उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। पंचायत के स्थगन आदेश दिनांक 6.6.95 के विरुद्ध पंचायत समिति, जहाजपुर में दिनांक 5.7.95 को अपील भी प्रस्तुत कर दी गई है, जो विचाराधीन है।

(321)

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 558 का विवरण

निर्वाचन क्षेत्र फलासिया उदयपुर में आदिवासी क्षेत्र में वन भूमि पर आदिवासियों द्वारा किये गये अतिक्रमणों के नियमन हेतु गठित समितियां

विधानसभा क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील का नाम	राज्य सरकार के आदेशों के क्रम में तहसील स्तर पर गठित समिति के सदस्य
फलासिया (उदयपुर)	तहसील झाड़ोल	1. क्षेत्रीय विधायक फलासिया 2. सहायक वन संरक्षक (कन्वीनर) 3. तहसीलदार झाड़ोल/नायब तहसीलदार 4. क्षेत्रीय वन अधिकारी झाड़ोल/ओगणा/खैरवाड़ा (सम्बन्धित क्षेत्र 5. प्रधान 6. सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सदस्य
	तहसील कोटड़ा	1. क्षेत्रीय विधायक फलासिया 2. सहायक वन संरक्षक (कन्वीनर) 3. तहसीलदार/नायब तहसीलदार कोटड़ा 4. क्षेत्रीय वन अधिकारी कोटड़ा/ओगणा (सम्बन्धित क्षेत्र के लिए) 5. प्रधान 6. सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सरपंच

निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में वन भूमि पर अतिक्रमण को नियमन करने सम्बन्धी सूचना

क्र.सं.	वन खण्ड का नाम	पंचायत का नाम	प्रकरणों की संख्या	भूमि का रकबा	गठित समिति द्वारा मौका देखने का स्थान	गठित समिति द्वारा मौका देखने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	ग्रासावाड़ा	महाद	3	1 5127	वन खण्ड ग्रासावाड़ा	20.10.91
2.	ग्राडा हल्दू	महाद	4	2.2690	,, ग्राडा हल्दू	20 10.91
3.	फूलवाड़ी	महाद	1	0.1080	,, फूलवाड़ी	20.10.91
4.	मामेर	मामेर	6	8.6440	,, मामेर	20.10.91
5.	डैया	डैया	104	95.9484	,, डैया	27.10.91
6.	उमरिया	महाडी	4	5.4025	,, उमरिया	27.11.91
7.	सुब्रा-सुब्री	साण्डमारिया	7	6.05	,, सुब्रा-सुब्री	19.10.95

1	2	3	4	5	6	7
8.	सेरा	माकडादेव	8	2.8092	,, सेरा	17.1.96
9.	सोम	फलासिया	5	2.0314	,, सोम	30.1.96
10.	नाराणी	मोराणा	4	1.1264	,, नाराणी	30.1.96
			146			

(323)

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 559 की सूची

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में कड़ाना परियोजना के ब्लॉक्स में कराए गए कार्यों का विवरण

क्र सं.	योजना का नाम	वर्ष	हैक्टेयर	स्थान का नाम	कराये गये कार्य का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी योजना	1939	20	मगिग्रोल उर्फ काली घाटी	भू-संरक्षण एवं पौधारोपण कार्य में 22000 पौधे
2.	,,	1990	30	,,	,, 33000 पौधे
3.	परिभ्रांषित वनों का पुनरोपण	1990	50	कनकपुरा	,, 35000 पौधे
4.	,,	1991	50	खरपीणा	,, 35000 पौधे
5.	ईन्धन एव चारा योजना	1991	50	मगिग्रोल उर्फ काली घाटी	,, 55000 पौधे
6.	,,	1992	50	,,	,, 40000 पौधे
7.	आश्वासित रो. यो.	1995	50	वलीमगरा	,, 34000 पौधे
8.	अरावली परियोजना	1996	50	दौलीमगरा (बरोठी)	पौधारोपण कार्य प्रगति पर है।
9.	अकाल राहत	—	—		शून्य

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 561 की सूची

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप–2 बी) विभाग

क्रमांक : प. 10 (20) कृषि-2 बी/8 जयपुर, दिनांक : 14 दिसम्बर, 1989

विज्ञप्ति

जैसा कि राज्य सरकार ने राजस्थान कृषि उपज विपणि अधिनियम, 1961 की धारा 3 सपठित धारा 4(5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति सं. प. 10(20) कृषि/ग्रुप-बी/83, दिनांक 30 नवम्बर, 1988 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, बीकानेर के लिए घोषित मण्डी क्षेत्र में से ग्राम पंचायत, दन्तौर तथा पूगल के क्षेत्र को पृथक करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

अतः अब उपरोक्त अधिनियम की धारा 4(5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, बीकानेर के घोषित मण्डी में से दन्तौर तथा पूगल ग्राम पंचायतों के क्षेत्र को पृथक किया जाता है।

साथ ही जैसा कि राजस्थान कृषि उपज विपणि अधिनियम, 1961 की धारा 3 के प्रावधान के अन्तर्गत जारी की गयी विज्ञप्ति सं. प. 10(2) कृषि/ग्रुप-2/75 दिनांक 21-4-77 के द्वारा राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत, दन्तौर एवं पूगल की सीमाओं के भीतर के क्षेत्र में राजस्थान राजपत्र दि. 23-4-1977 में विज्ञप्ति कृषि उपजों के क्रय एवं विक्रय के नियमन करने की अपने आशय की घोषणा की थी।

अतः उपरोक्त अधिनियम की धारा, 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार घोषणा करती है कि राजस्थान राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से उपरोक्त कृषि उपजों के क्रय विक्रय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत, दन्तौर एवं पूगल मण्डी क्षेत्र होगा।

आगे अधिनियम की धारा 6ए-8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपरोक्त मण्डी क्षेत्र के लिये उपरोक्त कृषि उपजों के क्रय विक्रय के नियमन हेतु राज्य सरकार एक मण्डी समिति की स्थापना करती है और उसका कृषि उपज मण्डी खाजूवाला के नाम से उपरोक्त कृषि उपजों के क्रय एवं विक्रय के सम्बन्ध में नियमन करती है। राजस्थान सरकार उपरोक्त अधिनियम की धारा 7(1) के अन्तर्गत पृथक

मण्डी समिति का गठन करती है और धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत उक्त मण्डी समिति का निम्नांकित रूप से मनोनयन करती है :

(अ) कृषक वर्ग के प्रतिनिधि

(1) श्री सुखराम विश्नोई
21-के. वाई. डी. खाजूवाला, पंचायत दन्तौर — सदस्य

(2) (डा.) भंवरलाल मेहरा, खाजूवाला प. दन्तौर — ,,

(3) श्री खादिम खां
12-के. जी. डी., माधो डिग्गी
खाजूवाला प. दन्तौर — ,,

(4) श्री भागीरथ बिजारणियां
26—के. वाई. डी.—खाजूवाला प. दन्तौर — ,,

(5) श्री हाजी नत्थू खां
बैरियावाली प. दन्तौर — सदस्य

(6) श्री आजिम खां साहू,
खाजूवाला — सदस्य

(7) श्री शिवलाल, सरपंच, पूगल

(ब) व्यापारी प्रतिनिधि

(1) श्री रामूराम पुत्र आदूराम, खाजूवाला — सदस्य

(2) श्री रामकिशन पुत्र दूलाराम, खाजूवाला — ,,

(स) मण्डी क्षेत्र के क्रय विक्रय सहकारी समिति का प्रतिनिधि

(1) श्री मघाराम मेघवाल, संचालक, क्र. वि. स. समिति
8 के. वाई. डी., आबादी — सदस्य

द) मण्डी क्षेत्र के केन्द्रीय सहकारी बैंक का प्रतिनिधि

(1) श्री मोमराज आर्य, संचालक
सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लि. बीकानेर — सदस्य

(घ) मण्डी क्षेत्र की पंचायत समिति क्षेत्र का प्रतिनिधि

(1) श्री हुसन शाह, सरपंच, जामसर (बीकानेर) सदस्य

(र) ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि

(1) श्री शिवकुमार, सरपंच, दन्तोर सदस्य

(ल) राजकीय प्रतिनिधि

(1) जिला कृषि अधिकारी सदस्य
(2) एस. डी. एम. (नार्थ) बीकानेर सदस्य

उपरोक्त अधिनियम के अभिप्राय के लिए अधिनियम की धारा, 9 की उपधारा, 2 के खण्ड (2) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत उपरोक्त मण्डी क्षेत्र के लिए एक मण्डी स्थापित करने की वांछना कृषि उपज मण्डी समिति, खाजूवाला से की जाती है।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) उस तारीख से प्रभावी होगी जिससे कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मण्डी यार्ड की घोषणा की जावेगी।

आज्ञा से
एसडी/–
(प्राणेश्वर तिवाड़ी)
उप शासन सचिव

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 562 का विवरण

क्र.सं.	नाम निर्माण कार्य	कुल लागत	वर्ष 96-97 के आवंटित बजट
1	2	3	4
	कृषि उपज मण्डी समिति, नागौर		
	(अ) मुख्य मण्डी नान प्राजेक्ट कार्य		
1.	दुकान मय गोदाम विद प्लेट फार्म	40.48	16.70
2.	चार दीवारी को ऊंचा उठाना	5.00	0 60
3.	कम्प्यूटर रूम	0.40	0.40
4.	कम्प्यूटर रूम में विद्युत फिटिंग	0.36	0 36
	योग–अ	46 24	18.06
	(ब) मास्टर प्लान की सड़कें		
1.	मावपुरा से अर्थाणा	16.00	10.00
2.	गुमगरामाली से गुढ़ा	22.80	22.80
3.	ऊंचाढ़ूडा से पिंढ़िमा	26.10	22.97
	योग–ब	64.90	55.70

1	2	3	4
	(स) अन्य सम्पर्क सड़कें		
1.	चिलरा गांव हनुमानजी का मन्दिर वाया ठाठरिया खुर्द	5.20	सड़क पूर्ण हो गई
2.	बासनी से गोगेलाव	12.32	0.26
3.	कुचेरा से निम्बाड़ी	11.85	0.31
4.	ग्वालू से हिलोड़ी	5.16	3.23
5.	कुचेरा अनुबन्ध फांटा वाया मह रुपायल	7.49	0.50
	योग–स	42.02	4.30
	(द) मुख्य मण्डी प्राजेक्ट वर्क		
1.	मार्केट-यार्ड नागौर का-विकास-द्वितीय चरण (फल व सब्जी मण्डी नागौर)	77.12	77.12
	योग–द	77.12	77.12
	(इ) गोण मण्डी प्राजेक्ट वर्क		
1.	गौण मण्डी यार्ड जायल का विकास	57.78	57.78
2.	मुख्य मण्डी यार्ड में प्याऊ का निर्माण कार्य 2 नम्बर	0.72	0.72
3.	कार्यालय भवन के चारों ओर चाहरदीवारी का निर्माण कार्य	2 69	2.69
4.	मुख्य मण्डी यार्ड नागौर में विश्रोस्क का निर्माण 2 नम्बर	0.62	0.62
5.	चाहरदीवारी का निर्माण कार्य	3.97	3.97
6.	मुख्य मण्डी यार्ड में आन्तरिक सड़कों की मरम्मत व नई सड़कों का निर्माण	15 51	—
7.	मण्डी यार्ड की विद्युत व्यवस्था का सुधार व विस्तार	9.75	9.75
	योग–इ	37.01	21.90

1	2		3	4
(एफ) मास्टर प्लान की गई सड़कें				
1.	सम्पर्क सडक चाऊ		14 25	8.40
2.	स्टेट हाई-वे नम्बर 3 से चिलो		7.90	4 75
3.	गुढ़ा भगवानदास से रामधनु		17.10	10 20
4.	तांतवास से भोजास		22 80	10.00
		योग-फ	62.05	33 35
		योग म से एफ	350.11	268.28
कृषि उपज मण्डी समिति, मेड़ता सिटी				
1.	लाम्बाजाटान से बसनी सेजा		24.00	14.40
2.	अजमेर मेडता रोड से बन्थलास		10.50	6.30
3.	गेमलियावास से आफेली		12.00	7.20
4.	मेडता रोड से जारोड़ा		7.00	4.20
5.	सोगावास से खेड़ली		16.80	10.08
6.	कूपडास से रोसचान्दवता		24.00	14.40
7.	कात्यासनी से भूरिबासनी		18.50	6.30
8.	बायड की प्याऊ से लुणिवास		9.00	5.40
9.	रेन से जावली		3.00	1.80
10.	जरानगर से बुरपुरा		3.25	2.00
11.	पादूकलां से केरियामाकड़		13.00	7.80
		योग	133.05	79.88

1	2	3	4
अधूरे निर्माण कार्य			
1.	ग्रामीण गोदाम	4.75	3.57
2.	सम्पर्क सड़क लाउवा से रोहिया	36.76	9.85
3.	सम्पर्क सड़क आफेली से गेमलियास	15.00	14.79
4.	,, टेहला से नृसिंह बासनी	15.50	0.23
5.	,, थाट बस स्टेण्ड से थाट गांव	5.50	3.06
6.	,, लाम्पोलाई से माणकियास	32.00	8 54
7.	,, अजमेर मेडता सड़क से धान्धलास	17.50	2.59
8	,, पादुकलां से केरियामाकड	8.00	2,64
9.	,, पीटूकला से सथाना	19.00	1.71
10.	,, केडिया से सथाना	8.00	0 33
11.	,, इन्दावड से सेखासनी	5.00	1.88
12	,, मेडता से पुन्दिया (पुराना कार्य)	7.50	0.33
13.	,, गंठिया से मोफाला	15.00	1.06
14.	,, पुन्दलू से गंगराना पुराना कार्य	11.88	1.29
15.	,, गंठिया से मोकाला (पुराना कार्य)	11.93	0.49
16.	,, पुन्दलू से गंगराना (नया)	8.00	3.79
17.	भवनों का मरम्मत कार्य		0.47
	योग	221.82	56 61
नवीन कार्य मण्डी यार्ड			
1.	आन्तरिक सड़कों की मरम्मत	7.80	7.80
2.	आन्तरिक सड़कों को चौड़ा करना व नालियों का कार्य	5.60	5.60
3.	कम्प्यूटर रूम	1.13	1.13
4.	विशेष मरम्मत भवनों को	6.90	6 90
5.	आंचर हेतु लाइट कार्य	7.65	7.65
6.	ब्लोकई में विद्युत कार्य	2.48	2.48
	योग	31.36	31.56

1	2	3	4
	कृषि उपज मण्डी समिति, कुचामन सिटी		
	(अ) मुख्य मण्डी यार्ड गैर परियोजना कार्य		
	1. आंतरिक सड़कों का विस्तार	4.82	4.82
	2. आंतरिक सड़कों का पेचिंग व मरम्मत कार्य	7.00	7.00
	(ब) मास्टर प्लान की सड़क		
	1. सम्पर्क सड़क गंगवां	2.00	1.80
	(स) अन्य सम्पर्क सड़कें		
	1. राठौड़ फार्म से खारडीया गांव	4.00	0.56
	योग	17.82	14.18

नोट :—मण्डी समिति द्वारा वर्ष 96-97 में कराये जाने वाले नवीन निर्माण कार्यों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव निदेशालय में दिनांक 2-7-96 को प्रस्तुत किये हैं। जिन पर निदेशालय में आवश्यक कार्यवाही विचाराधीन है।

कृषि उपज मण्डी समिति, डीडवाना

	चालू वर्ष में प्रस्तावित व्यय
1. खादू खुनखुना बोर्ड से पीडवा	3.82
2. खादू खुनखुना से रुवा	13.80
3. मरनावां से मुणु	13.45
4. खारिया से बेमोठ	6.56
5. निम्बी जोधा से मालगांव	10,55
6. फेराप से भण्डारी	2.98
योग	51.16

कृषि उपज मण्डी समिति डेगाना

कृषि उपज मण्डी समिति, डेगाना में परियोजना ऋणों की अदायगी के कारण नवीन निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं है।

नागौर जिले के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समितियों में वर्ष 1995-96 में कराये गये निर्माण कार्य तथा उन पर किये गये व्यय का विवरण

क्र.सं.	मण्डी समिति का नाम	मुख्य मण्डी/गौण मण्डी पर व्यय	सम्पर्क सड़क पर व्यय	कुल व्यय
1.	मेड़तासिटी	—	97.05	97.05
2.	नागौर	3.38	69.36	72.74
3.	डेगाना	7.66	—	7.66
4.	डीडवाना	—	4.81	4,81
	योग :	11.04	171.22	182.26

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न सं. 563 का विवरण

गौण मण्डी रायपुर के विकास कार्य हेतु लिये परियोजना ऋण व ब्याज के भुगतान का पांच वर्षों का लेखा जोखा

(91-92 से 96-97 तक)

क्र. सं.	प्राप्त ऋण		ब्याज भुगतान		ऋण भुगतान		बकाया	
	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	ब्याज	मूल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	17-2-92	300000.00	30-6-92	38506 65	24-1-94	140000.00	निल	1127000.00
2.	17-3-92	500000.00	31-12-92	60000.00	31-3-95	63126.00	,,	1063874.00
3.	17-3-93	467000.00	30-6-93	82350.00	23-6-95	74830.00	,,	989044.00
4.	—	—	30-12-93	95025.00	30-12-95	8551.50	,,	980492.50
5.	—	—	28-6-94	40000.00	16-2-96	136000.00	,,	844592.50
6.	—	—	6-12-94	40000 00	—	—	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	—	—	31-12-94	50000.00	—	—	,,	—
8.	—	—	3-2-95	40000.00	—	—	,,	—
9.	—	—	31-3-95	1874.00	—	—	,,	—
10.	—	—	23-6-95	82574.00	—	—	,,	—
11.	—	—	30-12-95	75640.00	—	—	,,	—
12.	—	—	—	—	25-3-96	300000.00	,,	544422.50
13.	—	—	—	—	31-5-96	300000.00	बैंक की मांग के के अनुसार	244492.50
	योग	1267000.00		605969.65		1022507.50	,,	244492.50

334

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 567 की सूची

विधान सभा क्षेत्र आमेर के ग्राम पंचायत मुख्यालयों की सूची जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा नहीं है

क्र० सं०	जिला	पंचायत समिति		ग्राम पंचायत का नाम
1.	जयपुर	आमेर	1.	श्यामपुरा
			2.	सेवापुरा
			3.	भट्टों की गली
			4.	भंरावड़ी
			5.	जयसिंहपुरा
			6.	अलेखपुरा
			7.	नांगलसिरस
			8.	जाजोलाई की तलाई

परिशिष्ट–11

प्रतारांकित प्रश्न संख्या 569 की प्रति

प्राथमिक जांच रिपोर्ट विरुद्ध श्री एम. एल. मिश्री, पूर्व प्रधानाचार्य,
श्री टी. के सिंह व्याख्याता (निल.) व श्रीमती शिव चौधरी
वार्डन छात्रावास (निल.) शारीरिक
महाविद्यालय, जोधपुर–1

कार्मिक (क–3) विभाग के पत्र क्रमांक प–1 (73) का/क–3/96 जयपुर दिनांक 18.1.96 के द्वारा मुझे इस मामले की जांच के लिए अधिकृत किया गया है। पूर्व में इस मामले की जांच पूर्व में इस मामले की जांच अतिरिक्त कलक्टर (शहर) जोधपुर ने की थी। इसके पश्चात् श्री उपेन्द्र कुमार घई, अपर निदेशक (प्राथमिक) शिक्षा विभाग दिनांक 12 से 14 जनवरी, 1996 को इस मामले की जांच की।

मैंने इस मामले में पूर्व में किये हुए जांच रिपोर्टस् से सम्बन्धित समस्त अभिलेख को मंगवाया और अवलोकन किया तथा शिकायतकर्ताओं के बयान दिनांक 3.2.96 को जोधपुर में लिए। बयान सर्किट हाउस, जोधपुर में लिये जाने की सूचना अखबार में प्रकाशित करवाई एवं ज़िला कलक्टर, जोधपुर एवम् उप निदेशक, जोधपुर के मार्फ़त भी महाविद्यालय के छात्र, छात्राओं व स्टाफ के अन्य सदस्यों को तारीख की सूचना करवाई गई।

डॉ. एम. एल. मिश्री पूर्व प्रधानाचार्य. श्रीमती शिव चौधरी, पूर्व अधीक्षक, कन्या होस्टल, शारीरिक महाविद्यालय, जोधपुर तथा श्री टी के. सिंह पूर्व व्याख्याता ने अपने बयान जोधपुर में नहीं देने के लिए निवेदन किया, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमती शिव चौधरी एवं श्री टी. के. सिंह के बयान दिनांक 2.2.96 एवं डॉ एम. एल. मिश्री के बयान दिनांक 5.2.96 को अजमेर में लिये गए।

मेरे द्वारा आग्रह करने पर निम्न छात्र छात्राओं ने अपने बयान दिये। छात्राओं के बयान बन्द कमरे (incovmed) में लिये गये। कुछ छात्रों ने मुझे कई

(Peivacy) रूप में भी बताई, जो उनकी गोपनीयता एवं को ध्यान में रखते हुए, मैंने उनके आग्रह पर लीपिबद्ध नहीं की। बयानकर्ता छात्राओं के निम्न प्रकार है :—

1. कृष्णा शर्मा	2. मन्जू नामा	3. सन्जू नामा
4. प्रफुल तिवारी	5. अर्चना मंगल	6. शोभा शर्मा
7. रुकमणी गरासिया	8. श्रीमती नफीसा	9. गीता जानू
10. मन्जू राठौड़	11. मधू चौधरी	12. सुलोचना चौधरी
13. सुमित्रा	14. ऋचा वर्मा	15. दीपिका श्रीमाल

उपरोक्त बयान दर्ज किये जाने के पश्चात मैं महाविद्यालय गई और मौके का निरीक्षण किया तथा अन्य छात्राओं से बात की। महाविद्यालय में कार्यरत निम्न स्टाफ के सदस्यों के बयान दिनांक 6.2.96 को अजमेर में लिये गये—

1. श्री विजय सिंह गहलोत—व्याख्याता
2. श्री प्रेमसिंह राठौड़—व्याख्याता
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद वैष्णव—व्याख्याता
4. श्री जयनारायण गहलोत—व्याख्याता
5. श्री विशनसिंह—फुटवाल प्रशिक्षक
6. तंगमा जोसफ—नर्स
7. श्री भैरूलाल—च. श्रे. कर्मचारी

मैंने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये बयानों पर विचार किया। डॉ. एम. एल. भिन्नी ने कहा कि महाविद्यालय में उनके आने के पश्चात् 15 लाख के विकास कार्य हुए। महाविद्यालय का स्टाफ तथा छात्र छात्राएँ अनुशासित नहीं थे। उन्होंने महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिये कड़े कदम उठाए। स्टाफ में गुटबाजी थी और सब को अनुशासन कायम रखने को पाबन्दी पर स्टाफ ने उनके विरुद्ध षड़यन्त्र रचा है।

श्री टी. के. सिंह ने अपने बयानों में कहा कि कुछ लड़कियाँ अनुशासनहीनता की सीमा पार कर गई थी। उन्होंने कहा कि छात्राओं ने अपने चहेते प्रशिक्षकों व जे. एन. बी. के छात्रों से मिलकर यह षड़यन्त्र रचा है।

श्रीमती शिव चौधरी पूर्व वार्डन ने अपने बयानों में कहा कि पदभार संभालने के पश्चात उसने अपने प्रयासों से छात्रावास में विकास कार्य कराए। छात्रावास में रहने वाली कुछ छात्राएँ अनुशासनहीन थीं। ये छात्राएँ उनसे छुट्टी लिये बगैर छात्रावास से बाहर जाती थी। उन्होंने यह भी कहा कि डॉ. मिश्री द्वारा महाविद्यालय में कड़े अनुशासन को कायम रखने के कारण स्टाफ उनसे तथा डॉ. मिश्री से जलते थे और नाराज थे, इसलिये उन्होंने यह षड़यन्त्र रचा है।

डॉ. एम. एल. मिश्री, श्री टी. के सिंह एवं श्रीमती शिव चौधरी द्वारा दिए गए बयानों की पुष्टि किसी भी अन्य गवाह से नहीं होती है। डॉ. एम. एल. मिश्री ने अपने बयानों में बताया कि पांच अनुशासनहीन एवं चरित्रहीन छात्राओं को 8.1.96 को उन्होंने डाँटा था एवं उस समय श्रीमती शिव चौधरी के अलावा जगदीश प्रसाद वैष्णव व प्रेमसिंह राठौड़ व्याख्याता भी मौजूद थे, जबकि जगदीश प्रसाद वैष्णव व प्रेमसिंह राठौड़ ने छात्राओं को डाँटने की बात तो स्वीकार की है, किन्तु छात्राओं के चरित्रहीन एवं अनुशासनहीन होने की बात को नकारा है, उन्होंने बयान में यह भी बताया है कि होस्टल में कायदे कानून पहले से ही थे, डॉ मिश्री सा. ने नया कुछ नहीं किया था। इसके साथ ही महाविद्यालय में गुटबाजी की बात को भी इन दोनों गवाहों ने नकारा है। इन तीनों के अलावा स्टाफ के सभी बयान देने वाले व्याख्याताओं एवं कर्मचारियों ने स्टाफ में गुटबाजी एवं तथाकथित छात्राओं के चरित्रहीन एवं अनुशासनहीन होने की बात को नकारा है। डॉ. एम एल. मिश्री, श्री टी. के. सिंह एवं श्रीमती शिव चौधरी ने अपने बयानों में ऐसी कोई सटीक बात नहीं बता पाएँ हैं, जो लड़कियों की चरित्रहीनता या अनुशासनहीनता की परिचायक हो, इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि इन लोगों ने स्वयं को आरोपों से बचाने के लिए लड़कियों को मिथ्या आरोपित किया है।

डॉ. एम. एल. मिश्री, श्री टी, के. सिंह व श्रीमती शिव चौधरी के बयानों के अनुसार यदि विशनसिंह, जयनारायण गहलोत, देवीसिंह जोधा व अशोक पंचार को गुटबाजी के कारण विवादास्पद गवाह भी मान लें तो तंगमा जोसफ नर्स, प्रेमसिंह राठोड़, राजेन्द्र प्रसाद वैष्णव जैसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष गवाहों ने भी श्री मिश्री, सिंह एवं शिव चौधरी द्वारा बताए गए तथ्यों को नकारा है। इसके अलावा मेरे द्वारा जिन छात्राओं के बयान लिए गए, उन सभी छात्राओं ने अपने बयानों में शिव चौधरी, टी. के. सिंह एवं मिश्री के चरित्र को विवादास्पद माना है। सभी छात्राओं ने एक स्वर से हास्टल वार्डन शिव चौधरी द्वारा अश्लील संवाद बोलना एवं अभद्र डाट-डपट

करने की बात बताई है। जिन पांच छात्राओं को इन आरोपियों ने चरित्रहीन एवं अनुशासनहीन माना है, उनके अलावा भी 10 लड़कियों के बयान लिए है, इन सभी छात्राओं ने आरोपियों के आरोपों की पुष्टि की है। सुश्री मधु चौधरी, मंजु राठौड़, सुलोचना चौधरी, सुमित्रा, ऋचा वर्मा, दीपिका श्रीमाल द्वारा दिए गए बयान अपने आप में स्पष्ट है, इन लड़कियों की चरित्रहीनता एवं अनुशासनहीनता की बात आरोपित व्यक्तियों ने भी नहीं कही है, ऐसी स्थिति में इनके बयान अविवादास्पद है।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अविवादास्पद गवाह तंगमा जोसफ नर्स, राजेन्द्र प्रसाद वैष्णव, प्रेमसिंह राठौड़ एवं छात्राएँ सुश्री मधु चौधरी, मंजू राठौड़, सुलोचना चौधरी, सुमित्रा, ऋचा वर्मा एवं दीपिका श्रीमाल के बयानों से यह पूर्णतः प्रमाणित होता है कि श्रीमती शिव चौधरी, टी. के सिंह ने डॉ एम एल. मिश्री से मिलकर महाविद्यालय की छात्राओं का देह शोषण का षड़यंत्र रचा एवं इसी के अन्तर्गत 31.1 95 को श्रीमती शिव चौधरी के घर पार्टी रखी गई। श्रीमती शिव चौधरी ने लड़कियों को मेरिट बनाने का प्रलोभन देकर अपने घर पर पार्टी में बुलाया, ताकि डॉ मिश्री एवं टी. के सिंह द्वारा उनका अनुचित उपयोग किया जा सके। लड़कियों की चारित्रिक दृढ़ता के कारण वार्डन अपनी योजना में सफल नहीं हुई, क्योंकि लड़कियाँ वार्डन का उद्देश्य भांप कर पार्टी में गई ही नहीं। इस योजना में विफल होने पर इन तीनों ने प्रलोभन के स्थान पर लड़कियों को भयाक्रान्त करने की योजना बनाई, ताकि ये लोग अपने मकसद में सफल हो सकें। इसी के तहत 8.1.96 को लड़कियों को बुलाकर प्रिंसिपल मिश्री ने डॉटा, कालेज से निकालने की धमकी दी, ताकि इस धमकी के परिणाम स्वरूप वार्डन इन लड़कियों को शारीरिक संपर्क के लिए राजी कर सके। लड़कियों की चारित्रिक दृढ़ता एवं एक जुटता के कारण ये लोग इनका देह शोषण करने में तो सफल नहीं हो सके, किन्तु संजुनामा एवं अर्चना मंगल के साथ श्री एम. एल. मिश्री एवं टी. के. सिंह ने छेड़छाड़ एवं प्रताड़नादी, जिसके परिणामस्वरूप संजु नामा को कम्पोज का इंजेक्शन लगाना पड़ा। श्री एम. एल मिश्री, टी. के. सिंह एवं शिव चौधरी का यह कृत्य घिनौना, अमानवीय एवं जनसेवक से अपेक्षित सदाचार से सर्वथा विपरीत है, इन्होंने रक्षक होकर भक्षक का कार्य किया। समस्त गवाहों के बयानों से यह पूर्णतः प्रमाणित है कि इन तीनों ने षड़यन्त्र रचकर महाविद्यालय की छात्राओं का शारीरिक सम्पर्क करने का प्रयत्न किया एवं तदर्थ उन्हें प्रलोभित एवं भयाक्रांत किया। श्री एम. एल. मिश्री एवं टी. के. सिंह द्वारा की गई छेड़छाड़ एवं प्रताड़ना में शिव चौधरी वार्डन ने पूर्ण सहयोग दिया।

अतः इस दुष्कृत्य के लिए मैं प्रिंसिपल डॉ एम एल मिश्री, व्याख्याता श्री टी. के. सिंह तथा वार्डन श्रीमती शिव चौधरी को पूर्णरूपेण दोषी मानती हूँ

एवं इनके विरुद्ध राजस्थान सिविल तथा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच करने की अभिशंषा करती हूँ। मेरी समझ में उनका यह आचरण Cnolicm lake behavoes की परिभाषा में आता है।

महाविद्यालय में इन घटनाओं की पुरावृति न हो इसके लिये मैं निम्न सुझाव प्रस्तावित करती हूँ :—

1. महाविद्यालय में स्थाई प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जावे।

2. महिला वार्डन की स्थाई रूप से नियुक्ति की जाये तथा उन्हें रात्रि में भी होस्टल में रहने के लिए पाबन्द किया जाये।

ह.

(अदिति मेहता)

संभागीय आयुक्त, अजमेर।

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 570 का विवरण

क्र.सं.	नाम विद्यालय	आबंटित राशि 1994-95	आबंटित राशि 1995-96
1	2	3	4
		(मा.वि. एवं उ.मा.वि. हेतु)	
1.	अग्रवाल उ.मा.वि., अजमेर	8,15,519	7,93,805
2.	आदर्श उ.मा.वि., अजमेर	25,71,746	26,50,702
3.	विरजानन्द उ.मा.वि., अजमेर	16,19,519	16,01,014
4.	डी ए.वी उ मा.वि., अजमेर	24,88,275	24,23,954
5.	गौतम उ मा.वि., अजमेर	7,98,370	9,89,342
6.	गुजराती उ मा.वि., अजमेर	1,48,144	1,45,266
7.	हस्बैण्ड मेमोरियल उ मा.वि., अजमेर	14,06,098	14,23,115
8.	के.डी. जैन उ.मा वि., किशनगढ	23,60,993	23,97,570
9.	मोहम्मद अली उ मा वि, ब्यावर (अजमेर)	11,26,751	11,68,618
10.	सैन्टपॉल उ.मा वि., अजमेर	26,10,490	25,86,987
11.	आर्यन मा वि., अजमेर	1,77,992	2,11,867
12.	आदर्श विद्या मंदिर मा. वि.. अजमेर	86,987	77,660
13	दयानन्द मा. वि, अजमेर	7,75,367	7,54,128
14.	गुजराती मा. वि., अजमेर	4,94,863	4,98,904

1	2	3	4
15.	के.डी ए.वी.मा.वि., अजमेर	3,16,127	3,20,002
16.	मिशन मा. वि., नसीराबाद (अजमेर)	8,14,548	8,89,618
17.	सूर्यदेव मा.वि., अजमेर	2,81,209	2,82,749
18.	एम.एम.बी.मा वि., अजमेर	2,44,233	2,63,261
19.	शांति जैन मा.वि., ब्यावर (अजमेर)	3,36,733	3,45,092
20.	सैन्ट मार्टिन मा. वि., भवानी खेड़ा (अजमेर)	2,47,826	2,39,002
21.	आर्यसमाज शिक्षा सभा केन्द्रीय कार्यालय अजमेर	3,02,538	3,31,929
22.	आदर्श विद्या समिति. के.का , अजमेर	2,37,129	2,35,662
23.	मुन्नालाल नागरी प्रचारिणी सभा, अजमेर	888	888
24	चांदमल मोदी नगर परिषद पुस्तकालय अजमेर	24,673	28,467
25.	अजमेर संगीत महाविद्यालय, अजमेर	76,520	87,043
26.	बधिर विद्यालय, अजमेर	6.13,637	5,72,552
27.	नगरपालिका पुस्तकालय, किशनगढ	—	—
28	युवक पाठनालय, नसीराबाद (अजमेर)	—	—
29.	ऑल लैंग्वेज शार्टहैण्ड इन्स्टीट्यूट, अजमेर	—	—
		(प्रा.वि. एव उ.प्रा.वि. हेतु)	
30.	नवासी सिंधी प्रा.वि , अजमेर	2,01,769	1,78,516
31.	राष्ट्रीय प्रा.वि. लाखनकोठड़ी, अजमेर	1,01,121	1,04,829
32.	आर्यन प्रा.वि., अजमेर	89,365	2,06,821
33.	सैन्ट जॉन प्रा.वि., अजमेर	4,267	72,069

1	2	3	4
34.	डी.ए.वी.प्रा.वि., अजमेर	3,50,749	3,50,908
35.	के.डी. जैन प्रा. वि., अजमेर	5,56,665	5,84,115
36.	दयानन्द प्रा. वि. केसरगंज (अजमेर)	1,24,374	1,44,984
37.	रेल्वे प्रा.वि.जी.एल ओ. अजमेर	43,080	—
38.	जैन गुरुकुल प्रा. वि., ब्यावर (अजमेर)	1,90,740	2,44,077
39.	दिगम्बर प्रा.वि., केसरगंज, अजमेर	94,618	73,676
			+ 1,76,246
40.	हैरबैण्ड मेमोरियल प्रा वि., अजमेर	1,43,245	1,71,593
41.	रेल्वे प्रा. वि. हजारीबाग, अजमेर	75,800	1,33,546
42.	न्यू रेल्वे प्रा.वि., ब्यावर (अजमेर)	36,045	46,366
43.	रेल्वे प्रा.वि., रामगंज (अजमेर)	16,902	1,45,881
44.	सन्त फ्रान्सिस प्रा.वि., अजमेर	5,53,717	7,17,085
45.	मोहम्मद अली प्रा वि , ब्यावर (अजमेर)	2,36 766	2,74,764
46.	अग्रवाल प्रा.वि., अजमेर	1,95,592	2,44,266
47.	विरजानन्द प्रा.वि., अजमेर	5,38,460	3,31,102
48.	सन्त जोसफ प्रा. वि., पर्वतपुरा, अजमेर	2,53,513	4,43,498
49.	सन्त टेरेसा प्रा.वि., भटालिंग रोड, अजमेर	2,25,267	2,59,826
50.	मिशन प्रा.वि., बायज नसीराबाद (अजमेर)	2,99,941	3,74,810
51.	सन्त टेरेसा प्रा.वि., लाडपुरा (अजमेर)	95,409	97,831
52.	सन्त मार्टिन प्रा.वि., भवानीखेड़ा, अजमेर	1,44,768	2,32,074
53.	गुरुनानक प्रा.वि., नगरा, अजमेर	4,41,472	3,80,126
54.	हैप्पीअली प्रा.वि., अजमेर	1,24,915	2,92,079

1	2		3	4
55.	रेल्वे एडलर प्रा.वि., अजमेर		53,279	1,23,380
56.	के.डी.ए.वी.प्रा.वि., नगर, अजमेर		1,70,449	—
57.	राष्ट्रीय प्रेम प्रा.वि., नयाबाजार, अजमेर		3,49,819	—
58.	मिशन प्रा.वि., केकड़ी (अजमेर)		41,316	—
59.	सन्त पीटर एंड पाल सरपतखेड़ा (अजमेर)		75,207	1,40,392
60.	गौतम प्रा. वि. अजमेर	(—)	16,944	—
61.	न्यू मॉडल प्रा.वि., अजमेर		1,16,847	—
62.	गुजराती उ.प्रा वि, अजमेर		7,97,422	9,52,752
63.	हैप्पी उ प्रा.वि, अजमेर		2,77,056	4,57,908
64.	डी ए.वी प्रा वि, अजमेर		1,59,541	3,44,638
65.	आर्यन उ प्रा.वि, अजमेर		1,17,525	64,237
66.	दिगम्बर जैन उ प्रा वि., अजमेर		74,813	88,129
67.	सनातन धर्म उ प्रा वि, ब्यावर (अजमेर)		9,42,893	10,98,796
68	हिन्दुधर्म उ प्रा.वि., अजमेर		3,67,614	4,54,154
69.	मिशन बॉयज उ प्रा.वि, ब्यावर (अजमेर)		2,79,043	—
70.	शान्ति जैन, उ प्रा वि., ब्यावर (अजमेर)		5,32,449	—
71.	राष्ट्रीय प्रेम उ.प्रा वि., अजमेर		2,26,746	—
72.	सागर जैन उ.प्रा वि., किशनगढ (अजमेर)		2,73,425	2,41,410
73.	वैदिक उ प्रा वि. पर्वतपुरा. अजमेर		84,344	1,03,356
74	दिगम्बर जैन उ प्रा वि., केकड़ी (अजमेर)		1,33,435	93,815
75.	न्यू मॉडल उ प्रा.वि., अजमेर	(—)	10,839	—
76	सन्त मार्टिन उ.प्रा.वि., भवानीखेड़ा, अजमेर		76,143	97,183

1	2	3	4
77.	डी.ए.वी.उ.प्रा.वि., नसीराबाद (अजमेर)	2,80,379	—
78.	मालियान उ.प्रा.वि , अजमेर	1,86,060	—
79.	एस.एम.बी.उ.प्रा.वि., अजमेर	—	5,43,788
80.	आदर्श उ.प्रा.वि., अजमेर	98,032	1,11,160
	(जिला राजसमन्द)		
1.	विद्या निकेतन प्रा.वि.,देवगढ (राजसमन्द)	49,164	52,690
2.	गांधी सेवा सदन, राजमन्द	91,763	1,49,762
3.	गांधी सेवा सदन उ.प्रा.बि., राजसमन्द	55,645	61,143

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 574 की सूची

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) जोधपुर से प्राप्त अधिकतम ठहराव एवं ग्रामीण से ग्रामीण वरीयता के आधार पर किये गये स्थानान्तरणों की सूची

क्र.सं.	नाम/पद मय कार्यरत स्थान	स्थानांतरित स्थान	विवरण
1	2	3	4
1.	श्री मनोहरलाल, अ., रा. मा. वि., पीपाड़ नं 2	रा.मा.वि., विद्याशाला, जोधपुर	जोधपुर शहर में
2.	श्री गोरधनराम, अ., रा. मा. वि. धवा	रा.मा.वि., अलंयमासा, राजमहल	,,
3.	,, लूणराम, अ., रा.मा.वि, सालावास	रा.मा.वि., सिवाचीगेठ	,,
4.	,, लेखराज अ., रा.प्रा.वि., वार्ड नं. 17 पीपाड़	रा.मा.वि., पीपाड़ नं. 2	ग्रामीण से ग्रामीण
5.	,, राजाराम मेघवाल, अ., रा मा.वि., बिसलपुर	रा.मा.वि., पीपाड़ नं. 2	,,
6.	,, हजारीराम, अ., रा.मा वि., कोसाणा	रा.मा.वि., पीपाड़ नं. 2	,,
7.	,, देवाराम, अ., रा.मा.वि., वारणी खुर्द	रा.मा.वि., कोसाणा	,,
8.	,, घनश्याम, अ., रा.उ.प्रा.वि., सिहढा	रा.मा.वि., जैसला	,,

347

1	2	3	4
9.	श्री बगदाराम, अ., रा.सी.मा.वि., भावी	रा.मा.वि., खेजड़ला	ग्रामीण से ग्रामीण
10.	श्रीमती संतोषदेवी, अ., रा.उ.प्रा.वि., ओलवी	,, सामराऊ	,,
11.	श्री बालूराम, अ., रा.मा.वि., पल्ली	रा.सी.मा.वि., लोहावट	,,
12.	,, उदयराम, अ., रा.सी.मा.वि., तिलवासनी	रा.मा.वि., सामराऊ	,,
13.	,, हरिवंश बोहरा, अ., रा.मा.वि., बलार	,, तटियालपुर	,,
14.	,, माणकराम, अ., रा.सी.मा.वि., सेतरावा	,, जाम्बा की ढाणी	,,
15.	,, बालूराम, अ., रा.मा.वि., देणोक	,, केतुकलां	,,
16.	,, चौथाराम अ., रा.मा.वि., भंवर	,, डोली	,,
17.	,, विनोदप्रकाश, अ., रा.सी.मा.वि., मथानिया	,, डोली	,,
18.	,, जवाहरलाल, अ. रा.उ.प्रा.वि., शेखासर	,, भटिण्डा	,,
19.	,, पृथ्वीसिंह, अ., रा.मा.वि., इन्द्रोका	,, डाबरा	,,
20.	,, घनराज पुरोहित, अ.रा.मा.वि., देणोक	,, मलार	,,
21.	,, चन्द्राराम, अ., रा.मा.वि., कोसाणा	,, कुड़ी	,,
22.	,, पुखराज, अ., रा.मा.वि., रिया	रा.सी.मा.वि., मथानियां	,,
23.	,, मोहनप्रकाश, अ., रा.सी.मा.वि., तिवंरी	,, मथानियां	,,
24.	,, बाबूराम, अ., रा.मा.वि., शेखासर	,, लोहावट	,,

1	2	3	4
25.	श्री जालाराम, प्र., रा.सी.मा.वि., लोहावट	रा.मा.वि., धंवा	ग्रामीण से ग्रामीण
26.	श्रीमती मोहनी कटारि, रा.मा.वि., सतलाना	,, सालावास	,,
27.	श्री भंवरलाल, प्र., रा.मा.वि., सारण	,, पल्ली	,,
28.	,, मोहनलाल, प्र., रा.उ.प्रा.वि., खिवरद	,, मलार	,,
29.	,, उमाराम, प्र., रा.सी.मा.वि., आसोप	,, कोसाणा	,,
30.	श्रीमती शशिबाला, प्र., रा.सी.मा.वि., मथानिया	,, भंवर	,,
31.	श्री घेवरराम, प्र., रा.मा.वि., खारियाखंगार	,, रिया	,,
32.	,, जगदीशप्रसाद, प्र., रा.उ.प्रा.वि., आसोप	रा.सी.मा.वि., आसोप	,,
33.	,, जानकीजीवन, प्र., सी.मा.वि., पालासनी	रा.सी.वि., इन्द्रोका	,,
34.	श्रीमती राजेश्वरी, प्र., सी.मा.वि., बिलाड़ा	रा.मा.वि., पीपाड़ नं. 2	,,
35.	श्री दीपेन्द्र ईन्दा, व. अ., रा.मा.वि., सामराउ	,, चौरड़िया	,,
36.	,, केशवराम डूडी, व. अ., रा.मा.वि., कोसना	,, खांगटा	,,
37.	,, रामनिवास, प्र., रा.मा.वि., खांगटा	,, कोसना	,,
38.	,, रामावतार, प्र., रा.मा.वि., कूड़ी	,, लूणावास	,,
39.	,, गणपतसिंह, प्र., रा.मा.वि., लूणावास	,, जुड़	,,
40.	,, खेताराम, प्र., रा.मा.वि., जुड़	,, लूणवास	,,

1	2	3	4
41.	श्री हनुमानाराम, प्र., रा.मा.वि., रणसीगांव	रा.मा.वि , जोलेरीग्रहिचा	ग्रामीण से ग्रामीण
42.	,, रामनिवास, प्र., रा.मा.वि., बापिणी	,, मादलिया	,,
43.	,, हीरालाल, प्र., सी.मा.वि., पालासनी	,, सतलाना	,,
44.	,, कैलाशदान, प्र., सी.मा.वि., फलोदी	सी.मा.वि. आऊ	,,
45.	,, सुजानसिंह, प्र., रा.मा.वि., चौडीवांतीना	,, फलोदी	,,
46.	,, राधारमण, प्र., रा.मा.वि., लाम्बा	,, मादलिया	,,
47.	,, गोविन्दराम, प्र., रा.मा.वि., मोजासर	सी.मा.वि., फलोदी	,,
48.	,, अगाजान शेखी, प्र., रा.मा.वि., बिसलपुर	रा.मा.वि., जालेलीग्रहिचा	,,

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न सख्या 583 का विवरण

ग्राम इन्दावा के आवेदकों की सूची जिनको मांग पत्र की राशि जमा कराने पर भी अभी तक कनेक्शन नहीं दिये गये

क्र. सं.	नाम आवेदक	ग्राम	प्राथमिकता संख्या	मांग पत्र जमा की तारीख	एल फार्म देने की तारीख	जोब आर्डर तारीख	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री गिर्राज लालजी	इन्दावा	कृषि-11 (7.5 एचपी)	31-3-92	5-3-92	31-3-95	कनिष्ठ अभियन्ता जब प्रस्तावित कार्य करवाने मोके पर गये तो आवेदकों द्वारा मौके पर खसरा परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पूर्व आवेदित कुएं पर कनेक्शन लेने से इन्कार कर दिया एवं नये कुएं एवं खसरे का मालिकाना हक मांगे गये है एवं नये कुये के तखमीने एवं सर्वे की प्रक्रिया जारी है।
2.	श्री चोथमल चन्दा मीणा	,,	कृषि–16 (5 एच पी)	,,	23-6-92	,,	
3.	श्री चोथमल भजनी मीणा	,,	कृषि–25 (5 एच पी)	,,	,,	,,	
4.	श्री सोन्या सेवा मीणा	,,	कृषि–27 (5 एच पी)	,,	,,	,,	

350

1		3	4	5	6	7	8
5.	श्री राम कुमार पेमा मीणा	,,	कृषि–31 (5 एच पी)	,,	23-6-92	,,	कनिष्ट अभियन्ता जब प्रस्तावित कार्य करवाने मौके पर गये तो आवेदकों द्वारा मौके पर खसरा परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पूर्व आवेदित कुएं पर कनेक्शन लेने से इन्कार कर दिया एवं नये कुएं एवं खसरे का मालिकाना हक मांगे गये हैं एवं नये कुएं के तखमीने एवं सर्वे की प्रक्रिया जारी है।
6.	श्री मंगल्या सांवत्या	,,	कृषि–48 (5 एच पी)	,,	,,	,,	
7.	श्री मूल्या तेजा मीणा	,,	कृषि–50 (5 एच पी)	,,	,,	,,	
8.	श्री मंगल्या श्री चन्द मीणा	,,	कृषि–51 (5 एच पी)	,,	,,	,,	
9.	श्री मोतीराम ग्यारस्या	,,	कृषि–23 (7.2 एच पी)	,,	,,	,,	आपसी विवाद के कारण

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 584 का विवरण

क्र सं.	औद्योगिक इकाइयों का नाम	स्थान	उत्पादन क्षमता	लागत (राशि लाखों में)	92–93	तीन वर्षों का लाभ 93-94	94-95	95-96
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सरसों तेल मिल, तिलम संघ	श्रीगंगानगर	100 टन प्रतिदिन	1088.00	(–)134.34	(–)160.52	(–)208.36	
2.	स्पिनिंग मिल (स्पिनफैड यूनिट)	हनुमानगढ़	25080-स्पिंडल्स	988.82	153.15	247.78	244.22	
3.	गंगानगर कोआ. कॉटन काम्पलेक्स	श्रीगंगानगर	2688 रोटर्स	2799.26	(–)120.82	(–)169.07	(–)152.37	
4.	जिनिंग एवं प्रेसिंग यूनिट	(क्रय विक्रय सह. समिति) अनूपगढ़	8000 गांठ प्रतिवर्ष	30.66	30.66	—	—	—
5.	जिनिंग एवं प्रेसिंग यूनिट	(क्रय विक्रय सह. समिति) घड़साना	11000 गांठ प्रतिवर्ष	32.15	—	—	—	—
6.	जिनिंग एवं प्रेसिंग यूनिट	(क्रय विक्रय सह. समिति) पीलीबंगा	10000 गांठ प्रतिवर्ष	18.28	—	(+)3.14	(–)0.72	(-)3.50
7.	जिनिंग एवं प्रेसिंग यूनिट	(क्रय विक्रय सह. गंगानगर किसान	18000 गांठ प्रतिवर्ष	34.67	—	0.78	3.36	5.00

(352)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	जिनिंग एवं प्रेसिंग यूनिट	(क्रय विक्रय सह. ,, रायसिंहनगर	10000 गांठ प्रतिवर्ष	18.00	—	3.72	3.64	4.00
9.	जिनिंग एवं प्रेसिंग यूनिट	(क्रय विक्रय सह. समिति) पदमपुर	12000 गांठ प्रतिवर्ष	22.00	—	0.07	2.37	4.09
10.	जिनिंग एवं प्रेसिंग यूनिट	(क्रय विक्रय सह. समिति गजसिंहपुर	10000 गांठ प्रतिवर्ष	9.64	—	0.25	1.43	1.45
11.	जिनिंग एवं प्रेसिंग यूनिट	(क्रय विक्रय सह. समिति) करणपुर	15000 गांठ प्रतिवर्ष	30.85	—	10.31	8.85	6.81

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न संख्या 595 का विवरण

MINUTES OF THE MEETING

A meeting was held on 6-12 95 at 3.30 pm. under the chairmanship of Hon' ble Minster (Environment) to discuss issues regarding utilisation of fly ash being generated from Thermal Power Station Kota and other related environmental pollution problems. The list of the participants who attended the meeting is at Annexe-I.

The Hon' ble Minister showed concern about the problem of fly ash and its serious environmental hazard He desired that concrete steps be taken so that utilisation of fly ash can be ensured at the earliest possicle. Secretary Environment apprised the participants about the serious. environmental problem due to fly ash and detailed out findings of the Study Team set to Gujarat for studying utilisation of fly ash. He also explained the resolution dated 9th May, 1994 issued by Govt. of Orrisa regarding utilisation of fly ash.

After detailed deliberations, the following decision were taken :—

1. K.T.P.S. will supply dry as well as wet fly ash free of cost to the enterprenures for a period of 30 years to start with from the date unit goes into fly ash base production Dry fly ash would be made available sucject to the technical competence of the entreprenure to evacuate dry fly ash from the existing system of ESP hoppers without any major modification & without cousing any adverse environmental effects during the process of loading & transportation.

2. The land required for setting up fly ash based product manufacturing units would be procured by Collector Kota & would

be allotted to the entrepreneurs as per rules. If any land from Forest Deptt. is to be taken then the required procedure for dereservation of forest land will have to be adopted.

3. Regarding the issue of sales tax concession it was decided that it will be governed as per the existing provisions.

4. Regarding non-levying of octroi on fly ash it was decided that Secretary Local Self Govt. will look into this matter and if possible get the octroi exempted on fly ash.

5. The rate for fly ash based products can be decided when such units com into production & the products are available for market use.

6. The nodal agency for implementation of decisions and follow up action will be RSEB.

7. RSEB will take-up the responsibility of organising workshops and seminars with a view to reate egeneral awareness regarding possible use of fly ash.

The meeting ended with vote of thanks to the chair.

Sd/–
Add. Secretary & OSD (Env)

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 596 का विवरण

अलवर जिले के अधिस्वीकृत पत्रकार

क्र.सं	अधिस्वीकृत कार्ड सं.	पत्रकार का नाम	पद	समाचारपत्र का नाम	
1	2	3	4	5	
1.	481	श्री फूलचन्द गोठड़िया	सम्पादक	सांध्य ज्योति दर्पण	दैनिक
2.	482	,, दिनेश कुमार गौतम	,,	अलवर का झरोखा	,,
3.	483	,, रामकुमार राम	,,	राजस्थान टाइम्स	,,
4.	484	,, हेमचन्द भार्गव	,,	अलवर बाजार पत्रिका	,,
5.	485	,, सुनिल बिज्जू	,,	अरूण प्रभा	,,
6.	486	,, राजेश जैन	संवाददाता	गुलाबी हलचल	,,
7.	487	,, हरिश शर्मा	,,	सांध्य ज्योति दर्पण	,,
8.	488	,, पी. एल. स्वामी	स्वतंत्र पत्रकार	,,	,,
9.	489	,, शिशिर मोदी	सम्पादक	अलवर पत्रिका	साप्तहिक
10.	490	,, ओमप्रकाश अग्रवाल	,,	बहरोड़ दर्शन	,,
11.	491	,, राजेश कुमार 'असंक'	,,	अलवर क्राउन	,,
12.	492	,, आर. एस. मलिक	,,	सनील	,,
13.	493	,, पूरणसिह चौहान	,,	बल की आवाज	,,
14.	494	,, कैलाशचन्द गुप्ता	,,	लोक प्रभात	,,

1	2	3	4	5
15.	495 ,, विश्वनाथ खींची	सम्पादक	प्रमाणिक	साप्ताहिक
16.	496 ,, गंगासहाय सैनी	,,	निराला अलवर	,,
17.	497 ,, बी. एन. शर्मा	,,	कमर तोड़	,,
18.	498 श्रीमती मंजुलता खींची	,,	महिला टूडे	पाक्षिक
19.	499 ,, योगेन्द्र सिंह	,,	गायत्री आशीष	,,
20.	500 ,, हरिओमप्रकाश सैनी	,,	शमक	दैनिक
21.	501 ,, दौलतराम भारती	,,	किशनगढ़ टाइम्स	पाक्षिक

परिशिष्ट–18

अतारांकित प्रश्न संख्या 601 का विवरण

उदयपुर जिले में आयुर्वेद विभाग की वर्तमान में संचालित प्रवृतियों का विवरण

आयुर्वेद निदेशालय के अधीन संचालित प्रवृतियां—

1. राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला, उदयपुर
2. राजकीय प्राकृतिक "अ" श्रेणी चिकित्सालय, घासघर, उदयपुर
3. राजकीय आयुर्वेद "अ" श्रेणी चिकित्सालय, मावली
4. राजकीय आयुर्वेद "अ" श्रेणी चिकित्सालय, फलासिया
5. राजकीय आयुर्वेद औषधालय 178
6. राजकीय होम्योपेथिक औषधालय 6
7. राजकीय यूनानी औषधालय 3
8. कार्यालय क्षेत्रीय उप निदेशक (आयुर्वेद) उदयपुर
9. कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी, उदयपुर

राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, उदयपुर के अधीन संचालित प्रवृतियां—

1. महामना मदनमोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, उदयपुर
2. राजकीय आयुर्वेद नर्स-कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र, उदयपुर
3. राजकीय आयुर्वेद अनुसंधान केन्द्र, उदयपुर
4. राजकीय आयुर्वेद "अ" श्रेणी चिकित्सालय, मोती चौहट्टा, उदयपुर
5. "चरक उपवन" (वनोषधि उद्यान) नाथद्वारा रोड, अम्बेरी

विशेष टिप्पणी

(1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत चल चिकित्सालय भी संचालित हैं, जिनकी सुविधा आवश्यकतानुसार समय-समय पर उदयपुर संभाग सहित सभी क्षेत्रों में शिविर लगाकर उपलब्ध कराई जाती है।

(2) मौसमी बीमारियों के निवारण हेतु मौसम के अनुसार आयुर्वेद पद्धति से चिकित्सा हेतु दल गठित किये जाते हैं एवं आवश्यकतानुसार ये दल अपने क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हैं।

(3) माडा/टाडा योजनान्तर्गत जिला कलक्टर की मांग के अनुसार आयुर्वेद विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शिविर आयोजित कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

उदयपुर जिले में आयुर्वेद विभागान्तर्गत संचालित विभिन्न प्रवृतियों के तहत स्वीकृत पदों, भरे पदों एवं रिक्त पदों का विवरण

(स्थिति दिनांक 10-7-96)

पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे हुए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
आयुर्वेद निदेशालय के अधीन			
1. उप निदेशक (आयुर्वेद)	1	1	—
2. जिला आयुर्वेद अधिकारी	1	1	—
3. प्रभारी अधिकारी, रसायनशाला	1	—	1
4. आयुर्वेद–चिकित्सक/वैद्य	190	185	5
5. होम्योपैथिक चिकित्सक	6	2	4
6. यूनानी चिकित्सक	3	2	1
7. औषधि निरीक्षक (आयुर्वेद)	1	1	—
8. नर्स–कम्पाउण्डर	216	202	14
9. लेखाकार	2	2	—
10. कनिष्ठ–लेखाकार	2	2	—
11. कार्यालय–सहायक	1	1	—
12. वरिष्ठ–लिपिक	7	7	—
13. कनिष्ठ–लिपिक	13	13	—
14. कनिष्ठ–यांत्रिक	1	1	—
15. वाहन-चालक	2	2	—
16. कलीनर	1	1	—
17. हेडमेट	1	1	—
18. परिचारक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	205	196	9
19. श्रमिक	31	28	3

आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर के अधीन स्वीकृत, भरे हुए एवं रिक्त पद

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1.	आचार्य	1	1	—
2.	प्रोफेसर (पीजी)	3	—	3
3.	प्रोफेसर	8	5	3
4.	चिकित्सक विशेषज्ञ	2	—	2
5.	रीडर	6	—	6
6.	लेक्चरर	24	15	9
7.	असि. फिजिशियन (रिसर्च)	2	1	1
8.	ईन्चार्ज फार्मेसी	1	—	1
9.	आर. एम. ओ.	1	—	1
10.	पेथोलोजिस्ट	1	1	—
11.	विवेचक	13	13	—
12.	आयुर्वेद चिकित्सक	13	13	—
13.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	—	1
14.	आर्टिस्ट-कम-फोटोग्राफर	1	1	—
15.	कार्यालय अधीक्षक	1	—	1
16.	लेखाकार	1	1	—
17.	कनिष्ठ लेखकार	1	1	—
18.	शीघ्र लिपिक	1	1	—
19.	वरिष्ठ लिपिक	6	5	1
20.	कनिष्ठ लिपिक	15	15	—
21.	स्टोरकीपर	1	1	—
22.	नर्स/कम्पाण्डर	44	41	3
23.	लेब० टेक्निशियन	6	3	3

1	2	3	4	5
24.	प्रयोगशाला सहायक	10	6	4
25.	टेक्नीकल असिस्टेन्ट/तकनीकी सहायक	7	3	4
26.	प्रदर्शनालय	4	4	—
27.	सहायक रेडियोग्राफर	1	1	—
28.	इलेक्ट्रिशियन	1	1	—
29.	ड्राइवर	2	2	—
30.	मशीनमैन	1	1	—
31.	वनस्पति सहायक	1	1	—
32.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1	—	1
33.	हेडमेट	1	1	—
34.	चतुर्थ श्रेणी वर्ग	87	82	5
		269	220	49

परिशिष्ट–19

नियम 295 के तहत प्राप्त प्रस्ताव

[श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा)]

11 के० वी० लाइनों के विस्तार का खर्चा विद्युत मण्डल द्वारा दिये जाने बाबत

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की नर्सरी श्रेणी कृषि कनेक्शन योजना के तहत सैकड़ों पत्रावालियां प्रतियां सूची में हैं, मण्डल की क्या प्राथमिकता है।

विद्युतमंत्रीजी द्वारा वोल्टेज रेगूलेशन की सीमा समाप्त करने के आदेश दिये जाने के उपरान्त भी किसानों को 11 के. वी. लाईनों के विस्तार के डिमाण्ड नोटिस दिये गये हैं, जबकि किसानों के सिस्टम इम्प्रूवमेन्ट के नाम से, 1,250/- रुपये प्रति होर्स पावर लिये जा रहे हैं। 18 नवम्बर, 95 के परिपत्र क्र. 1065 के पैरा संख्या 2 ल में भी 11 के. वी. लाइनों की क्षमता बढ़ाने का खर्च विद्युत मण्डल द्वारा वहन करने के दिशा निर्देश हैं।

विद्युत मण्डल एक ओर एल. टी लाइनों के 9,000/- प्रति पोल व सिस्टम इम्प्रूवमेन्ट के नाम से 1,200/- प्रति हार्सपावर वसूल कर रहा है तो फिर 11 के वी. लाइन लगाने के लिये 9,000/- प्रति पोल किस बात के वसूल कर रहा है, विद्युत मण्डल किसानों से दोहरी वसूली कर रहा है, मैंने स्वयं भी विद्युत मण्डल के अधिकारियों से सम्पर्क किया तो बताया गया कि उप मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण विकास, श्री तारा सिंह

द्वारा चित्तौड़गढ़ में ली गई विद्युत अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिये गये कि एल. टी. लाइनों का वोल्टेज रेगूलेशन सीमा से अधिक होने की स्थिति में 11 के. वी. लाइनें बढ़ाने का खर्च, प्रार्थी किसान से वसूल किया जावे।

अतः नियम 295 के तहत विद्युत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि 11 के. वी. लाइनों के विस्तार का खर्च विद्युत मण्डल स्वयं वहन कर मेरे क्षेत्र के प्रतिक्षारत सैंकड़ों किसानों को विद्युत कनेक्शन दिलाने की कार्यवाही करें।

————

[श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई)]

ग्राम किवाड़ा बेरवान, नाहरडा की ढाली, नांगल इसर, राजदानपुरा कोठयावाली, ढाली करलपुरा, रामजीपुरा, मयढाली त्रिलोकपुरा, ढाणी बेरवान ग्राम पहाड़ी, जुगलपुरा, मैरूगंज, सौभागपुरा में प्राथमिक शाला खुलाने के विषयक

महोदय,

निवाई विधान सभा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है, वहां पर प्राथमिक शालाओं की बहुत कमी है। अनुसूचित जाति व जन जाति की कालान्तर में अनेक बस्तियां विकसित हो गई, जहां प्राथमिक शालाओं के अभाव में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं।

1. नाहरड़ों की ढाली पंचायत दनवाद, जनसंख्या 253
2. ग्राम कुंवाडा बैरवा ढाली पंचायत कुंवाड़ा, जनसंख्या 400
3. नांगल इसर पंचायत दनवास जनसंख्या 257
4. राजदानपुरा पंचायत दनवास जनसंख्या 54
5. कोठयावाली ढाली मूंडया जनसंख्या 250
6. करलपुरा बनस्थली जनसंख्या 225
7. रामजीपुरा वनस्थली जनसंख्या 250
8. त्रिलोकरा बनस्थली जनसंख्या 255
9. बैरवा बस्ती पहाड़ी जनसंख्या 256
10. जुगलपुरा खुर्द पंचायत पलेड जनसंख्या 280
11. मैरूगंज पंचायत सिरस जनसंख्या 347
12. सौभागपुरा पंचायत सुनारा जनसंख्या 325

ग्रामीण क्षेत्रों में अब ऊंचे पैमाने पर मांग उठ रही है कि अब अनेक बच्चे अनपढ़ नहीं रखे जा सकते।

अतः उपरोक्त गांव में प्राथमिक शालाएं खोले जाने के लिए सरकार से विशेष उल्लेखकर अनुरोध करना है कि तत्काल प्राथमिक शाला का आदेश फरमायें। धन्यवाद।

———

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की नल योजनाओं को स्वीकृत करने एवं हैण्डपम्पों को ठीक न करने के विषयक

[श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)]

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम एवं तहसील नादोती में पीने का पानी की भयंकर समस्या नादोती तहसील एवं माड एरिया है उसमें सिवाय बरसात के अलावा कोई भी पीने के पानी का साधन नहीं है। सरकार ने जो नल योजनाएं चला रखी हैं उसमें गुढ़ाचन्द्रजी से पानी आता है पर बिजली नियमित न आने के कारण में योजना 12 घटा में 8 घटा भी लगातार पानी नहीं दे रही है। ग्रामों के अन्दर जो जी. एल. आर. बना रखे है जैसे कूबेणा रौसी शहर बागौर, गढ़खेड़ा, रामसेना, गढ़मोरा चिरावड़ा, तालाबेड़ा, राजपुर, मालाखेड़ा, खेड़ला खेडली सजावद, पीत आदि ग्रामों में नादोती तहसील में बने हुए हैं। इसी प्रकार टंकी जो नागल शेरपुर केमरी में बनी है उनको भी नहीं भरा जाता है। इसी प्रकार नल योजनाओं को स्वीकृत हुए 2 वर्ष हो गये बोरिंग हो गई पर पाइप लाइन के ठेके भी हो गये जैसे केमरी की ढाणियों का 48 लाख की योजना स्वीकृत हो गई बोरिंग मोहनपुरा में हो गई पाइप लाइन का ठेका स्वीकृत हो गये पार्टस आ गया. पर आज तक लोगों को पानी की सुविधा नहीं दी गई। इसी प्रकार ताणचिड़ा की योजना पर भी कार्य अधूरा है। जीतपुर, राजपुर, सहर सोप सहावद, मूसेणा, केमला सजावद चिरावड़ा तिमावा घी सेटा मालासूना, मजेड़ा सा. करवाड़ा. मनकपुरा, मरेना करीरी खेड़ी रासोर बेरीज नाद, मोरडा आदि ग्रामों की योजना अधूरी है। बोरिंग हो गई कनेक्शन हो गया ठेका दे दिया पर ग्राम को पानी नहीं पिलाया जा रहा है। टोडाभीम नगरपालिका एरिया में टंकी का अभाव है पानी ऊंचाई पर नहीं चढ़ता है जबकि पानी के भण्डार है बोरिंग भी बहुत है पर लोगों को टंकी के अभाव में पानी नहीं मिल रहा है। योजना सरकार में कई वर्षों से विचाराधीन है, इसको सरकार मंजूर करावे।

इसी प्रकार जो हैण्डपम्प स्वीकृत हुए उनको अभी लगाया नहीं गया जब लगाये गये तो वो यथा स्थान न लगाकर अन्य स्थान पर लगाये इसकी जांच करवाने साथ

ही इसकी नाप भी करावे मिट्टी में कितने फीट खोदे गये कितना माल इसमें डाला गया कितने पानी दे रहे हैं कितने बन्द पड़े हैं। बेकार है उनकी जगह नये दिये जाते। लोग कहते हैं ग्रामों में तुमको हैण्डपम्प रो रहे है।

अतः ये मंजूर सुदा योजनाएं चालू की जाये। टोडाभीम में टंकी बनवाये जी. एस. आर. को भरा जाये ताकि सरकार का पैसा लगा है वह काम आ सके और लोगों को पानी मिल सके। प्यास तो सबको लगती है चाहे किसी कीमत का है। अनुसूचित जाति के एवं जनजाति की बस्तियों से हैण्डपम्प नहीं है।

अतः इस प्रक्रिया के माध्यम से मैं सदन का ध्यान मेरे क्षेत्र की इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

रामसिंह मीणा, वन रक्षक, करौली का वर्षों से वेतन न मिलने विषयक

[श्री हरिसिंह (कुम्हेर)]

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को उठाना चाहता हूं :—

यह कि श्री रामसिंह मीणा वन रक्षक, डिवीजनल कार्यालय, करौली, जिला सवाई माधोपुर को वर्षों से वेतन नहीं मिल रहा है। श्री रामसिंह का पदस्थापन वन संरक्षक वीहड सुधार कार्यक्रम भरतपुर के आदेश एफ. 31189-90/- कार्मिक व. स. 041-45 दिनांक 25-7-90 की अनुपालना में उप वन संरक्षक भू संरक्षण करौली में किया गया। श्री रामसिंह ने 29-8-90 को डिवीजन करौली में ड्यूटी जोइन की थी। श्री रामसिंह के एल. पी. सी. में माह मई, 90 से 28-8-90 तक की हाजरी तस्दीक भरतपुर से की गई थी। श्री रामसिंह 29-8-91 तक करौली में अपनी ड्यूटी देते रहे किन्तु इतनी लम्बी अवधि तक वेतन नहीं दिया गया। यह इतने परेशान हुये हैं कि इन्हें मानसिक व्यथा हो गई और पारिवारिक संकट पैदा हुआ।

श्री रामसिंह ने गत लोक सभा चुनावों में एक आदेश दिनांक 14-4-96 के अन्तर्गत चुनावों में भी ड्यूटी दी है मगर उन्हें अन्य राज्य कर्मचारियों की तरह जैसा एडवान्स दिया गया वह इन्हें नहीं दिया गया।

श्री रामसिंह को कई माह से वेतन नहीं दिया गया है और उसका परिवार बरबाद हो रहा है। इसलिए सरकार श्री रामसिंह को वेतन दिये जाने की अविलम्ब व्यवस्था करें।

बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों को अब तक समुचित मुआवजा नहीं दिये जाने व भूमि आबंटन नही किये जाने के विषयक

[श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई)]

महोदय,

गत एक दशक से टोंक जिले में बनास नदी पर बीसलपुर बांध बनाया जा रहा है। सरकार की योजना के अनुसार पूर्व भराव क्षमता जल स्तर, यानि 315.5 मीटर तक टोंक, अजमेर तथा भीलवाड़ा जिले के 63 गांव डूब जायेंगे। इससे इन गांवों में सदियों से बस रहे बारह हजार परिवारों के साठ हजार लोग विस्थापित होंगे। इसमें आधे गांवों में मुआवजा भुगतान व पुनर्वास की कार्यवाही पिछले छः वर्षों से चल रही है। मुआवजा और पुनर्वास कार्यवाही के मुख्य अंश निम्न रहे है :—

1. विस्थापितों के जमीन के मुआवजे की दर आसपास के गांवों की वास्तविक दरों की एक चौथाई है। इसी तरह कुओं, मकानों और अन्य सम्पत्तियों का मुआवजा अत्यन्त कम किया गया है। कुओं का मुआवजा पांच हजार और एक हजार तक कम दिये गये हैं। मकानों का मुआवजा भी अत्यन्त कम है। आमतौर पर मकान के मुआवजा 5,000-25,000 रुपये तक है जबकि वर्तमान में एक मकान बनाने में रुपये 80,000 की लागत आती है।

2. पुनर्वास कार्य अत्यन्त धीमी गति से चला है। बांध की डूब से अब तक पन्द्रह गांव प्रभावित हो चुके हैं परन्तु अब तक एक भी गांव नहीं बसाया गया है।

3. मुआवजा भुगतान व पुर्नर्वास में भारी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार चला है कई बार जांच भी करायी गयी परन्तु उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तथाकथित रूप से मुआवजा बढ़वाने, मुआवजा दिलवाने, जमीन दिलवाने और प्लाट दिलाने में दलालों द्वारा करोड़ों रुपये बटोरे गये हैं। इस पैसे में से अधिकतम पैसा परियोजना अधिकारियों के जेबों में पहुंचा है।

4. राज्य सरकार द्वारा 1991 में बनाये गये पुनर्वास मानदण्डों का पूर्णरूप से पालना नहीं किया गया है। इनमें आये हर खातेदार को केवल साढ़े छः बीघा भूमि अधिकतम दी जाती है। हाल तक हर खातेदार या संयुक्त खातेदार को न्यूनतम 1.5 बीघा जमीन दी जा रही थी। अब सरकार द्वारा यह प्रावधान भी वापस ले लिया गया है। यदि किसी खाते में आधी जमीन इस क्षेत्र में थी तो उतनी

ही जमीन उसे आवंटित करने का प्रावधान रखा गया है। इसमें सरकार इस तथ्य को नजर अंदाज कर रही है कि इन क्षेत्र की जमीन बहुत उपजाऊ है जबकि विस्थापितों को दी जा रही जमीन हल्की किस्म की है। इस नये नियम से छोटे व मध्यम श्रेणी के काश्तकारों को अत्यन्त हानि हुई है। ये लोग अधिकतम अपनी जमीनें बेचकर अब बेघर होंगे।

5. मुआवजा भुगतान व पुनर्वास कार्यवाही में विस्थापितों की भागीदारी नहीं रही है। इस क्षेत्र की समन्वय समिति गत तीन वर्षों से सही पुनर्वास व विस्थापितों की भागीदारी के लिए संघर्षरत है। समन्वय समिति की मांग पर राज्य सरकार द्वारा 9-4-1996 को बीसलपुर परियोजना पुनर्वास एवं पुनः स्थापन समिति की गठन का नोटिफिकेशन निकाला गया। उक्त सात सदस्य समिति में तीन राजस्थान सरकार के अधिकारी एवं केन्द्रीय समाज कल्याण मंत्रालय के अधिकारी एवं स्वतन्त्र समाज से ही समन्वय समिति के दो सदस्य हैं। परन्तु इस समिति की आज तक कोई बैठक नहीं बुलायी गयी। इस बीच पूर्व में विस्थापितों के हित में संघर्षरत समन्वय समिति के कार्य से विघ्न डालने के नीयत से स्थानीय विधायक एवं पंचायत राज्य मंत्री द्वारा बीसलपुर विस्थापित एवं जन उत्थान समिति बनायी गयी है यह समिति केवल कागजों पर ही है उसका उक्त क्षेत्र में कोई अस्तित्व नहीं है। इसके सब पदाधिकारी सत्तापक्ष के सदस्य है। अब सरकार द्वारा उक्त समिति को भी बीसलपुर परियोजना पुनर्वास एवं पुनः स्थापन समिति में शामिल करने की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

6. बीसलपुर परियोजना को आज तक केन्द्रीय समाज कल्याण मंत्रालय तथा केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालयों से मंजूरी नहीं मिली है। क्योंकि इन केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा पुनर्वास सम्बन्धी रखी गई शर्तों का राज्य राज्य सरकार द्वारा पालना नहीं कया गया है। केन्द्रीय मंत्रालय से मन्जूरी नहीं मिलने के बावजूद बांध पर स्थायी गेट लगाए गए हैं जिससे इस मानसून में 30 गांव डूब में आयेंगे।

अतः मैं नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख कर माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन विस्थापितों को उपयुक्त मुआवजा दिलावे तथा कृषि भूमि आवंटन करायें।

———

राजसमंद, चित्तौड़ तथा भीलवाड़ा जिलों में 2 मीटर से ऊंचे एनीकट बनाने पर रोक विषयक

[श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम)]

महोदय,

पिछले कुछ वर्षों से राजसमंद, चित्तौड़ तथा भीलवाड़ा जिले में दो मीटर से ऊंचे एनीकट बनाने पर रोक लगी हुई है। इसका कारण बीसलपुर बांध के केचमेंट में इन जिलों का होना बताया जाता है। यह रोक उक्त जिलों के किसानों के साथ सरासर अन्याय है। एक की रोटी छीनकर दूसरे को देना सर्वथा न्यायोचित व तर्कसंगत नहीं है। इसी नियम की चपेट में वे बांध/तालाब भी आ गए हैं। जिनकी योजना वर्षों से पूर्व बनी थी और जो अधूरे पड़े हुए हैं। उक्त तालाबों की नहरें बन गई हैं परन्तु तालाबों पर रोक लगी हुई है।

इसी से संबंधित एक बिन्दु और है। भू-स्खलन से कई एनीकटों व तालाबों में पेटे में मिट्टी जमा हो गई है। ये तालाब/एनीकट कागजों में तो 15–20 फीट ऊंचे हैं परन्तु वास्तव में 2-3 फीट ही उनकी जल भराव क्षमता है। इन्हें भी ऊंचे करने में विभाग/ प्रशासन दो मीटर की रोक के बहाने नहीं ऊंचा कर रहे हैं।

अतः उक्त समस्या की ओर सरकार व सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

———

ग्राम धूलेट जिला कोटा में 20 लाख रुपये की लागत से निर्मित करवाये जा रहे चिकित्सालय भवन को ग्राम पंचायत धूलेट द्वारा प्रस्तावित भूमि खसरा संख्या 430 रकबा 14 बीघा ग्राम धूलेट में निर्मित करवाया जाने बाबत

[श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)]

महोदय,

कोटा जिले के ग्राम पंचायत मुख्यालय में धूलेट के 20 लाख रुपये की लागत का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्मित करवाया जाना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के लिए ग्राम पंचायत धूलेट द्वारा प्रस्ताव पारित करके अपने खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 430 रकबा 14 बीघा वाके ग्राम धूलेट में से 5 बीघा या इससे भी अधिक भूमि में निर्माण करवाया जाने के लिए निवेदन किया ताकि भविष्य में भी चिकित्सालय भवन का समुचित एक्सटेंशन करने में तथा चिकित्सक सहित अन्य चिकित्सा कर्मियों के रिहायशी भवन का भी निर्माण चिकित्सालय परिसर में करवाया जा सके। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित भूमि में चिकित्सा भवन का निर्माण करवाये जाने पर इस क्षेत्र के 25 ग्रामों के निवासियों को भी सहूलियत होगी। यदि अन्यत्र चिकित्सालय निर्माण करवाया गया तो वहां पर भविष्य में भारी परेशानियां पैदा हो जायेगी।

अतः निवेदन है कि खुली एवं सही जगह पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धूलेट (कोटा) के भवन का निर्माण यथाशीघ्र करवाया जाकर सूचित करने की कृपा करे।

———

कोटपूतली के सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में दो कमरों का निर्माण व अन्य सुविधाएँ प्रदान करने बाबत

[श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली)]

महोदय,

मैं सदन में सरकार के समक्ष लोक महत्व के तथ्य सदन में पेश कर रहा हूं। मैं विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संचालित डाक बंगला में केवल दो ही कमरे हैं जो अपर्याप्त है टेलिफोन भी रेस्ट हाउस में नहीं है एवं फर्नीचर एवं अन्य सुविधाएं एवं खाने, चाय, नाश्ते की भी सुविधाएं नहीं है। यह विश्राम गृह जयपुर से दिल्ली के बीच में नेशनल हाइवे न 8 पर स्थित है। आये दिन इस रूट से बहुत से वी. आई. पीज. यहा आते जाते रहते है लेकिन कमरों का एवं अन्य सुविधाएं के अभाव होने से वहां पर नहीं रुक सकते। टेलिफोन तथा पलंग तक की सुविधा यहां पर उपलब्ध नहीं होती है। इस प्रकार यहां काफी असुविधा होती है। क्या सरकार इस रेस्ट हाउस से इस समस्या को देखते हुये दो कमरों का निर्माण एवं टेलिफोन सुविधा, फर्नीचर, खाने चाय, नाश्ते, पलंग आदि अन्य सुविधाओं का उपलब्ध कराने का विचार रखती है तथा कब तक यह लागू कर दी जायेगी ?

अतः इस लोक महत्व के लिए मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिसे मुझे सदन में चर्चा करने की अनुमति प्रदान कराये।

———

आकोला तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने विषयक

[श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़)]

आदरणीय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र की कोटड़ी तहसील का गांव है आकोला जो पंचायत मुख्यालय भी है जिसकी आबादी तीन और चार हजार के बीच है, आस पास के पन्द्रह बीस गांव भी इससे जुड़े हुये हैं यहां पर चिकित्सा की व्यवस्था न होने से डाक्टर कम्पाउण्डर की व्यवस्था न होने से प्रतिवर्ष कई असमयिक मौते हो जाती हैं। आस पास के पन्द्रह बीस गांव भी चिकित्सा सुविधा से वंचित है यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की बहुत आवश्यकता है। मैं विगत पांच वर्षों से बराबर निवेदन कर रहा हूँ पर जनता की गम्भीर समस्या की ओर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है।

राज्य सरकार ने गत वर्ष का बजट चिकित्सा को समर्पित किया था और मुझे अफसोस है कि जिस समस्या की ओर मैं पांच वर्ष से ध्यान दिला रहा हूँ उस ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में केवल यही आकोला तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की वर्षों की केवल एक मात्र मांग को भी नहीं माना और उस क्षेत्र की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। यही नहीं मैंने मेरे क्षेत्र में मेहता जी का खेड़ा (माण्डलगढ़), वन का खेड़ा (कोटड़ी) व अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर जहां कोई चिकित्सा की सुविधा नहीं है वहां पर भी उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिये निवेदन किया था परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोला।

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत माननीय मुख्य मंत्री जी एवं चिकित्सा मंत्री जी से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूँ कि आकोला तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति दिलाये और जिन उप स्वास्थ्य केन्द्रों का मैंने जिक्र किया है उन्हें भी स्वीकृति कराने का कष्ट करायें।

————

फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के सेवा नियमों के अभाव में पदोन्नति न होने विषयक

[श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)]

मान्यवर,

फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के सेवा नियमों के अभाव में फायर मैन अन्ड्रेल व ड्राइवर आदि के प्रमोशन का कोई स्कोप नहीं है।

सरकार ने सिद्धान्त: यह स्वीकार भी कर लिया है कि सेवा नियमों का निर्माण जायेगा। अन्य प्रान्तों में सेवा नियम बने हुए है। केवल राजस्थान में 1965 से लेकर बने इन कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसरों का सर्वथा अभाव है।

यही नहीं इस अभाव के होते हुए नागपुर प्रशिक्षत कर्मचारियों के स्थान पर अन्ड्रेल दैनिक मजदूरी के ठेकेदारों के माध्यम से मजदूरों की भर्ती कर अग्निशमन सेवाओं को कमजोर किया जा रहा है। और जनता को असुरक्षा में डाला जा रहा है। कर्मचारियों में और जनता में बेहद असन्तोष व्याप्त है। वह आन्दोलन के लिये अग्रसर है अतः मुझे कृपया आज की कार्यवाही को रोक पर इस विषय पर चर्चा की अनुमति प्रदान करें।

————

ग्राडिट रिपोर्ट पर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने विषयक

[श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)]

महोदय,

निवेदन है कि लोकल फण्ड ग्राडिट द्वारा जो ग्राडिट की जा रही है उस ग्राडिट रिपोर्ट की ग्रनुपालना करने के मामले में सरकार का स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जिसके कारण इस ग्राडिट का कोई महत्व नहीं रह गया है ग्रौर यह सारी प्रक्रिया निर्थरक साबित हो गई है तथा इस कार्य में जो खर्चा हो रहा है उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि जिस स्तर पर इन रिर्पोटों की ग्रनुपालना होनी चाहिये उनका इस ग्रोर कोई ध्यान नहीं है जिसके कारण लाखों रुपये का गबन या वसूली है। इसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। यह हाल राज्य की सभी नगरपालिकाग्रों का है।

उदाहरण के तौर पर नगरपालिका, लाडनूं जिला नागौर का सन् 1993–94 का ग्राडिट हुग्रा था काफी लम्बा ग्रर्सा हो गया है परन्तु इस ग्राडिट रिपोर्ट में भयंकर घोटाले उजागर हुए हैं परन्तु विभाग की ग्रोर से इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है इससे ग्रागे की ग्राडिट भी हो चुकी है इस पर कार्यवाही करना तो दूर रहा इससे पूर्व की भी रिपोर्ट पड़ी है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस प्रकार की कार्यवाही से लोकल फण्ड ग्राडिट विभाग द्वारा की जा रही ग्राडिट का कोई ग्रौचित्य नहीं रह गया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिये ग्रौर ग्रगली ग्राडिट होने से पूर्व पहले वाली ग्राडिट रिपोर्ट की ग्रनुपालना सुनिश्चित कराई जानी चाहिये।

मैं इस विशेष उल्लेख के जरिये सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि स्वायत्त शासन शासी संस्थाग्रों की ग्राडिट रिपोर्ट की ग्रनुपालना सुनिश्चित की जाने की व्यवस्था की जावे।

———

अलवर में पीने के पानी की समस्या बाबत

[श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर)]

महोदय,

अलवर में आज भी पीने के पानी की समस्या है। 13-14 मई को पानी के कारण अलवर में घेराव प्रदर्शन हुए तब प्रशासन ने बातें की। दिनांक 16-17 मई को हमारे मंत्री महोदय, रोहिताश्वजी ने वहां मीटिंग की। लेकिन उससे भी जनता को राहत नहीं मिली। इस बारे में मैंने माननीय मंत्री महोदय, (श्री भंवरलालजी) से बातें कीं। मैं उनका धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने तुरन्त वहां अलवर में प्रभारी मंत्री-श्रीमती नरेन्द्र कंवर जी व मुख्य मंत्री, सचिव सुनील अरोड़ा जी को कहा और उन्होंने 22-5-96 को मीटिंग की और दौरा भी किया एवं फिर 4-5-96 को भी मीटिंग की। प्रधानों ने पाइप के घटिया टुकड़े लगे वो भी मीटिंग में दिखाये। कच्ची बस्तियों में भी पानी नहीं है, और उन्होंने 4-6-96 तक सभी व्यवस्था करने को कहा, 4-6-96 को फिर मीटिंग की लेकिन कुछ नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, इससे एक लाभ हुआ कि वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों में झगड़े मार पिटाई हो गई और रिपोर्ट भी लिखाई गई।

अध्यक्ष महोदय, वहां जनता को पानी जब मिलेगा तब अधिकारी व कर्मचारियों में एकता हो।

अलवर में पानी व्यवस्था आधे हिस्से में पानी सुबह आता है और बाकी आधे में शाम को आता है। लेकिन सुबह बिजली बन्द कर दी जाती है, लेकिन शाम को बिजली बन्द नहीं की जाती है। इससे जनता में भारी रोष पैदा हो गया। मेरे निवास स्थान पर पत्थर फेंके गये, आन्दोलन किया जाता है इस भेदभाव के कारण बिजली बन्द करने से भी पानी की समस्या हल नहीं हुई, और जनता की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। पानी की समस्या के बारे में 25-6-96 को प्रभारी मंत्रीजी श्रीमती नरेन्द्र कंवर को भी जनता ने फैक्स भेजा लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई।

अलवर में 22-5-96 की मीटिंग में वार्ड नं. 27 की पार्षद ने श्रीमती नरेन्द्र कंवर मंत्री महोदया को वहां पाइप लाइन डालने सम्बन्धित एन.ओ.सी. के कागज दिये लेकिन उन्होंने उन कागजात को देखना पढ़ना भी जरूरी नहीं समझा। मंत्री महोदया जन समस्याओं पर पूरा ध्यान नहीं देकर उन पर भरोसा नहीं करती। बल्कि प्रशासन की बातों पर भरोसा करते हैं। पेयजल अधिकारी ने रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट पर जनता का कोई विश्वास नहीं, वह मैं सुनना चाहती हूं।

———